मुतफर्रिक़ मसाइल का मजमू'आ

मसाइले शरीअ़त

मुहम्मदी सुन्नी हनफी बरेलवी

जिल्द 1

मुसन्निफ़ : सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी

www.smswarsi.com

मसाइले शरीअ़त

जिल्द - 1 (हिंदी)

मुसन्निफ़ :-
सैय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी

राबता ई-मेल :- sms.warsi@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

सरदारुल अम्बिया के बाद उन उलमा -ए- हक़ अहले सुन्नत की नज़्र जिनके क़लम की रौशनी कल क़ियामत में शहीदों के खून से तौली जानी है बिल खुसूस आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा, मौला रुम शैख जलालुद्दीन रुमी, शैखे कामिल अमीरे अहले सुन्नत अल्लामा इल्यास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई और मेरे अहले खाना जिनके करम और दुआओं के बगैर ये मुम्किन नहीं था।

"कैसे आक़ाओं का बन्दा हूँ रज़ा"

इस किताब में बाज़ मसाइल में मुफ्तियाने अहले सुन्नत और सुन्नी दारुल इफ्ता से मदद हासिल की गयी है और अक्सर इस्तिफ़ादा दीगर फ़तावा से किया गया, खुसूसन फ़तावा रज़विय्या से।

किताब :- मसाइले शरीअत जिल्द - 1 (हिंदी)

मुसन्निफ़ :- सैय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी

नज़्रे सानी :- मुफ्ती अबू रय्यान क़ादरी अल-मदनी

मुफ्ती गुलरेज़ रज़ा मिस्बाही

मुतर्जिम : मुहम्मद रियाज़ रज़ा क़ादरी

प्रूफ़ रीडिंग :- मुहम्मद रियाज़ रज़ा क़ादरी

प्रकाशित :- www.smswarsi.com

सन :- (हिंदी) 2020 ईस्वी

कुल मसाइल :- 1 से 700

राबता ई-मेल :- sms.warsi@gmail.com

अल्लाह से दुआ है कि वो अपने हबीब के सदक़े इसे अहले सुन्नत के लिये नफ़ा बख्श करे।

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله ربّ العالمين

الصلوة والسلام عليک يارسول الله

أم بعد

मुक़द्दमा

"पहुँचा दो मेरी तरफ़ से अगर्चे एक ही आयत हो"

"घड़ियाँ गिनी हैं वर्षों की ये शुभ घड़ी फिरी -
मर-मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सरकी है।"

वैसे तो दुनिया -ए- इस्लाम में सदी -ए- अव्वल से ही दीने हक़ के रहनुमाओं ने हर-हर मौज़ू और हर-हर ज़रूरत के पेशे नज़र उम्मते मुहम्मदिया को अपने क़लम से नायाब मोती बख्शे ही हैं जिसका सिलसिला आज तक चलता चला आ रहा है और आइन्दा भी जारी और सारी रहेगा। मुझे शायद महसूस नहीं होता कि कोई ऐसा मौज़ू या मौक़ा हो जिस पर उलमा -ए- हक़ ने क़लम ना चलाया हो। हर एक मस'अले की तफ़सीर और तफ़सील में ऊँठों के ऊँठ भर दिये मगर ये आवाम की बद-नसीबी ही रही कि जो ऐसा खज़ाना होने के बाद भी इस दौलत से महरूम रहते हैं, हालाँकि आज बाज़ारों में हर ज़ुबान में किताबें मौजूद हैं अगर कमी है तो उनके पढ़ने वालों की, क्योंकि आज वक़्त उस तेज़ी के साथ क़ियामत की जानिब है कि लोग हर मसअला का हल अपनी ज़रूरत और आसानी के तहत ही चाहते हैं और मेहनत और मशक़्क़त करने से शैतान रोकता है।

ये वॉट्सएप्प ग्रुप "अहले सुन्नत" बनाने के बाद कुछ वक़्त तक तो ये अहसास भी नहीं था कि लोग शायद इससे फाइदा उठा सकेंगे मगर जब इस से लोग अलग-अलग खित्ते शहर से जुड़े तो अहसास हुआ कि लोगों में इल्मे दीन सीखने का जज़्बा तो है मगर वो मेहनत से दूर रहना चाहते हैं। फिर इस तरह लोगों ने इस ग्रुप में ज़रूरतन छोटे-छोटे मसाइल पूछने शुरू किये और बा-आसानी उनको घर बैठे बगैर मेहनत जवाब मिलते रहे (उस वक़्त तक मसाइल नक़्ल नहीं किये जाते थे, जिसकी वजह से काफी मसाइल महफ़ूज़ नहीं किये जा सके) और फिर मेरे एक क़रीबी दोस्त मुफ्ती साहिब (जो कि ग्रुप में मौजूद थे) ने सवाल पर लोगों से सवाल नम्बर डालने की राय दी। शुरू-शुरू में मुझे लगा कि इस से क्या फाइदा होने वाला है, मगर ये शायद एक मुफ्ती की नज़र थी जो क़ौम का फाइदा मुझ से भी बेहतर समझते थे। उस वक़्त तक मेरे ज़हन में भी ये बात नहीं थी कि इन सुवालात को कभी जमा कर के किताबी शक्ल भी मिलेगी और ना ही मै इस का अहल था। मगर मुफ्ती साहिब ने इस काम में मेरी हर क़दम हौसला अफज़ाई की और मौक़ ब-मौका रहनुमाई भी की और दर हक़ीक़त उनके ही इसरार पर मैने इस काम को अंजाम दिया।

और उनके हुक्म की तामील की गई इस तरह इस ग्रुप में सवालात, सवाल नम्बर के साथ शुरू होने लगे। लोग अपनी-अपनी ज़रूरत के

तहत रोज़ा, नमाज़, वग़ैरह के सवाल करते और जवाब हासिल करते। इस तरह सवालात को जमा करने का काम शुरू हो गया और आज 700 मसाइल पर मबनी गुलदस्ता मसाइले शरीअ़त जिल्द - 1 आप के पेशे नज़र है।

इरशादे अहिब्बा नातिक़ था, ना-चार इस राह पढ़ा जाना।

आप इस जिल्द -1 में पढ़ सकते हैं : वैसे तो इस में हर वो मसाइल है जो उलमा ने अपनी तसानीफ़ में बयान कर दिये मगर हर किताब जिस में ज़रूरत के ज़्यादातर मसाइल हों जैसे बहारे शरीअ़त तो आवाम इतनी ज़खीम किताब पढ़ने से परहेज़ करती है और बाज़ जो रिसालों पर बस करते है तो वो एक ही मौज़ू पर होता है मगर आप इस में मुतफर्रिक़ मसाइल पढेंगे। जिस में अक़ाइद, नमाज़, तहारत, रोज़े, ज़कात, तलाक़, क़सम वग़ैरह के मसाइल ब-हवाला मौजूद हैं। मस्लन "वारसी हज़रात का भैंस ना खाने पर दलीले क़ाहिरा", "इंग्लिश में मोमडन नाम की हक़ीक़त" और "चेहरा छुपाना वाजिब होने का हुक्म, हदीस के खिलाफ नहीं ऐन हदीस के मुताबिक़ है" साथ ही और कुछ ऐसी हदीस और मसाइल जो लोगों में गलत बयान किये जाते हैं और अक्सर लोग इस से वाक़िफ़ नहीं होते। मस्लन "वतन की मुहब्बत ईमान का हिस्सा है" इस हदीस के मौज़ू होने पर दलीले अक़्लिया और नक़्लिया और "बच्चे सफ़ में आ जाये तो नमाज़ फासिद नहीं होती" जैसे सैकड़ों मसाइल का जवाब इस में दलाइल के साथ नक़्ल किया गया है। इस तरह इस में बेशुमार लोगों की गलतफ़हमियों से मुतल्लिक़ मसाइल जो लोगों में आम हो गये है और लोग उन्हें अच्छा समझ कर करते हैं और हक़ीक़तन वो खिलाफे शरअ़ होते हैं और बाज़ हराम जिन का रद्द किया गया है और बाज़ बीमारियों और हाजतों और दीगर ज़रूरिय्यात के मुताबिक़ अ़मल व वजाइफ़ भी नक़्ल में लाये गये हैं और ऐसी ही कई अहम बातें जो इस से पहले शायद आपके पेशे नज़र न हों।

मसाइले शरीअ़त की खुसूसियात :

टैक्स्ट को साधारण रखा गया है जो दिखने में साफ़ नज़र आये, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं।

सवाल को लाल और जवाब को काले और हवालात को नीले और इबारात को दीगर रंगों में पेश किया गया है ताकि हर शख्स पर सवाल, जवाब और दीगर इबारात वाज़ेह हो जायें।

हर अ़रबी इबारत के नीचे उसका तर्जुमा ज़रूर लिखा गया है।

सभी सवाल उसी नम्बर के मुताबिक़ रखे गये हैं जिस तरह साइल ने पूछे ताकि अगर कोई साइल बाद में अपना जवाब या अपना हवाला देखना चाहे तो उसी जवाब नम्बर पर देख ले।

पेशे नज़र किताब मसाइले शरीअ़त, जिल्द अव्वल, जिसकी नज़्रे सानी मुफ्ती अबू रय्यान अल मदनी साहिब ने की। (हिंदी) प्रूफ़रीडिंग का काम बहुत जिम्मेदारी के साथ मुहम्मद रियाज़ रज़ा क़ादरी ने अंजाम दिया।

(अल्लाह त'आला से दुआ है कि हर पढ़ने और अ़मल करने वाले को मेरे हक़ में भी दुआ की तौफीक़ दे और इस काम में मेरी हौसला अफज़ाई करने वाले, मदद करने वाले, राय देने वाले, यहाँ तक कि इस काम से खुश होने वालों की भी मग़फ़िरत करे।

आमीन

तालिबे दुआ व मग़फ़िरत

सय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी

सलातो सलाम

उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम
उन पर सलाम जिनको तहिय्यत शजर की है।

उन पर दुरूद जिन को कसे बा-कसा कहे
उन पर सलाम जिन को खबर बे-खबर की है।

जिन्नो बशर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है।

शम्सो क़मर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
खूबी उन्हीं की ज्योत से शम्सो क़मर की है।

सब बहरो बर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
तम्लिक उन्हीं के नाम तो हर बहरो बर की है।

संगो शजर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
कलिमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है।

अर्ज़ो असर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
मलजा ये बारगाह दुआ और असर की है।

शोरिदा सर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
राहत उन्हीं के क़दमों में शोरिदा सर की है।

खस्ता जिगर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
मरहम यहीं की खाक़ तो खस्ता जिगर की है।

सब खुश्क़ो तर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
ये जलवा गाह मालिके हर खुश्क़ो तर की है।

अहले नज़र सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम
ये गर्द ही सूरमा सब अहले नज़र की है।

फरमाने मुस्तफ़ा :

"نیت المومن خیر من عملہ"

मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है।

बगैर अच्छी निय्यत के किसी भी नेक अ़मल का सवाब नहीं मिलता इसी लिये आप इस किताब को पढ़ने से पहले चंद निय्यत कर सकते हैं।
निय्यत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है और मुँह से कहना बेहतर है और दिल में उस काम को करने का इरादा ना हो तो निय्यत नहीं।

(1) हम्दो सलात से किताब शुरू करूँगा।

(2) तस्मिया के साथ पढ़ूँगा।

(3) इल्मे दीन की ताज़ीम के लिये बैठ कर ही पढ़ूँगा।

(4) काबे की तरफ़ चेहरा कर के बैठूँगा और सफ़हा सीधे हाथ से पलटूँगा।

(5) जहाँ-जहाँ अल्लाह का नाम आयेगा अ़ज़्ज़वजल और अम्बिया के नाम पर अ़लैहिस्सलाम और बुज़ुर्गों के नाम के साथ रहमतुल्लाह अ़लैह कहूँगा।

(6) मसाइल को बहुत गौरो फिक्र के साथ पढ़ूँगा और समझूँगा।

(7) खास-खास बातें लिख लूँगा या अपनी किताब है तो अंडर लाईन वग़ैरह करूँगा।

(8) खास और नये मसअले या जो मुझे आज तक मालूम नहीं थे उन्हें जान कर अपने अक़ाइद और आमाल की इस्लाह करूँगा।

(9) सीख कर दोस्तों को बताने और पढ़ने की तरगीब दिलाऊँगा।

(10) अपने घर वालों और दोस्तों की भी इस्लाह करूँगा और खुद भी अ़मल करने की कोशिश करूँगा।

(11) मुसन्निफ़ (लिखने वाले) के हक़ में दुआ -ए- मग़फ़िरत भी करूँगा।

Taqreez

तक़रीज़ अज़ - मुफ्ती अबू रय्यान अल मदनी।

प्रिंसिपल - जामिअ़तुल मदीना फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, आगरा, यू. पी., इंडिया।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد اللہ عزوجل

कुछ अर्सा पहले ज़ेरे मुताला किताब पढ़ने की सआदत हासिल हुई। यह किताब दौरे हाज़िर के तक़ाज़ों के मुताबिक़ और आज की जनरेशन के लिये काफी सहल व मुफ़ीद है। इस में हत्तल मक़दूर उन मसाइल को यकजाँ करने की कोशिश की गई है जिनसे उमूमन वास्ता पड़ता रहता है, मौसूफ़ जनाब सय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी साहिब की कविशों का समरा व नतीज़ा है, जिन्होने नौजवाने मुसलमान से जिहालत के अंधेरों को दूर करने के लिये इल्म का एक चिराग (मसाइले शरीअ़त) अ़ता फ़रमाया। आप हज़रात इस किताब के मुताले के बाद खुद महसूस करेंगे।

"مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید"

"यानी मुश्क वो है जो खुद महके ना कि अत्तार कहे कि महक रही है।"

फक़ीर ने ज़ेरे नज़र किताब पर एक ताइराना नज़र डाली, जिस में मौलाना मौसूफ़ ने अपने उमदा सहल और अन्दाज़े बयान के ज़रिये हामिलाने इस्लाम के दिलों में हरारते ईमानी का जज़्बा -ए- इस्लाह व मुहब्बत डाल कर उन्हें इस्लाहे हाल व दुरुस्तगी -ए- आमाल की दावत दी है, आज क़ौमे मुस्लिम में जिस की सख्त ज़रूरत है। खुदा करे इनकी कोशिश बार-आवर और मक़बूल हो और ये सआदत मन्दाना तहरीर उनके लिये ज़खीरा -ए- आखिरत साबित हो और नौजवाने नस्ल की इस्लाहे हाल व मक़ाल के लिये इक्सीर हो। दुआ है कि मौलाना मौसूफ़ को खुदावन्दे क़ुद्दूस अपने बे-बहा खज़ाने से नैमते इल्म अ़ता फरमाये और ये इसी तरह खिदमते खल्क़ करते रहें, नीज़ اللہ عز وجل उनकी तहरीर, तक़रीर, अ़मल, इल्म में मज़ीद बेहतरी अता फरमाये।

آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ علیہ والہ وسلم

दुआ गो

मुफ्ती अबू रय्यान अल-मदनी

10 सफ़र 1437 हिजरी

23 नवंबर 2015.

Taqreez

तक़रीज़ अज़ मुफ्ती गुलरेज़ रज़ा मिस्बाही

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین

इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता -ए- हयात है, पूरी नस्ले इंसानी के लिये ये एक मरकज़ है जहाँ पर हर मौक़े पर रहनुमाई मिलती है। पैदाइश से ले कर जन्नत और जहन्नम में दुखूल तक हर चीज़ का शाफ़ी और वाफ़ी बयान मज़हबे इस्लाम अ़ता करता है।

नबी -ए- करीम ﷺ मुख्तारे कुल हैं और अल्लाह त'आला ने आप को मकान व मयाकून का इल्म अ़ता फ़रमाया है, आप ﷺ की ज़ाहिरी हयात में सहाबा -ए- किराम को आप से बहुत कुछ सीखने को मिला। नबी की बारगाह में जो मसअला पेश किया जाता उस का फ़ौरन जवाब मिल जाता था। हुज़ूर ﷺ की ज़ाहिरी ज़िंदगी में इस्लाम का पैगाम अ़रब से निकल कर काफ़ी ममालिक में पहुँच चुका था। आप ﷺ के ज़ाहिरी विसाल के बाद नये और जदीद मसाइल भी पेश आने लगे जिन्हें मुज्तहिदीन सहाबा ने बड़ी अ़र्क़ रेज़ी से हल फ़रमाया। कई ऐसे मुज्तहिदीन सहाबा थे जिन से मसाइल में लोग रुजूअ़ करते। सहाबा के बाद ताबईन का दौर आया और जदीद मसाइल दरपेश आये। वक़्त के ज़बरदस्त फुक़हा ने अपने तलामिज़ा के साथ मिल कर मसाइल को क़ुरआन व हदीस की रौशनी में हल फ़रमाया और कसीर मसाइल के हल के लिये बे-शुमार जुज़ियात का खज़ाना उम्मते मुस्लिमा को अ़ता फ़रमाया। सहाबा और ताबईन के ज़माने से ये सिल्सिला क़ाइम व दाइम है। मौजूदा दौर में बा-क़ाइदा दारुल इफ्ता से ज़िन्दगी के हर मैदान में लोगों की रहनुमाई का सिल्सिला जारी व सारी है। फुक़हा और मुज्तहिदीन ने अगर्चे हज़ारों जुज़ियात का ज़खीरा जमा फ़रमा दिया है लेकिन फिर भी वक़्तन फ़-वक़्तन ऐसे जदीद मसाइल सामने आ जाते हैं जहाँ पर एक माहिर ज़की मुफ्ती की नज़र पहुँचती है जो सीप से मोती निकालने में कामयाब हो जाता है।

इस मौजूदा दौर में काफ़ी तादाद में दारुल इफ्ता क़ाइम हैं जहाँ से हर वक़्त क़ौमे मुस्लिम की रहनुमाई की जाती रही है।

जदीद मसाइल पर बहुत सारी किताबें मअ़रिज़े वुजूद में आ चुकी हैं, मस्लन फ़तावा रज़विय्या शरीफ़, फ़तावा मुफ्ती -ए- आज़म, फ़तावा बहरुल उलूम, फ़तावा फैज़ुर्रसूल, फ़तावा मरकज़ तरबिय्यत इफ्ता वग़ैरह क़दीम व जदीद मसाइल पर इतनी सारी किताबें मौजूद हैं कि किताबों का दिलदादह अगर उन का मुताला करे तो इल्म के फैज़ान से माला माल होगा।

लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो किताबें पढ़ना नहीं जानती, अ़रबी उर्दू से उनको दिलचस्पी नहीं है या उन को किताबें आसानी से दस्तयाब नहीं हो सकतीं हैं। ज़रूरत थी कि ऐसे लोगों को दीन का पैगाम आसानी से कैसे पहुँचे और उन के रोज़ मर्रा के मसाइल घर बैठे कैसे हल हों।

चूँकि मीडिया का दौर है, हर शख्स के पास मोबाइल मौजूद है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुये हज़रत अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी साहब ने यू-ट्यूब पर मसाइले शरीअ़त के नाम से एक चैनल बनाया ताकि आवामे अहले सुन्नत को आसान और सादा अंदाज़ में ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बे-शुमार मसाइल में रहनुमाई की जाये।

माशा अल्लाह हज़रत का ये अ़मल "السعی منی والاتمام من الله" (कोशिश मेरी जानिब से है और पूरा करना अल्लाह की जानिब से है) का अ़मली नमूना साबित हुआ और इस चैनल को बहुत तेज़ी से मक़्बूलियत हासिल हुई और देखते ही देखते इस के सब्स्क्राइबर लाखों की तादाद में पहुँच गये। आप के मसाइल बयान करने का अंदाज़ इस क़द्र निराला है कि मसाइल को बहुत सादा और अछूते अंदाज़ में बयान करते हैं कि सामईन जवाब सुन कर मुतमइन हो जाते हैं।
इसी तरह वॉट्सएप्प पर मौजूद "अहले सुन्नत" नामी ग्रुप में लोगों के मसाइल के जवाबात देते हैं, आप जो भी मसाइल बयान करते हैं उन को अपने पास तहरीर करते हैं। "अहले सुन्नत" नामी वॉट्सएप्प ग्रुप पर बयान कर्दा मसाइल का मज्मूआ किताबी सूरत में तबाअ़त के मराहिल से गुज़रने वाला है। इस वक़्त मेरे सामने मसाइले शरीअ़त की जिल्द अव्वल है इस में तक़रीबन 700 मसाइल हैं जिन में जदीद मसाइल भी हैं। मैने इस किताब पर एक ताइराना नज़र डाली तो काफ़ी बेहतर पाया। उम्मीद है कि इस का बाक़ी हिस्सा भी बेहतर होगा।
अल्लाह त'आला की बारगाह में दुआ है कि सय्यिद साहब क़िब्ला की मसाई जमीला को क़ुबूल फ़रमाये, इल्म व उम्र में बे-शुमार बरकतें अ़ता फ़रमाये और दीने इस्लाम की खिदमत का मज़ीद जज़्बा अ़ता फ़रमाये और उम्रे खिज़्र बिल खैर अ़ता फ़रमाये।

दुआ गो
मुहम्मद गुलरेज़ रज़ा मिस्बाही, मदनापुरी, बहेड़ी, बरेली शरीफ़ यू. पी.
उस्ताज़ : जामिअ़तुल मदीना फैज़ाने अ़त्तार, नागपुर
9 ज़िल हिज्जा 1441 हिजरी
30 जुलाई 2020 ईस्वी

इल्म और इल्मे फिक़्ह की अहमिय्यत :

"तुम फरमाओ क्या बराबर हो जायेंगे जानने वाले (आलिम) और अनजान (जाहिल)"।

इल्मे दीन और इस में भी इल्मे फिक़्ह की अहमिय्यत किसी ज़ी-अक़्ल से नहीं छिपी, ज़ेरे नज़र किताब इल्मे फिक़्ह पर ही मुश्तमिल है तो क्या ही बेहतर हो कि इल्मे दीन सीखने से पहले कुछ इसके फ़वाइद और बरकत भी जान लेनी चाहिये और शहद मीठा होने पर ही मक्खियाँ उसके क़रीब आती हैं।
फ़रमाता है अल्लाह अपने पाकीज़ा क़ुरआन में, "अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं।"
इल्मे फिक़्ह की अज़मत यह है कि अल्लाह ने उस की तारीफ फरमाई और इसे लफ्ज़े खैर से ताबीर फ़रमाया। (सूरह बक़रा में इरशाद है) जिसको हिकमत दी गई उसे यक़ीनन खैरे कसीर अता की गई। इसकी तफ़सीर में लफ्ज़े हिकमत की तफ़सीर फिक़्ह से फरमाई। इल्मे फिक़्ह खैर कसीर है।

यही वजह है कि इल्मे फिक़्ह की तमाम उलूम से ज़्यादा मदहा की गई।
कहा गया : तमाम उलूम के मुक़ाबले में इल्मे फिक़्ह ही सबसे बेहतर इल्म है क्योंकि यही इल्म तमाम अज़मतों और बुलंदियों के लिये वसीला व ज़रिया है। बिला शुब्हा एक मुत्तक़ी फक़ीह हज़ार आबिदों जाहिदों पर फज़ीलत और बुलंदी रखता है।

(कुछ इल्मे दीन और फिक़्ह पर अहादीसे मुबारिका और अक़्वाले औलिया)

"मेरा जो उम्मती 40 हदीसें याद करेगा, वो अल्लाह से आलिम और फक़ीह हो कर मिलेगा।"
"अल्लाह जिस के साथ खैर का इरादा फरमाता है, उसे दीन में फक़ीह बना देता है।"
"इल्म का एक बाब सीखना 100 रक़अ़त पढ़ने से अफज़ल है।"

"क़ौले अबू दरदा रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु : एक मसअला सीखना मुझे रात भर की इबादत से ज़्यादा महबूब है।

क़ौले इमाम शाफई रहीमहुल्लाह : इल्म की तलब नफ्ल नमाज़ से अफ़ज़ल है।

उलमा फरमाते हैं कि "किताबे फिक़्क का मुताला करना रात भर की इबादत से बेहतर है।

क़ौले इमाम मुहम्मद रहीमहुल्लाह : इन्सान को सब से पहले हलाल, हराम और अहकामे शरीआ व मसाइले फिक़्ह का इल्म हासिल करना चाहिये। इस के मुक़ाबिले में किसी दूसरे इल्म को अहमिय्यत नहीं देनी चाहिये।

इस मुख्तसर तहरीर से ज़ाहिर है कि इल्मे दीन सीखने की कितनी ज़रूरत है इसी लिये इल्मे दीन को फ़र्ज़ क़रार दिया गया और वो भी इल्मे फिक़्ह तमाम उलूम का सरदार है।
और दोनों जहान में सब से ज़्यादा नफ़ा बख्श है।
अल्लाह से आफ़िय्यत का सवाल है कि हर उस इल्म में वक़्त ज़ाया करने से बचाये जो नफ़ा बख्श नहीं।

آمین بجاہ النبی الامین سلی اللہ علیہ والہ وسلم

नंबर	सवालात / मौज़ूआत	सफ़हात
1	मछली के पेट से मौती निकला तो मालिक कौन होगा?	35
2	फ़र्ज़े अ़मली और फ़र्ज़े एतिक़ादी किसे कहते हैं और किस का इंकार कुफ्र है?	35
3	अहले क़िब्ला कौन हैं और उनकी तक्फ़ीर का हुक्म।	37
4	पिछले सालों की ज़कात ना दी हो तो क्या अब पिछले सभी साल की देनी होगी?	39
5	पिछले सालों की ज़कात नहीं दी और अब पैसे नहीं तो पिछले साल की देनी है या मुआफ़?	39
6	गुस्ल किन-किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है और कोई शख्स कब नापाक होता है?	40
7	सजदे से पेशानी पर दाग होने की शरई हैसिय्यत।	41
8	शॉर्ट में सिर्फ सलाम करना या लिखना कैसा?	42
9	कुर्सी पर नमाज़ कब पढ़ सकते हैं?	43
10	सफ़ में पहले बैठना फिर नमाज़ पढ़ना कैसा?	44
11	सफ़ में रूमाल रख कर जगह मुक़र्रर करना।	44
12	वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा?	45
13	एक लड़का और लड़की में विरासत की तक़्सीम।	46
14	गुस्से में तीन तलाक़ देने का हुक्म।	47
15	खड़े हो कर नहाना कैसा?	47
16	हमारे नबी ﷺ के नवासे और नवासियाँ कितने थे?	47
17	नबी -ए- पाक ﷺ का जनाज़ा किस ने पढ़ाया?	48
18	इमामे आज़म का लक़ब अबू हनीफ़ा कैसे पड़ा?	48
19	किसी से लड़की बनकर बात करना और रिचार्ज करवाना कैसा? काफ़िर को धोखा देना कैसा?	50
20	क्या मकान में नमाज़ पढ़ने से वो मस्जिद के हुक्म में हो जायेगा?	50
21	तौबा करने का क्या तरीक़ा और क्या शराइत हैं और तौबा के बाद गुनाह हो जाये तो क्या करें?	51

22	रुकूअ़ में नज़रें कहाँ होनी चाहिये?	52
23	मुक़्तदी ने पूरा दुरूद नहीं पढ़ा और इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी क्या करे?	52
24	एतिकाफ़ की हालत में बार-बार रीह आये तो क्या करे?	52
25	अगर इमाम को ग़लत लुक़्मा दिया तो नमाज़ का हुक्म।	53
26	नींद में रुकूअ़ रह जाये तो नमाज़ का हुक्म।	54
27	नमाज़ के बाद मस्जिद में लेटना, सोना कैसा?	54
28	786 और 92 का क्या मतलब होता है?	55
29	मज्लिसे ख़ैर में आ़लिमे दीन की आमद पर नारा -ए- तकबीर बुलंद करना कैसा?	55
30	मिम्बर (Stage) पर फ़ासिक़ को खड़ा करना कैसा?	56
31	फ़ासिक़ को सलाम करना कैसा?	57
32	फ़ासिक़ वालिदैन की ताज़ीम करना कैसा और फ़ासिक़ से निकाह कैसा?	57
33	नापाक कपड़े पहनकर तिलावत करने का शरई हुक्म।	58
34	क्या औरतों पर ईद की नमाज़ है?	58
35	ना उम्मीद (डूबा हुआ) माल मिल जाने पर ज़कात का शरई हुक्म।	58
36	रूह का दूसरे बदन में जाने का अ़क़ीदा रखना कैसा?	59
37	लोहे की चीज़ को पाक कैसे करें?	59
38	खास वलियों की विलायत का इंकार करना कैसा?	60
39	जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पर नमाज़ का हुक्म।	60
40	जानवरों की तस्वीर वाले कपड़े पर नमाज़ का हुक्म।	61
41	इस्तिमाल के हीरों पर ज़कात है या नहीं?	61
42	माले तिजारत पर ज़कात का हुक्म।	61
43	जिस का माल है क्या उसी पर ज़कात फ़र्ज़ है?	62
44	मुआ़निक़ा (गले मिलना) का तरीक़ा।	62
45	कितनी मर्तबा गले मिलना चाहिये?	62
46	इमामा कितना बड़ा होना चाहिये?	63
47	मौत के वक़्त क्या रूह फ़ना हो जाती है और क़ियामत आने पर रूह का क्या होगा?	63
48	क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा और कौन सी क़सम तोड़ने पर कफ़्फ़ारा है?	64

49	शव्वाल के 6 रोज़े किसी भी तारीख में रखना कैसा?	64
50	क्या मलकुल मौत उस घर में नहीं आते जिस में कुत्ते पाले गये हों?	65
51	क़सम की कितनी क़िस्में हैं और किस क़सम पर कफ़्फ़ारा है?	65
52	क्या सुन्नत नमाज़ में क़स्र है? ज़ुहर में छूटी 4 रकअ़त सुन्नत कब अदा करें?	66
53	ज़िना जैसे गुनाहे कबीरा की तौबा कैसे करें?	66
54	क्या सुअर का नाम लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है?	67
55	क्या क़ियामत आने पर रूह, जन्नत और दोज़ख़ भी फ़ना होंगे?	67
56	बग़ैर फ़ज्र की क़ज़ा किये ज़ुहर पढ़ने से अदा होगी?	68
57	चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा?	68
58	नमाज़ के दौरान कोई सामने से गुज़रा तो नमाज़ का हुक्म।	68
59	नापाकी की हालत में मर्द या औरत का मस्जिद में जाना कैसा?	69
60	मँगनी के बाद लड़की से बात करना कैसा?	69
61	ऑफिस में नापाकी का इल्म हुआ तो ज़ुहर कैसे पढ़ें?	70
62	"हज़ार बार बशोयम ज़ा मुश्को गुलाब" इस शेर का मतलब।	71
63	इज़्ज़ते बोदे ज़िल्लत पे लाखों सलाम" पर ऐतराज़ का जवाब।	72
64	आ़लमे बरज़ख़ क्या है?	72
65	क्या सर पर चादर ओढ़ना औरतों की मुशाबिहत है?	73
66	कपड़े की नापाकी सूख गयी और कोई निशान नहीं, ऐसे कपड़े पहनना कैसा?	74
67	बग़ैर आवाज़ के तिलावत करने से तिलावत का सवाब मिलेगा?	74
68	बेल्ट पहनकर नमाज़ का हुक्म।	75
69	अ़रबी ज़ुबान में लफ़्ज़े अल्लाह अलिफ़ से है या हम्ज़ा से?	75
70	गुस्ताखे रसूल की सज़ा क्या है और कौन देगा?	76
71	क्या मिट्टी का तेल नापाक है?	76
72	सलातुत तस्बीह नमाज़ का तरीक़ा।	77
73	ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ क्या है और उसे कैसे हासिल करें?	77
74	हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कौन थे?	78
75	पेशानी पर काफ़िरों की तरह क़श्का (टीका) लगाना कैसा?	79
76	क्या ये हदीस है कि वतन से मुहब्बत ईमान का हिस्सा है?	79
77	बैंक का इंटरेस्ट लेना कैसा और क्या ये सूद है?	80
78	बैंक का दिया हुआ एक्स्ट्रा पैसा लेना कैसा?	81

79	फ़ातिहा का तरीक़ा।	81
80	मुसलमानों को मोमडन कहना कैसा?	81
81	हुज़ूर की क़सम खाना कैसा और तोड़ दी तो कफ़्फ़ारा क्या होगा?	82
82	क्या इमाम को सिर्फ़ हाफ़िज़ ही लुक़्मा दे सकता है?	82
83	तहज्जुद का वक़्त, रकअ़त और फ़ज़ीलत।	84
84	औरत का सिर्फ़ औरत की इमामत करना कैसा?	85
85	क़ब्र में कफ़न की बंदिश (बांध) खोलें या नहीं?	85
86	दफ़नाने के बाद हाथ झाड़ना कैसा?	85
87	क्या छिपकली गिरने से बदन नापाक हो जायेगा?	86
88	2 तोला सोना और 250 ग्राम चाँदी पर ज़कात है या नहीं?	86
89	आसमान में बिजली कैसे चमकती है?	87
90	नफ़्ल नमाज़ बग़ैर उज़्र बैठ कर पढ़ना कैसा?	87
91	क्या वारसी हज़रात भैंस का गोश्त नहीं खाते?	87
92	नापाकी की हालत में क़ब्रिस्तान जाना और मिट्टी देना कैसा?	89
93	क्या हुज़ूर को मुहम्मद साहिब कह सकते हैं?	89
94	हवा क्या है और किस चीज़ से बनी है?	90
95	आ़लिम की आमद पर नारा लगाना कैसा?	91
96	काफ़िर अल्लाह के नाम पर माँगे तो भीख देना कैसा?	91
97	बच्चों का प्लेट में खाना बचाने का जिम्मेदार कौन?	91
98	गीले बाल का पानी टपके, इस हालत में औरत का नमाज़ पढ़ना कैसा?	92
99	क़ब्रिस्तान से आने पर क्या ही हाथ धोना चाहिये?	92
100	किसी पीर की बैअ़त तोड़ कर दूसरे से मुरीद होना कैसा?	93
101	बगल के बाल कितने दिनों में साफ करें?	94
102	बीमारी की वजह से छूटे हुये रोज़े कब रखें?	95
103	माँ और बाप के दरमियान सिर्फ माँ का साथ देना कैसा?	95
104	औरतों को सोना चाँदी के अलावा धात के ज़ेवरात पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा?	96
105	दाढ़ी एक मुश्त से कम रखना कैसा?	96
106	क्या कछवा खाना जाइज़ है?	98
107	4 रकअ़त वाली नमाज़ में 2 पर सलाम फेर दिया तो क्या करें?	98
108	फ़िल्म और सीरियल राइटर (लेखक) की कमाई हलाल है या नहीं?	99

	उस के पैसे मस्जिद में देना कैसा?	
109	दुआ में मुहाल (ना-मुम्किन) चीज़ को तलब करना कैसा?	101
110	गौसे आज़म और मदारे पाक में अफ़ज़ल कौन?	101
111	सह्व (गलती) होने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ तो इमाम के साथ सजदा -ए- सह्व करे या नहीं?	102
112	बर्थ-डे मनाना कैसा?	103
113	ग़ीबत करने वालों का अंजाम।	103
114	क्या साल में क़ुरआन मुकम्मल ना होने पर गुनाहगार होगा?	104
115	नींद के ग़लबे में नमाज़ पढ़ना कैसा?	105
116	लक्ष्मी छू के बोल रहा हूँ, ये कहना कैसा?	105
117	क्या काफ़िर को काफ़िर कह सकते हैं?	106
118	सेंट (Perfume) लगाना कैसा?	107
119	सय्यिद और आलिम में किस का रुत्बा बड़ा है?	107
120	बच्चों को किस सफ़ में खड़ा करें?	108
121	क्या फ़ज्र के बाद सो सकते हैं?	109
122	इमामे हसन की नमाज़े जनाज़ा किस ने पढ़ाई?	110
123	नापाक अंडर वियर (कपड़ा) पहन कर नहाना कैसा?	110
124	सूद खाना, खिलाना और गवाही देने पर हदीस में लानत।	111
125	नमाज़ में हाजत का ग़लवा हो तो क्या करें?	112
126	फैसला करने में परेशान हों तो क्या करें?	112
127	पाइंचों को मोड़ कर नमाज़ पढ़ना कैसा?	112
128	जिस कपड़े पर छिपकली गिर जाये उस में नमाज़ पढ़ना।	113
129	क्या शराब पीने से वुज़ू व ग़ुस्ल टूट जाता है?	113
130	LIC करवाना और LIC का काम करना कैसा?	113
131	क्या निकाह के लिये लड़की को देख सकते हैं?	114
132	खड़े हो कर पानी पीना कैसा?	115
133	पतंगबाज़ी करना, खरीदना, लूटना, बेचना कैसा?	115
134	कीड़े मकोड़े को मारना।	116
135	तीजे के चने अमीर बच्चों को दें या नहीं?	116
136	लड़की का शौहर से तलाक़ लेने पर कौन गुनाहगार?	117
137	व्हाट्सएप्प पर सिम्बल (Emoji) इस्तिमाल करना।	117
138	दूसरी रकअ़त में तशह्हुद पढ़ना भूल गये और खड़े हो गये तो क्या	118

	करें?	
139	मुसलमानों के दरमियान कौन सा रिश्ता है?	118
140	हुज़ूर की अज़्वाज (बीवियाँ) कितनी हैं?	119
141	ग़ैर मुस्लिम को नमस्ते कहने पर हुक्मे शरई।	119
142	काफ़िर से ताल्लुक़ रखना और उनके घर खाना पीना।	120
143	क्या रिकॉर्डिड सलाम का जवाब देना ज़रूरी है?	120
144	मर्दों को मेहन्दी लगाना हराम क्यों?	121
145	वहाबी और देवबंदी में क्या फ़र्क़ है?	121
146	क्या TV में इस्लामिक चैनल देखना मना है?	122
147	फटे हुये कपड़े में नमाज़ होगी या नहीं?	123
148	फ़र्ज़ की तीसरी रकअ़त में तीन बार सुब्हान अल्लाह कहने की मिक़्दार क़याम किया फिर रुकूअ़ तो नमाज़ होगी या नहीं?	123
149	बग़ैर मालिक की इजाज़त पानी से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ना कैसा?	124
150	देवबंदी इमाम के पीछे कोई सुन्नी जुम्आ पढ़े तो क्या वो गुमराह है?	125
151	गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा लेना कैसा?	125
152	क्या तीजे के चने ग़नी खा सकता है?	126
153	नमाज़ में कितनी आवाज़ से किरअ़त करनी चाहिये?	126
154	दूसरे के सामने गुनाह का इज़हार करना कैसा?	127
155	महरम रिश्तेदार किसे कहते हैं और किस से पर्दा लाज़िम है?	128
156	नमाज़ में मुस्कुराना, हँसना या रोना कैसा?	128
157	कुत्ते को डंडे वग़ैरह से ईज़ा देना कैसा?	128
158	कुत्ते पर गाड़ी चला दी, कुत्ता मर गया तो क्या चलाने वाला गुनाहगार होगा?	129
159	रक्षाबंधन की मुबारकबाद देना कैसा	129
160	राखी बाँधना या बँधवाने का हुक्म।	130
161	क़ुरआन की आयतों को दूसरी ज़ुबान में लिखना चाहिये या नहीं?	130
162	मुस्लिम लड़की का काफ़िर या मुसलमान लड़के को राखी बाँधना कैसा?	131
163	"God could not be everywhere therefore he made mothers" ऐसा कहना कैसा?	131
164	शराबी नमाज़ कब पढ़े?	131
165	इमामे हसन की नमाज़े जनाज़ा किसने पढ़ाई?	132

166	तौबा किस तरह की जाये?	132
167	"अल्लाह" और "त'आला" का माना क्या है?	133
168	लुगत का माना क्या है इसे किस तरह इस्तिमाल करते हैं?	133
169	क़ुरआन शरीफ़ का तर्जुमा सबसे पहले किस ज़ुबान में हुआ?	133
170	लोटे की टोटी से पानी पीना बद है।	134
171	ज़्वाद और द्वाद के मखरज का फ़र्क़।	134
172	गुनाह से किस तरह बचें?	135
173	"दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती" का मतलब।	135
174	आला हज़रत को सय्यिदी क्यों कहा जाता है?	136
175	शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जायें तो क्या करें?	136
176	तवागिरी का क्या मतलब है?	137
177	ज़िना से क्या मुराद है?	137
178	जुम्आ का खुत्बा न मिले तो क्या गुनाहगार होंगे?	137
179	खाते वक़्त सलाम का जवाब दें या नहीं?	138
180	सुन्नी और वहाबी किसे कहते हैं?	138
181	शराबी के झूठे बर्तन को धो कर उस में खाना कैसा?	139
182	क्या जुम्आ पढ़ने के लिये फ़ज्र की क़ज़ा पहले करनी होगी?	139
183	हमसाया किसे कहते हैं? 4.5 माशा कितना होता है और खमीर का मतलब।	140
184	बीवी को इस तरह के जुम्ले कहना कैसा? "चुप हो जा मेरी माँ", "तू अभी बच्ची है" वग़ैरह	140
185	क्या किसी बुज़ुर्ग या पीर की सवारी किसी पर आ सकती है?	141
186	टोपी के बदले रूमाल बांध कर नमाज़ पढ़ना कैसा?	141
187	सूरमा लगाना कैसा?	142
188	लड़की को देख कर बद-निगाही करना, छेड़ना, गाली देना कैसा?	142
189	लहव, अश्या, बर-अक्स वग़ैरह का माना।	143
190	क्या प्लास्टिक के कंगन पहनकर नमाज़ हो जायेगी?	144
191	क्या मस्जिद की टोपी पहनकर नमाज़ हो जायेगी?	144
192	बच्चों की खतना किस उम्र में करें?	145
193	काफ़िर और वहाबी में कौन बड़ा दुश्मन है?	145
194	इशा का वक़्त कब तक है? 12 बजे नमाज़ पढ़ना चाहिये या नहीं?	145
195	क्या अ़स्र और मग़रिब के बीच खाना मना है?	145

196	तीन चीज़ों में शराकत करना जाइज़ नहीं। "शना, ख़िलाल, मिस्वाक" इस में शराकत और शना का मतलब क्या है?	147
197	शादी की पहली रात में नमाज़ किस तरह पढ़ें?	147
198	क्या ख्वाब की कोई हक़ीक़त है?	148
199	क्या अज़ान के वक़्त सारे काम रोक देना चाहिये?	149
200	"मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं काटा जाता" इस का मतलब।	150
201	क्या मरहूम का ख्वाब में दिया हुआ हुक्म मानना पड़ेगा?	150
202	जिसका अ़क़ीक़ा ना हो क्या वो क़ुरबानी कर सकता है?	151
203	औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा?	152
204	फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में क्या पढ़ें?	152
205	क्या काले कपड़े पहनना मना है?	153
206	क्या निकाह के वक़्त हाथ में छुरी या अँगूठी, नाक में कील, नये कपड़े वग़ैरह होना ज़रूरी है?	153
207	क्या औरत मेहरम रिश्तेदार के साथ मज़ार पर जा सकती है?	154
208	जुम्आ की दूसरी अज़ान या सब अज़ान कहाँ होनी चाहिये?	154
209	वहाबी के ऐतराज़ का जवाब।	155
210	बीवी का ये कहना कैसा "अभी उन्हें बताती हूँ"	156
211	क्या भूखे पेट नमाज़ नहीं होती?	156
212	जुम्आ छूटने पर ज़ुहर जमाअ़त से पढ़ना कैसा	157
213	बिना टिकिट ट्रेन में सफर करना या स्टेशन पर जाना कैसा?	157
214	बेकार के सवाल करना कैसा?	158
215	माल ताखीर से पहुँचाने पर जुर्माना लगाना कैसा?	159
216	"पेट पूजा" कहना कैसा?	159
217	दस्तरख्वान पर गिरी हुयी रोटी खाना और उसका फायदा?	160
218	औरतों को चुस्त चूड़ीदार कपड़े पहनना चाहिये या नहीं?	160
219	कलाई में धागा बाँधने के बारे में।	161
220	ग़ैर मुस्लिम को सलाम करना या जवाब देना।	162
221	बिना वुज़ू क़ुरआन को छूना कैसा?	162
222	क्या किसी महीने में खतना करना मना है?	163
223	समझाने पर भी बीवी नमाज़ नहीं पढ़ती तो क्या तलाक़ दे दें?	163
224	ग़ुस्ल के बाद आज़ा -ए- वुज़ू ख़ुश्क करना चाहिये या नहीं?	164
225	बीवी और शौहर का एक दूसरे का नाम लेना कैसा?	164

226	क्या उल्टी आँख का फड़कना बद-शूगुनी की अ़लामत है?	165
227	क्या बग़ैर ज़ेवर वाली औरत के हाथ का पानी हराम है?	165
228	सूखा कुत्ता बदन से लग जाये तो क्या करें?	166
229	हाफ टी-शर्ट (आधी आस्तीन) में नमाज़ का हुक्म।	166
230	क्या दावते इस्लामी वाले सुन्नी नहीं?	167
231	सुन्नी हूँ या नहीं, कैसे मालूम करूँ?	169
232	क्या हदीस पढ़ने के लिये वुज़ू ज़रूरी है?	170
233	रिश्ता तोड़ना कैसा और हज पर जाने से पहले माफ़ी माँगना?	170
234	इन अल्फ़ाज़ "فردزداللھم" के क्या माइने हैं?	171
235	दरवेशी का मतलब।	171
236	औरतों का बिन्दिया लगाना कैसा?	172
237	टूटा बर्तन इस्तिमाल करना दरवेशी लाता है।	172
238	क्या औरत को भी सजदे में 3 उंगलियों का पेट लगाना वाजिब है?	173
239	छूटी हुयी रकअ़त को किस तरह मुकम्मल करें?	173
240	क्या नज़र लगती है और इस का इलाज क्या है?	174
241	क्या पाऊँ पर पाऊँ रखके बैठना रिज़्क़ की बरकत को रोकता है?	174
242	नमाज़ के शराइत और फ़राइज़ में क्या फ़र्क़ है?	175
243	वहाबी रिश्तेदार के घर आना जाना कैसा?	175
244	"कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है।"	176
245	सर में बाल लगवाना कैसा?	176
246	शादी की पहली रात का सुन्नत तरीक़ा।	176
247	ज़िबह के बाद जानवर के पेट से बच्चे निकले तो क्या करें?	178
248	आई-ब्रो बनवाना कैसा?	179
249	औरतों का साड़ी पहनना कैसा?	179
250	क्या हदीस का इंकार करने वाला काफ़िर है?	180
251	लड़का, होने वाली बीवी के पीर के खिलाफ़ है तो क्या करें?	181
252	बकरा ईद में नया कपड़ा ना पहनना कैसा?	183
253	रदिअल्लाहु अ़न्हु का तर्जुमा।	183
254	गाँव में सिर्फ देवबंदी की मस्जिद है नमाज़ कैसे पढ़ें?	183
255	बद मज़हब के ग्रुप में एड होना और दीन सीखना कैसा?	184
256	तक़दीर और उसकी किस्में।	185
257	अरबाबे बसीरत किसे कहते हैं?	186

258	क्या भैंस की बट खाना जाइज़ है?	187
259	एक रकअ़त इमाम के साथ मिली तो बक़िया 3 अदा करने का तरीक़ा।	187
260	देवबंदी की होटल में खाना कैसा?	187
261	गाय, भैंस की क़ुरबानी हुज़ूर के ज़माने में हुयी थी?	188
262	ग़ैर मुस्लिम की दी हुयी मिठाई खाना कैसा?	188
263	सूफ़ी किसे कहते हैं?	189
264	तक़लीद किसे कहते हैं?	191
265	ऑफिस का फ्री Wi-Fi इस्तिमाल करना कैसा?	192
266	बग़ैर इजाज़त Wi-Fi इस्तिमाल किया तो क्या मुआफ़ी माँगनी होगी?	192
267	ज़िल हज के महीने में बाल काटना कैसा?	193
268	औरत खुला किस तरह ले सकती है?	193
269	शर्त का शरई हुक्म।	193
270	किसी पर जन्नत हराम होने से क्या मुराद है?	194
271	क्या क़ुरआन में गाय का गोश्त खाने से मना किया गया?	195
272	एक कारोबार से चार लोग मालिके निसाब हुये, क्या चारों पर क़ुरबानी वाजिब होगी?	197
273	हज फ़र्ज़ है लेकिन माँ अकेली है, क्या करें?	197
274	जिस के नाम की कुरबानी है उसका छुरी पर हाथ रखना ज़रूरी है?	198
275	क़ुरबानी का तरीका।	198
276	क़ुरबानी का खून कपड़े में लगा कर रखने से बरकत होगी?	199
277	क़ुरबानी का गोश्त काफ़िर को देना जाइज़ या नाजाइज़?	200
278	हलाल जानवर में कौन सी चीज़ें खाना हराम है?	200
279	क़ुरबानी के गोश्त पर फ़ातिहा दिलाना।	200
280	क्या 2 पीर से मुरीद हो सकते हैं?	201
281	क्या हराम कमाई पर भी ज़कात वाजिब है?	202
282	तक़लीद और मुक़ल्लिद किसे कहते हैं?	202
283	मुर्गे पर क़ुरबानी क्यों नहीं कर सकते?	203
284	क्या मिना में कंकरी मारने का सवाब मिलेगा?	203
285	क़ज़ा नमाज़ तन्हा पढ़ें या सबके सामने?	204
286	एक ही नमाज़ी इमाम के साथ है, दूसरा आये तो कैसे शामिल हो?	205

287	क्या वक़्त को जाया करना भी इसराफ़ है?	205
288	बीवी के ज़्यादा बोलने पर तलाक़ देना सही है?	206
289	तीन तलाक़ देने के बाद उसी से निकाह किस तरह करें?	206
290	क्या गुस्से में तलाक़ हो जाती है?	207
291	इमाम के बराबर 2 से ज़्यादा मुक़्तदी हो जायें तो क्या हुक्म है?	207
292	क्या देवबंदी का ज़बीहा हलाल है?	208
293	बट और ओझड़ी खाना कैसा?	208
294	KFC और MC Donald में नॉन वेज खाना कैसा?	209
295	मैय्यत वाले घर में चूल्हा नहीं जलाते, क्या ये सही है?	210
296	बुग्ज़ और कीना किसे कहते हैं?	210
297	किसी से बुग्ज़ रखने वाले का क्या हश्र है	210
298	खाना सामने रख कर फ़ातिहा दिलाने पर वहाबी का ऐतराज़।	211
299	हुज़ूर ﷺ के कितने भाई थे?	212
300	औरत का सर खुला रहने से क्या वुज़ू हो जायेगा?	212
301	निय्यत बाँधते वक़्त समझा कि देवबंदी की मस्जिद है, अब क्या करे?	212
302	बीमारी और परेशानी की फ़ज़ीलत।	213
303	शादी के बाद सरनेम चेंज करना।	214
304	तीजे की दावत में जाना कैसा?	214
305	शादी की पहली रात के मसाइल।	214
306	क्या जुम्आ मुबारक कहना सही है?	215
307	ऐसी अँगूठी जिस में अल्लाह मुहम्मद और रसूल लिखा हो वो बरकत के लिये पहनना कैसा?	215
308	मियाँ बीवी का रिश्ता कब टूट जाता है?	215
309	क्या इमाम हुसैन को अ़लैहिस्सलाम कह सकते हैं?	216
310	रब से वादा किया और तोड़ दिया तो क्या करें?	216
311	जानदार की फ़ोटो लगाना कैसा?	216
312	किराये के घर में बुत (बातिल माबूद) की तस्वीर है तो क्या करें?	217
313	वुज़ू के बाद दाँत में फँसी हुयी चीज़ निकालना।	217
314	क़ुरआन शरीफ़ गिर जाये तो क्या करें?	218
315	बातिल माबूद खुरचने की इजाज़त क्यों नहीं?	218
316	नमाज़ के दरमियान वुज़ू टूट जाये तो क्या करें?	219
317	पहली सफ़ के मुक़तदी का वुज़ू टूट जाये तो क्या करे?	219

318	साहिबे निसाब को तीजे या चालीसवें की दावत खाना चाहिये या नहीं?	219
319	वुज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है?	220
320	हुज़ूर ﷺ के चचा कितने थे?	220
321	ताज़िया बनाना और घुमाना कैसा?	220
322	इमाम के सिवा किसी को इक़ामत नहीं आती तो क्या करें?	221
323	हाजी के हाथ चूमना कैसा?	222
324	दुल्हन और कुछ औरतें मस्जिद में लोटे से पानी गिराते हुये घर तक ले जाती हैं, ऐसी रस्म सही है या नहीं?	222
325	क्या मुहर्रम में शादी करना मना है?	223
326	शरीअ़त के मुताबिक़ शादी कैसे होती है?	223
327	क्या खुलफ़ा -ए- राशिदीन शरीअ़त के खिलाफ़ हुक्म देते थे?	223
328	बरहना (बग़ैर कपड़े) बच्चे को देखेने से वुज़ू का हुक्म।	224
329	ज़कात का हिसाब और उसकी तक़्सीम।	224
330	इशराक़ व चाश्त की नमाज़।	224
331	इशारे से सलाम और छींक का जवाब।	225
332	किसी में इमामत की शराइत ना पाई जायें तो इमाम किसे बनायें?	226
333	क्या इस्लामी तारीख के साथ दिन भी मग़रिब के बाद बदलता है?	227
334	बिना तहक़ीक़ किये मेसेज फॉरवर्ड करना कैसा?	228
335	क्या मिलावटी सोना औरत पहन सकती है?	229
336	नमाज़ के अलावा मस्जिद की चीज़ों का इस्तिमाल करना कैसा?	229
337	चीटिंग करके पास हुआ फिर जॉब पर लगा, कमाई का हुक्म।	230
338	मज़ार पर बँधा हुआ छल्ला खोलना है, क्या करें?	231
339	ड्रॉइंग के पेपर में जानदार की तस्वीर आयी तो क्या करें?	231
340	गुनाह से बचने का तरीका।	232
341	क्या औरत को भी नमाज़ में पाऊँ की 3 उंगलियाँ लगाना है?	233
342	क़ज़ा नमाज़ अदा करने का तरीका	233
343	बैंक में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उस का लेना कैसा?	235
344	मुहम्मद रज़ा नाम रखना कैसा और इस का मतलब।	235
345	या हुसैन कहना कैसा?	236
346	वसीले से माँगना कैसा?	236
347	नात या क़ुरआनी आयत की रिंगटोन रखना कैसा?	238

348	एक रकअ़त बाक़ी थी, इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो अब क्या करे?	239
349	औरत की पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिखना कैसा?	239
350	मै सुन्नी हूँ मेरा कोई फ़िरक़ा नहीं, ऐसा कहना कैसा?	239
351	क़दम बोसी करना कैसा?	240
352	हालते नमाज़ में गोश्त जलने की बू आये तो नमाज़ तोड़ना कैसा?	241
353	मुहर्रमुल हराम में हराम का मतलब क्या है?	241
354	आर्यन नाम रखना कैसा?	242
355	फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है?	242
356	ताज़िये का चंदा देना कैसा?	242
357	जुम्आ फ़र्ज़ है या वाजिब?	243
358	मुहर्रम के रोज़े की निय्यत कैसे करें?	244
359	विलादत के बाद कब तक औरत नापाक रहती है?	244
360	ग़ुस्ल देते वक़्त फ़र्ज़ छूट गया और दफ़नाने के बाद याद आया।	245
361	क्या हुज़ूर ﷺ को आक़ा कह सकते हैं?	245
362	शिया कौन हैं, कैसे वुजूद में आये?	245
363	औरत का ग़ैर मेहरम मर्द को सलाम करना कैसा?	246
364	क्या ताज़िया जाइज़ है और इसकी शुरूआत कब हुयी?	246
365	क्या ताज़िया या ढोल ताशे देखने से भी गुनाहगार होंगे?	247
366	फ़ासिक़ किसे कहते हैं?	248
367	शिया मातम क्यों मनाते हैं?	248
368	बिल्ली पालना कैसा?	249
369	ताज़ियादारी कहाँ से आयी?	249
370	औरत मस्जिद क्यों नहीं जा सकती?	251
371	क़ब्रिस्तान में जाने और दुआ करने का सही तरीक़ा क्या है?	251
372	औरत पर ईद की नमाज़ वाजिब है या नहीं?	251
373	ज़ुहर और अ़स्र में इमाम आहिस्ता क़िरअत क्यों करता है?	252
374	क्या औरत सलाम पढ़ सकती है?	252
375	दुपट्टे या फर्श पर नमाज़ पढ़ना कैसा?	253
376	क्या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रख सकते हैं?	253
377	चिश्ती किसे कहते हैं?	253
378	क्या हदीस को मानना भी ज़रूरी है?	254

379	नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा।	254
380	मानूस का मतलब क्या है?	255
381	काफ़िर सलाम करे तो क्या जवाब दें?	255
382	आशूरा की नमाज़ कैसे पढ़ें?	256
383	मग़रिब के वक़्त माँ का बच्चे को दूध पिलाना कैसा?	256
384	हराम कामों की फेहरिस्त।	256
385	अ़क़ीदा क्या है और फ़िरक़ा कब से शुरू हुआ?	257
386	फ़ासिक़ से क्या मुराद है?	257
387	कोई फ़ासिक़ है ये कैसे मालूम हो और फ़ासिक़ को सलाम करना कैसा?	258
388	तक़्लीद क्या है और क्यों ज़रूरी है?	258
389	हराम और नाजाइज़ में फ़र्क़।	258
390	आयते सजदा सुनी तो क्या फौरन सजदा करना वाजिब है?	259
391	क्या मअ़रूफुल क़ुरआन सुन्नी की किताब है?	260
392	वहाबी, देवबंदी और बद-अ़क़ीदों को काफ़िर कहना कैसा?	261
393	मुसन्नफ़ इब्ने शैबा क्या सुन्नी किताब है?	261
394	बुज़ुर्ग ने बदमज़हब की तिलावत सुनने से इंकार किया, ये कौन सा वाकिया है?	262
395	मज़ार को चूमना कैसा?	262
396	मज़ार पर सर रखना या सजदा करना कैसा?	263
397	क्या हुज़ूर ﷺ नमाज़ के दौरान रफ़यदैन करते थे?	263
398	हाथ बाँधने के बाद तकबीर पढ़ा तो क्या नमाज़ होगी?	264
399	जान या माल का खतरा हो तो क्या नमाज़ तोड़ सकते हैं?	264
400	सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा।	265
401	वालिदैन ने दौराने नमाज़ बुलाया तो नमाज़ मुकम्मल कर के जाना सही या नहीं?	265
402	औरतों का इज्तिमा का काम करना, तक़रीर करना, माइक पर सलाम पढ़ना कैसा?	266
403	क्या आ़लिम होने के लिये दीनी इदारे से फ़ारिग़ होना ज़रूरी है?	267
404	क्या शरीअ़त में पेंट शर्ट पहनना मना है?	269
405	मज़ार और वहाबी के ऐतराज़ का जवाब।	270
406	औरत का आई-ब्रो बनवाना कैसा?	272

407	तिलावते क़ुरआन के दौरान सलाम का जवाब देना कैसा?	272
408	अलीना और अलवीना नाम रखना कैसा?	273
409	दुआ के वक़्त कैसे बैठें, हाथ कैसे रखें?	273
410	क्या वुज़ू में दाढ़ी का मुकम्मल भीगना ज़रूरी है?	274
411	एक वक़्त में कितनी क़ज़ा पढ़ सकते हैं?	274
412	फ़ासिक़ किसे कहते हैं?	275
413	क्या इमाम बुखारी मुक़ल्लिद थे?	276
414	क्या सहाबा हुज़ूर ﷺ की मज़ार पर जाकर दुआ करते थे?	276
415	सिर्फ 6 सूरह याद हों तो नमाज़ में वही दोहराना कैसा?	276
416	अगर ज़िम्मे फ़र्ज़ है तो क्या नफ़्ल का सवाब नहीं मिलता?	277
417	एक ही मस्जिद में जुम्आ दो बार अदा करना कैसा?	278
418	गुस्से में क़सम खाई बाद में अफ़्सोस हुआ तो क्या करें?	278
419	नापाक औरत नियाज़ का खाना बना सकती है या नहीं और दीनी किताब छू सकती है या नहीं?	279
420	कपड़े उतारकर नहाना कैसा?	280
421	मकरूह वक़्त के अलावा वक़्त में नफ़्ल की जगह क़ज़ा पढ़ना कैसा?	280
422	औरत का ग़ैर से तालुक़्क़ात रखना क्या निकाह को तोड़ देता है?	281
423	निकाह के वक़्त किन चीज़ों का होना ज़रूरी है?	281
424	क़ुरआन शरीफ़ गिर जाये तो उसका कफ़्फ़ारा क्या है?	281
425	क्या औरत सर के बाल कटा सकती है?	282
426	औरत को मस्जिद जाना क्यों मना है?	283
427	क़व्वाली ढोल ताशे या म्यूज़िक के साथ सुनना कैसा?	283
428	4 रकअ़त सुन्नते ग़ैरे मुअक्किदा का तरीक़ा।	284
429	वहाबी फ़िरके का बानी कौन है?	284
430	सुन्नी लड़की का निकाह वहाबी घराने में हुआ तो उसे सलाम करना कैसा?	285
431	क्या निकाह के लिये क़ाज़ी का होना ज़रूरी है?	286
432	तब्लीग़ी जमाअ़त का मक़्सद क्या है और कब से शुरू हुई है?	286
433	क्या इमामे आज़म मुक़ल्लिद थे?	286
434	बच्चों को हिन्दू स्कूल में डालना कैसा, जहाँ हिन्दू प्रेयर और ग़ैरे इस्लामिक काम सिखाये जायें?	287
435	सित्र खुला रख कर वुज़ू करने से क्या वुज़ू हो जायेगा?	287

436	क्या मेसेज में लिखे हुये सलाम का जवाब भी वाजिब है?	287
437	बिदअ़ते हसना और बिदअ़ते सईया क्या है?	288
438	3 साल से हाथ पैर और दिमाग़ काम नहीं करते, वज़ीफ़ा बताइये।	288
439	क्या चारों इमाम हक़ पर हैं और हनफ़ी, शाफ़ई के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है?	289
440	क्या हुज़ूर ﷺ के ज़माने से ही फ़िरके थे?	290
441	सुन्नते ग़ैरे मुअक्किदा के तरीके का हवाला बतायें?	291
442	बदमज़हब को सलाम करना या उनके साथ नमाज़ पढ़ना कैसा?	293
443	म्यूजिक के साथ नात सुनना या ज़िक्र वाली नात सुनना कैसा?	293
444	क्या हर चीज़ सूखने से पाक हो जाती है?	293
445	अल्लाह के सिवा किसी और से मदद माँगना और या अली मदद कहना कैसा?	295
446	नमाज़ के वाजिबात।	296
447	फ़ातिहा का हवाला हदीस से दें।	297
448	लड़कियों का फेशियल करवाना कैसा?	297
449	औरतों का मेक-अप करना कैसा?	298
450	होस्टल में देवबंदी ही हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा?	298
451	घर में तस्वीर और खिलौने रखने का हुक्म।	300
452	औरत का चूड़ीदार पहनना कैसा?	301
453	4 रकअ़त सुन्नत नमाज़ की निय्यत।	302
454	मलकुल मौत कितने फ़िरिश्तों के साथ आते हैं?	302
455	रात को झाड़ू लगाना कैसा?	303
456	ग़ैर मुक़ल्लिद से दीनी बहस करना कैसा?	303
457	वित्र की तीसरी रकअ़त की तकबीर हदीस से साबित है?	303
458	आदम अ़लैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या कहा था?	304
459	काफ़िर की कंपनी में काम करना और उसको सलाम करना कैसा?	304
460	औरतों का आर्टिफिशियल ज़ेवर पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा?	305
461	"कुन फ़यकुन" नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है?	305
462	क्या फ़ातिहा हदीस से साबित है?	306
463	अज़ान के बाद दुरूदो सलाम आवाज़ से पढ़ना।	307
464	क्या रात को कचरा नहीं फेंकना चाहिये?	309
465	बिना म्यूजिक के गाना, गाना कैसा?	309

466	786 और 92 का मतलब।	310
467	फ़र्ज़ की तीसरी रकअ़त में सूरह भी पढ़ लिया तो क्या करे?	310
468	क्या इमामे आज़म ने यज़ीद को काफ़िर नहीं कहा?	311
469	क्या कज़िन, बहनोई, देवर वग़ैरह से भी पर्दा फ़र्ज़ है?	311
470	क्या बन्दा क़िस्मत के आगे मजबूर है और गुनाह करना उसकी क़िस्मत में लिखा है?	313
471	शहीद जब ज़िन्दा है तो उनके लिये फ़ातिहा क्यों की जाती है?	313
472	"कस्टमर भगवान का रूप है" ऐसा कहना कैसा?	314
473	औरत को ग़ैर मेहरम के सामने चेहरा दिखाना कैसा?	314
474	बीवी को पहली रात क़ुरआन तोहफ़े में देना कैसा?	318
475	जुम्आ में दो अज़ान क्यों होती है?	319
476	सनद किसे कहते हैं?	319
477	शहादत की उंगली क्यों उठाते हैं?	320
478	हुज़ूर ﷺ के नामे पाक पर अँगूठे क्यों चूमते हैं?	320
479	लिख कर तलाक़ देने से तलाक़ हो जायेगी?	321
480	हाजत या मुराद पूरी करने का अ़मल।	322
481	क्या औरत को फ़क़ीरी इख्तियार करना सही है?	323
482	मुन्किर का क्या मतलब है?	323
483	आगे की सफ़ छोड़कर पिलर के पीछे सफ़ लगाना कैसा?	324
484	हिसार किसे कहते हैं?	324
485	वज़ाइफ़ करने के बाद भी परेशानी नहीं जाती, क्या करें?	324
486	क्या सना पढ़ते हुये भी उंगली उठाना चाहिये?	326
487	"5 नाम 10 को भेजो परेशानी हल हो जायेगी" ऐसे मेसेज आगे भेजना कैसा?	326
488	रात को उधार चुकाना मना है?	327
489	किसी लड़की से मुहब्बत हो जाये तो क्या करें?	327
490	क़ुरआने पाक को मोबाइल में रखना कैसा?	328
491	क्या लड़की से मुहब्बत करना मना है?	329
492	चेहरे पर नूर किस तरह लायें?	329
493	अल्लाह को भगवान कह सकते हैं या नहीं?	329
494	औरत का साड़ी, बिंदिया, नैल पॉलिश लगाना कैसा?	330
495	क्या गंदे जानवर का नाम लेने से ज़ुबान नापाक होती है?	331

496	कौन से काम इमाम ना करे तो मुक़्तदी भी ना करे?	331
497	नापाकी में तस्बीह पढ़ना कैसा?	332
498	क्या हर मख़लूक़ की रूह मलकुल मौत निकालते हैं?	332
499	इस्लामिक मूवी जैसे इमाम अ़ली देखना कैसा?	333
500	नमाज़ की हालत में टोपी सही करना कैसा?	334
501	क्या शाफ़ई मालिकी और हम्बली भी आला हज़रत को मानते हैं?	334
502	4 रकअ़त वाली नमाज़ में दूसरी रकअ़त में दुरूद पढ़ा, क्या करें?	335
503	शिफ़ा के लिये कटोरी में आयत लिखकर उसे धोकर पीना कैसा?	335
504	गले में दर्द के लिये तावीज़।	335
505	क्या जुम्आ को कपड़े धोने से बरकत उठ जाती है?	336
506	ग़ुस्ल से पहले वुज़ू करना कैसा।	336
507	ग़ुस्ल के दौरान किये गये वुज़ू से नमाज़ पढ़ना।	337
508	लिखे हुये सलाम का जवाब।	337
509	इस्तिन्जा के बाद क़तरे टपकने की परेशानी।	338
510	अल्लाह, मुहम्मद और अ़ली नाम वाली फ़ोटो प्रोफ़ाइल पर रखना कैसा?	339
511	घर में बरकत कैसे हो?	339
512	क्या चारों मस्लक सुन्नी हैं?	340
513	क़ुरआन की आयत को हिंदी या इंग्लिश में लिखना कैसा?	340
514	नमाज़ के दौरान मोबाइल बजे तो क्या करें?	341
515	देवबंदी हिंदुस्तान कब आये?	341
516	नमाज़ के दौरान वुज़ू टूट जाये तो क्या करें?	341
517	चारों मस्लक सुन्नी हैं तो इनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा?	342
518	फ़ातिहा करना कैसा?	343
519	नमाज़ के वाजिबात।	345
520	हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली।	346
521	सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क़ है?	346
522	सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क़ है?	347
523	786 का मतलब।	347
524	मछली और तोते को क़ैद में रखना कैसा?	348
525	खड़े होकर वुज़ू करना चाहिये या नहीं?	349
526	बच्चे के पेशाब कर देने से क्या ग़ुस्ल करना ज़रूरी है?	349

527	इमाम के अलावा दूसरे को लुक़्मा देना कैसा?	350
528	बोनस लेना कैसा?	350
529	खाते वक़्त सलाम करना या जवाब देना कैसा?	350
530	सफ़र में क़िब्ला का पता ना हो और ना ही पानी हो तो नमाज़ कैसे पढ़ें?	351
531	महशर में कौन से सवाल पूछे जायेंगे।	352
532	क्या सफर में क़स्र ही ज़रूरी है?	352
533	सफ़र की क़ज़ा कैसे अदा करें?	352
534	3 दिन में औरत पाक हो जाये तो हुक़ूके जौज़िय्यत अदा कर सकते हैं?	353
535	क़ज़ा नमाज़ कब पढ़ें?	354
536	ख्वाब की अहमिय्यत।	354
537	उल्टी आँख का फड़कना और दूध का उबलना।	356
538	लॉटरी का इनाम लेना जाइज़ या नाजाइज़?	357
539	अगर रिश्तेदार वहाबी हों तो उनसे मेल-जोल रखना कैसा?	357
540	हराम जानवर के दूध का हुक्म।	358
541	डाउनलोडिंग से कमाये हुये पैसे का हुक्म।	358
542	शराबी और काफ़िर के झूटे ग्लास में चाय पीना।	359
543	इन्शयोरेन्स करवाना और उसका नफ़ा लेना।	359
544	क़ुरआन को तकिये में रखकर पढ़ना।	360
545	क्या मलकुल मौत तमाम मख़लूक़ की रूह क़ब्ज़ करते हैं?	360
546	प्रसाद खाना कैसा?	361
547	काफ़िरों से सूद लेना।	362
548	क्या जुम्आ को ग़ुस्ल करना ज़रूरी है?	363
549	तसव्वुफ़ क्या है?	363
550	काफ़िर खुशी से ब्याज दे तो लेना कैसा?	364
551	बहन और बहनोई को ज़कात देना कैसा?	364
552	सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा।	365
553	तोहफ़े में ज़कात देना।	365
554	फ़र्ज़ से पहले छूटी हुयी सुन्नत कब पढ़ें?	366
555	घर की औरतों के साथ नमाज़ पढ़ना कैसा?	366
556	कीड़े मकोड़ों को मारना कैसा?	367

557	चिट फण्ड खिलाना कैसा?	367
558	मुसलमान अपनी खुशी से क़र्ज़ से ज़्यादा दे तो लेना कैसा?	368
559	"दारुल इस्लाम" किस का रिसाला है?	368
560	तरीक़त और तसव्वुफ़।	369
561	मस्जिद से चप्पल चोरी हो जाये तो क्या करें?	369
562	शादी की पहली रात के मसाइल।	370
563	ग़ैर मुस्लिम के घर का गोश्त खाना चाहिये या नहीं?	372
564	सुन्नते ग़ैरे मुअक्किदा में लफ़्ज़े ग़ैर कहना ज़रूरी है?	372
565	गाने और गंदे वीडियो देखना कैसा?	373
566	जुम्आ की दूसरी अज़ान के बाद नमाज़ का हुक्म।	374
567	इब्लीस जिन्न है या इंसान।	374
568	जानवरों की ज़कात के मसाइल।	375
569	सफ़र का महीना अच्छा या मन्हूस?	377
570	वली के पाऊँ चूमना।	377
571	सोते हुये को उठाकर उसकी जगह नमाज़ पढ़ना।	378
572	जन्नत पाने और जहन्नम से बचने की निय्यत से नमाज़ पढ़ना।	378
573	रोने की वजह से सजदा लंबा हो जाये तो नमाज़ का हुक्म।	379
574	क्या मदार शाह अल्लाह के वली हैं?	379
575	आ़लिम की आमद पर पटाखे फोड़ना।	380
576	नमाज़ी के सामने से गुज़रना।	380
577	नापाक इंसान पाक कपड़े छू सकता है या नहीं?	381
578	क़ब्र पर अज़ान देने का सुबूत।	381
579	दफ़्न के बाद पाऊँ धोना।	388
580	कुँए को पटवाना कैसा?	389
581	मुजद्दिद कैसे बनते हैं?	389
582	शौहर और बीवी का एक साथ नमाज़ पढ़ना।	390
583	ग़ुस्ल के लिये पानी ना हो तो क्या करें?	392
584	अ़लैहिस्सलाम किसके लिये कहना चाहिये?	392
585	अहले बैत को अ़लैहिस्सलाम कहना।	392
586	हिन्दू को काफ़िर कहना।	394
587	ईमान नमाज़ है या नमाज़ ईमान।	394
588	फ़र्ज़ की दोनों रकअ़त में एक ही सूरह पढ़ना।	395

589	धोके से हासिल किये गये पैसों का हुक्म।	396
590	"God could not be everywhere so he made mothers" ऐसा कहना कैसा?	397
591	क्या इमामे आज़म ग़ैर मुक़ल्लिद थे?	397
592	बीवी का झूठा खाना।	398
593	नापाकी में मेहंदी लगाना।	399
594	बच्चा गोद लेना।	399
595	शरीअ़त और तरीक़त।	401
596	आ़रिफ़ किसे कहते हैं?	401
597	हिन्दू को काफ़िर कहना।	402
598	बिदअ़त, शिर्क, हराम और नाजाइज़ की तारीफ़।	403
599	साहिब नाम का माना।	404
600	क़ुरबानी का तरीक़ा।	404
601	मेहमान की रुख़्सती के वक़्त दरवाज़े तक जाना।	406
602	निय्यत में इतना बस कहना कि आज की नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज़ का हुक्म।	406
603	इमाम के सर उठाने के बाद सजदे में जाना।	406
604	साहिब नाम रखना।	407
605	भतीजे को अपना बेटा कहना कैसा?	407
606	यहूदी और देवबंदी को चंदा देना चाहिये या नहीं?	408
607	कौन-कौन से रिश्ते में निकाह कर सकते हैं?	409
608	किसी को खून देना कैसा?	409
609	रिया और उसके नुक़्सान।	410
610	कौन से वली ने ग़ौसे पाक की आमद की खबर दी थी।	411
611	जिन्नात क्या खाते हैं?	412
612	"जुनूने इश्क़ से खुदा भी ना बच सका" इस का मतलब।	413
613	एक से ज़्यादा लोगों का बुलंद आवाज़ से क़ुरआन पढ़ना।	414
614	ख्वाब में साँप और मछली का दिखना।	414
615	भाई के बच्चे को गोद लिया तो क्या इस की बीवी को उस बच्चे से पर्दा करना होगा?	415
616	पैर पकड़ कर सलाम करना।	416
617	गोश्त ना खाने से ईमान पर असर पड़ता है?	417

618	काला रंग का जूता या चप्पल पहनना कैसा?	418
619	बालों में काला रंग लगाने का हुक्म।	419
620	हराम और नाजाइज़ में फ़र्क़।	419
621	11वीं शरीफ़ का मतलब।	420
622	सजदा -ए- सह्व कब वाजिब होता है?	420
623	किस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिये?	421
624	क़ुरआन को छूने और पढ़ने के आदाब।	422
625	इमाम के पीछे क़िरअत करने के बारे में।	423
626	कमरे में सभी देवबंदी हों तो नमाज़ कैसे पढ़ें?	425
627	फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जगह बदलना ज़रूरी या नहीं?	426
628	दिल, कलेजी और ओझड़ी खाने का हुक्म।	427
629	बोतल से मुँह लगाकर पानी पीना।	428
630	चने और गुड़ की फ़ातिहा किस बुज़ुर्ग के नाम से होती है?	430
631	लड़कियों को सोशल मीडिया इस्तिमाल करना कैसा?	430
632	सदल क्या है और इस का हुक्म।	431
633	ओझड़ी खाने का हुक्म।	433
634	बिदअ़त का माना।	433
635	चेहरे पर नूर लाने की दुआ।	433
636	मीलाद में कौन सी तक़रीर करें?	434
637	बुज़ुर्ग के पैर छू कर सलाम करना कैसा?	434
638	बालों में काले के अलावा दूसरा कलर लगाना कैसा?	435
639	काफ़िर के सलाम का जवाब देना कैसा?	435
640	क़िरअत मखरज से ना हो तो नमाज़ का हुक्म।	436
641	अ़मले खैर का सवाब दूसरे को पहुँच सकता है?	437
642	हिल-हिल कर क़ुरआन पढ़ना चाहिये या नहीं?	437
643	कुत्ता पालने के बारे में।	437
644	सोते वक़्त साँस फूलने लगे तो उसका इलाज।	438
645	नमाज़ में पाइंचा मोड़ना और आस्तीन चढ़ाना कैसा?	438
646	एक जैसे मखरज वाले हुरूफ़ में भी माना फ़ासिद होता है या नहीं?	440
647	क़ब्र पर फूल चढ़ाना कैसा?	441
648	रास्ते में पैसे या क़ीमती चीज़ मिले तो क्या करें?	443
649	गले में दुपट्टा रखने वाली औरतों का हुक्म।	443

650	बुज़र्गों के पैर और हाथ चूमना कैसा?	444
651	नमाज़ में दुनियावी ख़्यालात से कैसे बचें?	444
652	क्या जानदार की तस्वीर छुपा कर रख सकते हैं?	444
653	"मज़्कूरा बाला कलिमा" का मतलब।	445
654	पारस पत्थर क्या है?	445
655	एक वक़्त में दूसरे वक़्त की क़ज़ा पढ़ना।	445
656	गिरगिट मारना कैसा	446
657	पाऊँ का बोसा लेना कैसा?	447
658	सदके की रक़म ज़कात में शामिल है या नहीं?	448
659	हदीस में नज्द किस जगह को कहा गया?	448
660	क़ुरआन की आयत या तर्जुमा बेवुज़ू लिखना कैसा?	448
661	अबू जहल का ख़ातिमा।	449
662	बोसा देने के लिये सर झुकाना।	450
663	दहेज़ के लेन देन का हुक्म।	450
664	हुज़ूर ग़ौसे पाक ने कितने निकाह किये?	451
665	नज्द किस जगह को कहा जाता है?	451
666	मज़ार को चूमना कैसा?	452
667	दाढ़ी या छाती के बालों को दाँत से काटना कैसा?	452
668	उर्स कब मनाया जाता है?	452
669	नमाज़ में बिस्मिल्लाह कब-कब पढ़ें?	452
670	तस्वीर का हुक्म।	453
671	टी. वी. पर इस्लामिक चैनल देखने के बारे में।	453
672	तहज्जुद की निय्यत और तरीक़ा।	454
673	सलातुत तस्बीह नमाज़ का तरीक़ा।	454
674	क्या हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना ज़रूरी है?	455
675	टी. वी. देखना कैसा?	455
676	रिज़्क़ में बरकत का वज़ीफ़ा।	456
677	क्या आपके बताये हुये वज़ाइफ़ को दूसरे भी पढ़ सकते हैं?	457
678	हुज़ूर ﷺ के गुस्ताख़ के साथ क्या करें?	457
679	सफ़र पर नमाज़ का हुक्म।	458
680	सुन्नते मुअक्किदा और ग़ैरे मुअक्किदा में फ़र्क़।	458
681	अल्लाह की मख़लूक और शैतान के बारे में।	459

682	पेशाब के कपड़े को कैसे पाक करें?	459
683	क़ुरआन पढ़ते हुये हिलना।	460
684	हाफ़िज़ा मज़बूत करने का वज़ीफ़ा।	461
685	नमाज़ में दुरूदे इब्राहीम पढ़ना।	461
686	मुहम्मद बिन हनफ़िय्या के बारे में।	462
687	अल्लाह ने दुनिया को क्यों बनाया?	462
688	ज़कात देते वक़्त ये कहना कैसा कि इस पैसे से क़र्ज़ चुका दो।	463
689	इंग्लिश में अस्सलामु अ़लैकुम लिखना कैसा?	463
690	इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत क्यों कहते हैं?	464
691	सूद लेना और देना कब जाइज़ है?	465
692	खाना खाने का तरीक़ा।	465
693	हुज़ूर ﷺ की विलादत और विसाल की तारीख़।	466
694	क्या देवबन्दी इमामे आज़म का मुक़ल्लिद है?	467
695	नया काम करने से पहले क्या पढ़ें?	468
696	जुम्आ की सुन्नत छोड़ना कैसा?	468
697	शरीअ़त और हदीस में फ़र्क़।	469
698	बहारे शरीअ़त और क़ानूने शरीअ़त किताब में फ़र्क़।	469
699	अँगूठी किस उँगली में पहनना चाहिये?	469
700	गुस्ताखे रसूल के साथ क्या सुलूक़ करें?	470

सवाल : 01

हुज़ूर ये इरशाद फरमायें कि अगर किसी ने मछली ज़िबह की है और उस में कोई क़ीमती मोती निकला तो वो मोती किस का होगा, सीप में निकले तो क्या हुक्म है और बगैर सीप के निकले तो?

जवाब : 01

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मछली के पेट में मोती निकला अगर मोती सीप के अन्दर है तो यही खरीदार मालिक है। अगर सीप के अन्दर नहीं तो खरीदार मालिक नहीं, शिकारी को दे दे। जैसा कि, सदरुश्शरिया हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी,

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 325 पर इरशाद फरमाते हैं :

"मछली का पेट चाक किया उस में मोती निकला, अगर वो सीप के अन्दर है तो मछली वाला इसका मालिक है और शिकारी ने मछली बेच डाली तो मोती खरीदार का है, अगर मोती सीप में नहीं है तो खरीदार शिकारी को दे दे।

क्योंकि दौरे हाज़िर में अक्सर दुकानदार ही मछली पालन करते हैं, यानी वो अपने ही तलब से शिकार करके बेचते हैं, तो वो दुकानदार ही शिकारी के हुक्म में है।

وھو تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 02

हुज़ूर ये इरशाद फरमायें कि वुज़ू में फर्ज़े अ़मली और फर्ज़े एतिक़ादी कितने हैं और किसी के इंकार से बन्दा काफिर होगा या नहीं?

जवाब : 02

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वुज़ू में फ़र्ज़े एतिक़ादी और फ़र्ज़े अ़मली पर क़लाम करने से पहले में ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि अकसर लोगों को वुज़ू में सिर्फ 4 फ़र्ज़ के अलावा कुछ नहीं पता होता। (बाक़ी बाज़ तो इमाम और हाफ़िज़ भी इस से गाफिल होते हैं।) उम्मीद है कि ये बहस सबके लिये नफ़ा बख्श होगी।

पहले इनकी तारीफ फिर इनकी तादाद। ان شاء اللہ

फ़र्ज़े एतिक़ादी: उस फ़र्ज़ को कहते हैं जिस की फ़र्ज़ियत ऐसी दलील से साबित हो जिस में शक़ की कोई गुंजाइश ही नहीं मस्लन क़ुरआन से। जैसे कि क़ुरआन में हुक्म आया : और अपने सरों का मसह करो।

फ़र्ज़े अ़मली : इस की फ़र्ज़ियत नस्से क़तई से तो साबित नहीं, मगर नज़रे मुज्तहिद में ऐसी ज़रूरी होती है कि जिस से इबादत मुकम्मल नहीं होती। मसलन चौथाई सर का मसह करना।

वुज़ू में 4 फ़र्ज़े एतिक़ादी हैं और 12 फ़र्ज़े अमली हैं।

हुक्मे कुफ्र :
फ़र्ज़े एतिक़ादी का इंकार कुफ्र है, कि ये क़ुरआन की नस का इंकार है।
जैसे कोई कहे मैं सर के मसह को नहीं मानता तो काफ़िर है कि इंकारे क़ुरआन है।

फ़र्ज़े अ़मली का इंकार कुफ्र नहीं अलबत्ता गुमराही है। जैसे कोई कहे मै सर के मसह को तो मानता हूँ मगर चौथाई मसह को नहीं मानता तो गुमराह है।

नोट : मुज्तहिद पर हुक्मे गुमराही भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इसके रद्द में दलील होती हैं। मस्लन अगर इमाम शाफ़ई कहें कि मै चौथाई सर का मसह नहीं मानता बल्कि 3 बाल पर भी काफ़ी है तो ये गुमराही भी नहीं कि खुद बड़े आलिमे दीन (मुज्तहिद) हैं, (शरीअ़त से) दलाइल रखते हैं।

वैसे तो साइल का जवाब यहीं तक पूरा हो गया कि एतिक़ादी और अ़मली की तादाद पूछी थी, तफ़सील नहीं। मगर क्योंकि यह बहुत अहम कलाम है तो मै मुनासिब जानता हूँ कि इस की तफ़सील भी कर दूँ, क्या-क्या वुज़ू में फ़र्ज़े एतिक़ादी हैं और क्या-क्या फ़र्ज़े अ़मली हैं ताकि उम्मत मेरे लिये दुआ गो रहे और साइल का दिल भी क़रार पाये और बाद दफ़न में भी निजात।

बेशक इसकी तफ़सील बहुत तवील है, मगर यक़ीन जाने यहाँ बस मुख्तसर ही लिखी जाती है, इसे मुकम्मल ना समझें। यानी हर एक पॉइंट की बहुत तफ़सील है, जो कि मेरे लिये यहाँ लिखना ग्लास में जग का पानी उतार देना है। इसीलिये सिर्फ तादाद पर बस किया जाता है।

वुज़ू में 4 फ़र्ज़े एतिक़ादी हैं। (इसमें इस्तसना का ज़िक्र नहीं है)
(1) मुँह धोना।
(2) दोनो हाथ नाखून से कोहनियों तक धोना।
(3) सर का मसह।
(4) पाऊँ।

फ़र्ज़े अ़मली :
हर मज़हब और हर मस्लक में अलग होता है, मगर हमारे नज़दीक वुज़ू में 12 फर्ज़े अ़मली हैं वो ये हैं :
(1) दोनो लब (होंट) अगर खूब ज़ोर से बन्द करके वुज़ू किया और कुल्ली ना की तो वुज़ू ना होगा।
(2) भंवें।
(3) मूँछें।
(4) ठोड़ी के ऊपर और निचले होंट के बाल।
(5) दाढ़ी।
(6) कनपटियाँ।
(7) दोनो कोहनियाँ।
(8) अँगूठी और हर क़िस्म के जाइज़, नाजाइज़ गहने (जबकि तंग हों)।
(9) मसह की नमी, सर की खाल या खास बाल जो सर पर हैं।
(10) कम से कम चौथाई सर को इस्तियाब कर ले।
(11) टखनों के ऊपरी किनारों से नाखून तक हर हिस्सा, बल्कि ज़र्रा-ज़र्रा।
(12) मुँह, हाथ, पाऊँ, तीनों उज़्व (पार्ट) के तमाम के ज़र्रे-ज़र्रे पर पानी बहाना।

واللہ اعلم بلصواب

अल्लाह त'आला मेरी मग़फ़िरत करे और तहक़ीक़े जदीद में अ़क़्ले सलीम दे।

सवाल : 03
अहले क़िब्ला किसे कहते हैं? और इनकी तकफ़ीर का क्या हुक्म है?

जवाब : 03

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अहले क़िब्ला की बहस में दलाइले क़ाहिरा:
अहले क़िब्ला की तारीफ़ शरह मक़ासिद और दुर्रे मुख्तार में यूँ है :

هل القبلة معناه الذين اتفقوا على ما هو من

ضروريات الاسلام واختلفوا فى اصول سواها والا فلا نزاع فى كفرا

तर्जुमा : यानी अहले क़िब्ला के ये माइने हैं कि जो तमाम ज़रूरियाते दीन को मानता हो और उन के सिवा, कुछ अक़ीदों में इख्तिलाफ़ रखताहो।

हुक्मे तक्फ़ीर:

अहले क़िब्ला को (कब) काफ़िर कहें या नहीं?

कन्ज़ुल उम्माल में है :

لا نكفروا احدا من اهل القبلته

तर्जुमा : फ़रमाते हैं हुज़ूर ﷺ अहले क़िब्ला से किसी को काफिर ना कहो।

शरह फिक़्हे अकबर में है : हमें अपने नबी की ये हदीसें और इमामे आज़म का ये फरमान याद है :

ولا نكفر احدا من اهل القبلة

तर्जुमा : अहले क़िब्ला से हम किसी को काफ़िर नहीं कहते।

दुर्रे मुख्तार में है :

تجوز مناكحة المعتزلة لانا لا نكفر احدا من

اهل القبلة وان وقع الزامالهم فى المباحث

तर्जुमा : (हम) अहले क़िब्ला की तक्फ़ीर नहीं करते अगर्चे बहस के तौर पर उन पर कुफ्र का इल्ज़ाम साबित है।

फ़त्हुल क़दीर में है :- الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاماً لهم فى المباحث

तर्जुमा : हक़ अहले क़िब्ला की अदमे तक्फ़ीर है, अगर्चे बहस में लाज़मी तौर पर उन पर कुफ्र वाक़ेअ़ हुआ है।

असल बात ये है कि इस्तिला -ए- आइम्मा में अहले क़िब्ला वो हैं जो कि तमाम ज़रूरिय्याते दीन पर ईमान रखता हो।

(अगर) इन में से एक बात का भी मुन्किर हो तो क़तअ़न, यक़ीनन, ईमानन काफ़िर व मुरतद है। वो भी ऐसा कि जिस के कुफ्र में कोई शक करे खुद काफ़िर। (जिस के दलाइल नीचे दिये गये हैं।)

शरह मक़ासिद में है :

اهل القبلة المواظب طول العمر على

الطاعات بصدور شيئ من موجبات الكفر عنه

तर्जुमा : जिस अहले क़िब्ला से कोई कुफ्र सादिर हो वो काफ़िर है अगरचे तमाम इबादतें करे।

अल-बहरुल खलाइक़ में है :

من خرج ببدعته من اهل القبلة كمنكرى

حدوث العالم ، فلا نزع فى كفرهم لانكارهم

तर्जुमा : जो कोई बद-अ़क़ीदगी की वजह से अहले क़िब्ला से खारिज हो जाये, उन के कुफ्र में कोई नज़'अ नहीं।

शरह फिक़्हे अकबर में है:

لا يكفر اهل القبلة الا فيما فيه انكار

ما علم مجيئه بالضرورة او المجمع عليه

كاستحلال المحرمات

तर्जुमा : अहले क़िब्ला को काफ़िर ना कहा जायेगा, मगर जब (कहा जायेगा) ज़रूरिय्याते दीन व इज्माई बातों से किसी बात का इंकार करे, जैसे हराम को हलाल जाने।

وهُو تعالىٰ أعلمُ بالـصواب

सवाल : 04

किसी ने पहले ज़कात नहीं दी और वाजिब थी, अब भी है तो क्या पहले की और अब की दोनों ज़कात देगा?

जवाब : 04

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जी, हाँ।

والله أعلمُ بالصواب

सवाल : 05

किसी पर पहले ज़कात वाजिब थी उस ने नहीं दी और अब वाजिब नहीं तो क्या अब पहले वाली ज़कात देगा या नहीं?

जवाब : 05

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जी, हाँ।

والله أعلمُ بالـصواب

सवाल : 06
नापाकी किन-किन चीज़ों से होती है?

जवाब : 06

بسم الله الرحمٰن الرحيم
मै साइल के इस सवाल से इतना समझ पा रहा हूँ कि वो पूछना चाहता है कि कब आदमी नापाक हो जाता है, कब गुस्ल फ़र्ज़/वाजिब होता है।
5 चीज़ें पायी गयीं तो इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है, जिन का ज़िक्र हम आगे कुछ मुख्तसर तफ़सील से करेंगे।

(1) मनी का अपनी जगह से शहवत (Sex) के साथ निकलने से गुस्ल वाजिब होता है, मस्लन किसी ने गंदे ख्याल जमा करके अपने ही हाथ से (म'आज़ अल्लाह) मनी निकाली तो गुस्ल वाजिब है और अगर ये मनी शहवत के साथ झटके के साथ ना निकली बस गंदी चीज़ को देखने से क़तरा या सफेद पानी निकला और उसका निकलना मालूम भी नहीं हुआ तो वो मनी नहीं यानी उस पे गुस्ल वाजिब नहीं।

(2) एहतिलाम : सोते में मनी का निकलने से गुस्ल वाजिब है। इस में शर्त है कि कपड़े पर निशान पाया जाये। अगर एहतिलाम होना याद है या ख्वाब याद है मगर कपड़े पर मनी का कोई निशान नहीं है तो गुस्ल वाजिब नहीं।

(3) दुखूल : कोई मर्द अपने शर्मगाह (Penis) को किसी औरत की शर्मगाह (Vagina) में या पीछे दुबुर (Bum) में दाखिल करे। मर्द, मर्द की पीछे दाखिल करे, इन सूरतों में गुस्ल वाजिब दोनों पर है, चाहे मनी निकले या नहीं।

(4) हैज़ : जब औरत हैज़ से फारिग हो जाये तो गुस्ल वाजिब है।

(5)निफ़ास : औलाद की विलादत के बाद जो औरत को खून आता है उसे निफ़ास कहते हैं, उस से खून से फारिग होने के बाद।

मदनी मशवरा :
यक़ीनन, हर आक़िल बालिग मुसलमान पर इन बातों का सीखना फर्ज़ है। मगर बाज़ लोग शर्म से इन चीज़ों को नहीं सीखते और ना किसी से पूछते हैं और ना कभी इन बातों को किसी आलिमे दीन की बारगाह में जाकर सीखते हैं। खुदा भला करे साइल का इसने लोगों के लिये ये सवाल करके आसानी कर दी। अल्लाह त'आला इसे दोनों जहान में भलाईयाँ अ़ता करे।
और हम ने हर चीज़ का ज़िक्र साफ-साफ बयान कर दिया और मसाइल सीखने में लोगों को अल्लाह का ये फरमान भी याद रखना चाहिये कि क़ुरआन में अल्लाह का इरशाद है :
"और अल्लाह हक़ फरमाने में नहीं शर्माता।"
(पारा 22, सूरह अहज़ाब, आयत नम्बर 53)
واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 07
बाज़ नमाज़ियों को ब-सबबे कसरते नमाज़ नाक या पेशानी पर जो सियाह दाग हो जाता है, ज़ैद कहता है कि जिस के दिल में बुग्ज़ हो ये उस के दिल का दाग ज़ाहिर होता है। क्या ज़ैद सहीह कहता है? और ये दाग से क्या कुछ फाइदा है?

जवाब : 07
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अल्लाह त'आला सहाबा और हुज़ूर ﷺ की शान में इरशाद फ़रमाता है :
उन की पेशानी उन के चेहरों में है सजदे के असर।
सहाबा और ताबईन से इस निशानी की तफ़सीर में 4 क़ौल मशहूर हैं :

(1) वह नूर जो रोज़े क़ियामत उन के चेहरों पर बरकते सजदा से होगा।
इस क़ौल के रावी हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हसन बसरी वग़ैरह हैं।

(2) खुशू'अ़ खुज़ू व रौशनी जिसके असर स्वालिहीन के चेहरों पर दुनिया ही में ज़ाहिर होंगें।
इस क़ौल के रावी हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, इमाम मुजाहिद हैं।

(3) चेहरे की ज़र्दी की, क़ियामे (नमाज़)
लैलो शब बेदारी में पैदा होती है।
इस क़ौल के रावी इमाम हसन बसरी व सिहको इकरमा शम्र बिन अत्तिया हैं।

(4) वुज़ू की तरी और खाक का असर कि, ज़मीन पर सजदा करने से माथे और नाक पर मिट्टी लग जाती है।
इस क़ौल के रावी इमाम सईद बिन जुबैर व इकरमा हैं।

बाक़ी तफ़सील फ़तावा अफ्रीका में पढ़ी जा सकती है। खुलासा -ए- कलाम ये है कि, दिखावे के लिये क़स्दन निशान पैदा करना हरामे क़तई और गुनाहे कबीर है और वो निशान जहन्नम का निशान है जब तक तौबा ना करे। और अगर निशान सजदों की कसरत से खुद पड़ जाये तो अगर ये सजदे रियाई (दिखावे) के थे तो ऐसा करने वाला जहन्नमी और ये माथे पर सजदों की निशानी के निशान अगर्चे खुद पैदा हुआ हो और अगर सजदे महज़ अल्लाह के लिये थे और ये इस निशान के पढ़ने से खुश हुआ कि लोग मुझे इबादत गुज़ार, साजिद जानेंगे तो अब रिया आ गया।
और अगर इसे इस निशान की तरफ कुछ इत्तिफाक़ नहीं तो ये निशान, निशाने महमूद है। और एक जमाअ़त के नज़दीक आयते करीमा में इस की तारीफ़ है। उम्मीद है कि क़ब्र में फिरिश्तों के लिये इसके ईमान व नमाज़ की निशानी हो और रोज़े क़ियामत सूरज से ज़्यादा नूरानी हो, जब कि अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअ़त का हो वरना बदतरीन गुमराह की किसी इबादत और निशानी पर नज़र नहीं होती।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 08
हज़रत आप ही बतायें इस में ये जो बहस है कि आज कल शॉर्ट में बस सलाम करा जाता है और इसी तरह लोग शॉर्ट में WKS लिख कर जवाब दे देते हैं, क्या ये सहीह है?

जवाब : 08

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
चमचमाता इल्मी हीरा, ला इल्मी की खान में,
मुसलमानों को अदब सिखाता सलाम के बयान में।

सिर्फ "सलाम" कह देने से भी सलाम हो जाता है। जैसा कि क़ुरआन के पारा नम्बर 14, आयत 52 में लफ्ज़ "सलाम" सलाम ही के लिये फरमाया गया।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, पेज 465 पर है :
"कुछ (लोग) कहते हैं "सलाम" इस को भी सलाम कहा जा सकता है।"

और इसी में है :
"सलाम" के जवाब में "सलाम" कह दिया या وعليكم कह दिया जब भी जवाब हो गया।

मुसलमानों को सलाम का अंदाज़ सिखाते हुये मेरे आक़ा आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, पेज 408 पर फरमाते हैं :
कम से कम السلام عليكم और इस से बेहतर ورحمت الله और सबसे बेहतर وبركاته शामिल करना।
और फरमाते हैं : *السلام عليكم के जवाब में السلام عليكم कहने से भी जवाब (अदा) हो जायेगा। मगर सुन्नत है कि وعليكم السلام कहे।*
अहम मसअला :
लिखे हुये (Written) सलाम का जवाब देना भी वाजिब है, मगर लिख कर वाजिब नहीं, यानी सलाम मिलते ही फौरन जवाब मुँह से दे दे, देर की तो गुनाहगार होगा।
इसीलिये सय्यिद अहमद तह्तावी फ़रमाते हैं कि, *लोग इस मसअले से गाफ़िल हैं।*
तभी आला हज़रत जब खत पढ़ा करते तो खत में जो सलाम लिखा होता है उसका जवाब ज़ुबान से (फौरन) देकर, बाद में आगे खत पढ़ते।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि, जब शरीअ़त में सलाम कहना जाइज़ है तो कम अज़ कम सलाम ही कहा जाये मगर जवाब में भी सलाम कह दिया जाये और बेहतर है कि पूरा करे। जैसा कि इमाम ने समझाया मगर "Wks" कुछ नहीं होता इस से परहेज़ करना चाहिये।

والله ورسوله اعلم، عزوجل و صلى الله تعالى عليه وسلم

सवाल : 09
आज कल देखा जाता है कि कुछ बुज़ुर्ग लोग मस्जिद में कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं। हालाँकि वो घर से खुद अपने पैरों से आराम से चल कर आते हैं क्या इनका ऐसा करना दुरुस्त हैं? ये भी इरशाद फरमायें कि कब क़याम साक़ित होता है।

जवाब : 09

بسم الله الرحمٰن الرحيم
ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसीलिये कि खड़े होने से महज़ कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं बल्कि क़याम उस वक़्त साक़ित होगा कि खड़ा ना हो सके या सजदा ना कर सके या खड़े होने में या सजदा करने में ज़ख्म बहता है या खड़े होने में क़तरा आता है या चौथाई सित्र खुलता है या क़िरअत से मज़बूर महज़ हो जाता है यूँही खड़ा हो सकता है मगर उस से मर्ज़ में ज़्यादती होती है या देर में अच्छा होगा या ना क़ाबिले बरदाश्त तकलीफ़

होगी तो बैठ कर पढ़े और अगर असा यानी स्टिक या खादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर पढ़े। अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना ही खड़ा हो कि अल्लाहु अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर इतना कहे। (बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा 3, सफ़हा 58-59)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

(जवाब : मौलाना फ़ैज़ अहमद क़ादरी, मंज़रे इस्लाम)

सवाल : 10

कुछ लोग वुज़ू के बाद मस्जिद में आकर पहले बैठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, क्या इनका ऐसा करना दुरुस्त है?

जवाब : 10

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ़ है। चाहिये कि वुज़ू के बाद सुन्नत पढ़े। अगर जमाअ़त है तो जमाअ़त में शामिल हो।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 11

कुछ लोगों को देखा गया है कि वो मस्जिद में जगह खाली होने के बाद भी अपनी तयशुदा जगह पर बैठते हैं, और बाज़ अपना रूमाल रख देते हैं इस का क्या हुक्म है?

जवाब : 11

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इसमें चंद सूरतें हो सकती हैं, अगर लोगों ने खुद पहली सफ़ तर्क करके पिछली सफ़ में बैठे हैं, तो ये उनकी कम अ़क़्ली है, और पीछे से आने वाला इस सूरत में अगली सफ़ (जहाँ जगह खाली थी) में गया तो ठीक ही किया, कि ये इज़्ज़त उन्होंने खुद खोयी, चाहिये था ये कि पहले अव्वल सफ़ को भरते, और अगर सफ़े अव्वल पहले से मुकम्मल थी फिर कोई शख्स जबरन उसमें आया तो गलत है कि, इस से सारी सफ़ खराब होने का खतरा होता है और नमाज़ियों को हालते नमाज़ में खुशूअ़ खुज़ूअ़ हासिल नहीं हो पाता।

अगर पहली सफ़ में जगह खाली थी, फिर भी कोई खुद जान कर उस में नहीं बैठता पीछे बैठता है तो गुनाहगार नहीं, हाँ सफ़े अव्वल के सवाब से महरूम ज़रूर है। और अफ्ज़ल यही था कि पहली सफ़ में जाता मगर तर्के अफज़ल पर शरीअ़त में कोई गुनाह नहीं।

और इसी तरह बहुत लोग वुज़ू करने जाते हैं तो सफ़ में अपना रूमाल रख देते हैं। इस में भी कोई हर्ज नहीं। यही बहारे शरीअ़त और फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, पेज 265 से ज़ाहिर है कि जा-नमाज़ पर रूमाल रखने में कोई हर्ज नहीं।
आज मौजूदा दौर में हाल यही है कि लोग पहली सफ़ में जाना पसंद नहीं करते अगर ये होता कि पहली सफ़ वालों को रूपये 500/- दिये जाते तो शायद ये पीछे बैठने वाला, फ़ज्र बाद ज़ुहर का इन्तिज़ार भी करता और घर ना जाता और इसी तरह इशा बाद फ़ज्र का इन्तिज़ार करता और सफ़े अव्वल की जगह ना जाने देता।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 12
क्या वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : 12

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वहाबी, देवबन्दी बल्कि सिवाये अहले सुन्नत (बरेलवी) इमाम के, हर खबीस के पीछे नमाज़ ना पढें। अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ सुन्नी इमाम नहीं तक बाद जमाअ़ते वहाबिया अपनी नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर दिन जुम्आ का है तो, जुम्आ बाद अपनी ज़ुहर पढ़ी जायेगी कि वहाबी की नमाज़, नमाज़ नहीं।

जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और इसी फ़तावा रज़विय्या में आगे जिल्द 6, सफ़हा 621 पर लिखते हैं :
अहले सुन्नत पर फर्ज़ है कि अपना इमाम सुन्नी जुम्आ वा ईद के लिये मुकर्रर करें। वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और आगे इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 633 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं। चाहे अपना उस्ताद हो। बल्कि उसको उस्ताद बनाना ही उस (सुन्नी) के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :

वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक नाजाइज़ महज़ बातिल है।
और आगे बढ़ते हुये इमाम, उम्मत की रहनुमाई करते हैं और इसी
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 501 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक नाजाइज़ है।

इतने बड़े मौलवी बल्कि आलिम, बल्कि मुफ्ती, बल्कि मुहद्दिस, बल्कि मुफ़स्सिर, बल्कि मुजद्दिद -ए- आज़म, बल्कि इमामे अहले सुन्नत और वली -ए- कामिल के इतने फ़तवों के बाद साफ ज़ाहिर है कि वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल है, जाइज़ नहीं और फिर भी कोई जान लेने के बाद भी पढ़ता है तो वो जहालत के दर्जे पर कितनी बुलंदी हासिल कर चुका है ये हर अहले अ़क़्ल पर रौशन होगा।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 13
अगर एक शख्स 1 लाख रुपये छोड़ कर मरा है और उस की बीवी और 1 लड़का और लड़की है तो वो 1 लाख रुपये में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा? इरशाद फरमायें।

जवाब : 13

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
तमाम तारीफ़ उसी ज़ाती इल्म वाले अल्लाह की जिस ने रोका आसमान को बिना सुतून के और इल्मे फिक़्ह की तहक़ीक़ में बे-अ़क़्लों को क़ाबिले तहक़ीक़ किया। और वही इल्म वाला जानने वाला है और देता है जिसे चाहता है अपने इल्म के हिस्से से और गैब से मदद करता है बेसहारों की, नफ़ा बख्शवाता है मखलूक़ को मखलूक़ से और दुरुद उस हबीब और रसूलों के रसूल पर और हर आले रसूलो अस्हाब पर।

(عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم)

अगर मैय्यत की बीवी के साथ मैय्यत का बेटा-बेटी (पोता-पोती) हो तो बीवी को कुल माल का 8वाँ हिस्सा दिया जायेगा।
कुल माल = 1 लाख है।
8वाँ हिस्सा = 12,500 (1,00,000/8= 12,500)
बची रक़म = 87,500/-

अगर बेटी के साथ मैय्यत का लड़का भी हो तो बेटी की निस्बत लड़के को दो गुना हिस्सा बनेगा।

(फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 6, पेज 448)
बचे माल का दो गुना हिस्सा यानी
87500/3 = 29166.66
यानी
29166.66 + 29166.66 + 29166.66
बेटी का हिस्सा = 29166.66

बेटे का डबलहिस्सा = 58333.33 (29166.66 + 29166.66)

(33 पैसे और 66 पैसे की बराबर तक़सीम की वजह से बेटा बेटी की रक़म में 1 पैसे का फर्क़ क्योंकि अब आने और पैसे नहीं चलते तो ये 1 पैसे का आपस में सुलह कर सकते हैं।)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 14
हज़रत अगर किसी ने गुस्से में 3 तलाक़ दे दी तो क्या तलाक़ हो गई?

जवाब : 14

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पूछी गयी सूरत में औरत को 3 तलाक़ हो गयी, और ये औरत उस आदमी के लिये हमेशा के लिये हराम हो गयी। अब फिर उस से निकाह नहीं कर सकता, बगैर हलाला किये।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 15
खड़े हो कर नहायें या बैठ कर?

जवाब : 15

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जाइज़ दोनो सूरतें हैं, मगर अदब बैठने में ज़्यादा है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 16

हमारे नबी ﷺ के कितने नवासे और कितनी नवासियाँ हैं?

जवाब : 16

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आप के कुल नवासा नवासियों की तादाद 9 थी। जिन में 5 नवासे और 4 नवासियाँ थीं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 17

हमारे प्यारे नबी ﷺ की जनाज़े की नमाज़ किस ने पढ़ाई?

जवाब : 17

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हुज़ूर की नमाज़े जनाज़ा के लिये लोग गिरोह दर गिरोह आते और नमाज़ अदा करते मगर कोई इमाम ना था।

जैसा कि शैख अब्दुल हक़ मुहद्दिसे दहेलवी (मदारिजुन नबुव्वह) में तहरीर फरमाते हैं :

जनाज़ा तैय्यार हुआ तो लोग नमाज़े जनाज़ा के लिये टूट पड़े। पहले मर्दों ने फिर औरतों ने फिर बच्चों ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। जनाज़ा -ए- मुबारक हुजरा -ए- अक़दस के अन्दर ही था। बारी-बारी से थोड़े-थोड़े लोग अन्दर जाते थे और नमाज़ पढ़ कर चले आते थे, लेकिन कोई इमाम ना था।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 18

क्या फरमाते हैं आलिमे दीन इस तहक़ीक़ के बारे में और हज़रत आपकी क्या राय है इस बयान में कि इमाम-ए- आज़म का लक़ब अबू हनीफ़ा कैसे पड़ा? और जो लोग कहते हैं उनकी एक बेटी थी, हनीफ़ा नाम की जिसने कुछ औरतों के सवाल का जवाब दिया था और इस शर्त पर कि जवाब के बाद आप मेरा नाम लगाओगे वग़ैरह, दुरुस्त है या नहीं?

जवाब : 18

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये जो लोगों ने बयान किया कि कुछ औरतें इमाम साहब के पास आयीं और ये सवाल किया कि जब मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं और इमाम साहब के पास इस का जवाब ना था। अपने वालिद को परेशान देख कर इमाम साहब की बेटी ने उन

औरतों को जवाब दे दिया। उसके बाद से आप अबू हनीफ़ा यानी (हनीफ़ा के वालिद) के नाम से मशहूर हुये। अव्वल तो ये कि ये

क़िस्सा किसी मुअ़तबर किताब से मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, जिस किताब से गुज़रा वो मुअ़तबर ना थी।

हक़ ये है कि, इमाम साहब का सिर्फ एक बेटा था जिन का नाम हजरते हम्माद है। इस के सिवा कोई औलाद ही नहीं तो बेटी का तसव्वुर ही नहीं। फिर लोगों का ये कहना कि उन औरतों के सवाल का जवाब इमाम साहब से नहीं दिया गया, महज़ बे-बुनियाद लगता है। दलाइले अक़्लिया के पहाड़ खड़े कर देने वाले इमाम से कैसे इस सवाल का जवाब ना बना? जिन के बारे में ये मशहूर है कि एक पल्ले में अबू हनीफ़ा की अ़क़्ल रखो और दूसरे में बाक़ी लोगों की तो इमाम की अ़क़्ल गालिब आयेगी। जिन के बारे में ये मशहूर है कि अबू हनीफ़ा चाहे तो पिलर को सोने का साबित कर दे। और जो लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू हनीफ़ा पढ़ कर ये अन्दाज़ा किया कि हनीफ़ा के बाप, मैं कहता हूँ (अल्लाह ही की तौफीक़ से) तो फिर अबू हुरैरा को क्या समझा जायेगा, बिल्ली के बाप?
अबू तुराब को क्या समझा जायेगा, मिट्टी के बाप? हरगिज़ नहीं बल्कि कुन्नियत में अबू का मतलब हमेशा बाप के नहीं आया कभी, वाले के लिये भी आता है। जैसे कि अबू हुरैरा और अबू तुराब से ज़ाहिर है। तो फिर इमाम की कुन्नियत को महज़ बाप की बुनियाद पर ही क्यों परखा जाता है, जब कि हक़ ये है कि सिवाये बेटा, उन की कोई बेटी थी ही नहीं। बल्कि अहले फ़ारस दवात को फ़ारसी में हनीफ़ा कहते हैं और इमाम और उनके शागिर्द हमेशा अपने साथ एक क़लम दवात रखते थे जिसकी वजह से उन्हें अबू हनीफ़ा (दवात वाले) के नाम से जाना जाता है।

और बाज़ ने कहा, दीने हनीफ़ की वजह से अबू हनीफ़ा कहा गया। मगर किसी की राय में बेटी का तज़्किरा नहीं।
(सिवाये एक क़ौल के) मगर वो हुज्जत क़ाइम नहीं करती।

सवानेह इमामे आज़म, पेज 59 पर है कि *ज़्यादातर इस बात की तरफ गये हैं कि आप का एक बेटा था जिन का नाम आपने हम्माद रखा था, इनके अलावा कोई औलाद नहीं थी।*

सवानेह इमामे आज़म पेज, 60 पर है कि *आप अपने साथ क़लम दवात रखते थे और अहले फ़ारस दवात को हनीफ़ा कहते हैं। और बाज़ ने कहा आप सिद्दत से हक़ की तरफ रागिब और कसरत से अल्लाह की इबादत करते, तो आपका नाम अबू हनीफ़ा हुआ। और*

बाज़ ने कहा, आप मुस्तमिल पानी को इस्तिमाल के क़ाबिल नहीं समझते थे इसीलिये टोटियों का इस्तिमाल हुआ क्योंकि टोटी को हनीफ़ा कहते हैं इसीलिये आप अबू हनीफ़ा हुये।

हाफ़िज़ शम्सुद्दीन ने लिखा, *बाज़ अफराद ने कहा कि आप की बेटी हनीफ़ा नाम की थी लिहाज़ा आप अबू हनीफ़ा हुये। लेकिन आपके तज़्किरा निगारों में से एक जमाअ़त ने यक़ीन के साथ कहा कि आप की कोई बेटी ना थी, और बेटा भी हम्माद और कोई ना था।*

अबू हनीफ़ा नाम की वजह भी गुज़र चुकी तो साफ है। आप की कोई बेटी नहीं सिवाये एक बेटे "हम्माद" के और हमारी राय हमारी तहरीर से ज़ाहिर है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 19

मेरे एक फ्रेंड हैं मुस्लिम वो निशांत नाम के बॉय से लड़की की आवाज़ निकाल कर बात करता है और उस ने उस को अपना नाम भी साम्या बताया है और उस से रीचार्ज भी करवाता है, क्या ये सही है? मुझे वारसी जी का जवाब चाहिये। वारसी जी Please Urgent Requirement For This Question।

जवाब : 19

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हराम हराम हराम। लड़की बनकर किसी को धोका देना हराम। धोका दे कर फोन में रिचार्ज करवाना हराम और ऐसे फ़ेले हराम से सच्चे दिल से तौबा करना वाजिब है। और उसे सच बता कर पैसे वापस देने की सूरत निकाले वरना माफ़ कराये। ये पैसे उस के ज़िम्मे बाक़ी रहेंगे कि इस तरह धोका देना काफ़िर को भी जाइज़ नहीं। और मुसलमान होकर मुसलमान लड़की का नाम इस्तिमाल करना आला दर्जे की बेहयाई।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 20

एक शहर में लोगों ने इत्तिफाक़ के साथ एक मकान नमाज़ पढ़ने के लिये बनाया और उस का नाम इबादत गाह रखा गया, मस्जिद नाम नहीं रखा इस की वजह यह है कि कभी आदमी नमाज़ ना पढ़ें तो वो इबादत गाह बद-दुआ ना करे। अब उस मकान में बैठ कर दुनिया की बातें करें तो ये जाइज़ है या नहीं? और उस मस्जिद में जुम्आ और ईदैन की नमाज़ भी होती है, लकड़ी का मिम्बर भी है? लेकिन महराब नहीं बनी तो मकान का मर्तबा मस्जिद का होगा या नहीं इस में दुनिया की बातें करना दुरुस्त है या नहीं?

जवाब : 20

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जिस मकान को इबादत गाह का नाम दिया गया, ताकि लोग उस में नमाज़ पढ़ें तो उस में नमाज़ की इजाज़त दिन या खास नमाज़ों के लिये दी गयी या मुत्लक़न। यानी सिर्फ जुम्आ या ईद रमज़ान वग़ैरह में ही मकान को नमाज़ के लिये खाली रखा जाता है या आम दिन भी। अगर ऐसा नहीं और उस में वक़्त की कोई क़ैद भी नहीं और वहाँ नमाज़े जुम्आ और ईद भी हुई तो वो मस्जिद ही है फिर चाहे उसका नाम इबादत गाह ही रखा जाये। और माना के एतबार से मुसलमान के लिये उसकी इबादत गाह को मस्जिद ही कहते हैं। और मस्जिद को मस्जिद होने के लिये मीनार या मेहराब का होना ज़रूरी नही, इत्तिफाक़ के साथ (जैसे कि सवाल में है) मुसलमान ने मिल कर नमाज़ के लिये मकान मुक़र्रर किया और अरकाने इस्लाम (नमाज़) भी अदा हुई बल्कि जुम्आ बल्कि ईद भी और ये मकान (अगर) खास वक़्त के लिये नहीं था तो मस्जिद ही है। अब जब वो मस्जिद ही है तो उस पर सारे अहकाम मस्जिद के ही होंगे। यानी वहाँ बैठ कर जाइज़ बातें करना भी नाजाइज़ हैं और बतौरे तफ़रीह यहाँ मजमा लगा कर बैठना और बातें करना, खाना पीना कुछ जाइज़ नहीं, बे निय्यत -ए- एतिकाफ़।

والله تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 21

तौबा की उम्मीद पर जान बूझकर गुनाह करना कैसा? मस्लन यार अभी तो मेरे मतलब का गाना (Song) या मूवी वग़ैरह आ रही है इसको सुनने या देखने के बाद या इसके अलावा कोई भी गुनाह कर लूँ और फिर तौबा कर लूँगा। ऐसा करना या सोचना कैसा?

जवाब : 21

بسم الله الرحمٰن الرحيم

तौबा की **4** शराइत होती हैं :

(1) पिछले गुनाह पर शर्मिन्दगी।

(2) हाल में इसे छोड़ देना।

(3) मुस्तक़्बिल में कभी इस की तरफ़ ना लौटना।

(4) गुनाह की तलफ़ी हो (हक़ वग़ैरह के मामले में, तो उसे दे)

अगर कोई शख्स फिलहाल तो गुनाह छोड़ दे मगर ये कि फिर कर लूँगा और तौबा कर लूँगा इस तरह करे तो सच्ची तौबा करने वालों में शुमार नहीं। और इस तरह का इरादा करने

वालों के लिये एक हदीस शुअ़बूल ईमान में नक़्ल है जिसके रावी इब्ने अ़ब्बास हैं, फरमाते हैं: गुनाह पर क़ाइम रह कर तौबा करने वाला, अपने रब का मज़ाक उड़ाने वाले की तरह है।

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالـصواب

सवाल : 22

नमाज़ के हर रुक्न में नज़रें कहाँ होनी चाहिये?

जवाब : 22

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ियाम में सजदे की जगह।

रुकू'अ़ में क़दमों पर।

क़ौमा में सजदे की जगह।

सजदे में नाक पर।

क़ा'दा में गोद में।

और नमाज़ में ये फैल मुस्तहब है और इस के खिलाफ़ भी करे तो नमाज़ हो जायेगी।

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالـصواب

सवाल : 23

क़ादा -ए- आखिरा में अगर मुक़्तदी दुरूदे पाक तक ही पढ़ पाया और इमाम ने सलाम फेर लिया तो क्या मुक़्तदी को भी उसी वक़्त सलाम फेर लेना चाहिये या अज़ाबन्-नार तक मुकम्मल पढ़ कर सलाम फेरे?

जवाब : 23

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

तशह्हुद पढ़ चुका हो और दुरूद ना पढ़ी हो या दुरूद भी पढ़ ली हो और दुआ ना पढ़ी तो भी सलाम फेर सकता है और अगर तशह्हुद यानी अत्तहिय्यात अभी मुकम्मल ना हुई हो तो चाहिये कि पूरी करे। इमाम के साथ सलाम फेरने से मुक़्तदी नमाज़ से बाहर ना होगा जब तक खुद का सलाम ना फेर ले।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالـصواب

सवाल : 24

एतिकाफ़ की हालत में अगर रीह बार-बार आये तो क्या करे?

जवाब : 24

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गैरे मोअ़तकिफ़ को मस्जिद में रीह खारिज (गैस) करना मकरूह है और एतिकाफ़ वाले को ये भी नहीं। जैसा कि फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 16, पेज 289 पर मेरे आक़ा आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान (अ़लैहिर्रहमा) ने चमकते सूरज की तरह साफ़ बयान फरमा दिया कि :

मस्जिद में हदस यानी रीह खारिज गैरे मुअ़तकिफ़ हो मकरूह। उसे चाहिये कि ऐसे वक़्त बाहर जाये फिर चला आये वरना सबसे बेहतर इलाज है कि एतिकाफ़ की निय्यत से मस्जिद में बैठे।

(यानी एतिकाफ़ वाला इस काम के लिये मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता।)

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 25

अगर किसी ने इमाम को गलत लुक़्मा दे दिया है और इमाम ने ले लिया या नहीं लिया (दोनों सूरतों में क्या हुक्मे शरीअ़त है) हज़रत रहनुमाई फरमायें।

जवाब : 25

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मुक़्तदी को शक हुआ कि इमाम ने कुछ छोड़ दिया है। जब कि इमाम ने दुरुस्त पढ़ा था, लिहाज़ा उस ने लुक़्मा दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ जाती रही, अगर इमाम ने नहीं लिया

तो सिर्फ लुक़्मा देने वाले की नमाज़ गयी। जैसा कि मेरे आक़ा आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवाना -ए- शम्मे रिसालत, इमामे इश्क़ो मुहब्बत, वली -ए- नैमत, पीरे तरीक़त, आलिमे शरीअ़त, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअ़त, क़ातए नज़दिय्यत, बाइसे खैरो बरकत, अल-हाज, अल-हाफ़िज़, अल-मुफ्ती, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अ़लैहिर्रहमा अपनी मक़बूले दो जहाँ तस्नीफ़ यानी अल-अ़ताया नबविय्या फ़ी फ़तावा रज़विय्या अल मअ़रूफ़ फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 284 पर इरशाद फरमाते हैं :

जब उसे (मुक़्तदी को) शुब्हा (शक) हो तो मुम्किन है इसी (मुक़्तदी) की गलती हो, और गलत बताने से इस की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम अखज़ करेगा तो उस की और सब की नमाज़ फ़ासिद होगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 26

तरावीह में अगर कोई शख्स नींद की हालत में हो बे-ध्यानी में उस का रुकू'अ़ छूट जाये और फिर वो सब के साथ सजदे में चला जाये तो ऐसी सूरत में क्या उस की वो रक़'अ़त मुकम्मल होगी।

जवाब : 26

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी मुक़्तदी ने रुकू'अ़ मुत्लक़न छोड़ ही दिया यानी नमाज़ पूरी कर ली और रुकू'अ़ किया ही नहीं तो ये सवाल नहीं करते कि रक़अत मिली या नहीं बल्कि ये पूछो कि उनकी नमाज़ हुई भी या नहीं।

दुर्रे मुख्तार (मिस्री) जिल्द 1, सफ़हा 348 से तो मुझे यही ज़ाहिर होता है कि अगर मुक़्तदी ने मुत्लक़न रुकू'अ़ छोड़ ही दिया जैसा कि सवाल से ज़ाहिर है कि मुक़्तदी ने सीधा सजदा कर लिया (यानी रुकू'अ़ किया ही नहीं) तो नमाज़ बातिल होगी। जैसा कि फ़तावा रज़विय्या में है :

अगर मुक़्तदी ने बिल्कुल रुकूअ़ ही ना किया, या रुकूअ़ किया मगर इमाम के रुकूअ़ में जाने से पहले ही सर उठा लिया, और इमाम के साथ दोबारा शामिल ना हुआ, या इमाम के बाद रुकूअ़ ना किया तो नमाज़ बातिल होगी।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7,सफ़हा 277)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 27

कुछ लोग अक्सर नमाज़ के बाद मस्जिद में सो जाते हैं या फिर लेट जाते हैं क्या ये सही है? मतलब क्या मस्जिद में सोना जाइज़ है?

जवाब : 27

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

एतिकाफ़ वाले और मुसाफिर को हर्ज नहीं, बाक़ी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 28
786 और 92 का क्या मतलब है?

जवाब : 28

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

786 बिस्मिल्लाह शरीफ़ के अ़दद हैं। 82 हुज़ूर علیہ السلام के नामे पाक मुहम्मद अलैहिस्सलाम के अ़दद हैं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 29
अगर किसी मजलिस में अल्लाह व रसूल का ज़िक्र हो रहा हो या कोई मसअला बयान कर रहा हो तो उस वक़्त अगर कोई बड़ा आलिमे दीन या कोई मुफ्ती साहब आयें तो क्या उस दौरान उन के आने पर नारा -ए- तकबीर करते हुये खड़े होना कैसा है?

जवाब : 29

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये फैल उन की ताज़ीम के लिये किया जाता है। बहारे शरीअ़त में है तिलावत के वक़्त भी वालिदैन और उस्ताद के लिये खड़े होने का हुक्म मौजूद है। और आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, पेज 415 पर लिखते हैं :

आलिमे दीन और सुल्ताने इस्लाम और इल्मे दीन में अपने उस्ताद की ताज़ीम मस्जिद में भी की जायेगी और मज्लिसे खैर में भी की जायेगी और तिलावते क़ुरआने अज़ीम में भी।

मगर किसी की आमद पर नारा बुलंद करते हुये खड़े होना मना है कि ज़िक्रे खुदा गैरे खुदा के लिये नहीं किया जा सकता और अल्लाह के ज़िक्र की निय्यत से किया तो ठीक मगर आज कल जलसों में जो स्टेज पर आलिम के आते ही नारे लगाते हुये खड़े हो जाते हैं ये गलत है। केवल खड़े हो सकते हैं और उसके लिये नारा यानी ज़िक्र नहीं कर सकते और देखा भी यही जाता है कि लोग वो ज़िक्र यानी नारा खुदा के लिये नहीं बल्कि उन्हीं की आमद पर लगाते हैं, ये जाइज़ नहीं।

इसी तरह किसी का कोई सामान बेचते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र भी नाजाइज़ है क्योंकि यहाँ ज़िक्र अल्लाह की बुलंदी के लिये नहीं बल्कि सामान की शोहरत ग्राहक के दिल में बैठाना मक़सूद है जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 533 पर है :
ग्राहक (Customer) को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर को इस गर्ज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना या सुब्हान अल्लाह कहना कि इस चीज़ की उम्दगी खरीदार पर ज़ाहिर हो नाजाइज़ है।

इसी तरह लोग उलमा के आने पर पीछे से ज़ोर से नारे लगाते हैं ताकि आगे बैठने वालों को उलमा के आने की खबर मिले तो ये आने वाले की ताज़ीम के लिये है, ज़िक्रुल्लाह की निय्यत से नहीं। और अल्लाह वा रसूल का ज़िक्र आने वाले की खबर देने या ताज़ीम के लिये उठने के लिये हो तो ये भी नाजाइज़। आगे इसी किताब यानी
बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 533 पर है कि :
किसी बड़े को देख कर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस निय्यत से कि लोगों को उस के आने की खबर हो जाये उसकी ताज़ीम को उठे, और जगह छोड़े ये नाजाइज़ है।

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 30
मिम्बर यानी हर वो जगह जहाँ ज़िक्रुल्लाह या नात पढ़ने की जगह हो उस मिम्बर पर फ़ासिक़ का खड़ा होना कैसा है?

जवाब : 30

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मिम्बर (Stage) यानी हर वो जगह जा -ए- ताज़ीम है और फ़ासिक़ चूँकि लाइके ताज़ीम नहीं और लाइके मज़म्मत है। ऐसे स्टेज पर फासिक़ को खड़ा करना ख्वाह वो नात के लिये हो या वाज़ के लिये जाइज़ नहीं। और मिम्बर पर मौजूद शख्शियात को क्योंकि इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और फ़ासिक़ की इज़्ज़त के बारे में अहादीस वारिद हैं जिनका खुलासा है कि, इन की ताज़ीम अल्लाह व रसूल की नाराज़गी का सबब है और आसमान का थर्रा जाने का ज़रिया। लिहाज़ा जिसके दिल में इश्क़े रसूल होगा वो नात पढ़ने से नहीं बल्कि सुन्नत पर अ़मल से ज़ाहिर हो जायेगा। और जो फ़ासिक़ है गोया उस का दावा -ए- मुहब्बत बेजा है कि मुहब्बत तो नाम ही महबूब के क़ौल और फ़ेल की पैरवी का है और जब फ़ासिक़ ने अल्लाह वा रसूल के अहकाम की लाज ही ना रखी तो क्योंकर उसे ज़ीनते स्टेज बनाया जाये।

फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, सफ़हा 42 पर है :

फ़ासिक़ वा फ़ाजिर को मिम्बर पर बैठाना हराम है। इस से मीलाद पढ़वाना गुनाह, और सुनना नाजाइज़, मज्लिसे खैर उस से पढ़वाये जो फ़ासिक वा फ़ाजिर ना हो।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 31

क्या फासिक़ को सलाम कर सकते हैं?

जवाब : 31

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हदीस में फ़ासिक़ को ताज़ीम करने की मनाही है। और सलाम करना ताज़ीम होता है। और फ़ासिक़ को सलाम में पहल ना करे।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 32

अगर वालिदैन फ़ासिक़ हों तो क्या हुक्म है तो उनकी ताज़ीम, और फ़ासिक़ लड़की से निकाह करना कैसा है?

जवाब : 32

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी हाँ! वालिदैन की ताज़ीम की जायेगी। उनके गुनाह और उन के खुदा का मामला है। हमें हुक्म है कि वालिदैन से उफ़ तक ना करो। बल्कि आला हज़रत ने तो यहाँ तक फ़रमाया कि वालिदैन को राज़ी रखना वाजिब है। फ़ासिक़ तो फासिक़ शरीअ़त ने तो काफ़िर वालिदैन के साथ भी अच्छा सुलूक करने की तरगीबदी है। तो क्या फ़िस्क़ कुफ्र से बढ़ कर गुनाह है? जब काफ़िर वालिदैन का ये हाल है तो फ़ासिक़ वालिदैन की ताज़ीम क्योंकर लाज़िम ना आयेगी। मगर खिलाफे शरीअ़त बात पर उनकी पैरवी नहीं की जायगी चाहे वो नाराज़ हों।

पहले तो ये कि लड़की के लिये लफ्ज़ फ़ासिक़ा इस्तिमाल करना चाहिये और मर्द के लिये फ़ासिक़। अब रहा उस से निकाह तो मैं कहता हूँ अगर उन के निकाह ना होने का फ़तवा दिया जाये तो बस लड़की ही का क्या कसूर। आज कल लड़के लड़कियों से ज़्यादा फ़ासिक़ हैं। खुद दूल्हा फ़ासिक़ होता है जब उस की शादी हो जाती है, तो लड़की का पूछना ही क्या। उनमें तो फिर कुछ हया है कि उनके गुनाह इतने ऐलानिया नहीं।

बहर हाल खुलासा -ए- कलाम ये है कि फ़ासिक़ वालिदैन की भी ताज़ीम फ़र्ज़ है और फ़ासिक़ा से निकाह हो जायेगा।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 33

कोई शख्स नापाक कपड़े पहन कर क़ुरआन की तिलावत कर सकता है या नहीं? अगर तिलावत की तो गुनाहगार होगा या नहीं हवाला इनायत फरमायें।

जवाब : 33

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरआन की तिलावत के लिये पढ़ने वाले का पाक होना फर्ज़ है वुज़ू के साथ। और पाक आदमी अगर नापाक कपड़े पहन ले तो नापाक नहीं हो जाता। अगर नापाक कपड़ा क़ुरआन पर ना लगे तो क़ुरआन की तिलावत तो कर सकता है और गुनाह भी नहीं। मगर बेहतर यही है कि पाक कपड़े पहने जायें कि ये खिलाफे उर्फ़ है और इस से बचना ही चाहिये।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 34

ईद की नमाज़ औरतें कितनी रक़ाअत पढ़ती हैं और निय्यत कैसे की जाती है?

जवाब : 34

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ईद की नमाज़ पढ़ने के लिये वही शर्तें हैं जो जुम्आ के लिये हैं। और औरत ईद की नमाज़ नहीं पढ़ती। औरत पर ईद और जुम्आ की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं। औरत को किसी जमाअ़त की हाज़िरी जाइज़ नहीं, जुम्आ हो या ईद।

जैसा कि फ़तावा फैज़ुर रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 425 पर है :

औरतों को ईदगाह की हाज़िरी जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 35

मुझे एक शख्स से रुपये लेने थे। कई साल बीत गये लेकिन वो टाल मटोल करता रहा। फिर भी मैं ज़कात केल्कुलेशन में हर साल उस रक़म को जोड़ कर ज़कात निकालता रहा

लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि अब पैसे वापिस नहीं मिलेंगे इसीलिये उस रक़म को (डूबी रक़म मान कर) ज़कात केल्कुलेशन में जोड़ना छोड़ दिया फिर अचानक से एक दिन वो रक़म वापस मिल गई। अब मसअला ये है कि जिन सालों में मैने उस रक़म को डूबी मान कर नहीं जोड़ा था क्या उन सालों की ज़कात भी देनी होगी?

जवाब : 35

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! देनी होगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 36
जो शख्स ये कहे कि किसी की रूह किसी इन्सान के बदन में चली जाती है तो उस पर क्या हुक्म है? कोई कम इल्मी से कहे या जान कर दोनों का हुक्म बतायें।

जवाब : 36

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
रूह का दूसरे बदन में आने को आवा-गवन कहते हैं जो कि शरीअ़त में मुहाले शरई है। ऐसा अक़ीदा शरीअ़त के खिलाफ है। और मुम्किन है कि ऐसा शख्स ऐसी बातें जहालत की वजह से कहता है। ऐसा शख्स गुमराह है, जैसा कि मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी फरमाते हैं कि
ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली आती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का जिस को तनासुख और आवा-गवन कहते हैं, महज़ बातिल और इसका मानना कुफ्र है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा 1, सफ़हा 103)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 37
लोहे का तार अगर पतली नापाकी से नापाक हो जाये तो वो सूख कर पाक होगा या नहीं? या उस को सिर्फ पानी से तीन बार पोछ लेने से पाक होगा या नहीं? या कोई दूसरा हुक्म है, हवाला भी इनायत फरमायें।

जवाब : 37

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

लोहे की चीज़ अगर नापाक हो जाये तो अच्छी तरह पोछ डालने से पाक हो जायेगी। और इस सूरत में नापाकी का पतली और दालदार होने में कुछ फ़र्क़ नहीं।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 400)

अगर तार पर नक्श या जंग लगी है तो पोछने से पाक नहीं। बल्कि इस सूरत में धोना ज़रूरी है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 38

अगर कोई वली को वली ना माने तो उस पर क्या हुक्म है? जैसे हज़रते गौसे पाक और हज़रते मदारे पाक या आला हज़रत या मुफ्ती ए आज़म। ऐसे आदमी पर क्या हुक्म है?

जवाब : 38

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जिन वलियों का ज़िक्र साइल ने किया वो यक़ीनन बा-करामत वली हैं। मगर मौजूदा दौर में इनको लेकर कुछ जाहिलों में इख्तिलाफ़ है। वो इनकी अज़मत ज़्यादा नहीं मानते यानी इन्हें मुसलमान तो मानते हैं पर ज़्यादा इज़्ज़त से चिढ़ जाते हैं। यहाँ वो वली से मुराद उनकी अज़मत का इंकार करते हैं वरना रुत्बे में किसी को किसी से घटाते बढ़ाते हैं। मगर इन्हें मुसलमान और नेक मानते हैं तो ऐसे लोग जाहिले मुत्लक़ और गुमराह हैं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 39

मेरे एक दोस्त पेंट लेके आये हैं जिसमें एक बटन इतना बड़ा जेब के पास पिक है। क्या उसे पहन कर नमाज़ हो सकती है।

जवाब : 39

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी। और नमाज़ के अलावा भीऐसा कपड़ा पहनना नाजाइज़ है। अब जब किसी ने खरीद ही लिया है तो बिना पहने बाज़ ना आयेगा तो बेहतर है नमाज़ किसी पाक साफ़ मुसलमानों वाले लिबास में अदा कर ले।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 40
एक प्लास्टिक की तितली बनी हुई है। उस पर इस तरीक़े से रंग लगा है कि उस का मुँह और आँख लगता है। क्या ये तस्वीर के हुक्म में है?

जवाब : 40

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ये तस्वीर के हुक्म में है, हर क़िस्म की जानदार की तस्वीर हराम है और जिस कमरे में ये होगी नमाज़ मकरूह होगी। तस्वीर और म्यूज़िक के बगैर बच्चों के खिलौने बनाना, खरीदना, बेचना और उनके साथ खेलना जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 41
हज़रत एक सवाल करना है अगर किसी के पास ज़कात अदा करने लाइक सोना, चाँदी, पैसा ना हो मगर सिर्फ 5 लाख के हीरे हों और अपने इस्तिमाल के हों तो ज़कात फर्ज़ है या नहीं?

जवाब : 41

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी नहीं! इस पर ज़कात नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم

सवाल : 42
मेरे पास भी सोना चाँदी नहीं है सिर्फ कुछ लाख का स्टॉक है और कुछ लाख का माल उधार बिका है जिसकी वसूली होना है, क्या इस पर ज़कात है?

जवाब : 42

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी हाँ! (जबकि माले तिजारत पर साल गुज़रने वग़ैरह और दीगर शराइत पायी जाती हों)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 43
अगर मेरे पास हो खाली मेरे घर वालों के पास नहीं है एक लाख रूपये तो ज़कात मेरे पर है, किसी और पर घर में है?

जवाब : 43

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ज़कात वाजिब होने की शर्त जिस में पायी जायेगी उस पर ज़कात वाजिब होगी। मस्लन अगर बीवी के पास सोना है तो ज़कात उसी पर वाजिब है। शौहर पर नहीं। हाँ अगर कोई शौहर अपनी

बीवी की तरफ से या बेटा माँ बाप वग़ैरह की तरफ से उनकी इजाज़त से अदा करेगा तो अदा हो जायेगी। और किसी ने अदा ना की तो गुनाह उस पर होगा जिस पर वाजिब थी। शरीअ़त में फराइज़ और वाजिबात की अदाइगी सभी मुकल्लफ़ पर जुदा-जुदा लाज़िम है। इस में मियाँ-बीवी, माँ-बेटा का कोई दखल नहीं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 44
ईद पर गले किस तरफ से मिलना चाहिये?

जवाब : 44

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ईद पर खास नहीं बल्कि कभी भी मुआनिक़ा यानी गले मिलें तो सीधी जानिब से मिला करें।
(जवाब : हज़रते अल्लामा अबू रय्यान मुफ्ती मुहम्मद शनेलही अल-मदनी)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 45
ईद पर गले किस तरफ से मिलना चाहिये और कितनी बार?

जवाब : 45

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ईद पर गले सीधी जानिब से मिलमा सुन्नते मुबारका है। और तीन मर्तबा मुस्तहब है।
(जवाब : हज़रते अल्लामा अबू रैय्यान मुफ्ती मुहम्मद शनेलही अल-मदनी)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 46
साफ़ा (इमामा) कितना चौड़ा और कितना लम्बा होना चाहिये?

जवाब : 46

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इमामे शरीफ़ की चौड़ाई और लम्बाई कितनी होनी चाहिये, इस का जवाब देते हुये हज़रत अ़ल्लामा, मौलाना, मुफ्ती -ए- आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहिब फरमाते हैं कि इमामे की लम्बाई 7 हाथ यानी 3 गज़ सुन्नत है। हुज़ूर ﷺ का इमामा 7 हाथ का होता। बगैर लम्बाई और चौड़ाई की क़ैद के।
(वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, पेज 249)

बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि 12 हाथ का था। लिहाज़ा एहतियात यही है कि 7 से 12 हाथ की लम्बाई का कपड़ा इमामा हो जायेगा और चौड़ाई की कोई क़ैद नहीं। बस जो आसानी से बँध सके और 1 हाथ की लम्बाई का मतलब बीच की बड़ी उंगली से कोहनी तक होगा। खुलासा -ए- कलाम ये है कि कम अज़ कम 3.5 (साड़े तीन) मीटर का इमामा बाँधने से भी आसानी से सुन्नत अदा हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 47
रूह मरती है या नहीं? जब क़ियामत आयेगी तो तमाम दुनिया फ़ना हो जायेगी तो जन्नत और दोज़ख और रूह का क्या होगा? हवाला भी इनायत फरमायें।

जवाब : 47

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मौत नाम है जिस्म से रूह का जुदा हो जाने का और इस का मतलब ये नहीं कि रूह भी मर जायेगी। जैसा की फक़ीहे इस्लाम, क़ाज़ी -ए- मिल्लत, सदरुश्शरिया, बदरुत्तरीक़ा, हज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी (अलैहिर्रहमा) फरमाते हैं :
मौत के माइने रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है ना ये कि रूह मरती हो। जो रूह का फ़ना जाने बदमज़हब है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 104)

जब क़ियामत में दुनिया फ़ना हो जायेगी तो दोज़ख और जन्नत का भी फ़ना हो जाने वाली कोई इबारत तो मेरी नज़र में नहीं आयी, बल्कि ये वो घर है जो हमेशा के लिये है, जहाँ हमेशा-हमेशा रहना है, और ये कभी ना खत्म होने वाली जगह है। जो अपने ईमान और अ़मल के मुताबिक़ मुसलमान और काफ़िर को दी जायेगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 48

अगर किसी ने क़सम दिया हो या खुदा क़सम खा लिया हो फिर वो क़सम टूट जाये इस हालत में क्या करना चाहिये?

जवाब : 48

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी के क़सम देने से क़सम नहीं होती, जब तक ये ज़ुबान से खुद क़सम ना खाये। जैसा कि फ़तावा आलमगीरी में है कि दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होतीं।

और क़सम खा कर तोड़ देने से कफ्फ़ारा लाज़िम आयेगा। वो है गुलाम आज़ाद करना या फिर 10 मिस्क़ीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना और अगर ऐसा करने की क़ुदरत नहीं रखते तो 3 रोज़े लगातार रखे।

मगर याद रहे कफ्फ़ारा उसी वक़्त है जब क़सम अल्लाह या उस के नाम या उस की सिफत या क़ुरआन की खाई हो। अल्लाह और क़ुरआन के अलावा क़सम, क़सम नहीं होती और इस क़सम के तोड़ने पर कफ्फ़ारा नहीं। यानी तेरी क़सम, मेरी क़सम, जान की क़सम, माँ की क़सम, बच्चों की क़सम, नबी की क़सम, रसूल की क़सम। ये सब क़समें नहीं, इन पर कोई कफ्फ़ारा नहीं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 49

शव्वाल के रोजे 6 शव्वाल के किसी भी डेट में रख सकते हैं या कोई डेट मुक़र्रर है?

जवाब : 49

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हदीस में जो शव्वाल के रोज़ों की फज़ीलत है उस में तारीख की कोई क़ैद मेरी नज़र से नहीं गुज़री। यानी इस माह में जब भी चाहे 6 रोज़े रखे। इंशा अल्लाह वही फज़ीलत पायेगा जो फ़रमाने मुस्तफ़ा है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 50
हदीस में है कि जिस घर में कुत्ते हों, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। अगर उसी घर में किसी शख्स की रूह क़ब्ज़ करनी हो तो कैसे होगी? हज़रत इस सवाल की रहनुमाई कीजिये।

जवाब : 50
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जवाब देने से पहले साइल के इल्म में इज़ाफा करते हुये इल्मे लुगत की एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि लफ्ज़ फ़िरिश्ता (फ़ा के क़सरे के साथ) होता है। फ़रिश्ता (फ़ा के फ़तह के साथ) नहीं यानी फ़िरिश्ता।

जवाब : पहले तो ये जान लेना चाहिये कि अल्लाह ने हर काम के लिये फ़िरिश्ते मुक़र्रर किये हैं और वही उनका काम है। मलकुल-मौत का काम रूह क़ब्ज़ करना है, रहमत लाना याद नहीं पड़ता। और उस घर में फ़िरिश्ते नहीं आयेंगे से मुराद ये नहीं कि कोई फ़िरिश्ते ना आये। क्योंकि अज़ाब लाना भी फ़िरिश्ते का काम है तो फिर उस घर में अज़ाब भी ना आयेगा। और जो इन्सान के साथ क़रीब 20 फ़िरिश्ते हैं वो तो साथ ही रहते हैं। फिर अगर वो भी चले जायें तो उस शख्स का हिसाब कौन लिखेगा? बल्कि उस से मुराद ये है कि वो फ़िरिश्ते जो अल्लाह की रहमत लाते हैं, ऐसे घर में रहमत ना होगी और मौत का वक़्त और जगह तय है। ये अपने मक़ाम और वक़्त पर आयेगी। और बाक़ी फ़िरिश्तों का जो काम है वो भी अपना काम करेंगे।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 51
क़सम की कितनी हालत हैं? और किस क़िस्म की क़सम से कफ्फ़ारा होगा और किस से नहीं?

जवाब : 51

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़सम की **3** क़िस्म हैं।
(1) गमूस
(2) लग्व

(3) मुन'अक़िदा
अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में क़सम खाई जो हो चुकी है या अब है या नहीं हुई है या अब नहीं मगर क़सम झूठी है यानी क़सम खायी कि ज़ैद आ गया और हक़ीक़त में ज़ैद नहीं आया तो इस की दो सूरतें होंगी। अगर क़सम खाने वाला जानता था कि ज़ैद नहीं आया और झूठी क़सम खायी कि ज़ैद आ गया तो ये पहली क़िस्म गमूस है।
अगर किसी ने अपने ख्याल से तो सच्ची क़सम खाई मगर हक़ीक़त में वो झूठी है। मगर इस में जान बूझकर झूठ बोलना शुमार नहीं मगर ख्याल गलत निकला। जैसे ज़ैद ने कहा वो सामने पत्थर है और ज़ैद भी उसे पत्थर ही गुमान कर रहा था और बाद में वो लकड़ी निकली तो इस क़िस्म की क़सम को लग्व कहते हैं।
अगर आइन्दा यानी फ्यूचर के लिये क़सम खाई कि ये काम करूँगा या नहीं करूँगा तो उसे मुनअक़िदह कहते हैं।
कफ्फ़ारे की सूरत :
गमूस से सख्त गुनाहगार हुआ तौबा लाज़िम है मगर कफ्फ़ारा नहीं।
लग्व से ना गुनाह, ना कफ्फ़ारा।
मुनअक़िदह क़सम अगर तोड़ी तो कफ्फारा लाज़िम है और कुछ सूरतों में गुनाहगार भी है।

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 52
अगर मुसाफिर को ज़ुहर की जमाअ़त मिल जाये लेकिन उसकी शुरू की चार रक़अत छूट जायें तो कब पढ़े?

जवाब : 52

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुसाफिर को सुन्नत में कोई क़स्र नहीं लिहाज़ा अगर ज़ुहर के फर्ज़ जमाअ़त से पढ़ लिये और शुरू की 4 सुन्नत ना पढ़ पाया तो बाद में पढ़े। अब रहा ये कि ये सुन्नत 2 रक़अत सुन्नत के बाद पढ़े या पहले तो इस में इख्तियार है कि बाद में पढ़े या पहले। और बेहतर है कि पहले 2 सुन्नत पढ़े और 4 रक़अत जो छूट गयी वो बाद में।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب
सवाल : 53
अगर किसी शख्स ने ज़िना किया हो और बाद में उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो, हज़रत इस हालत में वो ऐसा क्या करे जो उस का गुनाह बख्श दिया जाये?

जवाब : 53

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ज़िना गुनाहे कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और ये गुनाह सच्ची तौबा से ही माफ़ होगा। यानी इस हरकते खबीसा वा फ़ेले इब्लीस पर दिल से तौबा करे और आइन्दा ना करने का सच्चा वादा। नेकियों की कसरत करे, इस हरकत के लिये फिल वक़्त कोई कफ्फ़ारा नहीं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 54

अगर कि भंगी के जानवर का नाम लेता है तो क्या उस की ज़ुबान 40 दिन तक नापाक हो जाती है?

जवाब : 54

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सुअर का नाम लेने से ज़ुबान 40 दिन तक नापाक रहती है ये बात फिज़ूल व बातिल है। मगर किसी को बिला वजह गाली के तौर पर सुअर कहना हराम है। और अगर जब इस का नाम लेना जाइज़ तो है मगर इसका मतलब ये नहीं कि बिला वजह नाम की माला जपे और जो बात मशहूर हो गयी जो सवाल में दर्ज है शायद इसीलिये हो कि ताकि लोग इस डर से बिला वजह किसी को ये ना कहें। और जहाँ क़ुरआन में सुअर का नाम आया है वो आयत बतौरे इबादत पढ़ेगा तो सवाब भी पायेगा।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 55

एक आलिम साहब से मैने सुना कि जब क़ियामत आयेगी तो रूह, जन्नत, दोज़ख सारी चीज़ फ़ना हो जायेंगी। क्या उन की बात दुरुस्त है?

जवाब : 55

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

रूह का फ़ना हो जाना कोई फुरूई मसाइल में नहीं कि जो वक़्त के साथ बदल गया हो। ये अक़ाइद में से है कि रूह फ़ना नहीं और सहीह वही है जो पहले सवाल 47 में बयान कर दिया गया। और साहिबे बहारे शरीअ़त की तहक़ीक़ के आगे किसी की बात क़ाबिले क़ुबूल नहीं, खुसूसन अक़ाइद में। चाहिये कि आलिम साहब को बहारे शरीअ़त का मसअला दिखाया जाये हो सकता है उन्हें सहव हुआ हो और लफ्ज़ फ़ना होना की तफ़सीर क़वी है।

और ये भी हो सकता है वो कुछ और कहना चाहते हैं और आपके समझ में कुछ और आया हो।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 56

हज़रत एक सवाल है, अगर मेरी फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़ुहर की पढ़ लूँ तो हो जायेगी क़ज़ा ना पढ़ूँ तो?

जवाब : 56

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 57

चैन की घड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ने से क्या नमाज़ नहीं होती है? प्लीज़ रिफ्रेंस दीजिये।

जवाब : 57

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता इस से बचना बेहतर है। क्योंकि इसमें उलमा -ए- अहले सुन्नत का इख्तिलाफ़ है। और इख्तिलाफ़ी मसाइल से बचना मुस्तहब है। बेहतर यही है कि दौराने नमाज़ इसे उतार दिया जाये।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 58

हम नमाज़ पढ़ रहे हों और हमारे आगे से कोई निकल जाये तो ऐसे में नमाज़ होगी या हमें निय्यत दोबारा बाँधना पड़ेगी? भाई इस का आन्सर दो प्लीज़।

जवाब : 58

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सवाल का जवाब देते हुये, मेरे आक़ा आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फरमाते हैं, नमाज़ में कोई खलल नहीं आता। निकलने वाला गुनाहगार होता है।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, पेज 255)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल :59
हमारा सवाल है, क्या हैज़ वाली औरत मस्जिद जा सकती है?

जवाब : 59

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नहीं जा सकती, क्योंकि नापाकी की हालत में मस्जिद में जाना मर्द और औरत दोनों को हराम है।

सदरुश्शरिया, हज़रते अ़ल्लामा, मौलाना, मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी अलैहिर्रहमा, बहारे शरीअ़त में मस्जिद के आदाब बयान करते हुये फरमाते हैं कि :
हैज़ वा निफ़ास वाली औरत को मस्जिद की छत पर (भी) जाना हराम है क्योंकि वो भी मस्जिद ही के हुक्म में है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 645)

जिस के बदन पर नजासत (गन्दगी) लगी हो उसे मस्जिद में जाना मना है।
(दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, पेज 517)

बच्चा और पागल को जिन से गन्दगी का खतर हो, मस्जिद लाना हराम है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 645)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 60
हमें ये इरशाद फरमायें कि क्या मंग्नी हो जाने के बाद, लड़की अपने होने वाले शौहर से कॉल पर बात कर सकती है? एक इमाम साहब कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती, गुनाह है हराम है। क्या सच में गुनाह है?

जवाब : 60

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इमाम साहिब ने सही फ़रमाया, मगर मेरी इसमें तहक़ीक़ यही है कि इस में एक सूरत ही मुबाह हो सकती है कि अगर शौहर आलिमे दीन या क़ाज़ी -ए- इस्लाम या मुफ्ती -ए-

इस्लाम है और उनके पास और भी औरतें फोन वग़ैरह करती हैं और फोन पर कोई मसअला पता करती हैं तो फिर इस का क्या जुर्म (जबकि वहाँ कोई आलिम ना हो)।

बस इतनी इजाज़त है, बतौरे साइले दीन का मसअला हो जैसे कि आजकल प्रोग्राम में भी मुफ्तियाने किराम को औरतें कॉल करती हैं और मसअला पता करती हैं जबकि वो भी ग़ैर होती हैं। इसी तरह ये भी बस दीन की रहनुमाई ले सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं, जैसा कि आला हज़रत ने एक मक़ाम पर फ़रमाया कि जब बीवी के जनाज़े को दूसरे मर्द कांधा दे सकते हैं तो ये भी शौहर को कांधा देने में क्या हर्ज़। (और ये भी हुक्म बस उलमा, मुफ्ती वग़ैरह के लिये है, आम लोगों को तो इसकी भी इजाज़त नहीं।) और आज कल उर्फे आम पर है इसीलिये इमाम साहब ने सही कहा।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 61

सैय्यद साहब मुझे एक बात पता करनी है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मै जल्दी में ऑफ़िस आ जाता हूँ, और आकर पता चलता है कि मै नहाना भूल गया और मै नापाक हूँ तो क्या करा जाये यानी मेरी ज़ुहर अस्र का क्या होगा? और मेरे ऑफ़िस में मेरा दोस्त है वो वैसे तो वहाबी है मगर दीन का इल्म रखता है। उसने कहा कोई नहीं अब ये मजबूरी है घर जा कर क़ज़ा पढ़ लेना। कुछ आप बतायें, हर बार की तरह कोई राय दें मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा।

जवाब : 61

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पहले तो ये अ़र्ज़ भी करता चलूँ ताकि इस मुआमले में ज़िन्दगी भर के लिये आपकी इस्लाह हो जाये कि लफ्ज़ "सय्यिद" में "या" के नीचे ज़ेर होता है, ना कि "या" के ऊपर ज़बर, तो लुगत के मुताबिक़ "सय्यिद" होगा ना कि "सैय्यद"।

आप पर नमाज़ फर्ज़ है क़ज़ा नहीं की जायेगी आपको चाहिये कि ऑफिस से छुट्टी लेकर घर जायें, अगर ये मुम्किन नहीं तो ज़ुहर का वक़्त बहुत तवील होता है, आप अपने कुछ टाईम में खाना छोड़ कर क़रीब किसी मस्जिद में जायें कि हर मस्जिद में अक्सर गुस्ल का इन्तिज़ाम होता है वहाँ गुस्ल करें और नमाज़ अदा करें। और अगर कोई अन्दर का कपड़ा भी नापाक है तो उसे धो कर फिर पहना जा सकता है, आपने जो सूरत बयान की तर्के नमाज़ पर उज़्र नहीं।

अब रहा वहाबी का जवाब तो वहाबी नमाज़ की क़द्र नहीं जानता। कभी तरावीह 20 से कम करके 8 तो कभी वित्र 3 से 1,और वहाबी से मसअला पूछना हराम है चाहे वो सही बताये और शरीअ़त का यही हुक्म है। फिर ये कहे कि उसे दीन का इल्म है और हम सही बात कहीं से भी सुन लेते हैं, ऐसे लोग भी जाहिल हैं। क्योंकि इल्म तो वहाबी के रिश्तेदार इब्लीस के पास भी है और क़ुरआन में इसकी बात सुनने और पैरवी को मना किया गया। तो ये दलील नहीं होती कि किसी बद-मज़हब को इल्म हो तो उस से दीन की रहनुमाई ली जायेगी। और कुछ लोग इस पर एक हदीस को डाल देते हैं कि एक सहाबा को आयतुल कुर्सी की फज़ीलत शैतान ने बतायी तो हुज़ूर ने कहा कि शैतान ने सही कहा इसीलिये सही बात वहाबी से भी सुन सकते हैं, ऐसे लोग भी जाहिल हैं।

मदनी मशवरा :

आपने अपने सवाल में कहा कि जो वहाबी आपका दोस्त है अगर वो सच में वहाबी है तो आपका दोस्त नहीं होना चाहिये और अगर वो आपका दोस्त है तो वहाबी कैसे हो सकता है सुन्नी क्यों नहीं। ये गौर करने का मक़ाम है, आला हज़रत फरमाते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिये।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 62

हज़रत ये शेर हमारे पास किसी ने भेजा है शायद फ़ारसी है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है ये? इसे आप फ़ारसी से उर्दू में कर दो मेहरबानी होगी।

ہزار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

जवाब : 62

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इसका खुलासा कुछ इस तरह है कि हज़ार बार भी अगर अपने मुँह को मुश्क़ और गुलाब जल से धोऊँ तो भी, आप हुज़ूर ﷺ का मुबारक और पाक नाम लेना मेरे लिये बे-अदबी है। (और अल्लाह बेहतर जानने वाला है, क्या हक़ है।)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 63

जनाब वारसी साहब आप को बार-बार मेल करके तंग करने के लिये शर्मिन्दा हूँ। मगर एक वहाबी ने आला हज़रत के एक शेर पर एतराज़ किया और उस में गुस्ताखी साबित की और सुन कर तो मुझे भी अजीब लगा कि ये शेर आला हज़रत का कैसे हो सकता है मगर देखा तो उन्हीं का था। हमारे दिल में तो शैतान वसवसे डालता है कुछ वसवसे की काट तो आप ज़रूर करेंगे। ये वो शेर है:

कसरते बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद
इज़्ज़ते बादे ज़िल्लत पे लाखों सलाम।

वो बाद वाली लाईन का मतलब बताता है, नबी की वो इज़्ज़त जो ज़िल्लतों के बाद मिली उस पे सलाम यानी आला हज़रत ने माना कि नबी को पहले ज़िल्लत मिली बाद में इज़्ज़त, खुदा हाफ़िज़।

म'आज़ अल्लाह!

जवाब : 63

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

दरअ़स्ल आला हज़रत की शायरी को वहाबी समझ जायें तो वो वहाबी ना रहें और ये शेर बल्कि हर शेर आला हज़रत की एक करामत है। ये शेर दो माइनों में इस्तिमाल है। एक तो नात और एक मन्क़बत, हम इसे नात के बहर में अर्ज़ करके नातिया मतलब अ़र्ज़ करते हैं, हक़ीक़त में वहाबी को लफ्ज़ इज़्ज़ते बादे ज़िल्लत समझ नहीं आया, वो बा के ऊपर ज़बर के साथ उसे बद समझा और वो बा के ऊपर पेश है यानी लफ्ज़ बोद है। जिसका मतलब होता है दूर और इंग्लिश में Far, अब जब वो बद है ही नहीं तो शेर इस तरह है "इज़्ज़त बोद -ए- ज़िल्लत", ना कि "इज़्ज़त बाद -ए- ज़िल्लत" यानी वो इज़्ज़त जो ज़िल्लत से दूर है उस पे सलाम। यानी आला हज़रत तो शान बढ़ा रहे हैं कि वो इज़्ज़त जिस के पास कभी ज़िल्लत नहीं आयी जो ज़िल्लत से दूर है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 64

आलमे बरज़ख क्या है?

जवाब : 64

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरआने मजीद, पारह 18, सूरह मु'अ़मिनून आयत 100 में है :

"और उनके आगे एक आड़ है।" इस आयत की तफ़सीर में खज़ाइनल इरफान में है कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि बरज़ख वक़्ते मौत से वक़्ते बअ़स तक की मुद्दत है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 98 पर है कि :
दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है, जिसे आलमे बरज़ख कहते हैं।
واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 65
ये जो दावते इस्लामी वाले औरतों की तरह चादर ओढ़ लेते हैं गुनाह है। हदीस में हुज़ूर ने मर्द को औरत वाला लिबास पहनने से मना किया। मगर ये तो जाहिल है इन्हें कुछ नहीं आता जाता औरत से मुशाबिहत करके समझते हैं दीन का काम है। हज़रत ये मैं नहीं कहता, ऐसा कहना है
हमारे एक इमाम साहब का। क्या ये सही है? सर पर चादर ओढ़ना गुनाह और मना है?

जवाब : 65
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सर पर चादर ओढ़ना सुन्नत से साबित है। नमाज़ में भी और बाज़ अवक़ात ग़ैरे नमाज़ में भी। अब जो किसी सुन्नत को अपनी जहालत की बिना पर गुनाह कहे तो उसका ज़ाती हसद ही होगा कि चाहिये था किसी मुफ्ती से तहक़ीक़ करते। ये हदीस अबू नईम ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत की है कि फरमाते हैं हुज़ूर ﷺ : - لایجعلون عمائمھم تحت ردائھم یعنی فی الصلوٰۃ
तर्जुमा : अल्लाह अ़ज़्ज़वजल उस क़ौम की तरफ़ रहमत की नज़र नहीं करता जो नमाज़ में अपने इमामे अपनी चादर के नीचे नहीं करते,
और इस हदीस को इमामे अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 300 पर भी नक़्ल किया है।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 375 पर है :
चादर सर से ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना सुन्नत है।
और यही फ़तावा अमजदिया में है जो कि आला हज़रत के खलीफ़ा हैं।

नमाज़ के अलावा भी सर से चादर में कोई हर्ज नहीं बल्कि बुखारी शरीफ़ की शरह फ़त्हुल बारी में फ़रमाया अक्सर अवक़ात सर से ओढ़ना सुन्नते मुबारका है। मुस्नद अहमद में एक हदीस नक़्ल है, कि एक रोज़ हुज़ूर ﷺ सरे अक़दस पर चादर ओढ़े हुये हमारे पास तशरीफ लाये और जब हज़रते अबू हुरैरा ने हुज़ूर ﷺ से फ़रमाया कि मै आप की हदीस भूल जाता हूँ तो हुज़ूर ﷺ ने क्या फ़रमाया कि "अपनी चादर लाओ" क्या अबू हुरैरा घर से चादर

लाये? अगर नहीं तो मालूम हुआ कि चादर सहाबा भी इस्तिमाल करते थे। मर्द को चादर ओढ़ने पर दलाइल और भी हैं मगर इस पर बस किया जाता है ये काफ़ी है। अगर वो मुबल्लिग जो सुन्नत पर अ़मल करे तो जाहिल है फिर वो हदीस का क्या हुक्म है? और आला हज़रत पर उन मौलाना साहब का क्या हुक्म है और ये भी फ़रमायें कि सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी और मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी वग़ैरह क्या ये हस्तियाँ भी उनके नज़दीक जाहिल हैं।
(अल्लाह की पनाह)

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 66
अगर किसी शख्स के कपडों पर नापाकी लग कर सूख गई और कोई निशान भी बाक़ी ना रहा हो तो क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े दोबारा पहने जा सकते हैं? और वो नापाकी नाली की है और 1 दिरहम से ज़्यादा है।

जवाब : 66

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ पहन तो सकता है, जबकि वाक़ई अब कोई निशान बाकी ना हो। मगर बेहतर यही है जिस हिस्से पर वो नापाकी थी उस हिस्से को धो लिया जाये।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 400 पर है कि :
"मनी कपड़े में लग कर खुश्क़ हो गयी तो केवल मल कर झाड़ने और साफ करने से कपड़ा पाक हो जायेगा। और गुस्ल के बाद नापाक कपड़े पहनने से कोई शख्स नापाक नहीं होता। और अगर कपड़े की नजासत जिस्म पर लग भी जाये तो बस जिस्म का वही हिस्सा धोना काफ़ी है फिर गुस्ल ज़रूरी नहीं होता।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 67
बाज़ लोग तिलावते क़ुरआन करते हैं खास कर रमज़ान में बिना ही आवाज़ के और इसी तरह क़ुरआन ख्वानी में बच्चे यानी चुपचाप उँगली चलाते रहते हैं और यही हाल घरों में औरतों का होता है तो इस तरह क़ुरआन बे-आवाज़ पढ़ा हुआ है या नहीं और इसे ईसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं?

जवाब : 67

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बगैर आवाज़ महज़ दिल में क़ुरआन पढ़ने या सिर्फ देखने से पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ देखने का ही मिलेगा और उसे छूने का (अगर उंगली रख कर पढ़ा।)

واللہ و رسولہ اعلم، عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

सवाल : 68
सुना है कि बेल्ट बाँध कर चाहे वो चमड़े की हो या गैर चमड़े की, नमाज़ नहीं होती क्या ये दुरुस्त है? हवाला भी इनायत फरमायें।

जवाब : 68

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ग़लत है। बेल्ट में नमाज़ हो जायेगी जबकि उस पर कोई जानदार की तस्वीर ना हो और अगर किसी ने इसीलिये ऐसा कहा कि बेल्ट में कुछ लोहा स्टील वग़ैरह होता है तो उस का हुक्म ये है कि वो बेल्ट के ताबे है। जिस तरह पट्टे वाली घड़ी में भी तो सुई और अन्दर की मशीन और ढक्कन भी धात का होता है मगर वो भी पट्टे यानी घड़ी के ताबे है तो क्या पट्टे वाली घड़ी को आज तक किसी ने मना किया? और अगर किसी ने चमड़ा समझ कर कहा कि चमड़े से नमाज़ नहीं होती तो हदीस में फ़रमाया कि (मफ़हूम) जब चमड़ा उबाल लिया जाये तो पाक है, और चमड़े के मौज़े भी तो पहने जाते हैं और उस पर मसह भी है। बस ये काफ़ी है कि कोई दलील इसे पहनने से नहीं रोक रही। और जिस चीज़ को शरीअ़त मना ना करे वो फ़ी नफ्सिही जाइज़ होती है।
और जो किसी को नाजाइज़ कहे शरीअ़त के क़ाइदे के मुताबिक़ दलील देना उसके ज़िम्मे है।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 69
क़ुरआन में लफ्ज़ अल्लाह की हिज्ज करते वक़्त अलिफ़ बोला जायेगा या हम्ज़ा से अल्लाह।

जवाब : 69

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ये बात लोगों में आम है और आवाम इस से वाक़िफ़ भी शायद नहीं होती कि क़ुरआन वग़ैरह में अलिफ़ से अल्लाह होता है या हम्ज़ाह से और मेरा ज़न्ने गालिब है कि लोग यही

समझते होंगे कि अलिफ़ से अल्लाह होता है, जबकि अ़रबी में जिस अलिफ़ पर ज़बर, ज़ेर, पेश वग़ैरह हो उसे अलिफ़ नहीं हम्ज़ाह कहते हैं। ये जो अलिफ़ से अल्लाह बोला और पढ़ाया जाता है ये उर्दू ज़ुबान में होता है और क्योंकि क़ुरआन अ़रबी में है तो अ़रबी में हम्ज़ाह से अल्लाह होता है यानी हिज्जे इस तरह पढ़ी जायेगी :
हम्ज़ाह + लाम ज़बर = अल

तज्वीद के क़ाइदे के हिसाब से अलिफ़ उसे कहा जाता है जिस पर हरकात (ज़ेर, ज़बर वग़ैरह) नहीं होती और जिस अलिफ़ पर हरकत हो चाहे एक या दो तो उसे हम्ज़ाह कहते हैं।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 70

मेरा सवाल है कि अगर कोई आक़ा नबी -ए- करीम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उस की क्या सज़ा होगी और और उसे सज़ा का फैसला कौन सुना सकता है?

जवाब : 70

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गुस्ताखे रसूल बेशक काफ़िर है। और उस की सज़ा सिवाये मौत के कुछ नहीं। उस से तौबा करवायी जायेगी और बाद तौबा के उसे मौत की सज़ा दी जायेगी। तौबा के बाद भी मौत इसलिये कि तौबा का ये फ़ाइदा होगा कि इस से उसकी नमाज़े जनाज़ा हो सकती है। और अगर तौबा ना करे तो भी मौत की सज़ा है मगर अब नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ी जायेगी और ये काम हुकूमते इस्लामिया का है। बादशाहे इस्लाम सज़ा देने पर क़ादिर होगा। और फ़ी ज़माना हुकूमत इस्लाम की नहीं तो हुक्म ये है कि ऐसे शख्स को क़ानून के हवाले किया जाये। आवाम को क़ानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 71

क्या मिट्टी का तेल नापाक है या सिर्फ उस की बू यानी खुशबू नापाक है?

जवाब : 71

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मेरे ख्याल में तो ना मिट्टी का तेल नापाक है ना उसकी बू नापाक, बस इसमें तेज़ महक होती है जिसकी वजह से फुक़हा ने इसे मस्जिद में ले जाने से मना किया।

जैसा कि फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, पेज 102 में है :
मिट्टी के तेल में सख्त बदबू है और मस्जिद में बदबू ले जाना किसी तरह जाइज़ नहीं।
ये हुक्म उसकी तेज खुशबू को ले कर है मुत्लक़न मिट्टी के तेल पर नहीं और अगर मिट्टी के तेल से उसकी महक जा चुकी यानी उड़ चुकी तो मस्जिद में ले जाने में भी हर्ज नहीं।

जैसा कि खुद आला हज़रत इसी जिल्द 8 में पेज 103 पर फ़रमाते हैं :
मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना हराम है, मगर जबकि उसकी बू बिल्कुल दूर कर दी जाये। (यानी बू ना हो तो जाइज़) और अगर मिट्टी का तेल नापाक होता तो खुशबू खत्म होने के बाद भी मस्जिद में ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बस यही ज़ाहिर हो रहा है कि मिट्टी का तेल नापाक नहीं है जब तक उसमें कोई नापाकी ना मिल जाये।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 72
हज़रत एक सवाल है कि सलातुत-तस्बीह की नमाज़ में क्या क्या पढ़ा जाता है?

जवाब : 72

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सलातुत तस्बीह की नमाज़ में 300 मर्तबा तीसरा कलिमा का हिस्सा पढ़ा जाता है, जो आप को किसी भी नमाज़ की किताब में मिल सकता है। बाक़ी नमाज़, नमाज़े नफ्ल ही की तरह होगी। पढ़ने का तरीक़ा ये है कि नमाज़ की निय्यत करे फिर सना पढ़े उसके बाद 15 बार तस्बीह (वही तीसरे कलिमे वाली) फिर तअव्वुज़ तस्मिया (अऊज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह) सूरह फ़ातिहा और सूरत और 10 बार तस्बीह। फिर रुकूअ़ और 3 बार रुकूअ़ की तस्बीह पढ़े उसके बाद फिर 10 बार तस्बीह। फिर रुकूअ़ से सर उठा कर क़ौमा की 1 तस्बीह और फिर 10 बार वही तस्बीह। फिर सजदा और 3 बार सजदे की तस्बीह और फिर 10 बार वही तीसरे कलिमे की तस्बीह फिर सजदे से सर उठा कर जलसे में बैठ कर 10 बार तस्बीह। फिर दूसरे सजदे में जाये और 3 बार सजदे की तस्बीह और 10 बार फिर तस्बीह।

बस ये याद रखे कि क़ियाम की हालत में सूरह फ़ातिहा से पहले 15 बार तस्बीह है और बाद में 10 और हर जगह 10-10 इस तरह एक रक़अत में 75 तस्बीह होगी और 4 में 300।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 73
खुशूअ़ खुज़ूअ़ क्या होता है और नमाज़ में खुशूअ़ खुज़ूअ़ कैसे हासिल हो?

जवाब : 73

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ये दिल की कैफियत का एक नाम है और फ़ी रोज़ुल लुगत सफ़हा 591-592 पर है:
खुशूअ़ : आजिज़ी, गिड़गिड़ाना।
खुज़ूअ़ : आजिज़ी, गिड़गिड़ाना।

नमाज़ में इस तरह हासिल किया जाये कि बन्दा जब नमाज़ को खड़ा हो तो बस ये समझ ले कि ये उसकी ज़िन्दगी की आखिरी नमाज़ है फिर उसे कोई मौक़ा नहीं मिलना। इसी नमाज़ को जितना अच्छा और बेहतर दिल लगा कर पढ़ लूँ तो अच्छा है। क्योंकि आज कल दिल में खयालात इतने आते हैं कि ये तसव्वुर नहीं जम पाता कि अल्लाह देख रहा है और ना ये कि हम अल्लाह को देख रहे हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 74
मन्सूर बिन हल्लाज सूफी कौन था? क्या ये वही है जिस ने अपने आप को अना ला हक़ कहा था? इमाम यूसुफ ने क़त्ल का हुक्म दिया था। क़त्ल होने के बाद इस के खून का कतरा कतरा अनल हक़ कहता था। वज़ाहत फरमायें, तफ़सील बख्श जवाब अता करें।

जवाब : 74

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हज़रत सय्यिदी हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज जिन को आवाम मन्सूर कहते हैं। मन्सूर उनके वालिद का नाम था और उनका इस्म हुसैन। ये अकाबिर अहले हाल से थे और अल्लाह के वली थे। मुख्तसर बयान किया जाता है कि जब आपकी बहन ने वो प्याला जो आसमान से उतरा था पिया तो आपने भी पीने की फ़रमाइश की तो आपकी बहन ने कुछ आपके लिये बचा दिया। जब आपने वो पिया तो आपको हर तरफ़ से ये आवाज़ सुनाई देने लगी कि "कौन इसका ज़्यादा हक़दार है कि हमारी राह में क़त्ल किया जाये" उन्होने कहा अना लाहक़ (انا لاحق) बेशक़ में सबसे ज़्यादा इसका सज़ावार हूँ और लोगों के सुनने में आया, उन्होंने "انا الحق" कहा जिसका मतलब होता है, "मै खुदा हूँ" वो दावा -ए- खुदाई समझ कर कुफ्र समझे और क़त्ल की सज़ा दी।

और ये भी याद रखना चाहिये कि बाज़ वक़्त वली अपनी अलग कैफियत में होता है अगर किसी हालत में उस से कुफ्र भी निकल जाये तो कुफ्र का हुक्म नहीं होता क्योंकि उस

वक़्त वो शरीअ़त के मुकल्लफ़ नहीं होता। हुसैन बिन मन्सूर काफ़िर नहीं थे। मुसलमान वलीयुल्लाह हैं खुद देवबंद के मुफ्ती ने फ़तावा रशीदिया 187 पर लिखा है कि मन्सूर माज़ूर थे, बेहोश हो गये थे, उन पर कुफ्र का फ़तवा नहीं। क़त्ल के बाद खून का क़तरा क़तरा अना लाहक़ कहता था ये मुझे याद नहीं।
बल्कि फ़तावा उत्तराखण्ड पेज 53 पर है उन्हें सूली चढ़ा दिया गया।
अगर यही हक़ है तो सूली पर चढ़ाने से खून नहीं बहता,

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 75
हमें किसी ने बताया कि माथे पर कश्फ़ा यानी टीका जिसे तिलक भी कहते हैं, ये लगाना कुफ्र है? और वो कहते हैं कि ये आला हज़रत ने लिखा है। और बहुत मुसलमान शादी में दुल्हन को लगाते हैं मगर हमने इमाम साहब से हवाला पूछा तो कहते हैं बस आला हज़रत ने लिखा है शायद फ़तावा रज़विय्या में हो, हमें जिल्द पेज याद नहीं। जनाब से अ़र्ज़ है कि मदद करें कि ये मसअला कहाँ है और किस जिल्द में, किस पेज में ये कुफ्र लिखा है? अल्लाह इस का ईनाम देगा। और मुझे आपके सिवा जल्दी कोई नज़र नहीं आता जो इतनी आसानी से इसे तलाश ले।

जवाब : 75

بسم الله الرحمٰن الرحیم
आपने जिसे कश्फ़ा लिखा है वो दर हक़ीक़त "क़श्क़ा" है, जी हाँ! इमाम साहब ने सही फ़रमाया। आला हज़रत ने इसे फ़तावा रज़विय्या में क़रीब 15 से ज़ाइद मुक़ाम पर ज़िक्र किया, और अ़लामाते कुफ्फ़ार की बिना पर कुफ्र लिखा।
जैसा कि, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, पेज 394 पर लिखा :
"क़श्क़ा शियारे कुफ्र मनाफ़ी इस्लाम है।"

फ़तावा रज़विया, जिल्द 12, पेज 296 पर है :
माथे पर क़श्क़ा (टीका/तिलक) लगाना खास शियारे कुफ्र है और अपने लिये जो शियारे कुफ्र पर राज़ी हो उस पर कुफ्र लाज़िम है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 76
हुज़ूर क्या ये सहीह हदीस है कि जिस मुल्क में पैदा हुये उस मुल्क से मुहब्बत रखना क्या ईमान का हिस्सा है? रिफ्रेंस अ़ता फ़रमा दीजिये हुज़ूर।

जवाब : 76

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस बारे में जो हदीस बयान की जाती है वो इस तरह है :

حب الوطن من الایمان

"यानी वतन की मुहब्बत ईमान का हिस्सा है।" ये हदीस से साबित नहीं है। बल्कि इमाम शम्सुद्दीन सखवी मक़ासिदे हुस्ना और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई ने अल दुर्रुल मुंतशिरा में बिल इत्तिफ़ाक़ इस रिवायत को फ़रमाया : - لم اقف عکیہ
(यानी, मैं इस से आगाह नहीं हो सकता)

अल्लाह ने क़ुरआने पाक मेंअपने उन बन्दों की तारीफ़ की है जो अल्लाह व रसूल की मुहब्बत में अपना वतन छोड़ दें, और उन लोगों की सख्त मज़म्मत फ़रमायी जो वतन की मुहब्बत लिये बैठे रहे और अल्लाह और रसूल की तरफ़ मुहाजिर ना हुये।

जैसा कि सूरह निसा आयत 100 में है :
और जो अल्लाह की राह में घर छोड़ कर निकलेगा वो ज़मीन में बहुत जगह और गुंजाइश पायेगा और जो अपने घर से निकला अल्लाह व रसूल की तरफ़ हिजरत करता, फिर उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर होगा।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 15, पेज 298 पर है :
जो मदीना तैय्यबा की हाज़िरी पर वतन की मुहब्बत को एहमियत दे, ज़ालिमों की तरह है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 77
अगर किसी खातून के शौहर का इन्तिक़ाल हो गया हो और उस के बच्चे इस्लाम से बालिग हों मगर दुनियावी तौर पर नहीं और वो पढ़ रहे हों और उस खातून का कोई ज़रिया ना हो पैसे का तो उस पे फिक्स डिपोजिट और बैंक का इंटरेस्ट लेना हराम होगा या जाइज़?

जवाब : 77

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जाइज़ होगा और खास इस औरत के लिये ही नहीं बल्कि हिन्द के बैंक से जो एक्सट्रा रक़म मिलती है वो जाइज़ है, वो सूद नहीं है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 78

अगर हिन्दुस्तानी बैंक में 1 लाख जमा करने पर बैंक 5 या 10 साल में 1 लाख का 2 लाख दे यानी दोगुना या अ़सल रक़म से ज़्यादा पैसा देने का वादा करे तो ये पैसा कैसा है?

जवाब : 78

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 79

फ़ातिहा का सही तरीक़ा इरशाद फरमायें।

जवाब : 79

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फ़ातिहा अस्ल में ईसाले सवाब है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ़ पढ़ कर जो क़ुरआन पढ़ना चाहो पढ़ कर ईसाल कर दो। इसके बहुत से तरीक़े हैं जो बुज़ुर्गों से साबित हैं और मशहूर यही है कि कोई भी आयत, फ़िर 1 सूरह काफिरून, 3 सूरह इख्लास, 1-1 सूरह फलक़ और नास, 1 सूरह फ़ातिहा, फिर सूरह बक़रा की कुछ आयतें (अलिफ़ लाम मीम से) और बाज़ लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, सब जाइज़ है, जो पढ़ो और मै तो सूरह इख्लास 12 बार पढ़ता हूँ। इस से 4 क़ुरआन का सवाब मिलता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 80

हज़रत एक बात में मेरी इस्लाह करें कि कुछ जगह मुसलमानों को इंग्लिश में मोमडन कहा जाता है इसका क्या मतलब है? क्या मुसलमान को मोमडन कहना ठीक है या फिर किसी फॉर्म वग़ैरह पर लिखना?

जवाब : 80

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जहाँ तक मेरी नाक़िस तहक़ीक़ है कि यहूदियों ने ये नाम निकाला है। वो हुज़ूर मुहम्मद ﷺ को मानने वालों को मोमडन कहते हैं। यानी ये नबी का म'आज़ अल्लाह बिगड़ा हुआ नाम है। मतलब जो मुहम्मद को मानता हो उसे वो बजाये मुहम्मदी के मोमडन (अपनी ज़ुबान) में कहते हैं फिर यही आम हो गया। मुसलमानों को चाहिये कि जहाँ भी लिखें या बोलें, मुसलमान बोलें। मोमडन कुछ नहीं होता, हक़ीक़त में तो मुहम्मदी होना चाहिये था। अब इंग्लिश हो या चाइनीज, मुसलमान तो मुसलमान ही रहेगा। मगर अफसोस आज के कुछ पढ़े लिखे जाहिल नौजवानों का ये हाल कर रखा है कि इंग्लिश बोलते वक़्त वो खुद लफ्ज़ मोमडन यूज़ करते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 81

अगर किसी ने मुहम्मद ﷺ की क़सम खाकर तोड़ी तो क्या कफ्फ़ारा है?

जवाब : 81

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़सम खाना जाइज़ है और जहाँ तक हो बचना बेहतर है। खुदा के अलावा किसी की क़सम, क़सम नहीं होती। जैसे कि, बहारे शरीअ़त में है :

खुदा के अलावा किसी की क़सम खाना मकरूह है और ये क़सम होती भी नहीं। यानी इसे तोड़ने से कफ्फ़ारा लाज़िम नहीं।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 2, पेज 298)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 82

हमारे इलाक़े में तरावीह के दौरान एक शख्स ने इमाम साहब को लुक़मा दिया बाद तरावीह लोगों ने एतराज़ किया और कहा कि सिर्फ हाफ़िज़ ही हाफ़िज़ को लुक़मा दे सकता है जो हाफ़िज़ नहीं वो लुक़मा नहीं दे सकता। बतायें क्या सही है क्या गलत?

जवाब : 82

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जहालत को दफ़ा करता है जो ये फ़तवा वही है

इस बयान में कि गैरे हाफ़िज़ का हाफ़िज़ को लुक़मा देना सही है।

लुक़मा देने वाले का हाफ़िज़ होना शर्त नहीं अगर गलती पर खबरदार है तो लुक़मा दे सकता है और क़ौम का ये कहना कि हाफ़िज़ को हाफ़िज़ ही लुक़मा दे सकता है निरी जहालत का सबूत है।

और खुद हुज़ूर ﷺ को बाज़ मौक़े पर सहाबा ने लुक़मा दिया तो अब उन लोगों से ये पूछो कि नबी को गैरे नबी लुक़मा दे सकता है मगर हाफ़िज़ को गैरे हाफ़िज़ नहीं। क्या ये हाफ़िज़ नबी से भी ज़्यादा मर्तबे का था जो इसकी शान घट गयी? हाफ़िज़ तो हाफ़िज़ खिलाफे शरअ काम पर, मुफ्ती की इस्लाह बच्चा भी कर सकता है।

मगर पूछी गयी सूरत में जिस मुक़्तदी ने इमाम की गलती बतायी बाद तरावीह वो सच में गलती थी तो ये मामला खुद इमाम को क़ौम को समझाना चाहिये था कि ये मेरी गलती थी और इन्होंने सही किया। मगर हाल ये है कि आज इमाम खुद अपनी शान बचाने के लिये चुप रहते हैं और क़ौम फैसला करने लगी उन लोगों को (बल्कि इमाम को भी) शायद ये मालूम नहीं बाज़ सूरतों में लुक़मा देना फ़र्ज़ है, बाज़ में वाजिब और बाज़ में जाइज़। अगर वो गलती इमाम ने ऐसी करी कि लुक़मा देना फ़र्ज़ था तो मुक़्तदी ने ठीक किया। जैसा कि सरकार आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिसे आज़म फरमाते हैं :
इमाम जब ऐसी गलती करे जिस से नमाज़ टूट जाती हो, तो उस का बताना और इस्लाह करना हर मुक़्तदी पर फर्ज़े किफ़ाया है।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, पेज 280)

सुब्हान अल्लाह! इमाम ने मुत्लक़न फ़रमा दिया कि हर मुक़्तदी यानी जो अहल हो। ये ना कहा कि गैर हाफ़िज़ ना बताये फिर आगे सफ़हा 281 पर फरमाते हैं :
अगर गलती ऐसी है जिस से वाजिब तर्क हो कर मकरूमे तहरीमी हो तो उस का बताना हर मुक़्तदी पर वाजिबे किफ़ाया है।
फिर इसी सफ़हा पर फरमाते हैं :
अगर गलती ऐसी हो कि जिस से नमाज़ में फसाद ना हो ना वाजिब तर्क जब भी हर मुक़्तदी को बताने की इजाज़त है।

लो क्या खूब चमकते सूरज की तरह साफ हो गया कि इमाम की इस्लाह हर मुक़्तदी कर सकता है। (क्या ही अच्छी मिसाल)

आम मुक़्तदी (जो गलती पर क़ादिर हो गया हो) इमाम को लुक़मा दे सकता है, हाफ़िज़ होना ज़रूरी नहीं।

बल्कि बाज़ हाफ़िज़ निरे जाहिल होते हैं कि सिवाये क़ुरआन रटने के कुछ मसाइल आते नहीं फिर अपनी शान बचाने के लिये गलत मसाइल बता देते हैं, मैने खुद कई मर्तबा देखे हैं।

उम्मीद है साइल की दिल की खेती को इन हवालों ने हरा-भरा कर दिया होगा जिसका साइल तलबगार था। दलील और भी हैं मगर इसी पर बस किया जाता है। सवाल और भी होते हैं और वक़्त की क़िल्लत है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 83

तहज्जुद का क्या वक़्त है? और फज़ीलत भी इरशाद फरमायें।

जवाब : 83

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

तहज्जुद का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं है। बाद इशा कुछ देर सो जाने के बाद भी पढ़ी जा सकती है। सोये बगैर पढ़े तो तहज्जुद नहीं। और लोगों में जो ये मशहूर है कि 12 के बाद तहज्जुद का वक़्त होता है ये गलत है।

तहज्जुद की रक़अत : कम से कम 2 रक़अत हैं और हुज़ूर علیہ السلام से 8 तक साबित हैं। (बहारे शरीअ़त)

फज़ीलत :

पारा 21, आयत 16-17 में रब का इरशाद है : "इन की करवटें जुदा होती हैं, बिस्तरों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं, उम्मीद करते और हमारे दिये हुये से कुछ खैरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मालूम जो आँख की ठंडक इनके लिये छुपा रखी है, सिला इनके कामों का।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 84

हज़रत एक सवाल है कि अगर औरत ही इमाम बने तो क्या उसके पीछे औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं?

जवाब : 84

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

औरतों की इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं, औरत भी (औरत की) इमाम हो सकती है मगर (औरत की इमामत) मकरूह है और फुक़हा ने औरत की इमामत को मकरूह लिखा है। बेहतर यही है कि अपनी तन्हा नमाज़ पढ़ी जाये क्योंकि इमामत के लिये कुछ और भी खास शर्त जैसे तहारत, क़िरअत वग़ैरह हैं और मौजूदा हालात में, अगर इमाम बनने वाली औरत इस से वाक़िफ़ ना हुई तो सब की नमाज़ फ़ासिद होगी और एक बात कि इमाम फ़ासिक़ ना हो यानी जो इमामत करे वो औरत ऐलानिया गुनाह, बेपर्दगी, नमाज़ें क़ज़ा वग़ैरह ना करती हो और ऐसा देखने में कम ही आता है। तो ऐसी सूरत में ये फ़ासिक़ा होगी और नमाज़ इसके पीछे दुरुस्त नहीं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 85

मुर्दे को क़ब्र में रखने के बाद उस के कफन के बंधखोलने चाहिये या रहने दें, क्या करें?

जवाब : 85

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सिर्फ बन्दिश खोलना, या ना खोलना दोनों इख्तियार है और मशहूर व मारूफ़ सारी (तीनों) बन्दिश खोल देना है। जैसा कि सदरुश्शरिया, बदरुत्तरीक़ा, क़ाज़ी -ए- इस्लाम, फक़ीहे हिन्द, हज़रते अ़ल्लामा, मौलाना, अल हाजी, अल क़ारी, अल मुफ्ती, मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी अ़लैहिर्रहमा अपनी शोहरा -ए- आफाक़ तस्नीफ़ बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 844 पर फरमाते हैं :

क़ब्र में रखने के बाद कफन की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और ना खोलें तो भी हर्ज नहीं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 86

क्या मुर्दे के दफ़नाने के बाद हाथों को झाड़ना मना है?

जवाब : 86

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हाथ झाड़ने (साफ करने) में कोई हर्ज नहीं जबकि ताली की आवाज़ ना आये। कि दुर्रे मुख्तार व फ़तावा शामी में है कि ताली बजाना हराम है और आवाज़ ना आये तो हर्ज नहीं (और गालिबन ये मनाही भी इसीलिये थी कि ताली ना बजे मगर लोग इसे जहालत की तरफ़ ले गये, कि हाथ ही झाड़ना मना समझने लगे) इसका जवाब देते हुये, मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी फरमाते हैं :

हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें इख्तियार है।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, पेज 845)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 87

अगर नमाज़ पढ़ते वक़्त किसी के ऊपर छिपकली गिर जाये या चढ़ जाये तो वो नापाक होगा या नहीं?

जवाब : 87

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

छिपकली किसी नमाज़ी या किसी के ऊपर गिर जाये या चढ़ जाये तो नापाक नहीं करती कि उसका ज़ाहिर नापाक करने वाला नहीं और कोई कब नापाक होता है उसके लिये साइल को चाहिये कि किसी आलिमे दीन से समझ कर क़ानूने शरीअ़त का मुताला किया जाये। पाकी नापाकी के और भी अहकाम मालूम हो जायेंगे।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 88

जिस शख्स के पास सिर्फ 2 तोले सोना और 250 ग्राम चाँदी है तो क्या इस पे ज़कात है?

जवाब : 88

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

(जिस दिन सवाल हुआ उस दिन चाँदी की क़ीमत के मुताबिक़) पूछी गयी सूरत में ये शख्स साहिबे निसाब हो गया और इस पर ज़कात वाजिब है। जबकि साइल वाजिबाते ज़कात की और दूसरी शराइत मस्लन (क़ब्ज़ा, बालिग, 1 साल गुज़रना) से वाक़िफ़ हो और ये पायी जाती हों।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 89
आसमान में जो बिजली चमकती है वो कैसे चमकती है?

जवाब : 89

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अल्लाह अ़ज़्ज़वजल्ला ने बादलों को चलाने के लिये एक फ़िरिश्ता मुक़र्रर फ़रमाया है और इसके हाथ में एक बड़ा कोड़ा (हंटर) है। जब वो कोड़ा बादल को मारता है उसकी तरी से आग झड़ती है जिसका नाम बिजली है।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 27, सफ़हा 93)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 90
नफ्ल नमाज़ बैठ कर पढ़नी चाहिये या खड़े हो कर?
जवाब : 90

بسم الله الرحمٰن الرحیم
नफ्ल नमाज़ बिना मजबूरी भी बैठ कर पढ़ना जाइज़ तो है मगर बैठ कर पढ़ने से खड़े हो कर पढ़ने की निस्बत आधा सवाब मिलेगा। जैसा कि हदीस में फ़रमाया :

बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े हो कर पढ़ने वाले की आधी है।
(मुस्लिम शरीफ़)

हाँ! अगर किसी मजबूरी में बैठ कर पढ़ेगा तो सवाब में कमी ना आयेगी। और ये जो आज-कल नफ्ल बैठकर पढ़ने का रिवाज़ बना रखा है और समझते हैं कि नफ्ल बैठ कर ही पढ़ना चाहिये ये गलत है। खड़े हो कर ही पढ़ना अफ्ज़ल है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 91
आदाब जनाब! क्या मै आपसे एक बात मालूम कर सकती हूँ कि जो वारसी हज़रात होते हैं वो भैंस का गोश्त नहीं खाते वो कहते हैं कि भैंसा वारिसे पाक का मुरीद था। इसीलिये

वो हमारा पीर भाई है और हमें इस का गोश्त हलाल नहीं। जवाब शरीअ़त वाला देना क्योंकि आप भी वारसी हो और ये भी बताना क्या आप भी नहीं खाते या खाते हो?

जवाब : 91

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये लोगों की जहालत है और निहायत गलत बात है।शरीअ़त में इसकी कोई हैसियत नहीं और ये लोग अल्लाह के हलाल को हराम ठहराते हैं। याद रहे पीरी मुरीदी शरीअ़त के दायरे में एक मुबाह फेल है और जानवर शरीअ़त के मुकल्लफ़ नहीं (यानी जानवर पर शरीअ़त लागू नहीं) फिर उसके लिये पीर क्या और मुरीद क्या! हाँ अगर कोई गोश्त पसंद ना करे तो अलग बात मगर ये कहना शरीअ़त पर इफ्तिरा है कि भैंसा मुरीद था बस इतना ज़रूर है कि एक पागल भैंसे ने उन्हें देख कर लोगों को मारना बन्द कर दिया और अदब से सर झुका लिया। अगर इस अदब से उस भैंसे का गोश्त वारसी हज़रात पर हराम हो गया तो उन्हें ऊँट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिये वो तो आला दर्जे हराम होना चाहिये जिसे हम आगे चल कर साबित करेंगे।

मैं कहता हूँ (और अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से) अगर मान भी लिया जाये कि एक भैंसा उनका मुरीद था तो बस उसी भैंसे का गोश्त ना खाओ, क्या वो अभी तक ज़िन्दा है? क्या एक भैंसे के मुरीद होने से पूरे भैंस की बिरादरी मुरीद तो नहीं हुई? ये भी तो मुरीद होने के खिलाफ़ है वरना फिर तो मै मुरीद हो जाऊँ काफ़ी है, और मेरी औलाद दर औलाद क़ियामत तक मुरीद? अगर ऐसा नहीं है सबको अलग से मुरीद होने पड़ता है तो फिर मैंकहता हूँ (उसी रब की तौफ़ीक़ से) उस भैंसे का खानदान अब तक कैसे मुरीद चला आ रहा है? क्या दुनिया के सब भैंसे मुरीद हैं? हरगिज़ नहीं।
और ये वारिस पाक ने कब कहा कि भैंस उनका मुरीद है और उसी सर झुकाने के अदब से उनका मुरीद होना साबित नहीं होता वरना ये लाज़िम आयेगा कि ऊँट का गोश्त भी हराम हो जायेगा। क्योंकि ऊँट ने भी हुज़ूरे पुरनूर आक़ा -ए- दो जहाँ ﷺ के आगे सर झुकाया था। क्या वारिस पाक का मर्तबा हुज़ूर से बड़ा है? वरना ये अक़ीदा किस शरीअ़त से निकाला कि जिस वली की ताज़ीम में जानवर सर झुका दे तो उसका गोश्त उस वली के मानने वालों पर हराम। फिर तो ये भी लाज़िम आयेगा कि बहुत से जानवर ने हुज़ूर की ताज़ीम की तो उम्मते मुहम्मदिया को वो हराम होने चाहिये?

मगर भैंस को हराम कहने वाले ऊँट और दीगर जानवर को खूब खाते हैं। (अल्लाह जिहालत के अन्धेरे से हिफाज़त करे) साबित हुआ कि गोश्त भैंस का हलाल है फिर चाहे क़ादरी खाये, वारसी या फारसी हलाल सबके लिये हलाल है।

याद रखना चाहिये कि भले ही वो लोग गोश्त नहीं खाते मगर वो हलाल ही जानते हैं। ये जिसने भी साइल से कहा कि वो हराम समझते हैं, गलत है। ये उसका ज़ाती फ़ेल है अगर कोई हराम समझे। मगर मुत्लक़न वारसी कहलाने वाले वारिस पाक की मुहब्बत में नहीं खाते और उस में कोई हर्ज भी नहीं मगर वो हराम नहीं कहते। आपको इस बारे में तहक़ीक़ करनी चाहिये।

रह गया मेरा गोश्त खाना तो मै बोटी किसी गोश्त की नहीं खाता चाहे भैंस हो या बक़रा (सिवाये मुर्गा) इसलिये कि मेरे मिजाज़ को गोश्त की बोटी गवारा नहीं करती और अ़स्ल में बोटी सिर्फ मज़े के लिये है क्योंकि उसकी सारी ताक़त शोरबे में आ जाती है। अब उस में कुछ नहीं बचता सिवाये शौक़ के, हाँ गोश्त का तरी या उसमें कोई सब्ज़ी ज़रूर खाता हूँ और बाज़ अवक़ात बोटी भी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 92

नापाक हालत में मैय्यत को मिट्टी दे सकते हैं? और क़ब्रिस्तान में दाखिल हो सकते हैं? जवाब दें हज़रत तो अज्र पायें।

जवाब : 92

بسم الله الرحمٰن الرحيم

नापाकी की हालत में मैय्यत को मिट्टी भी दे सकते हैं और क़ब्रिस्तान में भी दाखिल हो सकते हैं मगर बेहतर यही है कि पाकी हासिल की जाये और इस में कराहत मकरूह की है हराम की नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 93

हज़रत आज कल कुछ लोग प्यारे आक़ा ताजदारे मदीना हुज़ूर ﷺ को मुहम्मद साहब कह कर पुकारते हैं, क्या यह तरीक़ा सही है या गलत? (मुहम्मद साहब कहना) तो हज़रत आप से गुज़ारिश है कि इस का जवाब दे कर हमारी रहनुमाई फरमायें।

जवाब : 93

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जब अल्लाह को भी "अल्लाह साहिब" कहना जाइज़ है तो हुज़ूर علیہ السلام को कैसे नाजाइज़ हो सकता है। और क़ुरआन में हुज़ूर علیہ السلام को भी साहिब कहा गया। अल्लाह त'आला इरशाद फरमाता है : - "तुम्हारे साहिब ना बहके ना बे-राह चले।"
(सूरह नज्म, आयत 02)

और फरमाता है अल्लाह :
"और तुम्हारे साहिब मजनू नहीं"
(सूरह तकवीर, आयत 22)

बस ये साबित हुआ कि हुज़ूर علیہ السلام को मुहम्मद साहिब कहना गुनाह नहीं है। मगर हमारे उर्फ़ में मुसलमान ऐसा नहीं कहते बल्कि काफ़िर ही बोलते हैं वो इसीलिये कि उन्हें पूरा नाम दुरूद के साथ लेने में ज़रूर दुश्वारी होती है और अगर मुसलमान ने ऐसा कहा तो भी तो उसे समझा दिया जाये कि नाम दुरूद के साथ लिया करो मगर ऐसा नहीं कि उसने ऐसा कहकर कोई तौहीन कर दी। बल्कि मैने बाज़ ऐसे मुसलमान भी देखे जिन्हें खुद हुज़ूर علیہ السلام के नाम (कम इल्मी और जहालत की बिना पर) दुरूद के साथ लेना नहीं आता मगर वो हुज़ूर علیہ السلام से मुहब्बत करते हैं, सुन्नी हैं। हदीस में है मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है।

लेकिन इस तरह "मुहम्मद साहिब" कहने से परहेज़ करना चाहिये और कहने वालों को प्यार मुहब्बत से समझाना चाहिये कि अल्लाह क़ुरआने पाक में इरशाद फ़रमाता है :
"रसूल के पुकारने से आपस में ऐसा ना ठहरना जो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारते हो।"
(सूरह नूर, आयत 63)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 94
हवा क्या है? किस चीज़ से बनी है?

जवाब : 94

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हवा अल्लाह की एक पुरानी मख्लूक़ है। पानी से बनायी गयी है और इसके लिये इल्मे इलाही में एक खज़ाना है। जिस पर दरवाज़ा लगा है और वह बंद है जिस पर एक फिरिश्ता है, जितनी हवा उसमें से रब भेजना चाहता है फिरिश्ते को हुक्म देता है और फिरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उतना हिस्सा हवा का रवाना कर देता है।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 27, सफ़हा 100)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 95

लोग आलिम के आने पर नारा लगाते हैं क्या यह तरीक़ा सही है या गलत? हज़रत इसका जवाब फ़रमा दीजिये।

जवाब : 95

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये गलत है और इसकी तफसील जवाब नम्बर 29 में गुज़र चुकी।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 96

क्या हम किसी गैर मज़हब को भीक दे सकते हैं या नहीं और अगर वो अल्लाह के नाम पे माँग रहा है तो?

जवाब : 96

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस दौर के भिकारियों से मेरा भरोसा तो उठ चुका है क्योंकि अब ये उनका पेशा है, मजबूरी नहीं। और जो कमाने पर क़ादिर हो ठीक-ठाक हो तो ऐसे मुसलमान को भी नहीं देना चाहिये काफ़िर तो दूर। और काफ़िर की बिला वजह मदद नहीं करना चाहिये कोशिश करे शरई फक़ीर को ही दें। जो अल्लाह का नाम ले उसे भीक देना ज़रूरी हो जाता है, शरीअ़त में इसके कोई माइने नहीं। कल काफ़िर भिकारी अल्लाह के नाम पर मकान के कागज़ माँग बैठा तो?

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 97

हमारे घर में बच्चे खाना खाने के बाद प्लेट में कुछ सालन छोड़ देते हैं, तो क्या उन्हें गुनाह मिलेगा? इसमें क्या किया जाये?

जवाब : 97

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पहले तो ये बच्चे अगर नाबालिग हैं तो उन पर गुनाह तो नहीं मगर जाइज़ काम का सवाल ज़रूरी है। दूसरी बात ये आपने नहीं बतायी कि खाना बच्चे खुद निकाल कर खाते हैं या आप उन्हें देती हैं। अगर सालन आप बच्चों को देती हैं तो प्लेट में ही क्यों निकाल कर देती हो? पूरी हान्डी ही उनके आगे रख दिया करो ना प्लेट में निकलेगा ना बचेगा।

खुद जब बच्चों को सालन ज़्यादा निकाल कर देती हो तो बच्चे की खुराक़ कितनी होगी और घर में रहते हुये औरतों को हर शख्स का अन्दाज़ा हो जाता है कि कौन कितना खाता है फिर उसी हिसाब से सालन निकाला जाये चाहे 10 बार दो मगर पहले ही बार में बच्चों की प्लेट भर दी जायेगी तो यही होगा और बचा हुआ सालन भी घर में कोई इस्तिमाल कर सकता है। अगर उसे आप फेंक देती हो तो इस बरबादी -ए- रिज़्क़ के ज़िम्मेदार आप हैं बच्चा नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 98

क्या हज़रत औरत के बाल से पानी टपक रहा है, उस हालत में उस ने नमाज़ पढ़ ली उस हालत में नमाज़ होगी या नहीं? या बाल को सूखे कपड़े से लपेट कर पढ़ लिया....?

जवाब : 98

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ऐसा दुशवार मालूम होता है कि बाल से पानी बाहर टपके क्योंकि नमाज़ में भी औरत को बाल का छुपाना फर्ज़ है और जब बाल किसी कपड़े से ढक लिये जायेंगे तो पानी का टपकना अजीब सी बात है। ऐसी हालत में पानी कपड़े को ही तर करेगा और अगर नमाज़ में बाल ही खुले हैं और तब पानी टपकता है तो नमाज़ नहीं होगी और वजह बाल का खुलना है। और शायद ही कोई औरत इतने गीले बाल रहने दे कि पानी टपके। ज़्यादा से ज़्यादा बाल तर हो सकते हैं जो दुपट्टा गीला करे। बहर हाल, बाल गीले हैं और नमाज़ में ढके हुये हैं तो नमाज़ हो जायेगी। मगर नमाज़ में ऐसी आफ़त ना चाहिये कि बाल को भी ना सुखाया जाये। सर का गीला रखना औरत के लिये ज़्यादा मुज़्रीरे सिह्हत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 99

हज़रत लोग जब जनाज़े को मिट्टी दे कर आते हैं तो घर में जाने से पहले ही हाथ मुँह और पैर धोते हैं और इस से पहले घर नहीं जाते। घर के बाहर किसी नल पर धो लेते हैं तो क्या घर में भी धो सकते हैं या घर के बाहर ही धोया जाये?

जवाब : 99

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मिट्टी चाहे क़ब्रिस्तान की हो या कैसी भी, फ़ितरते इन्सानी यही है कि उसे धोया जाता है और यही तकाज़ा -ए- बशरियत भी है कि जिस्म को हर छोटी-बड़ी गन्दगी से साफ रखा जाये। तो इस मिट्टी को धोने में कोई हर्ज नहीं मगर ये खयाल कि घर जाने से पहले ही धोना चाहिये यानी ये मिट्टी घर ना जाये गलत है, घर जा कर भी धो लिया जाये तो हर्ज नहीं। और मेरे ख्याल से ये इस तरह शुरू हुआ होगा कि जैसे बच्चा बाहर खेल कर आता है तो उसे नसीहत की जाती है घर में गंदे हाथ-पाऊँ लेकर मत आना इसी तरह क़ब्रिस्तान की मिट्टी लगे हाथ-पाऊँ कोई गंदे घर ले जाना पसंद नहीं करेगा तो बाहर ही धो लेते हैं। मगर इस से कुछ जाहिल ये समझ बैठे होंगे कि शायद हाथ-पाऊँ बाहर ही धोने चाहिये क्योंकि इस दौरे पुरफ़ितन में लोग रस्सी को भी साँप बना देते हैं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 100

एक शख्स जो पहले से किसी सिलसिले से मुरीद है लेकिन अब वो किसी और से मुरीद होना चाहता है, हज़रत तो क्या वो शख्स दूसरे पीर से मुरीद हो सकता है? और पहले वाले मुरीद को उस से भी कोई बात करनी होगी क्या? हज़रत जवाब इनायत फ़रमा दीजिये।

जवाब : 100

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर वो शख्स ऐसे पीर से मुरीद है जिस में पीर बनने की चारों शराइत पायी जाती हैं, मस्लन

(1) अ़क़ीदे का सुन्नी हो।

(2) इल्मे फिक़्ह इतना जानता हो कि ज़रूरत के मसाइल किताब से निकाल सके।

(3) कोई गुनाह ऐलानिया ना करता हो।

(4) सिलसिला हुज़ूर علیہ السلام तक पहुँचा हो।

अगर ये शराइत हैं तो बिला वजहे शरई बैअ़त तोड़ना जाइज़ नहीं जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खान अ़लैहिर्रहमा फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 558 पर लिखते हैं :

"जब अफज़ल सिलसिला आलिया, क़ादरिया में शैख जामे शराइत के हाथ पर फख्रे बैअ़त नसीब हो चुका है तो उसे दूसरी तरफ़ अहसन तवज्जो व परेशान नज़र ही ना चाहिये, बाज़ औलिया किराम ने फ़रमाया जो मुरीद दो पीरों के दरमियान हो वो कामयाब नहीं होता।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 576 पर लिखते हैं :
"पीर को छोड़ कर उसके बदले पीर बनाना कि जो ऐसा करेगा दोनों तरफ़ से महरूम रहेगा।"

और फ़रमाते हैं इसी जिल्द 26, सफ़हा 579 पर : जो शख्स किसी शैख जामेेअ़ शराइत के हाथ पर बैअ़त हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअ़त ना चाहिये। दूसरे जामे शराइत से तलबे फ़ैज़ में हर्ज नहीं।

औलिया किराम फरमाते हैं :
एक शख्स के 2 बाप नहीं हो सकते, एक औरत के 2 शौहर नहीं हो सकते, एक मुरीद के 2 शैख नहीं हो सकते।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि : एक पीर से मुरीद होने के बाद दूसरे से बैअ़त नहीं कर सकता। हाँ तालिब हो सकता है मगर अपनी इरादत शैखे अव्वल से ही रखे और जो फैज़ दूसरे से हासिल हो तो उसे भी अपने ही पीर की अ़ता जाने।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 101
भाई अगर हमारे बगल के बाल बड़े हों तो नमाज़ हो जायेगी क्या? वो पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ें? जवाब अता फ़रमा दीजिये।

जवाब : 101

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ हो जायेगी मगर हर हफ्ते साफ करना मुस्तहब है, 40 दिन के बाद वाजिब, वरना गुनाहगार होगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 102

हज़रत मेरे दोस्त की दोनों किडनी में पथरी है, इसकी वजह से वो 5 साल से रोज़ा नहीं रख पाया है क्योंकि खाली पेट रहने से उसके पेट में दर्द होता है तो वो इस सूरत में क्या करे? क़ज़ा कर के भी नहीं रख सकता क्योंकि पथरी नहीं निकल रही है और वो उसकी दवाई 5 साल से खा रहा है लेकिन कोई फाइदा नहीं है उसने कुछ मियाँ और मौलाना लोगों से पूछा तो उन्होने काला जादू बताया है। हज़रत इस का भी कोई इलाज़ बताइये।

जवाब : 102

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जो शख्स किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा तो ठीक होने के बाद क़ज़ा करनी होगी चाहे 10 साल के बाद ठीक हो वरना सर्दी के छोटे दिन होते हैं जब कोई सूरत निकले। बहरहाल फिदिया का हुक्म नहीं होगा। इलाज के लिये अपने इलाक़े के तावीज़ाते अ़त्तारिया के बस्ते से राब्ता करे शिफ़ायाब हो जायेगा। ان شاء اللہ

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 103

हज़रत अगर माँ, बाप के खिलाफ़ हो और बच्चे माँ की खिदमत करें तो क्या बच्चे जन्नती हो सकते हैं या नहीं? हज़रत रहनुमाई करें।

जवाब : 103

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलती है बाक़ी इबादत ज़रिया ज़रूर है मगर गारण्टी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि नमाज़ी वालिदैन का खिदमत करने वाला सीधा जन्नत में जाये मगर अल्लाह जिसे चाहे और ईमान पर खातिमा भी ज़रूरी है तो अपने दिल में ख्याल रखना कि बस वालिदैन की खिदमत करो बाक़ी शरीअ़त के अहकाम की पैरवी ना करो तो भी जन्नत मिलेगी ये जहालत है। औरत का बिला वजहे शरई शौहर के खिलाफ हो जाना या मुखालिफ़त करना या हुक्म को ना मानना हराम है। ऐसी औरत पर लानत है और बाइसे नाराज़गी -ए- खुदा है मगर ये उनके और उनके अल्लाह का मुआमला है। औलाद पर दोनों की ताज़ीम और हक़ अदा करना लाज़िम है। ऐसा नहीं कि उनकी आपसी लड़ाई में बाप को भूल जाये और माँ का साथ दे। औलाद को दोनों के साथ वही रवैया अपनाना होगा जो शरीअ़त ने हुक्म दिया, दोनों के हक़ भी अदा करने होंगे। केवल माँ की खिदमत करके और बाप की हक़ तलफ़ी करके जन्नत की उम्मीद हिमाकत होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 104
अगर औरतें सोने चाँदी के बिना आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कुछ और पहनती हैं, क्या उस पर नमाज़ नहीं होती है।

जवाब : 104

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सदरुश्शरिया, अमजद अ़ली आज़मी फरमाते हैं :
(सोने चाँदी के अलावा) दूसरे धात की अँगूठी पहनना हराम है। मस्लन लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता वग़ैरह। इन धातों की अंगूठियाँ मर्द व औरत दोनों के लिये नाजाइज़ हैं। (बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 426)

फ़तावा बरेली शरीफ़ में है :
लोहा व तांबा, पीतल व गिल्ट की अंगूठी मर्द औरत दोनों के लिये और सोने की मर्दों के लिये नाजाइज़ वा हराम। बाज़ फुक़हा ने मकरूह लिखा है लेकिन सही यही है कि हराम है इन्हें पहनकर नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी।

फ़तावा फैज़ुर रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 375 पर है :
तांबा, पीतल और लोहे के ज़ेवरात पहनकर पढ़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी।

दुर्रे मुख्तार में है : کل صلوٰۃ ادیت مع کراھۃ التحریم وجب اعادتھا
हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गयी हो उसका लौटाना वाजिब होता है।
खुलासा -ए- कलाम ये है कि सोना चाँदी के अलावा किसी और धात का ज़ेवर औरत को पहनना जाइज़ नहीं है और अगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ी जायेगी तो वो नमाज़ फिर से पढ़नी होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 105
हुज़ूर ये इरशाद फरमायें कि दाढ़ी एक मुश्त रखना वाजिब है और मुंडाना? और एक मुश्त से कम करना ना जाइज़ लेकिन इस नाजाइज़ को क्या ये कहा जा सकता है कि एक मुश्त से कम करना या मुंडाना हराम है?

जवाब : 105

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

दाढ़ी का एक मुश्त तक रखना वाजिब है और एक मुश्त से कम कर लेने को हराम कहना बिल्कुल सहीह है और कुतुबे फिक़्हे हनफ़िया में लफ्ज़ हराम ही मौजूद है। जैसा कि फुक़हा -ए- किराम फ़रमाते हैं :

शाह अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिसे द्हेलवी लिखते हैं :

گزاشتن آن بقدر قبضہ واجب ست

यानी दाढ़ी को एक मुश्त तक छोड़ देना वाजिब है।

(अशअ़तुल लम'आत)

और बहारे शरीअ़त में है :

"एक मुश्त से कम करना हराम है।"

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 571 पर है कि :

"दाढ़ी हद्दे शरअ़ से कम ना करना वाजिब और हुज़ूर ﷺ और अम्बिया की सुन्नते दाइमी और इस्लाम के शियार से है और इसके खिलाफ़ मम्नूअ़ और हराम और कुफ्फ़ार का शियार।"

फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, सफ़हा 114 पर है :

"दाढ़ी एक मुश्त से कम करना हराम है।"

फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 258 पर है :

"दाढ़ी मुंडवाना हराम है।"

फ़तावा फक़ीहे मिल्लत, जिल्द 1, सफ़हा 127 पर है :

"दाढ़ी मुंडाना या एक मुश्त सेकम रखना हराम है।"

फ़तावा अजमलिया, जिल्द 1, सफ़हा 168 पर है :

"लेकिन किसी जानिब से एक मुश्त से कम करना हराम व नाजाइज़ है।"

इस सवाल के जवाब पर पूरा रिसाला तहरीर किया जा सकता है मगर साइल को इतना काफ़ी होना चाहिये।

और यही चमकते सूरज की तरह रौशन है कि, दाढ़ी का एक मुश्त तक बढ़ाना वाजिब और इस से कम करना हराम और एक मुश्त से ज़्यादा को काटना सुन्नत है और अगर हराम काम को ही हराम कहने से परहेज़ किया जायेगा तो क्या मुबाह को हराम कहा जायेगा?

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 106
अस्सलामु अ़लैकुम!
मुहतरम क्या शरीअ़ते इस्लाम से कछुआ (Turtle) खाने की इजाज़त है?

जवाब : 106

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हनफ़ी मज़हब में सिवाये मछली के कोई दरियाई जानवर हलाल नहीं जैसा कि फ़तावा रज़विय्या जिल्द 20, सफ़हा 336 पर है कि :
तहक़ीक़े मक़ाम ये है कि हमारे मज़हब में मछली के सिवा तमाम दरियाई जानवर मुत्लक़न हराम है। और कछवा हमारे नज़दीक़ हराम है।

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 27, पेज 89 पर लिखते हैं:
कछवा इमाम शाफ़ई के सहीह मज़हब में भी हराम है, हमारे नज़दीक़ (भी) हराम है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 107
अस्सलामु अ़लैकुम प्यारे भाई! 4 रकअ़त नमाज़ की निय्यत बाँधी और 2 रकअ़त पर सलाम फेर लिया तो अब उसी को पूरा करे या दोबारा पढ़े?

जवाब : 107

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
4 रकअ़त की निय्यत बाँधी और 2 पर सलाम फेर दिया तो जब तक कोई मनफ़ी -ए- नमाज़ काम ना पाया जाये जैसे- कलाम करना, किसी को सलाम करना वग़ैरह या उसी पर बिना करे यानी 2 याद आते ही 2 रकअ़त और पढ़ ले और सजदा -ए- सहव कर ले। ये सूरत फर्ज़ों की है अगर नफ्ल में ऐसा हुआ है तो 2 रकअ़त पढ़ने की हाजत नहीं, नफ्ल का हर क़ादा, क़ादा -ए- आखिरा होता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب
(जवाब : हज़रत अ़ल्लामा अबू रियान मुफ्ती मुहम्मद शनेइलाही मदनी)

सवाल : 108
क्या फिल्म और टी. वी. सीरियल के राइटर की कमाई हलाल है? और इसे मस्जिद या अल्लाह के काम में लगाने से सवाब हासिल होगा।

जवाब : 108
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
तमाम तारीफ़ अल्लाह इज़्ज़त वाले की जिसने अपनी मुक़द्दस किताब में हलाल और हराम को वाज़ेह किया और दोस्त रखता है सुथरों को, अज़मत वाला इज़्ज़त वाला और करोड़ों दुरूद उस अज़मत वाले रसूले पाक पर जिन्होंने हराम के साथ-साथ शुब्हात से भी बचने का हुक्म दिया ताकि मुँह दिखाने के क़ाबिल रहे कल क़ियामत में अपने रब के हुज़ूर और उनकी आल और अस्हाब पर लाखों सलाम हो।

हदीसे पाक में फ़रमाया :- طلب الحلاک واجب علی کل مسلم
हलाल रिज़्क़ की तलब हर मुसलमान पर वाजिब है।

मुहद्दिस अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में नक़्ल किया :
"हलाल रोज़ी तलाश करो क्योंकि हलाल रोज़ी की तलाश भी अल्लाह की राह में (1 गुना) जिहाद है। और जान लो कि अल्लाह की मदद नेक ताजिरों के साथ है।

फिल्म बनाना, सीरियल बनाना यहाँ तक कि एडवरटाइज़ जैसे कि आज बेहूदगी टी. वी. पर आम है, ये हराम है। और जो कोई ऐसा काम करे यानी फिल्म या सीरियल बनाये उस पर उस वक़्त तक गुनाह होता रहेगा जब तक वो फिल्म वग़ैरह दुनिया में जहाँ-जहाँ देखी जायेगी और जब-जब देखी जायेगी उस सब का फर्दन-फर्दन गुनाह भी और सभी लोगों का गुनाह भी। जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो ज़रूरी किसी राइटर की लिखी स्टोरी पर ही फिल्म बनाता है। इस तरह फिल्म सीरियल वग़ैरह के राइटर का काम भी हराम है क्योंकि ये गुनाह पर मदद करना है।

क़ुरआने पाक में अल्लाह फ़रमाता है, सूरह माइदा, आयत नम्बर 2 में :
और गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो।

फ़तावा हिन्दिया, जिल्द 3, सफ़हा 451 पर है
गुनाह के कामों में किसी की मदद करना कबीरा गुनाहों में शामिल है।

जिस तरीक़े से सूद का खाने वाला गुनाहगार है उसी तरह सूद में हर तरीक़े से मदद करने वाला, यहाँ तक कि गवाह भी गुनाहगार है।

यानी फिल्म में जो बेहूदा बातें दिखायी जाती हैं वो राइटर ने लिखी होती हैं, जैसे कि कब मर्द औरत को प्यार करना है, कब मर्द औरत को नाचना गाना है, कब मर्द औरत को गले मिलना है और यहाँ तक कि हम बिश्तरी (सुहागरात) के सीन भी राइटर ही लिखता है जिसकी बुनियाद पर फिल्म तैय्यार होती है। तो ये काम किस तरह हलाल हो सकता है? यानी राइटर फैसला कर रहा है कि कहाँ आँखों का ज़िना करवाना है कहाँ नहीं। और भी बेहूदा बातें हैं जिस से साइल खुद वाक़िफ़ होगा। फिल्म वग़ैरह की कमाई नाजाइज़ होने का हुक्म इस बात से भी समझा जा सकता है कि, गाने अक्सर शायरी के क़वानीन पर ही लिखे जाते हैं तो क्या गाने का गुनाह केवल गाने वाले सिंगर और म्यूज़िक देने वाले पर होगा या फिर उसके लिखने वाले पर भी? यक़ीनन गाने में बेहूदा अलफाज़, कुफ्र शिर्क मौजूद होते हैं तो इसका गुनाह लिखने वाले पर भी होगा, जिस तरह गुनाह भरी शायरी लिखना हराम है क्योंकि बाज़ शेर में औरत की ज़ात को खुदा से बढ़ाया जाता है तो कहीं ज़रूरिय्याते दीन का इंकार, बेशक इस तरह लिखना गुनाह हराम और बाज़ दफ़ा कुफ्र है। और इसकी कमाई का क्या हुक्म? ठीक वैसे ही, राइटर की कमाई भी जाइज़ नहीं हो सकती एक तो खुद की लिखी हुई कहानी नाजाइज़ और ये गुनाह के काम में मदद है।
अब रहा हराम कमाई को किसी नेक काम में खर्च करने का हुक्म तो बाज़ उलमा ने यहाँ तक फ़रमाया कि हराम माल फक़ीर को दे कर सवाब की उम्मीद रखना कुफ्र है।

फ़तावा आलमगीरी में है:

تصدق علی الفقیر شیئا من المال الحرام ویرجو الثواب کفر ولو علم بہ الفقیر ودعالہ وامن المعطی کفرا۔

किसी ने हराम माल से फक़ीर को सदक़ा किया और सवाब की उम्मीद करता है, तो काफिर हो गया और अगर फक़ीर को मालूम हो कि ये माल हराम है और उसके बावजूद उसने देने वाले को दुआ दी और देने वाले ने इस पर आमीन कहा तो दोनों काफ़िर हो गये।

फ़तावा ज़हीरिय्या में है :- عجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجوا بہ الثواب یکفر

एक शख्स ने फक़ीर को माले हराम दिया और उस पर उसने सवाब की उम्मीद रखी तो काफ़िर हो जायेगा।

बल्कि जो माल नाजाइज़ तरीक़े से हासिल किया जाये उसे वापस करना वाजिब है और जिस सूरत में फक़ीर को देने का हुक्म है तो वहाँ सवाब की उम्मीद ना की जाये।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 582 पर लिखते है कि :
हराम रुपया किसी काम में लगाना अस्लन जाइज़ नहीं, नेक काम हो या और, सिवा इसके कि जिस से लिया हो उसको वापस दे या फक़ीर को सदक़ा करे और फ़रमाते हैं कि सवाब की उम्मीद सख्त हराम है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب والله یرجع الیه مآب

अल्लाह त'आला मुसलमानों को हलाल खाने कमाने और हराम से बचने की तौफीक़ और जज़्बा अ़ता करे, और मेरी बेहिसाब मग्फिरत करे।
तालिबे दुआ : सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी क़ादरी।

सवाल : 109
हुज़ूर ये इरशाद फ़रमायें कि अल्लाह से दुआ माँगना कि मै हमेशा खुश रहूँ। कोई गम और परेशानी मुझे लाहिक़ ना हो। ऐसी दुआ माँगना कैसा?

जवाब : 109

بسم الله الرحمٰن الرحیم
दुआ में हद से नहीं बढ़ना चाहिये यानी जो चीज़ें मुहाल (ना-मुम्किन) हों या क़रीबे बा-मुहाल हैं दुआ में नहीं मांगनी चाहिये।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, सफ़हा 287 पर है कि हमेशा के लिये तंदरुस्ती या आफिय्यत माँगना कि आदमी का उम्र भर कभी किसी तरह की तक्लीफ में ना पढ़ना मुहाले आदी है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 110
हुज़ूर इस बारे में भी रहनुमाई करें कि गौसे आज़म बड़े हैं या मदार साहब? क्या मदार साहब गौसे पाक से ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं? जवाब दें अज्र पायें।

जवाब : 110

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आवाम को इस उमूर पर बहस करना सख्त मना है। खुदा ना करे किसी तरफ़ गुस्ताखी हो जाये तो बरबादी बल्कि इसकी शामत से ज़वाले ईमान का अन्देशा है। शाह मदार ज़रूर अकाबिरे औलिया से है मगर इस में शक़ नहीं कि हुज़ूर गौसे आज़म का मर्तबा बहुत आला है व अफ़ज़ल है। गौस अपने दौर में तमाम औलिया -ए- आलम का सरदार होता है, हुज़ूर सय्यिदुना गौसुल आज़म वलियों के सरदार हैं। हज़रत शाह बदीउद्दीन मदार साहब को उनसे अफज़ल कहना जहालत, इफ्तिरा व बोह्तान है।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, पेज 559)

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, पेज 556)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 111

ज़ुहर की नमाज़ में हम दूसरी रक़अ़त में आये और इमाम का वाजिब छूट गया है तो क्या हमें भी सजदा सहव करना होगा या नहीं?

जवाब : 111

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! अगर इमाम सजदा -ए- सहव करेगा तो मुक़्तदी को भी करना होगा, इस से कुछ गर्ज़ नहीं कि मुक़्तदी का वाजिब छूटा हो या नहीं।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 180 में है :

सजदा -ए- सहव तन्हा नमाज़ वाले पर भी वाजिब है और इमाम की सहव की वजह से मुक़्तदी पर भी लाज़िम।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 715 पर है :

इमाम से सहव हुआ और सजदा सहव किया तो मुक़्तदी पर भी सजदा वाजिब है चाहे मुक़्तदी सहव होने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ। कुछ सत्र (लाईन) बाद आगे है, मस्बूक़ इमाम के साथ सजदा -ए- सहव करे अगर्चे उसके शरीक होने से पहले सहव हुआ हो और अगर इमाम के साथ सजदा ना किया और बाक़ी पढ़ने खड़ा हो गया तो आखिर में सजदा -ए- सहव करे।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 590 पर है :
(मस्बूक़) अपनी फौत शुदा पढ़ने के लिये खड़ा हो गया और इमाम को सजदा -ए- सहव करना है चाहे उसकी इक़्तिदा से पहले वाजिब तर्क हुआ हो तो उसे हुक्म है कि लौट आये अगर अपनी रक़अ़त का सजदा ना कर चुका हो और ना लौटे तो आखिर में ये सजदा -ए- सहव करे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 112
हज़रत बर्थ-डे मनाना चाहिये या नहीं?

जवाब : 112

بسم الله الرحمٰن الرحیم
इसमें शरअ़न कोई हर्ज नहीं। बर्थ-डे पर एतराज़ इसीलिये किया जाता है कि ये गैर क़ौम का तरीक़ा है मगर ऐसा नहीं है, हर वो काम जो गैर क़ौम करे इस्लाम में नाजाइज़ नहीं और सालगिरह ना तो गैर क़ौम का मजहबी शियार है ना किसी क़ौम की खास अ़लामत। अगर बर्थ-डे से मुराद ये है कि किसी की पैदाइश के दिन खुश होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसी वजह से मुसलमानों को खाना खिलाना या चाहे केक खिलाना या जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसकी पैदाइश की खुशी में उस दिन क़ुरआन ख्वानी, मीलाद वग़ैरह करना तो इसमें कुछ गुनाह नहीं जबकि इसमें कोई काम खिलाफे शरअ़ ना हो। मस्लन नाच, गाना, मर्द औरत का मेल जोल, ताली बजाना वग़ैरह। मुसलमानों को खिलाना पिलाना जाइज़ और शरीअ़त को हमेशा से महबूब है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 113
गीबत करने से कैसे बचा जा सकता है और गीबत करने वालों का अज्र क्या है?

जवाब : 113

بسم الله الرحمٰن الرحیم
गीबत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और गीबत सुनने वाला भी करने वाले की तरह गुनाहगार होता है। गीबत और इसकी मज़म्मत पर बहस तवील है मगर यहाँ मुख्तसर बयान किया जाता है, अल्लाह त'आला क़ुबूल करे और हमें इस मुहलिकाते खबीसा से बचने की तौफीक़ दे।

क़ुरआने पाक, सूरह हुजरात, आयत 12 में अल्लाह त'आला का इरशाद है:
"और एक दूसरे की गीबत ना करो क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि मेरे भाई का गोश्त खाये, तो ये तुम्हें गवारा ना होगा।"
गीबत इज़्ज़त को खत्म कर देती है इसीलिये इसे माल और खून के साथ ज़िक्र किया गया।

मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है, एक दूसरे से हसद ना करो, बुग्ज़ व अदावत ना रखो, नफरत दिलाने वाले काम ना करो, ना आपस में बेरुखी इख्तियार करते हुये क़तअ ताल्लुक़ करो, ना एक दूसरे की गीबत करो और ए अल्लाह के बन्दों! भाई-भाई बन जाओ।

और फरमाते हैं मदीने के ताजदार कि गीबत से बचो बेशक़ गीबत ज़िना से भी सख्त तर है। मैं शबे मेराज ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे, ये लोग गीबत करते और उनकी आबरूरेज़ी करते थे।

अल्लाह त'आला ने हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम की जानिब वही फरमायी, जो गीबत से तौबा करके मरा वो आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में जायेगा और जो गीबत पर क़ाइम रहते हुये मरा वो पहला शख्स होगा जो जहन्नम में दाखिल होगा।

और ये भी याद रखना चाहिये कि गीबत फक़त ज़ुबान ही से नहीं बल्कि आँख से, हाथ से, इशारों से, लिख कर, फोन पर और मेसेज पर भी हो सकती है।

गीबत सुनने से किस तरह बचें, इसकी रहनुमाई करते हुये मेरे आक़ा हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अपनी मक़बूले जहाँ तस्नीफ़ इह्याउल उलूम, जिल्द 3, सफ़हा 443 पर फ़रमाते हैं :
अगर वहाँ से उठ कर जा सकता है या गुफ्तगू का रुख बदल सकता है तो ऐसा ही करे वरना गुनाहगार होगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 114
अगर एक मुकम्मल क़ुरआन शरीफ़ साल भर में ना हुआ तो क्या गुनाह होगा?

जवाब : 114

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गुनाह नहीं, मगर महरूमे अज़ रहमते इलाहिया ज़रूर है और इतना क़ुरआन याद रखना लाज़िम है जिस से फर्ज़ इबादत मुकम्मल हो सके।

जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 545 पर है :
एक आयत का हिफ्ज़ करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फर्ज़े ऐन है। (और आगे है) सूरह फ़ातिहा और एक दूसरी छोटी सूरह या इसकी मिस्ल मस्लन 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का हिफ्ज़ वाजिबे ऐन है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 115
नींद के गलबे में नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाब : 115

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ नहीं होगी बल्कि अगर एक रुक्न भी सोता रहा तो वो भीअदा ना होगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 116
किसी मुसलमान का अपनी दुकान का माल पकड़ कर यह कहना कैसा कि "लक्ष्मी छू के बोल रहा हूँ तेरी वजह से मेरा माल रह गया।" इस का हवाला भी इनायत फ़रमा दीजियेगा।

जवाब : 116

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
कुफ्फ़ार की ज़ुबान में पैसों को ही लक्ष्मी वग़ैरह कहा जाता है, कहने वाले पर ऐसा कहने से कुछ गुनाह तो शरअ़न नहीं और ना ये कोई क़सम या कुफ्र ना शिर्क। मगर मुसलमानों को यही अक़ीदा रखना चाहिये कि रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है किसी की वजह से अल्लाह के लिखे रिज़्क़ में कोई कमी नहीं आ सकती।

जैसा कि क़ुरआने पाक में सूरह हूद, आयत 6 में इरशाद है:
"ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो।"

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 117
क्या काफ़िर को काफ़िर कहा जा सकता है या नहीं?

जवाब : 117

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
काफ़िर को काफ़िर और मुसलमान को मुसलमान कह सकते हैं बल्कि काफ़िर को काफ़िर और मुसलमान को मुसलमान जानना ज़रूरिय्याते दीन में से है और जो लोग ये बकवास करते हैं कि काफ़िर को काफ़िर ना कहो जाने कब मुसलमान हो जाये, जहालत है। इस तरह तो मुसलमान को भी मुसलमान ना कहो जाने कब काफ़िर हो जाये, ज़िन्दा को ज़िन्दा ना कहो जाने कब मर जाये और कुछ लोग कहते हैं कि जितना वक़्त काफ़िर को काफ़िर कहोगे उतनी देर अल्लाह अल्लाह कर लो तो उसका जवाब है कि हम कब कहते हैं काफ़िर काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो। मक़्सद ये है दिल से काफ़िर को काफ़िर जानो और वक़्त पर काफ़िर को काफ़िर कहा भी जायेगा बल्कि जो खुले काफ़िर के कुफ़्र में शक़ करे तो भी काफ़िर और ये बात अक़ीदों में से है। मुसलमान को चाहिये कि अपने सहीह अक़ीदों की इस्लाह करे।

अल्लाह अज़्ज़वजल ने क़ुरआन में बहुत जगह काफ़िर को काफ़िर और मुनाफ़िक़ को मुनाफ़िक़ फ़रमाया बल्कि सूरह काफिरून जो अकसर मुसलमान पढ़ते ही हैं, उस में अल्लाह का इरशाद है :
"ए महबूब! तुम फरमाओ इन काफिरों से"
(सूरह काफ़िरून, पारा 30, आयत 01)

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, सफ़हा 653 पर है :
काफ़िर को ज़रूर काफ़िर कहा जायेगा।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 15, सफ़हा 591 पर है, शिफ़ा शरीफ़ में है :
نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملتہ المسلمین من الملل او وقف فیھم او شک
हम हर उस शख्स को काफ़िर कहते हैं जो काफ़िर को काफ़िर ना कहे या उसके कुफ़्र में शक करे

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, सफ़हा 386 में है : -"من شک فی عذابا و کفر فقد کفر"

जिसने उसके अज़ाब और कुफ्र में शक किया वो (खुद) बिला शुब्हा काफ़िर हो गया।
बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 185 पर है :
मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरिय्यते दीन से है। क़तई काफ़िर के कुफ्र में शक भी आदमी को काफ़िर बना देता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 118
मुसलमान को सेंट लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : 118

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सेंट को लेकर बाज़ उलमा ने इसके जाइज़ होने का हुक्म दिया है और बाज़ इसके नाजाइज़ होने की तरफ़ हैं जैसा कि, ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहिब क़िब्ला फरमाते हैं, सेंट जिसमें अल्कोहल हो उसका इस्तिमाल जाइज़ नहीं और जिसमें अल्कोहल ना हो उसे लगाने में हर्ज नहीं। ऐसी सूरत में उस मस'अले से बचना ही बेहतर है जिसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया हो। जैसा कि फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, सफ़हा 80 पर है :
अगर अपने मज़हब से खिलाफ़ करना लाज़िम ना हो तो रियायते इख्तिलाफ मुस्तहब है यानी इस तरह अ़मल करें कि दूसरे के नज़दीक बातिल ना क़रार पाये।
मश्वरन : इत्र लगाना सुन्नते रसूल है, चाहिये कि सुन्नत पे अ़मल किया जाये और इस तरह के बाज़ारू प्रॉडक्ट ना इस्तिमाल किये जायें।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 119
एक शख्स सैय्यिद है और एक शख्स आलिम है, इन में ज़्यादा रुतबा या इज़्ज़त किसकी?

जवाब : 119

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सय्यिद का रुतबा और मुक़ाम अपनी जगह है और आलिम का रुतबा मुक़ाम अपनी जगह। सय्यिद अगर आलिम नहीं और आलिम सय्यिद नहीं तो आलिम का रुत्बा अल्लाह व रसूल के नज़दीक ज़्यादा है।

क़ुरआन (8/39) में अल्लाह त'आला फरमाता है :

"तुम फरमाओ क्या बराबर हो जायेंगे आलिम और बे-इल्म (यानी आलिम और गैरे आलिम बराबर नहीं हो सकते।)"

और फरमाता है तुम्हारा रब क़ुरआन (11/87) में :
"अल्लाह बुलंद फरमायेगा तुम में से मोमिनों और खास कर आलिमों के दर्जे।

आलिम की शान बयान करते हुये आला हज़रत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 11, सफ़हा 716 पर लिखते हैं:
उलमा को आम मोमिनीन पर 700 दर्जे बरतरी है और हर दो दर्जों में 500 साल का सफ़र है।

मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है :
"जिसका अ़मल उसे पीछे ढकेल दे, वो नसब से आगे नहीं बढ़ सकता।

आला हज़रत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 29, सफ़हा 273 पर लिखते हैं :
फज़्ले इल्म, फज़्ले नसब से अशरफ व आज़म है। मीर (अमीर/सय्यिद) आलिम ना हों चाहे स्वालेह (नेक/परहेज़गार) हो आलिम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के मर्तबे को शरअ़न नहीं पहुँच सकते।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 120
अगर किसी नाबालिग बच्चे को नमाज़ आती हो और वो आदमियों की सफ़ में खड़ा हो तो क्या करना चाहिये, उसे हटाना चाहिये या नहीं? जिस सफ़ में वो बच्चा होगा तो उन आदमियों की नमाज़ होगी या नहीं? और जो आने वाले लोग उस सफ़ में से बच्चों को हटा देते हैं, सही करते हैं या नहीं? ब-हवाला जवाब दें सवाब पायें।

जवाब : 120

بسم الله الرحمٰن الرحیم
सफों की तरतीब का हुक्म इस तरह है कि पहले बालिग मर्दों की सफ़ हो फिर बच्चों की और उसके बाद औरतों की सफ़ हो, जैसा कि शैखुल इस्लाम बुरहानुद्दीन अबू हसन अ़लैहिर्रहमा ने हिदाया में फ़रमाया : - "یصف الرجال ثم الصبیان ثم الخناثیٰ ثم النساء"
इसकी शरह में फत्हुल क़दीर ने अबू मालिक अशअ़री से रिवायत कर्दा एक तवील हदीस नक़्ल की

इमाम के क़रीब मर्दों की सफ़ उसके बाद बच्चों की और इसके बाद औरतों की।
(फत्हुल क़दीर, जिल्द 1, किताबुस्-सलाह, बाबुल इमामत, सफ़हा 311)

मराक़िउल फलाह में फ़रमाया : - "ان لم یکن جمع من الصبیان یقوم الصبی بین الرجال"
यानी अगर बच्चे ज़्यादा नहीं तो एक बच्चे को मर्दों की सफ़ में खड़ा कर लिया जाये।

और नाबालिग (समझ वाले) बच्चे की सफ़ में खड़े करने के मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में मेरे आक़ा आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा अ़लैहिर्रहमा अपने फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 209 पर इरशाद फरमाते हैं :

"فان صلاۃ الصبی الممیز الذی یعقل الصلاۃ صحیحۃ"
क्योंकि बच्चा (जो नमाज़ जानता हो) की नमाज़ क़तअन सही है और फरमाते हैं अगर अकेला हो तो उसे सफ़ के अन्दर खड़ा कर लिया जाये। बाज़ बे-इल्म जो ये ज़ुल्म करते हैं कि लड़का पहले से नमाज़ में दाखिल है जब ये आये तो उसे निय्यत बांधा हुआ हटाकर किनारे कर देते हैं ये महज़ जहालत है। इसी तरह ये ख्याल कि लड़का बराबर खड़ा हो तो मर्द की नमाज़ ना होगी ये भी गलत व खता है, जिसकी कुछ अस्ल नहीं।

लिहाज़ा अगर बच्चा तन्हा मौजूद है तो चूँकि एक बच्चे का अकेला खड़े होना मकरूह है इसीलिये वो मर्दों की सफ़ में खड़ा हो सकता है। मगर जब दो बच्चे हों तो उन की सफ़ मर्दों के पीछे अलैहिदा करनी होगी अगर वो मर्दों की सफ़ में खड़े होंगे तो मर्दों की नमाज़ मकरूह होगी लेकिन नमाज़ फासिद किसी तरह नहीं होती। अगर बच्चा दरमियाने सफ़ में है तो बाद में आने वाला उन को आहिश्ता से पिछली सफ़ में खड़ा कर देगा। इस तरह नहीं हटायेगा कि बच्चे निय्यत तोड़ दें और ना ही उनसे बद-अख्लाक़ी से पेश आये।
(वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, सफ़हा 204)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 121
फज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर सो जाते हैं तो हज़रत कोई हर्ज है या नहीं?

जवाब : 121

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, नमाज़े फज्र के बाद सोने में शरअ़न तो कोई हर्ज नहीं, सो सकते हैं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 122
हज़रत इमाम हसन की नमाज़े जनाजा किस ने पढ़ाई है?

जवाब : 122

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इमाम हसन की नमाज़े जनाज़ा उनके भाई इमाम हुसैन ने पढ़ाई। (रदिअल्लाहु त'आला अ़न्ह)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 123
अक्सर सुबह को लड़के नापाकी में उठते हैं और गुस्ल करते वक़्त वही अंडरवियर पहने रहते हैं जिसमें गन्दगी लगी हुई होती है। क्या ऐसे गुस्ल हो जाता है या अंडरवियर को उतार कर, बरहना हो कर नहायें? और अगर खुली जगह में बरहना हो कर नहा रहे हैं तो अंडरवियर नहीं उतार सकते?

जवाब : 123

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नापाक कपड़ा पहन कर अगर गुस्ल किया जाये तो गुस्ल हो जायेगा, जबकि पहने-पहने कपड़े को अच्छी तरह धो लिया गया हो और नजासत ज़ाइल हो चुकी हो। गुस्ल नाम है, 3 फर्ज़ के अदा हो जाने का यानी कुल्ली, नाक में पानी और पूरे जिस्म में पानी बहाना, अगर ये हो जाये तो नापाक आदमी पाक हो जायेगा।

यानी अगर नापाक कपड़ा पहन कर गुस्ल किया जाये और कपड़ा भी पहने-पहने धो लिया जाये तो गुस्ल भी हो जायेगा और कपड़ा भी पाक मगर ये बात अजीब लगती है शायद ही कोई ऐसा करता हो।

गुस्ल खाना जहाँ किसी की नज़र ना पड़े तो बगैर कपड़ों के बरहना हो कर नहा सकता है और ऐसी जगह पहले नापाक कपड़ा उतार के पाक किया जा सकता है, फिर उसी को पहन कर नहायें या इसी तरह बरहना मर्ज़ी है।

ऐसी जगह जहाँ लोगों की नज़र पड़े, घुटने खोलना जाइज़ नहीं यानी घुटने सित्र में दाखिल है अगर कोई ऐसा अंडरवियर पहन कर नहाता है जिस में घुटने खुले हों तो गुनाहगार है, तहबंद का इस्तिमाल करे वरना पैजामा ही पहन कर नहायें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 124

इस हदीस की Authentication (सनद) चेक कर के बतायें : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदिअल्लाहु त'आला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने सूद खाने, खिलाने, उस के गवाह और लिखने वाले (सब) पर लानत फरमाई है।
[सुनन अबू दाऊद, 3333, (सनद हसन)]

जवाब : 124

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हदीस दुरुस्त है और सहीह मुस्लिम में भी नक़्ल है और मुस्लिम में इसके रावी हज़रते जाबिर हैं।

"لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکل الربوا وموکلہ وکاتبہ وشاھدیہ وقال ھم سواء"

तर्जुमा: हुज़ूर ﷺ ने लानत फरमायी सूद खाने वाले और सूद देने वाले और उसके कागज़ लिखने वाले और उस पर गवाही करने वालों पर और फ़रमाया वो सब बराबर हैं। इस हदीसे पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मीरात, शरह मिश्कात, जिल्द 4, सफ़हा 272 पर फरमाते हैं :

सूद खाने वाले का पहले फ़रमाया कि यही बड़ा गुनाहगार है कि सूद लेता भी था और खाता भी है दूसरे पर यानी मक़रूज़ और उस की औलाद पर ज़ुल्म भी करता है और अल्लाह का भी हक़ मारता है और बड़ों का भी।

यही सुनन अबू दाऊद में भी नक़्ल है और रावी अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि जब हुज़ूर ﷺ एक बात फरमाते तो ज़रूर वहाँ बहुत सहाबा होते थे तो किसी ने किसी से रिवायत किया और किसी ने किसी से। फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 17, सफ़हा 276 पर है :

अल्लाह की लानत सूद खाने वाले पर और सूद खिलाने वाले पर और सूद का कागज़ लिखने वाले पर और उसके गवाह पर (इस हदीस को, इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मज़ी और इब्ने माज़ा ने सहीह सनद के साथ अबू मसऊद रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु से रिवायत किया और इमाम अहमद और निसाई ने सहीह सनद के साथ हज़रते अ़ली से रिवायत किया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 125
हज़रत मेरा सवाल है, अगर नमाज़ में किसी को हाजत हो जाये तो वो हाजत पूरी करना होगी या नमाज़ पूरी करना होगी? और वो फ़र्ज़ नमाज़ है।

जवाब : 125

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस सवाल का जवाब देते हुये मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 625 पर फरमाते हैं :
शिद्दत का पखाना पेशाब मालूम होते वक़्त या रीह का गलबा के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। हदीस में है कि जब जमाअ़त क़ाइम की जाये और किसी को बैतुल खला जाना हो तो पहले बैतुल खला को जाये।
आगे फरमाते हैं कि "नमाज़ शुरू करने से पहले अगर इन चीज़ों का गल्बा हो तो वक़्त में वुसअ़त होते हुये (नमाज़) शुरू करना ही मना व गुनाह है। (और आगे लिखते हैं) चाहे जमाअ़त जाती रहने का अंदेशा हो और अगर देखता है कि क़ज़ा -ए- हाजत और वुज़ू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रियायत मुक़द्दम है नमाज़ पढ़ ले और अगर नमाज़ के दौरान में ये हालत पैदा हो जाये और वक़्त में गुंज़ाइश हो तो नमाज़ तोड़ देना वाजिब है और इसी तरह पढ़ ली तो गुनाहगार होगा"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 126
अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान है इन्सान कि ये करे या वो करे, आखिर सही क्या है, उस हालत में कौन सा फैसला लेना सही है?

जवाब : 126

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस्तिखारा कर लिया जाये और जब दो परेशानी सामने हो तो छोटी परेशानी को ही अपना लेना चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 127
हज़रत अगर मोहरी पलटी हो तो नमाज़ हो जायेगी क्या? और अगर किसी से कह सकते हैं अगर मोहरी पलटी हो तो?

जवाब : 127

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़ में पाइचों का मोड़ना मकरूहे तहरीमी है। चाहे हालते नमाज़ में मोड़े जायें या नमाज़ शुरू करने से पहले और इस तरह पढ़ी गयी नमाज़ फिर से पढ़ना वाजिब है। अगर किसी की मोहरी उल्टी देखे और फ़साद का अन्देशा ना हो तो प्यार से समझा सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 128

हज़रत अगर कपड़े पर छिपकली गिर जाये तो क्या बिना कपड़े बदले बिना उसे धुले हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाब : 128

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पढ़ सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 129

हज़रत अगर शराब जो पीता है तो वो नापाक हो जाता है क्या?

जवाब : 129

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

शराब पीने से नापाक नहीं होता यानी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता अलबत्ता वुज़ू जाता रहेगा। जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 308 पर है :

इतना नशा कि चलने में पाऊँ लड़खड़ाये वुज़ू तोड़ देगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 130

LIC का काम हम कर सकते हैं या LIC करवा सकते हैं?

जवाब : 130

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! LIC का काम यानी LIC एजेन्ट बनने में कोई हर्ज नहीं ये काम कर सकते हैं जबकि इस में और कोई खिलाफे शरीअ़त शर्त ना हो। मस्लन झूट बोलना शर्त ना हो, नमाज़ क़ज़ा करना शर्त ना हो वग़ैरह और LIC करवा सकते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं जबकि कम्पनी काफ़िर की हो और मुसलमान LIC करवाने वाले का नफ़ा हो और नुक़सान ना हो।

जैसा कि फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा, 602 पर जीवन बीमा के बारे में किये गये एक सवाल के जवाब में आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फरमाते हैं :

जबकि ये बीमा गवर्नमेन्ट (काफ़िर) करते हैं और इन में अपने नुक़सान की कोई सूरत नहीं तो जाइज़ है हर्ज नहीं।

और मसअला ये है कि इंडिया के काफ़िर अगर ज़्यादा माल मुसलमान को दें तो हर्ज नहीं, लेना जाइज़ है। और यही उलमा के फ़तावे में मौजूद है।
जैसा कि फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 3, सफ़हा 45 पर है :
हिन्दुस्तान के गैर मुस्लिम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई रक़म मुसलमानों को दें और इस के लिये में कोई उज़्र इज़्ज़त को खतरा वग़ैरह ना हो तो इस का लेना जाइज़ है इसको जिस मसरफ में खर्च करेगा जाइज़ होगा। (मस्लन दीनी कामों में भी)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 131
किसी लड़की से शादी करनी है तो पहले उसे एक बार देख सकते हैं? शरीअ़त में क्या हुक्म है? हज़रत इस सवाल की रहनुमाई फरमाईये।

जवाब : 131

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! जिस से शादी करनी है उसे देख सकता है मगर इस तरह कि उस से मिलना ना हो और चाहे तो लड़का अपने घर की औरतें भेज कर उसे दिखवा सकता है और वो औरतें उस लड़की का हाल, चेहरा, रंग, रूप वग़ैरह बयान कर दें मगर क्योंकि दौर पुरफ़ितन है लिहाज़ा ऐसी सूरत में देखने की इजाज़त है।
हदीस में है : कहते हैं मैने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया।
हुज़ूर ﷺ ने मुझ से फ़रमाया कि क्या तुम ने उसे देख लिया?
अ़र्ज़ की : नहीं।

फ़रमाया : उसे देख लो कि उस की वजह से तुम दोनों के दरमियान मवाफिक़त होने का पहलू गालिब है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 442)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 132
हज़रत हम कौन-कौन सा पानी खड़े हो कर पी सकते हैं?

जवाब : 132

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सारे पानी खड़े हो कर पी सकते हैं। गुनाह किसी में नहीं और ना खड़े होकर पानी पीना हराम। मगर खड़े हो कर पानी पीना मकरूह है, खिलाफ़े सुन्नते गैरे मुअक्किदा है मगर गुनाह नहीं और सुन्नत के खिलाफ काम करने से बचना चाहिये यानी बैठ कर 2 या 3 साँस में ही पानी पीना चाहिये। जो खड़े हो कर पीते हैं उन्हें समझाना चाहिये मगर उन्हें गुनाहगार नहीं कह सकते। क्योंकि जब शरीअ़त ने खड़े हो कर खाने पीने में गुनाह नहीं रखा तो अब किसी को हक़ नहीं कि अपनी अक़्ल से शरीअ़त बनाये। मगर ये फ़ेल बुरा ज़रूर है। वुज़ू का बचा पानी और ज़मज़म शरीफ़ का पानी खड़े होकर पीना मुस्तहब है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 133
क्या फरमाते हैं उलमा -ए- अहले सुन्नत इस बारे में कि पतंग (Kite) की खरीद-फरोख्त, इसे बनाना, उड़ाना, लूटना, शौक से पतंगबाज़ी देखना कैसा? और हज़रत आपकी क्या राय है?

जवाब : 133

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
15 अगस्त के आते ही लोग पतंग बाज़ी में अपना वक़्त बरबाद करते हैं। शायद वो पतंग बाज़ी के शरई मसाइल से वाक़िफ़ नहीं होते और ना उन्हें ये अन्देशा होता है कि ये काम नाजाइज़ और गुनाह का है। जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, पतंग बाज़ी के कुछ सवाल के जवाब देते हुये फ़तावा रज़विय्या में इरशाद फ़रमाते हैं कि
पतंग लूटना हराम है, खुद आ कर गिर जाये तो उसे फाड़ डालें।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 660)

पतंग उड़ाने में माल की बरबादी है ये भी गुनाह। गुनाह का सामान (पतंग) बेचना भी गुनाह है।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 660-661)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 134
कीड़े मकोड़े (Insects, Cockroach etc) या चींटी (Ants) को मारना क्या गुनाह है?

जवाब : 134

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जो जानवर मूज़ी है उन्हें मारना जाइज़ है और तक्लीफ देने से पहले भी मार सकते हैं बल्कि बाज़ को मारने पर सवाब है। जैसे छिपकली और गिरगिट के बारे में हदीस में फ़रमाया जो छिपकली और गिरगिट को पहली ज़र्ब में मारेगा उसके लिये 100 नेकियाँ।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 10, सफ़हा 742 पर है :
चील, कव्वा, चूहा, छिपकली, साँप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, पिस्सू वग़ैरह खबीस और मूज़ी जानवरों को क़त्ल हरम शरीफ़ में भी जाइज़ है और अहराम में भी।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 655 पर है :
खटमल को मारना जाइज़ है कि ये तकलीफ देह जानवर है।
चींटी को मारना मकरूह है जब तक तकलीफ ना दे जैसा कि फ़तावा आलमगीरी में है कि चींटी ने ईज़ा पहुँचाई और मार डाला तो हर्ज नहीं वरना मकरूह है।
जू को मार सकते हैं (चाहे) उसने काटा ना हो।
टिड्डी हलाल जानवर है उसे खाने के लिये मार सकते हैं और ज़रर से बचने के लिये भी मार सकते हैं।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 655)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 135
तीजे के चने जो बच्चों को भी बाँट दिये जाते हैं फिर चाहे, बच्चे अमीर के हों या गरीब के उन्हें देना चाहिये या नहीं?

जवाब : 135

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ये चने फक़ीर ही खाये, गनी को खाना नहीं चाहिये बच्चा हो या बड़ा, गनी बच्चे को उनके वालिदैन मना करें।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 09, सफ़हा 617)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 136
अगर किसी लड़की की शादी उस की फैमिली जबरदस्ती कर दे और लड़की को लड़का पसंद ना हो और लड़की रह ना पाये, तलाक़ ले ले तो उस का गुनाह लड़की के ऊपर ही पड़ेगा? या उस हालत में लड़की को तलाक़ नहीं लेना चाहिये? हज़रत।

जवाब : 136

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पहले तो ये कि लड़की की शादी बिना उसके क़ुबूले निकाह के नहीं हो सकती। अगर दिल नहीं था तो क़ब्ले निकाह ही मना करना था और जब लड़की ने निकाह क़ुबूल कर लिया तो ये निकाह सही हो गया। और बिला वजहे शरई इस औरत का तलाक़ के लिये शौहर से कहना सख्त ना-फ़रमानिये खुदा है और औरत कब-कब शौहर से तलाक़ ले सकती है ये बातें शरीअ़त ने पहले ही बता दी हैं। महज़ ये कि पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगा तो तलाक़ ले ली ये मुआमले ज़िन्दगी के हैं, खेल तमाशे नहीं। चाहिये था उस लड़की को कि सब्र रखती और अल्लाह उसमें (शौहर में) उसे ज़रूर भलाई देता। बहरहाल अब तलाक़ हो गयी तो लड़की इसके लिये अल्लाह से तौबा करे कि गुनाहे कबीरा भी सच्ची तौबा से मुआफ़ हो जाते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 137
हज़रत क्या वॉट्सएप्प पर इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि सुब्हान अल्लाह की जगह लोग (शहादत और अँगूठे को मिला कर गोल दिखने वाली पिक) कमेंट करते हैं और गुज़ारिश के लिये हाथ जोड़ने का इशारा और कार्टून जैसे चुप रहने के लिये उँगली मुँह पर रखी हुई, दुआ के लिये हाथ का पिक तो हज़रत क्या ये सब सही है या गलत? रहनुमाई फ़रमा दें।

जवाब : 137

بسم الله الرحمٰن الرحيم

साइल ने जो लोगो (Logo) सवाल में दर्ज किये थे वो जानदार की तस्वीर के हुक्म में नहीं और उन्हें पिक्चर कहते भी नहीं बल्कि उन्हें सिम्बल (Symbol) कहते हैं। जिसमें एक गोल चेहरा (बगैर कान का) होता है, और वो हँसना या रोना या चुप होने को ज़ाहिर करता है और हाथ इस तरह होते हैं जैसे दुआ कर रहे हैं और वही हाथ किसी को हाथ जोड़ने के काम आते हैं और उस हाथ जोड़ने का मतलब कुफ्फ़ार की मिस्ल पूजा हरगिज़ नहीं होता बल्कि अगर किसी से कहना होता है कि खामोश हो जाओ तो वो हाथ का सिम्बल सेंड किया जाता है। इसी तरह चुप रहने के लिये शहादत की उंगली का (इन सिम्बल में हर्ज नहीं।)

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 138

अगर हम 4 रक़अ़त नमाज़ पढ़ रहे हैं और दूसरी रक़अ़त में अत्तहिय्यत पढ़ना भूल गये और तीसरी रक़अ़त के लिये खड़े हो गये तो इस सूरत में क्या मसअला है?

जवाब : 138

بسم الله الرحمٰن الرحيم

तीसरी रक़अ़त में अगर भूल से सीधा खड़ा हो जाओ तो बैठना नहीं चाहिये बल्कि नमाज़ के आखिर में सजदा -ए- सहव किया जायेगा।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 139

हज़रत अगर कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम से तहेदिल से कोई रिश्ता रखना चाहे तो क्या शरीअ़त हमें इजाज़त देगी?

जवाब : 139

بسم الله الرحمٰن الرحيم

मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं, और हदीस में भी यही तरगीब दिलाई गयी है कि आपस में भाई-भाई हो जाओ। अब इसके बाद अलग से और दिल से कोई रिश्ता रखना चाहे तो अच्छा है मगर ये रिश्ता मर्द-औरत के बीच नहीं होना चाहिये। इस तरह के रिश्ते को भी शरीअ़त ने रोका है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 140
हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की बीवियाँ कितनी हैं?

जवाब : 140

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की अज़्वाज की तादाद को लेकर उलमा में इख्तिलाफ है मगर 11 अज़्वाज को लेकर किसी का इख्तिलाफ नहीं। इन 11 उम्मत की माँओं में से 6 खानदाने क़ुरैश के ऊँचे घरानों से थीं और 4 खानदाने क़ुरैश से नहीं बल्कि अ़रब से दूसरे क़बीलों से थीं और एक (हज़रते सफ़िय्या) ये खानदाने बनी इसराईल की एक शरफुन्नसब रईस ज़ादी थीं।
(सीरते मुस्तफ़ा, सफ़हा 651)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 141
भाई किसी गैर मुस्लिम को नमस्ते करना और हाथ जोड़ कर नमस्ते करना कैसा है? रहनुमाई फरमायें।

जवाब : 141

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमस्ते और नमस्कार के माइने आदाब, तस्लीम, सलाम करना वग़ैरह के होते हैं।
जैसा कि फ़ी-रोज़ुल लुगत शरीफ़, 1379 पर है,
उलमा फरमाते हैं कि मुसलमान काफ़िर को नमस्ते कहे, ये हराम है।
और काफ़िर के यहाँ ये शियारे ताज़ीम है और खास शियारे हिनूद है तो किसी काफ़िर को नमस्ते नहीं करना चाहिये क्योंकि जब हदीस में फासिक़ की ताज़ीम को मना किया तो काफ़िर की ताज़ीम की कैसे इजाज़त होगी। इस्लाम ने मुसलमानों को आपस में मिलते वक़्त सलाम की तरगीब दी और हुज़ूरे पाक ने काफ़िर और फासिक़ों और गैरों के तरीक़े से बचने का हुक्म दिया।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं : काफ़िर को सलाम हराम है। और आगे लिखते हैं, काफ़िर या फासिक़ को सलाम करने की सही ज़रूरत पेश आये तो लफ्ज़ सलाम ना कहें ना कोई ऐसा लफ्ज़ जो ताज़ीमी हो। मजबूर हो तो आदाब कहें (यानी आ मेरे पाऊँ दाब) और मजबूरी की हालत में आदाब कहते वक़्त भी दिल में उनकी ताज़ीम की निय्यत नहीं होनी चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 142
हज़रत अगर हम किसी काफ़िर से ताल्लुक़ रखते हैं या दोस्ती करते हैं, उस के घर आते जाते हैं, खा पी लेते हैं, क्या इस में कोई हर्ज़ है या नहीं?

जवाब : 142

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ज़रूर हर्ज है, बिला मज़बूरी भी उनकी तरफ क़दम नहीं बढ़ाना चाहिये और ज़रूरत ये होती है जैसे दुकान से सामान खरीदना है इसी तरह की और भी जिसे उलमा कई किताबों में बयान कर चुके हैं।

और बिला वजह ही काफ़िर से मेल जोल खाना पीना नहीं चाहिये कि हदीस में आया जो जिस से मुहब्बत रखेगा उसका अंजाम उसके साथ होगा। जब कोई काफ़िर है, अल्लाह और रसूल पर ईमान ही नहीं लाता तो कैसे हमारी दोस्ती उस से हो सकती है, और खुदा ना करे अगर उसके किसी कुफ्र पर राज़ी या कुफ्र हो गया और उस शिर्क पर खुशी का इज़हार या राज़ी रहा तो ज़रूर खुद भी काफ़िर हो जायेगा और मेल जोल रखने वालों के लिये बचना मुश्किल है कि आज-कल लोग दुनिया की शर्म से खुदा को नाराज़ करने वाले काम करने से पीछे नहीं हटते। अल्लाह हम सब को सीरते मुस्तफ़ा पे साबित क़दम रखे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 143
जो माँगने वाले आते हैं जो रिक्शे पर माइक पर सलाम रिकॉर्ड हुआ होता है उस का जवाब दे सकते हैं या नहीं?

जवाब : 143

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
रिकॉर्ड शुदा सलाम का जवाब देना कुछ ज़रूरी नहीं ये रिकॉर्ड शुदा अज़ान के ही हुक्म है। और एक अहम बात, अगर माँगने वाला बिना माइक के भी आये और सलाम करे तो उसका जवाब भी देना वाजिब नहीं। यानी भिखारी माइक पे सलाम सुनाये या फिर खुद सामने आ कर सलाम करे दोनों सूरतों में जवाब वाजिब नहीं यानी जवाब ना दिया तो गुनाह नही।
जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 461 पर है :

साइल ने दरवाज़े पर आकर सलाम किया उस का जवाब देना वाजिब नहीं।
(मगर इस सूरत में जवाब दे देना बेहतर है।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 144
औरतों को मेहंदी लगाना क्यों जाइज़ है, मर्द को हराम क्यों है?

जवाब : 144

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मेहंदी औरत की ज़ीनत का सामान है और औरत की ज़ीनत का सामान औरत ही के लिये होता है इसीलिये जाइज़ है। बल्कि बाज़ उलमा ने बगैर मेहंदी के हाथ औरत के लिये मकरूह लिखा है कि ये मर्द से मुशाबिहत है। और मेरे नज़दीक़ भी यही सही है। मर्द को मेहंदी लगाना हराम सिर्फ हाथ पाऊँ नाखून पर है, यानी जहाँ औरत ज़ीनत के लिये लगाती है तो मर्द उस जगह ज़ीनत के लिये नहीं लगा सकता कि ये औरत से मुशाबिहत है और हदीस में मनाहिया है और मर्द बालों और दाढ़ी पे मेहंदी लगा सकता है क्योंकि औरत ज़ीनत के लिये मेहंदी बालों में इस्तिमाल नहीं करती यानी मुशाबिहत नहीं हुई।
और कमर या काँधे पर अगर खारिश वग़ैरह के लिये मर्द मेहंदी लगाये तो नाजाइज़ नहीं है कि ये ज़ीनत मक़सूद नहीं और ना ऐसी जगह औरत से मुशाबिहत। और जो शादी में दूल्हा के हाथ और छुंगली पे मेहंदी लगाते हैं वो हराम है और जो इसे सुन्नत बताते हैं, आला दर्जे के जाहिल।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि औरत को मेहंदी इसीलिये जाइज़ है कि उसकी ज़ीनत का सामान है और मर्द को हराम इसीलिये कि ये औरत से मुशाबिहत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 145
क्या फर्क़ है एक देवबन्दी और वहाबी में?

जवाब : 145

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
दोनों के जहन्नमी होने में कोई फर्क़ नहीं दोनों के गुमराह होने में भी कोई फर्क़ नहीं। दोनों ही के अक़ीदे बातिल हैं और बाज़ अक़ीदे क़ुरआन, सुन्नत और इज्माअ़ के खिलाफ हैं। फर्क़

इतना है कि वहाबी मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपना पेशवा मानता है और देवबन्दी अशरफ अली, रशीद अहमद वग़ैरह को।

वहाबी चारों में से किसी इमाम का मुक़ल्लिद नहीं, देवबन्दी फुरूई मसाइल में इमामे आज़म का मुक़ल्लिद है।

वहाबी क़ुरआन हदीस के अलावा इज्माअ़ क़यास नहीं मानता और देवबन्दी इज्माअ़ और क़यास को मानते तो हैं मगर अ़मल में नहीं लाते।

दोनों ही गैरुल्लाह से मदद के खिलाफ़ हैं जबकि खुद इनके बुज़ूर्ग इसके क़ाइल थे।

दोनों ही नबी के गैब का इन्कार करते हैं जबकि नबी लफ्ज़ का माइना ही गैब की खबर देने वाला है। विसाल के बाद किसी वली से मदद को दोनों शिर्क कहते हैं जबकि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिस से हयात में मदद तलब की जाती है उस से बादे विसाल भी मदद ली जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिये बहारे शरीअ़त का हिस्सा 1 और जा अल-हक़ किताब का मुताला मुफ़ीद होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 146

हज़रत मुझे यह जानना है कि इस्लाम में टी. वी. देखना मना है या उस में दिखाये जाने वाले गलत तरीक़े, अगर इस्लाम में टी. वी. मना है तो टी. वी. में इस्लामी चैनल भी आते हैं, क्या वो भी गलत है?

जवाब : 146

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जब तक टी. वी. ऑन नहीं यानी बंद है तो उसे देखना कुछ गलत नहीं, फिर चाहे बंद टी. वी. घर में ज़िन्दगी भर रखा रहे मगर वो टी. वी. किस निय्यत से खरीदा गया है इसका क़ियामत में ज़रूर हिसाब है। अब रहा टी. वी. पर आने वाले प्रोग्राम, वीडियो के जाइज़ और नाजाइज़ होने में हमारे उलमा का इख्तिलाफ़ है और जिन्होने टी. वी. को नाजाइज़ कहा उनके नज़दीक़ हर क़िस्म का प्रोग्राम नाजाइज़ है फिर चाहे दीनी हो या दुनियावी और जिन्होंने वीडियो को जाइज़ कहा तो उसी सूरत में जाइज़ कहा जब कि उस पर कुछ खिलाफ़े शरअ़ चीज़ ना दिखायी जाती हो यानी अगर मर्द बयान करे, ना एड हो, ना औरत, ना औरत की आवाज़, ना बे-पर्दगी। तो इस क़ाइदे के साथ वो प्रोग्राम देखने की इजाज़त

दी गयी मस्लन, कोई मुफ्ती साहब बयान करें या नात पढ़ी जाये। औरत और कोई म्यूज़िक ना हो और मुत्लक़न वीडियो के जाइज़ होने में किसी मुफ्ती का फ़तवा नहीं ये इल्ज़ाम झूटा है और जिन्होंने जाइज़ कहा उन्होंने शर्तों के साथ जाइज़ कहा है ऐसे नहीं कि पूरी तरह और हर प्रोग्राम जाइज़ कर दिया। अल्लाह हिफाज़त करे दिलों में वस्वसे डालने वाले इब्लीस से (और हमारे नज़दीक़, जाइज़ वीडियो जाइज़ है, और उन्हीं शर्तों के साथ जो उलमा ने बयान की। दीनी प्रोग्राम देखना और मदनी चैनल भी देखना जाइज़।) बाक़ी आपकातक़वा है अगर आप बिल्कुल ही टी. वी. घर पर रखना नहीं चाहते तो बहुत ही अच्छा है और अगर आप घर से टी. वी. निकाल नहीं सकते तो ज़रूर वो बे-हयाई ही दिखायेगा तो इस से बेहतर है कि दीनी प्रोग्राम देख लिये जायें। इस से घर के बच्चे औरतें बेहयाई नाच गानों से तो बचेंगे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 147

हम ने सुना है कि फटे पैजामे पर नमाज़ नहीं होती है। हज़रत क्या ये सही है?

जवाब : 147

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर कपड़ा ऐसी जगह से फटा हुआ है कि जो हिस्सा नमाज़ में छुपाना ज़रूरी था तो ऐसी सूरत में नमाज़ नहीं होगी यानी सित्र के खुला रहने की सूरत में। क्योंकि नमाज़ में सित्र का छुपाना नमाज़ की शर्तों में शामिल है और शर्त पूरी ना करने की सूरत में नमाज़ शुरू ही नहीं होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 148

हज़रत एक सवाल है कि 4 रक़अत फ़र्ज़ नमाज़ बिना जमाअत के पढ़ी, 2 रक़अत में सूरह फ़ातिहा और सूरह मिलाई, 3 रक़अत में 3 बार सुब्हान अल्लाह कहने की मिक़्दार खड़े रहे फिर 4 रक़अत में सूरह फ़ातिहा पढ़ कर रुकूअ़ सजदे करके नमाज़ मुकम्मल की तो नमाज़ हो जायेगी?

जवाब : 148

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़ हो जायेगी, बल्कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में भी सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिला कर पढ़े तो ये मुस्तहब है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 149
हज़रत गैर मुस्लिम ने पीने के पानी से हाथ मुँह धोने को मना करा है, उस पानी से वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े हो जायेगी या नहीं?

जवाब : 149

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बगैर मालिक की इजाज़त के पानी ले कर वुज़ू या गुस्ल करना हराम है और गुनाहगार होगा। मगर इस सूरत में वुज़ू हो जायेगा और नमाज़ भी।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 2, सफ़हा 479 पर आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत लिखते हैं :
पराया पानी (ज़बर्दस्ती या चुरा कर) इस्तिमाल में लाना, चाहे खाने पीने में हो या तहारत में हराम है। मगर वुज़ू गुस्ल सही हो जायेंगे और उन से नमाज़ अदा हो जायेगी।

इसी तरह जो सड़कों पर सबील लगाई जाती है वो पानी पीने के लिये होता है अगर मालिक ने उस से हाथ मुँह धोने की इजाज़त नहीं दी और कोई पानी मौजूद नहीं है तो उस पानी से वुज़ू नहीं कर सकता तयय्युम करेगा जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रज़ा बरेलवी,

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 2, सफ़हा 482 पर लिखते हैं कि :
सबील जो पीने के लिये लगाई गयी है उस का भी यही हुक्म है कि उस से वुज़ू गुस्ल चाहे सही हो जायेंगे (मगर करना) जाइज़ नहीं। अगर उसके सिवा और पानी ना मिले और इसे वुज़ू या गुस्ल की हाजत हो तो तयय्युम करे। उस (पानी) से तहारत नहीं कर सकता।

इस मसअले से बहुत लोग गाफ़िल हैं अक्सर देखा गया है कि लोग मस्जिद तक से वुज़ू का पानी भर के ले जाते हैं जो ठंडे पानी की मशीन मस्जिद में रखी जाती है उस से भी पानी भर के ले जाना जाइज़ नहीं। जब तक उन लोगों की इजाज़त ना मिले जिनके पैसों से वो लगायी गयी बल्कि इसकी इजाज़त इमाम और कमेटी भी नहीं दे सकती बल्कि अगर उस मशीन में 1000 लोगों ने चन्दा दिया है तो 999 लोगों की भी इजाज़त काफ़ी नहीं जब तक सभी इजाज़त ना दे दें। जो सबील रोड पर पीने की लगी होती है उनमें कुछ पर तो साफ लिखा होता है "हाथ मुँह धोना और भर के ले जाना मना है" मगर फिर भी

लोग बोतल वग़ैरह भर लेते हैं, ऐसा करना हराम है। अल्लाह त'आला से दुआ है कि हमें शरीअ़त पर साबित चलने की तौफीक़ दे

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 150

ऐसे शख्स के बारे में शरीअ़त का क्या हुक्म है, जो खुद को सुन्नी बताये, सारी नमाज़ सुन्नी इमाम के पीछे पढ़े मगर कभी कभी जुम्आ की नमाज़ देवबन्दी इमाम के पीछे पढ़े तो क्या शख्स सुन्नी है या गुमराह?

जवाब : 150

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी भी गुमराह फिरक़े के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना गुनाह है फिर चाहे नमाज़े जुम्आ हो या पंजगाना। अगर जाइज़ होती तो सिर्फ जुम्आ ही नहीं बल्कि सारी नमाज़ जाइज़ होती इसीलिये अगर नमाज़ नहीं होगी तो जुम्आ भी नहीं होगा। अगर ये देवबन्दियों की कुफ्रिया इबारत से वाक़िफ़ नहीं है तो ज़रूर ऐसा शख्स गुमराह है जो जुम्आ उनके पीछे पढ़े। और ये सच में सुन्नी है और देवबन्दी की किताब में जो गुस्ताखी लिखी है उनसे वाक़िफ़ भी है और उसके बाद भी जुम्आ उनके पीछे पढ़ता है तो ऐसा शख्स काफ़िर है क्योंकि किसी के पीछे नमाज़ पढ़ना इस बात की गवाही है कि वो इमाम को मुसलमान मानता है अगर मुसलमान नहीं मानता तो नमाज़ नहीं पढ़ता। जो जान जाये कि अशरफ अ़ली थानवी और दीगर मौलवी जिन पर कुफ्र का फ़तवा है वो गुस्ताखी के सबब काफिर हुये और फ़तावा हुस्सामुल हरमैन में है कि जो उनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफ़िर है।

लिहाज़ा ये जो खुद को सुन्नी बताता है और अगर देवबन्दियों के कुफ्र से वाक़िफ़ है तो ऐसे शख्स पर फिर से कलिमा पढ़ना फर्ज़ है। इसके सारे नेक आमाल बरबाद हो गये और निकाह वाला था तो निकाह भी जाता रहा फिर अगर बीवी रखना चाहे तो कलिमा पढ़ कर निकाह करे और अगर ये शख्स फिरभी जुम्आ देवबन्दी के पीछे पढ़ने से बाज़ ना आये तो मुसलमानों पर लाज़िम है कि इस का बॉयकॉट करें और मिलना जुलना बंद करें जब तक ये बाज़ ना आये, तौबा करके कलिमा ना पढ़ ले।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 151

गवर्नमेंट के चलाये गये

(1) किसी फ्री प्रोग्राम से फाइदा लेना।

(2) सब्सिडी लेना।
(3) बेरोज़गारी भत्ता।
(4) एजुकेशन स्कॉलरशिप लेना कैसा है?

जवाब : 151

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जाइज़ है जबकि इसमें कोई शर्त खिलाफे शरअ़ ना हो। मगर ऐसे सवाल करने से पहले साइल को एक बार ध्यान ज़रूर करना चाहिये था कि सवाल में जो चीजें पूछी गयी बस यही नहीं हिन्दुस्तान की सरकार अपने मुल्क के बाशिंदों को और भी मदद देती है और सरकार की तरफ से मिलने वाले सिर्फ इन चार चीज़ों का ही क्या पूछना, मदद तो और भी है जैसे फ्री हॉस्पिटलिटी, दवा, सरकारी स्कूल में किताब, वर्दी, सस्ता राशन और 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी फाइदा मिलता है और मैने ये फाइदा उलमा को भी लेते हुये देखा है और तो और मदरसों को भी सरकारी मदद मिलती है और हज के वक़्त हाजियों के लिये भी कुछ स्कीम होती हैं। अब अगर इस तरह की मदद को नाजाइज़ कह दिया जाये तो शायद पूरे हिन्द के मुसलमानों पर गुनाह का इल्ज़ाम लाज़िम आ जायेगा जिस में आवाम और उलमा दोनों शामिल होंगे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 152
क्या तीजे के चने गनी भी खा सकता है? अगर नहीं तो फिर गनी उस का क्या करे?

जवाब : 152

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
फक़ीर ले कर खुद खाये और गनी ले ही नहीं। ले तो मुसलमान फक़ीर को दे दे।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 09, सफ़हा 617)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 153
नमाज़ पढ़ते वक़्त आवाज़ कितनी तेज़ होनी चाहिये?

जवाब : 153

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़िरअत में इतनी आवाज़ दरकार है कि अगर कोई शोर गुल ना हो तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी ना हो तो नमाज़ ना होगी।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 01, सफ़हा 544)

और बाज़ लोग जो तन्हा नमाज़ पढ़ते वक़्त सिर्फ होंट हिलाते हैं या दिल ही दिल में पढ़ते हैं, ये पढ़ना नहीं और इस तरह नमाज़ नहीं होती और नमाज़े ज़हरी यानी जिसमें इमाम तेज़ आवाज़ में पढ़ता है तो उसमें ज़हर के ये माइने हैं कि दूसरे लोग यानी सफ़े अववल में सुन सकें ये अदना दर्जा है और अवला के लिये हद मुक़र्रर नहीं और आहिस्ता ये है कि खुद सुन सके।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 154
अपना गुनाह दूसरों को बताना कैसा?

जवाब : 154

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अपने गुनाह का इज़हार करना भी नाजाइज़ और गुनाह है और देखा जाता है कि आज कल गुनाह करके उस को लोगों में बयान करते हैं। और स्कूल कॉलेज में भी आज कल लड़के, लड़कियाँ, अपने गुनाह भरे कारनामे मस्लन, किस तरह छुप कर शराब पी, किस तरह फिल्म देखी, किस तरह किसी को मारा या गाली दी और ये बातें अपने दोस्तों से बताते हैं, ये काम भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला है बल्कि नमाज़ ना पढ़ कर लोगों के सामने बयान करना कि मेरी ये नमाज़ छूट गयी या मै सिवाये जुम्आ के कोई नमाज़ नहीं पढ़ पाता ये भी गुनाह यानी एक तो नमाज़ छोड़ने का गुनाह, एक गुनाह का इज़हार का गुनाह और अपने गुनाह के इज़हार की एक जाइज़ सूरत है जो हदीस से भी साबित है कि अगर गुनाह किसी आलिम, मुफ्ती को बताया जाये ताकि उसकी तौबा या कफ्फारा मालूम किया जाये तो ये गुनाह नहीं। जैसा कि हदीस में एक सहाबी ने रोज़ा तोड़ दिया फिर कफ्फ़ारा हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से पूछा तो ये इज़हार ना था बल्कि तौबा की सूरत मालूम करना मक़सूद था। इसी तरह हदीस में 99 क़त्ल करने वाले शख्स का वाक़िया कि उसने पूछा मेने 99 क़त्ल किये हैं, क्या मेरी तौबा है? यहाँ भी इज़हारे तौबा की सूरत बयान करने के लिये है मगर आवाम बतौरे तफरीह ये काम करती है, ये जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 155

महरम रिश्तेदार किसे कहते हैं? और कौन से रिश्ते में पर्दा लाज़िम है?

जवाब : 155

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

महरम में 3 क़िस्म के अफ़राद शामिल हैं :

नसब की बिना पर, जिन से हमेशा के लिये निकाह हराम हो।

रजाअत यानी दूध के रिश्ते की बिना पर, जिन से निकाह हराम हो।

मुसाहरत यानी ससुराली रिश्ते की बिना पर निकाह हराम हो, जैसे दामाद का सास से, बहू का ससुर से। औरत का हर अजनबी बालिग मर्द से पर्दा है जो महरम ना हो, महरम में पर्दा वाजिब तो नहीं मगर कुछ रिश्ते में पर्दा बेहतर है। जैसे बहू का दौरे पुरफ़ितन में ससुर से पर्दा करना बेहतर है। इसी तरह घर में देवर से भी चेहरा छिपाना ज़रूरी है और तफ़सील "बहारे शरीअ़त" या "पर्दे के बारे में सवाल जवाब" किताब से मुलाहिज़ा करें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 156

हालते नमाज़ में मुस्कुराना, हँसना या रोना कैसा?

जवाब : 156

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

रुकूअ़, सुजूद वाली नमाज़ में बालिग ने कहकहा लगा दिया यानी इतनी आवाज़ से हँसा कि आस पास वालों ने भी सुन लिया तो वुज़ू भी टूट गया और नमाज़ भी टूट गयी और अगर इतनी आवाज़ ना थी कि दूसरा सुने मगर इतनी आवाज़थी कि खुद ने सुना तो वुज़ू बाक़ी है, नमाज़ टूट गयी। मुस्कुराने से ना नमाज़ जाती है ना वुज़ू। मुस्कुराने की तारीफ़ ये है कि आवाज़ ना हो बस दाँत नज़र आयें। नमाज़ में रोना दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज़ आह, ऊह, उफ़, तुफ निकल गया या आवाज़ से रोने में ये हुरूफ़ पैदा हो गये तो नमाज़ फासिद हो गयी यानी टूट गयी और रोने में सिर्फ आँसू निकले आवाज़ या हर्फ़ नहीं निकले तो हर्ज नहीं।

(फ़तावा आलमगीरी)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 157

कुत्ते को डंडा या किसी चीज़ से ईज़ा देना कैसा?

जवाब : 157

بسم الله الرحمٰن الرحيم

बिना वजह किसी भी बे-ज़ुबान को ईज़ा नहीं देनी चाहिये, सिवा उनके जिनको मारने का हुक्म हदीस में आया है, मस्लन छिपकली वग़ैरह बे-ज़ुबान बल्कि कुत्ते पर भी रहम करने के सबब अल्लाह ने मग़फ़िरत की है। ये मज़मून भी हदीस में मौजूद हैं।जिस से अन्दाज़ा लगा सकता है कि मारना चाहिये या नहीं। और अगर कुत्ता पागल हो कि लोगों को तक्लीफ का सबब बनेगा तो कुत्ते को मार देना भी शरीअ़त से साबित है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 158

ज़ैद ने कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी और कुत्ता मर गया। क्या ज़ैद गुनाहगार हुआ अगर हुआ तो इसका कफ्फ़ारा क्या होगा?

जवाब : 158

بسم الله الرحمٰن الرحيم

अगर ज़ैद अपने मुताबिक़ सही ड्राइव कर रहा था और अचानक कुत्ता सामने आया और मर गया तो इसे उर्फे आमे ऐक्सीडेंट कहते हैं। ज़ैद पर गुनाह नहीं और कफ्फ़ारा भी नहीं।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 159

नाहिदा (मुस्लिम लेडी) ने ज़ैद (मुस्लिम जेन्टस) को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी और अम्र (काफ़िरा लेडी) ने ज़ैद को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी। अब ज़ैद और नाहिदा पर क्या शरई हुक्म लगेगा?

जवाब : 159

بسم الله الرحمٰن الرحيم

काफ़िर के "क़ौमी शियार" इख्तियार करना हराम है और काफ़िर के "मज़हबी शियार" को इख्तियार करना कुफ्र है।

रक्षा बंधन काफिरों का क़ौमी त्यौहार है, मजहबी त्यौहार नहीं, किसी भी काफ़िर का क़ौमी शियार इख्तियार करना हराम गुनाह है, जैसे- होली खेलना। जो चीज़ उनके मज़हब में इबादत मानी जाती है वो कुफ्र है। जिस मुसलमान औरत ने मर्द को राखी बांधी और जिस मर्द ने मुसलमान और गैर मुसलमान औरत से राखी बंधवाई ये दोनों यानी नाहिदा,

ज़ैद फासिक़, फाजिर, सख्त गुनाहगार, अज़ाब के हक़दार हैं लेकिन काफ़िर नहीं क्योंकि राखी बांधना (गैर मुस्लिम) का क़ौमी त्यौहार है, मज़हबी नहीं। (जिसकी तफ़सील ऊपर गुज़र चुकी।)

हज़रत शारेह बुखारी, फ़क़ीहे आज़मे हिन्द, हज़रत अ़ल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शरीफुल हक़ अमजदी साहिब फ़तावा शारेह बुखारी, जिल्द 2, सफ़हा 568 पर लिखते हैं :
जिन मुसलमान औरतों ने हिन्दुओं को ये डोरा बांधा, जिन मुसलमान मर्दों ने हिन्दू औरतों से ये डोरा बंधवाया सब फासिक़, फाजिर, गुनाहगार, अज़ाब के हक़दार हैं लेकिन काफ़िर नहीं। इसलिये कि रक्षाबंधन पूजा नहीं उनका क़ौमी त्यौहार है। काफिर के मज़हब की मुबारकबाद देना अशद हराम और मुशरिकाना फैल पर राज़ी और खुश हुआ या ताज़ीमन शामिल हो कर मुबारक बाद दी तो खुद भी काफिर। ऐसे शख्स पर तजदीदे ईमान और अगर बीवी वाला था तो निकाह लाज़िम।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 160
राखी बांधना या बंधवाना कैसा है?

जवाब : 160

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हराम है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 161
अ़रबी को हिंदी, इंग्लिश या किसी और ज़ुबान में लिखना कैसा?

जवाब : 161

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़ुरआन की आयतों को हिन्दी रस्मुल खत या किसी भी गैर अ़रबी में लिखना ना जाइज़ और गुनाह है। हदीस और दुरूद वग़ैरह को लिखना गैर अ़रबी में गुनाह नहीं मगर इसे भी लिखना नहीं चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 162
अगर किसी मुस्लिम लड़की ने किसी काफ़िर को राखी बांध दी या किसी मुस्लिम ने अपने भाई को राखी बांध दी तो क्या ये सही है? हज़रत!

जवाब : 162

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जब मुस्लिम लड़की ने काफ़िर को राखी बांधी उसने कई हराम काम किये यानी राखी बांधते वक़्त उसे छुआ, उससे मिलना, काफ़िर की ताज़ीम वग़ैरह-वग़ैरह। ऐसी लड़की फासिक़ा और जहन्नम की हक़दार है। इसका पर्दा तो क़ुरआन ने मुस्लिम गैर महरम तक से बताया तो काफ़िर के साथ उसके त्यौहार में कैसे शामिल हो सकती है?
रक्षा बंधन काफिरों का क़ौमी त्यौहार है मज़हबी त्यौहार नहीं, किसी भी काफ़िर का क़ौमी शियार इख्तियार करना हराम गुनाह है, जैसे- होली खेलना। जिस मुसलमान मर्द व औरत ने ऐसी हरकत की उन्हें तौबा करनी चाहिये और आइन्दा इससे बाज़ रहना चाहिये।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 163
किसी ने लिखा "God Could not be everywhere therefore he made mothers" ऐसा कहना कैसा?

जवाब : 163

بسم الله الرحمٰن الرحيم
"This is a "kufriya" belief. If a muslim who will keep/accept this belief, will be a kafir. (Allah knows better)

सवाल : 164
अगर किसी ने शराब पी ली तो अब वो शख्स नमाज़ पढ़ना चाहे तो कितनी देर में पढ़ सकता है?

जवाब : 164

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जब नशा जाता रहे और मुँह में बदबू वग़ैरह म ना हो तो नमाज़ पढ़ सकता है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 165
इमाम हसन की जनाज़े की नमाज़ किसने पढ़ाई?

जवाब : 165

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इमाम हसन की नमाज़े जनाज़ा उनके भाई इमाम हुसैन ने पढ़ाई। (रदिअल्लाहु अन्हु)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 166
तौबा के तरीक़े बताइये और इस से अल्लाह को कैसे राज़ी किया जाये?

जवाब : 166

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरह फ़िक़्हे अकबर में तौबा की तीन शराइत बयान की गयी हैं :
(1) माज़ी पर नदामत (शर्मिन्दगी)
(2) हाल में इस गुनाह को छोड़ देना।
(3) मुस्तकबिल में इस तरफ़ ना लौटने का पक्का इरादा।

ये शर्तें उस वक़्त हैं जब वो गुनाह केवल तौबा करने वाले और अल्लाह के दरमियान हो, जैसे- झूट, शराब वग़ैरह। और अल्लाह के हक़ की अदाइगी की कमी पर तौबा की, जैसे- नमाज़, रोज़ा, ज़कात तो इसकी तौबा ये कि पहले तो इनकी कमी पर सच्चे दिल से नादिम हो फिर इसका पक्का इरादा करे कि इससे आइन्दा कभी ये फौत ना हो। और अगर किसी का हक़ मारा और अब शर्मिंदा है तो सिर्फ तौबा से काम नहीं बनेगा जब तक हक़ अदा ना करे। मस्लन किसी के पैसे चुराये तो अब तौबा काफ़ी नहीं जब तक वो वापस ना कर दे। इसी तरह कोई किसी का सामान नाजाइज़ तरीक़े से हासिल किया तो बगैर वापस करे चारा नहीं अगर वापस करना मुम्किन नहीं तो बगैर निय्यते सवाब सदक़ा करे। हर गुनाहे कबीरा तौबा से माफ़ हो जाता है। जब गुनाह कर बैठे तो फौरन नेकियों में इज़ाफा करना शुरू कर दे, सदक़ा वग़ैरह करे क्योंकि नेकियाँ गुनाह को मिटा देती हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा नफ्ल और मुस्तहब पर अ़मल करे। हर फर्ज़ वाजिब उसके वक़्त में अदा करे। झूट, गीबत, चुगली, गाने बाजे, हराम काम से सच्चे दिल से तौबा करे और सुन्नत का पाबंद रहे। जब दूर से नबी का गुलाम नज़र आयेगा तो बेशक अल्लाह राज़ी रहेगा और जब अपनी ज़िन्दगी में नबी की सुन्नत और तरीक़ों को नहीं

अपनाया जायेगा बल्कि गैरों के तरीक़ों पर अ़मल होगा तो अल्लाह व रसूल कैसे राज़ी हो सकते हैं? (नेक अ़मल करता रहे, सुन्नत पर चलता रहे, अल्लाह की रहमत पर नज़र रखे।)

क्यों रज़ा कुड़ते हो हँसते उठो,
जब वो गफ्फार है क्या होना है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 167
"अल्लाह" का मअ़ना क्या है और "त'आला" का क्या मअ़ना है?

जवाब : 167

بسم الله الرحمٰن الرحیم
फ़ी-रोज़ुल लुगत सफ़हा 117 पर है : الله = खुदा, माबूद, खुदा का इस्म।

और सफ़हा 363 पर है, تعالی = बुलंद, आला।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 168
लुगत का माना (Meaning) क्या है और इसे आवाम कैसे इस्तिमाल करे?

जवाब : 168

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जिस तरह अलफाज़ माइनी की किताब को हिन्दी में शब्दकोश, इंग्लिश में डिक्शनरी इसी तरह उर्दू के अलफाज़ माइने की किताब को लुगत कहते हैं। और उर्दू की एक लुगत की किताब का नाम फ़ी-रोज़ुल लुगत है। आवाम इसे आसानी से पढ़ सकती है, जिस लफ्ज़ का माइना देखना हो उसके सामने लिखा होता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 169
क़ुरआन शरीफ़ में तराजिम सबसे पहले किस ज़ुबान में हुये और किस ने किया?

जवाब : 169

بسم الله الرحمٰن الرحیم
क़ुरआन का सबसे पहला फारसी ज़ुबान में तर्जुमा शैख सादी ने किया। क़ुरआन का सबसे पहला उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा शाह शफीउद्दीन ने किया।
(आइना -ए- तारीख, सफ़हा 40)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 170
"लोटे की टोटी से पानी पीना बद है" का मतलब समझ नहीं आया, थोड़ी तफ़सील कर देते?

जवाब : 170

بسم الله الرحمٰن الرحیم
उलमा -ए- अहले सुन्नत ने लोटे की टोटी से पानी पीने को मकरूह लिखा है। टोटी यानी लोटे का मुँह जहाँ से पानी एक धार बनकर निकलता है इसकी वजह है कि हो सकता हो उसमें कोई कीड़ा वग़ैरह या मूज़ी जानवर हो और कोई टोटी से मुँह लगा कर पानी पिये और वो उसके पेट में चला जाये इसीलिये बाज़ उलमा ने हैण्ड पम्प से भी मुँह लगाकर पानी पीने को मना किया। मक़सूद मुसलमान को तकलीफ़ से बचाना है मगर ये है कि लोटे से पानी किसी बर्तन वग़ैरह में किया जाये ताकि उस पर नज़र पड़ जाये कि कोई मूज़ी जानवर या कीड़ा तो नहीं और जो वुज़ू के बाद बचा पानी लोग लोटे की टोटी से पीते है, तो उसकी वजह ये है कि अगर मान लिया जाये कि टोटी में कोई मूज़ी था भी तो वुज़ू करते वक़्त निकल गया होगा। इसी तरह अगर कुछ पानी से लोटा धो कर बहा लिया जाये ताकि टोटी साफ हो जाये तो पीने में हर्ज नहीं और मकरूह का मतलब गुनाह नहीं। लोटे की टोटी से पीना भी जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 171
हज़रत सवाल "Zwad", "Dwad" का मखरज में फर्क़ क्या है अ़सल क्या है?

जवाब : 171

بسم الله الرحمٰن الرحیم
लफ्ज़ ض इसे अरबी में द्वाद पढ़ा जायेगा और जो ज़्वाद होता है तो उर्दू में होता है। जैसे- رضا (रज़ा) उर्दू में और غیر المغضوب (गैरिल मगदूबी) अ़रबी में।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 172
गुनाह से बचने की तरकीब क्या है? क्योंकि गुनाह क़दम क़दम पर है, उस से बचा कैसे जाये हज़रत?

जवाब : 172

بسم الله الرحمٰن الرحيم
कसरत से अल्लाह का ज़िक्र और अस्तगफार की कसरत करनी चाहिये।

जब गुनाह की मअ़रिफत (पहचान) हो जायेगी तो उस गुनाह से बचना आसान होगा मगर जब ये पता ही ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है यानी गुनाह की पहचान ही ना हो तो कोई इस से कैसे बच सकता है। आज झूट, गीबत, चुगली, गाने, फिल्म वग़ैरह ऐसे काम हैं जो आम हैं मगर अफसोस आज कोई इन्हें गुनाह तसव्वुर तक नहीं करता। यहाँ तक फेसबूक, वॉट्सएप्प पर पैसा और टाईम को बरबाद करके नमाज़ें क़ज़ा कर देना, ये पैसे और वक़्त की बरबादी भी इस्राफ है, नाजाइज़ है। मगर इसे भी कोई गुनाह ख्याल नहीं करता इसीलिये बेहतर है इल्मे दीन हासिल किया जाये फिर रौशन हो जायेगा कि गुनाह आखिर होते क्या हैं? बहुत लोग तो कुछ काम को गुनाह ही नहीं मानते हालाँकि वो गुनाह होते हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 173
हदीस शरीफ़ की रिवायत की तफ़सीर है जो मेरी समझ में नहीं आयी, थोड़ी तफ़सील कर देते?
"दो चीज़ें हरगिज़ जमा नहीं हो सकती नमाज़-ए- चाश्त और मुफ्लिसी।

जवाब : 173

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जहाँ ये कहा जाता है कि "दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती।" इसका मतलब कभी मुबालिगा होता है तो कभी अ़मले नेक की तरफ़ तरगीब दिलाना होता है। जैसे ये कहा जाये कि उजाला और अन्धेरा एक साथ जमा नहीं हो सकता। यानी अगर उजाला होगा तो अन्धेरा नहीं होगा और अन्धेरा आयेगा तो उजाला नहीं होगा क्योंकि उजाला होते ही अन्धेरा नहीं होगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरह उस इबारत में कहा गया है कि नमाज़े

चाश्त पढ़ने वाला मुफ्लिसी और फक़ीरी तंगदस्ती का शिकार नहीं हो सकता यानी जो ये नमाज़ पढ़े अल्लाह उसे फक़ीरी से निजात देगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 174

ये बतायें कि क्या आला हज़रत ज़ात से सय्यिद थे? अगर नहीं थे तो उनके आगे सय्यिद क्यों लिखते हैं? और अगर हाँ तो ये क़िस्सा जो मशहूर है कि एक बार कहीं जाते वक़्त उन्हें पता चला कि एक गरीब शख्स ज़ात से सय्यिद है तो उन्होने अपनी सवारी से उतर कर उसे बैठाया और उस के पीछे नमाज़ भी पढ़ी।

जवाब : 174

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आला हज़रत, ज़ात के सय्यिद नहीं थे। आपका इस्म अहमद रज़ा खान है यानी आप पठान हैं। लफ्ज़ सय्यिद के माइने सरदार/सरपरस्त वग़ैरह के होते हैं इसीलिये आला हज़रत को सय्यिदी आला हज़रत कहा जाता है क्योंकि आप अपने दौर के मुजद्दिदे आज़म हैं और सारे आलिमों और सुन्नियत के इमाम रहनुमा, सरदार/सरपरस्त हैं। और आपके लिये ये लफ्ज़ ज़ात के लिये नहीं बल्कि बुज़ुर्गी के लिये लगाया जाता है और अज़मत के लिये लगाया जाता है। हदीस में है : अबू बक्र हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद किया। यहाँ भी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ को सय्यिद कहने का मतलब सरदार है। पालकी वाला वाक़िया सही है मगर नमाज़ भी पढ़ी इसका मुझे इल्म नहीं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 175

हज़रत तेज़ भूख लगने पर अक्सर मै बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता हूँ तो ऐसे में क्या करना चाहिये? और कोई वज़ीफा इनायत फ़रमा दें।

जवाब : 175

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अबू दाऊद और तिर्मज़ी और हाकिम ने हज़रते आइशा रदिअल्लाहु अ़न्हा से रिवायत किया कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया : जब कोई शख्स खाना खाये तो अल्लाह का नाम ज़िक्र करे यानी "بسم اللہ" पढ़े और शुरु में "بسم اللہ" भूल जाये तो ये पढ़े "बिस्मिल्लाही अव्वलहू वा आखिरहू।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 360)

वज़ीफ़ा :
नमाज़े पंजगाना के बाद सर पर हाथ रख कर 11 बार "या क़विय्यू" पढ़ने से दिमाग तेज़ होगा यानी भूलने की बीमारी जाती रहेगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 176
इस इबारत में तवागिरी किसे कहते हैं? दो चीजें हरगिज़ जमा नहीं हो सकती तवागिरी और बदकारी। तवागिरी किसे कहते हैं?

जवाब : 176

بسم الله الرحمٰن الرحیم
यानी अमीरी, दौलतमन्दी, गनी होना। जब कोई शख्स ज़िना में पड़ता है तो मुफ्लिस हो जाता है यानी अमीरी और ज़िनाकारी एक साथ जमा नहीं हो सकती, ज़िना करेगा तो दौलत वाला नहीं होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 177
पिछले यानी सवाल 176 में ज़िनाकारी का ज़िक्र किया गया है, इस से मुराद ऐन ज़िना है या इसमें हाथों का और आँख वग़ैरह का ज़िना भी शुमार होगा?

जवाब : 177

بسم الله الرحمٰن الرحیم
ज़िना से मुराद बदकारी यानी मर्द औरत का बगैर शादी एक दूसरे से लज़्ज़त हासिल करना और हदीस में बदनिगाही को भी आँखों का ज़िना कहा गया मगर जहाँ ज़िना लफ्ज़ इस्तिमाल होता है उससे मुराद वही पहले वाला ज़िना होता है और आँखों के ज़िना के लिये बदनिगाही जैसे लफ्ज़ इस्तिमाल होते हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 178
नमाज़े जुम्आ का खुतबा सुनना अगर किसी मुक़्तदी से छूट गया तो क्या गुनाह होगा?

जवाब : 178

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गुनाह नहीं होगा। खुत्बा सुनना वाजिब उन पर है जो नमाज़ के लिये उस मज्लिस में हैं यानी हाज़िरीने मस्जिद पर, जो अभी घर से नहीं आये या नहीं आयेंगे तो खुत्बा ना सुनने के बदले गुनाहगार नहीं।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 774 पर है :

जब खुत्बा पढ़े तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना और चुप रहना फर्ज़ है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 179

खाना खाते टाईम कोई सलाम करे तो जवाब देना चाहिये या नहीं?

जवाब : 179

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

खाना खाने वाले को सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं यानी जवाब नहीं देगा तो गुनाहगार नहीं और अगर मुँह में लुक़्मा (निवाला) ना हो तो जवाब दे सकता है मर्ज़ी है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 180

सुन्नी और वहाबी का मसअला क्या है? हज़रत अभी हम समझ नहीं पाये।

जवाब : 180

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सुन्नी : मुखफ्फफ़ यानी शॉर्ट फॉर्म में "अहले सुन्नत व जमाअ़त" की यानी वो जमाअ़त जो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम और सहाबा के रास्ते पर है, जिन्हें इस दौर में बरेलवी कहा जाता है और हक़ीक़त में इसी मस्लक के लोगों का दीन वही दीन है जिसे दीने मुहम्मदी कहा जाता है. सुन्नियत या बरेलविय्यत राई के दाने बराबर भी क़ुरआन और सुन्नत और दीने मुस्तफ़ा से जुदा नहीं है।

वहाबी : ये एक नया फ़ितना है जो 1209 में पैदा हुआ। जिसका बानी मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वहाब नजदी था। जिसने तमाम अ़रबो अजम में फ़ितने पैदा किये, उलमा को क़त्ल किया

और हुज़ूर के रोज़े का नाम सनमे अकबर रखा यानी बड़ा बुत। और भी तरह-तरह के ज़ुल्म किये जिसके बारे में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने पहले ही बताया था। इस अ़ब्दुल वहाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिसका नाम "किताबुत तौहीद" था। इसी का तर्जुमा हिन्दुस्तान में इस्माईल दहेलवी ने किया जिसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। इस फ़िरक़े ने अल्लाह की भी तौहीन की और रसूलुल्लाह की भी, इसी किताब से इनके अ़क़ीदे ज़ाहिर हैं और बातिल भी और क़ुरआनो सुन्नत के खिलाफ़ भी। ये जमाअ़त सिवाये अपने सभी को मुशरिक मानती है, नबी को मुर्दा मानती है, गैर से मदद को शिर्क, नियाज़, फ़ातिहा, मज़ार वग़ैरह को बिद्दअत और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम को शफ़ाअ़त करने वाले नहीं मानती है और ना मुख्तार,और इनकी किताबों मे ये सब लिखा है कि हुज़ूर की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की बल्कि इस से भी कम। (म'आज़ अल्लाह) बल्कि इन खबीसों का अ़क़ीदा है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम बस हमारी तरह इन्सान हैं और कुछ नहीं। इसी तरह और भी बातिल अक़ीदे हैं जिसके लिये आप बाज़ार से सुन्नी उलमा की किताब जो देवबन्दियों वहाबियों के रद्द में लिखी हो पढ़ लें। आपको सारी जानकारी मिल जायेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 181

शराबी जिस बर्तन में खाना खाता है उस में खाना खा सकते हैं, जब कि बर्तन को धो लिया गया हो?

जवाब : 181

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! खा सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 182

हज़रत क्या जुम्आ की नमाज़ जब तलक नहीं होगी जब तलक फ़ज्र की नमाज़े क़ज़ा अदा ना हो? जैसे बहुत लोग 2 रक़अ़त क़ज़ा पढ़ते हैं जुम्आ से पहले।

जवाब : 182

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जुम्आ के दिन की फज्र ना पढ़ी और जुम्आ से पहले उसकी क़ज़ा भी नहीं पढ़ी तो भी नमाज़े जुम्आ अदा हो जायेगी अगर किसी के ख्याल में ये बात है कि जब तक जुम्आ

की नमाज़ ना होगी जब तक फज्र क़ज़ा ना कर लो तो ये गलत है। और नमाज़े फज्र जुम्आ के दिन की हो या किसी और दिन की बिला वजहे शरई क़ज़ा कर देना हराम है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 183

इस इबारत में हम-साया किसे कहा गया है? साढ़े चार (4.5) माशा कितना होता है और खमीर से मुराद क्या है?

इबारत ये है : जो अपने हम-साये को एक मिस्काल भर खमीर दे तो उसका सवाब कल क़ियामत के दिन उसके मीज़ाने अ़मल में पहाड़ के बराबर हो जायेगा। मुल्के अ़रब नें मिस्काल 4.5 माशा क्या होता है।

जवाब : 183

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हमसाया यानी पड़ोसी को कहते हैं और खमीर गून्दे हुये आँटे वग़ैरह को कहा जाता है। माशा तोले से कम होता है यानी तकरीबन 1 तोले में 11 माशा होता है इस से आप अन्दाज़ा लगा लें कि 4.5 माशा कितना हुआ। यानी अगर कोई अपने पड़ोसी को कुछ आँटा भी दे कर मदद करे तो चाहे आधा तोला के क़रीब ही क्यों ना तो क़ियामत में इसका सवाब पहाड़ जितना मिलेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 184

अपनी शरीके हयात (Wife) से कभी-कभी इन 3 तरह के जुमलों (Words) से गुफ्तगू (बात) की जाती है :

(1) "चुप हो जा मेरी माँ।"

(2) "तू अभी बच्ची है।"

(3) "मेरी बच्ची" या इंग्लिश में "My Baby" इस तरह जुमलों (Words) को इस्तिमाल (Use) करना कैसा?

जवाब : 184

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस तरह के जुमले नहीं बोलना चाहिये मगर इस से निकाह पर कोई फ़र्क़ नहीं। जुमला (B) अक्सर आवाम में कम अ़क़्ली के लिये इस्तिमाल होता है जैसे कि तू अभी बच्ची है यानी कम अ़क़्ल है तू ये काम नहीं कर सकती या तो ये नहीं समझ सकती। वग़ैरह-वग़ैरह!

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 185
क्या पीरो मुर्शिद किसी औरत पर आ सकते हैं?

जवाब : 185

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
किसी भी मुर्शिद या वली या शहीद की सवारी या हाज़िरी ना किसी औरत में आती है ना मर्द पर। फिज़ूल और जहालत की बात है और शरीअ़त के खिलाफ़ है।
वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 01, सफ़हा 177 पर है :
किसी मर्द या औरत पर किसी बुज़ुर्ग की सवारी नहीं आती। सिर्फ़ जिन्नात का असर होता है वो भी किसी-किसी पर मगर इस जिन्नात से सवाल करना या आइन्दा का हाल मालूम करना नाजाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 186
क्या रूमाल बांध कर नमाज़ पढ़ सकते हैं यानी टोपी के बदले रूमाल बांध कर नमाज़ हो जायेगी?

जवाब : 186

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बगैर टोपी रूमाल बांध कर नमाज़ हो जायेगी और रूमाल इतना बड़ा हो कि सर पर कुछ पेंच लिपट सके तो वो इमामे के हुक्म में होगा और अगर इतना बड़ा नहीं तो मकरूह। जैसा कि फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 300 पर आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फरमाते हैं :
रूमाल अगर बड़ा हो कि इतने पेंच (बाल) आ सके जो सर को छुपा लें तो वो इमामा (ही की मिस्ल) होगा और छोटा रूमाल जिस से सिर्फ एक दो पेंच आ सकें नमाज़ में लपेटना मकरूह है।

और रूमाल इस तरह सर पर रखना जैसे कि आजकल अ़रब के लोग रखते हैं कि दोनों किनारे लटके रहते हैं ये मकरूहे तहरीमी है। जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 624 पर है :

रूमाल या शौल या रजाई या चादर के किनारे दोनों मोंढे से (कान्धे से) लटकते हों ये मना है और (नमाज़ में) मकरूहे तहरीमी है और एक किनारा दूसरे मोंढे पर डाल दिया (तो हर्ज नहीं।)।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 187

हज़रत सुरमा लगाना कैसा है? क्या सुरमा लगा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : 187

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सुरमा लगाना सुन्नत है, खास कर सोने से पहले सुरमा लगाना चाहिये इस से सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। हदीस तिर्मज़ी में है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम सोने से पहले हर आँख में इस्मद सुरमे की 3-3 सलाई लगाते थे।

और अगर ये सुन्नत लोगों को सिखाये और घर वालों को भी इस पर अ़मल करवाये तो उनका भी सवाब पायेंगे क्योंकि आज कल कुछ खास सुन्नत लोगों में से खत्म होती दिखती है। उनमें एक ये भी है कि लोग सोते वक़्त सुरमा नहीं लगाते और सुरमा लगाने में सुन्नत ये कि 3-3 सलाई इस्तिमाल की जायें। हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम का अक्सर सीधी आँख में 3 सलाई और उल्टी में 2 का ज़िक्र है और दोनों आँख में 2-2 सलाई लगाने का भी ज़िक्र है। लिहाज़ा हमें कभी 3-3 कभी 3-2 कभी 2-2 हर सुन्नत अपना लेनी चाहिये। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने प्यारे रसूल की चमकती आँखों के सदक़े मुझे और साइल को और तमाम सुन्नियों को हर सुन्नत पर अ़मल का जज़्बा और तौफीक़ दे।

सुरमा लगा कर नमाज़ बिला कराहत जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 188

हज़रत गन्दा सोचना (जैसे कि किसी को देख कर ऑटोमेटिक ज़हन में आ जाता है "Wow like that, u know what i means) और गन्दा करना जो कि हम करते हैं, दोनों में गुनाह का क्या है? (गन्दा करने का मतलब किसी को ज़ुबान से छेड़ना, कुछ गाली वग़ैरह देना, लड़कियों को छेड़ना और मुश्तज़नी भी करना।

जवाब : 188

بسم الله الرحمٰن الرحيم
I understand what you means in your question.

जो चीज़ें सवाल में पूछी गयी मस्लन किसी को देख कर बदनिगाही यानी लड़की देख कर "Wow" जैसे फीलिंग या हरकत और उस पर यानी रंग, शक्ल, जिस्म की बनावट वग़ैरह पर कमेंट्स करना, किसी को गाली देना या लड़की छेड़ना या लड़की को देखना और मुश्तज़नी करना, ये सभी काम हराम हराम हराम हैं और ऐसा शख्स फासिक़ है ना इस से सलाम जाइज़ ना इसके साथ उठना बैठना। ऐसे शख्स पर तौबा करना वाजिब है और अल्लाह की बारगाह में रो-रो कर तौबा करे, अस्तगफ़ार की कसरत करे और ऐसे शख्स को चाहिये कि सुबह शाम पानी पर 21-21 बार اعوذ بالله من الشيطان الرجيم पढ़ कर दम करके पिये और नमाज़ और सुन्नत की पाबंदी करे और इस तरह के बुरे दोस्तों का साथ जल्द छोड़ दे और रहा मुश्तज़नी तो ऐसे शख्स पर निकाह वाजिब है और मुश्तज़नी करने वाले के बारे में हदीस में आया कि "इस पर अल्लाह की लानत हो।"
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 244 पर है :
"हश्र में ऐसों की हथेली गाबिन (Pregnent) उठेगी।"

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 189
इस पेज में ये इन अल्फाज़ की वजह से पूरा मसअला समझ नहीं आ रहा "लहव, अश्या, बर-अक्स वग़ैरह।

जवाब : 189

بسم الله الرحمٰن الرحيم
(ये साइल की जानिब से एक स्केन पेज था जिस पर ये मसअले दर्ज थे जिनकी उर्दू लफ्ज़ को आसान किया गया है।)
"खेल-कूद, तमाशे" का सामान घर में रखने से भी आदमी गुनाह गार होता है।
जैसे गिटार, रेडिओ, टी वी, लूडो, शतरंज, म्यूज़िकल, खिलोने वग़ैरह।
जैसा कि पारा 21 सूरह लुक़्मान में है :
"और कुछ लोग खेल की बात (सामान) खरीदते हैं कि अल्लाह की राह से बहका दें, बे समझे और इसे हँसी बना लें, इनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब है।

और हदीस में हर खेल को बातिल कहा गया सिवाये 3 के तीरंदाजी, घुड़सवारी और बीवी के साथ खेल मज़ाक़ वग़ैरह।

(सहीह मुस्लिम)

लड़कियों के लिये गुड़िया से खेलना जाइज़ है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 510)

(अशियाँ = सामान, चीज़ें)
(बर-अक्स = उल्टा/Opposite)

और इसके बर अक्स ये मसअला है कि क़ुरआन किसी ने अपने घर में रखा और कभी नहीं पढ़ता तो गुनाहगार होता है और अगर खाली घर में इस निय्यत से क़ुरआन रखा जाये कि बरकत हो तो गुनाहगार भी नहीं।
जैसा कि फ़तावा खानिया में है :
किसी ने महज़ खैरो बरकत के लिये अपने मकान में क़ुरआन रखा छोड़ा और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं बल्कि इसकी ये निय्यत बाइसे सवाब है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 495)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 190
क्या प्लास्टिक के कंगन या कुछ भी पहनने से नमाज़ हो जाती है?

जवाब : 190

بسم الله الرحمٰن الرحیم
प्लास्टिक के कंगन चूड़ी वग़ैरह पहन कर नमाज़ हो जायेगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 191
क्या मस्जिद की टोपी जिन्हें मस्जिद के बाहर पहनने में हया आये उनको पहन कर नमाज़ हो जायेगी? जैसे कि प्लास्टिक या चटाई जिस से बनती है उस से बनी टोपी या मैली टोपियाँ।

जवाब : 191

بسم الله الرحمٰن الرحیم

मस्जिद की टोपी पहन कर नमाज़ हो जायेगी, चाहे चटाई की हो या प्लास्टिक की। मैली टोपी जिससे नमाज़ी को ईज़ा पहुँचे या बदबू पैदा हो तो ऐसी टोपी मस्जिद में पहनना और मस्जिद में आना और मस्जिद में रखना भी हराम है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 192

बच्चों की मुसलमानी (खतना) किस Age में हो जानी चाहिये? हदीस में इस के लिये भी कुछ बताया है?

जवाब : 192

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हदीस कंज़ुल उम्माल में है हज़रते अ़ली रदिअल्लाहु से रिवायत है कि :

"अपने बच्चे का 7वें दिन खतना करो कि ये गोश्त उगने के लिये जल्दी और सुथरा है और दिल के लिये राहत है।"

बहारे शरीअ़त, हिस्सा 16, सफ़हा 200 पर है :

खतना करना सुन्नत है और ये शियारे इस्लाम में से है कि इस से मुसलमान और काफ़िर में इम्तियाज़ होता है इसीलिये इसे मुसलमान भी कहा जाता है। विलादत के 7 दिन के बाद खतना करना जाइज़ है। खतना करने की मुद्दत 7 साल से 12 साल तक है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 204 पर है :

बच्चे की खतना बाप खुद भी कर सकता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 193

कौन बड़ा दुश्मन हमारा, काफ़िर या वहाबी?

जवाब : 193

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

दोनों ही दीने इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं। फर्क़ ये है कि एक खुला दुश्मन है, दूसरा छुपा दुश्मन है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 194

इशा का वक़्त कब तक है? किस वक़्त इशा क़ज़ा हो जाती है और क्या रात को 12 बजे या 12.30 बजे नमाज़ या क़ुरआन की तिलावत नहीं करना चाहिये? कुछ लोगों का मानना है कि वो वक़्त जिन्नातों का होता है इसीलिये नहीं पढ़ना चाहिये।

जवाब : 194

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इशा का वक़्त पूरी रात तक है यानी जब तक सुबह सहरी का वक़्त खत्म ना हो जाये इशा ही का वक़्त है। सुबह सादिक़ का वक़्त लगते ही इशा का वक़्त खत्म हो जाता है। मिसाल के लिये ये समझें कि 4:45 am पर सादिक़ का वक़्त लगेगा यानी इसी वक़्त सहरी का वक़्त भी खत्म होगा। इसका मतलब है 4:44 तक इशा का ही वक़्त है। क़ुरआन या नमाज़ 12 या 12:30 रात को पढ़ना जाइज़ है और अगर उस रात इशा नहीं पढ़ी तो इशा पढ़ना फर्ज़ है। हमारे बुज़ुर्गों से पूरी रात नमाज़ पढ़ना साबित है जैसे गौसे आज़म और इमामे आज़म जैसे वलियों ने भी पूरी रात नमाज़ पढ़ी तो क्या इस वक़्त 12 का वक़्त बीच में नहीं आया और फिर खुद हज़रते फातिमा की पूरी रात का नमाज़ पढ़ना और भी सहाबा का पूरी रात नमाज़ पढ़ना तिलावत करना? ये गलत खयाली है कि जिन्नात का ये वक़्त है और इसमें तिलावत और नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 195

अ़स्र के और मगरिब के बीच में सुना है कुछ नहीं खाना चाहिये, एक रोज़े के जितना सवाब मिलता है क्या ये सच है?

जवाब : 195

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये सच नहीं है। अ़स्र और मगरिब के बीच खाने में कुछ हर्ज नहीं और ना खाने से एक रोज़े का सवाब मिलेगा इसकी शरीअ़त में कुछ अस्ल नहीं। होता ये है कि हमारे बुज़ुर्ग इस दौरान कुछ खाते पीते नहीं थे और ये उनका तक़वा था तो ये लोग ये समझ बैठे कि शायद इस दौरान कुछ ना खाने से रोज़े का सवाब होगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 196

इस इबारत की कुछ तफ़सील कर देते। इबारत ये है: "तीन चीज़ों में शराकत करना जाइज़ नहीं।" :
शना, खिलाला, मिस्वाक।
इसमें शराकत और शना से क्या मुराद है।

जवाब : 196

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
यानी तीन चीज़ों में हिस्सेदारी करना। (Partnership) जाइज़ नहीं।
(1) कंघा (Comb)
(2) अपनी मिस्वाक में और
(3) खिलाल (दाँत साफ करने का आला)

मतलब ये है कि तीन चीजें अपनी ही इस्तिमाल करनी चाहिये, दूसरे की इस्तिमाल नहीं करनी चाहिये। और हदीस में दूसरे का कंघा (Comb) इस्तिमाल करने से भी मना किया है। इसी तरह मिस्वाक और खिलाल, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरे के मुँह की होती हैं तो हर शख्स देना पसंद नहीं करता मस्लन अगर किसी से कहा अपना खिलाल या मिस्वाक हमें दिखा दो तो हो सकता है वो शर्म से मना ना करे मगर दिल ना चाहे क्योंकि मुँह में इस्तिमाल होने वाली चीज़ें हैं। याद रहे इजाज़त के साथ धो कर किसी और की मिस्वाक इस्तिमाल करना जाइज़ है। और ये नाजाइज़ कहा गया इसका मतलब गुनाह नहीं यानी ये चीज़ें अगर कोई अपनी मर्ज़ी से दे तो इस्तिमाल कर सकते हैं मगर बचना बेहतर है। ये सामान दूसरे का बल्कि हर सामान किसी का भी माँगने से बचना चाहिये। हदीस में ये मज़ामीन भी मौजूद है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने किसी से भी कोई चीज़ माँगने को मना किया। (चाहे नमक (Salt) ही क्यों ना हो!)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 197
शादी की पहली रात में दूल्हा और दुल्हन को नमाज़ पढ़नी होती है, इस बारे में पूरा मसअला बताइये हज़रत।

जवाब : 197

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शादी की रात नमाज़े शुक्राना पढ़ सकते हैं और इसकी तरकीब आम नमाज़ों की सी होती है, मर्द आगे होगा और बीवी पीछे। इस नमाज़ का फाइदा इंशा अल्लाह ये होगा कि औरत

मर्द की फ़रमा बरदार रहेगी, बाक़ी के मुआमला किताब "करीना -ए- ज़िन्दगी" से मुलाहिज़ा करें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 198

हज़रत कुछ सपने के बारे में सुना है वो अच्छे नहीं होते जैसे कि खाने का सपना, पानी का सपना, कपड़े का सपना। क्या सपनों की भी कोई हक़ीक़त होती है? कहते हैं कि फ़ज्र के टाईम सपना देखो तो वो सच होते हैं। हज़रत ये मुआमला समझ नहीं आता है।

जवाब : 198

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ख्वाब की हक़ीक़त है, ये बेकार की चीज़ नहीं। क़ुरआन में सूरह तौबा, आयत 46 में अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है :

ईमान वालों के लिये बशारतें हैं, दुनिया और आखिरत में।

और इसी आयत की तफ़सीर में तफ़सीरे मज़हरी में है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ बशारत से मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो इन्सान खुद देखे या उसके मुतअ़ल्लिक़ दूसरे को दिखाया जाये।

और मिश्कात शरीफ़ की हदीस में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया :

नबूव्वत के फैज़ से बस बशारतें बाक़ी हैं यानी अब कोई नबी नहीं होगा मगर बशारतें होती रहेंगी। सहाबा ने अ़र्ज़ की : हुज़ूर बशारतें मतलब!

फ़रमाया : बशारत से मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो इन्सान खुद देखे या उसके मुतअ़ल्लिक़ दूसरों को दिखाया जाये।

सहीह बुखारी की हदीस में है कि तुम में से जब कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे प्यारा मालूम हो तो अल्लाह की हम्द करे और लोगों के सामने बयान करे।

अगर कोई नेक अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह का शुक्र करे, अगर कोई बुरा नफसानी ख्वाब देखे तो तौबा करे, सदक़ा करे कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ़ से है और बुरा शैतान की तरफ़ से और कभी ऐसा भी होता है कि जो दिन भर इन्सान के दिमाग में चलता है या इन्सान जिस चीज़ के बारे में सोचता है वही ख्वाब में आता है और हर ख्वाब

की ताबीर जुदा होती है और अक्सर सुबह के वक़्त के ख्वाब सच्चे होते हैं मगर ऐसा नहीं है कि हर बार वो सच्चे होंगे।

ख्वाब की ताबीर के लिये पूरी तफ़सीर दरकार होती है मस्लन कपड़े के ख्वाब में क्या देखा, सिर्फ़ कपड़ा देखा, खून से सना देखा, किस रंग का देखा, खरीदते देखा या बेचते देखा, कपडों में आग लगते देखा वग़ैरह-वग़ैरह। ख्वाब में खाना पीना देखना बुरा नहीं होता, खाना खाते देखना की ताबीर नेमतों में इज़ाफा होने की दलील है। पानी पीने की ताबीर कामयाब होने से की जाती है (और कपड़े की तफ़सील मुझे ना दी जाये, मै ताबीर नहीं बताता।)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 199

मेरा सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मगरिब की अज़ान के वक़्त सारे काम रोक देने चाहिये, ऐसा क्यों?

जवाब : 199

بسم الله الرحمٰن الرحیم

ये खास मगरिब के लिये नहीं बल्कि हर अज़ान के लिये है कि अज़ान के वक़्त अपने कामों से रुक जाना चाहिये। जैसा कि दुर्रे मुख्तार और फ़तावा आलमगीरी में है कि जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम, कलाम और सलाम का जवाब और तमाम काम मौक़ूफ कर दीजिये यहाँ तक क़ुरआन पढ़ना भी, अज़ान गौर से सुनिये और जवाब दीजिये। लिहाज़ा ये हर अज़ान का हुक्म है कि अज़ान सुनते ही हर काम से रुक जाना चाहिये। चलना फिरना, बोलना, खाना वग़ैरह मगर आज देखा जाता है कि लोग अज़ान के वक़्त अपने कामों यहाँ तक कि बातों में भी मशगूल रहते हैं। उन्हें गौर करना चाहिये कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 473 पर है :

जो अज़ान के वक़्त बातों में मशगूल (Busy) रहा उसका खातिमा बुरा होने का खौफ़ है और अज़ान के फ़ौरन बाद दुआ करनी चाहिये कि हदीसे पाक में है कि अज़ान के बाद क़ुबूलिय्यत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दुआ क़ुबूल होती है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 200

जनाब सय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी साहब! एक मसअला मेरा भी है आप हल दें तो अहसान होगा। वो ये है कि एक हदीस हमारी समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है?
हदीस ये है कि हुज़ूर ने फ़रमाया : "मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं काटा जाता।" इस का क्या मतलब है? अल्लाह आप को जज़ाए खैर दे।

जवाब : 200

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने ये कब और किस मौके पर फ़रमाया अगर ये पता चल जाये तो हदीस समझने में आसानी होगी।

ये वाक़िया उस वक़्त पेश आया कि एक शख्स जो काफ़िर शायर था, हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की शान में सख्त शेर कहता था। एक जंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया, क़ैद कर लिया गया। उसने हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से मुआफ़ी माँगी और कहा कि वो अब आइन्दा ऐसा नहीं करेगा तो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया मगर वो बाज़ ना आया और अपनी उस हरकत में मशगूल रहा। एक बार फिर से एक जंग के दौरान वो क़ैद कर लिया गया उस ने फिर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से मुआफ़ी माँगी और आइन्दा तंग ना करने का वादा किया। उस वक़्त हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया : "मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं काटा जाता।" जिसका मतलब ये है कि जिस सुराख से बिच्छू ने एक बार डंक मारा हो तो उस में दूसरी बार उंगली नहीं करनी चाहिये यानी जिस से एक बार धोखा खा चुके हैं फिर उसके कहने में नहीं आना चाहिये और बाद में उस शख्स को क़त्ल कर दिया गया क्योंकि वो पहले भी झूट बोल कर वादा खिलाफ़ी कर चुका था और अपनी हरकत से बाज़ ना आया था।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 201
अगर किसी गलती की वजह से किसी मरे हुये इन्सान को तक्लीफ हुई हो और वो सपने में आ जाये और कहे कि ऐसा ना करो फिर वो इन्सान वही करता है जब बाद में उसे एहसास हो कि हमें ऐसा ना करना चाहिये, सही नहीं था फिर ऐसी हालत में क्या करना चाहिये हज़रत, कि मरे हुये इन्सान हमें माफ कर दें?

जवाब : 201

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये सवाल कोई मसअला नहीं है, इस ग्रुप में कोशिश करनी चाहिये कि अपनी ज़रूरत के मसअले पूछे जायें।

उलमा -ए- अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिस चीज़ की खबर कोई मुर्दा दे यानी जो दुनिया से जा चुका है वो सही होती है (जब तक शरीअ़त के खिलाफ़ हुक्म ना दे)
जब किसी मरहूम ने ख्वाब में आ कर किसी काम से रोकने को कहा और वो काम सच में सही नहीं था या आपके हक़ में सही नहीं था तो उस से रुकना चाहिये था वरना इस्तिखारा करना चाहिये था। बहरहाल उसके लिये ईसाले सवाब किया जा सकता है। मुआफ़ी का हुक्म ना मानना कोई हक़तलफ़ी नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 202
क्या हकीके से पहले क़ुरबानी जाइज़ है और पहली क़ुरबानी किस के नाम पर होना चाहिये?

जवाब : 202
بسم الله الرحمٰن الرحيم
साइल ने जिस लफ्ज़ "हकीका" लिखा है वो अस्ल में "अक़ीक़ा" होता है, आइन्दा ख्याल रखें। क़ुरबानी और अक़ीक़े का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई ये समझता है कि जिसने अक़ीक़ा नहीं किया या जिसका अक़ीक़ा नहीं हुआ वो क़ुरबानी नहीं कर सकता तो ये गलत है। अक़ीक़ा सुन्नत है और इसकी बहुत फज़ीलत हदीस में आयी हैं मगर ना करना गुनाह नहीं और जिसका अक़ीक़ा ना हुआ हो तो वो खुद भी अपना अक़ीक़ा कर सकता है।
जैसा कि, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़हा 588 पर है :
जिसका अक़ीक़ा ना हुआ हो तो जवानी और बुढ़ापे में भी अपना अक़ीक़ा कर सकता है।

क़ुरबानी वाजिब है (साहिबे निसाब पर) और जो लोगों में ये मशहूर है कि पहली क़ुरबानी घर में बड़े के नाम से होती है या हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के नाम से, ये गलत है। क़ुरबानी उसी के नाम से होगी जिस पर वाजिब है। बेटे पर वाजिब हो तो बाप के नाम से नहीं की जायेगी अगर की तो बेटे का वाजिब अदा ना होगा। हाँ एक काम हो सकता है बेटा अपनी क़ुरबानी अदा करने के बाद चाहे तो किसी के भी नाम की करे, जाइज़ है मगर अपनी तर्क करके किसी और के नाम से नहीं कर सकता।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 203
क्या औरतों को मज़ार शरीफ़ पर जाना मना है? और अगर मना है फिर तो हज़रत।

जवाब : 203

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
औरत को मज़ाराते औलिया की हाज़िरी नाजाइज़ है। अल-मलफूज़ में है कि ये ना पूछो कि औरतों का मज़ारों पर जाना जाइज़ है या नहीं बल्कि ये पूछो कि औरत पर किस क़द्र लानत होती है अल्लाह की तरफ से और किस क़द्र साहिबे क़ब्र की तरफ से। जिस वक़्त घर से इरादा करती है लानत शुरू हो जाती है और जब तक वापस आती है फ़िरिश्ते लानत करते रहते हैं सिवाये रोज़ा -ए- रसूल के किसी मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 204
हज़रत इस सवाल को हवाले के साथ ही रिप्लाई करें : पाँचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ जिसमें जैसे 4 रकअ़त ले लो अ़स्र की फ़र्ज़ नमाज़ में अत्तहिय्यात के बाद जब खड़े होते हैं फिर उस वक़्त सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी जाती है या नहीं? रहनुमाई फरमाइये हज़रत।

जवाब : 205

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
फ़र्ज़ नमाज़ की आखिरी दो रक़अ़त यानी तीसरी और चौथी रक़अ़त में सूरह फ़ातिहा पढ़ सकता है और सूरत भी मिला सकता है, ये मुस्तहब है यानी कोई ऐसा ना करे तो भी हर्ज नहीं और कोई चाहे तो सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा भी पढ़ सकता है वरना 2 बार सुब्हान अल्लाह की मिक़्दार चुप भी रह सकता है यानी कुछ ना पढ़े मगर बहारे शरीअ़त में है कि कम से कम 3 बार सुब्हान अल्लाह कह ले कि चुप रहने से बेहतर है।

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, सफ़हा 69 पर है :
फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रक़अ़त में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना मुस्तहब है।

और आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत से इसी के मुतल्लिक़ सवाल हुआ कि एक शख्स फ़र्ज़ नमाज़ की आखिरी दो रक़अ़त में भी सूरह फ़ातिहा पढ़ता है और सूरह मिलाता है तो उसकी नमाज़ फर्ज़ है या सुन्नत?

इसके जवाब में आला हज़रत मुहद्दिसे बरेलवी फ़रमाते हैं कि फर्ज़ हुई और नमाज़ में कुछ खलल ना आया ना इस पर सजदा सहव था बल्कि अगर जानकर भी फ़र्ज़ की आखिरी दो रक़अ़तों में सूरत मिलाई तो कुछ हर्ज नहीं, सिर्फ़ खिलाफे अवला है मगर बाज़ आइम्मा ने इसे मुस्तहब होने की तशरी फरमाई।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 08, सफ़हा 192)

याद रहे कि ये हुक्म तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले के लिये है। इमाम को आखिरी दो रक़अ़त में क़िरअत मकरूह है।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़े तो चारों रक़अ़त में तिलावत कर सकता है और इमाम अगर आखिरी दो रक़अ़त में क़िरअत करे और मुक़्तदी पर गिरियाँ गुज़रे तो जाइज़ नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 205
सुना है, काले रंग के कपड़े या काली कोई भी चीज़ पहनने, ओढ़ने में इस्तिमाल नहीं करना चाहिये, क्या हज़रत ये सही है?

जवाब : 206

بسم الله الرحمٰن الرحیم
काले कपड़े पहनना जाइज़ है मगर मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना और हरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिये कि शिया से मुशाबिहत है और काले कपड़े पहनने में गुनाह नहीं मगर काले जूते पहनने से हमेशा बचना चाहिये कि जाले जूते फ़िक्र को बढ़ाते हैं और पीले जूते/चप्पल पहनना फ़िक्र को कम करते हैं।
तफ़सीरे रूहुल बयान (सूरह बक़रा की आयत 69 की तफ़सीर में) है कि हज़रते अ़ली ने फ़रमाया : जो पीले रंग का जूता पहनेगा हमेशा खुश रहेगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 206
निकाह के वक़्त जाइज़ कौन-कौन सी चीजें हैं? हम ने सुना है कि हाथ में छुरी या निकाह की अँगूठी या नाक में कील होना ज़रूरी होता है और निकाह के लिये नया ही कपड़ा हो।

जवाब : 206

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जो चीज़े सवाल में पूछी गई, निकाह के लिये इनमें से कुछ ज़रूरी नहीं। निकाह नाम है ईजाब और क़ुबूल का यानी अगर कोई बालिग मर्द औरत, दो गवाह (मर्द, या 1 मर्द और दो औरत) की मौजूदगी में शरई महर के साथ खुद निकाह करना चाहे तो भी निकाह सही हो जायेगा, इन चीज़ों पर कुछ फ़र्क़ नहीं आता। हाँ, औरत को बगैर ज़ेवर के रहना मकरूह है तो बेहतर है कि कोई ना कोई ज़ेवर ज़रूर पहने और ये खास निकाह के लिये नहीं बल्कि आम हालत में भी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 207
अगर औरत अपने महरम रिश्तेदार के साथ (मज़ार पर) जाये और साहिबे मज़ार का जहाँ क़ाइम हो वहाँ अन्दर दाखिल ना हो जब भी गुनाह का इम्कान होगा या मुबाह होगा?

जवाब : 207

بسم الله الرحمٰن الرحیم
गुनाह महरम रिश्तेदार के साथ जाने में ही बयान किया गया है। वरना गैर महरम या अकेले औरत को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं तो मज़ार का पूछना ही क्या। गैर मर्द के साथ तो बाज़ार भी जाना हराम है और अकेले मज़ार पर जायेगी तो तन्हा सफ़र का भी गुनाह और मज़ार पर जाने का भी और अगर शौहर साथ जाये तो वो भी गुनाहगार।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 208
जुम्आ की नमाज़ में दूसरी अज़ान मस्जिद के अंदर होनी चाहिये या बाहर?

जवाब : 208

بسم الله الرحمٰن الرحیم
सिर्फ़ अज़ाने जुम्आ ही नहीं सभी अज़ान मस्जिद में पढ़ना खिलाफे सुन्नत है और हर अज़ान मस्जिद के दायरे से बाहर ही होनी चाहिये।

फ़तावा क़ाज़ी खान, जिल्द 1, सफ़हा 26 पर है :

ینبغی ان یؤن علی المیذنته او خارج المسجد ولا یؤذن فی المسجد
अज़ान मीनारे पर या मस्जिद के बाहर कहनी चाहिये, मस्जिद में अज़ान ना कही जाये।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 500 पर है :
हमारे आइम्मा ने तसरीह फरमाई कि अज़ान मस्जिद में देना मकरूह है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 209
एक वहाबी ने ये सवाल किया है :
(1) मुजावरी करमा हराम।
(2) क़ब्र को सजदा हराम।
(3) पुख्ता क़ब्र बनाना हराम।
(4) ठेले मेले लगाना हराम।

जवाब : 209

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुज़ावर की तशरीह जो मुझे साइल ने बाद में बताई उस से ये समझ आया कि जो लोग मज़ारे औलिया पर बैठे हैं यानी जिन्हें खादिम भी कहते हैं, मज़ार की खिदमत करने में हर्ज नहीं।

क़ब्र को सजदा करना हराम है बल्कि हमारी शरीअत में सजदा -ए- ताज़ीमी हराम हाँ मगर हर चीज़ का नाम सजदा नहीं बल्कि लोग मज़ार पर चादर को बोसा देते हैं और ये भी अदब के खिलाफ़ है ऐसा भी नहीं करना चाहिये।

पक्की क़ब्र बनाना हराम है मगर वहाबी मज़ार को पक्की क़ब्र समझता है, ये उसकी अ़क़्ल की खराबी है और जो मज़ार पक्के होते हैं वो क़ब्र पक्की नहीं होती बल्कि क़ब्र के चारों तरफ़ एक बॉक्स टाइप हिफाज़त के लिये बनाया जाता है जो क़ब्र नहीं होती। मगर मज़ार पक्की क़ब्र के हुक्म में नहीं जिस तरह लोहे की अँगूठी पहनना हराम है मगर उसके चारों तरफ़ चाँदी का खोल चढ़ा दिया जाये तो जाइज़ है। इस खोल के अन्दर लोहा हिफाज़त से होता है ठीक वैसे ही असली क़ब्र उस बॉक्स के अन्दर अपनी असली कच्ची हालत पर होती है।

मज़ाराते औलिया पर मेले, ठेले, गाने बाजे, नाच, औरत मर्द का साथ होना और क़व्वाली और उसे तफरीगाह बनाना जाइज़ नहीं। इस को हमारे उलमा ने भी हराम कहा है। वहाबी से हमारा असली इख्तिलाफ़ उनके बातिल अक़ाइद को लेकर है मगर वो अपने कुफ्र पर

बात नहीं करता और सुन्नी को इन चीज़ों में उलझाये रखता है। हालाँकि इन में हमारा इख्तिलाफ़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 210

अगर कोई औरत अपने शौहर से बात करने में गुस्से में ऐसे लफ्ज़ इस्तिमाल करती हो "अभी उन्हें बताती हूँ" "वो अपने आप को समझते क्या हैं?" वग़ैरह-वग़ैरह।

जवाब : 210

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जो लफ्ज़ साइल ने बताये वो सामने नहीं बोले जाते जबकि साइल ने कहा कि शौहर से बात करने में कोई सामने ऐसे नहीं कहता कि अभी उन्हें बताती हूँ क्योंकि लफ्ज़ उन्हें बता रहा है कि ऐसी बात पीछे की गई अगर सामने की जाती तो इस तरह होता कि अभी तुम्हें बताती हूँ और सामने के लिये लफ्ज़ तुम्हें या आपको इस्तिमाल होता है। और सामने कोई ऐसे बोले तो वो अपने आप को क्या समझते हैं खिलाफे आदत मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ भी जुमले से लग रहा है ये बातपीछे कही गई सामने नहीं वरना सामने वो ना होता तुम या आप होता। इसी तरह "तुम अपने आप को समझते क्या हो"

खैर, बिला वजहे शरई मुसलमान की दिल आज़ारी हराम है और शौहर की तो सख्ततर अगर ये अल्फाज़ औरत ने लड़ाई के तौर पर उनके पीछे किये तो हराम, कि गीबत भी हुई और अगर ये महज़ मज़ाक में था या इस तरह की लड़ाई में बच्चों के लिये तफ़रीह के तौर पर बोले जाते हैं कि आने दे तेरे पापा को बताती हूँ, तू खाना खा तो गुनाह नहीं वरना गुनाह। और औरत को शौहर से माफ़ी माँगनी चाहिये और उसकी फ़रमाबरदार बनकर रहना चाहिये। हदीस के मुताबिक़ अगर किसी गैर को सजदे का हुक्म होता तो औरत को होता शौहर के लिये, इस से शौहर की अज़मत मालूम हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि मुसलमानों को ना-इत्तिफाक़ी से बचाये रखे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 211

सुना है हज़रत खाली पेट मतलब भूख लगी हो और बिना खाये नमाज़ नहीं होती है यानी भूखे पेट नमाज़ नहीं होती है?

जवाब : 211

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये उस वक़्त है कि जब भूक की सख्ती ज़्यादा हो तो नमाज़ में भी खाने या भूक पर ध्यान रहेगा लिहाज़ा ऐसी सूरत में पहले खाना खा लेना चाहिये। और अगर इतनी तेज़ भूक नहीं और पहले नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि भूके पेट नमाज़ नहीं होती वरना रमज़ान में ज़ुहर अस्र होगी या नहीं?

इसीलिये मन्कूल हुआ कि जब दस्तरख्वान बिछाया जाये और जमाअत क़ायम हो तो पहले खाना खा लो यानी अगर तेज़ भूक हो और नमाज़ में भी खाने का ख्याल आने का गुमान हो वरना नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 212

अगर जुम्आ की नमाज़ छूट जाये तो क्या ज़ुहर की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी जा सकती है? अगर हाँ तो कहाँ मस्जिद में ही या घर पर अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? प्लीज़ तसफील से बतायें।

जवाब : 212

بسم الله الرحمٰن الرحیم

अगर जुम्आ की नमाज़ छूट गयी हो या जिस पर जुम्आ वाजिब ना हो तो जमाअ़त क़ाइम नहीं की जा सकती, तन्हा नमाज़े ज़ुहर पढ़नी होगी।

दुर्रे मुख्तार जिल्द 3, सफ़हा 36 पर है :

जिस पर जुम्आ फर्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुम्आ के दिन शहर में जमाअ़त के लिये ज़ुहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है चाहे नमाज़े जुम्आ होने से पहले जमाअ़त करे या बाद में। यूँही जिन्हें जुम्आ ना मिला वो भी बगैर अज़ान व बगैर इक़ामत ज़ुहर की नमाज़ तन्हा-तन्हा पढ़ें, जमा'अत इन के लिये भी मना है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 213

ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल करना या बिना प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन में जाना कैसा?

जवाब : 213

بسم الله الرحمٰن الرحیم

ट्रेन या बस में बिना टिकिट सफर करना नाजाइज़। और इसी तरह बिना प्लेटफॉर्म टिकिट लिये चोरी से स्टेशन के अन्दर जाना भी नाजाइज़ है। हदीसे पाक में इरशाद हुआ (मफहूम) खुद को ज़िल्लत पर पेश ना कर।

ये काम खुद को ज़िल्लत पर पेश करने का है कि अगर पकड़ा जाये तो ज़लील किया जायेगा अगर नहीं तो जुर्माना देना होगा और जुर्माने से बचना चाहे तो रिशवत देनी होगी और याद रहे हमारे मज़हब में जुर्माना भी देना हराम और लेना भी। तो बिला वजह इतने गुनाह में पढ़ने की किसी सूरत इजाज़त नहीं लिहाज़ा ऐसे हर काम से बचना चाहिये जहाँ ये सूरतें पेश आयें कि खुद को ज़िल्लत पर पेश करना पड़े या रिशवत देनी पड़े या जुर्माना देना पड़े।

और जिसने ये किया मस्लन बिना टिकिट बस वग़ैरह में सफ़र किया तो उसे वो सफ़र के पैसे वापस करना वाजिब है और इसकी वापसी की सूरत इस तरह होगी : अन्दाज़ा करे कि कितनी बार बगैर टिकिट सफ़र किया अगर माना जाये कि 5 बार सफ़र किया और हर बार 10 रुपये के टिकिट लेना ज़रूरी था तो उसे 50 रुपये वापस करने होंगे, तो यूँ करे कि 10 रुपये की टिकिट ले और सफ़र ना करे या कहीं जाये तो दो टिकिट ले ले, एक उसके सफ़र का होगा और एक पिछले सफ़र का इसी तरह 50 रुपये पूरे अदा करे यानी टिकिट ले और सफ़र ना करे इसी तरह प्लेटफॉर्म पर अगर चोरी से घुसा था तो भी यही सूरत है कि रक़म का हिसाब लगा कर उन्हें भी इसी तरह वापसी करे। मस्लन प्लेटफॉर्म टिकिट ले और अंदर ना जाये, वापस आ जाये। इस तरह उसके ये पैसे गवर्नमेंट के खाते में पहुँच जायेंगे।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 214

अहले सुन्नत ग्रुप क्या हुज़ूर ताजुश्शरिया के फ़रमान को मानता है या नहीं? अगर मानता है तो मै हुज़ूर ताजुश्शरिया के सवाल जवाब के कुछ ओडियो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करूँ या नहीं?

जवाब : 214

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ग्रुप के एडमिन और गालिबन सभी हज़रात सुन्नी है और मस्लके आला हज़रत पर क़ाइम व दाइम है। ओडियो भेजने की इजाज़त नहीं क्योंकि इस से सवाल जवाब पर फ़र्क़ पड़ता है और ओडियो से मना करना इस बात की दलील नहीं कि ताजुश्शरिया को नहीं मानते।

किसी को मानना या ना मानना ग्रुप में ओडियो भेजने या रोकने से साबित नहीं होता और किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन किसको मानता है। मुहब्बत का अज्र क़ियामत में खुदा देगा, बन्दा नहीं और अगर कोई नहीं मानता तो वो खुद क़ियामत में भुगतेगा मगर ऐसे बेहूदा सवाल कि कौन किसे मानता है, फिज़ूल है।

फ़तावा आलमगीरी में है कि बेकार के सवाल करना हराम है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 215

बकर का माल ज़ैद की गाड़ी में आ रहा है। ज़ैद की गाड़ी लेट हो गई जिस की वजह से बकर का रुपये 2000/- का नुक़्सान हो गया। अब क्या बकर ज़ैद पर जुर्माना लगा सकता है? पिछला सवाल में जुर्माना लेना देना दोनों हराम बताया गया था।

जवाब : 215

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर ज़ैद की गाड़ी किसी मजबूरी की हालत में लेट हुई यानी ज़ैद ने जान कर ये ना चाहा था कि बकर पर जुर्माना हो तो बकर ज़ैद से पैसे नहीं माँग सकता और अक्सर होता भी यही है गाड़ी खराब हो सकती है वरना रोड पर रश हो सकता है।

जिस सवाल में मैने रिशवत, जुर्माना हराम कहा उसका मतलब ये नहीं कि हर सूरत में हराम है। कुछ शराइत के साथ कुछ काम कुछ वक़्त के लिये जाइज़ हो जाते हैं। जैसे क़ुरआन में सुअर खाने को हराम कहा मगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं और हराम ही खाने को है और भूक से जान जा रही है तो उसे जान बचाने लाइक़ खाना फ़र्ज़ है ना खायेगा तो गुनाहगार होगा। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि, अपना हक़ अगर जाइज़ तरीक़े से ना मिलता हो तो रिशवत दे कर हासिल किया जा सकता है और इसी रिशवत का गुनाह लेने वाले पर होगा देने वाले पर नहीं। शरीअ़त का एक क़ाइदा है कि ज़रूरत ममूअ को मुबाह कर देती है यानी जो चीजें शरीअ़त में हराम या मना की गई हैं, तो ज़रूरत के वक़्त जाइज़ हो जाती हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 216

ज़ैद ने कहा : "काम खत्म अब ज़रा पेट पूजा कर के आता हूँ।" पेट पूजा खाना खाने को कहा गया है, ऐसा कहना कैसा?

जवाब : 216

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये एक मशवरा है जिसका मतलब सब पर रौशन है। आपने सवाल में बयान भी फरमा दिया, लफ्ज़ पूजा ज़रा लोगों को अजीब लगता है हालाँकि सिर्फ़ पूजा शिर्क नहीं होती जब तक ये साफ ना कर दिया जाये कि पूजा अल्लाह की या गैर की। आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत ने भी अपने तर्जुमा -ए- क़ुरआन कंज़ुल ईमान में सूरह फ़ातिहा की आयत का तर्जुमा ये किया कि "हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें।" यानी लफ्ज़े पूजना तो लिखा मगर अल्लाह के लिये। लिहाज़ा ऐसी फिज़ूल बातें बोलने से बचना चाहिये और साफ़ बयान करना चाहिये कि अब खाना खा लूँ।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 217

इस मसअले की थोड़ी तफ़सीर फरमा दें रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाये तो उसकी तहकीर ना करो बल्कि दस्तरख्वान पर हाथ से जो टुकड़ा गिरा है उसे उठा कर खाओ क्योंकि उस का सवाब हूरुल ऐन की महर के मिस्ल है। जिसने गिरे रोटी के टुकड़े उठाये और खाये उस की बरकत से अमराज़े जुनून व जुज़ाम उसके बदन से और उसकी औलाद के और औलाद की औलाद के बदन से खुदा दूर करेगा।

जवाब : 217

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इबारत अपने मफहूम से साफ ज़ाहिर है कि रोटी की ताज़ीम का हुक्म दिया जा रहा है। और ये कि दस्तरख्वान पर गिरी रोटी को उठा कर खाने का हुक्म दिया है। बहुत रिवायतें इस बारे में मन्कूल हैं और दस्तरख्वान से गिरी रोटी को बिना साफ किये खाना चाहिये। ये खाने की सुन्नत और आदाब में शामिल है और इसका फ़ाइदा जो इबारत में नक़्ल है वो ये है कि जो शख्स इस पर अ़मल करे, जुनून यानी पागलपन, जुज़ाम यानी कोड़ के मर्ज़ से उसकी औलाद दर औलाद को अल्लाह महफ़ूज़ करेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 218

लडकियाँ जो चूड़ीदार पहनती हैं क्या हुक्म है हदीस में क्या पहनना जाइज़ है? हज़रत।

जवाब : 218

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस क़दर चुस्त और तंग कपड़ा पहनना नाजाइज़ और गुनाह है जिस से जिस्म की बनावट नज़र आये। इसी तरह ऐसा जिस से जिस्म की रंगत नज़र आये हराम है।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुजद्दिद -ए- आज़म, मुहद्दिस -ए- बरेलवी, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, पेज 162 पर लिखते हैं:
यूँही तंग पैजामा भी, ना चूड़ीदार हो, ना (मर्द को) टखनों से नीचे, ना चुस्त बदन से सिले कि ये वज़हे फुस्साक़ है और सितरे औरत का ऐसा चुस्त होना कि आज़ा का पूरा अन्दाज़ बनाये ये भी एक तरह की बे सितरी है।

चूड़ीदार पैजामा पहनने के बारे में आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी,
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 172 पर लिखते हैं,
"चूड़ीदार पैजामा पहनना मना है कि वज़हे फुस्साक़ की है।

शैख अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिस द्हेलवी किताब आदाब अल-लिबास में फ़रमाते हैं :
سراویل کہ در عجم متعارف است کہ اگر زیر شتالنگ باشد یا دوسہ چین واقع شود بدعت و گناہ است
तर्जुमा : सलवार जो अजमी इलाक़ों में मशहूर व मअ़रूफ है अगर टखनों से नीचे हो या दो तीन इन्च (शिकन/चूड़ी/बाल) नीचे हो तो बिदअ़त और गुनाह है।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 219
हज़रत हाथ में धागा बांधने के बारे में क्या है हदीस में? हमने सुना है कि हाथ में धागा बांधना शिर्क है।

जवाब : 219
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शिर्क और बिदअ़त किस चीज़ का नाम है इसकी तफ़सील वहाबी ठीक तरीक़े से शायद जानता भी नहीं इसीलिये हर काम शिर्क और बिदअ़त ही नज़र आता है।
कलाई में धागा बांधना शिर्क नहीं मगर हाथ में धागा नहीं बांधना चाहिये। ना मज़ार का, ना नज़र का, हाँ तावीज़ पहन सकते हैं।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 220
गैर मुस्लिम से सलाम करना या सलाम का जवाब देने के बारे में क्या हदीस है? मेहरबानी कर के तफ़सील बयान करें।

जवाब : 220

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सलाम ताज़ीम करना है, जब हदीस में फासिक़ की ताज़ीम को मना किया है तो काफ़िर की ताज़ीम की कैसे इजाज़त होगी।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं :
काफ़िर को सलाम हराम है और आगे लिखते हैं, काफ़िर या फासिक़ को सलाम करने की सही ज़रूरत पेश आये तो लफ्ज़ सलाम ना कहे ना कोई ऐसा लफ्ज़ जो ताज़ीमन हो। मजबूर हो तो आदाब कहे (यानी आ मेरे पाऊँ दाब।) और मजबूरी की हालत में आदाब कहते वक़्त भी दिल में उनकी ताज़ीम की निय्यत नहीं होनी चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 221
अगर हम पाक साफ हैं लेकिन बा-वुज़ू नहीं है तो क्या ऐसे में क़ुरआने पाक को छूना भी गुनाह है? बिना वुज़ू के क़ुरआने पाक को नहीं उठाना चाहिये?

जवाब : 221

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! गुनाह है। बगैर वुज़ू क़ुरआन को छूना हराम है। जैसा कि
बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 301 पर है :
अगर वुज़ू ना हो तो नमाज़ और सजदा -ए- तिलावत और नमाज़े जनाज़ा और क़ुरआन छूने के लिये वुज़ू करना फर्ज़ है और बेवुज़ू क़ुरआन की आयत को भी हाथ लगाना गुनाह है। बेवुज़ू क़ुरआन की आयत वाला तावीज़ लिखना भी नाजाइज़ और गुनाह। मगर बिना छुये देख कर पढ़ा जा सकता है वो भी बेवुज़ू, नापाक हो तो ये भी जाइज़ नहीं। और अगर क़ुरआन मोटे कपड़े में है तो उसे कपड़े से पकड़ कर भी, मगर वो कपड़ा अपने जिस्म पर इस्तिमाल ना हो जैसे जिस चादर को ओढ़ रखा है उसके किनारे से क़ुरआन नहीं पकड़ सकते। और बेवुज़ू मोबाइल और टैबलेट या कम्प्यूटर में क़ुरआन को छू सकते हैं यानी स्क्रीन पर हाथ लगा सकते हैं। मगर उलमा ने इस से भी मना फ़रमाया, मगर गुनाह नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 222
हज़रत खतना कौन-कौन से महीने में नहीं करवा सकते हैं?

जवाब : 222

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वैसे कोई महीना मनहूस नहीं जिस महीने बच्चा पैदा हो उसके 7वें दिन करवानी चाहिये। इस में महीने की क़ैद नहीं फिर चाहे जिस महीने पैदा हो। बस बच्चे की सिह्हत और मौसम देखा जाये, सख्त गर्मी वग़ैरह के लिहाज़ से।

हदीस कंज़ुल उम्माल में है:
हज़रत अ़ली रदिअल्लाहू अ़न्हु से रिवायत है कि अपने बच्चे की 7वें दिन खतना करो कि ये गोश्त उगने के लिये जल्दी और सुथरा है और दिल के लिये राहत है।

बहार -ए- शरीअ़त, हिस्सा 16, सफ़हा 200 पर है :
खतना करना सुन्नत है और ये शियारे इस्लाम में से है कि इस से मुसलमान और काफ़िर में इम्तियाज़ होता है। इसीलिये इसे मुसलमानी भी कहा जाता है। पैदाईश के 7 दिन के बाद खतना करना जाइज़ है। खतना करने की मद्दत 7 साल से 12 साल तक है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 204 पर है
बच्चे का खतना बाप खुद भी कर सकता है।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 223
हज़रत अगर बीवी क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत नहीं करती है, ना नमाज़ पढ़ती है, शौहर बार-बार कहता है नमाज़ पढ़ने के लिये लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ती है। ऐसी हालत में क्या बीवी को शौहर छोड़ सकता है या ऐसी ही हालत शौहर पर हो तो क्या बीवी छोड़ सकती है?

जवाब : 223

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़ुरआन की तिलावत रोज़ करना गुनाह नहीं और नमाज़े क़ज़ा करना ज़रूर गुनाहे कबीरा है। इस सूरत में शौहर पर ये लाज़िम नहीं कि तलाक़ दे ही दे मगर कोशिश करे और उसे

समझाता रहे, नसीहत करे और हल्की मार वग़ैरह में भी कोई हर्ज नहीं, उसे खुद से जुदा कर दे, नाराज़गी ज़ाहिर करे, बात वग़ैरह करना बन्द कर दे ताकि वो इस से बाज़ आये और नमाज़ क़ाइम करे। इसी तरह औरत भी इस वुजूहात की बिना पर तलाक़ नहीं माँग सकती। लफ्ज़ क़ुरआन की सही स्पेलिंग इस तरह है जैसे हमने बयान की। ना कि उस तरह जैसे सवाल में लिखा गया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 224

"वुज़ू करने के बाद मुँह पोंछना मकरूह है?" क्या गुस्ल (Bath) के बाद भी यही मसअला माना जायेगा?

जवाब : 224

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वुज़ू के बाद आज़ा -ए- वुज़ू को पूरी तरह से खुश्क नहीं करना चाहिये बल्कि कुछ तरी बाक़ी रखनी चाहिये और जो ऊपर सवाल में दर्ज है कि मकरूह है उस से मुराद मकरूहे तन्ज़ीही है ना कि मकरूहे तहरीमी यानी कोई पोंछ ले तब भी गुनाहगार नहीं। और हदीस में आया कि मेरे उम्मतियों के आज़ा, वुज़ू की वजह से सफ़ेद होंगे। और ये भी याद रखना चाहिये कि वुज़ू का पानी मस्जिद में छिड़काना हराम है लिहाज़ा हाज़िरी ए मस्जिद के वक़्त आज़ा को साफ करना चाहिये कि पानी ना टपके और कुछ तरी बाक़ी रखनी चाहिये। जैसा कि

बहारे शरीअ़त, बाबुल वुज़ू, जिल्द 1, सफ़हा 300 पर है :

वुज़ू के मुस्तहब्बात में से है कि आज़ा -ए- वुज़ू बगैर ज़रूरत ना पौछे और पौछे तो बे-ज़रूरत खुश्क ना करे। (ज़रूरत हमने ऊपर बयान कर दी जैसे मस्जिद की हाज़िरी) गुस्ल के बाद ये बात नहीं बल्कि गुस्ल के बाद जिस्म पौंछ लेना चाहिये कि गीले कपड़े से सित्र चमकने का गालिब गुमान है। और गुस्ल के बाद आज़ा -ए- वुज़ू मस्लन हाथ, मुँह वग़ैरह पूरी तरह खुश्क ना करे। जैसे कि ऊपर गुज़रा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 225

क्या शौहर का नाम बीवी ले सकती है या बीवी का नाम शौहर ले सकता है?

जवाब : 225

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बीवी को शौहर का नाम लेकर पुकारना मकरूह है। और हमारे नज़दीक हया का तकाज़ा यही है कि शौहर भी बीवी का नाम ना ले। हदीसे पाक में है कि हया ईमान से है और नाम ले भी तो गुनाह नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 226

हज़रत बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि आँखों का फड़कना अच्छा नहीं होता, क्या ये सही है?

जवाब : 226

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

उल्टी आँख के फड़कने को बद-शुगूनी मानना सही नहीं है। बहुत सी हदीस में इसकी मज़म्मत बयान की गई। जिसका खुलासा ये है कि बद-शुगूनी लेना, मुशरिकीन का तरीक़ा है, बद-शुगूनी लेना हराम है, अच्छा फाल लेना मुस्तहब, बद-शुगूनी लेना बुत परस्तों का तरीक़ा है, बद-शुगूनी को शिर्क भी कहा गया, जो बद-शुगूनी की वजह से किसी चीज़ से रुक जाये वो शिर्क आलूदा हो गया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 227

बहुत लोगों को कहते सुना है कि जिस लड़की के हाथ में चूड़ियांँ या कड़े नहीं होते उन के हाथ का पानी हराम है?

जवाब : 227

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

औरत का बगैर ज़ेवर रहना मकरूह है। मगर ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना गुनाह नहीं कि गुनाह को साबित करने के लिये कम अज़ कम तर्के सुन्नते मुअक्क़िदा की आदत या वाजिबात 2-3 बार का तर्क वरना फ़र्ज़ का 1 बार तर्क ज़रूरी है या फिर हराम का एक बार करना या मकरूहे तहरीमी की आदत बनाना वग़ैरह। और ज़ेवर का ना पहनना इनमें से कुछ नहीं लिहाज़ा उसके हाथ के पानी को गुनाह कहना शरीअत पर इफ्तिरा करना है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 228

हज़रत क्या सूखा कुत्ता पाक होता है जैसे कि कुत्ता कपड़े में लग गया तो बिना कपड़े चेंज किये हम नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : 228

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! कुत्ते का बदन नापाक नहीं करता जब तक उसके जिस्म पर कोई नापाकी ना हो अगर कोई नापाकी हो और वो नापाकी कपड़े पर लगी हो तो भी सिर्फ़ कपड़ा नापाक होता है वो शख्स नहीं। जैसे कुत्ते पर नाली का पानी लगा है और वो छू गया तो उतना कपड़ा साफ किया जाये, बदलने की भी ज़रूरत नहीं। और कुत्ते का लुआब (थूक) नापाक है मगर इन सब सूरतों में किसी शख्स को नहलाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ नापाकी लगे बस वो हिस्सा धो ले चाहे कपड़े हो या जिस्म।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 229

हाफ़ टी-शर्ट या हाफ़ शर्ट में नमाज़ होगी या नहीं होगी?

जवाब : 229

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आधी आस्तीन की टी-शर्ट और शर्ट में नमाज़ हो जायेगी। और अगर दूसरे कपड़े मौजूद हैं तो आधी आस्तीन में नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है मगर नमाज़ फिर भी हो जायेगी। दोहराने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ गुनाह और अगर दूसरा कपड़ा मौजूद नहीं है तो नमाज़ मकरूह भी नहीं।

फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, सफ़हा 193 पर है :

जिसके पास कपड़े मौजूद हों और सिर्फ़ आधी आस्तीन या बनयान पहन कर नमाज़ पढ़े तो कराहत तन्ज़ीही की है (यानी नमाज़ हो जायेगी) और दूसरे कपड़े मौजूद नहीं तो कराहत (तन्ज़ीही) भी नहीं।

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, सफ़हा 245 पर है :

आधी आस्तीन वाला कुर्ता, क़मीज़ या शर्ट काम काज करने वाले लिबास में शामिल हैं। इसीलिये जो आधी आस्तीन वाला कुर्ता पहन कर दूसरे लोगों के सामने जाना वग़ैरह नहीं करते उनकी नमाज़ मकरूहे तन्ज़ीही है और जो लोग ऐसा लिबास पहन कर सबके सामने जाने में कोई बुराई नहीं महसूस करते तो उनकी नमाज़ मकरूह भी नहीं।

मकरूहे तन्ज़ीही की तारीफ :
वो अ़मल जिसे शरीअ़त ना-पसंद करे, पर इस पर कुछ अज़ाब नहीं (गुनाह नहीं)।
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 230
हज़रत लोग कहते हैं दावते इस्लामी वाले सुन्नी नहीं हैं। क्या ये सच है दावते इस्लामी वाले सुन्नी मुसलमान हैं या नहीं? जवाब दें हज़रत तो सवाब दिये जायेंगे।

जवाब : 230
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सभी तारीफ़ ल अल्लाह इल्मो हिकमत वाले की जिसने दौरे पुरफितन में एक जमाअ़त सुन्नियत की (दावते इस्लामी) पर अपना करमे खास किया और इसके ज़रिये से हिदायत बख्शी गुमराहों को और काफ़िरों को इस्लाम के दामन से बावस्ता किया। और दुरूद हो हबीबे खुदा, तबीबों के तबीब पर जिनका करम आज भी सभी सुन्नियों की जमाअ़तों पर क़ाइम है और आगे भी इंशा अल्लाह क़ाइम रहेगा और उनके आलो अस्हाब पर। आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फरमाते हैं कि :

मिट जाये ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं
दरदा में आप अपनी नज़र का हिजाब हूँ।

मुफ्ती -ए- आज़म हॉलेण्ड, मुफ्ती अ़ब्दुल वाजिब अल-क़ादरी से एक सवाल हुआ, जिस में दावते इस्लामी के मुबल्लिगों के कामों का ज़िक्र किया गया कि वो किस तरह नौजवानों को राहे रास्त पर लाते हैं और खुद भी सुन्नत के पाबंद होते हैं। उनका साथ देना चाहिये या नहीं? इसके जवाब में मुफ्ती -ए- आज़म क्या फ़रमाते हैं :

फ़तावा यूरोप, सफ़हा 91: आपने जो कारनामा और खुसूसिय्यत इस जमाअ़त के मुबल्लिगों की बयान की वो क़ाबिले तारीफ़ है। अगर उनके ज़रिये एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो लाइक़े इज़्ज़त और तकरीम है। हदीसे पाक में है:
"अगर अल्लाह तेरे ज़रिये से एक शख्स को भी हिदायत दे तो वो तेरे लिये हर उस चीज़ से बेहतर है जिस पर सूरज चमकता है। तब्लीगे दीन और इस्लाहे आमाल और अक़ाइद के लिये जितने क़दम ज़मीन पर पड़ते हैं हर क़दम पर मुबल्लिग के लिये 10 नेकियाँ लिखी जाती हैं। क़ुरआने पाक में अल्लाह का फ़रमान है कि (सूरह यासीन) "हम लिखते हैं उनके

काम और उनके क़दमों के निशान" अब आप खुद हिसाब लगा लीजिये एक शख्स चंद साल के लिये अगर अपने मुहल्ले या शहर में घूम कर मुसलमानों के अक़ाइदो आमाल की इस्लाह करता है या गैर मुस्लिम तक इस्लाम पहुँचाने की सय करता है तो उसके नामा -ए- आमाल पर किस क़द्र सवाब लिखा जाता है। दावते इस्लामी के सैकड़ों मुबल्लिगों से मेरी मुलाक़ात अ़रबो अजम में हुई मैने उनमें से बेश्तर को मुख्लिस और सुन्नतों का हमदर्द पाया। दावते इस्लामी के लोग अहले सुन्नत व जमाअ़त से हैं। उनके साथ इस्लाम और सुन्नत की तब्लीग में अपने वक़्त की क़ुरबानी देना जाइज़ और सआदत मन्दी है।

हदीस बुखारी की शरह करने वाले, साहिबे शारेह बुखारी एक सवाल के जवाब में फ़रमाते हैं :

फ़तावा शारेह बुखारी, जिल्द 3, सफ़हा 477 पर है :

दावते इस्लामी के बानी और अमीर, जनाब मौलाना मुहम्मद इलयास साहिब क़ादरी सहीहुल अ़क़ीदा सुन्नी मुसलमान हैं और मस्लके आला हज़रत के पाबंद हैं बल्कि इस सिलसिले में मुरीद और इसी सिलसिले के खलीफ़ा हैं।

फ़तावा शारेह बुखारी, जिल्द 3, सफ़हा 485 पर है:

दावते इस्लामी सिर्फ़ सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा लोगों की जमाअ़त है। वो इन्तिहाई खुश अ़क़ीदा सुन्नी और मस्लके आला हज़रत के सख्ती से पाबंद हैं इसीलिये तमाम सुन्नी मुसलमानों को चाहिये कि इस जमाअ़त में शरीक हों।

मुफ्ती -ए- आज़म पाकिस्तान, हज़रत मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब एक सवाल के जवाब में फ़रमाते हैं

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, सफ़हा 202 पर है :

दावते इस्लामी के बानी मौलाना इल्यास क़ादरी को मै 22 साल से जानता हूँ। वो बराबर मेरे पास आते जाते रहते हैं। (आगे फ़रमाते हैं) ये जमाअ़त (दावते इस्लामी) तैय्यार करने के लिये भी हम लोगों ने ही तैय्यार किया था और मैने उनको खिलाफ़त दी। वो मेरे खलीफ़ा भी हैं, उनके सुन्नी होने में कोई शक नहीं, आला हज़रत के शैदाई हैं, उनके लिये देवबंद का शक करना नाजाइज़। (आगे फ़रमाते हैं) जो लोग इस तरह के शक शुब्हा क़ाइम करके दावते इस्लामी को बदनाम करते हैं उन्हें खुदा से डरना चाहिये।

फ़तावा फक़ीहे मिल्लत, जिल्द 2, सफ़हा 435 पर है (खुलासा) दावते इस्लामी के तरीक़ेकार से सिवाये फाइदे के सुन्नियत का कोई नुक़सान नहीं। फरीज़ा -ए- तबलीग को

अंजाम देने के लिये ज़रूरी नहीं खुला रद्द ही किया जाये बल्कि हालात के पेशे नज़र नर्मी का पहलू क़ुबूले हक़ के लिये ज़्यादा मददगार होगा।

बस इन बुज़ुर्गाने अहले सुन्नत की तहरीरों से साबित है कि दावते इस्लामी सुन्नी की ही जमाअ़त है और उनका साथ देने में कोई नुक़सान नहीं। जिस तरह फिरऔन के खुद को खुदा कहने से वो खुदा नहीं हो गया, अबू जहल के नबी को जादूगर कहने से नबी जादूगर नहीं हो गये इसी तरह किसी के दावते इस्लामी को बद-मज़हब कहने से ना वो बद-मज़हब हो जायेगी ना सुन्नियत से खारिज। अगर दावते इस्लामी सुन्निय की जमाअ़त नहीं तो पहले हुक्मे शरई इन मुफ्तियाने अहले सुन्नत पर आना चाहिये जो दावते इस्लामी को सुन्नी और मस्लके आला हज़रत वाला मानते हैं। और याद रखना चाहिये कि मस्लके आला हज़रत किसी के घर का मस्लक नहीं जो कोई खुद तय करे कि इस पर कौन है और कौन नहीं, ये मस्लक हक़ीक़त में दीने मुहम्मदी है। मुसलमानों को दीन में लाने और आमाल अक़ीदे की इस्लाह करनी चाहिये ना कि हर शख्स को सुन्नियत से खारिज किया जाये। अगर इसी का नाम दीनो सुन्नियत है तो एक वक़्त होगा कि मुट्ठी भर सुन्नी मुसलमान ही होंगे।

واللہ تعالٰی اعلم بال صواب

सवाल : 231

हज़रत मै सुन्नी हूँ कि नहीं कैसे मालूम करूँ और मै कैसे मालूम करूँ कि मै मुसलमान हूँ या सुन्नी मुसलमान हूँ? प्लीज़ बतायें।

जवाब : 231

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जनाब आपके दिल में क्या अ़क़ीदा है पहले वो तहरीर कर के भेजें फिर पता चल जायेगा कि आप सुन्नी हैं या नहीं। अगर आपके दिल में ये सब बातें पायी जाती हैं तो आप अल्लाह के करम से हक़ पर हैं सुन्नी ही हैं। और याद रखें मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक ही चीज़ है अलग नहीं।

अगर आप मानते हैं कि :

अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब दिया है।

नबी और वली अल्लाह की दी हुई ताक़त से मदद करते हैं।

नबी को अल्लाह ने मालिको मुख्तार बनाया है।

नबी और वली अल्लाह की दी हुई ताक़त से तसर्रुफ़ करते हैं।

नबी ज़िन्दा होते हैं और हमारे हाल से वाक़िफ़ भी होते हैं।

सभी कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं होते।

फिरक़ापरस्ती हक़ है बेकार की चीज़ नहीं।
सुन्नी इमाम के अलावा किसी बदमज़हब के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं।
सिवाये 1 फिरक़े के कोई जन्नती नहीं यानी ईमान होना चाहिये।
जो फिरक़ा जन्नती है उसे दौरे हाज़िर में बरेलवी कहा जाता है।
मस्लके आला हज़रत नया मस्लक नहीं बल्कि मस्लके इमामे आज़म ही है।
मस्लके आला हज़रत के सिवा कोई मस्लक हक़ पर नहीं।
आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं।
मीलाद, दुरूद, सलाम, नियाज़, मज़ाराते औलिया की हाज़िरी और नात ख्वानी वग़ैरह ये सब जाइज़ और सुन्नते मुस्तहब्बा में हैं यानी सवाब के काम हैं।
ये कुछ मुख्तसर तफ़सीर थी, अगर आप के यही अ़क़ीदे हैं तो आप सुन्नी हैं और कुछ इसके खिलाफ़ हैं तो वो लिख दें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 232
हज़रत क्या हम बिना वुज़ू के हदीस पढ़ सकते हैं या हदीस पढ़ने के लिये भी वुज़ू करना ज़रूरी है?

जवाब : 232

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! बिना वुज़ू क़ुरआन को छूना गुनाह है मगर बे-छुये उसे भी पढ़ना जाइज़ है और हदीस शरीफ़ को बिना वुज़ू पढ़ सकते हैं और छू भी सकते हैं मगर जहाँ-जहाँ हदीस में क़ुरआन की आयत लिखी हो उसे बे-वुज़ू हाथ नहीं लगा सकते और हदीस वग़ैरह की किताब के लिये भी वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 233
2 परिवार का आपस में नहीं बनता है और उस में से कोई हज पर जाता है तो उसे सब से माफ़ी माँगना होगा या किसी एक से?

जवाब : 233

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

दो परिवार की आपस में क्यों नहीं बनती इस पर भी गौर करना चाहिये। बहारे शरीअ़त में अ़ल्लामा अमजद अ़ली आज़मी फरमाते हैं, बिला वजहे शरई रिश्ता तोड़ना हराम है और रिश्ता जोड़ना वाजिब।

अब अगर दोनों परिवार बिना शरीअ़त के हुक्म के एक दूसरे से खफा हैं और आपस में नहीं बनती बिला वजह लड़ाई और गीबत के दरवाज़े खोलते हैं तो सख्त गुनाहगार हैं। इन्हें चाहिये कि तौबा करें माफ़ी-तलफ़ी करें और प्यार मुहब्बत से पेश आयें। हदीस में आया कि भाई बन जाओ।

हज पर जाने से पहले ही क्यों? शरीअ़त कहती है जिसका दिल दुखाया हो उस से फ़ौरन माफ़ी माँगनी चाहिये और अगर घर में एक का दिल दुखाया तो एक से अगर पूरे परिवार को बुरा भला कहा और दिल दुखाया तो एक से माफ़ी माँगना काफ़ी नहीं सब से दिल से माफ़ी माँगनी होगी और उसके बाद अल्लाह से भी कि आइन्दा किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा। और अगर एक का दिल 10 लोगों के सामने दुखाया तो उस से अकेले में माफ़ी काफ़ी नहीं, 10 लोगों के सामने माफ़ी माँगे और अपनी हरकते खबीसा पर सच्चे दिल से नादिम हो और आइन्दा इस से बाज़ आये।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 234

इन अलफाज़ اللھم زد فرد के क्या माइना हैं?

जवाब : 234

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ए अल्लाह! ज़्यादती फरमा और ज़्यादती।

واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

सवाल : 235

दरवाजे की दहलीज़ पर बैठना या वहाँ कुछ खाना दरवेशी लगा है, दरवेशी की कुछ तफ़सीर कर देते।

जवाब : 235

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फक़ीरी, गरीबी, तंगदस्ती।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 236
जैसे कि काफ़िर के यहाँ औरतें बिन्दियाँ लगाती हैं और पैर की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, उन लोगों को देख कर बहुत मुस्लिम औरतें बिन्दियाँ लगाने लगी और बिछिया भी पहनती हैं, हज़रत क्या ये जाइज़ है?

जवाब : 236

بسم الله الرحمٰن الرحیم
बिन्दिया लगा सकते हैं जबकि आपके शहर या इलाक़े में ये खास काफिर की अ़लामत ना हो। अगर वहाँ खास काफ़िर की औरतें ही लगाती हैं और मुसलमान की औरत लगाये तो उसे भी काफ़िर ना समझ लिया जाये या लोग 4 बातें बनायें वग़ैरह-वग़ैरह तो बचना चाहिये। और अगर वहाँ सब लगाते हैं कोई हर्ज नहीं तो शहर के एतबार से लगा सकती हैं गुनाह नहीं और अगर घर में लगाये कि शौहर पसंद करता है तो भी हर्ज नहीं। मगर बिन्दिया लगा कर वुज़ू नहीं होगा, ना नापाक का गुस्ल अदा होगा। दौराने वुज़ू और गुस्ल माथे पर बिन्दिया नहीं होनी चाहिये।

बिछिया जो पाऊँ की उंगली में पहनते हैं औरत का ज़ेवर है, पहन सकती है मगर सोने चाँदी के हों और एक खास बात कि अगर इसमें बजने वालाए घुंघरू लगे हों तो उन्हें तोड़ दे ताकि बजने की आवाज़ ना आये और ये भी पैर की उंगली में अगर कसी हुई हो तो वुज़ू गुस्ल में उतारना या घुमा कर पानी बहाना फर्ज़ होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 237
मिट्टी या चीनी का टूटा शिकस्ता बर्तन कुजा घर में इस्तिमाल में रखना दरवेशी लाता है, इस मस'लअले की थोड़ी तफ़सील अता कर दीजिये।

जवाब : 237

بسم الله الرحمٰن الرحیم
दरवेशी लफ्ज़ दरवेश से बना है।
दरवेश ब-माना फक़ीर
दरवेशी हुआ फक़ीरी/गरीबी

टूटा बर्तन खास कर खाने पीने के हों तो उसे खाने पीने में इस्तिमाल करना उलमा ने मकरूह लिखा है कि चीनी या मिट्टी के बर्तन में अगर दरार आ जाये या टूटा हो तो उस दरार में कीटाणु पैदा हो जाते हैं और खाने पीने से मुँह के ज़रिये जिस्म में चले जाते हैं इसीलिये ऐसे बर्तन से बचना चाहिये वरना उस जगह से तो ज़रूर जहाँ से टूटा हो। इसी तरह तांबे के बर्तन को बिनाकलाई किये हुये इस्तिमाल करना भी मुदिरे सिह्हत है। (सिह्हत के लिये नुक़्सान)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 238

जिस तरह मर्द को सजदे में पाऊँ की 3-3 उंगलियों का पेट यानी निचला हिस्सा लगना वाजिब है वरना नमाज़ नहीं होगी तो क्या ये हुक्म औरत के लिये भी है? यानी औरत को भी सजदे में 3-3 पाऊँ की उंगली ज़मीन पर लगाना वाजिब है?

जवाब : 238

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये हुक्म औरतों के लिये नहीं है बल्कि औरतों को दोनों पाऊँ सीधी तरफ़ निकालना बेहतर है बाक़ी इसके जवाज़ का हुक्म तो मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 239

जैसे कि नमाज़ हो रही है और मै जब पहुँचा हूँ तब तक सब रुकूअ़ में हैं और मै भी डायरेक्ट रुकूअ़ में चला जाता हूँ क्योंकि निय्यत करने का टाईम नहीं होता है फिर जब नमाज़ खत्म होती है और इमाम साहब सलाम फेर लेते हैं, मुझे अपनी नमाज़ पूरी करनी है तो हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ें?

जवाब : 239

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

साइल ने जो सूरत सवाल में बयान की उस सूरत में साइल की नमाज़ नहीं हुई क्योंकि क़ियाम छोड़ कर डायरेक्ट रुकूअ़ में जाना सवाल में दर्ज है यानी तकबीरे तहरीमा के बाद शायद सीधा खड़ा होना नहीं पाया गया और अगर साइल ने पहली तकबीर कही और 3 बार सुब्हान अल्लाह की मिक़दार खड़ा रहा तो नमाज़ हो गयी और आगे जो सवाल है उसका जवाब ये है कि खड़े होने के बाद वो उसके हक़ में पहली रकअ़त है यानी उसमें तअ़व्वुज़ तस्मिया (अऊज़ु और बिस्मिल्लाह) सूरह फ़ातिहा और सूरत मिलानी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 240
नज़र लगने के बारे में हदीस और क़ुरआन में क्या फरमाया है और अगर नज़र लगना साबित है तो बहुत गहरी नज़र लगने पर कोई दुआ कोई इलाज बताया गया है?

जवाब : 240

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नज़र का लगना हक़ है और हदीस से साबित है।

नज़र के लगने पर सूरह क़लम की आयत 51 पढ़ कर दम किया जाये।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

नूरुल इरफान, सफ़हा 971 पर है कि यह आयत नज़रे बद से बचने के लिये इक्सीर है।

खज़ाइनुल इरफान, सफ़हा 1019 पर है कि हज़रते हसन बसरी रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु ने फ़रमाया :
जिस को नज़र लगे उसको ये आयत पढ़ कर दम कर दी जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 241
इस मसअले की थोड़ी तफ़सील कर दीजिये : "पाऊँ पर पाऊँ रख कर बैठना बरकते रिज़्क़ को माने है।"

जवाब : 241

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पाऊँ पर पाऊँ रख कर बैठना रिज़्क़ की बरकत को रोकता है या काम करता है। बुज़ुर्गो ने इस फ़ेल से इसीलिये मना किया कि पाऊँ पर पाऊँ रख कर बैठना तकब्बुर वालों का तरीक़ा है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 242

नमाज़ के फराइज़ और शराइत में क्या फ़र्क़ है? और शराइत कौन-कौन से हैं?

जवाब : 242

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर नमाज़ में शराइत ना पाये गये तो नमाज़ सिरे से शुरू ही नहीं होगी और शराइत पूरी करने पर नमाज़ शुरू हो जायेगी और अब जहाँ फ़र्ज़ छूटा वहाँ जा कर नमाज़ टूट जायेगी। किसी नापाक शख्स ने बगैर गुस्ल नमाज़ शुरू कर दी तो नमाज़ शुरू ही नहीं होगी क्योंकि तहारत शराइत में से है और अगर शर्तें पूरी करके नमाज़ शुरू की हो तो नमाज़ शुरू हो गई अब जब बीच में बे-वुज़ू होगा तो उस रकअ़त से नमाज़ टूट जायेगी।

शराइते सलात **6** हैं :

(1) तहारत (2) सित्रे औरत (3) इस्तिकबाले क़िब्ला (4) वक़्त (5) निय्यत (6) तक़बीरे तहरीमा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 243

अगर कोई रिश्तेदार वहाबी है फिर क्या हम उन के घर आ-जा नहीं सकते, ना ही रिश्ता जता सकते हैं?

जवाब : 243

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वहाबी से मुराद ये है कि कहीं भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, नज़्रो नियाज़ को नहीं मानते हैं तो गुमराह है। फिर उनकी अक़ाइद की इस्लाह की कोशिश की जाये और अगर ऐसे पक्के वहाबी कि अक़ीदा -ए- बातिला रखते हैं या कुफ्रिया अक़ाइद रखते हैं। जैसे वहाबी की किताबों में ये भी ज़ाहिर है कि अल्लाह झूट बोल सकता है और क़ुरआन के तर्जुमे से ये अक़ीदा भी कि अल्लाह आसमान पर चढ़ कर बैठ गया। ऐसे वहाबी जो नबी को मुर्दा माने या गैब वाला ना माने वग़ैरह-वग़ैरह और उनकी इस्लाह की कोई सूरत नज़र नहीं आती तो ऐसों के साथ मेल जोल खाना पीना सख्त हराम। हदीसे पाक का मफ़हूम है कि जो जिस क़ौम की तादाद बढ़ाये उन्हीं के साथ है। और बद मज़हबों के लिये फ़रमाया कि ना उनके पीछे नमाज़ पढ़ो और ना उनके जनाज़े की नमाज़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 244

"कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है" इस का क्या मतलब है? हुनरमन्द कभी भूका फक़ीर ना रहेगा।

जवाब : 244

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है इसकी तफ़सीर खुद इसके आगे बयान की गयी है कि कमाने वाला हुनरमन्द कभी भूका नहीं रहता वो अपने हुनर से रोज़ कमा कर खा सकता है। जिसकी मिसाल रोज़ पानी के झड़ने से दी गई है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 245

हज़रत किसी को बाल लगवानेहै सर में बाल कम है और शादी है इसी महीने में तो क्या नमाज़ होगी या नहीं? बाल किसी और के हो सकते हैं मालूम नहीं किसके।

जवाब : 245

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हदीस में वालों को मिलाने वाली और मिलवाने वाली पर लानत आई है। इसका शरई उसूल ये है कि अगर किसी इन्सान के बाल काट लिये गये हों और उन बालों को कोई इस्तिमाल करे तो ये मना है। इसी तरह वो खुद अपने बाल काटने के बाद इस्तिमाल नहीं कर सकता। इंसानी बालों की विग लगाना जाइज़ नहीं। इसी तरह अपने खुद के बाल जो जिस्म से अलग हो जायें तो उसका भी इस्तिमाल मना है और दूसरे इंसानों के बाल का भी और अगर विग इंसानी बाल के अलावा किसी और जाइज़ मस्लन प्लास्टिक वग़ैरह की बनी है तो कुछ शराइत के साथ जाइज़ होगी जबकि धोका देने के लिये या बहकाने के लिये ना पहनी जाये मगर सर का मसहा करते वक़्त उसे उतारना होगा और अगर नक़ली बाल सर के आधे हिस्से में हैं तो बाकी बचे सर पे मसहा करने से मसहा हो जायेगा (यानी असली बालों पर) जब कि एक चौथाई हो चाहे पीछे से हो या लेफ्ट-राइट से यानी पूरे सर में कहीं भी एक चौथाई सर का मसहा किया जा सकता है मगर असली बाल या सर पर, नक़ली बाल पर नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 246

शादी की पहली रात का सुन्नत तरीक़ा क्या है? क्या-क्या चीजें करनी और ध्यान रखनी चाहिये (मुबाशरत के पहले और बाद) थोड़ी तफ़सील कर दें।

जवाब : 246

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ये सब क़ुरआन, हदीस और अक़्वाले आइम्मा और बुज़ुर्गाने दीन से साबित हैं। (बाज़ सुन्नत हैं, बाज़ मुस्तहब और कुछ आदाब)

सबसे पहले जब नई दुल्हन घर आये तो उसके पैर धो कर उस पानी को घर के चारों कोनों में डालना चाहिये। आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं ये मुस्तहब है और इस से घर में बरकत होती है।

शादी की रात नमाज़े शुक्राना पढ़ सकते हैं और इसकी तरकीब आम नमाज़ों की सी होती है। मर्द आगे होगा और बीवी पीछे। इस नमाज़ का फाइदा इन्शा अल्लाह ये होगा कि औरत मर्द की फ़रमाबरदार रहेगी।

हदीसे पाक में है कि मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है और बगैर अच्छी निय्यत के कोई नेक काम का सवाब नहीं मिलता। और अगर हर काम में अच्छी निय्यत शामिल हो जाये तो वो इबादत बन जाता है। चाहिये कि इस काम से पहले भी कुछ निय्यत कर ली जाये।

मस्लन : अल्लाह और उसकी रज़ा पाने के लिये निय्यत करता हूँ, सवाब को बढ़ाने के लिये सुन्नत की अदायगी करूँगा, सुन्नत और आदाब वग़ैरह का ख्याल रखूँगा, जिस काम से बचने का हुक्म दिया गया है इस दौरान उस काम से बचूँगा, बद निगाही से बचने के लिये जिमा (हमबिस्तरी) करूँगा, ज़िना से बचने के लिये भी, इसी तरह इबादत में दिल लगाने के लिये भी, (जिमा कर लेना दिल की राहत है। इबादत, नमाज़ वग़ैरह दिल की राहत ही के साथ की जा सकती है बेचैनी के साथ नहीं) और चाहिये कि दोनों पहले नमाज़ अदा करें। हमबिस्तरी करने से पहले कोशिश करें कि खुशबू लगायें (चाहे तो कमरे में अगरबत्ती वग़ैरह) अच्छी बातें करें, मुहब्बत का इज़्हार करें। शहवत के साथ बोसो किनार (Kiss) करें। फिर दोनों को चाहिये कि एक चादर या बड़े कपड़े में शामिल हो जायें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और जिमा (हमबिस्तरी) करें। इन बातों का खास ख्याल रखा जाये कि बुज़ुर्गों ने फ़रमाया, बरहना जिमा करने से औलाद बे-हया पैदा होती है इसीलिये चाहिये कि कोई कपड़ा ज़रूर ओढ़ लें। इस दौरान बातें बिल्कुल ना करें कि औलाद के गूँगे पैदा होने का खतरा रहता है। जिस तरह चाहे औरत से और औरत मर्द से लुत्फ हासिल कर सकती है मगर मर्द को चाहिये कि औरत के अगले मक़ाम पर ही जिमा करे औरत के पीछे जिमा करने वाले पर हदीस में लानत आयी और उसे इब्लीस कहा गया यानी औरत के साथ जिस तरह चाहे जिमा करे मगर सिर्फ़ आगे के मक़ाम पर। इसी तरह मुँह से जिमा करना हराम है यानी मर्द अपने शर्म गाह को औरत के मुँह में दे या औरत की शर्म गाह को ज़ुबान से चाटे ये हराम है, सख्त

हराम। शर्मगाह को छोड़ कर मर्द औरत चाहे एक दूसरे के कहीं भी चूम सकते हैं। इसी तरह मर्द औरत के पिस्तान पर भी इन्जाल कर सकता है, जिमा में जल्द बाज़ी ना करें बल्कि मर्द अगर फ़ारिग हो जाये तो फौरन दूर ना हो बल्कि औरत को भी सुक़ूने रूह हासिल करने दे फिर जब दोनों फ़ारिग हो जायें तो कुछ देर बाद इस्तिन्जा वग़ैरह करें वरना गुस्ल और अगर उसी रात फिर से जिमा करने का इरादा हो तो गुस्ल ना करें मगर हर बार वुज़ू कर लें। फिर इसी तरह रात में जितनी बार जिमा करे यही काम करें यानी कुछ देर ठहरने के बाद इस्तिन्जा और वुज़ू करें और नमाज़े फ़ज्र से पहले दोनों गुस्ल करें।

बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि हमेशा अपनी ताक़त को औरत पर बरबाद मत करो इस से बहुत कमज़ोरी पैदा होती है और कमज़ोरी से और भी नुक़सान है। ज़्यादा जिमा करने वालों को इस हिकायत पर भी नज़र करनी चाहिये।

एक बुज़ुर्ग से उनके शागिर्द ने पूछा कि औरत से जिमा कितनी बार करना चाहिये,
फ़रमाया : जिन्दगी में एक बार
कहा : ये तो मुम्किन नहीं।
फिर फ़रमाया : साल में एक बार।
कहा : ये भी मुम्किन नहीं।
फ़रमाया : महीने में एक बार।
कहा : इतना रुकना भी मुश्किल है।
फरमाया : तो हफ्ते में एक बार।
कहा : ये भी ना हो सके तो?
फ़रमाया : सर पे कफ़न बांध लो और रोज़ करो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 247
अगर ज़बीहा जानवर के पेट से बच्चा निकल जाये तो उसे क्या करें, ज़िबह करें या दफन?

जवाब : 247

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बच्चा अगर मुर्दा निकले तो हराम है। (दफन कर दे।) ज़िन्दा निकले और ज़िबह कर ले तो हलाल।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़हा 279)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 248
जनाब क्या औरत आई-ब्रो बनवाये तो कुछ हर्ज है, क्या ये गुनाह है? जवाब दें तो सवाब पायें

जवाब : 248

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बुखारी की हदीसे पाक में ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई और इसे क़यामत की निशानी में शुमार फ़रमाया कि आखिर ज़माने में औरतें अपनी भवों के बाल नोचेंगी।
फ़रमाया : (खुलासा -ए- अहादीसे मुबारका) जो औरत हसीन बनने के लिये भवों के बाल नोचे उस पर अल्लाह की लानत है और गोदने वाली और गुदवाने वालियों पर भी, इसी तरह मर्दों की वजअ़ बनाने वालियों पर भी, मुँह के बाल नोचने वालियों पर (अल्लाह की बनावट में तब्दीली करती है)।

उम्दतुल क़ारी, शारेह बुखारी में इस हदीसे पाक की शरह इस तरह बयान की (खुलासा) हदीस में हसीन बनने के लिये लानत आई लिहाज़ा इस क़ैद का लिहाज़ रखा जायेगा यानी कोई खूबसूरत है और मज़ीद खूबसूरत बनने के लिये भंवे बनवाये तो इस हदीस की ज़द में है, लानत के तहत है।

और अगर किसी औरत के भंवे इस क़द्र है कि जिससे चेहरा बदनुमा लगता है, जिससे रिश्ते में रुकावट या फ़र्क़ आता हो या रिश्ता टूटने का खतरा हो तो इस बदनुमाई से बचने के लिये ज़रूरतन ऐसा करे तो हर्ज नहीं। मगर निय्यत यही हो कि बदनुमाई से बचने के लिये नाकि खूबसूरत दिखने के लिये। और अगर ऐसी कोई बात नहीं महज़ शौहर के लिये ऐसा करेगी तो भी गुनाहगार होगी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में किसी की इताअ़त जाइज़ नहीं। और फ़रमाता है तुम्हारा रब अपने क़लाम में कि रसूल जो दें ले लो, जिस से मना करें बाज़ रहो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 249
हज़रत औरत साड़ी जो बांधती हैं काफ़िर औरतों की तरह क्या वो सहीह है?

जवाब : 249

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

साड़ी पहनने में हर्ज नहीं। हर्ज साड़ी में उस वक़्त होगा जब मर्द के सामने जायेगी कि सित्र का पर्दा ना हो सकेगा या हालते नमाज़ में अगर सित्र दिखायी देता है तो नमाज़ नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं सिर्फ़ घर में अपने शौहर के साथ है तो पहन सकती है। मगर इसकी आदत ना करे क्योंकि कभी तो कोई रिश्तेदार मेहमान वग़ैरह घर में आयेगा ही और वही लिबास इख्तियार करना चाहिये जिससे पर्दा पोशी ज़्यादा हो सके।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 250

आप (sws) की बात को या हदीस को रद्द या इंकार करने वाला काफ़िर है या नहीं?

जवाब : 250

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जवाब देने से पहले मै ये ज़रूरी समझता हूँ कि साइल को उसकी एक बड़ी खता से आगाह किया जाये और वो ये कि सवाल में दूरूद को शॉर्ट में लिखा गया है, इस तरह लिखना नाजाइज़ है। बाज़ लोग सिर्फ़ सॉद (ص) लिख देते हैं ये भी ना लिखना चाहिये। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 386 पर लिखते हैं :

हुरूफ़ (ص) लिखना जाइज़ नहीं, बल्कि صلی اللہ تعالی علیہ وسلم लिखा जाये

तो रोमन इंग्लिश में आप अ़लैहिस्सलाम लिखा करें। अल्लाह अ़मल की तौफ़ीक़ दे। अब जवाब की तरफ़

हदीसे पाक की कई क़िस्म होती हैं जैसे, मुतवातिरा, सहीह, हसन, गरीब, ज़ईफ, खबरे वाहिद वग़ैरह। तो हर हदीस का इंकार करने वाला काफ़िर नहीं होगा। मगर ये देखना होगा कि किस हदीस का इंकार करता है और बाज़ में गुमराह होगा, बाज़ में खता करने वाला और बाज़ में काफ़िर।

अगर आपका सवाल ये है कि कोई हदीसे मुस्तफ़ा का इंकार ही कर रहा है यानी वो हदीसे पाक को या नबी के क़ौल फ़ेल को मानता ही नहीं तो बिला शक काफ़िर और खारिजे इस्लाम है कि अगर हदीस को ना माने सिर्र क़ुरआन को माने तो भी मुसलमान नहीं हो सकता कि क़ुरआन में हर चीज़ की दलील साफ नहीं वरना हज़ारों बल्कि लाखों मसाइल ऐसे पेश आयेंगे कि हदीस के बगैर चारा नहीं और इस्लाम पे साबित क़दम रहना मुश्किल होगा। इसी तरह हदीस को ना मानने वाला क़ुरआन में नमाज़ों का वक़्त किस आयत से देखेगा और नमाज़ों की रकअ़त, वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें, नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ों की तफ़सील क़ुरआन में किस आयत से मानेगा वग़ैरह-वग़ैरह।

इसी तरह अगर हदीसे मुतवातिरा का इंकार करता है तो भी काफिर है। इसी तरह हदीसे मशहूरा का मुन्किर गुमराह है और अहादीसे अखबार (यानी खबरे वाहिद) का इंकार अगर वो किसी दलील की बुनियाद पर करे तो अलग बात वरना उसे खाती (खता करने वाला) कहा जायेगा।
क़ुरआने पाक में सूरह निसा में फरमाया :
"और रसूल की तरफ़ आओ तो आप देखोगे कि क्या मुनाफ़िक़ीन आप से मुँह मोड़ लेते हैं।"

इसकी तफ़सील नुज़हतुल क़ारी शरह सहीह अल बुखारी के मुक़दमे में यानी जिल्द 1 , सफ़हा 60 से पढ़ी जा सकती है और आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत हदाइक़े बख्शिश शरीफ़ में फ़रमाते हैं :

ईमाने क़ौले मुस्तफ़ा
क़ुरआने हाले मुस्तफ़ा
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 251
एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है और वो लड़की भी लड़के से शादी करना चाहती है लेकिन लड़की एक ऐसे सिलसिले से बैअ़त (मुरीद) है जिस सिलसिले के लड़का बेहद खिलाफ़ है। और ऐसे में अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद अगर लड़की ने कभी भी उस सिलसिले का नाम तक लिया तो लड़के को ना-क़ाबिले बरदास्त होगा। तो हज़रत इस सूरत में लड़का क्या करे? लड़की से बैअ़त तोड़ने की बात शादी से पहले करनी होगी और जहाँ से वो लड़का चाहता है वहाँ से मुरीद की शर्त रखनी होगी? बराए करम हज़रत बतायें कि क्या किया जाये?

जवाब : 251
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अव्वल तो ये कि शादी से पहले मंगेतर से बात करना या राब्ता करना हराम है फिर लड़का शादी से पहले कैसे उस से ये बात तय कर सकता है और शादी से पहले लड़का लड़की से किस सूरत में कब बात कर सकता है इस की शर्त हमने सवाल नंबर 60 में दर्ज कर दी हैं।

जहाँ लड़की मुरीद है अगर वो सिलसिला सोख्त नहीं है और जिस पीर से मुरीद है उनमें वो चार शर्त हैं जो इमामे अहले सुन्नत ने अपने फ़तावा में नक़्ल की यानी

(1) अ़क़ीदे का सुन्नी हो।
(2) इल्मे फिक़्ह इतना जानता हो कि ज़रूरत के मसाइल किताब से निकाल सके।
(3) कोई गुनाह ऐलानिया ना करता हो।
(4) सिलसिला हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम तक पहुँचता हो।
तो ऐसी सूरत में बैअ़त तोड़ना नाजाइज़ है।

और अगर इसके खिलाफ़ है या सिलसिला -ए- सोख्त में बैअ़त है तो फिर वो बैअ़त नहीं दूसरे किसी जामे शराइत पीर से बैअ़त हो सकती है मगर ऐसा करने के लिये लड़के से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब अगर लड़की सही सुन्नी पीरे कामिल के हाथ पर बैअ़त हासिल कर चुकी है और लड़का बिला वजह उस सिलसिले या पीर के खिलाफ़ है तो ऐसे जाहिल को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिये कि कहीं ऐसा ना हो की किसी पीर की मुखालिफत मौत के वक़्त कलिमे से भी महरूम रखे और अल्लाह के वली से दुश्मनी अल्लाह ही से दुश्मनी है। दूसरी बात ये कि बीवी को ऐसे पीर से बैअ़त होने के लिये शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बिना इजाज़त भी जहाँ चाहे मुरीद हो सकती है और इस काम के लिये शौहर मजबूर नहीं कर सकता। दर हक़ीक़त मुरीदी नाम है अपने दिल में अपने पीर की मुहब्बत का इरादत का, जिसके दिल में किसी बन्दा -ए- खुदा की मुहब्बत बस जाये उसे निकालना मुश्किल है तो ये लड़का कैसे बिला वजह अपने पीर से इसे बैअ़त करा सकता है जबकि दिल में उस पीर की मुहब्बत ना होगी तो बैअ़त कैसे दुरुस्त होगी। जिस तरह किसी वहाबी के दिल में ज़बरदस्ती आला हज़रत की मुहब्बत नहीं डाली जा सकती इसी तरह किसी सुन्नी के दिल से आला हज़रत की मुहब्बत नहीं निकाली जा सकती।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 558 पर लिखते हैं :
जब अफज़ल सिलसिला आलिया, क़ादरिया में शैख जामे शराइत के हाथ पर फख्रे बैअ़त नसीब हो चुहा है तो उसे दूसरी तरफ़ आसना तवज्जोह व परेशान नज़र ही ना चाहिये।

और फ़रमाते हैं इसी जिल्द 26, सफ़हा 579 पर :
जो शख्स किसी शैख जामे शराइत के हाथ पर बैअ़त हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअ़त ना चाहिये। दूसरे जामे शराइत से तलबे फ़ैज़ में हर्ज नहीं।

इन सारी बातों का खुलासा ये है लड़के को अपनी हरकत से बाज़ आना चाहिये। इन सभी पहलू में लड़का ही गुनाह की दलदल में है (और लड़की इसका साथ दे तो वो भी) किसी से उसके पीर के खिलाफ़ बात करना खुद उसके ईमान की हलाकत है। किसी पीर या

सिलसिले की तौहीन हराम है और बिला वजह बैअ़त तुड़वाना नाजाइज़ है। जो किसी पीर या सिलसिले की ताज़ीम नहीं कर सकता उसका अपने पीर से दावा -ए- मुहब्बत भी झूटा है और कुछ सूरतों में ये शख्स दुश्मने खुदा भी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 252
क्या बकरा ईद में नये कपड़े नहीं पहने जाते हैं?

जवाब : 252

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 253
लफ्ज़ رضی اللہ عنہ का मतलब या तर्जुमा क्या है?

जवाब : 253

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इसका तर्जुमा आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत ने अपनी तर्जुमा -ए- क़ुरआन कंज़ुल ईमान में इस तरह किया: رضی اللہ عنہ = अल्लाह उनसे राज़ी।
(सूरह तौबा, आयत 100)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 254
हज़रत एक विलेज़ है जिसमें सिर्फ एक मस्जिद है जो कि देवबन्दियों की है इस हाल में क्या किया जाये? नमाज़ किस तरह से अदा की जाये।

जवाब : 254

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मस्जिद सुन्नी देवबन्दी की नहीं होती बल्कि उसमें इमामत खबीस की हो जाती है या मुसलमान की रहती है जिस बिना पर कह दिया जाता है कि मस्जिद उनकी है। नमाज़ फ़र्ज़ है उसे क़ज़ा नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में नमाज़ अपनी तन्हा पढ़ी जाये चाहे

घर पर या उनकी जमाअ़त खत्म होने पर उसी मस्जिद में और अगर वहाँ आबादी सुन्नियों की है तो वहाँ मस्जिद में इमामत देवबन्दियों की कैसेहो गई? ये गौर करने का मक़ाम है, मुसलमनाने गाँव को लाज़िम है कि जिस तरह मुम्किन हो मस्जिद में सुन्नी इमाम का इंतिज़ाम करें ताकि दूसरे सुन्नी की नमाज़ बरबाद होने से बच सके और अगर वो मस्जिद अपनी शुरू से नहीं थी तो मुसलमानों को चाहिये कि अपनी जमाअ़त अलग करें, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना गुनाह है वरना अपनी मस्जिद का इन्तिज़ाम किया जाये। इसी तरह जुम्आ के लिये भी कि उनके पीछे जुम्आ नहीं हो सकता वरना सुन्नी शख्स ज़ुहर अपनी तन्हा पढ़े।

जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं
वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 621 पर लिखते हैं :
अहले सुन्नत पर फ़ मर्ज़ है कि अपना इमाम सुन्नी जुम्आ व ईद के लिये मुक़र्रर करे। वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और आगे इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 631 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं चाहे अपना उस्ताद हो बल्कि उसको उस्ताद बनाना ही उस (सुन्नी) के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक नाजाइज़ महज़ बातिल है।

और आगे बढ़ते हुये इमाम उम्मत की रहनुमाई करते हैं और इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 501 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक़ नाजाइज़ है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 255
हमारा एक दोस्त एक ऐसे ग्रुप में जॉइन है जहाँ सुन्नी वहाबी देवबन्दी सब हैं और दीन की बातें बताई जाती हैं और एडमिन देवबन्दी आलिम है और मसअले सीखने को मिलते हैं।

वो हमें भी उस में एड करने को कहता है, दीन की बात जहाँ से मिले ले लो। क्या हम उस में एड हो सकते हैं या नहीं?

जवाब : 255

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

देवबन्दी, वहाबी बल्कि हर खबीस फिरक़े का वॉट्सएप्प ग्रुप जॉइन करके दीन सीखना या मसअला पूछना हराम है।

ऐसे ग्रुप में जॉइन होना नाजाइज़ और गुमराह बदमज़हब से मसअले पूछना हराम और ये कहना कि दीन की बात जहाँ से मिले ले लो। आला दर्जे की जहालत है, गुमराही है और बद-दीनों की ताज़ीम भी जाइज़ नहीं और तो और जिसकी दुआ सर से ऊपर ना जाये, क़ुरआन हलक़ से नीचे ना जाये, जो खुद दीन से निकला हो, जिसको खुद दीन की समझ ना हो वो दीन की बात बताये ये कुछ अजीब लगता है। लिहाज़ा ऐसों के साथ नहीं जॉइन हो सकते जहाँ सुन्नी वहाबी को एक किया जाता हो या वहाबी मसअले बताये, सुन्नी अ़मल करे ये भी जाइज़ नहीं। आपका दोस्त भी अगर सुन्नी है तो उसे भी चाहिये कि उस ग्रुपे खबीसा की "नजासते गलीज़ा" से बाहर आ कर अपने बातिन को सुन्नियत के दरिया से पाक करे यानी ग्रुप से रिमूव हो। बिला वजह गुनाह में ना पड़े, ना वक़्त को ज़ाया करे। खुदा ना करे कोई बात बदमज़हब बताये और वो कम इल्म के दिल में घर कर जाये तो सुन्नियत से जाये और दीन से भी। बेहतर है उसे समझा कर ऐसे ग्रुप से हटाया जाये और अगर वो पक्का सुन्नी है तो महज़ तफ़रीह के लिये भी वक़्त को बरबाद करना गुनाह है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 256

हज़रत क़िस्मत का मसअला समझ नहीं आता कोई कहता है वो क़िस्मत में नहीं है इसीलिये नहीं मिला, कोई कहता है क़िस्मत बदली जा सकती है, कोई कहता है यही मेरी क़िस्मत में है, तो कोई कहता है कि दुआ से क़िस्मत बदल सकती है। ये मसअला कुछ समझ नहीं आ रहा है।

जवाब : 256

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सवाल में दर्ज सारी बातें हक़ हैं, जो तक़दीर में होता है वो हो कर रहता है बदलता नहीं, दुआ से तक़दीर बदल जाती है और जो तक़दीर में नहीं होता नहीं मिलता ये भी सच है मगर आवाम तक़दीर के मसअले में बहुत धोका खा जाती है और ये मस'अला बहुत

पेचीदा है। हम सभी तक़दीर पर ईमान रखते हैं, हक़ जानते हैं मगर शैतान के इस वस्वसे में आवाम गिर जाती है। हम कुछ इसको आसान फ़हम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करेंगे।

तक़दीर **3** क़िस्म की होती है।

(1) मुबरम
(2) मुशाबिहा मुबरम
(3) मुअ़ल्लक़

पहली जो तक़दीर की क़िस्म है यानी मुबरम इसमें तब्दीली ना-मुम्किन है। यानी रब त'आला ने अगर किसी शख्स की कोई बात इस तक़्दीर में लिखी तो बदली नहीं जायेगी यानी ये हो कर रहेगा। मस्लन कोई 70 साल में मरेगा और ये तक़्दीरे मुबरम में हुआ तो आगे पीछे नहीं हो सकेगा ना किसी की दुआ से ना किसी और तरीक़े से।

दूसरी क़िस्म की तक़्दीर में तब्दीली हो जाती है यानी किसी नेक नबी, वली वग़ैरह की दुआ से ये तक़्दीर बदल जाती है।

तीसरी क़िस्म की जो तक़्दीर है ये भी दुआ और बन्दे के नेक अ़मल से बदल जाती है और इसमें अगर कुछ बुरा होने वाला होता है और बन्दा दुआ करे या नेक अ़मल करे तो वो बुराई से बच सकता है। जिसके बारे में कहा गया कि दुआ तक़दीर बदल देती है।

हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को क़ौमे लूत के लिये दुआ करने से रोक दिया गया। क्योंकि उस क़ौम पर ये अज़ाब आना तक़्दीरे मुबरम में लिखा था जो किसी भी नबी, वली की दुआ से नहीं बदलती इसलिये दुआ से रोक दिया गया।

हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम की दुआ से हज़रते दाऊद अ़लैहिस्सलाम की उम्र 60 से बढ़ा कर 100 कर दी गई वो दूसरी या तीसरी क़िस्म थी जिस में तब्दीली मुम्किन होती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 257
अरबाबे बसीरत नहीं समझ आया इस इमेज में?

जवाब : 257

بسم الله الرحمٰن الرحیم
औलिया अल्लाह को कहा जाता है वो हक़ीक़त से वाक़िफ़ होते हैं। जैसे आरिफ़ भी कहा जाता है और अहले कश्फ़, अहले नज़र, अहले हक़ीक़त वग़ैरह।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 258
क्या भैंस की बट खाना जाइज़ है?

जवाब : 258

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जी, जाइज़ है। हलाल जानवर की बट खाना जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 259
अगर इमाम के पीछे सिर्फ 1 रकअ़त ही पढ़ पाये तो बाक़ी 3 रकअ़त पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है?

जवाब : 259

بسم الله الرحمٰن الرحیم
इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाये, अब क़िरअत के एतबार से इसके हक़ में ये पहली रकअ़त है और अदद में शुमार के एतबार से दूसरी तो अब ये सना, तअ़व्वुज़ और तस्मिया पढ़े और इसी रकअ़त में क़ादा भी करे यानी दो सजदों के बाद बैठे और तशह्हुद (अत्तहिय्यात) के बाद खड़ा हो कर क़िरअत करे और रकअ़त पूरी करे और सजदों के बाद खड़ा हो जाये और आखिरी यानी चौथी रकअ़त में भी क़िरअत करे और सलाम फेर कर नमाज़ पूरी करे ये बेहतर है क्योंकि फराइज़ में भी (तन्हा को) चारों रकअ़त में क़िरअत करना मुस्तहब है और मुक़्तदी अपनी रकअ़त में सना, तस्मिया वग़ैरह पढ़े तो बेहतर है बल्कि बाद फ़ातिहा सूरत से पहले तस्मिया (बिस्मिल्लाह) सुन्नत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 260
क्या देवबन्दी के होटल पर खाना खा सकते हैं या नहीं? जवाब इनायत फरमा दें।

जवाब : 260

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

खाना खा सकता है, गुनाह तो नहीं ना तो वो खाना हराम है और ऐसा भी नहीं कि हर देवबन्दी को उस हुक्म में लाया जाये कि वो काफ़िर है। अक्सर होटल, दुकानदार वग़ैरह या आवाम को दीन से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। यानी उन्हें ये भी नहीं पता कि अशरफ़ अ़ली थानवी कौन है, वो सादे मुसलमान होते हैं और अगर ऐसा नहीं आप जिस होटल के बारे में पूछते हो वो पक्के खबीस या बदमज़हब का है तो पूछना ही क्या, बचना ही बेहतर है जबकि दूसरे खाने के ज़राये मौजूद हों और ना तो खाने को कुछ नहीं बस यही है तो खा सकता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 261

हज़रत काऊ (Cow) की क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बतायें अल्लाह के रसूल के ज़माने में होती और भैंस के बारे में इन दोनों के बारे में शरीअ़त का क्या हुक्म है। गाय और भैंस के बारे में हदीस और फिक़्ह की रौशनी में थोड़ा तफ़सील से बतायें। अल्लाह आप के इल्म में खूब बरकत अ़ता फ़रमाये।

जवाब : 261

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

भैंस गाय ही की जिन्स से है और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के वक़्त में गाय की क़ुरबानी साबित है। बल्कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से पहले की क़ौम भी गाय की क़ुरबानी करती थी और क़ुरआन और हदीस में गाय की क़ुरबानी का ज़िक्र साफ लफ्ज़ के साथ मौजूद है।

क़ुरआने पाक 2/87 में फ़रमाया :

"बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़िबह करो।"

अभी मुख्तसर में बस किया जाता है। इसकी तफ़सील ان شاء اللہ जवाब नम्बर 271 में आयेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 262

ज़ैद को किसी काफ़िर ने गणेश पूजा के नाम पर 1 Kg मिठाई दी।

(1) उस मिठाई में पूजा की गई थी या

(2) उस मिठाई में पूजा नहीं की गई थी।

दोनों सूरतो में ऐसी मिठाई का क्या करें?

जवाब : 262

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस तरह काफ़िर के त्यौहार की मिठाई में एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिये कि दीवाली वग़ैरह या इस तरह तोहफ़े की जो मिठाई दी जाती है वो मालिक हलवाई की दुकान से पेक करवा कर अपने सारे वर्कर्स को देते हैं, इसका लेना और खाना हराम नहीं कि ना ये पूजा की होती है ना प्रसाद का हुक्म इस पर दिया जायेगा। ये बतौर तोहफ़ा होता है और ये 1-1 किलो के डिब्बे में पैक होती है जो हलवाई की दुकान से सीधे वर्कर तक आती है बीच में पूजा का कोई शुमार नहीं होता और पूजा में जो मिठाई शामिल की जाती है वो बहुत थोड़ी होती है, इस तरह सभी डिब्बे नहीं रखे जाते। जिस तरह सुन्नी मुसलमान 11वीं की नियाज़ में अगर बिरयानी की डेग बनवाता है तो ऐसा नहीं कि पूरी डेग पर फ़ातिहा दी जाती हो बल्कि कुछ बिरयानी अलग निकाल दी जाती है और बाक़ी डेग बाँट दी जाती है। मैने बहुत तजुर्बा किया कि दीवाली या इस तरह की मिठाई पूजा में शामिल नहीं होती। तो जैसा कि साइल के सवाल में 1 किलो मिठाई का ज़िक्र है मतलब कि डिब्बा पैक होगा जो बतौरे तोहफ़ा है। क्योंकि पूजा में अक्सर डिब्बे नहीं रखे जाते और इस के बर-अक्स अगर प्रसाद के तौर पर कुछ मिठाई पूजा में शामिल की गई हो तो उसका खाना जाइज़ नहीं है यानी अगर वो गैरुल्लाह के नाम की हो। और जो उलमा ने कहा की दीवाली की मिठाई ना खाओ तो उस से मुराद वही प्रसाद में चढ़ाई गई मिठाई है वरना हलवाई के यहाँ से आई हुई जो पूजा में शामिल भी नहीं होती उसका खाना जाइज़ है और जिन्होंने इसे खाने से भी मना किया वो तक़वे के तौर के लियेकि ले कर फक़ीर को बाँट दे मगर फेंक देना मना है। वरना बाज़ ने फ़रमाया माले मूज़ी नसीबे गाज़ी की निय्यत से खाये और मेरे नज़दीक़ भी यही ज़्यादा सही है कि फेंकी ना जाये और फक़ीर को दे दे वरना जो खुद इसका ज़्यादा अहल या तालिब हो तो रखे हर्ज नहीं। हमने सवाल में दर्ज दोनों पहलू का ज़िक्र तफ़सील से कर दिया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 263

अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! सूफ़ी से क्या मुराद है? और सूफ़ी सिल्सिला कहाँ से शुरू है? क्या हमारे आक़ा ﷺ के वक़्त में ही सूफ़ी थे? हज़रत तफ़सीर से बतायें।

जवाब : 263

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सूफ़ी कोई अलग इन्सान नहीं बल्कि औलिया अल्लाह को भी सूफ़ी कहा जाता है। आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत भी सूफ़ी हैं और गरीब नवाज़ भी सूफ़ी हैं, गौसे आज़म भी, इमामे आज़म भी, सारे सहाबा सूफ़ी हैं, हर नबी सूफ़ी और हमारे नबी भी सूफ़ी बल्कि सूफ़ियों के सरदार हैं। फिर कहना ही क्या कि दौरे रसूल में कोई सूफ़ी था कि नहीं। हमने बयान कर दिया वली, नबी सूफ़ी हैं यानी अगर कहा जाये कि ज़ैद किसी स्कूल का प्रिन्सिपल है इसका मतलब ये होता है कि उस स्कूल के हर बच्चे का ज़ैद ही प्रिन्सिपल होगा फिर चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कैसा ही आला मुक़ाम हासिल कर ले ज़ैद से ऊपर रुतबे में नहीं जा सकता। क्योंकि आज स्कूल का वो बच्चा जहाँ है उसका प्रिंसीपल ज़ैद वहाँ से गुज़र भी चुका बल्कि बहुत आगे है तो क्या कोई सूफ़ी अपने रुतबे में ऐसा हो गया कि गौस या नबी से आगे गया बल्कि नबी सबके सरदार हैं तो सूफ़ी भी इस दायरे से बाहर नहीं यानी ऐसा नहीं कि नबी सबके सरदार हों और सूफ़ी के नहीं।

फ़ी-रोज़ुल लुगत, सफ़हा 847 पर है :
सूफ़ी यानी मुत्तक़ी पारसा, परहेज़गार।

अब देखो क्या आला हज़रत, गरीब नवाज़, गौसे आज़म, इमामे आज़म, सहाबा और हुज़ूर मुत्तक़ी हैं तो अच्छे सूफ़ी यही हैं बल्कि हर सूफ़ी सख्ती से शरीअ़त पर क़ायम होता है और जो शरीअ़त के खिलाफ़ काम करे वो सच्चा मुसलमान ही नहीं सूफ़ी तो दूर, मगर हाल ये कि लोग आज कल मदीने में नमाज़ पढ़ लेते हैं जब कि घर से बाहर तक नहीं आते। मगर लोगों ने सूफ़ी की इमेज अपने दिमाग में कुछ अलग बसा रखी है वो समझते हैं कि सूफ़ी कहते हैं, बड़े बाल वालों को, हाथ में 10-10 अँगूठी पहनने वालों को, बे-नमाज़ी को, हालाँकि वो सूफ़ी तो दूर उन्हें सुफ़िस्म की हवा भी नहीं लगी।

पहली बात ये कि जाहिल कभी सूफ़ी नहीं हो सकता और शरीअ़त के खिलाफ काम करने वाला, बेनमाज़ी, फासिक़ है कोई सूफ़ी नहीं और सूफ़ी जैसे पाक मन्सब को बदनाम किये हुये है। जिन जाहिलों की लगाम शैतान के हाथ में है जहाँ चाहता है ले जाता है और सुन्नत की पैरवी करके नबी को राज़ी ना कर सके सूफ़ी नहीं हो सकता। जो नमाज़ अदा करके खुदा को राज़ी ना कर सके सूफ़ी नहीं होगा बल्कि जो रसूल के हराम कर्दा को हराम भी ना जाने कैसे सूफ़ी होगा। अब हमने कहा कि नबी को सूफ़ी बल्कि सूफ़ियों के सरदार तो इसकी दलील इमामे अहले सुन्नत का ये शेर है, फ़रमाते हैं :

आबो दिले अम्बिया तुम पे करोड़ों दुरूद
जानो दिले अस्फ़िया तुम पे करोड़ों दुरूद।

यानी जिस मिट्टी पानी से नबी बने हैं, ए (उस मिट्टी पानी) की अस्ल आप पर करोड़ों दुरूद।
ए सूफ़ियों के दिल सूफ़ियों की जान आप पर करोड़ों दुरूद।
(अस्फ़िया- जमा सूफ़ियों की।)

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 264
तक़लीद किसे कहते हैं? और क्या इस का इल्म होना भी फ़र्ज़ या वाजिब है?

जवाब : 264

بسم الله الرحمٰن الرحیم
लुग्वी एतबार से तक़्लीद कहते हैं किसी की पैरवी करने को, इंग्लिश में इसे फॉलो करना कहते हैं और जो तक़्लीद करता है उसे मुक़ल्लिद कहा जाता है यानी फॉलोअर और जो तक़्लीद ना करे उसे गैर मुक़ल्लिद कहते हैं।

शरअ़ की इस्तिलाह में तक़्लीद कहते हैं किसी की बात को बिना दलील के मानना यानी हवाला ना माँगना यानी जिसकी तक़्लीद की जाये उसके क़ौल या फ़तवे को खुद शरीअ़त में दलील की मिस्ल मानना बल्कि उस की बात के बाद खुद अपनी अक़्ल से शरीअ़त में नज़र ना करना बल्कि उसकी ही बात मानना जिसकी तक़्लीद की जाये और तो और क़ौले इमाम पर फ़तवा देना वाजिब है। जैसे हम हनफ़ी मुक़ल्लिद हैं यानी तक़्लीद करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा की।

सवाल का दूसरा पहलू मुझे समझ नहीं आ रहा कि तक़्लीद में क्या इल्म होता है, मगर तक़्लीद वाजिब है और जो तक़्लीद ना करे वो गुमराह (यानी खुद क़ुरआन हदीस से मसअले निकाले जबकि मुज्तहिद ना हो)। जिसकी तफ़सील फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 647 रिसाला
النّھی الاکید
عن الصّلاۃ وراء عدی التقلید में पढ़ी जा सकती है।

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 265

किसी की दुकान या मोबाइल (Smartphone) का Wi-Fi का इंटरनेट कनेक्शन ओपन (Available) है बिना पासवर्ड का। ज़ैद ने कनेक्ट कर के कुछ डाउनलोड कर लिया। क्या इस में कोई हक़ तलफ़ी हुई?

जवाब : 265

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस तरह किसी का WIFI इस्तिमाल करना चोरी है, चोरी हराम है और उस से कुछ डाउनलोड करना भी नाजाइज़ है चाहे उसका Wi-Fi अनलिमिटेड हो। और इसी तरह एप्प्स के ज़रिये किसी Wi-Fiका पासवर्ड ब्रेक करके या हेक करके Wi-Fi इस्तिमाल करना भी हराम है और इसी तरह अगर ऑफिस में Wi-Fi है और मालिक ने खुद के लिये लगवाया है सभी वर्कर्स के लिये नहीं तो ऐसे में I.T. वालों से सेटिंग करके Wi-Fi चलाना भी नाजाइज़ है क्योंकि I.T. खुद मालिक नहीं और इस तरह पासवर्ड को ऑफिस स्टाफ़ के खास लोगों को शेयर करना भी नाजाइज़ और चलाना भी। और जहाँ Wi-Fi चलाने की इजाज़त आम है और पासवर्ड नहीं मस्लन मैट्रो, MC-Donald वग़ैरह तो वहाँ चलाने और डाउनलोड करने में हर्ज नहीं। ज़ैद को सच्ची तौबा लाज़िम है और आइन्दा इस से और ऐसी हरकत से बाज़ रहे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 266

ماشاء اللہ

आप ने Wi-Fi बगैर इजाज़त इस्तिमाल करने वाला मसअला बताया। मज़ीद ये इरशाद फरमायें कि जो उस शख्स ने बगैर इजाज़त चलाया या डाउनलोड किया उस के लिये उसके मालिक से भी मुआफ़ी माँगनी पड़ेगी या नहीं या कुछ जुर्माना भी देना होगा या नहीं?

जवाब : 266

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, उस से मुआफ़ी माँगनी होगी। हक़ीक़त में मुआफ़ी की शराइत भी यही है जहाँ बन्दे का हक़ तलफ़ किया या दिल दुखाया होगा तो उस से भी मुआफ़ी माँगनी पड़ेगी सिर्फ़ अल्लाह से मुआफ़ी काफ़ी ना होगी और ऐसा नहीं है कि किसी का सामान चुरा कर सिर्फ़ मुआफ़ी खुदा से माँग ली जाये बल्कि वो सामान या उसकी क़ीमत भी देनी होगी वरना माफ़ करवाना होगा। बेहतर है कि उसे कहे कि मैने बिला आपकी इजाज़त के आपका Wi-Fi यूज़ किया और कुछ GB मस्लन 1GB डाटा डाउनलोड किया, मै शर्मिन्दा हूँ,

आइन्दा ऐसा नहीं करूँगा और आप के नेट प्लान के मुताबिक़ जितने पैसे का मैने इस्तिमाल किया आप चाहें तो दूँ और आप चाहें तो मुआफ़ कर सकते हो। (और अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 267

ज़ुलहिज्जा के महीने बाल नाखून कटवाना सही है या फिर गलत? हज़रत बताना।

जवाब : 267

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये सवाल पूरे महीने के लिये नहीं बल्कि खास 10 तारीख के लिये पूछा जाता है। वैसे इस महीने में भी बाल नाखून काट लेना चाहिये कुछ गुनाह नहीं। और खास 10 में बाद क़ुरबानी काट लेना चाहिये और पहले भी काटे तो गुनाह नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 268

औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहे तो किस तरीक़े से ले सकती है और क्या मसाइल है?

जवाब : 268

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

माल के बदले निकाह खत्म करने यानी तलाक़ हासिल करने को खुला कहते हैं। मस्लन मर्द औरत को अपने साथ नहीं रखता या घर नहीं आता, ना तलाक़ देने पर राज़ी। औरत कुछ माल या महर के माल के बदले तलाक़ हासिल करे ये खुला है।

खुला और तलाक़ का हक़ शौहर को है, शौहर ज़ुल्म करता हो और ना तलाक़ पर राज़ी है ना खुला पर तो औरत क़ाज़ी के पास जाकर सूरते हाल बयान करे, क़ाज़ी निकाह को (बाद तहक़ीक़) खत्म करेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 269

ज़ैद ने बकर से एक मौज़ू पर शर्त लगाई।

(1) शर्त लगाना कैसा?

(2) शर्त हारने के बाद उसे पूरी ना करना कैसा?
(3) क्या शर्त किस मौज़ू पर लगाई इसकी भी कोई अहमियत है?

जवाब : 269

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शर्त अगर एक तरफ़ से हो तो जाइज़ और दोनों तरफ़ से हो तो नाजाइज़, जुआ और हराम है। एक तरफ़ से ये मतलब है कि अगर तुम ने इतने वक़्त में ये काम कर लिया तो तुम्हें 10 रुपये दूँगा और अगर ना कर पाये तो तुमसे कुछ नहीं लूँगा, ये एक तरफ़ से है। और अगर किसी तीसरे ने दो शख्स के बीच में शर्त लगाई तो ये भी जाइज़ है जैसे ज़ैद और बकर ने शर्त लगाई कि कौन रास्ते में जीतेगा और उमर ने कहा जो जीता उसे में रुपये दूँगा तो ये जीत के रुपये ज़ैद और बकर में तय नहीं यानी उमर की तरफ़ से है ये भी जाइज़ है यानी इसे आम ज़ुबान में कॉम्पटीशन भी कहा जाता है।
और दोनों तरफ़ से शर्त का मतलब है, मै हारा तो मै पैसे दूँगा और तू हारा तो तू देगा ये नाजाइज़ और इसका पूरा करना भी नाजाइज़। ये जुआ की एक क़िस्म है और क़ुरआने पाक में फ़रमाया :
एक दूसरे का माल नाहक़ (तरीक़े से) ना खाओ।

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 5, सफ़हा 234 पर है :
तलबा (स्टूडेंट्स) ने किसी मसअले के मुताबिक़ शर्त लगाई कि जिस की बात सही होगी उसको ये दिया जायेगा। इसमें भी वो सारी तफ़सील है जो मुसाबिकत में गुज़री यानी अगर एक तरफ़ से शर्त हो तो जाइज़ है दोनों तरफ़ से हो तो नाजाइज़। जैसे एक तालिबे इल्म (स्टूडेंट) ने दूसरे से कहा चलो उस्ताद से चल कर पूछते हैं अगर तुम्हारी बात सही हो तो मैं तुम को ये दूँगा और मेरी बात सही हुई तो तुम से कुछ नहीं लूँगा तो ये एक जानिब से शर्त हुई। या एक ने दूसरे से कहा आओ हम और तुम मसाइल में गुफ्तगू करें अगर तुम्हारी बात सही हुई तो ये दूँगा और मेरी हुई तो कुछ ना लूँगा, जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 270
किसी पर जन्नत हराम होने से क्या मुराद है? क्या ये दाइमी जहन्नम है? जैसे फ़रमाया गया कि रियाकारी पर जन्नत हराम है।

जवाब : 270

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस से मुराद है कि वो अपने आमाल का बदला पायेगा फिर जन्नत में जायेगा जब कि मुसलमान हो यानी गुनाहे कबीरा करने वाला भी मुसलमान ही होता है, फिर जहन्नम में जा कर अपने बुरे आमाल का अज़ाब पायेगा फिर उसे भी जन्नत में लाया जायेगा। जन्नत मुसलमानों ही के लिये है, काफ़िर मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। (याद रहे जन्नत अल्लाह के रहमो करम से मिलती है, अ़मल ज़रिया तो है मगर गारण्टी नहीं।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 271

कुछ वक़्त पहले इसी साल 2015 में हिन्दुस्तान के एक शहर शायद गुजरात में हिन्दुओं ने एक बोर्ड पर लिखा कि गाय का गोश्त खाना क़ुरआन में भी मना है या नुक़्सान देने वाला है। क्या ये सही है कि गाय का गोश्त खाना सही या नुक़सान है? बराए करम हवाले के साथ जवाब अ़ता फरमायें। और हज़रत जवाब देंगे तो सवाब पायेंगे।

जवाब : 271

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सभी तारीफ़ अल्लाह अज़मत वाले की जिसने अपनी रहमत से हलाल किये कुछ चौपाये ताकि खायें मुसलमान उसके हलाल कर्दा रिज़्क़ से और दुरूद उस हबीबे खुदा पर और सरदारे अम्बिया पर जिन्होंने सरदार किया गोश्त को सभी खानों में और आल और अस्हाब पर।

इनसे ये खता हुई कि हर अ़रबी इबारत को क़ुरआन समझ बैठे फिर चाहे वो क़ुरआन हो या नहीं। हर अ़रबी की लिखाई क़ुरआन नहीं होती जिस तरह हर हदीस हक़ है मगर हर हक़ हदीस नहीं। क़ुरआन की किस नस से गाय का हुक्म दिया उस में कोई हवाला ना दिया या शायद पूरा क़ुरआन पढ़ा नहीं और इसी तरह क़ुरआन की आयत हर दलील में नहीं लाई जाती। इसमें कुछ नासिख और मन्सूख का भी हुक्म होता है जिस से काफ़िर वाक़िफ़ नहीं। गाय की क़ुरबानी का हुक्म अल्लाह ने साफ अल्फाज़ों में अपनी पाक किताब में दिया और ज़ाहिर है कि ज़िबह खाने के ही लिये किया जाता है अगर इस गोश्त से नुक़्सान होता तो ज़िबह का हुक्म नहीं होता। गाय की क़ुरबानी शियारे इस्लाम है, दौरे रसूले पाक में भी थी और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने की और उनसे पहले भी हुई। अगर इसे खाने से नुक़्सान का पहलू होता तो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम इस की नफ़ी का हुक्म देते।

तुम्हारा रब फ़रमाता है अपनी आसमानी किताब क़ुरआन : 22/36 में :

और ऊँट और गाय को किया हमने तुम्हारे लिये खुदा के शियार में से, तुम्हारे लिये इनमें भलाई है।
और फ़रमाता है अल्लाह क़ुरआन : 2/47 में :
"और जब मूसा ने कहा अपनी क़ौम से कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़िबह करो।"

इस आयत से ये भी साफ है कि गाय को ज़िबह करना पिछली क़ौम से चला आ रहा है और बहुत आयतें हैं, इसी तरह हदीस से भी गाय की क़ुरबानी का ज़िक्र साफ लफ्ज़ों में मौजूद है।

सहीह बुखारी में है :
हुज़ूर ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की क़ुरबानी दी।

सहीह मुस्लिम में है :
हमें हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ऊँट और गाय में 7 आदमी शरीक हो जायें।

तिर्मज़ी में है :
अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत है कि हम हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र पर थे। बक़रा ईद आई तो हमने 7 आदमियों की तरफ़ से एक गाय ज़िबह की।

बस ये तो साफ है कि गाय को खाने ही के लिये ज़िबह का हुक्म है तो गाय का हुक्म तो क़ुरआन से साबित है मगर नुक़्सान साबित ना हो सका और अगर गाय का हुक्म भी क़ुरआन से साबित ना होता तो तब भी गाय का खाना क़ुरआन से साबित हो जाता क्योंकि जिसे हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने किया और करने का हुक्म दिया गोया क़ुरआन ही की ज़ूबानी है, और क़ुरआन में अल्लाह फ़रमाता है क़ुरआन: 59/7 में :
"जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिस से रोके उस से बचो।"

और फ़रमाता है अल्लाह क़ुरआन: 4/80 में :
"जिसने रसूल की इताअ़त की उसने अल्लाह की इताअ़त की।

और फ़रमाता है क़ुरआन : 53/3-4 में कि :
ये (नबी) कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, मगर वही जो उन्हें की जाती है।

इन आयतों से साबित होता है कि अगर क़ुरआन में इसका ज़िक्र ना होता तो भी ये क़ुरआन ही का हुक्म होता जैसे कि ऊपर गुज़रा कि ये रसूल अपनी तरफ़ से कुछ नहीं करते।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 272

एक घर में चार मर्द और दो औरतें साहिबे निसाब हैं। सभी मर्दों का Combine Business है उस बिजनेस के अलावा सबके पास भी इतनी दौलत है कि वो साहिबे निसाब हैं। अब इस कंडीशन में सबको अलग-अलग क़ुरबानी करनी होगी या एक बकरे में ही सबकी अदा हो जायेगी? याद रहे कारोबार सिर्फ एक है।

जवाब : 272

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर एक कारोबार में 1000 लोग भी शामिल हो जायें और सब उसी कारोबार से अपने पास इतना पैसा जमा कर लें कि साहिबे निसाब हो जायें तो सबको अलग-अलग क़ुरबानी करवानी होगी। एक कारोबार में शामिल होना कोई वजह नहीं कि एक ही क़ुरबानी हो लिहाज़ा पूछी गई सूरत में मर्दों और औरतों पर क़ुरबानी वाजिब है। सबको अपनी-अपनी क़ुरबानी अदा करनी होगी और अगर साइल ये पूछना चाहता है कि अलग-अलग बकरा ही करना होगा या हिस्सा भी ले सकते हैं तो चाहे तो सब मिलकर एक भैंस, गाय या ऊँट में हिस्सा भी ले सकते हैं कुछ हर्ज नहीं, क़ुरबानी अदा हो जायेगी मगर बकरे में हिस्सा नहीं होता बकरा एक फ़र्द के लिये ही होगा और बड़ा जानवर 7 लोगों केलिये हो सकता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 273

ज़ैद पर हज फर्ज़ है, ज़ैद अपनी माँ के साथ रहता है, क्या ज़ैद अपनी माँ को अपने घर में अकेले छोड़ कर हज पर जा सकता है जबकि उस के घर में और कोई महरम मर्द रिश्तेदार नहीं है?

जवाब : 273

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर घर में महरम रिश्तेदार नहीं तो माँ को किसी महरम रिश्तेदार के घर मस्लन ज़ैद अपने मामू या खाला के घर माँ को रहने भेज दे और हज पे चला जाये वरना माँ की देखभाल के लिये खादिमा का इन्तिज़ाम करे और तरीक़ा पहला ही बेहतर है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 274

हज़रत क्या ये ज़रूरी है कि जिसके नाम की क़ुरबानी है वो भी ज़िबह के वक़्त छुरी पर हाथ लगाये यानी ज़िबह में छुरी पकड़े या नहीं? और अगर उसने हाथ नहीं लगाया बस इमाम ने ज़िबह कर दिया तो क़ुरबानी सही होगी कि नहीं?

जवाब : 274

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी क़ुरबानी हो जायेगी। जिसकी क़ुरबानी है उसे छुरी पकड़ना ज़रूरी नहीं ना हाथ लगाना मगर बेहतर है कि अपने हाथ से ही ज़िबह करे। और इसी मसअले में एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिये कि जो लोग ज़िबह करते वक़्त छुरी पकड़ेंगे तो सभी को कलिमा पढ़ना फर्ज़ है यानी अगर दो लोगों ने मिल कर छुरी से ज़िबह किया तो दोनों पर कलिमा पढ़ना फर्ज़ है अगर एक ने भी ये सोच कर ना पढ़ा कि दूसरा पढ़ लेगा तो जानवर हराम हो जायेगा या किसी ने सोचा कि एक ही का पढ़ना ज़रूरी है या काफ़ी है और एक ने नहीं पढ़ा यानी अगर एक ने पढ़ भी लिया तो भी जानवर हराम हो जायेगा और बहुत लोग इस मसअले से गाफ़िल हैं, इमाम के साथ ज़िबह में शामिल तो हो जाते हैं और समझते हैं कि इमाम ही दुआ और कलिमा पढ़ेगा और वो नहीं पढ़ते।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 275

क़ुरबानी करने का तरीक़ा क्या है? मतलब क़ुरबानी कैसे करने से मुराद ज़िबह करने के तरीक़े से है और क़ुरबानी की दुआ?

जवाब : 275

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरबानी की दुआ किसी किताब से पढ़ ली जाये वरना तस्मिया पढ़ कर भी ज़िबह किया तो ज़िबह सही हो जायेगा और अगर पढ़ना भूल गये जब भी क़ुरबानी हो जायेगी और जान कर ना पढ़ा तो जानवर हराम और औरत भी क़ुरबानी कर सकती है और दो लोग छुरी पकड़ें तो दोनों को कलिमा पढ़ना वाजिब है। तेज़ धार की छुरी से जानवर के गले की

कुछ रगें काट देने से हलाल हो जायेगा। मुस्तहब ये है कि जानवर को लिटाने से पहले छुरी तेज़ करे और लिटाने के बाद तेज़ करना मकरूह है। और हर वो फ़ेल जिस से जानवर को तकलीफ़ हो उसके साथ करना मकरूह है। गले की चंद रगें हैं उनके काटने का नाम ज़हब हैं (ज़ाल के फतह के साथ) और उस जानवर को जिसकी ये रगें काट दी जायें ज़बीहा और ज़िबह कहते हैं (ज़ाल के कसरे के साथ)। जो रगें ज़िबह के वक़्त काटी जाती हैं वो 4 हैं, 4 रगों में से 3 का कट जाना भी काफ़ी है और एक ही बार में पूरी गर्दन अलग भी नहीं करना चाहिये।

और बेहतर तरीक़ा यही है कि, पहले जानवर को खाना वग़ैरह खिलाया जाये, नहलाया जाये और छुरी को तेज़ कर लिया जाये (मगर उसके सामने ना किया जाये) और ज़मीर पर आराम से लिटाया जाये, ना घसीटा जाये, ना मारा जाये, ना ज़मीन पर ज़ोर से पटका जाये। हर जान, जान होती है, ये सोचे कि अगर इसकी जगह ये होता तो लोगों से कैसी उम्मीद करता कि उस पर भी रहम हो। बस जो अल्लाह की राह में क़ुरबान किया जा रहा है उस का भी दर्द समझना चाहिये और अदब करना चाहिये।

ज़िबह के वक़्त शोर या हंगामा नहीं करना चाहिये कि, ये गौर करने का मक़ाम है ना इसे खाली तमाशा बनाना चाहिये और घर के बच्चों को (जो ज़्यादा छोटे ना हों और ना डरते हो) तो उनके सामने ज़िबह करना चाहिये कि बच्चे खून देखें और उनका दिल मज़बूत होगा, डर जाता रहेगा (जबकि इसे देखने पर क़ादिर हो)।
हमारे बुज़ुर्गों का यही तरीक़ा था कि छोटे बच्चों से कसाई की दुकान से गोश्त मँगाते थे। पूछने पर कहते थे कि गोश्त, खून और छुरी देखेगा तो मुसलमान का बच्चा डरपोक नहीं बनेगा बल्कि दिल से डर जाता रहेगा और हमारी भी यही राय है।

ऊँट के ज़िबह में खास ख्याल रखना चाहिये कि लोग उसे बकरे की तरह लिटा कर ज़िबह करते हैं, ये मकरूह है। ऊँट काटने का सही तरीक़ा और सुन्नत तरीक़ा जो है उसे नहर कहते हैं यानी ऊँट को खड़ा करके उसके गले में छुरी घोपी जाती है, जिसे नहर कहते हैं, उसे बकरे की तरह ज़िबह करना मकरूह है और आवाम में जो ये मशहूर है कि ऊँट 3 जगह से काटा जाता है ये गलत है मगर क़ुरबानी हर सूरत में हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 276
क्या क़ुरबानी का खून किसी कपड़े में लगा कर घर में रखने से बरकत होती है हज़रत?

जवाब : 276

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नहीं, ऐसा शायद कुछ नहीं बल्कि जिस कपड़े में ये खून लग जाये वो नापाक हो जायेगा और उसे पहन कर नमाज़ भी नहीं होगी (जबकि एक दिरहम के बराबर या ज़्यादा लगे)।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 277

क्या क़ुरबानी का गोश्त किसी काफ़िर को दे सकते हैं?

जवाब : 277

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नहीं दे सकते। क़ुरबानी का गोश्त सुन्नी मुसलमान को ही तक़सीम करनाचाहिये और वहाबी के हाथ का ज़िबह आये तो उसे किसी वहाबी या काफ़िर को ही दे दिया जाये कि सुन्नी को उसका खाना हराम है और खबीस को खबीस ही खाये तो ठीक।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 278

क़ुरबानी के गोश्त में जो कलेजी, दिल, गुर्दा, तिल और भी बहुत कुछ होता है उस में से हम क्या-क्या खा सकते हैं?

जवाब : 278

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हलाल जानवर में जो चीज़ें खाना हराम है वो 7 हैं, उलमा ने उसका बयान कर दिया है। मस्लन (1) बहता हुआ खून (2) आला -ए- तनासुल (पेनिस) (3) कपूरे (4) शर्मगाह (5) गदूद (6) मसाने (7) पित्ता।

इसके सिवा सर, पाये, दिल, कलेजी बट वग़ैरह खाना जाइज़ है और ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी हराम के क़रीब है, गुनाह है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 279

क्या हम क़ुरबानी के गोश्त पर फातिहा मुर्दों की दिला सकते हैं या नहीं?

जवाब : 279

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 280
क्या 2 पीर से मुरीद हो सकते हैं?

जवाब : 280

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर एक शख्स ऐसे पीर से मुरीद है जिस में पीर बनने की चारों शराइत पाई जाती हैं।
मस्लन :
(1) अक़ीदे का सुन्नी हो।
(2) इल्मे फिक़्ह इतना जानता हो कि ज़रूरिय्यात के मसाइल किताब से निकाल सके।
(3) कोई गुनाह ऐलानिया ना करता हो।
(4) सिल्सिला हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम तक पहुँचता हो।

अगर ये शराइत हैं तो बिला वजहे शरई दूसरे पीर से बैअ़त जाइज़ नहीं जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खान अ़लैहिर्रहमा

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 558 पर लिखते हैं
"जब अफज़ल सिलसिला आलिया, क़ादरिया में शैख जामे शराइत के हाथ पर फख्रे बैअ़त नसीब हो चुका है तो उसे दूसरी तरफ़ असन तवज्जो व परेशान नज़र ही ना चाहिये, बाज़ औलिया किराम ने फरमाया जो मुरीद दो पीरों के दरमियान हो वो कामयाब नहीं होता।

और फरमाते हैं इसी जिल्द 26, सफ़हा 579 पर :
जो शख्स किसी शैख जामे शराइत के हाथ पर बैअ़त हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअ़त ना चाहिये। दूसरे जामे शराइत से तलबे फ़ैज़ में हर्ज़ नहीं।

खुलासा ए कलाम ये है कि एक पीर से मुरीद होने के बाद दूसरे से बैअ़त नहीं कर सकता, हाँ तालिब हो सकता है मगर अपनी इरादत शैखे अव्वल से ही रखे और जो फैज़ दूसरे से हासिल हो तो उसे भी अपने ही पीर की अ़ता जाने।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 281

अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत कोई शख्स साहिबे निसाब है मगर जो पैसे हैं वो हराम कमाई के हैं तो क्या उस पैसे से भी उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है? हज़रत बराए करम मेहरबानी रौशनी डालें।

जवाब : 281

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

साइल को चाहिये कि कुछ तफ़सील भी अ़र्ज़ करे कि कारोबार क्या है, क्योंकि बाज़ दफा काम हलाल होता है और लोग उसे हराम समझते हैं। मस्लन : सूद पर पैसे लेकर काम किया तो अब सूद पर पैसा लेना तो हराम है मगर जो काम शुरू किया अगर वो जाइज़ काम है तो वो कमाई हलाल होगी। इसी तरह लोग समझते हैं कि 1 रूपये का 1000 में बेचना हराम है जबकि ये भी हलाल कमाई है। इसीलिये साइल अगर सवाल की वज़ाहत करे कि पैसे किस तरह की कमाई से हराम हैं और ये भी बताये कि उस हराम के अलावा कोई और ज़रिया ए मुआश (कमाई) है, पैसे सिर्फ़ खालिस हैं या हलाल और हराम मिक्स हैं और अगर मिक्स हैं जैसे बाप का काम हराम है और बेटे का हलाल तो दोनों के पैसे घर में आते हैं और मिक्स हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये भी बताना होगा कि मिक्स में ज़्यादा हराम है या ज़्यादा हलाल है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 282

मुक़ल्लिद और तक़लीद, मतलब थोड़ा समझायें।

जवाब : 282

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी की पैरवी करने को तक़लीद कहते हैं, जो पैरवी करे उसे मुक़ल्लिद कहते हैं, शरअ़ में किसी (इमाम के) क़ौल को बिना दलील मान लेना तक़लीद है। जैसे चारों इमामों की तक़लीद। इस सवाल की मज़ीद तफ़सील सवाल नम्बर 264 में गुज़री है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 283

क्या मुर्गे की क़ुरबानी दे सकते हैं अगर नहीं तो क्यों? मुर्गा खाना जाइज़ है और हलाल भी। तो क़ुरबानी क्यों नहीं कर सकते जबकि हलाल करना भी तो क़ुरबानी है उस में भी तो खून बहता है इन में फ़र्क़ क्या है वो भी बताइये।

जवाब : 283

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरबानी नाम है खास दिनों में खास जानवर के ज़िबह करना और मुर्गा उन खास जानवर में नहीं जिन पर क़ुरबानी होती है लिहाज़ा मुर्गे की क़ुरबानी से वाजिब अदा ना होगा।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 339 पर है :

क़ुरबानी के जानवर 3 क़िस्म के हैं ऊँट, गाय और बकरी। इनकी सभी क़िस्म इन जानवर में शुमार हैं नर व मादा। और भैंस गाय में शुमार है। भेड़ और दुम्बा बकरी-बकरा में शुमार।

जिन चार पैरों के जानवर पर क़ुरबानी वाजिब है मुर्गा उन में शामिल नहीं है और शरीअ़त ने जिस पर क़ुरबानी का हुक्म दिया है उस पर करे बाक़ी फिज़ूल के सवाल कर के मेरे और अपने वक़्त को ज़ाया ना करें। मेरे पास मसरूफ़िय्यत बहुत है और सवाल काफ़ी होते हैं, आपको चाहिये कि अपनी इबादत से मुतल्लिक़ सवाल करके फ़ाइदा हासिल करें और गैर ज़रूरी सवाल ना किया करें। जिन जानवर की क़ुरबानी अल्लाह और रसूल ने की और हुक्म दिया तो उसकी क़ुरबानी की जायेगी और जिसकी क़ुरबानी ना की, ना शरअ़ में वो क़ुरबानी के जानवर में शुमार तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी।

क़ुरआन में अल्लाह फरमाता है :

नबी जो दें लो जिस से मना करें, रुके रहो।

मुसलमान के लिये इतना काफ़ी है वरना हलाल तो मछली भी है और जाइज़ काम तो बहुत से हैं, जैसे मेहमान को चटनी से खाना खिलाना भी जाइज़ है तो क्या कोई ऐसा करता है क्या कि मेहमान को चटनी से खिलाये। कहना ये है कि हर जाइज़ काम किया नहीं जाता तो मुर्गा अगर्चे जाइज़ और हलाल है मगर उस पर क़ुरबानी नहीं होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 284

मिना में जब शैतान को कंकरी मारी जाती है तो उस कंकरी का बदला क्या हमें रोज़े महशर मिलेगा या नहीं?

जवाब : 284

بسم الله الرحمٰن الرحيم

हर इबादत का सवाब दिया जायेगा और जब किसी को हज का सवाब मिल जायेगा तो हज में सभी अराकान का सवाब मिल जायेगा और उस में कंकरी मारना भी शामिल है यहाँ तक कि हज का सफ़र भी।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 285

क्या ज़ैद अपनी क़ज़ा नमाज़ बकर के सामने पढ़ सकता है या पूछने पर इत्तिला (बता) सकता है? इन दो सूरतों में

(1) बकर को मालूम है कि ज़ैद की बहुत नमाज़ें क़ज़ा हैं।

(2) बकर को ज़ैद की क़ज़ा नमाज़ों का इल्म नहीं।

जवाब : 285

بسم الله الرحمٰن الرحيم

नमाज़ों को क़ज़ा करना भी गुनाह है और अपने गुनाह का इज़हार भी गुनाह। मगर किसी सूरत में झूट बोलने की इजाज़त नहीं। क़ज़ा नमाज़ अदा करने का हुक्म तन्हाई में है, बेहतर है घर में अदा करे और अगर मस्जिद में अदा करे तो भी एक साइड में अदा करे, लोगों के सामने क़ज़ा पढ़ने से क़ज़ा अदा हो जायेगी मगर गुनाह का इज़हार गुनाह है। बकर को मालूम है कि ज़ैद की नमाज़ क़ज़ा हैं और बकर पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, ज़ैद कह दे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं अदा या क़ज़ा। मगर ज़ैद झूट ना बोले और अगर बकर पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हो तो जवाब ना दे कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और बकर को मालूम होने के बाद भी ज़ैद से ऐसा सवाल जाइज़ नहीं।

बकर को अगर नहीं मालूम तो भी पूछने पर कह दे कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं कि वित्र अगर क़ज़ा पढ़े तो तीसरी में क़ुनूत के लिये हाथ ना उठाये क्योंकि उससे इज़हार हो जायेगा कि ये वित्र क़ज़ा पढ़ रहा है और ज़ैद बकर के सामने क़ज़ा ना पढ़े कि पूछने की नौबत आये, चुपचाप क़ज़ा अदा करे।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 286

जमाअ़त हो रही है जिस में सिर्फ इमाम और मुअज़्ज़िन हैं। मुक़्तदी जो बाद में आया क्या उसे इमाम को आगे की जानिब करना होगा और अगर उस ने ऐसा ना किया तो क्या मुक़्तदी की नमाज़ हो जायेगी फिर चाहे मसअला मुक़्तदी को मालूम हो या नहीं?

जवाब : 286

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जब इमाम के साथ एक नमाज़ी हो और दूसरा आये तो ये ज़रूरी नहीं कि इमाम ही आगे आये बल्कि वो पीछे वाला मुक़्तदी भी पीछे हट सकता है या खुद हटे या आने वाला इसे पीछे कर दे, सब सूरतें जाइज़ हैं। और बेहतर ये है कि अगर एक मुक़्तदी हो तो मुक़्तदी का पीछे हटना अफ़ज़ल है और अगर ज़्यादा मुक़्तदी आ जायें तो इमाम का आगे बढ़ जाना अफ़ज़ल है मगर सूरतें सभी जाइज़ हैं और पूछी गई सूरत में अगर दो मुक़्तदी हों और ना इमाम आगे बढ़े ना मुक़्तदी पीछे हटे तो ऐसा करना यानी इमाम के बराबर में दो मुक़्तदी का नमाज़ अदा करना मकरूहे तन्ज़ीही है यानी नमाज़ हो जायेगी और दो से ज़्यादा हों तो मकरूहे तहरीमी।

दुर्रे मुख्तार, किताबुस्सलात, बाबुल इमामत, जिल्द 2, सफ़हा 370 पर है :

एक शख्स इमाम के बराबर में खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाये और वो आने वाला उस मुक़्तदी के बराबद खड़ा हो जाये या वो मुक़्तदी खुद पीछे हट आये या आने वाला उसे पीछे कर दे, सब सूरतें जाइज़ हैं जो हो सकता हो करे मगर मुक़्तदी जबकि एक हो तो मुक़्तदी को पीछे हटना अफ़ज़ल है और दो से ज़्यादा हों तो इमाम का आगे बढ़ना (अफ़ज़ल है)।

बहारे शरीअ़त, बाबुल जमाअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 585 पर है :

अकेला मर्द इमाम के बराबर में दाहिनी (सीधे) जानिब खड़ा हो, बायें (उल्टे) या पीछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुक़्तदी पीछे खड़े हों, बराबर खड़े होना मकरूहे तन्ज़ीही है और दो से ज़्यादा का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तहरीमी है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 287

क्याजो वक़्त फिज़ूल में ज़ाया किया जाये उसे भी इसराफ़ कहा जायेगा? और इस की जज़ा आखिरत में क्या है?

जवाब : 287

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! फिज़ूल वक़्त का बरबाद करना इसराफ है, नाजाइज़ है, क़ियामत में इसका हिसाब होगा। जिसने वक़्त को खर्च करा अच्छे काम में इबादत में तो सवाब पायेगा और बुरे काम और गुनाह में तो अज़ाब पायेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 288

तलाक़ का मसअला बताइये मस्लन कोई शौहर अपनी बीवी के ज़्यादा बोलने से परेशान है, ऐसी सूरत में वो क्या करे? उसको तलाक़ देना चाह रहा है, इस मसअले को राफ्ता करें।

जवाब : 288

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ऐसी सूरत में तलाक़ ना दे बल्कि सब्र रखे इस सब्र पर पहाड़ से ज़्यादा सवाब पायेगा क्योंकि अल्लाह के यहाँ कमी नहीं और कोशिश करे उसे प्यार मुहब्बत से समझाया जाये और हो सकता है कि शौहर भी गुस्से से काम लेता हो। ऐसे में सामने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है, शौहर को चाहिये कि बीवी अगर ज़ुबान चलाये या गुस्सा करे तो खुद ये अपने गुस्से पर क़ाबू रखे और जब बीवी साहिबा का गुस्सा शान्त हो जाये तो आराम से समझाये और ये काम मुश्किल नहीं और इतनी सी वजह से तलाक़ ना दे। वरना घर के बड़ों से उसकी शिकायत करे और ज़ुबान चलाने पर उस से नाराज़गी का इज़हार करे। मस्लन साथ ना खाये, कम बोले, उसकी तरफ़ तवज्जो ना दे, अलग सोये। इस तरह बीवी को खुद अहसास हो जायेगा कि शौहर उस से नाराज़ है फिर वो नाराज़गी की वजह पूछे तो उस से कम बोलने का वादा ले, फिर उस से वापस पहले जैसे बरताव करे ताकि औरत को अपनी गलती का अहसास हो मगर उसे गलती का अहसास कराने में लगा रहे, तलाक़ ना दे और ज़रूरतन हल्का फुल्का मार भी सकता है। मस्लन औरत गाली वग़ैरह का इस्तिमाल करे तो ये खुद भी अपनी गलती पर नज़र रखे कभी-कभी शौहर खुद मौक़ा देता है औरत को बे-गैरत बनने पर। अगर दोनों तरफ़ बराबर गुस्सा और लड़ाई रहेगी तो घर ना सुधरेगा इसीलिये अ़क़्ल का तक़ाज़ा है कि शौहर हिक्मत से काम ले।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 289

क्या हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा है कि कोई शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक़-तलाक़ बोलता है तो तलाक़ हो जाता है, ऐसा क्यों है? और फिर तीन तलाक़ हो जाने के बाद उस शौहर को अपनी बीवी से दोबारा शादी करनी है तो उस के लिये पहले बीवी को किसी

और मर्द से निकाह करना पड़ता है फिर दूसरा शौहर बीवी को तलाक़ देगा तब उसका निकाह पहले वाले शौहर से होगा ऐसा क्यों है? मेहरबानी करके जवाब अ़ता फरमायें।

जवाब : 289

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! इस्लाम में ऐसा ही लिखा है जो आपने सवाल में बयान किया और ये अल्लाह व रसूल की शरीअ़त का हुक्म है कि 3 तलाक़ देने से तलाक़ हो जायेगी। और फिर से उसी औरत से निकाह करना चाहे तो उस औरत को इद्दत के बाद दूसरे शख्स से निकाह करना होगा फिर वो शख्स वती करेगा और खुद तलाक़ देना चाहे तो दे सकता है फिर इद्दत के बाद औरत पहले वाले के निकाह में आयेगी। और दूसरे शौहर ने निकाह के फ़ौरन बाद तलाक़ दिया यानी हमबिस्तरी नहीं की तो ये बीवी पहले शौहर के लिये हलाल नहीं और शरीअ़त के हर अहकाम में कुछ ना कुछ हिकमत होती है और ये ज़रूरी नहीं कि हर काम हमारी समझ में आना चाहिये। मुसलमान के लिये इतना मानना काफ़ी है कि जब अल्लाह व रसूल का हुक्म आ जाये तो अपनी गर्दनें झुका लिया करो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 290

क्या गुस्से में तलाक़ हो जाती है?

जवाब : 290

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गुस्से में तलाक़ देने से तलाक़ हो जायेगी। 1 देगा तो 1 और 3 देगा तो 3 तलाक़ होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 291

(सवाल नम्बर 286 के जवाब में) अब अगर इमाम के बराबर में दो से ज़्यादा मुक़्तदी खड़े हो गये तो इस सूरत में क्या नमाज़ दोहराना वाजिब है जब इमाम आगे ना बढ़ा, जैसे कि मकरूहे तहरीमी में बाज़ सूरतों में हुक्म है?

जवाब : 291

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ इस सूरत में सबको नमाज़ दोहराना वाजिब होगी। जैसा कि आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी क़ादरी बरेलवी,

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6 सफ़हा 611 पर लिखते हैं :
"मगर अब तीसरा मुक़्तदी आ कर ना मिले वरना सबकी नमाज़ मकरूहे तहरीमी और सबका फ़ेरना वाजिब है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 292
क्या देवबन्दी का ज़िबह किया हुआ हलाल है, क्या उसे खा सकते हैं?

जवाब : 292

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस सवाल के जवाब में आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं :
देवबंदी का ज़बीहा मुरदार है।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़हा 249)

आगे सफ़हा 250 पर लिखते हैं :
वहाबी, राफज़ी, क़ादियानी वग़ैरह जिन-जिन की गुमराही कुफ्र तक है उनका ज़बीहा मुरदार है। वहाबी राफज़ी का ज़बीहा मुरदार है, इनके यहाँ का गोश्त खाना हराम है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 293
आपने सवाल नम्बर 278 में लिखा, इनके सिवा सर, पाये, दिल, कलेजी, बट वगैरा खाना जाइज़ है और ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी हराम के क़रीब है गुनाह है।
जबकि बट और ओझड़ी तो एक ही चीज़ है और फिर ओझड़ी गुनाह और बट जाइज़ कैसे?

जवाब : 293

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बिला शुब्हा ओझड़ी मकरूहे तहरीमी है।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 432 पर है :

हलाल जानवर की ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी क़रीबे हराम है।

इसी किताब सफ़हा 433 पर है :
ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी है और मकरूहे तहरीमी का गुनाह हराम के मिस्ल है।

ओझड़ी और बट अलग-अलग चीज़ों के नाम हैं। बट खाना जाइज़ है, इनमें फ़र्क़ है। जानवरों के मेदा को ओझड़ी कहा जाता है जिसमें गलाज़त जमा होती है और ओझड़ी के ऊपर मोटा सफेद गोश्त होता है जो गलाज़त से दूर होता है उसे बट कहा जाता है, ये सफ़ेद गोश्त खाना हलाल है और ओझड़ी मकरूहे तहरीमी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 294
क्या KFC या MAC'D जैसे रेस्टॉरेंट में नॉनवेज खाना सही है? जबकि जब हम पूछते हैं कि क्या ये हलाल है और वो उसे हलाल ही बताये। गैर मुस्लिमों के लिये हलाल का मतलब ज़बीहा किया हुआ भी होता है और हमारे लिये जिस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह किया जाये वो हलाल है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये? आज कल ऐसे रेस्टॉरेंट में खाना बहुत आम हो रहा है और कई बार दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है तो क्या उनके हलाल बताने पर उस गोश्त को खाया जा सकता है? बराये मेहरबानी थोड़ी तफ़सील कर दें।

जवाब : 294

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
गोश्त के मसअले में काफ़िर की खबर का एतबार नहीं किया जायेगा चाहे काफिर कहे कि मुसलमान की दुकान का गोश्त है और काफ़िर बेचता है तो उसका खाना जाइज़ नहीं। KFC और MC Donald वग़ैरह रेस्टॉरेंट के गोश्त खाना जिसके बारे में खबर नहीं की काफ़िर का ज़िबह है, मुसलामान का या मशीन का और मुसलमान वो है जो सुन्नी अक़ीदा रखता हो अगर वहाबी का ज़िबह है तो कहने को नाम का वो भी मुसलमान है मगर उसका ज़िबह भी मुरदार की मिस्ल है। उसका खाना भी हलाल नहीं, जब तक सुन्नी के हाथ का ज़िबह ना हो।
हदीसे पाक का मफ़हूम है, "जिसमें कहा गया एक हराम है और एक हलाल और (इसके बीच में) शुब्हा है बस तुम शुब्हा से भी बचो, यानी शक शुब्हा के खाने से भी बचना चाहिये।

मुसलमान पर गोश्त खाना ना फर्ज़ है, ना वाजिब। उम्र भर भी सब्जी खाये जब भी गुनाह नहीं, फिर मज़बूरी कहाँ रह गयी। इन रेस्टॉरेंट से वेज भी खाया जा सकता है, इस तरह तो रेस्टॉरेंट में शराब भी आम बात है तो क्या मुसलमान ने पानी पीना तर्क कर दिया?

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 295
जिस घर में मैय्यत होती है उस घर के लोग चूल्हा नहीं जलाते, क्या ये सही है?

जवाब : 295

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरअ़न इसमें कोई हर्ज नहीं। मगर जिस घर में मौत हुई हो भला उस के लोगों का क्या हाल होता है, ये सब पर ज़ाहिर है। ऐसे में किसे खाना खाने और बनाने की फिक्र होती है इसीलिये पड़ोसी हज़रात ऐसे घर के मेहमानों के लिये खाना बना देते हैं या बनवा देते हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि उस घर में चूल्हा ना जले। ये खाना पड़ोस की औरतें मैय्यत के घर के चूल्हे पर भी बना सकती हैं मगर इस तरह करना खिलाफ़े अदब लगता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 296
बुग्ज़ो कीना किसे कहते हैं?

जवाब : 296

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
दिल में किसी के खिलाफ़ दुश्मनी रखने का नाम बुग्ज़ो कीना है।
हुज्जतुल इस्लाम, इमाम मुबम्मद बिन मुहम्मद अल गज़ाली,

इहयाउल उलूम, जिल्द 3, सफ़हा 233 पर इनकी तारीफ़ यूँ अर्ज़ करते हैं :
कीना ये है कि इन्सान किसी को अपने दिल में बोझ जाने, उस से बिला वजहे शरई दुश्मनी रखे, बुग्ज़ रखे, नफ़रत करे और ये कैफ़िय्यत हमेशा बाक़ी रहे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 297
किसी से बुग्ज़ रखने वाले का क्या हश्र है?

जवाब : 297

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी सुन्नी मुसलमान से बुग्ज़ रखना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और बदमज़हब से बुग्ज़ रखना जाइज़ बल्कि बाज़ ने कहा वाजिब।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 298

हर वहाबी का कहने का एक ही मतलब है कि खाना रख कर फातिहा नहीं दिलानी चाहिये, हज़रत ऐसे में हम उन्हें क्या जवाब दें?

जवाब : 298

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आप उनसे कहो कि वो खाना आगे ना रखे बिना खाना रखे फातिहा दे दिया करे। फ़ातिहा दोनों सूरत में हो जायेगी। ये नाम है ईसाले सवाब का जो खाना आगे रखा जाता है वो नहीं जाता बल्कि जो क़ुरआन पढ़ा जायेगा उसका सवाब बख्शा जाता है। खाना आगे रखो या ना रखो मगर खाने को आगे रख कर क़ुरआन पढ़ना बुखारी की हदीस से साबित है। खुद हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम का अ़मल है।

एक बात : सारे वहाबियों और देवबन्दियों को एक चैलेंज है कि अगर खाना आगे रख कर क़ुरआन पढ़ना मना है तो वो दस्तरख्वान पर सामने खाना रख कर بسم اللہ पढ़ते हैं या नहीं? और ये بسم اللہ क़ुरआन है या नहीं।
अगर वो कहें कि नहीं पढ़ते तो वो खुद हदीस के खिलाफ़ अ़मल करते हैं कि शैतान उनके खाने में शामिल हो जाता है। अगर वो कहें कि ये بسم اللہ क़ुरआन नहीं तो काफ़िर है।
बस तो यही काफ़ी है कि खाने को सामने रख कर क़ुरआन से कुछ भी पढ़ना सुन्नते रसूल से साबित हुआ वरना कोई भी हदीस ले आओ कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने खाने को सामने रख कर क़ुरआन पढ़ने से मना किया हो और बेशक क़ियामत तक ना ला सकेंगे। और एक बात वहाबी से हमारा इख्तिलाफ़ फ़ातिहा पर नहीं है वो सुन्नी मुसलमान को ऐसी ही मुस्तहब्बात में उलझाता है। अगर आप से वहाबी कोई सवाल पूछे तो बेकार बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं, उस से कहो कि किसी सुन्नी इमाम के पास जाये और जवाब ले ले और आप उनके सवाल के जवाब के लिये किताब "जा अल हक़" मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की ज़रूर पढ़ें, फाइदा होगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 299

हज़रत मुहम्मद ﷺ कितने भाई थे?

जवाब : 299

بسم الله الرحمٰن الرحيم

आप अ़लैहिस्सलाम के कोई भाई नहीं थे।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 300

क्या औरत का सर खुला हो तो वुज़ू हो जायेगा?

जवाब : 300

بسم الله الرحمٰن الرحيم

वुज़ू हो जायेगा।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 301

कोई सुन्नी भाई अगर अंजान जगह पर जाता है और वहाँ जुम्आ की नमाज़ के लिये गलती से देवबन्दी मस्जिद में चला जाता है। इस का अहसास जब उसे होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इमाम निय्यत कर चुका होता है। ऐसी हालत में वो क्या करे?

जवाब : 301

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ना नमाज़ की निय्यत करे, ना इमाम की पैरवी, जबकि निकलना मुम्किन ना हो वरना बाहर आये और बाहर आकर सुन्नी मस्जिद में जुम्आ तलाश करे वरना अपनी ज़ुहर पढ़े। मेरे साथ ऐसा अपने शहर और शहर के बाहर कई बार तजुर्बा हुआ कि पहली सफ़ में होता और जब जमाअ़त खड़ी होती तो मालूम होता कि देवबन्दी की जमाअ़त है तो मै पहली ही सफ़ में अपनी नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ। इमाम की पैरवी नहीं करता फिर चाहे इमाम रुकूअ़ में हो और मै सजदे में या इमाम क़ादा में हो और मै फ़र्ज़ पूरे कर चुका होता हूँ और

कई बार जमाअ़त की निय्यत बांधने के बाद भी मै बाहर आ गया मगर अकसर जब निकलना मुम्किन नहीं होता तो मै अपनी निय्यत बांधकर अपनी तन्हा पढ़ता हूँ।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 302

बीमारी का क्या बयान है हदीस और क़ुरआन से, अगर कोई बीमार है तो ये गुनाहों की वजह से या अल्लाह की आज़माइश या फिर क्या है? पूरे मुआमले पर ज़रा रौशनी डालें और क्या वज़ाइफ़ बीमारी में पढ़े जाने चाहिये जो क़ुरआन हदीस से साबित हों।

जवाब : 302

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बीमारी और परेशानी की फज़ीलत पर अहादीसे करीमा हैं :

मुसलमान को जो भी तकलीफ़, दुख, परेशानी, गम पहुँचता है यहाँ तक कि अगर उसको काँटा भी चुभे तो अल्लाह इसके सबब उसके गुनाह मिटा देता है।

(बुखारी शरीफ़)

क़ियामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जायेगा तो आफियत के साथ रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में इन की कभी खालें कैंचियों से काटी जाती (यानी तक्लीफ़ दी जाती)।

(तिर्मज़ी शरीफ़)

बुखार को बुरा ना कहो कि वो आदमी की खताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को।

(मुस्लिम शरीफ़)

जो एक रात बीमार रहा, सब्र किया और अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रहा तो भी गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया।

(तिर्मज़ी शरीफ़)

एक बुज़ुर्ग का क़ौल है :

जो 40 रात में एक मरतबा भी आफ़त या फिक्र या परेशानी में मुब्तिला ना हुआ उस के लिये अल्लाह के यहाँ कोई भलाई नहीं।

वज़ाइफ़ : (जो मुम्किन हो इंतिखाब करें।)
111 बार یا سلام (या सलामू) पढ़ कर बीमार पर दम करें ان شاء الله शिफ़ायत होगा।
70 बार یا حسیب (या हसीबू) रोज़ पढ़े ان شاء الله आफत से महफूज़ रहे।
7 बार یا ممیت (या मुमीतू) रोज़ पढ़ कर अपने ऊपर दम कर ले ان شاء الله जादू के असर से बचा रहे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 303
शादी के बाद औरतों को अपने शौहर के नाम के साथ नाम जोड़ना कैसा है?

जवाब : 303

بسم الله الرحمٰن الرحیم
नाम जोड़ने में हर्ज नहीं मगर नाम नहीं जोड़ा जाता बल्कि सरनेम जोड़ा जाता है और मुसलमानों में अकसर सरनेम उनकी कास्ट (ज़ात) होती है लिहाज़ा (ज़ात) नहीं जोड़ना चाहिये। ये काफ़िरों का तरीक़ा है कि औरत अपनी ज़ात बदल कर शौहर की ज़ात लगा लेती है। और अब ये मुसलमानों में राइज हो चुका कि कोई औरत अंसारी हो और शौहर खान तो औरत भी शादी बाद खान बन जाती है ये गलत और गुनाह है। ऐसा करने वाले पर हदीस में लानत आई है कि जो अपना नसब बदले या अपने बाप के सिवा दूसरे को बाप बनाये। शादी बाद औरतों को शौहर का सरनेम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं और सिर्फ़ नाम लगाये तो गुनाह नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 304
ज़ैद को किसी ने तीजे या चालीस्वे की दावत दी। ऐसी दावत में जाना कैसा?

जवाब : 304

بسم الله الرحمٰن الرحیم
ज़ैद शरई फक़ीर है तो चला जाये।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 305
शादी की पहली रात के क्या मसाइल हैं?

जवाब : 305

بسم الله الرحمٰن الرحيم
सबसे पहले जब नई दुल्हन घर आये तो उसके पैर धो कर उस पानी को घर के चारों कोनों में डालना चाहिये। आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फरमाते हैं, ये मुस्तहब है और इस से घर में बरकत होती है। शादी की रात नमाज़े शुक्राना पढ़ सकते हैं और इसकी तरकीब आम नमाज़ों की सी होती है, मर्द आगे होगा और बीवी पीछे। इस नमाज़ का फाइदा इंशा अल्लाह ये होगा कि औरत मर्द की फ़रमांबरदार रहेगी। बाक़ी के मुआमला इस किताब के जवाब नम्बर 246 पर पढ़ें वरना किताब करीना -ए- ज़िन्दगी से मुलाहिज़ा करे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 306
क्या जुम्आ मुबारक कहना सही है?

जवाब : 306

بسم الله الرحمٰن الرحيم
सही है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 307
अगर हम बरकत के लिये चाँदी की एक अँगूठी पहनें और उस में पहली लाईन में "मुहम्मद", दूसरी में "रसूल" और तीसरी में "अल्लाह" लिखा हो, जैसे हमारे नबी की अँगूठी थी तो क्या पहन सकते हैं? हज़रत कुछ गुनाह तो नहीं।

जवाब : 307

بسم الله الرحمٰن الرحيم
पहन सकते हैं कुछ हर्ज नहीं मगर इसके अदब का ख्याल रखना होगा। मस्लन टॉयलेट वग़ैरह में जाते वक़्त उतार लें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 308
हज़रत किन-किन वजह से मिया बीवी का रिश्ता टूट जाता है?

जवाब : 308

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जब मर्द तोड़ने का मन बना ले और तलाक़ दे दे तो रिश्ता टूट जाता है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 309

क्या हम हज़रत इमाम हुसैन रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु को "अ़लैहिस्सलाम" कह सकते हैं?

जवाब : 309

بسم الله الرحمٰن الرحيم

लफ्ज़ علیہ السلام नबी, रसूल और फ़िरिश्ते के लिये खास है, इनके गैर को ना कहा जाये ना लिखा जाये। इमाम हुसैन को "रदिअल्लाहु अ़न्हु" कह सकते हैं। علیہ السلام नहीं कहना चाहिये।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 310

ज़ैद ने रब से वादा किया कि किसी गुनाह को ना करने का, कुछ अर्से बाद वही गुनाह सरज़द हो गया, अब क्या ज़ैद पर वादा खिलाफ़ी का गुनाह भी लगेगा।

जवाब : 310

بسم الله الرحمٰن الرحيم

फिल्हाल तो ज़ैद गुनाह करने की वजह से गुनाहगार तो है ही, चाहिये कि तौबा करे और आइन्दा उस फ़ेल से बाज़ रहे और जब भी वो फ़ेल सरज़द हो अल्लाह से माफ़ी माँगता रहे और अल्लाह से गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ भी माँगे। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, कभी अपने गुनाह की वजह से उसकी रहमत से मायूस ना हो और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और ज़ैद को चाहिये कि बाद नमाज़े फ़ज्र सूरह इख्लास 11 बार पढ़ लिया करे।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 311

क्या जानदार की फोटो लगाना सही है। प्रोफाइल या होम (घर) में?

जवाब : 311

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

प्रोफाइल यानी डिजिटल स्क्रीन पर लगा सकते हैं, प्रिंट आऊट निकाल कर कहीं भी नहीं लगा सकते, ना घर में, ना दुकान में।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 312

कोई अगर किराये के घर में रहता हो उस घर में किसी भगवान की तस्वीर हो (पत्थर की) जिसको निकाल नहीं सकते। क्या उस घर में रहना ठीक है और उस घर में नमाज़ हो जायेगी।

जवाब : 312

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर कहीं और किराये का घर मिल सके तो बेहतर वरना रहने में उसमें भी कोई हर्ज नहीं, रह सकता है और तस्वीर पर पर्दा लगा दे वरना कोई समान जैसे अलमारी, फ्रीज़ वग़ैरह उस जगह रखे ताकि तस्वीर ढक जाये अगर तस्वीर नमाज़ी के आगे होगी तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी। तस्वीर ढकने की जो मुम्किन सूरत हो करे मगर दीवार से तस्वीर को खुरच कर शक्ल नहीं बिगाड़ सकता। इसकी इजाज़त नहीं होगी सिर्फ़ उसे पर्दे से ढक सकता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 313

किसी ने वुज़ू किया उस के बाद उसे लगा दाँत में कुछ फँसा रह गया है। इस हालत में अगर धागे से दाँत साफ कर के कुल्ला कर ले तो क्या वुज़ू टूट जायेगा या नहीं?

जवाब : 313

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वुज़ू नहीं टूटेगा बल्कि कुल्ली कर लेना बेहतर है और ना भी की तो हर्ज वुज़ू में नहीं नमाज़ में आयेगा और कुल्ली करना वुज़ू में फ़र्ज़ नहीं, कुछ फँसा रहा और वो जगह ना धुल पाई तो भी वुज़ू हो जायेगा और गुस्ल में ये मामला हुआ कि गुस्ल करा और दाँत में कुछ रह गया तो भी गुस्ल दोहराने की ज़रूरत नहीं, कुल्ली कर लेना काफ़ी है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 314

अगर कुरआन (Kuran) शरीफ़ गिर जाये हाथ से छूटकर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिये? क़ुरआन शरीफ़ को चूमकर दुआ कर लेना ठीक है या कुछ और?

जवाब : 314

بسم الله الرحمٰن الرحيم

लफ्ज़ क़ुरआन (Quraan) रोमन इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है जैसे हमने जवाब में लिखा है और ये बात साइल से पहले भी अ़र्ज़ की गई थी मगर महसूस होता है कि पिछले सवालों को पढ़ कर साइल ने अपनी गलती नहीं सुधारी। अल्लाह से दुआ है कि अ़मल का जज़्बा भी अ़ता फ़रमाये।

क़ुरआन अगर धोके से हाथ से गिर गया तो कफ्फ़ारा कुछ नहीं मगर क़ुरआने अ़ज़ीम को उठाते वक़्त ध्यान हाज़िर रखा जाये, ऐसा ना हो कि ध्यान कहीं और काम कहीं और फिर अंजाम कुछ और, नतीजा फिर यही होता है। तौबा लाज़िम तो नहीं मगर लम्हा-लम्हा तौबा कर लेने में भी हर्ज नहीं और मशहूर यही है कि ऐसा हादसा होते ही लोग फौरन तौबा करते हैं और साइल ने भी कर ली होगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 315

हुज़ूर सवाल नम्बर 312 में तस्वीर को दीवार से खुरचने की इजाज़त क्यों नहीं है? जबकि हदीस में मिटाने का हुक्म आया है।

जवाब : 315

بسم الله الرحمٰن الرحيم

घर किराये का है, साइल घर का मालिक नहीं है इसीलिये मालिक की इजाज़त के बग़ैर घर को बद-नुमा करने की इजाज़त नहीं। इसीलिये तस्वीर पर पर्दे को ढका जाये वरना बड़ा सामान सामने रख दिया जाये।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 316

हज़रत अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ के दरमियान हमारा वुज़ू टूट जाये फिर क्या हमें नमाज़ पूरी कर लेना चाहिये या निय्यत तोड़ कर वुज़ू कर लेनी चाहिये?

जवाब : 316

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वुज़ू टूट जाने की सूरत में निय्यत तोड़ दे और फिर से वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े, वुज़ू टूट जाने पर वो नमाज़ पूरी करने की इजाज़त नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 317

जनाब सवाल है अगर कोई पहली सफ़ में हो और नमाज़ के दौरान वुज़ू टूट जाये और पीछे 10 और सफ़ हों तो क्या किया जाये?

जवाब : 317

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर पहली सफ़ में वुज़ू टूट जाये तो भी वही हुक्म है कि नमाज़ तोड़ कर फिर वुज़ू करे और नमाज़ पूरी ना करे। निकलने की सूरत इस तरह है कि नाक पर अपना हाथ रख कर बाहर आ जाये जबकि साइड में निकलने की जगह हो, ऐसा नहीं कि नमाज़ियों को धक्का दे कर आये। बल्कि किसी भी साइड से बाहर आ जाये, वुज़ू करे और फिर शामिल हो जाये, और एक बात जब नमाज़ जमाअ़त से होती है तो नमाज़ियों के आगे से गुज़रने में गुनाह नहीं होता। वो जो हदीस में आया कि नमाज़ी के आगे से ना गुज़रो वो तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले का हुक्म है वो भी जिसके सामने कोई सुथरा ना हो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 318

अगर मै ज़कात देता हूँ तो मुझे तीजा या चालीस्वे की दावत खानी चाहिये या नहीं?

जवाब : 318

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वो दावत एक ईसाले सवाब के लिये होती है और गरीबों और मसाकीन का हक़ पहले है। पहले उन्हें पूछा जाये और गुंजाइश हो तो क्या किया जायेगा? ज़ाहिर है कोई शख्स खाना फेकेगा तो नहीं तो वो अपने जानने वालों को भी बुला लेगा। ये समझो 100 फक़ीर का

खाना है, 50 फक़ीर ही मिल पाये और वो खाना मुसलमान को खिलाने का सवाब मैय्यत को गया। अब 50 का खाना बच गया अब उसका क्या किया जाये? ज़ाहिर है कोई गैर फक़ीर भी खाये तो 50 मुसलमान को खिलाने का सवाब मैय्यत को जायेगा। और खाना साहिबे निसाब को भी शरअ़न जाइज़ है मगर गरीबों की हक़तलफ़ी ना हो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 319

वुज़ू किन-किन चीज़ों से टूटता है?

जवाब : 319

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है उन से वुज़ू भी टूट जाता है इस के अलावा पखाना, पेशाब, मनी, मज़ी, वदी, मर्द या औरत के आगे या पीछे से जो हवा निकलती है खून, पीप या ज़ख्म का पानी, दुखती आँख का पानी बहने से, नमाज़ में ज़ोर से हँसने से, सो जाने से, मुँह भर के उल्टी आने से वग़ैरह-वग़ैरह।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 320

हज़रत मुहम्मद ﷺ के चचा कितने थे?

जवाब : 320

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के चचा के बारे में तारीख लिखने वालों का इख्तिलाफ़ है। बाज़ ने कहा 9 कुछ ने 10 और कुछ का क़ौल 11 है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 321

मुहर्रम में ताज़िया बनाना और घुमाना कैसा?

जवाब : 321

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मुहर्रम में होने वाले नाजाइज़ और हराम काम जैसे :

(1) शरीअ़त में ताज़िये की कुछ अस्ल नहीं और जो कुछ बिदअ़त इसके साथ किये जाते हैं, सब नाजाइज़ हैं।
(2) हिन्दुस्तान में जिस तरह ताज़ियादारी राइज है, नाजाइज़, हराम व बिदअ़त है।
(3) ताज़िया बनाना, देखने के लिये घर से निकलना, ताज़िया की ताज़ीम वग़ैरह।
(4) ताज़ियादारी करने वाला फासिक़ है, जो इसे ज़रूरी क़रार दे, गुमराह भी है।
(5) ताज़िये पर मन्नत माँगना, मेहंदी चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना वग़ैरह।
(6) सरकार इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल, ताशे, खुराफात यज़ीदियों ही की यादगार है।
(7) ताज़िये पर ढोल, ताशे, मातम, खैल कूद वग़ैरह।
(8) ताज़िये में चन्दा देना या किसी भी तरीक़े से उनकी मदद करना।
(9) बच्चों को फक़ीर बनाना और घर-घर भीक मँगवाना।
(ये सब नाजाइज़ काम हैं।)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21 और 24, सफ़हा 246 और 488-510)
(फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 5, सफ़हा 238)
(फ़तावा फैज़ुर रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 508)
(अल मलफूज़, सफ़हा 93)

मुहर्रम में होने वाले जाइज़ काम :
(1) इमाम हुसैन और दीगर बुज़ुर्गों की फातिहा करना।
(2) लोगों को शर्बत, पानी, खाना वग़ैरह तक़सीम करना।
(3) इस माह में रोज़े रखना और यतीमों के साथ शफक़त करना।
(4) मुहर्रम की 10 तारीख को अच्छे से अच्छा खाना बनाना और गुस्ल करना।
(5) मुहर्रम की 10 तारीख को तवा चढ़ाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना वग़ैरह।
(इस माह में ये सब काम जाइज़ हैं।)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 488)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 322
अगर किसी जमाअ़त के वक़्त सिवाये इमाम के किसी को भी तकबीर कहना नहीं आता तो क्या करना चाहिये?

जवाब : 322

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इमाम ही तकबीर कहे और फिर आगे अपने मुसल्ले पर चला जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 323
क्या जो हज कर के आते हैं उन के हाथ चूमने चाहिये?

जवाब : 323

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हाथ चूमने में हर्ज नही मगर गैर महरम को इसकी इजाज़त नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 324
शादियों की रस्म के मुतल्लिक़ मैने अक्सर देखा है और आज (05/10/2015 को) सुबह भी देखा कि कुछ औरतें मस्जिद में कुछ पुये लाती हैं और मस्जिद में देती हैं नमाज़ियों को, उनमें से कुछ औरतें होने वाली दुल्हन से एक लोटे की मदद से पानी गिराती हुई अपने घर तक ले जाती हैं ये सब क्या है? और हमारे इस्लाम में या हमारे बरेलवी मस्लक में इसकी क्या हैसियत है?

जवाब : 324

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ये बेहूदा रस्में हैं, फ़ज्र के अन्धेरे में औरतों का घर से निकलना और मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाना, जबकि नमाज़ियों का निकलने का वक़्त होता है। इस हरकते बेहूदा की इस्लाम इजाज़त नहीं देता और ये रात भर ढोल ताशे बजाती हैं, नाच गाना चलता है और टाईम पास करने के लिये पुये पकाये जाते हैं ताकि रात गुज़र जाये और जो मर्द अपनी औरतों को घर से बेपर्दा इस तरह निकलने की इजाज़त दे या क़ुदरत रखने के बाद भी ना रोके तो हदीस के मुताबिक वो दय्यूस (भड़वा) है। और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूँघेगा और जो पानी वाली बात है, वो काम हराम है, बिला वजह तो वुज़ू में भी पानी बहाना हराम है फिर फक़त बेहूदा रस्मों में बिना वजह पानी का बहाना क्यों कर जाइज़ हो सकता है और ये सब शादियों में अक्सर तरीक़े हिनूद के होते हैं और याद रखना चाहिये इन बातों की इजाज़त ना इस्लाम ने दी है, ना सुन्नियत के किसी मस्लक ने अगर कोई ऐसा फ़ेल करता है तो खुद अपनी कम इल्मी या जिहालत से करता है। इसमें किसी आलिम या मस्लक का कोई कसूर नहीं होता। उलमा का काम शरीअ़त का हुक्म बताना है जबरन मनवाना नहीं और हमारे अ़क़ीदे और मस्लक हमारी किताबों से ज़ाहिर है, आवाम के गलत कामों से नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 325
हज़रत मुहर्रम और चहल्लम में शादियाँ नहीं करनी चाहिये?

जवाब : 325

بسم الله الرحمٰن الرحیم
इन माह में शादियाँ करना जाइज़ हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 326
हज़रत एक शरीअ़त के हिसाब से हमें कैसी शादी करनी चाहिये और ज़रूरी कौन-कौन चीजें हैं?

जवाब : 326

بسم الله الرحمٰن الرحیم
दो गवाह सुन्नी मुसलमान की मौजूदगी में शरई महर के साथ ईजाब क़ुबूल करना इतना तो ज़रूरी है बाक़ी जो रस्में शरीअ़त से ना टकरायें, करने में हर्ज नहीं। मस्लन एक दूसरे के घर वालों को तोहफ़े में कपड़े देना, उब्टन लगाना, औरत को मेहंदी लगाना वग़ैरह वग़ैरह। बाक़ी जो रस्म शरीअ़त के खिलाफ़ हो उसे नहीं करना चाहिये जैसे ढोल, डी.जे., दुल्हन को मेहंदी, गैर महरम का उब्टन लगाना, मर्द औरत का नाच गाना, वग़ैरह वग़ैरह। बाक़ी तफ़सील इस्लामी ज़िन्दगी से पढ़ें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 327
गैर मुक़ल्लिदीन का मज़हब है कि खुलफा -ए- राशिदीन अहकामे शरीआ के खिलाफ अहकाम नाफिज़ करते थे। (इसका मतलब क्या है?)

जवाब : 327

بسم الله الرحمٰن الرحیم
यानी वहाबी मानता है कि, ये सहाबा जो फैसला सुनाते थे (उनमें अक्सर) शरीअ़त (क़ुरआन, हदीस) के खिलाफ़ होते थे। (म'आज़ अल्लाह)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 328
छोटे बच्चों जो कि अगर कपड़े नहीं पहने हैं उन्हें देखने से क्या वुज़ू टूट जाता है?

जवाब : 328

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अपना या पराया, मर्द या औरत का, बच्चे या बड़े यानी किसी का भी बरहना जिस्म देखने से वुज़ू नहीं टूटेगा। मगर इस में बाज़ फ़ेल हराम हैं और ऐसी सूरत में फिर वुज़ू कर लेना मुस्तहब है और ना किया तो भी वुज़ू रहेगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 329
ज़कात का हिसाब कैसे करें और ज़कात की रक़म कैसे तक़्सीम करें?

जवाब : 329

بسم الله الرحمٰن الرحیم
उस साल के चाँदी की क़ीमत देखी जायेगी जो 52.5 तोला चाँदी की क़ीमत के बराबर या ज़्यादा का मालिक होगा या सिर्फ़ सोना है तो 7.5 तोले सोने का मालिक होगा, 2.5% अपने माल से निकालना होगा। मिसाल के तौर पर अगर 52.5 तोला चाँदी की क़ीमत इस साल रुपये 20,000/- है और किसी के पास 20,000 या इस से ज़्यादा है तो इस रक़म का 2.5 % देना होगा। ज़कात किसी भी शरई फक़ीर को दे सकते हैं बस वो ज़ात का सैय्यिद ना हो, सैय्यिद को ज़कात देने से ज़कात अदा ना होगी वरना किसी दीनी इदारे, मदरसे वग़ैरह में भी दी जा सकती है और ज़कात की रक़म के मालिक दूसरे को बनाना होगा अगर उस रक़म का खाना बना कर फक़ीरों को खिलाया तो भी ज़कात अदा ना होगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 330
अस्सलामु अ़लैकुम! क्या आप मुझे इशराक़ और चास्त की नमाज़ का सही टाईम और इनमें कितने कितने रकअ़त पढ़ सकते हैं और कैसे इनकी निय्यत बाँधी जाती है और क्या दोनों ही नमाज़ पढ़नी ज़रूरी होती है या अगर इशराक़ की नमाज़ छूट गई है तो चास्त की पढ़ सकते हैं और इनकी फज़ीलत क्या है?

जवाब : 330

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़े इशराक और चाश्त की फज़ीलत और रकअ़त :

जो नमाज़े फ़ज्र बा-जमाअ़त अदा करके ज़िक्रुललाह करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो गया फिर 2 रकअ़त पढ़ी तो उसे पूरे हज व उमरा का सवाब मिलेगा।
(सुनन तिर्मज़ी)

जो शख्स नमाज़े फ़ज्र से फारिग होने के बाद अपने मुसल्ले में बैठा रहा यहाँ तक कि इशराक़ के नफ्ल पढ़ के सिर्फ़ खैर ही बोले तो उस के गुनाह बख्श दिये जायेंगे अगर्चे समुंदर के झाग से भी ज़्यादा हों।
(सुनन अबू दाऊद)

जो चाश्त की दो रकअ़त पाबन्दी से अदा करता रहा उस के गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं चाहे समुंदर के झाग के बराबर हो।
(सुनन इब्ने माजा)

नमाज़ों का वक़्त :

इशराक़ का वक़्त : सूरज तुलूअ़ होने से कम से कम 20 मिनिट बाद पढ़ सकते हैं।
चाश्त का वक़्त : आफताब बुलंद होने से ज़वाल तक और नमाज़े इशराक़ के बाद भी चाश्त पढ़ी जा सकती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 331

सलाम और छींक का जवाब ना देना कैसा? खाली इशारे से जवाब देना काफ़ी होगा क्या?

जवाब : 331

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सलाम और छींक दोनों का जवाब देना वाजिब है और दोनों का जवाब इतनी आवाज़ से दिया जायेगा कि सामने वाला सुन ले वरना गुनाहगार होगा और जवाब देने में भी देर की तो भी गुनाहगार और इशारे से जवाब नहीं, आवाज़ के साथ ही देना वाजिब है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 460 पर है :
सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है बिला वजह ताखीर की तो गुनाहगार होगा और ये गुनाह जवाब देने से दफ़ा ना होगा बल्कि तौबा करनी होगी।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 464 पर है :
सलाम इतनी आवाज़ से कहे कि जिसको सलाम किया गया है वो सुन ले और अगर इतनी तेज़ आवाज़ ना हो तो जवाब देना वाजिब नहीं।

उंगली या हथेली से सलाम करना मना है।

हदीस में फरमाया कि उंगली से सलाम करना यहूदियों का तरीक़ा है और हथेली से सलाम करना नसारा का। बाज़ लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं, यूँ जवाब नहीं हुआ। उनको मुँह से जवाब देना वाजिब है।

किसी ने हाथ के इशारे से सलाम किया तो ये सलाम नहीं ना इसका जवाब देना वाजिब मगर जब इशारे के साथ मुँह से भी सलाम कहा तो जवाब दिया जायेगा।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 476 पर है :
छींक का जवाब देना वाजिब है जब कि छींकने वाला الحمد لله कहे और इसका जवाब भी फौरन देना और इस तरह देना कि वो सुन ले, वाजिब है। जिस तरह सलाम के जवाब में है, यहाँ भी है।

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 332
अगर किसी जमाअ़त के वक़्त मस्जिद में कोई भी ऐसा आलिमे दीन ना हो जो इमामत कर सके उस वक़्त "हज़रत" जो आप से सवाल कर रहा है उस के अन्दर इतनी क़ाबिलियत है कि वो इमामत कर सकता है। लेकिन वो कभी-कभी बड़ों की बात टाल जाता है और कभी झूट भी बोल देता है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि चलिये आप ही इमामत करिये तो सवाल ये है कि क्या ऐसी हालत वो नमाज़ की इमामत कर सकता है या नहीं कर सकता तो क्या करना चाहिये?

जवाब : 332

بسم الله الرحمٰن الرحیم

अगर आप में इमामत की शराइत पाई जाती हैं तो आप इमामत कर सकते हैं अगर उन शराइत में कमी पाई गई तो फिर सब को तन्हा-तन्हा नमाज़ पढ़नी होगी वरना दूसरी मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़े और वो कुछ शराइत के साथ हैं।

सही अ़क़ीदे सुन्नियत के रखता हो, ऐसा नहीं कि हर कलिमा पढ़ने वाले देवबन्दी या वहाबी को मुसलमान जाने या ज़रूरते दीन से किसी चीज़ का इंकार करता हो या नबी को गैब या ज़िन्दा ना मानता हो। तहारत का इल्म हो और नमाज़ के मसअले जानता है यानी वाजिबाते नमाज़ और मुफ्सिदाते नमाज़ वग़ैरह, क़ुरआन की सूरतें सही मखारिज से पढ़ता हो यानी इतने मखरज जानता हो कि नमाज़ को फ़ासिद ना करे और फ़ासिक़ ना हो यानी कोई गुनाह ऐलानिया ना करता हो जैसे नमाज़ ना पढ़ना, दाढ़ी 4 उंगली से कम रखना वग़ैरह। अगर ऐसा है तो फ़ासिक़ की इमामत मकरूहे तहरीमी है और ऐसे शख्स को इमाम बनाना हराम और उस के पीछे पढ़ी गई सारी नमाज़ें दोहराना वाजिब है।

और अगर ये शराइत पाई जाये कि तहारत जानता हो और नमाज़ के मसाइल और सुन्नी अक़ाइद से भी आगाह हो और क़िरअत भी क़द्रे ज़रूरत जानता हो तो बेहतर है कि इमामत कर ले और जो सवाल में गुनाह के काम गिनवाये गये तो उनसे हाथों हाथ तौबा भी कर ले। इन्शा अल्लाह इमामत सही हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 333

इस्लामिक तारीख मगरिब के बाद बदल जाती है, क्या दिन भी उसी टाईम बदल जाता है?

जवाब : 333

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

कभी ऐसा नहीं होता कि 1 तारीख में दिन हो यानी 10 तारीख को जुम्'आ होगा तो 11 को भी जुम्'आ होगा, कभी ऐसा देखा जाता है यानी अगली तारीख अगले दिन के साथ ही होगी यानी वक़्ते असर (चाँद की) 10 तारीख हफ्ते की होगी और जब आप कहोगे तो मगरिब बाद 11 लग जायेगी तो ज़ाहिर यही है कि इतवार भी लगेगा क्योंकि हफ्ता असर 10 तक था और मगरिब बाद 11 हुई और एक दिन दो तारीख में कैसे आ जायेगा?

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 334

क्या बिना किसी तहक़ीक़ या दलील के कोई मेसेज आगे बढ़ा (Forward) कर सकते हैं? क्या झूट के दर्जे में शुमार होगा?

जवाब : 333

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बिना तहक़ीक़ कोई मसअला या हदीस वग़ैरह का SMS आगे नहीं बढ़ाना चाहिये जब तक उसका हक़ होना हक़ीक़ी ना हो या आलिमे दीन से तस्दीक़ ना कर ली गई हो। अब रहा बे-दलील यानी वो SMS जिस पर कोई हवाला नहीं होता तो (मैने खुद अइम्मा -ए-मस्जिद से सुना कि वो कहते हैं कि उसे भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिये) मगर मै कहता हूँ (और अल्लाह की तौफ़ीक़ से) कि अगर वो मसअ़ला बहुत आम है कि लोग उस से वाक़िफ हैं कि ये सच है या कोई हदीस जो बहुत मशहूर है कि लोग उस से आगाह हैं तो उनके हवाले की भी ज़रूरत नहीं और उसे बे-हवाला फॉरवर्ड किया जा सकता है, जैसे - पानी बैठ कर पीना सुन्नत है। अब अगर इस हदीस में हवाला नहीं तो भी इस को फॉरवर्ड करे तो हर्ज नहीं, ना हवाला की ज़रूरत, क्योंकि ये हदीसे मशहूरा है, सब जानते हैं कि बैठ कर पानी पीना चाहिये और इसी तरीक़े के और भी मशहूर मसअले जिस से आवाम वाक़िफ़ है तो बे-हवाला भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे नमाज़ में पाइंचे नहीं मोड़ने चाहिये, इस से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी। ये मसअला भी आवाम में मशहूर है और हक़ है कि उलमा उसे अक्सर बयान करते ही रहते हैं तो अब इसमें आवाम को हवाला की हाजत नहीं।

हाँ, वो हदीस कि जिस में शक शुब्हा हो या यक़ीनी मशहूर ना हो या वो मसअला जो कभी आलिमे दीन से ना सुना हो तो ज़रूर उसे फॉरवर्ड करने से बाज़ रहना चाहिये और आज कल वॉट्सएप्प पर वहाबी मौज़ू (मनघढत) हदीस आम कर देते हैं, जो सुन्नी हदीस समझ कर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जबकि हदीस में फ़रमाया जिस ने मुझ पर जान बूझकर झूट बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसकी शरह बयान करते हुये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मीरात शरह मिश्कात में फ़रमाते हैं (मफ़हूम) इसका मतलब ये है कि कोई झूटी बात जान कर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ मन्सूब करे यानी हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया या फिर कोई मौज़ू हदीस का मौज़ू होना छुपाये यानी झूट हदीस बयान करके लोगों को ये ना बताये कि हदीस मौज़ू है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे और आगे फ़रमाते हैं अगर की बे-खबरी में मौज़ू हदीस बयान करे तो गुनाह नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 335

सोने के ज़ेवरात (Jewellery) औरतों के लिये जाइज़ है? प्योर गोल्ड (Pure Gold) तो नर्म होता है। उस में कुछ मिलावट की जाती है।

मसअला ये है कि :

(1) कितने प्रतिशत गोल्ड होना ज़रूरी है?

(2) आज कल 1gm ज्वेलरी आती है, क्या जाइज़ है?

(3) अगर 25% गोल्ड और बाक़ी मिलावट हो तो चलेगा?

जवाब : 335

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इसमें परसेन्ट की कोई क़ैद नहीं और बनावटी गहनों में सोना मिक्स नहीं होता बस जो सोने के ज़ेवर कहलाये जाते हैं और सोने के रेट पर ही मिले जाइज़ है। और जिस में सोना ना मिक्स हो और वो बनावटी रेट पर मिले तो जाइज़ नहीं। उर्फे आम में जिसे सोने का ज़ेवर कहा जाता है उसे सोने के हुक्म में माना जायेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 336

मस्जिद में नमाज़ के अलावा दीगर वक़्त में इस्तिन्जा, पानी या हाथ वग़ैरह धोने के लिये मस्जिद की चीज़ों (अशिया) का इस्तिमाल करना कैसा?

जवाब : 336

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इसका जवाब उर्फ़ पर मबनी है अगर किसी मस्जिद का टॉयलेट इस गर्ज़ से बाहर की तरफ़ बनवाया गया कि मुसाफिर भी इस्तिमाल करे या बाहर वाले तो गुनाह नहीं। जैसे बाज़ मसाजिद में बाहर कुछ दुकान होती हैं जो मसाजिद की मिल्क होती हैं, जिन्हें किराये पर दिया जाता है तो उनके लिये भी कभी-कभी बाहर एक टॉयलेट बना दिया जाता है और वुज़ू का पानी भर के ले जाना जाइज़ नहीं मगर जहाँ लोग भर के ले जाते हों यानी मस्जिद के बाहर टंकी है और वहाँ का रिवाज भी है कि लोग इस पानी को ले जाते हैं और उसे वहाँ गलत नहीं समझा जाता तो अलग बात है। अब साइल जिस मस्जिद का हुक्म जानना चाहता है वहाँ इलाक़े का उर्फ़ देखे क्या हाल है और अगर मस्जिद में ये साफ लिखा है कि पानी ले जाना मना है तो उसे भर के ले जाना बेशक गुनाह है बल्कि मसाजिद में कभी ऐसा भी होता है कि कोई खास एक टॉयलेट इमाम या उलमा या मेहमान के लिये भी रखी जाती है और उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहाँ लिख

दिया जाता है आवाम के लिये नहीं, (यानी आवाम दूसरी आम टॉयलेट इस्तिमाल करे) तो आवाम को इसका भी इस्तिमाल करना जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 337

मौज़ू/टॉपिक "कॉम्पटेटिव एक्साम में चीटिंग करके पास हुआ।"

(1) चीटिंग करना कैसा?

(2) इसमें हैल्प करना कैसा?

(3) पास हो कर जॉब लगा अब इस से कमाये पैसे क्या रिज़्क़े हलाल हुये?

जवाब : 337

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नक़ल करना हराम है मगर चीटिंग करने की कई सूरतें हो सकती हैं, इसी तरह किसी की हैल्प करने की कई सूरतें हो सकती हैं।

बहरहाल पास होकर हलाल जॉब से कमाई गई रक़म हलाल है जबकि कोई ऐसी शर्त ना हो कि शरीअ़त से टकराये और अगर उस जॉब का काम हराम है तो मेहनत से भी पास हो कर वो कमाई हराम होगी यानी कमाई की बुनियाद उस काम पर है जो वो कर रहा है। जाइज़ करे या नाजाइज़ एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं।

आपने तो एग्ज़ाम दे कर कमाई का पूछा एक मुसलमान ने दिल्ली की एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने एग्ज़ाम पेपर करने के मुतल्लिक़ मुझसे पूछा कि सवाल का जवाब लिखा जाये या नहीं। यानी नौकरी तो नौकरी एग्ज़ाम तक में ऐसे सवाल आते हैं जिसे लिखना जाइज़ नहीं और उस साइल की तेज़ अ़क़्ली वाक़ई क़ाबिले तारीफ़ थी। बी. ए. का एग्ज़ाम था, सवाल था कि अशरफ़ अ़ली थानवी की इल्मे तफ्सीर में अहमिय्यत बयान की जाये। भला इस काफ़िर की अहमिय्यत कोई मुसलमान कैसे लिख सकता है? खैर शायद उसने ये सवाल तर्क कर दिया और दूसरा ऑप्शन चुना। मगर इसका सही जवाब ये होना चाहिये था इन हज़रत की तफ़सीर या दीन में कोई खिदमत या अहमिय्यत नहीं, सिवाये लोगों को गुमराह करने के।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 338

बहुत लोग छल्ला बांधते हैं मझार पर या करबला शरीफ़ में, अगर जो मुराद का छल्ला बांधा गया हो और वो मुराद ना पूरी हो और छल्ला वो खोलना चाहता हो लेकिन ऐसी जगह बांधा हो जहाँ वो नहीं जा सकता। ऐसे हाल में वो क्या करे हज़रत?

जवाब : 338

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आराम से अपने घर बैठें, छल्ला जहाँ बंधा है बंधा रहने दें, नमाज़ अदा करें और अगर उसके पास दिन में काफ़ी वक़्त हो तो अपनी क़ज़ा नमाज़ें पूरी करने में लगा रहे जब तक पूरी ना हो जाये और मन्नत पूरी होने के लिये क़ादरी सिलसिले में बहुत वज़ीफ़े हैं जो क़ुरआन और हदीस से साबित हैं उन्हें अ़मल में लाये काफ़ी हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 339

स्कूल में जो ड्राविंग का पेपर होता है उस में जो जानदार चीजें बनाने को कहा जाता है और उस के बिना बनाये पास नहीं हो सकते वो बनाना कैसा है?

जवाब : 339

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सूरत में भी जानदार की तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं मगर एक काम इस सवाल में हो सकता है जिस से बच्चा भी फैल नहीं होगा और काम भी हो जायेगा मगर मेरी ये बात समझ नहीं आई। सवाल में जो लिखा गया है कि ड्राविंग का पेपर ना करने पर पास नहीं हो सकते ये अजीब है क्योंकि स्कूल में पास होना ज़रूरी होता है और ड्राविंग उन सब्जेक्ट में शामिल नहीं, ये एडीशनल सब्जेक्टहै। अगर कोई सारे एग्ज़ाम पास कर ले और ड्राविंग में फैल हो जाये तो शायद पास हो जायेगा यानी उसे क्लास में रोका नहीं जायेगा वरना एक ऑप्शन कम्पार्टमेन्ट और भी है खैर और एक बात भी इस सवाल से पैदा हो गई कि ड्राविंग के पेपर में क्या केवल एक ही सवाल होगा कि जानदार की तस्वीर बनाओ, ज़ाहिर है कम से कम 5 सवाल होंगे और उनमें ऑप्शन होगा। मस्लन बच्चा बनाओ या मकान तो साइल मकान की तस्वीर बना सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूर पास होने के लिये 100 में 33 नम्बर की ज़रूरत है और अगर सवाल में 60 नम्बर में 33 नम्बर की ज़रूरत है और अगर सवाल में 60 नम्बर में जानवर की ही तस्वीर बनाने को कहा गया तो साइल 60 नम्बर छोड़ कर 40 नम्बर में बाक़ी चीज़ें बना ले। कहना ये मुराद है कि इसी तरह ज़्यादा नम्बर के चक्कर में ना पड़े बल्कि बेजान की तस्वीर बना कर पास करे। फिर भी अगर मान लिया जाये कि पेपर में सारी जानदार ही की तस्वीर बनाने को कहा गया है और कोई चारा

ही नहीं तो तस्वीर का चेहरा छोड़ कर जिस्म बना दे। इस तरह कुछ तो नम्बर मिलेंगे ही और फैल होने से भी बच जायेगा और अगर टीचर कहे कि तस्वीर अधूरी है तो कहे कि आधे नम्बर ही चाहिये।

और इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि बस मुफ्ती साहब ने स्कूल में बच्चों को ड्राविंग बनाने की इजाज़त दी है कि ये जो स्कूल में ड्राविंग बनाई जाती है ये केवल बच्चों को पेंसिल चलाना या हाथ साफ करवाना मुराद होता है ताज़ीमन तस्वीर बनाना मुराद नहीं तो ये इस सूरत में जाइज़ है।

मगर क्या ये हक़ नहीं कि इसी तरह बच्चे का इंटरेस्ट ड्राविंग में हो जाता है और आगे चल कर वो पेंटर बनना चाहता है, बाज़ कारोबार कर लेते हैं, फिर वो ज़रूर गुनाह हो जायेगा। हमारा मशवरा है बुखार रोकना हो तो जुखाम को रोक लो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 340
ऐसा क्या किया जाये जिस से गुनाह कम हो?

जवाब : 340

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
कसरत से अल्लाह का ज़िक्र और अस्तगफ़ार की कसरत करनी चाहिये।

जब गुनाह की मअ़रिफत (पहचान) हो जायेगी तो उस गुनाह से बचना आसान होगा मगर जब ये पता ही नहीं हो कि हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है यानी गुनाह की पहचान ही ना हो तो कोई इस से कैसे बच सकता है। आज झूट, गीबत, चुगली, गाने, फिल्म वग़ैरह ऐसे काम हैं जो आम हैं मगर अफ्सोस आज कोई इन्हें गुनाह तसव्वुर तक नहीं करता। यहाँ तक फेसबूक, वॉट्सएप्प पर पैसा और टाईम को बरबाद करके नमाज़ें क़ज़ा कर देना ये पैसे और वक़्त की बरबादी भी इसराफ़ है, नाजाइज़ है। मगर इसे भी कोई गुनाह ख्याल नहीं करता, इसीलिये बेहतर है इल्मे दीन हासिल किया जाये। फिर रौशन हो जायेगा कि गुनाह आखिर होते क्या हैं बहुत लोग तो कुछ काम को गुनाह ही नहीं मानते हालाँकि वो गुनाह होते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 341

क्या हालते नमाज़ में औरत को पाऊँ की 3 उंगलियाँ लगाना भी वाजिब है, जिस तरह मर्द को वाजिब है?

जवाब : 341

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नहीं, ये हुक्म मर्द के लिये है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 342
जो नमाज़ छूट जाती है सफ़र में या शादी वग़ैरह में जाने से या उस से भी पहले बीमार हो जाने से वो नमाज़ कैसे पढ़ी जाये?

जवाब : 342

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़े क़ज़ा अदा करने का तरीक़ा :
पहले ये अ़र्ज़ कर दूँ कि जो नमाज़ क़ज़ा करने की हालत सवाल में साइल ने दर्ज की उस हालत में नमाज़ क़ज़ा नहीं कर सकते। चाहे शादी हो या सफ़र ऐसा नहीं कि इन हालतों में नमाज़ मुआफ़ थी बल्कि सफ़र में तो फ़र्ज़ नमाज़ वैसे भी कम हो जाती है यानी अपने शहरे असली से 92 किलो मीटर दूर जाने और 15 दिन से कम के लिये जाने पर हर रकअ़त की फ़र्ज़ नमाज़ 2 ही पढ़नी होगी और जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उन्हें अदा करने के बाद तौबा भी करनी होगी वरना क़ज़ा तो अदा हो जायेगी मगर क़ज़ा करने का गुनाह सर रहेगा यानी क़ज़ा को जल्द अदा करना भी वाजिब और लाज़िम भी।

क़ज़ा नमाज़ अगर याद ना हो कि पिछली ज़िन्दगी में कितनी रह गई, तो जब से बालिग हो जब से अब तक या जब से नमाज़ें शुरू की हैं उस तक के साल का अन्दाज़ा लगाया जाये। अगर ये याद नहीं कि कब बालिग हुये तो लड़का 12 साल से अन्दाज़ा लगाये लड़की 9 साल से यानी अगर किसी ने 20 साल में नमाज़ शुरू की तो 12 से 20 साल तक यानी यानी 8 साल की नमाज़ हुई और लड़की की 9 से 20 यानी 11 साल की नमाज़ जिम्मे बाक़ी हुई। हम इसी मिसाल की बुनियाद पर आगे ज़िक्र करते हैं मस्लन किसी की 8 साल की नमाज़ क़ज़ा हैं, एक साल में 365 दिन यानी एक साल में 365 नमाज़ क़ज़ा हुई वो भी हर एक वक़्त की (यानी 365 फज्र, 365 अ़स्र वग़ैरह) 8 साल में 8×365 = 2920 नमाज़ें क़ज़ा हुई, वो भी एक वक़्त की यानी 2929 फ़ज्र क़ज़ा, 2929 ही ज़ुहर क़ज़ा, 2920 ही अ़स्र और मगरिब क़ज़ा, 2929 इशा और वित्र क़ज़ा, ये हुक्म लड़के के लिये है।

लड़की हर माह में नापाकी के दिन को कम करेगी। मस्लन 4-6 दिन हर माह नापाक रहती है तो हर माह से 4 दिन (यानी कम वाले दिन) कम करे तो उसके लिये हर महीने 26 नमाज़ क़ज़ा हैं, जबकि लड़के के लिये पूरी 30।

8 साल क़ज़ा करने वाली लड़की की क़ज़ा नमाज़ एक माह में दिन 30 मगर 4 दिन नापाकी के हटाये तो दिन 26।

एक साल में 26×12 = 312 (यानी एक साल में 312 नमाज़ क़ज़ा हुईं, वो भी एक वक़्त की), 8 साल में दिन 312×8 = 2496 वो भी एक वक़्त की।

यानी 2496 फ़ज्र क़ज़ा, 2496 ज़ुहर क़ज़ा, 2496 ही अ़स्र और 2496 इशा और वित्र क़ज़ा। (और ये 4 दिन मिसाल के तौर पर कम किये गये, हर लड़की या औरत अपनी नापाकी के दिन कम से कम वाले खुद अन्दाज़े से घटाये हो सकता हो किसी के दिन 6 हों तो वो 6 हर माह कम करे।

अब इसे पढ़ने का आसान तरीक़ा

सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा है कि पहले एक ही वक़्त की नमाज़ अदा करे यानी पहले सभी फ़ज्र पढ़ ले फिर इस तरह पूरी होने पर अगली पढ़े। जब कि क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो पहले फ़ज्र ही पढ़े जब तक पूरी ना हो जाये।

निय्यत : इसके दो तरीक़े है। (जिस तरह चाहे पढ़े)

(1) निय्यत की मैने 2 रकअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझसे सबसे पहले क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के.....अल्लाहु अकबर।

(2) निय्यत की मैने 2 रकअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझसे सबसे आखिरी क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के.....अल्लाहु अकबर। (जिस वक़्त की पढ़े वही नाम ले, ज़ुहर, अ़स्र वग़ैरह)

निय्यत बांधते ही पहले सूरह फ़ातिहा शुरू कर दे फिर सूरत मिलाये (यानी सना वग़ैरह ना पढ़े)

फिर रुकूअ़ में जा कर 1 बार तस्बीह पढ़े और सजदे में जाकर भी एक बार ही तस्बीह पढ़े इसी तरह 2 रकअ़त पढ़े और जब सलाम फेरने बैठे तो अत्तहिय्यात पूरी पढ़ कर اللهم صلى على محمد واله और सलाम फेर दे यानी बाद वाली दुआ भी ना पढ़े। इसी तरह फ़र्ज अदा करता जाये। (4 रकअ़त वाली में आखिरी की दो रकअ़त में सूरह फ़ातिहा ना पढ़े बल्कि 2 बार سبحان الله कहे और वित्र में तीसरी में फ़ातिहा और सूरत ज़रूर पढ़े और तकबीर कह कर क़ुनूत ना पढ़े बल्कि 1 या 3 बार رب اغفر لى कह ले।

3 वक़्तों में नमाज़े क़ज़ा अदा नहीं कर सकते।

(1) ज़वाल के वक़्त

(2) तुलू -ए- आफताब के वक़्त
(3) मगरिब से 20 मिनिट पहले तक। असर बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं और जब मगरिब में 20-25 मिनिट रह जाये तो ना पढ़े।

क़ज़ा नमाज़ चुपचाप अदा करनी चाहिये। ना किसी को बताये ना किसी के सामने अदा करे ना इसका ज़िक्र करे, और नमाज़ पढ़ता रहे। कॉपी में नोट रखे कि कितने दिन की फ़ज्र पढ़ ली, उम्मीद है नफ़ा बख्श कलाम साबित हुआ होगा।

والله تعالیٰ اعلم وعلمه جل مجده اتم واحکم

सवाल : 343
बैंक में रखे हुये पैसों पर या शेय बाज़ार के इनवेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा हलाल है या नहीं?

जवाब : 343

بسم الله الرحمٰن الرحیم
हिन्दुस्तान के बैंक में रक़म रखने पर बैंक से उस रक़म पर जो ज़ाइद रक़म मिलती है सूद नहीं होती, उसका लेना जाइज़ और उस पैसे को जाइज़ काम में भी लगा सकते हैं मस्लन मस्जिद, मदरसा, हज वग़ैरह।

फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 03, सफ़हा 45 पर है :
हिन्दुस्तान के गैर मुस्लिम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई रक़म मुसलमानों को दें और इस के लिये में कोई उज़्र इज़्ज़त को खतरा वग़ैरह ना हो तो इस का लेना जाइज़ है। इसको जिस मसरफ में खर्च करेगा, जाइज़ होगा। (मस्लन दीनी काम में भी)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 344
हज़रत क्या किसी बच्चे का नाम मुहम्मद रज़ा रख सकते हैं? और हज़रत इस नाम का मतलब भी बता दें।

जवाब : 344

بسم الله الرحمٰن الرحیم
रख सकते हैं ,जाइज़ है।
मुहम्मद = बहुत तारीफ़ किया गया, सराहा हुआ।

रज़ा = खुश होना, राज़ी होना।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 345
या हुसैन कहना सही है या गलत? प्लीज़ हदीस के हवाले से बतायें।

जवाब : 345

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
लफ्ज़ "या" के साथ किसी नबी वली को बाद उनके विसाल के भी या फिर दूर से भी पुकारना जाइज़ है, "या" हुसैन (रदिअल्लाहु अ़न्हु) कहना भी दुरुस्त है।
हदीसे बुखारी में है :
हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रदिअल्लाहु अ़न्हु का पाऊँ सो गया, किसी ने कहा उन्हें याद कीजिये जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है।
हज़रत ने बुलंद आवाज़ से कहा : "या मुहम्मद' फौरन पाऊँ खुल गया।

इस हदीस से पता चला कि दूर से भी अपने महबूब शख्स को "या" के साथ पुकार सकते हैं।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 29, सफ़हा 554 पर है :
आम लोग जो सख्तियों के वक़्त नबियों वलियों नेक बन्दों से दरयाफ्त करते हैं, या शैख! फुलाँ (या रसूल अल्लाह, या अ़ली, या शैख अ़ब्दुल क़ादिर, या हुसैन) और इनकी मिस्ल कहते हैं, जाइज़ है या नहीं और वली बादे इन्तिक़ाल के भी मदद करते हैं या नहीं?
जवाब दिया : बेशक अम्बिया, मुर्सलीन, औलिया उलमा से मदद माँगना जाइज़ है और वो बादे इन्तिक़ाल भी मदद फ़रमाते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 346
वसीला माँगना कैसा है?

जवाब : 346

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

शायद ये सवाल था कि वसीले से माँगना कैसा है, तो मुहतरम किसी नबी वली वग़ैरह को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाना जाइज़ और क़ुरआन हदीस से साबित है। ज़्यादा तफ़सील के लिये जा-अल हक़ का मुताला मुफ़ीद है।

क़ुरआन में तुम्हारा रब फ़रमाता है, सूरह माइदा, आयत 35 में:
"ए ईमान वालों! अल्लाह से डरोऔर उसकी तरफ वसीला ढूंढो।"

और फ़रमाता है अल्लाह सूरह बक़रा, आयत 89 में :
"और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब (क़ुरआन) आयी जो उनके साथ वाली किताब (तौरात) की तस्दीक फरमाती है और इस से पहले वो उसी नबी के वसीले के काफ़िरों पर फ़तह माँगते थे तो जब तशरीफ़ लाये पास वो जाना पहचाना उस से मुन्किर हो बैठे, तो अल्लाह की लानत मुन्किरों पर।"

"हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ को हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने ये दुआ माँगने का हुक्म दिया :
"ए अल्लाह मै तेरे नबी के वसीला जलीला से तेरी तरफ़ तवज्जो करता हूँ। या रसूलल्लाह मै आपके वसीले से अपने रब की तरफ़ अपनी हाजत के बारे में मुवज्जा हूँ, ताकि वो पूरी हो जाये।"
(तिर्मज़ी शरीफ़)

हजरते अ़ली (रदिअल्लाहु अ़न्हु) फरमाते हैं :
"मैने नबी ﷺ से सुना : अब्दाल, शाम में होते हैं, ये 40 मर्द हैं, इनमें से जब कोई एक मरता है तो खुदा उसकी जगह दूसरा मुक़र्रर कर देता है, इनके वसीले से बारिश होती है, इनके वसीले से जंग में फतह मिलती है, और इनके वसीले से शाम वालों पर अज़ाब दफ़ा किया जाता है।
(मिश्कात, जिल्द 1, बाब यमनो शाम)

सय्यिदुना इब्ने उमर रदिअल्लाहू अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :
"जब मुअ़ज़्ज़िन अज़ान देता है तो अज़ान का जवाब दो फ़िर मुझ पर दुरूद पढ़ो और फिर मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ करो।"
(मुस्लिम, किताबुस सलात, बाबुल फ़ौल, पेज 738, हदीस 749)

इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अ़लैह फरमाते हैं : "मुझे जब कोई हाजत पेश आती है, मै 2 रकअ़त नमाज़ अदा करके इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ारे पुर अनवार पर जाकर उनके वसीले से दुआ माँगता हूँ, अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर देता है।
(खैरतुल हिस्सान)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 347
मोबाइल में नात या क़ुरआनी आयत वग़ैरह की रिंग टोन लगाना कैसा है?

जवाब : 347

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हर तरीक़े की म्यूज़िकल ट्यून को रिंगटोन के तौर पर लगाना हराम है फिर चाहे वो गाना हो या म्यूज़िक के सामान के साथ क़व्वाली हो। जब ये टोन बजेगी और घर या बाहर जितने लोग उस गाने को सुनेंगे और लुफ्त हासिल करेंगे तो उसका गुनाह भी इस मोबाइल वाले पर और खुदा ना करे कि घर में खवातीन नमाज़ पढ़ रहीं हों और ये फोन चार्जिंग में बजने लगे और घर में कोई ना हो तो अल्लाह की क़सम नमाज़ में कैसा फ़साद होगा? इस का गुनाह भी रिंगटोन लगाने वाले के सर और अगर ये जमाअ़त में शामिल हुआ और इस हाल में रिंगटोन बजे तो कैसा अज़ाबे इलाहिया और लानते मलाइका इस शख्स पर होगी कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया उसे अल्लाह के पाक घर में बजाता है और अगर रिंगटोन से इमाम की नमाज़ पे फ़साद हुआ या किसी नमाज़ी की नमाज़ खराब हुई तो ये गुनाह का बोझ इसी रिंगटोने वाले के सर।

बेहतर यही है कि फोन को अक्सर वाइब्रेट मोड पर रखा जाये और जहाँ सख्त ज़रूरत हो तो फोन ही की कोई सिम्पल या सादी टोन वॉल्यूम कम करके लगाई जाये। नात की ट्यून लगाना भी खिलाफ़े अदब है इस से भी बचना चाहिये। इसी तरह क़ुरआनी आयत की ट्यून लगाना भी अदब के खिलाफ़ है, इसे भी फोन में नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि क़ुरआन इसलिये नहीं आया कि तुम्हारे फोन आने पर तुम्हें खबर करे और अपने फोन आने की खबर के लिये नबी की नात या ज़िक्र लगाना किसी सूरत को रवा नहीं होना चाहिये। ये पाक ज़िक्र सुनने के लिये है ना कि आपको फोन आने की खबर देने के लिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 348

फ़र्ज़ नमाज़ में जमाअ़त से 1 रक़अत अपनी छूट गयी हो और आखिर में खड़े होने की बजाये गलती से एक सलाम फेर लिया इमाम साहब के साथ फिर खड़े हुये तो सजदा -ए- सहव करना होगा?

जवाब : 348

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर धोके से सलाम फेर दिया तो फौरन खड़ा हो जाये नमाज़ पूरी करे, सजदा -ए- सहव नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 349

औरत की पेशानी पर कोई मर्द بسم اللہ लिख सकता है क्या? या कफ़न पर?

जवाब : 349

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ज़िन्दा या मुर्दा औरत की पेशानी पर महरम रिश्तेदार लिख सकते हैं जैसे भाई, बाप, बेटा वग़ैरह और ज़िन्दा औरत की पेशानी पर शौहर भी और बाद वफ़ात शौहर नहीं और मगर कफ़न पहनाने से पहले कोई भी कफ़न पर लिख दे वरना पहनाने के बाद कोई औरत ही लिखे कि कफ़न का कपड़ा मोटा नहीं होता, तो कोई औरत पेशानी या सीने पर लिख सकती है। जो किसी ने कहा कि कफ़न के ऊपर पेशानी पर लिख सकते हैं, तो मै कहता हूँ (अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से) कि क्या अजब वो औरत अपनी ज़िंदगी में पर्दानशीन हो तो मर्द के लिखने से वो सख्त हया और तक्लीफ़ महसूस करे तो बेहतर है कि पर्दे में रहकर औरत ही लिखे चाहे कफ़न के ऊपर हो या पेशानी पर या सीने पर वरना कफ़न पहनाने से पहले कोई मर्द उस कफ़न पर लिख दे। पहनाने के बाद इजाज़त नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 350

किसी को यह कहना कि मै अहले सुन्नत वल जमअ़त से हूँ, सुन्नी हूँ, मेरा कोई फिरक़ा नहीं है। यह कहना कैसा है?

जवाब : 350

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फिरक़ा परस्ती हक़ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकताऔर हर कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता, इस का सबूत क़ुरआन में मौजूद है।

तुम्हारा रब फ़रमाता है, सूरह बक़रा आयत 8 और 9 में :
"और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दीनों पर ईमान लाये और वो ईमान वाले नहीं, फरेब देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को।"

इस से मालूम चला कि हर ये कहने वाला कि मै ईमान वाला हूँ से ईमान वाला ना होगा जब तक अक़ीदे वो ना होंगे जो अहले सुन्नत के हैं।

जिसने ये कहा कि मै अहले सुन्नत व जमाअ़त से हूँ, मेरा कोई फिरक़ा नहीं है तो वो बेवकूफ़ है कि खुद क़ुबूल रहा है कि अहले सुन्नत के फिरक़े से है और खुद ही मना कर रहा है। अहले सुन्नत व जमाअ़त भी एक फिरक़ा ही है मगर ये हक़ पर है, 72 से जुदा है और एक बात "अहले सुन्नत वल जमाअ़त" नहीं होता बल्कि अहले सुन्नत व जमाअ़त होता है। (वल की जगह व)

والله سبحانه وتعالى اعلم

सवाल 351
क्या क़दम बोसी जाइज़ है और ये कहाँ से साबित है?

जवाब : 351

بسم الله الرحمٰن الرحيم
गैर महरम और पर्दे का लिहाज़ रख कर क़दम बोसी जाइज़ है। और ये हमारे जवाब से साबित है, ये जवाब इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 745 से साबित है। फरमाते हैं :
क़दम बोसी पीर व आलिमे दीन, सादात व सुल्ताने आदिल और वालिदैन की जाइज़ है।

और इमाम का ये जवाब, इमाम मुस्लिम से साबित है कि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से फ़रमाते हैं (ए उस्तादों के उस्ताद) मैं आप के क़दम चूमना चाहता हूँ, इमाम मुस्लिम का ये अ़मल सहाबा का हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के क़दम चूमने वाली हदीस से साबित है और वो हदीस बुखारी बाबुल अदब अल मुफरद और बैहकी से साबित है। हदीस शरीअ़त से साबित है, शरीअ़त रसूल से साबित है, सहाबा और रसूल का हर फ़ेल क़ुरआन से साबित है।

तुम्हें पैदा करने वाला और रिज़्क़ देने वाला अल्लाह फ़रमाता है, क़ुरआन : 53/3-4 में :
"ये नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, मगर वही जो उन्हें की जाती है।"

और फ़रमाता है क़ुरआन 59/7 में :
"जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो लो, जिस से रोकें उस से बचो।"

और फरमाता है क़ुरआन 4/80 में :
"जिस ने रसूल की इताअ़त की उस ने अल्लाह की इताअ़त की।

क़दमे दरवैस, रद्दे बला।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 352
गैस स्टोव/इंडक्शन हीटर पर कुछ रखा है और जलने की बू आ रही है। ज़ैद हालते नमाज़ में है। ज़ैद को शरई तौर पर क्या करना चाहिये?

जवाब : 352

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इसका जवाब देते हुये सदरुश्शरिया, हज़रत अ़ल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी,
बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 637 पर लिखते हैं :
"अपने या पराये एक दिरहम के नुक़्सान का खौफ़ हो, मस्लन दूध उबल जायेगा या गोश्त या तरकारी रोटी वग़ैरह जल जाने का खौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर ले भागा, इन सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 353
मुहर्रमुल हराम किस को कहते हैं?

जवाब : 353

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मुहर्रम नाम है इस्लामिक महीने का और लफ्ज़ हराम के दो माइने हैं, एक जिसे शरीअ़त में नाजाइज़ के लिये इस्तिमाल करते हैं और इसका एक माइना होता है "इज़्ज़त वाला अज़मत वाला" इसीलिये मुहर्रमुल हराम कहते हैं। यहाँ दूसरा माइना मुराद है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 354

आर्यन नाम रखना कैसा? इस्लामिक नाम है या नहीं और अगर नहीं है तो गैर इस्लामिक नाम रखना कैसा?

जवाब : 354

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आर्यन का कोई माइना मुझे किताब में नहीं मिला, बस इतना मिल सकता कि एक क़ौम जो हिन्द, पाक और तुर्क में आबाद है वो "आर्य" कहलायी जाती थी और "आर्य" क़ौम की बोलने वाली ज़ुबान को "आर्यन" कहा जाता है। मैने भी कभी किसी मुसलमान का नाम ये नहीं सुना, ना अपने बुज़ुर्गों में, ना किताबों में।

गैर इस्लामिक नाम बाज़ जाइज़ होते हैं, बाज़ नाजाइज़ और बाज़ हराम। मगर नाम का असर बच्चे की ज़िंदगी में पड़ता है, तो ज़रूर अच्छों के नाम पर रखना चाहिये, अहादीस में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 355

"फ़ी-सबीलिल्लाह" का क्या मतलब होता है?

जवाब : 355

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

लफ्ज़ "فی سبیل اللہ" का तर्जुमा आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत ने कन्ज़ुल ईमान शरीफ़ सूरह तौबा, आयत 60 में इस तरह फ़रमाया : "अल्लाह की राह में।"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 356

ताज़िये का चन्दा देना कैसा है?

जवाब : 356

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मुहर्रम में होने वाले नाजाइज़ और हराम काम जैसे :

(1) शरीअ़त में ताज़िये की कुछ अस्ल नहीं और जो कुछ बिदअ़त इसके साथ किये जाते हैं, सब नाजाइज़ हैं।

(2) हिन्दुस्तान में जिस तरह ताज़ियादारी राइज है, नाजाइज़, हराम व बिदअ़त है।

(3) ताज़िया बनाना, देखने के लिये घर से निकलना, ताज़िया की ताज़ीम वग़ैरह।

(4) ताज़ियादारी करने वाला फ़ासिक़ है, जो इसे ज़रूरी क़रार दे, गुमराह भी है।

(5) ताज़िये पर मन्नत माँगना, मेहंदी चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना वग़ैरह।

(6) सरकार इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल, ताशे, खुराफात यज़ीदियों ही की यादगार है।

(7) ताज़िये पर ढोल, ताशे, मातम, खैल कूद वग़ैरह।

(8) ताज़िये में चन्दा देना या किसी भी तरीक़े से उनकी मदद करना।

(9) बच्चों को फ़क़ीर बनाना और घर-घर भीक मँगवाना।

(ये सब नाजाइज़ काम हैं।)

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21 और 24, सफ़हा 246 और 488-510)

(फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 5, सफ़हा 238)

(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 508)

(अल-मलफूज़, सफ़हा 93)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 357

जुम्आ की नमाज़ वाजिब है या फर्ज़?

जवाब : 357

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जुम्आ फर्ज़ है जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 762 पर है :

"जुम्आ फर्ज़े ऐन है इसकी फर्ज़िय्यत ज़ुहर से ज़्यादा है, इसका मुन्किर काफ़िर है।"

फर्ज़े ऐन मतलब जिस फ़र्दन-फ़र्दन पर फर्ज़ होगा सबको अलाहिदा-अलाहिदा अदा करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि चंद अफ़राद ने अदा कर लिया तो सब परसे अदा हो जायेगा। जिस तरह नमाज़े जनाज़ा है कि अगर कुछ ने पढ़ ली तो सब से गुनाह खत्म हो जाता है। नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है यानी चंद अफ़राद ने पढ़ी तो सब बरीउज़्ज़िम्मा

हो गये। मगर जुम्आ में ऐसा नहीं है जिस पर जुम्आ फ़र्ज़ होने की शर्त पाई जाये तो उन्हें जुम्आ अदा करना फ़र्ज़ है, बिला वजह तर्क करना गुनाहे कबीरा है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 358

मुहर्रम के रोज़े की सहरी और इफ्तारी की निय्यत कैसे करें?

जवाब : 358

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सहरी और इफ्तार की वही दुआ है जो रमज़ान में पढ़ी जाती है और निय्यत दिल के इरादे का नाम है। दिल में ये इरादा हो कि आप मुहर्रम का नफ्ली रोज़ा रख रहे हैं और इफ्तार की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ें यानी खाने के बाद और खाना तस्मिया से शुरू करें।

मदनी मशवरा :

याद रखना चाहिये कि जिसके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ इबादत बाक़ी होती है उसके नाम -ए- आमाल में नफ्ल, मुस्तहब का सवाब नहीं लिखा जाता तो जिसके ज़िम्मे किसी रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा बाक़ी हो तो बेहतर है कि वो पहले फ़र्ज़ की क़ज़ा करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 359

बच्चा होने के बाद जपा करते हैं उसमें औरत कितने दिन तक नमाज़ नहीं पढ़ सकती?

जवाब : 359

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सवाल में "जपा करते हैं" का क्या मतलब है समझ नहीं आया मगर सवाल के मफ़हूम से ये महसूस किया कि साइल निफ़ास से मुतल्लिक़ पूछना चाहता है। बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को खून जारी रहता है उसे निफ़ास कहते हैं। कम से कम इसकी की मुद्दत नहीं, एक दिन में भी बन्द हो सकता है और एक घंटे में भी और जब बन्द होगा तो नमाज़ फ़र्ज़ हो जायेगी और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है और जो लोगों में मशहूर है कि हर औरत को 40 दिन नापाक समझा जाता है और वो नमाज़ नहीं पढ़ती, सख्त गुनाहगार है। 40 दिन मेक्सिमम टाईम पीरियड है मगर पाकी 10-15 दिन में भी हो सकती है इसीलिये हदीसे पाक में फरमाया इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान (मर्द/औरत) पर फ़र्ज़ है।"

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 360
गुस्ल देते वक़्त गुस्ल का एक फ़र्ज़ छूट गया और याद भी ना हो तो मिट्टी देने के बाद याद आया तो अब क्या करना है? और वो फ़र्ज़ कौन सा था ये पता चल गया।

जवाब : 360

بسم الله الرحمٰن الرحيم
अगर मैय्यत के सारे जिस्म पर पानी बहा था तो काफ़ी है, गुस्ल हो गया।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 361
क्या हम हमारे प्यारे नबी -ए- करीम ﷺ को आक़ा कह सकते हैं?

जवाब : 361

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जी, हाँ! कह सकते हैं, कहना भी चाहिये और यही हक़ भी है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 362
शिया कौन होते हैं, ये कैसे वजूद में आये, इनका अ़क़ीदा क्या है?

जवाब : 362

بسم الله الرحمٰن الرحيم
इस मज़हब की हक़ीक़त देखने के लिये किताब "तोहफ़ा -ए- इस्ना अशरिया" शाह अब्दुल अ़ज़ीज़ मुहद्दिस द्हेलवी की मुताला करें। और इन में भी बाज़ फिरक़े अलग-अलग हैं जिसके अ़क़ीदे एक दूसरे से जुदा हैं। इनके चंद अ़क़ीदे ये हैं :

बाज़ हज़रत अ़ली को खुदा मानते हैं तो बाज़ हज़रत अ़ली को अबू बक़र से अफज़ल मानते हैं तो बाज़ कहते हैं जिब्रईल से वही लाने में भूल हुई वही हज़रते अ़ली पर आनी थी वग़ैरह वग़ैरह।

इनमें बाज़ सहाबा को काफ़िर और गुमराह कहते हैं और खुलफ़ा -ए- सलासा की खिलाफ़त -ए- राशिदा को खिलाफ़ते गसीबा कहते हैं और हज़रत अ़ली ने उनकी खिलाफ़त तस्लीम की ये फज़ाइल बयान किये तो ये हज़रत अ़ली की बुज़दिली बताते हैं। इनका अ़क़ीदा है कि जो काम बन्दे के हक़ में नाफ़ेअ़ हो तो अल्लाह पर वाजिब है कि वही करे। ये भी अ़क़ीदा है कि क़ुरआन मजीद महफ़ूज नहीं (यानी मुक़म्मल नहीं) बल्कि उस में से कुछ पारे, सूरत, आयात वग़ैरह हज़रते उस्माने गनी या दीगर सहाबा ने निकाल दिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 363

क्या औरतें पराये मर्द को सलाम कर सकती हैं?

जवाब : 363

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जब (गैर महरम) मर्द औरत मिले तो बेहतर ये है कि पहले मर्द सलाम करे और अगर औरत सलाम कर भी दे तो मर्द को उसका जवाब ज़ोर से देना वाजिब नहीं बल्कि दिल में दे सकता है। औरत की आवाज़ भी औरत है चाहिये कि गैर मर्द को बिला वजह अपनी आवाज़ ना सुनाये और वजह ये हो सकती है कि खास क़रीब गैर महरम रिश्तेदार हो और मेहमान बन कर घर आये और सलाम ना करने से औरत को भला या घमंडी क़रार दे तो या दूसरे रिश्तेदारों में गीबत करे कि फुलाँ की बीवी या बहू सलाम नहीं करती तो इस फितने को दफ़ा करने के लिये पर्दे में रह कर सलाम किया जा सकता है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 461 पर है :

मर्द औरत की मुलाक़ात हो तो मर्द, औरत को सलाम करे और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम कर दिया और बूढ़ी (aged) हो तो इस तरह जवाब दे कि वो भी सुन ले और जवान हो तो इस तरह जवाब दे कि वो ना सुन सके।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 364

मुहर्रम में क्या काम जाइज़ हैं क्या नाजाइज़

जवाब : 364

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पॉइंट नम्बर **1 :**मुहर्रम में होने वाले नाजाइज़ और हराम काम जैसे :

(1) शरीअ़त में ताज़िये की कुछ अस्ल नहीं और जो कुछ बिदअ़त इसके साथ किये जाते हैं, सब नाजाइज़ हैं।

(2) हिन्दुस्तान में जिस तरह ताज़ियादारी राइज है, नाजाइज़, हराम व बिदअ़त है।

(3) ताज़िया बनाना, देखने के लिये घर से निकलना, ताज़िया की ताज़ीम वग़ैरह।

(4) ताज़ियादारी करने वाला फासिक़ है, जो इसे ज़रूरी क़रार दे, गुमराह भी है।

(5) ताज़िये पर मन्नत माँगना, मेहंदी चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना वग़ैरह।

(6) सरकार इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल, ताशे, खुराफात यज़ीदियों ही की यादगार है।

(7) ताज़िये पर ढोल, ताशे, मातम, खैल कूद वग़ैरह।

(8) ताज़िये में चन्दा देना या किसी भी तरीक़े से उनकी मदद करना।

(9) बच्चों को फक़ीर बनाना और घर घर भीक मँगवाना।

(ये सब नाजाइज़ काम हैं।)

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21 और 24, सफ़हा 246 और 488-510)

(फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 5, सफ़हा 238)

(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 508)

(अल-मलफूज़, सफ़हा 93)

मुहर्रम में होने वाले जाइज़ काम :

(1) इमाम हुसैन और दीगर बुज़ुर्गों की फातिहा करना।

(2) लोगों को शर्बत, पानी, खाना वग़ैरह तक़सीम करना।

(3) इस माह में रोज़े रखना और यतीमों के साथ शफक़त करना।

(4) मुहर्रम की 10 तारीख को अच्छे से अच्छे खाना बनाना और गुस्ल करना।

(5) मुहर्रम की 10 तारीख को तवा चढ़ाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना वग़ैरह।

(इस माह में ये सब काम जाइज़ हैं।)

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 488)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 365

क्या ताज़िये या ढोल तमाशा देखने से हम नाजाइज़ काम में बराबर के हक़दार होंगे? हज़रत!

जवाब : 365

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! ताज़िये या ढोल ताशे में शामिल होने वाला भी गुनाहगार होगा।
हदीसे पाक में फ़रमाया गया : जो जिस क़ौम की तादाद बढ़ाये वो उन्हीं में से है। चाहिये कि इन खुराफातों से दूर रहा जाये और घर वालों को भी मना किया जाये ना विंडो से देखा जाये, ना छत वग़ैरह पर खवातीन को चढ़ने दिया जाये और बच्चों पर सख्ती से रोक लगाई जाये और ना इस काम में चन्दा देकर मदद की जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 366
हज़रत फ़ासिक़ किसे कहते हैं? हमारे समझ नहीं आया।

जवाब : 366

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
फ़ी-रोज़ुल लुगत सफ़हा, 922 पर है:
फासिक़ (فاسق) - गुनाहगार, बदकार, जहन्नमी, झूटा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 367
शिया मातम क्यों करते हैं और गम क्यों मनाते हैं, इनका क्या रोल है कूफा या दूसरी जगह?

जवाब : 367

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुझे इनकी इतनी तहक़ीक़ नहीं और मै ज़्यादा वक़्त को अपनी क़ौम सुन्नियत की इस्लाह में सर्फ़ करता हूँ। गैर लोग क्या करते हैं और क्यों, इसकी तहक़ीक़ का वक़्त नहीं मिलता। आज सुन्नियत की हालत बहुत नाज़ुक़ है और शायद इसकी वजह भी यही है कि हमने अपने आमाल और अ़क़ीदे की इस्लाह पर तवज्जोह नहीं दी। इतना ज़रूर है कि सिवाये मस्लके आला हज़रत के कोई फिरक़ा हक़ पर नहीं अब जो कुछ भी करे, रहेगा जहन्नमी और गुमराह, चाहे शिया हो या वहाबी या देवबंदी।
रही इल्म में इज़ाफा की बात तो पहले फ़र्ज़ उलूम सीखने चाहिये ताकि कल क़ियामत में अज़ाब से बचे, जब वो पूरी तरह सीख जाये तो नफ्ल और मुस्तहब इल्म की जानिब आना चाहिये।

शिया मातम इमाम हुसैन की शहादत पर करते हैं और अफ़सोस करते हैं कि शायद हम होते तो हम भी जंग में हिस्सा लेते और हमारे मज़हब व मस्लक में 3 दिन से ज़्यादा मातम और गम जाइज़ नहीं, सिवाये औरत को (सिवाये इद्दत के वक़्त)।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 368
जनाब बिल्ली पालना कैसा है? इसके बारे में बतायें।

जवाब : 368

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बिल्ली पालना शरअ़न जाइज़ है बल्कि हदीस में इसका सबूत है और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के हुजरा -ए- मुबारक में भी बिल्ली आ जाया करती थी। एक मर्तबा हुज़ूर वुज़ू फ़रमा रहे थे कि एक बिल्ली आई आपने वुज़ू का पानी उसके सामने कर दिया और बिल्ली ने पिया फिर आपने उसी पानी से वुज़ू किया और सहाबी जिन्हें बिल्ली पालने की वजह से अबू हुरैरा कहा जाता है।
जो जानवर इंसानों से मानूस हो उन्हें पाला जा सकता है हर्ज नहीं, वो ऐसे ना हो जो नापाकी और गन्दगी का लिहाज़ ना करे और शरीअ़त ने उन्हें पालने से मना ना किया हो और जानवर के खाने का लिहाज़ रखा जाये कि वक़्त वक़्त पर उन्हें खाना पानी खिलाया जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 369
क्या मुरवाज्जा ताज़िआदारी जाइज़ है

जवाब : 369

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरीअ़त में ताज़िया की कुछ अस्ल नहीं है और जो कुछ इसके साथ किया जाता है सब नाजाइज़ है और किसी मज़ार शरीफ़ की नक़्ल बना कर घर में रखना जाइज़ है जैसे कि मदीना या काबा की। मगर वो देखने नें अस्ल ही लगे यानी अगर कोई काबा गोल बनायेगा तो सही नहीं कि अस्ल काबा गोल नहीं, ठीक इसी तरह इमाम की मज़ार बना कर रखना जाइज़ मगर मज़ार वैसे ही हो जैसे हक़ीक़त में है। मगर जो लोगों ने ये ताज़िया की शक्ल दी बिल्कुल जाइज़ नहीं। अव्वल तो ये कि मज़ार या रोज़े इस तरह बिल्डिंग नुमा है भीनहीं तो ये फर्ज़ी मज़ार हुई जिसकी शरीअ़त में इजाज़त नहीं। अब रहा ढोल

बजाना तो ये काम यज़ीदियों ने किया था कि वो इमाम को क़त्ल करके ढोल ताशे लेकर गलियों में घूमते थे, ये उसकी अस्ल है। इन ढोल बजाने वालों से अगर पूछा जाये कि अपने बुज़ुर्गों की बर्सी पर ढोल क्यों नहीं बजाते, सिर्फ़ नियाज़ क्यों करते हो तो शायद आवाम ना आये। मगर इमाम के उर्स पर ढोल अपने बुज़ुर्गों के उर्स या बरसी पर भी बजाये तो क्या ये ज़ेब देगा।

मुहर्रम में होने वाले नाजाइज़ और हराम काम जैसे :
(1) शरीअ़त में ताज़िये की कुछ अस्ल नहीं और जो कुछ बिदअ़त इसके साथ किये जाते हैं, सब नाजाइज़ हैं।
(2) हिन्दुस्तान में जिस तरह ताज़ियादारी राइज है, नाजाइज़, हराम व बिदअ़त है।
(3) ताज़िया बनाना, देखने के लिये घर से निकलना, ताज़िया की ताज़ीम वग़ैरह।
(4) ताज़ियादारी करने वाला फ़ासिक़ है जो इसे ज़रूरी क़रार दे, गुमराह भी है।
(5) ताज़िये पर मन्नत माँगना, मेहंदी चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना वग़ैरह।
(6) सरकार इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल, ताशे, खुराफात यज़ीदियों ही की यादगार है।
(7) ताज़िये पर ढोल, ताशे, मातम, खैल कूद वग़ैरह।
(8) ताज़िये में चन्दा देना या किसी भी तरीक़े से उनकी मदद करना।
(9) बच्चों को फक़ीर बनाना और घर-घर भीक मँगवाना।
(ये सब नाजाइज़ काम हैं।)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21 और 24, सफ़हा 246 और 488-510)
(फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 5, सफ़हा 238)
(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 508)
(अल-मलफूज़, सफ़हा 93)

मुहर्रम में होने वाले जाइज़ काम :
(1) इमाम हुसैन और दीगर बुज़ुर्गों की फ़ातिहा करना।
(2) लोगों को शर्बत, पानी, खाना वग़ैरह तक़्सीम करना।
(3) इस माह में रोज़े रखना और यतीमों के साथ शफक़त करना।
(4) मुहर्रम की 10 तारीख को अच्छे से अच्छे खाना बनाना और गुस्ल करना।
(5) मुहर्रम की 10 तारीख को तवा चढ़ाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना वग़ैरह।
(इस माह में ये सब काम जाइज़ हैं।)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 488)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 370
हज़रत क्या औरतें मस्जिद जा सकती हैं या नहीं, अगर नहीं जा सकती तो वजह क्या है?

जवाब : 370

بسم الله الرحمٰن الرحيم
औरत मस्जिद इबादत के लिये नहीं जा सकती, किसी ज़रूरी काम वग़ैरह से जा सकती है और नमाज़ के लिये इसीलिये नहीं जा सकती कि दौरे पुरफितन है उलमा ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर चाहे हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के वक़्त में जाती हों मगर अब नहीं कि वो वक़्त पाक था। अब दौर फ़ितना का है, फिक़्ह का क़ाइदा है कि "ज़माने की तब्दीली के सबब अहकाम की तब्दीली का इंकार नहीं किया जा सकता।"

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 371
क़ब्रिस्तान में जाकर दुआ माँगने का सही तरीक़ा क्या है और क्या पढ़ना है?

जवाब : 371

بسم الله الرحمٰن الرحيم
पहले क़ब्रिस्तान में जाते ही सलाम किया जाये "अस्सलामु अ़लैकुम या अहलल क़ुबूर" फिर क़ब्र से 4 हाथ की दूरी पर पाऊँ के पास खड़ा हो कर जो सूरतें याद हों पढ़ कर ईसाल कर सकता है वरना चारों क़ुल पढ़ कर भी वरना सूरह फ़ातिहा पढ़ कर भी और हो सके तो क़ब्र के पास बैठ कर यासीन या क़ुरआन की तिलावत कर सकता है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 372
ईद की नमाज़ पढ़ना औरतों के लिये कैसा? क्या पढ़ना फर्ज़ है या वाजिब है? ईदगाह में पढ़ना ज़रूरी है या घर पर? बा-जमाअ़त या अकेले? बराये मेहरबानी हवाले से बतायें अगर हदीस में आया है तो।

जवाब : 372

بسم الله الرحمٰن الرحيم
ईद की नमाज़ औरतों के लिये नहीं है जिस तरह जुम्आ नहीं, तो ना अकेले पढ़े, ना ईदगाह जाये, ना घर में, ना जमाअ़त से। इसके अलावा और नमाज़ों की भी जमाअ़त की

इजाज़त औरत के लिये नहीं है। औरतों को जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, इसी तरह औरत को इमाम बनाना भी मकरूह।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 425 पर है :
औरतों को ईदगाह की हाज़िरी जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 373
ज़ुहर/अ़स्र की नमाज़ में इमाम क़िरअत आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं और बाक़ी नमाज़ में बुलंद? प्लीज़ जवाब दो हज़रत।

जवाब : 373

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इन नमाज़ों में इमाम को क़िरअ़त आहिस्ता करना वाजिब है इसीलिये आहिस्ता की जाती है और बाक़ी नमाज़ में जब सूरज छिपा हुआ होता है (उन नमाज़ में) क़िरअ़त तेज़ करना कि पहली सफ़ सुन सके ये वाजिब है, अगर भूल के इसके खिलाफ़ किया तो सजदा सहव होगा, जान कर किया तो नमाज़ ना होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 374
हज़रत औरतें क्या सलाम पढ़ सकती हैं?

जवाब : 374

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
औरत की आवाज़ भी औरत है यानी गैर मर्द को बिला वजह सुना नहीं सकती। तो अगर औरतें एक घर में जमा हैं और इस तरह माइक पर सलाम पढ़े कि उनकी आवाज़ गैर मर्द सुने तो सलाम की इजाज़त नहीं और अगर इस तरह पढ़े कि आवाज़ किसी मर्द तक ना जाये तो जाइज़ है चाहे माइक से पढ़े या बिला माइक अस्ल मसअला वही है जो गुज़रा कि आवाज़ मर्द तक ना जाये और अगर माइक से आवाज़ बाहर जाये और बिना माइक ना जाये तो बिना माइक पढ़ सकती है, सलाम पढ़ना औरतों को भी जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 375
अगर जा-नमाज़ कम हैं और नमाज़ी ज़्यादा हैं उस वक़्त में क्या हम कोई सफ़ रुपट्टा या सिर्फ तखत या फर्श पर नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : 375

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! पाक साफ किसी भी कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है और अगर सजदा ज़मीन पर करे तो मुस्तहब है यानी इस फ़ेल का ज़्यादा सवाब पायेगा और कोशिश भी यही करनी चाहिये कि सजदा ज़मीन पर किया जाये इसमें सवाब ज़्यादा है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 376
हज़रत अगर 9 को रोज़ा कोई ना रखे तो क्या 10 रोज़ा नहीं रखा जा सकता है?

जवाब : 376

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर कोई 9 मुहर्रम का रोज़ा ना रख सके तो 10 और 11 का रख ले वरना 10 का भी काफ़ी है और बेहतर ये है कि 9 या 11 का भी कोई एक 10 के साथ मिला ले। हदीस में आया कि मुहर्रम की 10 का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाह को मिटाता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 377
चिश्ती का अस्ल माना क्या है?

जवाब : 377

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अफ़गान (चिश्त) के लोगों का एक नाम है, चिश्त के बादशाह को भी चिश्ती कहते हैं और सूफियों के एक सिलसिले का नाम जो ख्वाजा गरीब नवाज़ से चला।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 378
जनाब हदीस क्यों ज़रूरी है और किस को माने सही या ज़ईफ़?

जवाब : 378

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अल्लाह और रसूल के दीन यानी इस्लाम पर पूरी तरह क़ाइम रहने के लिये सही तरीक़े से मुसलमान बनने के लिये हदीस को मानना और उस पर अ़मल ज़रूरी है। हदीस की कई क़िस्में हैं और मुहद्दिसीन ने इसके कई दर्जे किये हैं और हर दर्जे से अलग-अलग अहकाम निकाले जाते हैं। ज़ईफ हदीस का मतलब झूटी हदीस नहीं होता ये भी हदीस ही है और हदीस नबी का फ़रमान होता है इसमें सही और ज़ईफ़ कुछ नहीं, ज़ईफ़ तो रावी होता है हदीस नहीं मगर उर्फ़ में ज़ईफ हदीस कह दिया जाता है।

ज़ईफ़ हदीस से हराम हलाल के मसअले नहीं निकाले जाते मगर फ़ज़ीलत के तौर पर ज़ईफ़ हदीस पर अ़मल करना मुस्तहब है और एक अहम बात ज़ईफ हदीस क़ौम के कसरत से अ़मल लाने के सबब हसन बन जाती है। जैसे अंगूठे चूमने वाली हदीस ज़ईफ़ है मगर ये हराम हलाल का मसअला नहीं तो इसी लिये फ़ज़ीलत के तौर पर अ़मल में लाई जा सकती है। जैसे बुध को नाखून ना काटना कि इस से सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, एक बुज़ुर्ग ने ये सोचा कि हदीस ज़ईफ़ है और बुध को नाखून काटे और उन्हें बर्स (सफ़ेद दाग) का मर्ज़ हो गया, रात को सोये तो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई।
फ़रमाया : मैने सोचा हदीस ज़ईफ़ है।
तो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने कुछ यूँ फ़रमाया : तुम्हारे लिये इतना काफ़ी था कि वो हमारा फ़रमान था। इसलिये हर हदीस पर अ़मल नबी से मुहब्बत की निशानी है सिवाये मौज़ू के क्योंकि मौज़ू हदीस नहीं होती बल्कि झूटी बात नबी की तरफ़ मन्सूब की गई होती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 379

हज़रत जनाज़ा की नमाज़ की निय्यत क्या है और तरीक़ा भी बता दें।

जवाब : 379

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

निय्यत इस तरह किया करें, नमाज़ अल्लाह के लिये और दुआ इस जनाज़े के लिये।
पहली तकबीर में सना पढ़ी जाती है
दूसरी तकबीर में दुरूदे पाक
तीसरी तकबीर में दुआ (अगर याद ना हो तो फ़ातिहा भी बतौर दुआ की निय्यत से पढ़ी जा सकती है।)

और चौथी तकबीर कहते ही दोनों हाथ खोल देने चाहिये और सलाम फेरना चाहिये। यही सही तरीक़ा है और जो कुछ लोग एक तरफ़ सलाम फेरकर एक हाथ खोलते हैं दूसरी तरफ़ फेर कर दूसरा हाथ, ये तरीक़ा कहीं लिखा नहीं है और कुछ लोग सलाम फेरने के बाद हाथ खोलते हैं ये भी दुरस्त नहीं। सही वही है जो ऊपर बयान हुआ कि चौथी तकबीर पर दोनों हाथ खोलने चाहिये और फिर सलाम।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 380
मानूस के क्या माइने हैं?

जवाब : 380

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वह जानवर जो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं उन का पालना जाइज़ है। जंगली जानवर पालना जाइज़ नहीं कि इनसे नुक़्सान का अंदेशा है। बस जिसे हदीस में मना ना किया गया हो, जैसे कुत्ता मानूस है मगर पालना जाइज़ नहीं और बिल्ली पाल सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 381
अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स हमें सलाम करता है तो क्या उसका सलाम लेना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : 381

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं :
काफिर को सलाम हराम है।
और आगे लिखते हैं काफ़िर या फ़ासिक़ को सलाम करने की सही ज़रूरत पेश आये तो लफ्ज़ सलाम ना कहें ना कोई ऐसा लफ्ज़ जो ताज़ीमी हो। मजबूर हो तो आदाब कहे (यानी आ मेरे पाऊँ दाब) और मजबूरी की हालत में आदाब कहते वक़्त भी दिल में उनकी ताज़ीम की निय्यत नहीं होनी चाहिये।
इसी तरह अगर काफ़िर सलाम करे तो बदले में सिर्फ़ "वअ़लैकुम" कहे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 382
हज़रत आसूरे की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है और इस में कौन सी बातें अहम हैं और कौन सा टाईम मुक़र्रर है?

जवाब : 382

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मकरूह वक़्त के सिवा हर वक़्त उस दिन में पढ़ सकते हैं। निय्यत नफ्ल नमाज़की होगी, चार रकअ़त इस तरह पढ़े कि हर रकअ़त में आयतल कुर्सी एक बार और सूरह इख्लास 3 बार, बाद नमाज़ 100 बार सूरह इख्लास, तो गुनाह से पाक होगा और जन्नत में बेइन्तिहा नैमतें मिलेंगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 383
मगरिब के वक़्त माँ का बच्चे को दूध पिलाना मना है क्या? दूध पिलाने से मुराद बाहर का दूध नहीं माँ का दूध है, कुछ लोग कहते हैं मगरिब के वक़्त दूध पिलाना अच्छा नहीं। हदीस में इसका कोई बयान है क्या? मेहरबानी कर के इस मसअले पर रौशनी डालें।

जवाब : 383

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मगरिब के वक़्त माँ का बच्चे को दूध पिलाना जाइज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं और ना मेरी नज़र से कोई ऐसी इबारत गुज़री जिस में मना किया गया हो बल्कि बच्चा अगर भूक से रो रहा है तो बेशक बेजुबान को तक्लीफ़ देना जाइज़ नहीं और रोमन इंग्लिश में हदीस इस तरह लिखते हैं "Hadees" ना कि "Hadith"।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 384
जितने भी काम हरामकारी में आते हैं, क्या उनकी कोई लिस्ट है?

जवाब : 384

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मेरे पास नहीं और उलमा की किताबों में हो सकती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 385
इस्लाम मज़हब में अ़क़ीदा क्या है, और अ़क़ाइद और फिरक़ा कब से शुरूआत हुई और क्यों हुई?

जवाब : 385

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अ़क़ीदा इस्लाम की वो बुनियाद है कि बाज़ अ़क़ीदों पर ईमान फ़र्ज़ है जैसे अल्लाह एक है, अगर कि ये अ़क़ीदा नहीं रखता तो मोमिन नहीं। ठीक इसी तरह हर नबी ज़िन्दा होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह।
अ़क़ीदों पर ईमान ला कर ही मुसलमान बना जाता है और ये हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम और उनसे पहले नबियों में भी राइज था। फिरक़ों की शुरूआत हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के वक़्त से थी मगर इस क़द्र खुल कर ज़ाहिर हो कर नहीं आये थे, उस वक़्त भी मुनाफिक़ मौजूद थे जो मुसलमानों की सफ़ में रहकर मौजूद थे, जो मुसलमानों की सफ़ में रहकर नमाज़ भी पढ़ते थे और दिखने में मुसलमान भी थे मगर दिल में अ़क़ीदा इस्लाम का नहीं था जिन्हें हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने जुम्आ के रोज़ मस्जिद से बाहर निकाला। फिरक़ों की खबर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाई है कि कुछ और भी लोग इस्लाम का चोला पहन कर आयेंगे उनसे बच के रहना और वो इसीलिये है ताकि मुसलमान उनके बहकावे में ना आयें और अपना ईमान ना खो दें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 386
फ़ासिक़ो फ़ाजिर से क्या मुराद है?

जवाब : 386

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
फ़ासिक़ (فاسق) - गुनाहगार, बदकार, जहन्नमी, झूटा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 387
किसी को देख कर फ़ासिक़ होने की खबर कैसे होगी? और क्या फ़ासिक़ को भी सलाम करना हराम है?

जवाब : 387

بسم الله الرحمٰن الرحيم

फ़तवा ज़ाहिर पर होता है बातिन पर नहीं जो खुल के ऐलानिया गुनाह करे उस फ़ासिक़ को फ़ासिक़े मुअ़ल्लिन कहते हैं और जो फ़ासिक़ के अहकाम हैं वो इस पर हैं मस्लन गाली देने वाला भी फ़ासिक़ है मगर वो घर में गाली देता है और बाहर नहीं तो हम उसकी निस्बत फ़ासिक़ का गुमान नहीं करेंगे, मगर जिसका फ़ासिक़ होना खुले तौर पर हो जैसे दाढ़ी ना रखना या 4 अंगुश्त से कम करने वाला फ़ासिक़ है और ये ऐलान के साथ गुनाह है या बाल काँधों से ज़्यादा बड़े रखना या गाने सुनना या नमाज़ ना पढ़ना ये सब फ़ासिक़ हैं और हदीस में फ़ासिक़ को सलाम की मुनानिअत आई है, फ़ासिक़ को सलाम करना मना है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 388

तक़लीद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है?

जवाब : 388

بسم الله الرحمٰن الرحيم

किसी के क़ौल को बेदलील मान लेने का नाम तक़लीद है। ये इसीलिये ज़रूरी है कि हर आम शख्स क़ुरआन हदीस का मतलब नहीं समझ पायेगा और होगा ये कि हर जाहिल अपनी अ़क़्ल से क़ुरआन और हदीस की शरह करेगा और इस तरह जहन्नम में जायेगा। लिहाज़ा किसी ऐसे की तक़लीद जिसका इल्म इज्तिहाद को पहुँचा हो और अल्लाह ने उसे अपने करम से मुज्तहिद बनाया हो तो उसकी तक़लीद की जाये और उलमा ने तक़लीद करने को वाजिब लिखा है और ना करने को हराम और जो तक़लीद नहीं करता शैतान के रास्ते पर है। और हर आदमी खुद क़ुरआन हदीस नहीं समझ सकता और सूरह फ़ातिहा में अल्लाह से हर मुसलमान ये दुआ करता है, हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने अहसान किया "ये आयत तक़लीद को काफ़ी है कि चारों इमाम पर अल्लाह ने अहसाने अ़ज़ीम किया तो हम इन्हीं के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 389

हज़रत हराम नाजाइज़ में फ़र्क़ क्या है?

जवाब : 389

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हराम की और भी क़िस्म हैं और जिसकी मुमानिअ़त दलीले क़तई से साबित हो या फ़र्ज़ के मुक़ाबिल होता है यानी जिस तरह फ़र्ज़ पर अ़मल ज़रूरी उसी तरह हराम से बचना ज़रूरी (यानी फ़र्ज़ का करना और हराम का ना करना)। लफ्ज़ नाजाइज़ एक आम लफ्ज़ है जो कभी हराम के लिये बोला जाता है कभी मकरूहे तहरीमी के लिये भी बोला जाता है। हर हराम नाजाइज़ है मगर हर नाजाइज़ हराम नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 390
क्या हमें क़ुरआन के सजदे तुरन्त करने चाहिये और इस की निय्यत कैसे मुकम्मल होगी?

जवाब : 390

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़ुरआनी आयात के सजदे (नमाज़ में) फौरन करना वाजिब है मगर नमाज़ के बाहर फौरन वाजिब नहीं और इसी तरह उस आयत को पढ़ने वाले के साथ-साथ सुनने वाले पर भी सजदा करना वाजिब होता है और ये भी देखा जाता है कि क़ुरआन कोई पढ़ता है और सजदे किसी और से करवाता है ये भी गलत है यानी क़ुरआन पूरा करके जिससे बख्शवाते हैं उसी से सजदे करवाते हैं, ये तरीक़ा सही नहीं है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 733 पर है :
आयते सजदा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं, हाँ बेहतर है।

और ये ज़रूरी नहीं कि आयत को अ़रबी में ही पढ़ा जाये बल्कि उसका तर्जुमा भी पढ़ा या सुना तो भी सजदा वाजिब होता है।

जैसा कि बहारे शरीअ़त जिल्द 1, सफ़हा 730 पर है :
फ़ारसी या किसी और ज़ुबान में आयत का तर्जुमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, चाहे सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा हो कि ये आयते सजदा का तर्जुमा है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि उसे ना मालूम हो और बता दिया गया हो कि ये आयते सजदा का तर्जुमा है।

सजदे की निय्यत ये करना ज़रूरी नहीं कि फुलाँ आयत का सजदा कर रहा हूँ, बस दिल में सजदे की निय्यत काफ़ी है।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, सफ़हा 499 पर है :
इसकी निय्यत में ये शर्त नहीं कि फुलाँ आयत का सजदा कर रहा हूँ बल्कि मुत्लक़न सजदा -ए- तिलावत की निय्यत काफ़ी है।

इसका तरीक़ा ये है कि जब सजदे की आयत पढ़े तो फौरन क़ुरआन साइड में रख कर सजदे कर ले यानी बैठे बैठे भी हो सकता है, सिर्फ़ सजदा करना काफ़ी है, सजदे की तस्बीह ना भी पढ़ी तो भी हर्ज नहीं। और बेहतर ये है कि खड़े हो कर अल्लाहु अकबर कहते हुये सजदे में जाये और 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़े, फिर खड़ा हो ये सुन्नत है।

जैसा कि, फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 130 पर है :
सजदे का सुन्नत तरीक़ा ये है कि खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुये सजदे में जाये और कम से कम 3 बार (सजदे की तस्बीह कहे) फिर अल्लाहु अकबर कहते हुये खड़े हो जाये। अव्वल आखिर अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सजदे में जाना और फिर खड़े होना मुस्तहब है।

तनवीरुल अबसार, जिल्द 2, सफ़हा 700 पर है :
सजदा -ए- तिलावत के लिये अल्लाहु अकबर कहते वक़्त ना हाथ उठाना है ना उसमें तशह्हुद है ना सलाम।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 391
क्या मारुफुल क़ुरआन (मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सफी) किताब हमारी है?

जवाब : 391

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मारिफ़ुल क़ुरआन कोई किताब नहीं बल्कि क़ुरआन की तफ़सीर है और ये तफ़सीर देवबंद के आलिम ने लिखी है जिसका नाम आपने सवाल में लिख दिया और इस तफ़सीर का पढ़ना जाइज़ नहीं और ना घर में रखना कि क्या अजब आपके बाद कोई पढ़े और अ़क़ीदे के खिलाफ़ बात पाये और अ़मल करे। अगर आपके पास हो तो उनकी मस्जिद में रखवा दिया जाये और बेहतर है कि सुन्नी तर्जुमा और तफ़सीर पढ़नी चाहिये, जैसे कन्ज़ुल ईमान मा खज़ाइनल इरफ़ान।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 392
क्या देवबन्दी वहाबी और बदअ़क़ीदों को काफ़िर कह सकते है अगर नहीं तो क्यों नहीं?

जवाब : 392

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वहाबियों के अ़क़ीदे कुफ्रिया होते हैं उनके कुफ्र में शक नहीं। इन्हें काफ़िर कह सकते हैं और देवबन्दियों में हर एक काफ़िर नहीं मगर वो ज़रूर काफ़िर है जो ये जानते हुये भी कि अशरफ़ अ़ली नबी की गुस्ताखी के सबब काफ़िर हुआ और ये उसे फिर भी मुसलमान बल्कि अपना इमाम जाने तो काफ़िर है। बाक़ी जो आवाम है तो उन्हें काफ़िर नहीं कहेंगे जब तक उनके अ़क़ीदे कुफ्रिया ना हों या ज़रूरिय्याते दीन से इन्कार ना करे मगर गुमराह ज़रूर है तो जो अशरफ़ अली वग़ैरह देवबन्द के आलिमों की खुली गुस्ताखी जान लेने के बाद भी इन्हें मुसलमान जाने खुद काफ़िर है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 393
हज़रत मुसन्निफ़ इब्ने शैबा क्या हमारी किताब है?

जवाब : 393

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हदीस की सारी किताबें हमारी ही किताब हैं उनका पढ़ना जाइज़ ही होगा मगर ये देखा जायेगा कि तर्जुमा किसने किया, जिस तरह क़ुरआन भी मुसलमान के लिये ही है मगर कुछ जाहिलों ने उसकी कुछ आयात का तर्जुमा बिर-राय कर दिया उस तर्जुमे का पढ़ना ठीक नहीं मगर क़ुरआन पढ़ा जायेगा। इसी तरह बुखारी का भी तर्जुमा अहले खबीस और दीगर बद मज़हब ने किया तो उनके तर्जुमे वाली बुखारी ना पढ़ी जाये सुन्नी मुस्तनद आलिमे दीन के तर्जुमे वाली कोई भी हदीस और शरह पढ़ी जा सकती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 394
एक बुज़ुर्ग है जिनकी बारगाह में उनके मुरीद एक ईसाई को लाये जो तिलावते क़ुरआन करता था लेकिन उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया। बराये करम वो बुज़ुर्ग कौन थे वाक़िया क्या था (क्यों कि यहाँ कुछ लोग हैं जो बद अ़क़ीदों की किताबों से हवाला देते हैं और

कहते हैं कि हमारा ईमान कमज़ोर थोड़ी ना है जो गुमराह हो जायेंगे) बराये करम कुछ इनायत करें?

जवाब : 394

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मैने वाक़िया इस तरह पढ़ा है (शायद फ़तावा रज़विय्या में) कि एक बुज़ुर्ग केपास कुछ लोग आये और कहा कि फुलाँ बस्ती का एक शख्स जो कि हाफिज़े क़ुरआन है आप को क़ुरआन सुनाना चाहता है तो आपने फ़रमाया कि मै उसका क़ुरआन नहीं सुनूँगा क्योंकि वो बदमज़हब है।
लोगों ने अ़र्ज़ की हुज़ूर बस क़ुरआन सुनना है और क़ुरआन अल्लाह का कलाम है।
फ़रमाया बेशक़ क़ुरआन अल्लाह का कलाम है मगर इसके साथ मुझे उस बदमज़हब की आवाज़ भी सुननी पड़ेगी।
इन बुज़ुर्ग का नाम हज़रत अबी बक्र रहमतुल्लाह अ़लैह था।

लोगों को इस से सबक़ लेना चाहिये कि बदमज़हब की जाइज़ बात सुनना भी नाजाइज़ है और बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि जिस राह से इसे आता देखो तो राह बदल लो और जो कहते हैं हमारा ईमान कमज़ोर नहीं तो वो शैतान के धोके में है। ये शैतान की चाल है उन्हें इस वाक़िये से इबरत लेनी चाहिये कि कल जब दज्जाल आयेगा तो कुछ लोग उसे देखने के लिये जायेंगे और वो मुसलमान होंगे और कहेंगे कि हम तो मुसलमान हैं हम दज्जाल पर ईमान नहीं लायेंगे, बस देखने जाते हैं मगर वो भी काफ़िर हो जायेंगे इसीलिये बदमज़हब का साथ हमेशा ईमान के लिये खतरा है और हदीस में आया कि जो इस क़ौम की तादाद बढ़ाये वो उन्हीं में से है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 395

दरगाह शरीफ़ पर दरगाह को चूमना कैसा है?

जवाब : 395

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

गुनाह नहीं है मगर बेअदबी है और इस से बदमज़हब को कहने का मौक़ा मिलता है और अदब ये है कि चार हाथ दूर रह कर फ़ातिहा पढ़े।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 396
क्या मज़ार पर सर रखना सजदा करना कैसा है?

जवाब : 396

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
साइल ने सवाल में कुछ ज़्यादती कर दी। सर रखने का नाम सजदा नहीं होता और कोई भी सुन्नी मुसलमान मज़ार पर सजदा नहीं करता बल्कि या तो चादर चूमने के लिये सर झुकाता है वरना क़दम बोसी की निय्यत से झुके तो भी सिर्फ़ गुनाहे कबीरा है मगर काफ़िर नहीं और कोई इबादत की निय्यत से सजदा करे कि ये मज़ार वाले को खुदा या खुदा के बराबर माने तो ज़रूर काफ़िर मगर ऐसा होता नहीं। ना किसी मुसलमान का ये अ़क़ीदा है कि मज़ार वाला खुदा है और हमारे अ़क़ीदे हमारी किताबों से ज़ाहिर हैं ना कि आवाम की जहालत से। जिसे अहले सुन्नत के किसी भी काम का सबूत चाहिये तो वो सुन्नी किताबों का मुताला करे खास कर आला हज़रत की, ना कि आवाम को देखे कि कौन क्या करता है।
अ़मल का दारो मदार निय्यत पर है। जब सजदे की निय्यत नहीं तो सजदा कैसे? और एक बात सर झुकाने का नाम सजदा नहीं बल्कि क़दम चूमने के लिये भी सर झुकाया जाता है और ये शरीअ़त से साबित है।
लिहाज़ा मज़ार पर ऐसे फ़ेल से बचना चाहिये जो आवाम की नज़र के बाइसे फितना बने। ना सर रखें ना झुकें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 397
हुज़ूर स. अ. व. नमाज़ के दौरान रफ़यदैन करते थे या नहीं?

जवाब : 397

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जवाब देने से पहले मै ये ज़रूरी समझता हूँ कि साइल को उसकी बड़ी खता से आगाह किया जाये और वो ये कि सवाल में दुरूद को शॉर्ट में लिखा गया है इस तरह लिखना जाइज़ नहीं है, बाज़ लोग सिर्फ़ (ص) लिख देते हैं, ये भी ना चाहिये।

इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 386 पर लिखते हैं :
हुरूफ़ (ص) लिखना जाइज़ नहीं बल्कि ﷺ लिखा जाये

तो रोमन इंग्लिश में आप अ़लैहिस्सलाम लिखा करे। (अल्लाह अ़मल की तौफ़ीक़ दे।) अब जवाब की तरफ़

हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने रफ़यदैन किये थे मगर बाद में वो अ़मल मन्सूख हो गया और फिर रफ़यदैन नहीं किया और सहाबा को भी मना किया और ये हदीस इमाम मुस्लिम ने नक़्ल की और आखिरी अ़मल रफ़यदैन ना करना है।

इस मसअले को इस मिसाल पर समझा जा सकता है कि अँगूठी उल्टे हाथ में पहनना सुन्नत है मगर हदीस में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने सीधे हाथ में भी पहनी फिर बाद में उल्टे में पहनी और आखिरी वक़्त तक इसी पर अ़मल रहा यानी फ़िर सीधे में ना पहनी उल्टे में ही पहनी तो अब सीधे हाथ में पहनने का अ़मल मन्सूख हो गया और उल्टे में ही पहनना सुन्नत है। इसी तरह रफ़यदैन किया मगर बाद में नहीं किया और याद रखना चाहिये कि मज़हबे अहनाफ़ के नज़दीक रफ़यदैन जाइज़ नहीं और शाफ़ई के नज़दीक़ जाइज़ मगर वहाबी गैर मुक़ल्लिद है ना हनफ़ी ना शाफ़ई। ये रफ़यदैन की हदीस से लोगों को धोका देते हैं और अगर सच में रफ़यदैन करना साबित है तो फ़िर क़ादा में बैठ कर रफ़यदैन क्यों नहीं करते, क़ियाम में ही क्यों?

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 398

हज़रत कभी कभी हम जल्दी में नमाज़ की निय्यत के दरमियान अपने हाथों को पहले बांध लेते हैं और तक़बीर बाद में कहते हैं तो क्या हमारी निय्यत हो जाती है?

जवाब : 398

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! नमाज़ हो जायेगी, मगर मर्द के लिये सुन्नत ये है कि तकबीर कहने से पहले हाथों को कानों तक उठाये फिर तकबीर कहे और औरत हाथ चादर के बाहर ना करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 399

नमाज़ की हालत में अगर भू-कम्प आ जाये तो क्या निय्यत तोड़ सकते हैं?

जवाब : 399

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़ की हालत में अगर ज़लज़ला आये और जान माल का खतरा हो चाहे अपनी या घर में किसी और की मस्लन किसी कमरे में मरीज़ या बच्चा है या ज़ईफ कि खुद बाहर नहीं आ सकता या खौफ़ से उसे सख्त दहशत होगी और खुद चल कर बाहर नहीं जा सकता या आस-पास किसी की जान खतरे में है और सिवाये इसके कोई दूसरा नहीं और ये जान बचाने पर क़ादिर भी है तो इन सूरतों में ज़रूर नमाज़ तोड़ देनी चाहिये और अगर ऐसा नहीं तो नहीं तोड़नी चाहिये।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 400

भाई आप अल्हम्दु शरीफ़ यानी सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा बयान फरमायें।

जवाब : 400

بسم الله الرحمٰن الرحيم

सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा इस तरह है :

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला।

सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का।

बहुत मेहरबान रहमत वाला।

रोज़े जज़ा का मालिक।

हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें।

हम को सीधा रास्ता चला।

रास्ता उनका जिन पर तूने अहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 401

हज़रत अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और अम्मी या अब्बू हमें किसी काम से बुला रहे हैं क्या सलाम फेरने के बाद वो काम कर सकते हैं या नहीं?

जवाब : 401

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जी, कर सकते हैं और दुआ बाद में भी माँगी जा सकती है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 402
औरतें भी इज्तिमा का काम करती हैं और तक़रीर भी करती हैं और तक़रीर के बाद सलाम भी पढ़ती हैं माइक में, ये सब करना ठीक है?

जवाब : 402

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सवाल में **3** अलग-अलग सवाल दर्ज हैं।

(1) औरतें इज्तिमा के काम करती हैं - अगर ये औरतें दीने मतीन की तबलीग के लिये घर से जाती हैं और पर्दे के शराइत पर किसी के घर जा कर औरतें जमा होती हैं फिर कुछ नात, क़ुरआन, नमाज़ वग़ैरह सीखती हैं और इनके जाने की इजाज़त घर में शौहर या गैर शादी शुदा को वालिद की तरफ़ से है तो हर्ज नहीं बल्कि सवाब का काम है कि आज कल जहालत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है तो अगर कोई क़ाबिल औरत ये ज़िम्मा उठाये कि हफ्ते में एक या दो दिन घर के आस-पास ही या अपने घर जहाँ शरई तौर पर पर्दा हो और गैर मर्द का दखल ना हो, इल्मे दीन सीखे सिखाये तो अच्छा है और इल्म सीखना खास कर अपनी ज़रूरत के मसाइल तो हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है मगर औरत 92 किलो मीटर से ज़्यादा तन्हा सफ़र नहीं कर सकती और इलाक़े में भी आस-पास हो और मगरिब से पहले अपने घर आ जाये। अगर यही मामला है तो इलाक़े वाले सुन्नी मुसलमानों को चाहिये कि वो भी अपने घर से बच्चों को वहाँ भेजें ताकि वो भी कुछ फ़र्ज़, आदाब, पर्दा, नमाज़ वग़ैरह सीख सके वरना घर में सिवाये टी. वी. फिल्म सीरियल के कुछ होता देखा नहीं जाता और औरत को गैर मर्द से पढ़ने से बेहतर है कि इसी तरह औरतों के इज्तिमे में भेजा जाये ताकि कुछ हासिल हो।

हदीस में आया कि अगर तेरे ज़रिये से अल्लाह किसी एक शख्स की भी इस्लाह फ़रमा दे तो ये तेरे लिये हर उस चीज़ से बेहतर है जिस पर सूरज चमकता है जबकि ये औरतें सुन्नी हो ना कि देवबन्दी, वरना देवबन्दियों की तालीम में घर से औरतों को भेजना या जाना हराम है।

(2) औरतें तक़रीर करती हैं - अगर औरत किताब देख कर तक़रीर करती है और अच्छा पढ़ना जानती है और अपनी तरफ से कुछ गलत बयानी नहीं करती तो सिर्फ़ उर्दू या हिन्दी पढ़ने वाली औरत को इस तरह देख कर बयान करना जाइज़ है फिर चाहे वो आलिमा ना हो और अगर वो (माशा अल्लाह) आलिमा है तो आलिमा को बगैर देखे तक़रीर जाइज़ है

और आलिमा नहीं है तो गैरे आलिम या आलिमा को बे-देखे वाज़ (बयान) हराम है और उसका सुनना भी हराम।

(3) औरतें माईक पर सलाम भी पढ़ती हैं - औरतों का बादे इज्तिमा सलाम पढ़ना जाइज़ है जबकि आवाज़ गैर तक ना जाये और अगर आवाज़ जाने का खतरा हो तो बगैर माइक के ही पढ़ें और माइक का हुक्म ऊपर के सभी सवालात में लगाया जायेगा कि औरत बयान सलाम में माइक जब ही इस्तिमाल करे जब आवाज़ बाहर ना जाये मस्लन किसी टॉप फ्लोर पर इज्तिमा या सलाम हो रहा है माइक की आवाज़ उस फ्लैट से बाहर नहीं आती या उस कमरे से बाहर नहीं आती तो माइक में पढ़ने में हर्ज नहीं वरना माइक से परहेज़ करना चाहिये।

واللہ تعالٰی اعلم ععلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सवाल : 403
क्या आलिम होने के लिये किसी दीनी इदारे की सनद लेना ज़रूरी है?

जवाब : 403

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ज़रूरी नहीं कि आलिम होने के लिये दीनी इदारे से सनद ज़रूरी हो। आलिम होने के लिये इल्म होना चाहिये सनद नहीं और बहुत सनद वाले ऐसे हैं जिनके पास सनद तो है मगर इल्म नहीं।
आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फ़रमाते हैं :
आलिम की तारीफ़ ये है कि अ़क़ाइद में पूरे तौर से आगाह हो और अपनी ज़रूरिय्यात के मसाइल को किताब से निकाल सके बिना किसी की मदद से, इल्म किताबों के मुताले से और उलमा से सुन-सुन कर भी हासिल होता है।
(अहकाम -ए- शरीअ़त, हिस्सा 2, सफ़हा 231)

इस से मालूम हुआ कि आलिम होने के लिये अ़रबी फ़ारसी ज़ुबान का आना ज़रूरी नहीं बल्कि जो बा-शरअ़, किताबों के मुताले से इल्मे दीन सीखा हो या किसी आलिम के पास जा कर इल्म हासिल किया हो तो वो भी आलिम है, सनद जरूरी नहीं।

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत एक और मक़ाम पर इस किताब
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 683 पर फ़रमाते हैं:

सनद कोई चीज़ नहीं, बहुत सनद वाले इल्म से खाली होते हैं और जिन्होने सनद ना ली उसकी शागिर्दी की लियाक़त भी उन सनद वालों में नहीं होती, इल्म होना चाहिये।

और ज़ाहिर है कि कोई अपने जिम्मे से फ़र्ज़ उतारने के लिये किसी आलिम के पास जा कर रोज़ा नमाज़ के खास मसाइल सीख सकता है वरना कोई किताब आलिम से पूछ-पूछ कर पढ़ कर भी इल्म हासिल किया जा सकता है।
खबरदार-खबरदार मगर चंद किताबों के मुताले करने के बाद किसी को ये जाइज़ नहीं कि वो लोगों के हर मसअले का जवाब दे। ऊपर बयान करदा आलिम से मुराद है कि वो कम से कम अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ इल्म रखता हो ताकि अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे सके इसका ये मतलब नहीं कि वो लोगों को फ़तवा दे। इसी तरह देखा जाता है कि लोग 2-4 किताब पढ़ कर रोड पर लोगों को मसाइल बताना शुरू कर देते हैं और मसाइल अपनी अ़क़्ल से बताते हैं, इस तरह किसी को मसाइल बताना जाइज़ नहीं जब तक कि मसअले की 100% सही मालूमात ना हो वरना अ़क़्ल से बताना भी गुनाह है फिर चाहे मसअला सही हो। यानी यूँ समझें किसी ने अपनी अ़क़्ल से किसी आयत की तफ्सीर की या हदीस का खुलासा (शरह) की और ये इत्तिफाक़ से 100% सही निकला भी तो इस ने हराम काम किया और ये गुनाहगार है क्योंकि हर आलिम मुफ़स्सिर नहीं और अगर किसी सुन्नी तफ़सीर को बयान किया तो ठीक और ये भी याद रखना चाहिये कि हर मस्जिद का इमाम आलिम नहीं होता और लोग बस लिबास और जुब्बा दाढ़ी देख कर आलिम साहिब समझ लेते हैं और सामने वाला भी अपनी शान बचाने के लिये झूटा मसअला बयान कर देता है, खुद मेरा कई बार का तजुर्बा है कि मैने कई इमामों से मसअले गलत बयान करते सुना और तो और कई बार मुफ्तियों से भी मैने खुद अपने कान से गलत मसअले सुने और याद रखना चाहिये जान कर मुफ्ती गलत मसअला बताये तो ये भी हराम है मगर वो अपने इल्म के मुताबिक़ सही बताता है और इत्तिफाक़ से गलत हो गया तो उस पर गुनाह नहीं है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 712 पर है कि :
हाँ अगर आलिम से इत्तिफाक़न भूल वाक़ई हुई हो और उस ने अपनी तरफ से बे-एह्तियाती ना की हो और गलत जवाब सादिर हुआ तो मुआखिज़ा नहीं मगर फ़र्ज़ है कि मुताला होते ही फौरन अपनी खता ज़ाहिर करे।

इसी तरह कभी-कभी शान की खातिर शैतान के जाल में फँसा देता है और तक़रीरों का हाल ही क्या कि वहाँ तो हाफ़िज़ उठा और लगा बयान करने फिर चाहे वो आलिम हो या ना हो।
आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं :

जाहिल खुद वाज़ (बे-देखे बयान) करने बैठे तो उसका वाज़ कहना हराम और उसका वाज़ सुनना भी हराम। और मुसलमानों पर हक़ है कि उसे मिम्बर से नीचे उतार दें।)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 409)

खुलासा -ए- कलाम ये है कि आलिम होने के लिये सनद ज़रूरी नहीं इल्म होना चाहिये मगर मसअले की यक़ीनी मालूमात होने के बाद ही बयान करना चाहिये अक़्ल से नहीं। आपने देखा होगा कि आपके कई सवाल के जवाब देर से आते हैं और कई जल्दी, उसकी यही वजह होती है। जवाब पता होता है मगर जब तक फिर से ना देख लिया जाये या दिल नें इत्मिनान ना हो मै जवाब पोस्ट नहीं करता ।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 404
हज़रत, क्या इस्लाम में पेंट शर्ट पहनना मना है, अगर मना है तो क्यों?

जवाब : 404

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरीअ़त में पेंट शर्ट पहनना मना था पर अब नहीं और जब मना था उस वक़्त पेंट शर्ट में नमाज़ पढ़ना भी जाइज़ नहीं था। जैसा कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 302 पर लिखते हैं :
पत्लून पहनना मकरूह है और मकरूह कपड़े से नमाज़ भी मकरूह।

और इसके मना होने की वजह ये थी कि गैर क़ौम का लिबास था और ये लिबास फ़ासिक़ और फ़ाजिर का था और चूँकि पहले पेंट शर्ट अंग्रेज़ी पहनावे की निशानी थी। मुसलमान इसे इस्तिमाल नहीं करते थे इसीलिये इसे पहन कर नमाज़ मकरूह थी। इसके नाजाइज़ होने की वजह बयान करते हुये आला हज़रत एक और मक़ाम पर

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 309 पर लिखते हैं :
अंग्रेज़ी कपड़े पहनना हराम सख्त हराम अशद हराम और इसे पहन कर नमाज़ मकरूहे तहरीमी क़रीबे हराम वाजिबुल इआदा।

नोट : याद रखना चाहिये कि आला हज़रत का ये फ़तवा उस वक़्त है जब कि अंग्रेज़ी हुकूमत थी मगर अब दौर बदल गया लिहाज़ा ये फ़तवा उस वक़्त के मुताबिक़ सही था

और अब इस पर अ़मल नहीं (यानी अब पेंट शर्त पहनना हराम नहीं) क्योंकि अब पेंट शर्ट किसी खास क़ौम का लिबास नहीं (मगर ये आज भी फ़ासिक़ का लिबास है इस से बे-ज़रूरत पहनने से परहेज़ ही करना चाहिये) लिहाज़ा इसे मौजूदा हाल में पहनकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।
फिक़्ह का एक क़ाइदा है "ज़माने की तब्दीली के सबब अहकाम की तब्दीली का इन्कार नहीं किया जा सकता।"

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 405
वहाबी कहता है मज़ार बनाना जाइज़ कैसे हुआ और वहाबी कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिस क़ब्र के इन्सान मिट जाते हैं उसकी मग्फिरत हो जाती है तो मज़ार बनाना तो कैसे जाइज़ हुआ और ये फज़ीलत कैसे मिल सकती है? प्लीज़ मुझे जवाब दो अभी वहाबी को जवाब देना है।

जवाब : 405

بسم الله الرحمٰن الرحیم
गैरे आलिम जो मुनाज़िरा के फ़न से वाक़िफ़ ना हो और ना बहुत इल्म में महारत रखता हो तो उसे मुनाज़िरा बहस में पढ़ना गुनाह है और साइल पर ये वाजिब नहीं कि वो हर वहाबी के सवाल का जवाब ज़रूर दे और ना मुझ पर वाजिब कि मै इस जवाब को बहुत जल्द दूँ। मेरे पास मशरूफियत काफ़ी होती है और ग्रुप के अलावा भी पर्सनल पर सवाल होता है और मै उस सवाल को पहले अहमिय्यत देता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है और गैर ज़रूरी सवाल करने से बचना चाहिये अगर आप सुन्नी हैं तो आप मज़ार को मानो और वहाबी ना माने तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो और वो मानने वाले नहीं, जब ये खबीस आला हज़रत की बात नहीं मानते तो आप और मुझ जैसे छोटे हज़रत कीबात कैसे मान जायेंगे।

मज़ार उर्फे आम में नेक शख्स या वली की उस क़ब्र को कहा जाता है जिस पर गुंबद होती है और ये जाइज़ है। बहारे शरीअ़त में दुर्रे मुख्तार के हवाले से फ़रमाया उलमा और आले रसूल की क़ब्र पर कुब्बा (गुम्बद) बनाना जाइज़ है, बस ये काफ़ी है और दलीले नक़्लिया का वक़्त नहीं आपके शौक़ के खातिर दलीले अक़्लिया दे रहा हूँ जो अ़क़ीदे और ईमान की हिफाज़त के लिये काफ़ी है और वो ये है कि ज़माना कौन सा बेहतर और अच्छा था, ये वाला जिस में आप हैं या वो जो आप के बुज़ुर्गों ने काटा? नेक लोग समझदार और दीन व शरीअ़त के पाबंद लोग अब ज़्यादा हैं या पहले थे या आने वाले वक़्त में होंगे? ज़रूर इसका जवाब है कि जो लोग चले गये वो बेहतर थे वो इसीलिये कि ज़माना नबी के दौर

से जितना दूर होगा उतना फितने ज़्यादा होंगे और जो लोग हुज़ूर ﷺ के वक़्त के जितने क़रीब थे वो हदीस व क़ुरआन ज़्यादा अच्छे से जानते थे। और हदीस में फ़रमाया (खुलासा) : हर गुज़रा हुआ दिन मौजूदा दिन से बेहतर है और हर मौजूदा दिन बेहतर है (कल) आने वाले से।

अब वहाबी से ये पूछा जाये कि गौसे आज़म की मज़ार कब और किन लोगों ने बनाई? और गरीब नवाज़ की कब से है? क्या ये मज़ार बनाने बरेली से कोई अहमद रज़ा गया? अगर नहीं तो क्या सहाबा ताबई के दौर में लोग आलिम नहीं थे? उन्हें मालूम नहीं था कि क्या जाइज़ नहीं? या फिर अब के वहाबी ज़्यादा जानते हैं? और एक बात वहाबी जिस बुखारी की हदीस पर चिल्लाता फिरता है उसे शायद मालूम भी नहीं इमाम बुखारी की भी मज़ार है, अब ये किसने बनाई? क्या इमाम के शागिर्द नहीं जानते थी कि मज़ार जाइज़ नहीं और इमामे आज़म के मज़ार पर इमामे शाफ़ई जाते थे और गौसे आज़म इमाम हम्बल के मज़ार पर जाते थे और इमाम अबू हनीफ़ा हुज़ूर ﷺ के मज़ार पर। ज़ाहिर है मज़ार कोई नई चीज़ नहीं, ना गुनाह ना बिद्दअत ना नया काम।

बल्कि मज़ार को बनाने का खास मक़सद ये होता है कि लोगों को पता चले कि ये आम क़ब्र नहीं वली की क़ब्र है और लोग उसकी ताज़ीम करें और बरकतें ले और दुआयें करें और सहाबा के वक़्त में जब सूखा पड़ा तो हज़रते आइशा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के पास गये। आपने फ़रमाया : हुज़ूर ﷺ की क़ब्र के छत से खिड़की निकाल दो ऐसा करते ही बारिश हो गई (और खिड़की जब ही मुम्किन है जब छत या गुम्बद हो और छत या गुम्बद भी जब ही मुम्किन है जब चारों दीवार हों, बस चारों दीवार और गुम्बद का नाम हो तो मज़ार है) जो सहाबा के वक़्त में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम का भी था और अहले बैत का भी मगर नज़दी हुकूमत ने काफ़ी मज़ार तोड़ दिये, अपने बातिल अ़क़ीदे को सच्चा साबित करने के लिये और आप बजाये अपनी इस्लाह और अपने सुन्नी भाइयों की इस्लाह के इनकी इस्लाह में लग गये जबकि इनके लिये हिदायत की दुआ भी फिज़ूल है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 406

हज़रत, गर्ल्स के लिये आई-ब्रो (Threading) करवाना गुनाह है या नहीं, वो अगर पर्दे में रहती है तो थ्रेडिंग करा सकती है?

जवाब : 406

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बुखारी की हदीसे पाक में ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई और इसे क़यामत की निशानी में शुमार फ़रमाया कि आखिर ज़माने में औरतें अपनी भवों के बाल नोचेंगी।
फ़रमाया : (खुलासा -ए- अहादीसे मुबारका) जो औरत हसीन बनने के लिये भवों के बाल नोचे उस पर अल्लाह की लानत है और गोदने वाली और गुदवाने वालियों पर भी, इसी तरह मर्दों की वाज़ेह बनाने वालियों पर भी, मुँह के बाल नोचने वालियों पर (अल्लाह की बनावट में तब्दीली करती है)।

उम्दतुल क़ारी, शरह बुखारी में इस हदीसे पाक की शरह इस तरह बयान की (खुलासा) हदीस में हसीन बनने के लिये लानत आई। लिहाज़ा इस क़ैद का लिहाज़ रखा जायेगा यानी कोई खूबसूरत है और मज़ीद खूबसूरत बनने के लिये भँवे बनवाये तो इस हदीस की ज़द में है, लानत के तहत है।

और अगर किसी औरत के भँवे इस क़द्र है कि जिससे चेहरा बदनुमा लगता है, जिससे रिश्ते में रुकावट या फर्क़ आता हो या रिश्ता टूटने का खतरा हो तो इस बदनुमाई से बचने के लिये ज़रूरतन ऐसा करे तो हर्ज नहीं। मगर निय्यत यही हो कि बदनुमाई से बचने के लिये नाकि खूबसूरत दिखने के लिये और अगर ऐसी कोई बात नहीं महज़ शौहर के लिये ऐसा करेगी तो भी गुनाहगार होगी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में किसी की इताअ़त जाइज़ नहीं। और फ़रमाता है तुम्हारा रब अपने क़लाम में कि "रसूल जो दें ले लो, जिस से मना करें, बाज़ रहो।"

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 407
क्या कलाम की तिलावत करते टाईम कोई शख्स आ जाये और सलाम करे तो उस का जवाब देना चाहिये या आने वाले को सलाम करना चाहिये?

जवाब : 407

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इबादत यानी (तिलावते क़ुरआन, दुरूद, ज़िक्र, तस्बीह, बयान) में मशगूल शख्स को आने वाला सलाम ना करे और अगर करा तो इन्हें जवाब देना वाजिब नहीं, मर्ज़ी है दे या नही। जैसा कि मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी अपनी तस्नीफ़ यानी

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 462 पर लिखते हैं :

जो शख्स मस्जिद में आया और हाज़िरीने मस्जिद तिलावते क़ुरआन व तस्बीह व दुरूद में मशगूल हैंया इंतिज़ारे नमाज़ में हैं तो सलाम ना करें कि ये सलाम का वक़्त नहीं। इसी वास्ते फ़ुक़हा ये फ़रमाते हैं कि इनको इख्तियार है जवाब दें या ना दें।
फिर आगे फ़रमाया कोई शख्स तिलावत में मशगूल है या दर्स या इल्मी गुफ्तगू या सबक़ की तक़रार में है तो उसे सलाम ना करें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 408
अलीना और अलवीना नाम इस्लाम मज़हब में कैसा?

जवाब : 408

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जाइज़ है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 409
जनाब क्या दो जानू बैठ कर ही दुआ माँगनी चाहिये? 4 जानू क्यों नहीं?

जवाब : 409

بسم الله الرحمٰن الرحیم
दो जानू बैठ कर सर नीचे और दोनों हाथ खूब खोल कर ऊँचे उठा कर और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करके दुआ माँगना दुआ की सुन्नत और आदाब में से है नाकि फ़र्ज़ वाजिब और 4 जानू बैठ कर भी माँग सकते हैं। और दुआ के लिये हाथ भी उठाना ज़रूरी नहीं, चलते चलते, उठते बैठते, लेटते वक़्त और हर अन्दाज़ में दुआ माँगना जाइज़ है। इस में कुछ हर्ज नहीं और ना सिर्फ़ हाथ उठा कर के दुआ माँगने का नाम दुआ है, दिल ही दिल में अपना काम करते वक़्त पूरे दिन ही दुआ की जा सकती है।

और अगर कोई चार जानू बैठ कर दुआ को मना करता है तो गलती पर है उसकी कम इल्मी है शरीअ़त से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 410

वुज़ू के लिये दाढ़ी का मुकम्मल तरीके से भीगना ज़रूरी है?

जवाब : 410

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इसका जवाब देते हुये सदरुश्शरिया, बदरुत्तरीका, क़ाज़ी -ए- इस्लाम, फक़ीहे हिन्द, हज़रते अ़ल्लामा मौलाना, अल हाजी, अल क़ारी, अल मुफ्ती, मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी अ़लैहिर्रहमा अपनी शोहरा ए आफाक़ तस्नीफ़

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 289 पर फ़रमाते हैं :

दाढ़ी के बाल अगर घने ना हों तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है और अगर घने हों तो (दाढ़ी) गले की तरफ दबाने से जितनी चेहरे के गिर्द आये उनका धोना फ़र्ज़ है और जड़ का धोना फ़र्ज़ नहीं और जो (बाल) हलक़े से नीचे हों उनका धोना ज़रूरी नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 411

एक वक़्त में कितने टाईम की क़ज़ा नमाज़ पढ़ या अदा कर सकते हैं?

जवाब : 411

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

एक वक़्त में जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ और ताक़त दे और ज़हन हाज़िर रहे यानी बोर ना हो तो जितनी चाहे क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं, सिवाये मकरूह वक़्त के और वो मकरूह वक़्त ये हैं :

(1) ज़वाल का वक़्त
(2) तुलू -ए- आफताब के वक़्त
(3) मगरिब से 20 मिनिट पहले तक

अ़स्र बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं और जब मगरिब में 20-25 मिनिट रह जायें तो ना पढें।

क़ज़ा नमाज़ चुप चाप अदा करनी चाहिये। ना किसी को बतायें, ना किसी के सामने अदा करें, ना इसका ज़िक्र करें और नमाज़ पढ़ता रहे कॉपी में नोट करता रहे कि कितनी दिन की फ़ज्र पढ़ ली और क़ज़ा नमाज़ जल्द अदा करने का एक बेहतरीन तरीक़ा इमामे अहले सुन्नत ने फ़रमाया है (जिसका खुलासा इस तरह है कि) सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा है कि पहले एक ही वक़्त की नमाज़ अदा करे यानी पहले सभी फ़ज्र पढ़ ले फिर इसी तरह

पूरी होने पर अगली पढ़े जब कि क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो पहले फ़ज्र ही पढ़े जब तक पूरी ना हो जायें।
निय्यत : इसके 2 तरीक़े हैं।
(1) निय्यत की मैने 2 रकअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझ से सबसे पहले क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहु अकबर।

(2) निय्यत की मैने 2 रकअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझ से सबसे आखिरी क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहु अकबर।

(जिस वक़्त की पढ़े वही नाम ले, ज़ुहर, अ़स्र वग़ैरह) निय्यत बांधते ही पहले सूरह फ़ातिहा शुरू कर दे फिर सूरत मिलाये (यानी सना वग़ैरह ना पढ़े)
फिर रुकूअ़ में जा कर 1 बार तस्बीह पढ़े, इसी तरह 2 रकअ़त पढ़े और जब सलाम फेरने बैठे तो अत्तहिय्यात पूरी पढ़ कर اللهم صلى على محمد واله और सलाम फेर दे यानी बाद वाली दुआ भी ना पढ़े। इसी तरह फ़र्ज़ अदा करता जाये, (4 रकअ़त वाली में आखिरी की दो रकअ़त में सूरह फ़ातिहा ना पढ़े बल्कि 2 बार سبحان الله कहे और वित्र में तीसरी में फ़ातिहा और सूरत ज़रूर पढ़े और तकबीर कह कर, क़ुनूत ना पढ़े बल्कि 1 या 3 बार رب اغفر لى कह ले।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 412
हज़रत फ़ासिक़ किसे कहते हैं?

जवाब : 412

بسم الله الرحمٰن الرحيم
फ़ी- रोज़ुल लुगत सफ़हा : 922 पर है :
फ़ासिक़ (فاسق) - गुनाहगार, जहन्नमी, झूटा।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 413
जनाब क्या इमाम बुखारी (र.अ.) मुक़ल्लिद थे?

जवाब : 413

بسم الله الرحمٰن الرحيم

बुज़ुर्गाने दीन के नाम के बाद भी पूरा रहीमहुल्लाह लिखना चाहिये।
जी, हाँ! इमाम बुखारी इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिद थे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 414

अल्लाह के रसूल ﷺ की दुनिया से वफ़ात के बाद सहाबा उनके मज़ार पे जाकर दुआ फ़रमाते थे क्या?

जवाब : 414

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क्यों नहीं! बादे वफ़ात भी सहाबा हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के रोज़े पर दुआ करते थे बल्कि ये सिलसिला तो आज तक चालू है। सहाबा ताबईन और अब तक बुज़ुर्गों का ये मामूल है और मुसलमानों का भी हज के वक़्त में और गैरे हज मेंभी यही मामूल है कि मदीना शरीफ़ हाज़िर हो कर दुआ करते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 415

अगर किसी को सिर्फ 6 सूरह याद हो तो क्या नमाज़ में वही सूरह रिपीट कर सकते हैं? या और सूरह याद करना ज़रूरी है?

जवाब : 415

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! दोहरा सकते हैं और याद करना बेहतर है मगर ज़रूरी नहीं। याद रहे फ़र्ज़ नमाज़ में कुछ सूरतों को हर नमाज़ में दोहराना मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर कोई और सूरतें याद ना हो तो कुछ कराहत नहीं और नफ्ल में बार-बार कुछ सूरतों को दोहराना जान कर भी मकरूह नहीं। मस्लन किसी को केवल दो ही सूरतें याद हैं और वो हर फ़र्ज़ में उसे ही पढ़ता है तो और याद करना चाहिये और जब तक उन्हें ही पढ़ता रहे और किसी को दो से ज़्यादा याद हैं फिर भी वो केवल उन्हें ही बार-बार हर नमाज़े फ़र्ज़ में पढ़े तो ये मकरूह मगर नमाज़ बहरहाल हर सूरत में हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 416

हज़रत लोग बोलते हैं कि अगर किसी की क़ज़ा नमाज़ बाक़ी है तो उसकी नफ्ल नमाज़ नहीं मानी जायेगी क्या ये बात सही है? और क्या क़ज़ा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है?

जवाब : 416

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जिसके जिम्मे पर कोई फ़र्ज़ बाक़ी रहे उसकी नफ्ल इबादत क़ुबूल नहीं। इसका ये मतलब है कि नफ्ल इबादत करने से उसका सवाब नहीं पायेगा और जब वो फ़र्ज़ अदा कर देगा तो उस नफ्ल का सवाब उसके नाम -ए- आमाल में जोड़ दिया जायेगा वरना जब तक सवाब से महरूम रहेगा।

जी, हाँ! क़ज़ा नमाज़ जल्द से जल्द अदा करना वाजिब है अपनी ज़रूरियात के काम से फारिग हो कर जल्दी से अपनी क़ज़ा नमाज़ अदा करनी चाहिये बल्कि 5 नमाज़ में जो नफ्ल नमाज़ें होती हैं उन्हें छोड़ कर उनके बदले भी क़ज़ा ही पूरी करनी चाहिये। जो 3 वक़्त मकरूह है उनके अलावा हर वक़्त में क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जा सकती है और जल्द अदा करने का तरीक़ा हमने बयान कर दिया है जो बहुत आसान है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 706 पर है :
जिस के जिम्मे क़ज़ा नमाज़ हों अगर्चे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी ज़रूरिय्यात की वजह से ताखीर जाइज़ है तो कारोबार भी करे और जो वक़्त फुरसत का मिले उस में क़ज़ा भी पढ़ता रहे यहाँ तक कि पूरी हो जायें।

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 52 पर है :
क़ज़ा के लिये कोई वक़्त तय नहीं उम्र में जब भी पढ़ेगा बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेगा मगर तुलू, गुरूब व ज़वाल के वक़्त (ना पढ़े) कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, सफ़हा 646 पर है :
क़ज़ा नमाज़ नफ्ल से अहम है यानी जिस वक़्त नफ्ल पढ़ता है उन्हें छोड़कर उनके बदले क़ज़ा पढ़े।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 417
हज़रत क्या एक ही मस्जिद में जुम्आ की नमाज़ दो बार अदा कर सकते हैं? जैसे पहले इमाम साहब ने पढ़ाई फिर मुअज़्ज़िन साहब ने पढ़ाई, क्या ऐसा करना जाइज़ है?

जवाब : 417

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर जुम्आ की नमाज़ छूट गई हो या जिस पर जुम्आ वाजिब ना हो तो (फिर से) जमाअ़त क़ाइम नहीं की जा सकती।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 3, सफ़हा 36 पर है :

जिस पर जुम्आ फ़र्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुम्आ के दिन शहर में जमाअ़त के लिये ज़ुहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है, चाहे नमाज़े जुम्आ होने से पहले जमाअ़त करे या बाद में यूँही जिन्हें जुम्आ ना मिला वो भी बगैर अज़ान व बगैर इक़ामत ज़ुहर की नमाज़ तन्हा-तन्हा पढ़ें, जमाअ़त इन के लिये भी मना है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 418

अगर गुस्से में कोई क़सम खा ले और बाद में अफसोस हो तो वो कैसे खत्म होगा?

जवाब : 418

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़सम किस चीज़ के लिये खाई और किन अल्फाज़ों से खाई, उसे लिख कर दिया जाये।

क़सम खाने से क़सम हो जायेगी, जबकि अल्लाह और क़ुरआन की क़सम खाई हो इसके अलावा किसी और की क़सम क़सम नहीं होती, जब क़सम नहीं तो तोड़ने पर कोई कफ्फ़ारा नहीं और अगर अल्लाह या क़ुरआन की क़सम खाई तो क़सम क़ाइम हो गयी, अब ये देखा जायेगा कि किस चीज़ की और क्यों क़सम खाई, अगर किसी फ़र्ज़ को अदा ना करने की क़सम खाई तो क़सम तोड़ना वाजिब है, पूरा करना गुनाह जैसे किसी ने क़सम खाई कि मै आज ज़ुहर नहीं पढ़ूँगा तो क़सम तोड़ना ज़रूरी है और ज़ुहर पढ़ना भी और अगर क़सम तोड़ कर करने वाला काम क़सम से बेहतर है तो क़सम तोड़ दे और कफ्फ़ारा दे। जैसे क़सम खाई कि अपने पड़ोसी के घर ना जायेगा और अब वो बीमार है और पड़ोसी को इस की ज़रूरत है तो क़सम तोड़ दे उसके घर जाये और कफ्फ़ारा दे। अब क़सम पर अड़े रहना गलत है और पड़ोसी की मदद करना ज़रूरी है और कफ्फ़ारा ये है, गुलाम आज़ाद करना या फिर 10 मिस्क़ीनों को खाना खिलाये या उन को कपड़े पहनाना और अगर ऐसा करने की क़ुदरत नहीं रखता तो 3 रोज़े लगातार रखे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 419

क्या हैज़ वाली औरत नियाज़ का खाना पका सकती है? लोग कहते हैं नापाक औरत नियाज़ के लिये खाना नहीं पका सकती और क्या हदीस, पन्जसूरह या कोई दीनी किताब उठा या पढ़ सकती है? अगर वो हिन्दी में हो या अरबी में जवाब इनायत फरमायें।

जवाब : 419

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ऐसी औरत खाना पका सकती है फिर चाहे खाने के लिये हो या नियाज़ के लिये अगर खाना नापाक हो जायेगा तो नियाज़ तो दूर खाया नहीं जा सकता। ये महज़ शरीअ़त से बे-खबरी है और ऐसी औरत अपने वज़ीफे भी इसी हाल में पढ़ सकती है मगर क़ुरआन की आयत की निय्यत से कोई क़ुरआन की आयत पढ़ भी नहीं सकती मगर दुआ की निय्यत से पढ़ सकती है। जैसे खाते वक़्त बिस्मिल्लाह वग़ैरह। वैसे बिस्मिल्लाह भी क़ुरआन है मगर इसे दुआ के तौर पर पढ़ा जा सकता है इसी तरह शज़रा के वज़ीफ़े भी पढ़े जा सकते हैं मगर क़ुरआन का छूना और क़ुरआन की निय्यत से क़ुरआन या कोई और सूरत या आयत पढ़ना हराम जैसा कि

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 326 में है :

जिस को नहाने की ज़रूरत हो (नापाक) उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, क़ुरआन को छूना या बे-छुये देख कर ज़ुबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या ऐसे तावीज़ छूना हराम है।

इसके सिवा हदीस या दीनी मसअलों की किताब पढ़ सकते हैं, हराम नहीं ना गुनाह मगर मकरूह है और उस किताब में आयाते क़ुरआनी का वही हुक्म होगा जो बयान हुआ यानी उसका छूना हराम होगा।

जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 327 पर है :

इन सब (नापाक, बे-वुज़ू) को फिक़्ह, तफ़सीर और हदीस की किताबों का छूना मकरूह है और अगर उनको कपड़े से छुआ तो हर्ज नहीं। इसी तरह इनको अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।

मकरूह - यानी जिसे शरीअ़त पसंद ना करे मगर कुछ गुनाह नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 420
गुस्ल करते वक़्त अगर कपड़े नहीं पहने हैं तो क्या गलत है?

जवाब : 420

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हिन्दुस्तान में तो लोग कपड़े उतार कर ही नहाते हैं बल्कि कभी सुना नहीं कि कोई कपड़े पहन कर नहाये।
गुस्ल करना जहाँ किसी की नज़र ना पड़े तो बगैर कपड़ों के बरहना हो कर नहा सकते हैं और ऐसा जहाँ लोगों की नज़र पड़े मर्द को घुटने खोलना जाइज़ नहीं यानी घुटने सितर में दाखिल हैं अगर कोई ऐसा अंडरवियर पहन कर नहाता है जिस में घुटने खुले हों तो गुनाहगार है, तहबंद का इस्तिमाल करे वरना पैजामा ही पहनकर नहाये और गुस्ल खाने में जैसे चाहे नहाये कुछ हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 421
हज़रत क्या हम मकरूह वक़्त को छोड़ कर किसी भी वक़्त में क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं और हज़रत क्या हम नफ्ल नमाज़ को ना पढ़कर उस वक़्त क़ज़ा अदा किया करें या अपनी नमाज़ें अदा करें।

जवाब : 421

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, मकरूह वक़्त छोड़ कर किसी भी वक़्त में नमाज़ अदा कर सकते हैं।
जैसा कि, फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 52 पर है :
"क़ज़ा के लिये कोई वक़्त तय नहीं उम्र में जब भी पढ़ेगा बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेगा मगर तुलू, गुरूब व ज़वाल के वक़्त (ना पढ़े) कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।

और अपनी फ़र्ज़ सुन्नत वित्र वग़ैरह ज़रूर पढ़े बस नफ्ल को छोड़ कर उनके बदले क़ज़ा - ए- उम्री पूरी करता रहे। जैसा कि दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, सफ़हा 646 पर है :
क़ज़ा नमाज़ नफ्ल से अहम है यानी जिस वक़्त नफ्ल पढ़ता है, उन्हें छोड़कर उनके बदले क़ज़ा पढ़े।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 422
हज़रत अगर किसी औरत का संबंध शौहर को छोड़ कर किसी और से हो जाये तो क्या निकाह टूट जाता है?

जवाब : 422

بسم الله الرحمٰن الرحيم
किसी और से कौन मुराद है क्योंकि कुछ लोगों से नाजाइज़ ताल्लुक़ात होने से औरत अपने शौहर के लिये हराम हो जायेगी जैसे बहू का ससुर से हो तो औरत अपने शौहर के लिये हराम है वरना गैर बाहर वाले मर्द से होने से निकाह नहीं जाता मगर सख्त गुनाहगार, फ़ासिक़ा, फ़ाजिरा और अज़ाबे जहन्नम की हक़दार है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 423
निकाह के वक़्त किन-किन चीज़ों का होना ज़रूरी है हज़रत?

जवाब : 423

بسم الله الرحمٰن الرحيم
निकाह नाम है ईजाबो क़ुबूल का यानी अगर कोई बालिग मर्द औरत, दो गवाह (मर्द या 1 मर्द 2 औरत) की मौजूदगी में शरई महर के साथ खुद निकाह करना चाहते हैं तो भी निकाह सही हो जायेगा। इसके अलावा ज़ेवर वग़ैरह कोई चीज़ सोने या चाँदी के ना होने से या नये कपड़े के ना होने से निकाह पर कुछ फ़र्क़ नहीं।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 424
अगर क़ुरआन शरीफ़ गलती से गिर जाये तो क्या हज़रत हमें उस का कफ्फ़ारा अदा करना पड़ता है और अगर कफ्फ़ारा होता है तो क्या चीज़?

जवाब : 424

بسم الله الرحمٰن الرحيم
लफ्ज़ "Quran" रोमन इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। जैसा हमने जवाब में लिखा है और ये बात साइल से पहले भी अर्ज़ की गई थी मगर महसूस होता है कि पिछले सवालों

को पढ़ कर साइल ने अपनी गलती नहीं सुधारी। अल्लाह से दुआ है कि अ़मल का जज़्बा भी अ़ता फरमाये।

क़ुरआन अगर धोके से हाथ से गिर गया तो कफ्फ़ारा कुछ नहीं मगर क़ुरआने अज़ीम को उठाते वक़्त ध्यान हाज़िर रखा जाये। ऐसा ना हो कि ध्यान कहीं और, काम कोई और फिर अंजाम कुछ और, नतीजा फिर यही होता है। तौबा लाज़िम तो नहीं मगर लम्हा-लम्हा तौबा कर लेने में भी हर्ज नहीं और मशहूर यही है कि ऐसा हादसा होता है तो लोग फौरन तौबा करते हैं और साइल ने भी कर ली होगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 425

हज़रत औरत अपने सर के बाल काट सकती है?क्या ऐसा करना गुनाह है?

जवाब : 425

بسم الله الرحمٰن الرحیم

औरत का मर्दाना बाल कटवाना हराम है और हदीस में ऐसी औरतों पर लानत की गयी और इस तरह कटवाना भी मना कि जिसमें आगे कुछ बाल माथे पर गिरे रहते हैं जिन्हें आम ज़ुबान में लट कहते हैं और वो गैर मर्द की नज़र में आते हैं।

इसके सिवा अगर वालों की नोक कटवायी जाये जिस से बालों का लम्बा होना रुक जाता है या दो मूँ बाल हो जाते हैं फिर आगे नहीं बढ़ते तो ऐसी सूरत में नोक कटवा कर दो मूँ बाल कटवाये जा सकते हैं मगर खुद काटे या किसी औरत से कटवाये और ये भी याद रखना चाहिये कि वो कटे हुये बाल भी गैर मर्द की नज़र पढ़ना गुनाह है। अगर बाल ऐसी जगह डाले जहाँ गैर मर्द की नज़र पड़े तो औरत गुनाहगार होगी लिहाज़ा इस बात की भी एहतियात रखी जाये और ये एहतियात कंघी करते वक़्त भी रखी जाये जैसा कि

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, हिस्सा 16, सफ़हा 91-92 पर है :

जिस उज़्व (पार्ट) की तरफ़ नज़र करना नाजाइज़ है अगर वो बदन से जुदा भी हो जाये तो अब भी उसकी तरफ़ नज़र करना नाजाइज़ रहेगा।

और अगर सवाल में ये पूछा गया कि सर के सारे बाल कटवाये तो

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 664 पर है

"औरत का सर मुंडवाना हराम है।"

والله تعالیٰ اعلم بالصواب والله یرجع الیه مآب

सवाल : 426

हज़रत औरत को मस्जिद जाना मना है अगर मना है तो क्यों?

जवाब : 426

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! नमाज़ या जमाअत के लिये औरत को मस्जिद की हाज़िरी जाइज़ नहीं और ऐसा फितने के सबब है और हदीस से इस की मुमानिअत मौजूद है। यहाँ तक कि ईद की नमाज़ के लिये भी औरत मस्जिद या ईदगाह नहीं जा सकती।

जैसा कि फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 425 पर है कि :

"औरतों को ईदगाह की हाज़िरी जाइज़ नहीं।"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 427

अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! ये बतायें कि जो मज़ार शरीफ़ पर ढोल, ताशे और म्यूज़िक वाली चीजें बजाई जाती हैं, क्या ये जाइज़ है किसी तरह से अगर हाँ तो क्यों और कैसे?

जवाब : 427

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़व्वाली, ढोल ताशे या दीगर म्यूज़िकल इन्स्ट्रूमेन्ट के साथ हराम सख्त हराम अशद हराम है और क़व्वाली जो म्यूज़िक के साथ होती है ये भी हराम हैं और किसी बुज़ुर्ग से साबित नहीं बल्कि औलिया अल्लाह सिर्फ़ कलाम सुनते थे उसमें म्यूज़िक नहीं होता था।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 80 पर है :

मज़ामीर बिला शुब्हा हराम है इनके सुनने सुनाने के गुनाह होने में शक नहीं और चिश्ती सिलसिले की तरफ इसकी निस्बत करना महज़ बातिल है।

कशुल फना अन उसूल अल समा में है लोगों ने अपने गलबे हाल व शौक़ में मज़ामीर के साथ क़व्वाली सुनी और हमारे पीराने तरीक़त का सुनना इस तोहमत से पाक है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 428

हज़रत गैर मुअक्किदा सुन्नत 4 रक़अत वाली नमाज़ का तरीक़ा बता दें।

जवाब : 428

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सुन्नते ग़ैरे मुअ़क्किदा इस को सुन्नते ज़वाइद भी कहते हैं यानी (अ़स्र और इशा के फ़र्ज़ से पहले की 4 रकअ़त सुन्नत) उस के पढ़ने का तरीक़ा ये है कि पहली रकअ़त में ثناء फिर اعوذ باللہ फिर بسم اللہ पढ़ कर सूरह फ़ातिहा पढ़े और कोई सूरत मिलाये इस तरह एक रकअ़त पूरी करे।
दूसरी रकअ़त में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाये और रुकूअ़ और सजदों के बाद क़ादा में تشہد (अत्तहिय्यात) पढ़े फिर इसके बाद दुरूद और दुआ भी पढ़े। इसी तरह दो रकअ़त पूरी करके जब तीसरी के लिये खड़ा हो तो फिर से वही पहली रकअ़त की सारी चीज़ें यानी ثناء फिर اعوذ باللہ फिर بسم اللہ पढ़ कर सूरह फातिहा पढ़े और कोई सूरत मिलाये इसी तरह तीसरी रकअ़त पूरी करे और चौथी में अत्तहिय्यात दुरूद दुआ के साथ नमाज़ पूरी करे। यानी इस में दूसरी में क़ादा में बैठ कर दुरूद भी पढ़ सकते हैं और तीसरी में सना भी जबकि सुन्नते मुअ़क्किदा में तशह्हुद में दुरूद पढ़ा तो सजदा -ए- सहव वाजिब होगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 429
वहाबी फिरक़ा का सरगना अब्दुल वह्हाब था या उस का बेटा एम. डी. वहाब था?

जवाब : 429

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 214 पर है :
"वहाबिया यह एक नया फिरक़ा है जो 1209 हिजरी में पैदा हुआ, इस मज़हब का बानी मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वहाब नजदी था।"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 430
हज़रत एक लड़की जिसकी शादी वहाबी घराने में हो गई वो छिप कर फ़ातिहा करती है। क्या उस से रिश्तेदारी या सलाम कलाम रख सकते हैं?

जवाब : 430

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर ये लड़की आपकी मेहरम है तो आप और इस लड़की पर लाज़िम है कि उस वहाबी से अपना पीछा छुड़ाये और इसके घर वालों को भी जबकि ये सही में सुन्नी हो और शौहर

वहाबी, क्योंकि वहाबी के साथ निकाह निकाह नहीं मआज़ अल्लाह ज़िना है और अगर ये आपकी मेहरम रिश्तेदार नहीं तो आपको ऐसी किसी भी गैर लड़की से रिश्ता रखना सलाम कलाम ज़रूरी नहीं और अगर्चे सुन्नी होने के बाद भी उस वहाबी के साथ रहना चाहे तो खुद हराम काम में मुब्तिला होने का ज़िम्मा इसके सर है। इसकी नियाज़ फ़ातिहा इसको कुछ नफ़ा ना देगी। ऐसी औरत से ना सलाम कलाम ना कोई रिश्तेदारी बल्कि इसको हर जाइज़ सूरत समझाया जाये और ना माने तो बॉयकॉट किया जाये।

वहाबी ऐसे बहुत से कुफ्रिया अ़क़ाइद रखते हैं और बदमज़हब की निस्बत हदीस में फ़रमाया :

ولاتؤاکلوھم ولاتشاربوھم ولاتناکحوھم

उनके साथ खाना ना खाओ और पानी ना पियो और शादी ना करो।

और शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ तफ़सीरे अ़ज़ीज़िया में फ़रमाते हैं :

ہر کہ با بدعتیان انس ودوستی پیدا کند نور ایمان و حلاوت آں ازوی بر گیرند

जो शख्स बदअ़क़ीदा लोगों से दोस्ती और प्यार रखता है उसका नूरे ईमान सल्ब हो जाता है।

इमाम सय्यिद तहतावी हाशिया दुर्रे मुख्तार में नक़्ल करते हैं :

من کان خارجا من ھذہ المذاھب الاربعتہ فی ذالک الزمان

जो इस ज़माने में चारों मज़हब से खारिज हुआ वो बिद्दअ़ती और दोज़खी है।

और अगर शौहर ऐसा पक्का वहाबी नहीं तो आप उसके शौहर को समझा कर सुन्नी कर सकते हैं मगर औरत से मुलाक़ात की इजाज़त नहीं जबकि गैर हो।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 431

क्या निकाह के लिये क़ाज़ी का होना ज़रूरी है?

जवाब : 431

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

निकाह के सही होने के लिये ना क़ाज़ी का होना ज़रूरी है ना इमाम का ना हाफ़िज़ का ना आलिम का। दो मर्द सुन्नी मुसलमान की मौजूदगी में बालिग लड़का-लड़की निकाह करेगी तो निकाह हो जायेगा।
मस्लन कोई एक निकाह का पैगाम दे और दूसरा क़ुबूल कर ले और इसके उस मज्लिस में दो मर्द गवाह (या 1 मर्द, दो औरत) हों तो ये निकाह हो गया, निकाह का खुत्बा ना पढ़ने से निकाह पर कुछ फ़र्क़ नहीं आता।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 432
तबलीगी जमाअ़त की शुरूआत कब से हुई है और इस जमाअ़त का मक़्सद क्या है?

जवाब : 432

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सुन्नी आलिमों ने तबलीगी जमाअ़त पर कई किताबें और रिसाले लिख कर क़ौम को इन खबीसों के फरेब से बचाया है और इनकी अ़स्लिय्यत सबके सामने कर दी। अल्लाह से दुआ है कि वो इन उलमा की इस खास मेहनत को क़ुबूल करे। बिदअ़त को खत्म कर के सुन्नत को ज़िन्दा करना बेशक खुद में एक करामत है।
बस साइल को चाहिये कि वो इसी तरह की कोई किताब बाज़ार से लाकर या रिसाले से इस जमाअ़ते खबीसा की पूरी हिस्ट्री जान सकता है और अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो कुछ रिसाले इसाले सवाब भी करे जिस से बदमज़हब के रद्द में लिखे रिसाले सुन्नियों तक पहुँचे ताकि सुन्नी मुसलमान का अ़क़ीदा पुख्ता हो जाये तो बेशक ये सवाबे अ़ज़ीम होगा। इस जमाअ़त का मक़्सद, सुन्नियत से सारे मुस्तहब काम खत्म करना, नाते मुस्तफ़ा और मीलादे मुस्तफ़ा, मुहब्बते मुस्तफ़ा दिल से निकाल कर बद-मज़हब कर देना है। ये यक़ीनन अपने बुज़ुर्गों का रास्ता छोड़ चुके हैं और भटक गये शैतान की राह पर।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 433
क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अ़लैह मुक़ल्लिद हैं?

जवाब : 433

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नहीं इमाम साहिब मुक़ल्लिद नहीं थे क्योंकि आप खुद मुज्तहिद थे और मुज्तहिद को किसी की तक़लीद करना हराम है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 434
स्कूल में हिन्दू प्रेयर और गैर इस्लामिक काम सीखने पर मुसलमान बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना कैसा है?

जवाब : 434

بسم الله الرحمٰن الرحیم
हराम है और वो "गैर इस्लामिक काम" क्या हैं उसकी तफ़सील चाहिये। अगर वो काम कुफ्रिया या शिर्किया हों और बच्चा बालिग समझदार है और उस काम से राज़ी और खुश है तो काफ़िर।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 435
क्या घुटने खुले होने की हालत में वुज़ू हो सकता है?

जवाब : 435

بسم الله الرحمٰن الرحیم
वुज़ू हो जायेगा मगर घुटने मर्द के सितर में दाखिल है इनका छुपाना फ़र्ज़ और लोगों के सामने घुटने खोलना हराम, इसका गुनाह ज़रूर रहेगा मगर वुज़ू हो जायेगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 436
कोई अगर सलाम करे मेसेज पर तो क्या जवाब लिख कर ही देना ज़रूरी है या बिना लिखे भी सलाम का जवाब दिया जा सकता है?

जवाब : 436

بسم الله الرحمٰن الرحیم
लिखी हुये (Written) सलाम का जवाब देना भी वाजिब है मगर लिख कर वाजिब नहीं। यानी सलाम मिलते ही फौरन जवाब मुँह से दे दे। देर की तो गुनाहगार होगा इसीलिये सय्यिद अहमद तहतावी फ़रमाते हैं कि लोग इस (मसअले) से गाफ़िल हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 437
हज़रत बिदअ़ते हसना और बिदअ़ते सईया क्या है?

जवाब : 437

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वो एतिक़ाद या अ़मल जो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो उन्हें बिदअ़त कहते हैं। इसकी बहुत सी क़िस्म होती हैं मगर सिर्फ़ 2 का ज़िक्र किया जाता है जो साइल ने तलब की।

बिदअ़ते हसना : दीन में शुरू किये गये नये मगर जाइज़ काम को कहते हैं जिस से मुसलमान को नफ़ा हो।
जैसे - मस्जिद पर मीनार बनवाना इस से मुसलमान को फाइदा है और ये काम मना भी नहीं।
बिदअ़ते सईया: दीन में शुरू किये गये नये मगर नाजाइज़ काम जो शरीअ़त के खिलाफ़ या सुन्नत को खत्म करने वाला हो। जैसे ख़ुत्बा अ़रबी की जगह उर्दू में पढ़ना।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 438
हज़रत मेरी मुवानी हैं जो कि लगभग तीन साल से बीमार है। हाथ-पैर दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। दो लड़के भी हैं जो कि अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मामू बहुत परेशान रहते हैं। बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके हैं लेकिन शिफ़ा नहीं हुई। हाथ पैर तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। कुर्सी पर बैठी रहती हैं दिन भर। हज़रत कोई तरीक़ा है जो ठीक हो सकती हैं? अल्लाह के कलाम में बहुत असर होता है।

जवाब : 438

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सूरह काफ़िरून पढ़ कर बिस्मिल्लाह के साथ 1001 बार पढ़ कर सरसों के तेल पर दम करके रख लो। उसी तेल से हाथ पैरों के जोड़ों की मालिश करो और रात को एक-एक बूँद रोज़ सोते वक़्त मरीज़ के कानों में डालो।

(हर बार सूरह काफ़िरून बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, इसे पढ़ने में 4 घंटे का वक़्त लगेगा। इसीलिये ऐसे वक़्त में किया जाये कि नमाज़ या जमाअ़त क़ज़ा ना हो और घर में

कोई खुद ना कर सके तो किसी ऐसे मदरसे या सही पढ़ने वाले से बात करके पढ़वा ले। एक बार पढ़ा कर उस तेल को हिफाज़त से रखे।)

इसके अलावा रोज़ 100 बार बिस्मिल्लाह पढ़ कर किसी भी वक़्त उन पे दम करा जाये और असर मगरिब के बीच 111 बार "या सलामू" पढ़ कर दम करा जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 439

इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अ़लैह यह सारे हक़ पर हैं या नहीं? अगर हक़ पर हैं तो इनके पीछे नमाज़ क्यों नहीं होती?

जवाब : 439

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

चारों हक़ मज़हब हैं और इनका हक़ होना इनके सुन्नी अक़ाइद हैं। हनफ़ी की नमाज़ किसी मज़हब के पीछे नहीं होती? ये बात आप ने कहा पढ़ी या किस आलिम से सुनी मुझे वो हवाला लिख भेजें।

अव्वल तो हिन्द में सिवाये हनफ़ी के दूसरे मज़हब के लोग ना के बराबर हैं कुछ शाफ़ई ज़रूर हैं जो सुन्नी शाफ़ई हैं। हनफ़ी इमाम के होते हुये सुन्नी हनफ़ी को क्या ज़रूरत कि वो दूसरे मज़हब पर नमाज़ पढ़े और अगर ऐसी जगह जहाँ हनफ़ी इमाम ना हो और जमाअ़त का वक़्त हो और इमाम शाफ़ई हो तो सुन्नी हनफ़ी की नमाज़ शाफ़ई के पीछे हो जाती है मगर जबकि वो हमारे मज़हबे हनफ़ी की रियायत करे यानी हमारे नज़दीक 1/4 सर का मसहा फ़र्ज़ है, इस से कम में हमारे मज़हब में वुज़ू नहीं हो सकता और शाफ़ई में चंद बाल पर भी मसहा हो जाता है तो अगर वो इमाम ऐसा करे कि दोनों का मुआमला हल हो जाये तो बेहतर यानी वो 1/4 का मसहा करे और अगर वो इस से कम सर का मसहा करे तो ऐसे शाफ़ई के पीछे हमारी नमाज़ नहीं होगी क्योंकि हमारे नज़दीक उनका वुज़ू नहीं पाया गया। इसी तरह मज़हबे शाफ़ई में जब अ़स्र का वक़्त होता है तो हमारा ज़ुहर ही होता है अगर शाफ़ई इमाम अस्र कुछ देर से पढ़ाये कि हमारा भी अ़स्र का वक़्त लग जाये तो ठीक वरना उसके पीछे शाफ़ई के मानने वालों की नमाज़ हो जायेगी मगर इस सूरत में हमारी नहीं।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि :

हनफ़ी इमाम ना होने की सूरत में अगर कोई शाफ़ई मज़हब पर नमाज़ पढ़े तो भी जाइज़ है जबकि वो इमाम हमारे फर्ज़ वाजिब वग़ैरह का ख्याल रखे जिसका ज़िक्र हमने ऊपर किया वरना नहीं। और एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि शाफ़ई मज़हब में रफ़यदैन जाइज़ तो है मगर वहाबी शाफ़ई नहीं हैं क्योंकि वो गैर मुक़ल्लिद है, किसी इमाम को नहीं मानता। मगर लोग उसके रफ़यदैन से धोका खा जाते हैं, शाफ़ई अलग मज़हब है और हक़ है, वहाबी अलग मज़हब है और बातिल है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 440

फिरक़े की अस्ल क्या है और फिरक़ा की शुरूआत कहाँ से हुई? क्या ये हमारे प्यारे नबी - ए- करीम ﷺ के टाईम से है या बाद में हुई है?

जवाब : 440

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फिरक़ों की शुरूआत हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के वक़्त से थी मगर इस क़द्र खुल कर ज़ाहिर हो कर नहीं आये थे, उस वक़्त भी मुनाफिक़ मौजूद थे जो मुसलमानों की सफ़ में रहकर नमाज़ भी पढ़ते थे और दिखने में मुसलमान भी थे मगर दिल में अ़क़ीदा इस्लाम का नहीं था जिन्हें हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने जुम्आ के रोज़ मस्जिद से बाहर निकाला।
फिरक़ों की खबर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाई है कि कुछ और भी लोग इस्लाम का चोला पहन कर आयेंगे, उनसे बचकर रहना और वो इसलिये है ताकि मुसलमान उनके बहकावे में ना आयें और अपना ईमान ना खो दें। जिनको हज़रते अ़ली ने क़त्ल किया, लोगों ने कहा हम्द है अल्लाह की जिसने नजासतों से ज़मीन को पाक किया, हज़रते अ़ली ने फ़रमाया ये खत्म नहीं हुये, अभी इनमें के माँ के पेटों में हैं, बापों की पीठों में हैं।

इस से ज़ाहिर है कि उस वक़्त में भी बद-मज़हब लोग मौजूद थे और बद-मज़हब के लिये हदीस में फ़रमाया गया है :

تحقرون صلاوتکم مع صلوتھم وصیامکم مع صیامھم وعملکم مع عملھم

तर्जुमा : तुम अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ के आगे हक़ीर जानोगे और अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के आगे और अपने आमाल को उनके आमाल के आगे।

یقرؤن القرآن ولا یجاوتراقھیم

तर्जुमा : क़ुरआन पढ़ेंगे मगर उनके गले से नीचे ना उतरेगा।

من قول خير البريته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميته
तर्जुमा : हदीस हदीस पुकारेंगे (और) हाल ये होगा, निकल जायेंगे दीन से, ऐसे जैसे तीर निकल जाता है निशाने से।

ثم لا يعودون فيه
तर्जुमा : लौट कर दीन में ना आयेंगे।

سيما هم التحليق
तर्जुमा : इनकी अ़लामत सर मुंडवाना है।

مشمر الازار
तर्जुमा : तहबन्द (पैजामा) टखनों से ऊँचे (पहनेंगे)।

इस से पता चला कि फिरक़ा परस्ती कोई नई चीज़ नहीं और ना ये फिज़ूल है, तो जो लोग कहते हैं कि देवबंदी बरेलवी बेकार की चीज़ है वो गुमराह जाहिल है वरना हदीस में इनकी निशानियाँ ना फ़रमाई जाती।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 441
हज़रत माफ़ी चाहते हैं हम, पर जवाब 428 (सुन्नते गैरे मुअक्किदा पढ़ने का तरीक़ा) के बारे में मुझ से सवाल किया गया। वो बोल रहे हैं कि ऐसा पहले ना सुना है ना पढ़ा है तो अगर आप को सही लगे इसका जवाब हवाले के साथ बता दीजियेगा क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो नादान समझ कर माफ़ कर देना।

जवाब : 441

بسم الله الرحمٰن الرحيم
सुन्नते गैरे मुअक्किदा के पढ़ने का सही तरीक़ा वही है जो जवाब नम्बर 428 में बयान किया गया। अगर किसी ने ये पहले कभी सुना नहीं तो शायद उन्होंने कभी किसी आलिम से इस बारे में पूछा भी नहीं होगा और अगर उन्होंने ये पहले कहीं पढ़ा नहीं तो फिर उन्होंने दीन में ज़रूरी मसाइल या नमाज़ की कोई किताब नहीं पढ़ी होगी। हर चीज़ जो देखी सूनी ना जो ज़रूरी नहीं कि उसका वुजूद ही ना हो वरना अल्लाह को भी देखा नहीं?

सुन्नते गैरे मुअक्किदा की दूसरी रकअ़त में अत्तहिय्यत के बाद दुरूद, दुआ और तीसरी रकअ़त में सना पढ़ सकते हैं जैसा कि मेरे आक़ा आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवाना ए शम -ए- रिसालत, इमामे इश्क़ो मुहब्बत, वली -ए- नैमत, पीरे तरीक़त, आलिमे शरीअ़त, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअ़त, क़ातए नज़दिय्यत, बाइसे खैरो बरकत, अल्हाज, अल हाफ़िज़, अल मुफ्ती, अल मुफ़स्सिर अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी अ़लैहिर्रहमा अपनी मक़बूले दो जहाँ किताब यानी अल अ़ताया नबव्विया फ़ी फ़तावा रज़विय्या अल मअ़रूफ़ फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 444 पर दुर्रे मुख्तार के हवाले से फ़रमाते हैं :

(सुन्नते मुअक्किदा) के अलावा बाक़ी चार रकअ़त वाली सुन्नतों (गैरे मुअक्किदा) और नफ्लों में (क़ादा ऊला में) दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाये, तीसरी रकअ़त में सना और तअ़व्वुज़ भी पढ़ा जाये।

फक़ीहे इस्लाम, क़ाज़ी -ए- इस्लाम, सदरुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा, हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ्ती अल्हाज़, अल हाफ़िज़ अमजद अ़ली आज़मी अ़लैहिर्रहमा बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 667 पर लिखते हैं :

जो सुन्नते मुअक्किदा चार रकअ़त है उसके क़ादा -ए- ऊला में सिर्फ़ अत्तहिय्यात पढ़े और भूल कर दुरूद पढ़ लिया तो सजदा -ए- सहव करे। इनके अलावा (सुन्नते गैरे मुअक्किदा) और चार रकअ़त वाली नवाफ़िल के क़ादा -ए- ऊला में भी दुरूद पढ़े और तीसरी रकअ़त में सना, अऊज़ुबिल्लाह भी पढ़े।

मशवरा: अब भी अगर साइल से एतराज़ करने वालों को मसअला या जवाब में कोई शक हो तो उन लोगों को चाहिये कि अपने क़दमे मुबारक को किसी आलिमे दीन की बारगाहे आलिया में ले जायें। इंशा अल्लाह कोई भी आलिम मसअले की तस्दीक़ कर देगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 442

हज़रत क्या गैर मुक़ल्लिद जैसे वहाबी, देवबन्दी, अहले हदीस वग़ैरह के साथ नमाज़ और सलाम कर सकते हैं?

जवाब : 442

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नहीं कर सकते, जबकि सही में देवबन्दी वहाबी हो नाकि सिर्फ़ आवामुन्नास।

हदीस में दोनों चीज़ों के लिये मना किया गया कि ना उसके साथ सलाम कलाम करो ना उनके पीछे नमाज़ पढ़ो ना उनके जनाज़े पर हाज़िर हो।
बद-मज़हब के पीछे नमाज़ पढ़ने के बारे में आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 621 पर लिखते हैं :
अहले सुन्नत पर फ़र्ज़ है कि अपना इमाम सुन्नी जुम्आ व ईद के लिये मुक़र्रर करे। वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और आगे इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 631 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं, चाहे अपना उस्ताद हो बल्कि उसको उस्ताद बनाना ही उस (सुन्नी) के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक नाजाइज़ महज़ बातिल है।

और आगे बढ़ते हुये इमाम उम्मत की रहनुमाई करते हैं और इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 501 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक़ नाजाइज़ है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 443
आज कल जो नात में साउंड और म्यूज़िक टाइप होता है जो कि हलक से निकाला जाता है। तो क्या ऐसी नातें सुनना या पढ़ना सही है? और नात कैसे सुनना और पढ़ना चाहिये?

जवाब : 443

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर नात में म्यूज़िक का कोई भी सामान इस्तिमाल किया गया है तो उसका सुनना बिला शुब्हा हराम है मगर ऐसा होता है कि नात में अक्सर ज़िक्र होता रहता है अगर ज़िक्र ऐसा है कि साफ़ समझ में आये कि अल्लाह अल्लाह ही आवाज़ है तो ठीक और अगर सुनने में ये लगे जैसे कोई म्यूज़िक और ज़िक्र साफ़ समझ ना आये तो मना।

ज़िक्र वाली नातख्वानी जाइज़ और नाजाइज़ होने में उलमा -ए- अहले सुन्नत का इख्तिलाफ़ है और जब किसी काम में इख्तिलाफ़ हो तो बचना बेहतर है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 444

हज़रत हम ने सुना है कि कोई भी नापाक चीज़ हो अगर वो सूखा है तो पाक है। जैसे कि अगर सूखा हुआ कुत्ता कपड़े में लग जाये तो हमारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ।

जवाब : 444

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हर चीज़ सूखने से पाक नहीं होती बल्कि कुछ चीज़ें बे-धोये पाक ही नहीं होंगी, और वो हुक्म जो सवाल में दर्ज है शायद ज़मीन के लिये सुना गया होगा कि अगर ज़मीन नापाक है और खुद सूख गई, यहाँ तक कि ना उस पर नापाकी का निशान है ना बू तो वो पाक हो गई जैसा कि

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 44 पर है कि :

नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाये और नजासत का असर (रंग, बू) जाता रहे तो पाक हो गई, चाहे वो हवा से सूखी हो या धूप से या आग से।

सूखा या गीला कुत्ता बदन या कपड़े पर लग जाये तो कपड़ा नापाक नहीं होता जबकि गीला कुता साफ़ पानी से गीला हो, अगर वो किसी गन्दगी से गीला है तो वो गन्दगी ज़रूर नापाक करेगी और कुत्ते का थूक भी नापाक है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 395 पर है :

कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाये तो चाहे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हाँ अगर उसके बदन पर नजासत लगी है तो और बात होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 445

या अ़ली अल-मदद, या गौस अल-मदद, या पीर अल-मदद, ये सब कहना कैसा? अल्लाह के सिवा किसी और से मदद माँगना शिर्क है क्या?

जवाब : 445

بسم الله الرحمٰن الرحيم

यह सब कहना जाइज़ है और अल्लाह के अलावा गैर से मदद माँगना शिर्क नहीं जब कि कोई ये अ़क़ीदा ना रखे कि खुदा मदद नहीं करता या नहीं कर सकता तभी गैर से मदद माँगता हूँ वरना शिर्क होगा। और मुसलमानों के हरगिज़ ये अ़क़ीदा नहीं होता बल्कि उनका अ़क़ीदा ये होता है कि ये अल्लाह वालों को अल्लाह ने ताक़त और मदद पर क़ुदरत बख्शी है और ये अल्लाह के दिये से मदद करते हैं जो क़ुरआन व हदीस से साबित है।

क़ुरआन में तुम्हारा रब इरशाद फ़रमाता है (क़ुरआन 2/153) :
"मदद तलब करो सब्र व नमाज़ से"

जबकि नमाज़ भी खुदा नहीं गैरे खुदा है और ना सब्र खुदा है।

और फ़रमाता है तुम्हारा रब (क़ुरआन 5/2) :
"आपस में एक दूसरे की मदद करो, भलाई और परहेज़गारी पर"

इमाम बुखारी ने हज़रते अबू हुरैरा से रिवायत किया फ़रमाया हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने कि सुबह और शाम और रात के कुछ हिस्सों में इबादत से मदद तलब करो।

एक और हदीस में फ़रमाया:
"जब हाजत तलब करो खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो।"

और फ़रमाया अल मुअ़जमुल कबीर में जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाये या राह भूल जाये और मदद चाहे और ऐसी जगह हो जहाँ कोई हमदम नहीं, तो उसे चाहिये यूँ पुकारे :
ऐ अल्लाह के बन्दों मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बन्दों मेरी मदद करो कि अल्लाह के कुछ बन्दे हैं जिन्हें ये नहीं देखता वो उसकी मदद करेंगे। (इस हदीस को तबरानी ने भी नक़्ल किया)

और इमाम गज़ाली फ़रमाते हैं : जिस से उसकी ज़िंदगी में मदद माँगी जा सकती है उस से उसके विसाल के बाद भी मदद माँगी जा सकती है।"

और मज़ीद दलाइल के लिये फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21, सफ़हा 310 से पढ़ना मुफ़ीद होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 446
अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! ये बतायें कि नमाज़ में क्या-क्या वाजिब है और अगर 1 भी छूट जाये तो उस का क्या मसअला है या क्या करना चाहिये?

जवाब : 446

بسم الله الرحمٰن الرحيم
अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे और आपके सदक़े में मेरी भी और दूर करे आपके सर से तमाम परेशानी और आपके घर के मरीज़ को जल्द से जल्द सिह्हत दे और आपको नेकियों में इज़ाफा करने की तौफ़ीक़ दे और हर गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ दे।

नमाज़ में क्या वाजिब है इसकी फेहरिस्त तो तवील है जिसकी तफ़सील लिखना इस वक़्त मुनासिब नहीं तो बेहतर है कि आप नमाज़ की किसी किताब का मुताला करें जैसे नमाज़ के अहकाम या फिर क़ानूने शरीअ़त फिर अगर इस में कोई बात समझ ना आये तो ज़रूर मुझ गुनाहगार को फिर से याद फ़रमा लीजिये।
आपकी खुशी की खातिर मै यहाँ कुछ वाजिबात अ़र्ज़ कर देता हूँ। ये चीज़ें नमाज़ में वाजिब हैं।

पहली तक्बीर में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना।
सूरह फ़ातिहा की सातों आयत पढ़ना।
(फ़र्ज़ नमाज़ में पहली दो रकअ़तों में) फौरन सूरह मिलाना।
सूरह फ़ातिहा का एक ही बार पढ़ना।
सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले ही पढ़ना।
क़िरअत के बाद रुकूअ़ करना।
एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना।
रुकूअ़ सुजूद क़ौमा जलसा में एक बार सुब्हान अल्लाह की मिक़्दार ठहरना।
फ़र्ज़ और सुनने मुअक्किदा में दो रकअ़त पर बैठना और पूरी तशह्हुद पढ़ना और तशह्हुद के बाद दुरूद ना पढ़ना। तीसरी रकअ़त के लिये फौरन खड़े होना, वित्र में दुआ -ए- क़ुनूत पढ़ना और तकबीरे क़ुनूत कहना।
हर वाजिब और फ़र्ज़ का उसकी जगह पर होना वग़ैरह-वग़ैरह।

अगर किसी का एक बल्कि 10 वाजिब भी भूल से नमाज़ में रह जाये तो उसे नमाज़ दोहराने की हाजत नहीं बल्कि सजदा -ए- सहव कर सकता है और जान कर एक भी वाजिब छूटा तो सजदा -ए- सहव काफ़ी नहीं नमाज़ दोहरानी होगी।
और सजदा -ए- सहव का तरीक़ा ये है कि जब आखिरी रकअ़त में बैठे तो तशह्हुद पढ़े और एक तरफ सलाम फेरे और फिर दो सजदे करे फिर तशह्हुद पढ़े और दुरूद और दुआ के बाद नमाज़ खत्म करे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 447
हज़रत फ़ातिहा का सबूत हदीस से दे, बराये करम।

जवाब : 447

بسم الله الرحمٰن الرحیم
फ़ातिहा का सबूत हदीस में मौजूद है। फ़ातिहा हक़ीक़त में एक ईसाले सवाल है यानी कोई भी मुसलमान अपने किसी भी नेक अ़मल का सवाब किसी भी दूसरे ज़िन्दा या मुर्दा मुसलमान को भेज सकता है और ये सवाब पहुँचता है। इसे ही उर्फ़ में मुसलमान फ़ातिहा या नियाज़ कहते हैं और इसका सबूत हदीस से साबित है बल्कि देवबन्दियों की किताब से भी साबित है जिसके हवाले और दलाइल आप जवाब नम्बर 462 में देखें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 448
हज़रत फेशियल जो औरतें, लड़कियाँ करवाती हैं खूबसूरती के लिये बहुत लड़कियों का रंग साँवला रहता है जिस से शादी नहीं लगती है उस के लिये करवाती है।

जवाब : 448

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जाइज़ है, जबकि गैर मर्द को दिखाने के लिये ना हो।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 449
हज़रत औरतों का मेकप करना कैसा है? लिपस्टिक वग़ैरह वो इस्तिमाल कर सकती हैं या नहीं?

जवाब : 449

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अपने शौहर के लिये जाइज़ है और गैर के लिये हराम, गैर शादी शुदा लड़की को भी फ़ी-नफ्सिही जाइज़ है।

लिपस्टिक में अगर कोई नाजाइज़ केमिकल है तो नाजाइज़ वरना जाइज़ मगर उसकी इतनी मोटी परत लगाना कि वुज़ू का पानी होंट तक ना पहुँचे तो वुज़ू नहीं होगा वरना हो जायेगा। लिपस्टिक में हमारी राय तो है कि इससे परहेज़ करना चाहिये। क्योंकि इस ज़ीनत का गैर मर्द पर इज़हार ज़रूर हो जाता है मस्लन घर में देवर जेठ से और ये नहीं तो घर आये मेहमान से। हाँ अगर घर में सिवाये शौहर या औलाद या औरत के कोई नहीं तो हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल 450

हज़रत ये बतायें कि मेरे हॉस्टल में सारे लोग देवबन्दी हैं। सारे दोस्त और वो भी अल्लाह और उस के प्यारे रसूल पर ईमान रखते हैं और उन में से नमाज़ पढ़ाते हैं। क्या उन देवबन्दी हज़रत के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं और उनके साथ दोस्ती रख सकते हैं? और ये बताइये कि देवबन्दी और वहाबी कौन होते हैं? वो भी अल्लाह और उस के प्यारे रसूल पर ईमान रखते हैं, बस आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी को नहीं मानते। तो देवबन्दी और वहाबी की डेफिनिशन बतायें हज़रत बहुत मेहरबानी होगी।

जवाब : 450

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

चाहे देवबंदी हो या फिर वहाबी अलगर्ज़ कोई भी बद-मज़हब फिरक़ा यानी सिवाये अहले सुन्नत के कोई भी इमाम हो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना गुनाह और बाज़ मर्तबा कुफ्र है। जैसा कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं :

वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और इसी फ़तावा रज़विय्या में आगे जिल्द 6, सफ़हा 621 पर लिखते हैं :

अहले सुन्नत पर फ़र्ज़ है कि अपना इमाम सुन्नी जुम्आ वा ईद के लिये मुक़र्रर करें। वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

और आगे इसी फ़तावा रज़विय्या जिल्द 6, सफ़हा 633 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं। चाहे अपना उस्ताद हो बल्कि उसको उस्ताद बनाना ही उस (सुन्नी) के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक़ नाजाइज़ महज़ बातिल है।

और आगे बढ़ते हुये इमाम, उम्मत की रहनुमाई करते हैं और इसी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 501 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक नाजाइज़ है।

अब रहा कि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्त अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। एक बात बताओ कि गुमराह या काफ़िर होने के लिये पूरा क़ुरआन झुटलाना ज़रूरी नहीं, जो एक भी सूरत को झुटला दे काफ़िर है, फिर चाहे पूरे क़ुरआन पर ईमान लाये इसी तरह ये ज़रूरी नहीं कि कोई सारी ज़रूरिय्याते दीन की बातों का इन्कार करे तो काफ़िर या गुमराह होगा, नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, जो ज़रूरिय्याते दीन से किसी भी एक बात का इंकार करे तो गुमराह और बाज़ का इंकार कुफ्र है फिर चाहे वो नमाज़ पढ़े, सारे इस्लाम के अ़राकान अदा करे, इसी तरह ये कहना कि देवबन्दी अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, ईमान रखते हैं क़ुरआन पर वग़ैरह वग़ैरह। ये लोगों की ना-समझी है, वो हर काम करते हैं मगर कुछ बातों का इंकार करने के सबब बद्दीन हुये। जैसे जो रसूल की गुस्ताखी करे वो काफ़िर है मगर जो उसे अब भी मुसलमान जाने वो भी काफ़िर है। ज़ाहिर है कि अशरफ़ अ़ली और दीगर उलमा -ए- देवबंद और वहाबी ने हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जिस की वजह से अ़रबो अजम में 200 से ज़्यादा मुफ्तियों ने इन्हें काफ़िर कहा और ये भी कहा कि जो उन मौलवियों को नबी की गुस्ताखी जानने के बाद भी मुसलमान जाने वो खुद काफ़िर है। मगर देवबन्दी हज़रात आज तक अशरफ़ अ़ली को अपना इमाम मानते हैं जब कि अशरफ़ अ़ली काफ़िर हो गया था। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो अपने हॉस्टल में नमाज़ पढ़ाये वो खुल के कुफ्र करे बल्कि वो ज़रूर उन काफिरों को अपना इमाम बताता होगा और आला हज़रत जैसे वली -ए- कामिल को ना मानना ही इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो गुमराह है।

उनसे कलाम सलाम की मनाही है, और उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिये भी हदीस में मुमानिअ़त है और ये सारे 72 फिरक़े ही के लिबास में होंगे और इस्लाम ही की बातें करेंगे मगर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया उनकी नमाज़ें क़ुबूल नहीं इसीलिये किसी के लिबास

से धोका नहीं खाना चाहिये और ऐसे तो हर फिरक़ा बल्कि शिया भी कहता है कि हम मुसलमान हैं। तुम्हारा अल्लाह फ़रमाता है

क़ुरआन सूरह बक़रा, आयत 08 में :
"और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके पिछले दीन पर ईमान लाये और वो ईमान वाले नहीं।"

इस आयत से ज़ाहिर है कि लोग दावा तो ईमान वालों का करेंगे मगर सब ईमान वाले नहीं होंगे।

और फ़रमाता है तुम्हारा रब क़ुरआन सूरह बक़रा आयत 11-12 पर :
"और जो उनसे कहा जाये ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं हम तो सवारने वाले हैं, सुनता है वही फ़सादी हैं मगर उन्हें खबर नहीं।
"देवबन्द और वहाबी के गुमराह और जहन्नमी होने में कोई फ़र्क़ नहीं। वहाबी अ़ब्दुल वह्हाब को अपना पेशवा मानता है, देवबन्दी अशरफ़ अ़ली, राशिद अहमद वग़ैरह को।

वहाबी चारों में से किसी इमाम का मुक़ल्लिद नहीं। देवबन्दी फ़ुरूई मसाइल में इमामे आज़म का मुक़ल्लिद है।

वहाबी क़ुरआन हदीस के अलावा इज्मा क़यास नहीं मानता। देवबन्दी इज्मा और क़यास को मानते तो हैं मगर अ़मल में नहीं लाते।

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सवाल : 451
हज़रत हम ने सुना है रूम में इंसानों के पोस्टर लगाने या जानवरों के या पुतला वग़ैरह गुड़िया प्लास्टिक की रखने से रहमत के फ़िरिश्ते नहीं आते हैं। क्या ये सही है हज़रत?

जवाब : 451

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सही सुना है, हदीस में यही हुक्म आया है। जिस घर में जानदार की तस्वीर और कुत्ता हो उस घर में रहमत के फ़िरिश्ते नहीं आते और फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि अगर नमाज़ी के आगे भी जानदार की तस्वीर होगी या नीचे सजदे की जगह तो वो नमाज़ भी फिर से दोहरानी वाजिब है। मगर बच्चे को गुड़िया वग़ैरह खेलना जाइज़ है तो ज़ाहिर है उसका घर लाना भी

जाइज़ होगा तभी बच्चियाँ खेल पायेंगी, इस में हर्ज नहीं और एक बात ये चीज़ें ताज़ीम के साथ घर में नहीं लटकाई जाती बल्कि बच्चे खेलते हैं और फिर अलमारी वग़ैरह में रख दी जाती हैं, इस तरह अगर तस्वीर पर भी पर्दा डाल कर ढक दिया जाये तो नमाज़ में हर्ज नहीं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 452

हज़रत चूड़ीदार पजामा होता है जो औरतों का वो पहन सकती हैं लेडीस या नहीं, क्या उस पर नमाज़ हो जाती है?

जवाब : 452

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ऐसा लिबास पहनने को उलमा ने नाजाइज़ लिखा जिस से जिस्म की बनावट (मआज़ अल्लाह) ज़ाहिर हों। आज-कल जो चूड़ीदार पैजामा लड़कियों में पहना जाता है जिसे स्लेक्स कहते हैं इसका पहनना हराम और गुनाह।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी,
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 172 पर लिखते हैं :
चूड़ीदार पैजामा पहनना मना है कि वाज़ेह फुस्साक़ की है। शैख अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिस द्हेलवी अदब अल लिबास में फ़रमाते हैं :

سراویل کہ در عجم متعارف است کہ اگر زیر شتالنگ باشت یا دوسہ چین واقع شود بدعت و گناہ است

तर्जुमा : सलवार जो आलमी इलाक़ों में मशहूर व मअ़रूफ़ है अगर टखनों के नीचे हो या दो तीन इंच (शिकन/चूड़ी/बाल) नीचे हो तो बिदअत और गुनाह है।

और कोई भी गैरत वाली औरत ये गवारा नहीं करेगी कि वो ऐसा चुस्त लिबास पहन कर लोगों में आये और अगर वो पर्दादार है तब भी घर में वालिद भाई के सामने आने में ज़रूर बेगैरती है जो हया वाली तो हरगिज़ गवारा नहीं करेगी और जिसकी हया गैरत मर चुकी है और बाप भाई की शर्म बाक़ी नहीं तो उसके लिये सब जाइज़ है।

हाँ, अगर घर में सिर्फ़ शौहर और बच्चे हों या औरतें तो पहनना ठीक जबकि देवर, जेठ वग़ैरह भी ना हो वरना इस लिबास से बचना चाहिये जिसे अगर अचानक किसी के सामने आना पड़े तो खुद भी और सामने वाला भी गुनाह में शामिल हो।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 453
4 रक़अत नमाज़ सुन्नत की निय्यत कैसे की जाती है? हज़रत पोस्ट का जवाब जल्दी दें। सऊदिया से किसी ने पूछा है।

जवाब : 453

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
निय्यत दिल के इरादे का नाम है, दिल में इरादा करना कि मै सुन्नत पढ़ रहा हूँ और जिस वक़्त की पढ़ रहा हो उस वक़्त का भी ख्याल रखे ये काफ़ी है, नमाज़ हो जायेगी।

वैसे मुसलमान इस तरह निय्यत करते हैं कि निय्यत की मैने 4 रकअ़त सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ वक़्त ज़ुहर है अल्लाहु अकबर।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 454
रूह क़ब्ज़ करने के लिये मलकुल मौत कितने फ़िरिश्तों को अपने साथ ले कर आते हैं?

जवाब : 454

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इसकी सही तादाद तो मेरे इल्म में नहीं मगर जैसे बन्दा होता तो उसकी रूह उन्हीं फ़िरिश्तों को दी जाती है मस्लन रहमत और अज़ाब दोनों फ़िरिश्ते मलकुल मौत के साथ होते हैं अगर गुनाहगार है तो रूह अज़ाब के फ़िरिश्तों के सुपुर्द कर दी जाती है वरना रहमत के फ़िरिश्तों से।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 455
रात को झाड़ू मारना कैसा?

जवाब : 455

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

कभी मजबूरन लगाने में हर्ज नहीं और आदत बना लेना कि अक्सर रात ही को झाड़ू लगाई जाये तो इससे घर में तंगदस्ती आती है। इस से बचना चाहिये मगरिब से पहले सफाई करने की आदत बनायें।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 456
क्या गैर मुक़ल्लिदीन से दीनी बहस कर सकते हैं?

जवाब : 456

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर आप मुनाज़िरे के फ़न से वाक़िफ़ हैं और इस में माहिर भी हैं और ज़ुबान अ़रबी फारसी वग़ैरह में माहिर और सुन्नियत के एक बड़े और ज़बरदस्त अल्लामा हैं और इस फ़न में इल्म भी रखते हैं और अपने अ़क़ाइद से वाक़िफ़ और दलाइल के साथ साबित करना जानते हैं तो कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं तो गैर आलिम को बद-मज़हब से बिला ज़रूरत बहस करना नाजाइज़।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 457
वित्र की नमाज़ में जो तीसरी रकअ़त में निय्यत बांधतेहैं क्या वो हदीस से साबित है?

जवाब : 457

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हनफ़ी शख्स को इस बात का ज़रूर ईमान रखना चाहिये कि सुन्नियत में और हनफ़ी मज़हब में कोई चीज़ क़ुरआन हदीस के खिलाफ़ नहीं फिर चाहे उसकी दलील उसे मिले या ना मिले मगर इमामे आज़म के बताये रास्ते को मज़बूती से थामना चाहिये। चाहे वहाबी इमाम के क़ौल और फेल के खिलाफ़ भी अगर कोई हदीस पेश कर दे तब भी इमाम के मस्लक पर कोई शक नहीं करना चाहिये।

वित्र की तीसरी रकअ़त में तकबीर कहना वाजिब है और कोई दुआ पढ़ना वाजिब है मगर हाथ कान तक पहुँचाना वाजिब नहीं सुन्नत है और कोई फिर से हाथ ना उठाये और सिर्फ़ तकबीर कह ले तब भी वित्र हो जायेंगे मगर खिलाफे सुन्नत होंगे और फुक़हा ने फरमाया जब लोगों के सामने क़ज़ा वित्र पढ़ें तो हाथ ना उठायें। जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 654 पर है :

वित्र की तीनों रकअ़त में क़िरअ़त फ़र्ज़ है और हर एक रकअ़त में बाद फ़ातिहा सूरत मिलाना वाजिब। तीसरी रकअ़त में क़िरअ़त से फारिग हो कर रुकूअ़ से पहले कानों तक हाथ उठायें अल्लाहु अकबर कहें जैसे तकबीरे तहरीमा में करते हैं और दुआ -ए- क़ुनूत पढ़ें।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 458

जब अल्लाह तआला ने हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाला तो सब से पहले आदम अ़लैहिस्सलाम के मुँह से कौन सा वर्ड निकला था?

जवाब : 458

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ (Alhamdulillah)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 459

क्या किसी हिन्दू की कम्पनी में जॉब कर सकते हैं अगर हाँ तो बॉस के साथ सलाम दुआ करें या नहीं और अगर वो करे तो क्या करना चाहिये?

जवाब : 459

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जॉब कर सकते हैं जबकि काम जाइज़ हो और ज़िल्लत वाला ना हो। खुद सलाम की पहल ना करें और वो करे तो सिर्फ़ و علیکم कह दें वरना "गुड मॉर्निंग" जैसे लफ्ज़ का इस्तिमाल करें। फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं:

काफ़िर को सलाम हराम है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 460

हज़रत क्या आर्टिफिशियल ज़ेवर औरतें पहन कर नमाज़ पढ़ सकती हैं, इस में नमाज़ होती है या नहीं होती है?

जवाब : 460

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी फ़रमाते हैं : (सोने चाँदी के इलावा) दूसरे धात की अँगूठी पहनना हराम है मस्लन, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता वग़ैरह। इन धातों की अँगूठियाँ मर्द व औरत दोनों के लिये नाजाइज़ हैं।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 426)

फ़तावा बरेली शरीफ़ में है :
लोहा व तांबा, पीतल व गिल्ट की अंगूठी मर्द औरत दोनों के लिये और सोने की मर्दों के लिये नाजाइज़ व हराम। बाज़ फुक़हा ने मकरूह लिखा है लेकिन सही यही है कि हराम है इन्हें पहनकर नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 375 पर है :
तांबा, पीतल और लोहे के ज़ेवरात पहनकर पढ़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी।

दुर्रे मुख्तार में है :
کل صلوٰۃ ادیت مع کراھۃ التحریم وجب اعادتھا
हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गयी हो उसका लौटाना वाजिब होता है।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि सोना चाँदी के अलावा किसी और धात का ज़ेवर औरत को पहनना जाइज़ नहीं है और अगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ी जायेगी तो वो नमाज़ फिर से पढ़नी होगी।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 461
हज़रत अगर हमको ये जानना है कि "कुन फ़ाया कुन" नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है और ये नमाज़ किसलिये पढ़ी जाती है?

जवाब : 461
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मैने इस नमाज़ के बारे में एक किताब में पढ़ा तो था मगर अब काफ़ी तलाश किया मगर मिल नहीं सकी। अगर जल्द मिली और आप तक पहुँचाना मुम्किन रहा और याद भी रहा तो मै बाद में अ़र्ज़ कर दूँगा। (इंशा अल्लाह) ये नमाज़ अपनी हाजत को पूरा करने के लिये

होती है यानी अगर किसी का कोई काम अन्जाम ना पाता हो या कोई हाजत (Wish) हो तो ये नमाज़ उसे पूरा करने के लिये काम आती है मगर इसके सिवा भी हदीस में काफ़ी और नमाज़ें हैं जो हाजत को पूरा करती हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 462

हज़रत फ़ातिहा कराना क्या हदीस से साबित है और कोई फ़ातिहा पे ईमान नहीं रखता हो तो क्या वो गलत है?

जवाब : 462

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! फ़ातिहा करना हदीस से साबित है और मुसलमानों को जानना चाहिये कि आखिर फ़ातिहा किस चीज़ का नाम है बहुत वहाबी फ़ातिहा के नाम पर सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

हक़ीक़त में फ़ातिहा नाम है ईसाले सवाब का यानी मुसलमान अपने किसी भी नेक अ़मल का सवाब किसी दूसरे ज़िन्दा या मुर्दा मुसलमान को ईसाल (Transfer) कर सकता है जिसे उर्फे आम में फ़ातिहा कहा जाता है।
हदीस में किसी और की तरफ से हज करने का सबूत भी मौजूद है। इसी तरह किसी और की तरफ से नमाज़ पढ़ने का सबूत भी यानी अगर कोई मुसलमान कोई नेक काम करे (मस्लन, नमाज़, सदक़ा या खाना बना कर मुसलमान को खिलाये, या क़ुरआन पढ़कर बख्शे) इसे ही फ़ातिहा कहा जाता है और जो देवबन्दी कहते हैं कि ईसाले सवाल तो जाइज़ है मगर खाना आगे रखना जाइज़नहीं तो उनसे कहा जाये कि ठीक है आप खाना आगे ना रखो मगर फ़ातिहा तो करो?

अब सवाब दूसरे को पहुँचता है इस बयान में,
हदीसे शुअ़बुल ईमान : जब तुम में से कोई अपने माँ बाप की तरफ़ से करे, इसका सवाब उन्हें मिलेगा और इसके सवाब में भी कोई कमी ना होगी।

हदीसे शुअ़बुल ईमान : मुर्दे का हाल क़ब्र में डूबते हुये इंसान की तरह है वो शिद्दत से इन्तिज़ार करता है कि माँ-बाप, भाई या दोस्त की दुआ उसको पहुँचे और जब उसे दुआ पहुँचती है तो वो उसके लिये दुनिया और उस में जो कुछ है इस से बेहतर होती है।

एज़न सफ़हा, 308, जब कोई शख्स को ईसाले सवाब करता है तो जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम उसे नूरानी तबक़ में रख कर क़ब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ क़ब्र वाले ये तोहफ़ा तेरे घर वालों ने भेजा है क़ुबूल कर और ये सुन कर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन।
कश्फुल खिफ़ा में एक हदीस नक़्ल है कि जो क़ब्रिस्तान में 11 बार सूरह इख्लास पढ़ कर मुर्दों को इसका सवाब पहुँचाये तो मुर्दों के सवाब के बराबर भेजने वाले को भी सवाब मिलेगा।

सुनन अबू दाऊद में है हज़रते साद बिन उबादा (रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया, कौन सा सदक़ा अफज़ल है?
फ़रमाया : पानी।
उन्होंने एक कुँआ खुदवाया और कहा ये उम्मे साद के लिये है।

इस हदीस से भी साफ़ है कि बादे वफ़ात किसी की जानिब से नेक अ़मल किया जा सकता है। इसीलिये मुसलमान हर जुम्आ को मीठा बना कर क़ुरआन पढ़ते हैं और उस सब का सवाब अपने मरहूम को भेजते हैं, इसी का नाम फ़ातिहा है। और तो और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने खाने को सामने रख कर भी क़ुरआन पढ़ा है और उसमें बरकत हुई। ये हदीस भी बुखारी में मौजूद है। अहले सुन्नत के सारे मुआमले और दलाइल के लिये किताब "जा-अल हक़" का पढ़ना फाइदेमन्द है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 463
हज़रत मैने छत्तीसगढ़ तकिया पारा दुर्ग की मस्जिद में देखा है और अ़क़ाइदे अहले सुन्नत और अनवारे शरीअ़त में पढ़ा भी है कि सिवाये मगरिब हर अज़ान और जमाअ़त के दरमियान सलात (अस्सलातो वस्सलामु अ़लैका या रसूललल्लाह) या इस तरह के दूसरे कलिमात बुलंद आवाज में पढ़ने चाहिये लेकिन हज़रत मैने उस मस्जिद को छोड़ कर ऐसा कहीं नहीं देखा ना सुना ऐसा क्यों?

जवाब : 463

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अज़ान या तकबीर से पहले (दुरूद सलाम पढ़ना जाइज़ है), जिस के जाइज़ होने में आज का नहीं बल्कि सदियों पुराने उलमा का भी फ़तवा मौजूद है और जो लोग इसे नाजाइज़ कहते हैं जाहिल हैं। और इसे "तस्वीब" कहा जाता है और तस्वीब शरीअ़त में जाइज़ है और

जो मगरिब में नहीं पढ़ी जाती वो इसीलिये कि मगरिब में अज़ान के बाद ताखीर करना मकरूह है इसीलिये फौरन वक़्त होते ही जमाअ़त क़ाइम की जाती है।

क़ुरआन में अल्लाह का इरशाद है :
अल्लाह और उसके फ़िरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर, ऐ ईमान वालों! तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम कसरत से।

इस आयत से मालूम हुआ सलाम पढ़ने की कोई क़ैद नहीं कसरत से पढ़ना चाहिये जब चाहे तो ये अज़ान से पहले हो या इक़ामत से पहले या किसी भी जाइज़ काम से पहले हर्ज नहीं।

फ़तावा अमजदिया, जिल्द 1, सफ़हा 56 पर है :
तस्वीब के माइने ये हैं कि अज़ान के बाद और इक़ामत से पहले दोबारा नमाज़ का ऐलान किया जाये ताकि जो लोग अज़ान सुन कर नमाज़ के लिये नहीं आये उन्हें याद आ जाये और इसके लिये कोई खास लफ्ज़ नहीं बल्कि वहाँ के लोगों ने जो लफ्ज़ इसके लिये मुक़र्रर कर लिया वो जाइज़ है। (और अहले सुन्नत में दुरूदो सलाम ही मशहूर है)

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 1, सफ़हा 119 पर है कि :
सलातो सलाम हर वक़्त पढ़ना जाइज़ है लिहाज़ा हर नमाज़ के बाद और सुबह की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 180 पर है कि :
अज़ान व इक़ामत से पहले दुरूद पढ़ना जाइज़ है।

अगर आपने ऐसा कहीं देखा सुना नहीं तो भी हर्ज नहीं। ऐसे कई मसाइल हैं जो आपने नहीं सुने होंगे और कई चीज़ हैं जो आपने नहीं देखी होंगी और मुम्किन है कि आपका वास्ता अक्सर देवबन्दी मसाजिद से पड़ जाता होगा वरना अक्सर सुन्नी मस्जिद में अल्लाह के करम से आज तक दुरूदो सलाम चालू है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 464
बहुत लोगों को देखा जाता है रात में कचरा फेंकते हैं ज़्यादातर जब कि सुबह ही फेंक सकते हैं मगर ऐसा नहीं करते। इसमें शरीअ़त का क्या हुक्म है?

जवाब : 464

بسم الله الرحمٰن الرحيم

रात में झाड़ू ना लगाने के बारे में तो पढ़ा है मगर कचरा भी रात को नहीं फेंकना चाहिये इस बारे में कोई इबारत मेरी नज़र से नहीं गुज़री। मगर इस में कोई हर्ज नज़र नहीं आता और हो सकता हो कि मुसलमान के इस अ़मल में कोई हिकमत ज़रूर हो और वैसे भी कचरे को ज़्यादा देर रखना बहुत बीमार ही करेगा। जैसे कचरा अगर सुबह तक रखा जायेगा तो शायद बदबू दे और कभी देखा भी जाता है कि कचरे में कीड़े लग जाते हैं और ऐसा भी होता होगा कि अगर कचरे की बाल्टी भरी होगी तो ज़रूर बिल्ली, चूहा उसे गिरा कर अपने लिये खाना तलाश करें जिस से घर में कचरा फैलने का डर होता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि रात को गोश्त खाया और हड्डियाँ कचरे की बाल्टी में रख दी, सुबह देखा तो बाल्टी उल्टी और हड्डियाँ बाहर मिलती हैं, इस से पता चलता है कि जानवर उसे गिरा कर गन्दा कर देते हैं क्योंकि ये जानवर रात को ही निकलते हैं और घर वाले सोये होते हैं। इसी डर से शायद लोग रात को कचरा नहीं रखते होंगे फेंक देते होंगे। और इसे फेकने में बज़ाहिर फ़ाइदा नज़र आ रहा है और तो ये मेरी नाक़िस अ़क़्ल की सोच है कि शायद ऐसा ही होता हो और हो सकता हो हक़ीक़त इस से परे हो।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 465

हज़रत क्या हम गाने को गुनगुना सकते हैं, कुछ मुहब्बत के अशआर बिना ढोल वग़ैरह के?

जवाब : 465

بسم الله الرحمٰن الرحيم

नहीं और गाना दिल में निफ़ाक़ पैदा करता है। ईमान वालों को मुनाफिक़त की जानिब ले जाता है और बिला वजह गैर ज़रूरी बात से भी ज़ुबान को बन्द रखना चाहिये। लोग क़ियामत में अपनी ज़ुबान की वजह से ज़्यादा नुक़्सान उठायेंगे। नात गुनगुना सकते हो, आयत वग़ैरह और हर वो लफ्ज़ जो आपके मुँह से निकलेगा वो फ़िरिश्तों के ज़रिये से लिख लिया जायेगा और क़ियामत में उसका हिसाब देना होगा फिर लोगों के सामने जब अल्लाह पूछेगा ये मुहब्बत के शेर क्यों और किस लिये गुनगुनाये थे तो क्या जवाब होगा? और कैसी रुसवाई।

क़ुरआने पाक में तुम्हारा रब फ़रमाता है, सूरह 97 आयत 08 में :

"और जो एक ज़र्रा भर बुराई करेगा उसे देखेगा।"

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 466
हज़रत इस्लाम में (92) और (786) नम्बर का क्या मतलब होता है?

जवाब : 466

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
786 बिस्मिल्लाह शरीफ़ के अ़दद हैं।
92 हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के नामे पाक मुहम्मद अ़लैहिस्सलाम के अ़दद हैं।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 467
हज़रत फ़र्ज़ की 4 रकअ़तों में अगर तीसरी रकअ़त में गलती से सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ ले तो क्या हुक्म है? सजदा -ए- सहव या नमाज़ को दोहराना पड़ेगा?

जवाब : 467

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ना सजदा सहव ना नमाज़ को दोहराना पड़ेगा बल्कि नमाज़ सही हुई कोई हर्ज नहीं और अगर फर्ज़ की चौथी में भी सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह मिलाये (जबकि तन्हा हो) तो मुस्तहब है।

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत से इसी के मुतल्लिक़ सवाल हुआ कि एक शख्स फ़र्ज़ नमाज़ की आखिरी दो रकअ़त में भी सूरह फ़ातिहा पढ़ता है और सूरत मिलाता है तो उसकी नमाज़ फ़र्ज़ हुई या सुन्नत?

इसके जवाब में आला हज़रत मुहद्दिसे बरेलवी फ़रमाते हैं : फ़र्ज़ हुई और नमाज़ में कुछ खलल ना आया। ना इस पर सजदा -ए- सहव था बल्कि अगर जानकर भी फ़र्ज़ की आखिरी दो रकअ़तों में सूरत मिलाई तो कुछ हर्ज नहीं। सिर्फ खिलाफ़े अवला है मगर बाज़ आइम्मा ने इसे मुस्तहब होने की तशरी फ़रमाई।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 8, सफ़हा 192)

मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहिब वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2, सफ़हा 69 पर लिखते है :
फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना मुस्तहब है।

याद रहे ये हुक्म तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले के लिये है। इमाम को आखिरी दो रकअ़त में क़िरअ़त मकरूह है।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि अगर कोई तन्हा नमाज़ पढ़े तो चारों रकअ़त में तिलावत कर सकता है और इमाम अगर आखिरी दो में क़िरअ़त करे और मुक़्तदी पर गिरियाँ गुज़रे तो जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 468

क्या इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु ने यज़ीद को काफिर कहा है?

जवाब : 468

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इमामे आज़म मे यज़ीद को काफ़िर ना कहा यानी अहनाफ़ का मौकिफ़ है कि कोई काफ़िर कहेगा तो मना नहीं करेंगे खुद कहेंगे नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 469

हज़रत औरतों के पर्दे के बारे में बताइये। आज-कल माहौल ऐसा है कि वो अपने कज़िन से पर्दा नहीं कर पाती हैं जब कि वो लोग एक दूसरे को भाई-बहन ही समझते हैं। फिर भी क्या कज़िन, बहनोई, देवर से पर्दा करना ज़रूरी है और अगर ऐसा माहौल हो कि उस में इतना पर्दा पॉसिबल ना हो फिर?

जवाब : 469

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

औरत को हर गैर मर्द से पर्दा फ़र्ज़ है, जिससे भी निकाह जाइज़ है उस से पर्दा फ़र्ज़ है फिर चाहे वो आपस में एक दूसरे को बहन भाई माने। और रहा कज़िन से पर्दा ना करना तो ये लड़की की खुद की गलती है। सारा माहौल अपने हाथ में होता है, जब कोई कुत्ते का गोश्त खाना नहीं चाहता तो दूसरा उसे खिलाने पर मजबूर नहीं कर सकता इसी तरह अगर कोई लड़की खुद पर्दा करने की ठान ले तो सारा माहौल बन जाता है। ये घर और दुनिया की परेशानी गर्मी कुछ नहीं, हर वक़्त क़ब्र में उतरने को याद रखना चाहिये।

अगर घर ऐसा है कि पर्दा मुम्किन नहीं तो दुपट्टा को सारा दिन नमाज़ का सा बांधे रखे और आस्तीन पूरी कलाई तक और इस दौर में चेहरे के छुपाने को भी उलमा ने वाजिब कर

दिया तो अब जवान औरत को गैर मर्द से चेहरा भी छिपाना वाजिब है। ये जो चचा वग़ैरह के बच्चे आते हैं तो लड़की को चाहिये कि खुद वहाँ से हट जाये मगर देखा जाता है कि लड़कीखुद बड़ों के बीच में बेशर्म बन के बैठी ही रहती है जबकि उनका वहाँ कुछ काम नहीं होता तो रसोई में जा कर नाश्ता या दूसरे कमरे में औरतों के साथ बैठ सकती है। दुआ सलाम के बाद ज़रूरत ही क्या है कज़िन की मौजूदगी में बैठने की और बेकार हँसी मज़ाक़ और बाते मिलाने की।

बहारे शरीअ़त जिल्द 1, सफ़हा 479 पर है :
सित्रे औरत हर हाल में वाजिब है चाहे नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने।

ठीक उसी तरह लड़की ये ना समझे कि गैर मर्द हमें ना देखे, हम तो उसे देख सकते हैं बल्कि औरत भी शहवत के साथ मर्द की तरफ़ नज़र नहीं कर सकती।

मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी बहारे शरीअ़त, हिस्सा 16, सफ़हा 86 पर फ़रमाते हैं :
औरत का अजनबी मर्द की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ़ नज़र करने का है। नाफ़ के नीचे से घुटनों तक नहीं देख सकती।

बल्कि दौरे पुरफ़ितन में चाहिये कि औरत देवर, जेठ और ससुर से भी घूंघट रखे और बे-ज़रूरत उनके सामने भी ना आये जाये। एक हदीस में देवर जेठ से पर्दा करने के बारे में हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया : - "देवर जेठ तो मौत है।"
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 217)

गोद लिये बच्चे को अगर गोद लेने वाली औरत ने अपना दूध ना पिलाया हो तो उस औरत के सगे बच्चे से भी उस गोद वाले का पर्दा होगा चाहे ये उसे भाई बहन समझते हों।
खुलासा -ए- कलाम ये है कि दुनिया ज़ालिम और जाहिल से भरी हुई है। कल क़ियामत में कोई सगा काम ना आयेगा, खुद अपनी क़ब्र की तैय्यारी में लगे रहना चाहिये। अल्लाह की नाफरमानी में किसी का हुक्म मानना जाइज़ नहीं। अब लोगों की शर्म से पर्दा छोड़ देने वाली औरत को खुद सोच लेना चाहिये कि जिस काम को अल्लाह व रसूल ने हराम किया उसे किसी के लिये भी नहीं किया जायेगा और कल क़ियामत में क्या मुँह लेकर अपने रब के सामने जायेगी और क्या जवाब देगी। रब ही राज़ी नहीं तो दुनिया की खुशी और रज़ामन्दी हासिल कर के भी क़ियामत में फाइदा नहीं होगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 470

हज़रत इन्सान को जो मिलता है दुनिया से क्या वो उसी की क़िस्मत में होता है या उस के आमाल में? अगर जो क़िस्मत में लिखा होता है फिर कैसे इन्सान गुनाहगार होता है? इन बातों को समझ नहीं पा रहे हज़रत!

जवाब : 470

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बन्दे को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया बल्कि कुछ इख्तियार भी दिये हैं। सही गलत भी बताया है और खुद फैसला करने पर छोड़ा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बन्दा क़िस्मत के हाथों मजबूर है कुछ नहीं कर सकता। क़िस्मत भी हक़ है मगर इसका मतलब है कि अल्लाह को पहले ही सब कुछ मालूम था कि कौन क्या करने वाला है फिर वो उसकी क़िस्मत में लिखा। ऐसा नहीं है कि लिखने से बन्दा मजबूर हुआ हो बल्कि वो जो करने वाला था अल्लाह ने जान लिया और लिखा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 471

हज़रत एक शख्स ने सवाल पूछा है और सवाल ये है कि क़ुरआने अज़ीम में आया है कि शहीद ज़िन्दा हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करो तो उनको फातिहा क्यों कराया जाता है? इस की हक़ीक़त क्या है हज़रत? जिसने सवाल किया है वो आला हज़रत के मानने वालों में से हैं। उन के मन में ये सवाल है तो आप से पूछने को बोले हैं।

जवाब : 471

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

उनके ख्याल में ये गलत फहमी है कि फ़ातिहा सिर्फ दुनिया से जाने वालों की होती है बल्कि हक़ीक़त हे है कि फ़ातिहा एक ईसाले सवाब है। यानी ये ज़िन्दा को भी हो सकता है और मुर्दा को भी यानी अगर में 4 क़ुल पढ़ कर आपके नाम-ए-आमाल में भेज दूँ तो ये भी एक फ़ातिहा की क़िस्म है और आपके नाम की फ़ातिहा कहलाई जायेगी तो अब अगर शहीद ज़िन्दा है तो भी हर्ज क्या है। अपना सवाब दुनिया से गये और मौजूद और आने वाले सब को भेजा जा सकता है (फ़ातिहा सिर्फ मुर्दों की ही होती है, ये उनकी गलतफ़हमी है)। क़ुरआन में जो शहीद को ज़िन्दा कहा मगर आगे ये भी फ़रमा दिया कि उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है तुमको खबर नहीं यानी वो किस तरह ज़िन्दा है अल्लाह जाने वो उन्हें खिलाता पिलाता है। तुम उनकी ज़िन्दगी को अपनी तरह ना जानो बल्कि उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है तुम्हें खबर तक नहीं, और बादे वफ़ात की ज़िन्दगी का अन्दाज़ा

इस तरह की हयात से नहीं लगाया जाता क्योंकि दुनिया में हम अपने रिज़्क़ को किसी को भी दे सकते हैं और किसी का रिज़्क़ भी ले सकते हैं। अब क़ुरआन कहता है कि शहीद को भी रिज़्क़ मिलता है तो क्या कोई उसका रिज़्क़ बाँट सकता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 472

ज़ैद ने कहा "कस्टमर तो भगवान का रूप है।" ज़ैद पर क्या हुक्मे शरई लगेगा?

जवाब : 472

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

कस्टमर को भगवान का रूप कहना काफ़िरों का जुमला है अगर्चे ये कोई उनका मज़हबी शियार नहीं और मुसलमान के लिये इन में कई पहलू निकल सकते हैं। सिर्फ़ गुनाह के भी, मुबाह का भी और कुफ्र के भी। तो बेहतर है, ज़ैद ने पूरी बात क्या कही तफ़सीलन अ़र्ज़ की जाये यानी इस जुमले से पहले और बाद की क्या बात है? वरना ज़ैद पास के किसी आलिमे दीन के पास रुजू करके अपनेऊपर हुक्मे शरअ़ पूछ ले। बहरहाल एहतियातन तौबा में हर्ज नहीं और आइन्दा बाज़ रहने से।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 473

हज़रत ये जो आज-कल औरतें, लड़कियाँ बाज़ार में बुरक़े तो पहनती हैं मगर चेहरा खुला रखती हैं, क्या ये सही है? गैर मर्द के सामने चेहरा खोल सकते हैं? और अगर किसी से कहो कि चेहरा ना खोलो तो कहती हैं शरीअ़त ने चेहरे खोलने की इजाज़त दी है। आप बताइये क्या सही है?

जवाब : 473

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पर्दादार चेहरों को चमकाता हुआ
झूटे पर्दों पर क़हर बरसाता हुआ।
(रद्दुल हिजाब बिल बातिल निक़ाब)

"सभी माली फ़ैली इबादत उसी अज़मत वाले शोहरत वाले इज़्ज़त वाले, ज़मीन और आसमान के नूर (अल्लाह) के लिये, जो चमकायेगा क़ियामत में चेहरा अपने करम से इस तहरीर के लिखने वाले का और पढ़ने वालों और खास कर अ़मल करने वालों का, उनके

साथ जिनके साथ वादा किया गया कि कुछ चेहरे हश्र के मैदान में चमकते होंगे और दुरूदो सलाम हो बेशुमार उस नूरानी चेहरे वाले के लिये, जिनकी औलाद दर औलाद को इमामे अहले सुन्नत ने नूर फ़रमाया और तमाम सहाबा और अहले बैत पर जिन्होंने गवाही दी कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम का चेहरा 14वीं के चाँद से ज़्यादा चमकदार था।

जी, हाँ! पुरफितन दौर को देखते हुये उलमा ने चेहरे को छिपाने को वाजिब लिखा है। मै कहता हूँ (अल्लाह की तौफ़ीक़ से) कि सारा कमाल और वबाल चेहरे का ही है। चेहरा ही भाता है और चेहरा ही डुबाता है और कल दोज़ख में भी कुछ औरतें अपने चेहरे नोचती होंगी मगर कुछ के चेहरे तो नूरानी होंगे तो फिर मेरी इस बात में कुछ मुबलिगा नहीं। अगर मै कहूँ कि हुस्न का दारो मदार चेहरे पर है। जो गैर मर्द से हुस्न को छुपाना चाहे उसे चाहिये कि चेहरे को छिपा ले।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, सफ़हा 552 पर है :
(उलमा ने) चेहरा छिपाना सदी अव्वल में वाजिब ना था, वाजिब कर दिया।"

हिदाया में है :

سدل الشیئ علی وجھھا واجب علیھا
यानी : "चेहरे पर पर्दा लटकाना औरत पर वाजिब है।"

शरह लिबास में है :

دلت المسئلته علی ان المرأۃ منھیتہ عن اظھار وجھھا للاجناب بلا ضرورۃ
यानी "ये मसअला इस बात पर दलालत करता है कि औरत को बिला ज़रूरत अजनबी लोगों पर अपना चेहरा खोलना मना है।

दुर्रे मुख्तार, शरह तनवीरुल अब्सार में है :

تمنع من کشف الوجہ بین رجال لخوف الفتنتہ
यानी "फ़ितने के खौफ़ से औरतों को मर्दों में चेहरा खोलने से रोका जाये।"

इस क़िस्म के सैकड़ों मसाइल हैं जिसे उलमा ने वक़्त की नज़ाकत के तहत बदल दिये और जो कहे कि ये हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के वक़्त में नहीं था या शरीअ़त में पहले नहीं था अब क्यों? तो वो जाहिल है क्योंकि इस तरह के हुक्म शरीअ़त के खिलाफ़ नहीं बल्कि ऐन शरीअ़त ही के मुताबिक़ और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के फ़रमान ही के मुताबिक़ होगा।

और अगर कोई अहमक औरत जो अहकामे शरीआ से बेखबर हो और यूँ कहे कि जब दौरे रसूल में चेहरा छिपाना वाजिब नहीं था तो अब क्यों?
तो इसका जवाब ये है कि दौरे रसूल में तो औरतें मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ती थीं, बल्कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया :

اذا استأذنت احدكم امرأتي الى المسجد فلا يمنعها

यानी "जब तुम में से किसी की औरत मस्जिद जाने की इजाज़त माँगे तो उसे मना ना करो।" (इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने भी रिवायत किया)

और फ़रमाया हदीसे पाक में :

لاتمنعوا اماء الله مساجد الله

यानी "अल्लाह की कनीज़ों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको। (इस हदीस को भी मुस्लिम और अबू दाऊद ने सुनन में नक़्ल किया है।)

मगर आज कोई औरत नहीं कहती कि मस्जिद में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वो तो पहले ही घर में भी नमाज़ पढ़ना नहीं चाहती और नमाज़ में कसरत है वुज़ू और हाथ पैर हिलाने की। और चेहरा दिखाने में हुस्न का दिखावा ज़ीनत का इज़हार है, कोई कसरत मशक्कत नहीं बल्कि दिल को भाता है कि गैर हमारा हुस्न देखे। तो खुद गौर कर ले कि नफ्स के गलबे की खातिर चेहरा खोलना चाहती है या शरीअ़त की खातिर? इसीलिये तरह तरह के हीले करती है और नफ्स पर फौरन शरीअ़त और रसूल का दौर याद आ जाता है। जमाअ़त से नमाज़ पर कभी याद ना आया। पहली सदी में औरतें मस्जिद जाती थी मगर बाद में वक़्त की नज़ाकत के तहत दौरे फारूक़े आज़म में इसे भी बन्द करना पड़ा। उस वक़्त क्या हज़रते उमर और हज़रते आइशा को ये नहीं मालूम था कि वो ऐसे काम पर पाबंदी लगा रहे हैं जिस पर हबीबे खुदा ने पाबंदी ना लगाई, नहीं नहीं हरगिज़ नहीं।

बल्कि हज़रते आइशा ने फ़रमाया:

لوان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء مرأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نسائها

"हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम हमारे ज़माने की औरतों को देखते तो उन्हें मस्जिद जाने से मना करते। जैसे बनी इसराईल ने अपनी औरतों को मना कर दिया।"

इस फ़रमान से ये साबित है कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम भी होते तो उस दौर को देखते हुये ज़रूर यही हुक्म देते जो हमने दिया।"

इस हदीसे पाक से चमकते चेहरे की तरह साफ़ हो गया कि उलमा का कोई फ़रमान खिलाफे रसूल नहींहोता बल्कि ऐन हुक्मे रसूल पर होता है। उसके बाद आज तक उलमा ने औरतों को मस्जिद की हाज़िरी से बाज़ रखा क्योंकि अब तो दौर उस से भी ज़्यादा आग बरसाने वाला है।

फत्हुल क़दीर में है :

عمم المتاخرون المنع العجائز والشواب فی الصلوات کلها لغلبته الفساد فی سائر الاوقات

यानी "फ़साद के गलबे की वजह से तमाम वक़्तों की नमाज़ों में जवान बूढ़ी औरतों को निकलना मुतखिरीन ने मना फ़रमाया है। फिक़्ह का एक क़ाइदा भी है कि ज़माने की तब्दीली के सबब अहकाम की तब्दीली का इन्कार नहीं किया जा सकता।"

खुलासा -ए- कलाम और मेरी राय भी यही है कि हर मर्द पर लाज़िम है कि वो गैर के सामने पर्दे के साथ-साथ अपनी औरत को चेहरा छिपाने का भी हुक्म दे और जो ये कुछ निक़ाब होते हैं जिस में आँखें खुली होती हैं, मेरे नज़दीक इस का पहनना भी नापसंदीदा, बल्कि आँखों सहित पूरा चेहरा ढका होना चाहिये। इसकी एक खास वजह है कि चेहरा छिपाने का हुक्म इसीलिये है कि ना रंग दिखे ना उम्र मगर निक़ाब में आँखें खुली रहने से औरत की उम्र और रंग का अंदाज़ा हो जाता है और ये भी कि जवान है या बूढ़ी। बस ये दिल में फ़साद पैदा करने के लिये काफ़ी है तो चाहिये मुसलमान इज़्ज़त वाले मर्दों और औरतों को, कि बाज़ारों और गैर मर्द के सामने मुकम्मल पर्दा करें। यानी चेहरा भी छिपायें और आँखें भी ढक कर रखें और घर में रहते हुये घूंघट करा जा सकता है इस में दुश्वारी नहीं है अगर कोई करना चाहे और मझे हैरत है दरे रसूल में तो सहाबियात रात-रात भर नमाज़ पढ़ती थीं, रोज़े रखती थीं, इस काम को लेकर वो दौर याद क्यों नहीं आता कि हम भी रातों को आराम ना करके नमाज़ पढ़ें? दौर याद आया तो चेहरा खोलने पर?

इस कलाम को पढ़ने के बाद कहेंगे कुछ बेबाक़ लोग कि पर्दा आँखों का है फिर मैं कहूँगा कि इस दौर में लोगों में हया ज़्यादा आ गई? क्या उस पहली सदी में हया वाले नहीं थे और मुम्किन है फिर कोई बेबाक़ बोल बैठे कि दिल साफ़ होना चाहिये तो मेरा जवाब यही होगा कि जब हज़रते आइशा हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िर होती तो (पर्दे का खास ख्याल ना रखती) फ़रमाती ये मेरे शौहर हैं, फिर जब हज़रते अबू बक़र हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के क़दमों में दफ़न हुये तो भी यही हाल था क्योंकि अब एक शौहर और एक वालिद थे। मगर जब हज़रते उमर का मज़ार भी वहीं बना तो खूब ढक छिप कर आने

लगी क्योंकि हज़रते उमर गैर मर्द थे। फिर वही बात कि क्या हज़रते उमर से ज़्यादा इज़्ज़त वाले इस ज़माने में आ गये या हज़रते आइशा से ज़्यादा हया वाली आ गयी? जो तुम्हारे सिर्फ दिल का पर्दा काफ़ी है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप साबित करना चाहते हो कि आप उन हज़रात से ज़्यादा नेक हो?

अल्लाह त'आला से दुआ है कि वो इस कलाम में छिपे अस्ली मक़सद में क़ामयाबी दे और मुसलमान औरतों को इसे समझने और दिल से क़ुबूल करने और अ़मल करने का जज़्बा दे ताकि कल चेहरा खुदा के सामने दिखाया जा सके और घर में देवर, जेठ, कज़िन से भी घूंघट करने की तौफ़ीक़ बख्शे और अगर कोई ऐसा करे तो बेशक ज़्यादा सवाब की हक़दार होगी।

तुम्हारा रब फ़रमाता है क़ुरआन सूरह 99, आयत 7 में :
"तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगा।"

और फ़रमाता है सूरह 94, आयत 5-6 में :
"तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है।"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 474
कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मै ये जानना चाहता हूँ हज़रत, पहली रात को कोई भी मर्द अपनी बीवी को क़ुरआने पाक तोहफे के तौर पर दे सकते हैं?

जवाब : 474

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, दे सकता है, हर्ज नहीं। बल्कि मै तो ये कहूँगा कि क़ुरआन के साथ कुछ किताब जैसे "जन्नती ज़ेवर" "कानूने शरीअ़त" "पर्दे के बारे में सवाल जवाब" भी दें तो बेहतर है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 475
मुझे हज़रत ये पूछना है कि जुम्आ की नमाज़ के लिये दो अज़ान क्यों होती हैं और क्या हुक्म आया है?

जवाब : 475

بسم الله الرحمٰن الرحیم
किसी भी मसअले में "ऐसा क्यों है" का जवाब बहुत मुश्किल होता है और ये सवाल गैर ज़रूरी था। दो अज़ाने होना हदीस से और हज़रते उस्मान के दौर से साबित हैं। बस इस पर अ़मल करने से सवाब मिल जायेगा। वजह जानने के लिये दारूल इफ्ता से राब्ता करें और अज़ान भी मस्जिद के बाहर होती थी, अन्दर नहीं। और आपके सवाल गैर ज़रूरी पाये जाते हैं, इस बात का ख्याल रखें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 476
हज़रत सनद किसे कहते हैं?

जवाब : 476

بسم الله الرحمٰن الرحیم
इल्मे हदीस की इस्तिलाह में "सनद" हदीस रिवायत करने वाले रावियों की फेहरिस्त को कहते हैं यानी जहाँ से अ़रबी हदीस (फ़रमाने मुस्तफ़ा) शुरू होते हैं उसे "मतन" कहते हैं, उससे पहले "सनद" (जैसे मैने फुलाँ से सुना, उसने फुलाँ से बयान किया, उस ने फुलाँ से रिवायत किया, उस ने फुलाँ..... ये सनद होती है)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 477
क्या हम सिर्फ अज़ान या तकबीर के दौरान ही अश्हदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह" कहने पर ही कलिमा की उंगली उठायें और ऐसा हम क्यों करते हैं?

जवाब : 477

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अज़ान या तकबीर में ये इख्तियार है उठाना ज़रूरी नहीं और नमाज़ के क़ादा में तशह्हुद में सुन्नत है। इसके सिवा भी उठाने में हर्ज नहीं और ये हाथ के इशारे से गवाही देना कहलाता है कि "कोई माबूद नहीं" मगर एक अल्लाह के। अज़ान और तकबीर के अलावा भी इस फ़ेल में हर्ज नहीं। मस्लन नमाज़ में क़ियाम की हालत में सना पढ़ते वक़्त सना में जो لا الہ غیرک आये तो नमाज़ में हालते सना में भी उँगली उठा सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 478

हम अज़ान के दरमियान या कहीं भी जब हुज़ूर -ए- अकरम सरकारे दो आलम ﷺ का नाम आता है तो अपने हाथ की उंगलियों को बोशा क्यों देते हैं?

जवाब : 478

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के नामे पाक के साथ अंगूठों के नाखून को बोसा दे कर आँखों से लगाना बिल्कुल जाइज़ है और इसके जाइज़ होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि शरीअ़त में ये मना नहीं। और जो काम शरीअ़त में नाजाइज़ नहीं होता वो फ़ी-नफ्सिही जाइज़ होता है।

ये फ़ेल हदीसे ज़ईफ़ से साबित है और उम्मत का इस पर अ़मल है। ज़ईफ़ हदीस अ़मल में लाई जा सकती है और उम्मत के कसीर अ़मल से वो हसन भी हो जाती है।

हदीस : सिद्दीक़े अकबर ने मुअज़्ज़िन को أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ कहते सुना (दुआ पढ़ी) और दोनों कलिमे के पोर चूम कर आँखों से लगाया, इस पर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, उसके लिये मेरी शफ़ाअ़त हलाल हो जायेगी।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 05, सफ़हा 433 पर है:

मुल्ला अ़ली क़ारी ने फ़रमाया :

قلت واذثبت رفعه الی الصدیق رضی اللہ تعالٰی عنه فیکفی للعمل به لقول علیه الصلات والسلام علیک بسنتی وسنته الخلفاء الراشدین

सिद्दीक़े अकबर से इस फ़ेल का सबूत अ़मल के लिये काफ़ी है। हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैं तुम पर लाज़िम करता हूँ अपनी सुन्नत और अपने खुलफ़ा -ए- राशिदीन की सुन्नत।

तो सिद्दीक़े अकबर से किसी चीज़ का सबूत हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम से सबूत है।

इमाम अस्क़लानी ने फ़रमाया :

لایلزم من کون الحدیث لم یصح ان یکون موضوعا

हदीस के सहीह ना होने से मौज़ू होना लाज़िम नहीं आता।

और मुहद्दिसीन ने फ़रमाया कि ये हदीस सही नहीं तो हदीस का सही ना होना उसके झूटे होने पर दलालत नहीं करता। सही नहीं मस्लन हसन भी हो सकती है और गरीब भी और ज़ईफ़ भी।
जिस तरह कहा जाये कि ये मिठाई बहुत बेहतर नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मिठाई खराब है, मतलब ये कि ज़्यादा नहीं मगर मिठाई सही है और खाई जा सकती है।
ठीक उसी तरह ये अँगूठे चूमने की हदीस ज़ईफ़ है मगर इस पर अ़मल मुस्तहब है बल्कि सिद्दीक़े अकबर की सुन्नत है और मुसलमान इस पर अ़मल सवाब और मुस्तहब की निय्यत से करता है।

फिक़्ह का क़ाइदा है :
मुसलमान जिस काम को अच्छा समझ कर करें वो अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा है।

बस कौन मुसलमान इस फ़ेल को ताज़ीमन नहीं करता? हर कोई ये फ़ेल सवाब और मुस्तहब की निय्यत से करता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 479
हज़रत अगर किसी का तलाक़ होता है और जब कोई लड़का जब लड़की को तलाक़ देता है अगर वो मुँह से ना कहे और तलाक़ पेपर पर सिग्नेचर कर दे तो तलाक़ होगा या नहीं?

जवाब : 479

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ पूछी गई सूरत में शौहर अगर लिख कर बीवी को तलाक़ भिजवाये तो भी तलाक़ हो जायेगा और लिख कर भेजना भी ज़रूरी नहीं ना भेज पाये तब भी हो जायेगी। या किसी ने कहा कि मेरी बीवी को तलाक़ लिख दे और ना लिखा तब भी तलाक़ हो गई क्योंकि ये लिखवाने का इज़हार तलाक़ देने पर दलालत है।

दुर्रे मुख्तार, फ़तावा आलमगीरी व बहारे शरीअ़त, जिल्द 2, सफ़हा 113-114 पर है :
(तलाक़) कागज़ या तख्ती वग़ैरह पर और तलाक़ की निय्यत से लिखे तो (तलाक़) हो जायेगी और अगर लिख कर भेजे तब भी हो जायेगी और अगर ना भी भेजे जब भी इस सूरत में (तलाक़) हो जायेगी।

इसी में आगे है "दूसरे से तलाक़ लिखवा कर भेजी तो तलाक़ हो जायेगी, लिखने वाले से कहा मेरी औरत को तलाक़ लिख दे तो ये तलाक़ का इक़रार है यानी तलाक़ हो जायेगी चाहे ना लिखे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 480

हज़रत अगर किसी को कोई हाजत (मुराद) हो, उसके लिये कोई अ़मल, दुआ बता दीजिये।

जवाब : 480

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हाजत के लिये दो अ़मल आपकी बारगाह में अ़र्ज़ हैं जो मुनासिब हो करें। (वरना दोनों अलग-अलग वक़्तों मेंकरें यानी एक का वक़्त सुबह तय कर लें एक का शाम को)

अ़मल नम्बर 1 :

दिन में किसी भी वक़्त और बेहतर है कि रात को सोने से पहले 874 बार اللہ ربی لاشریک لہ (अल्लाहु रब्बी ला शरीक-लहु) अव्वल आखिर दुरूद, बादे वज़ीफा अपने मक़सद की दुआ करें और सो जायें और इसी कलिमे को पूरे दिन उठते-बैठते चलते-फिरते दिल ही दिल पढ़ते रहो।

(नोट : इस्लामी बहने इस अ़मल को हैज़ के दिनों में भी वज़ीफे (दुआ) की निय्यत से पढ़ सकती हैं, बन्द ना करें।)

अ़मल नम्बर 2 :

सूरह फ़लक़ 30 बार दिन में किसी भी वक़्त रोज़ की पाबंदी कर लिया करे, (ये वज़ीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिये भी पढ़ा जा सकता है, 30 बार, दिन में किसी भी वक़्त)

(नोट : इस अ़मल को हालते हैज़ में औरत ना करे अगर करे तो पहला लफ्ज़ क़ुल ना पढ़े आगे से पढ़े)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 481

हज़रत जो औरतें अपने परिवार को छोड़ कर मज़ार पे मुज़ावरी करने लगती हैं या कुछ औरतें शादी नहीं करती हैं वो भी मुज़ावरी करती हैं। हज़रत क्या वो सही कर रही हैं?

जवाब : 481

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सवाल से मझे ये समझ आया कि मज़ार पर बैठने का काम करती है यानी फक़ीरी रास्ता अपना लेती है। अगर में सही समझा तो ये औरत को इस तरह फक़ीर बनना जैसे कि आज कल आम है, हराम है और इस में कई काम गुनाह के शामिल हैं। मस्लन, बे-इजाज़त घर से निकलना, मज़ार पर हाज़िरी, मर्दों के बीच बैठना फिर चाहे वालिदैन की इजाज़त के साथ हो या उनके खिलाफ़, इसी तरह औरत का पीरी मुरीदी करना भी बातिल है और शादी ना करना गुनाह नहीं। मगर बाज़ सूरतों में शादी करना वाजिब हो जाता है और बाज़ में फ़र्ज़ तो अगर शादी करना ऐसी औरत पर वाजिब या फ़र्ज़ है तो ज़रूर, ना करने की बिना पर गुनाहगार होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 482

हज़रत मुन्किर का क्या मतलब है?

जवाब : 482

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इंकार करने वाला।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 483

हज़रत जमाअ़त के वक़्त जो सफ़ लगाई जाती है मस्जिद खाली होने के बावजूद 2 पिलर के बीच सफ़ लगाना कैसा है?

जवाब : 483

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जहाँ तक मुमकिन हो तो सफ़ को तरतीब के मुताबिक़ ही पूरा किया जाये। मस्लन पहले सफ़े अव्वल को, फिर आने वाला सफ़े अव्वल मुकम्मल होने के बाद ही दूसरी सफ़ बनाये और अगर मस्जिद में पिलर इस तरह है कि नमाज़ी सही से रुकूअ़ सुजूद नहीं कर सकता तो वहाँ जगह खाली रखने में हर्ज नहीं वरना कोई समझदार बच्चे जो वहाँ आसानी से नमाज़ पढ़ सके तो खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल कोई अगली सफ़ छोड़ कर भी पीछे खड़ा हो गया तो नमाज़ हो जायेगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 484
जनाब! ये हिसार ये क़ादरी क्या है और किस तरह ये हिसार किया जाये?

जवाब : 484

بسم الله الرحمٰن الرحيم
हिसाब ब-माइने चारों तरफ गोल घेरा बनाने के है और आमिलीन की इस्तिलाह में हिसार कहते हैं। किसी अ़मल या चिल्ले या वज़ीफे से पहले दुआ पढ़ कर अपने ऊपर दम करने को या चारों तरफ़ हिसार करने को जिसे अ़मल के दौरान किसी भी शय या नुक़्सान से बचा जा सकता है उसे हिसार कहते हैं। हिसार कई तरीक़े से किया जाता है और कई बुज़ुर्गों के अलग अलग मामूलात है। 11 बार आयतलकुर्सी से भी हिसार हो सकता है। (सवाल में दूसरी चीज़ क़ादरी मेरे समझ में नहीं आया।)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 485
हज़रत मैं आप को एक कॉपी भेज रहा हूँ रहनुमाई फ़रमायें बड़ी मेहरबानी होगी।
सवाल : मुफ्ती साहब क़िब्ला हम ने एक बना हुआ घर खरीदा तक़रीबन 3 साल हो गये, बीच में तक़रीबन 2 साल कोई प्रोब्लम नहीं थी। अब एक साल से कोई ना कोई बीमार रहता है। छत पे आवाज़ आती है। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ 2-3 बार आई है और कभी कभी मेरी अम्मी को घर के किसी अफ़राद की आवाज़ में बुलाता है। अम्मी को 4 महीने से बुखार नहीं जा रहा है और भी बहुत कुछ घर में किसी ना किसी के साथ होता रहता है। हज़रत ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिये? जिस में 41 दिन सूरह बक़रा शरीफ़ की तिलावत भी करवाई घर की बन्दिश भी करवाई, खत्मे क़ादरिया भी करवाया।
हुज़ूर कोई ऐसा तरीक़ा बताइये जिस में कामयाबी मिले। प्लीज़ बहुत-बहुत परेशान हूँ। आप की बड़ी मेहरबानी होगी।
जवाब (मुफ्ती साहब) : नमाज़ और रोज़े कोई पाबंदी करें और हर नमाज़ के बाद हिसारे क़ादरी पढ़ कर हिस्सा कर लिया करें।

जवाब : 485

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जो जवाब मुफ्ती साहिब ने दिया अपनी जगह दुरुस्त है अगर कामयाबी नसीब नहीं हुई तो पढ़ने पढ़ाने में ज़रूर खता है अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग सही लफ्ज़ों के साथ

क़ुरआन पढ़ना नहीं जानते इसीलिये किसी दुआ का असर नहीं होता, ये ज़रूर किसी जिन्न की शरारत मालूम होती है।

आप इन कामों को अंजाम दें पहले तो किसी सफेद पेपर पर 35 बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिख कर घर में लटका दें (मगर लिखते वक़्त ज़ेर, ज़बर लगाने की ज़रूरत नहीं, मीम के दायरे (गोले) खुले होने चाहिये, वुज़ू के साथ लिखना है और बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करना है) और सूरह जिन्न 40 दिन तक घर में पढ़ी जाये (मगर पढ़ने वाला सही पढ़ना जानता हो)

मदनी पन्जसूरह वरना किसी भी किताब में शश कुफ्ल नाम से 6 दुआ होती हैं जो सिर्फ 1-1 लाईन की होती हैं। इसे हर रात सोने से पहले उस घर में पढ़ा जाये। और दिन में किसी भी एक वक़्त यही पढ़ कर बुखार वाली औरत के कान में दम कर दिया जाये। इंशा अल्लाह बुखार भी जायेगा और आसेब की ज़द में होगी तो वो भी दफ़ा होगा।

अब आपके घर के लिये एक आसान अ़मल (मगर शर्त ये है कि नमाज़ की पाबंदी हो और सही मखारिज से पढ़ा जाये वरना किसी मस्जिद के इमाम से पढ़वा कर पानी पर दम कराया जाये।)

एक बार सूरह फ़ातिहा, एक बार आयतल कुर्सी और सूरह जिन्न की 5 आयत पढ़ कर किसी पानी पर दम कर दें उस पानी को मकान के अन्दर चारों तरफ़ छिड़क दें और बाहरी दीवार पर भी छत पर भी इंशा अल्लाह कुछ वक़्त इसी अ़मल से ज़रूर फाइदा होगा।

(नोट: पानी दीवार पर डालें मगर इतना ज़्यादा नहीं जो बह कर नाली में जाये इसी तरह बाहर की दीवार और छत पर भी सिर्फ छिड़काव करें, पानी बहाना नहीं है।)
आप पूरे एतिमाद के साथ इन कामों को अंजाम दें, अल्लाह कामयाब करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 486

हमें आपसे इल्मे दीन और मसाइल का बहुत फाइदा हुआ। मगर आज एक मसअला समझ नहीं आया कि नमाज़ में जब सना पढ़ते हैं तो उस में "अश्हदू अल्लाइलाहा इल्लल्लाहू" पर उंगली उठा सकते हैं या नहीं? हज़रत आपने सवाल नम्बर 477 में लिखा है कि सना में भी उंगली उठाना चाहिये मगर हज़रत माफ करना ये आज तक ना किसी को करते देखा ना किसी से सुना मगर ज़िन्दगी में पहली बार ही आप से सुना। हमें आप के

इल्म पर कोई शक़ तो नहीं मगर मुझे लगता है आपने लिखने में गलती कर दी शायद। बराये करम फिर से बतायें सही है या यानी सना पढ़ते वक़्त उंगली उठा सकते हैं।

जवाब : 486

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मैने 477 के जवाब में लिखा है कि "उंगली उठा सकते" हैं, ये नहीं लिखा कि "उठानी चाहिये"।

"सकते हैं" और "चाहिये" में फ़र्क़ होता है। और ये बात सही है, मैने जवाब में कोई खता नहीं की। नमाज़ में क़ियाम के वक़्त सना पढ़ते हुये لا الہ غیرک पर उंगली उठा सकते हैं और ये बेहतर है (वाजिब नहीं) और सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी अलैहिर्रहमा ने इसे बेहतर लिखा है। और मेरा बरसों से इसी पर अ़मल भी है, हर नमाज़ में तन्हा हो या जमाअ़त से, फ़र्ज़ हो या नफ्ल। ये बात भी दुरुस्त है कि आपने ये बात शायद कहीं ना सुनी पढ़ी हो मगर कुछ मसअले ऐसे होते हैं जिन्हें आवाम में बयान करने से फितने का खौफ़ होता है। अगर ये बात बाहर आम बयान की जाये तो ज़रूर लोग बातें बनायेंगे कि ये नई बात है। इसीलिये बेहतर है कि आप किसी कम इल्म को बयान ना करें और दिल गवाही दे तो खुद भी अ़मल करें जिस तरह मै करता हूँ।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 487

क्या इस तरह के SMS किसी को भेजना चाहिये, अल्लाह के ये 5 नाम 10 मुसलमानों को भेजो आप की कोई बड़ी परेशानी हल हो जायेगी। (1) या अल्लाह, (2) या करीम, (3) या अव्वल, (4) या आखिर, (5) या मुजीब। आजमा कर देख लो।

जवाब : 487

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

किसी जाहिल के ज़रिये सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। शरीअ़त में इसकी अस्ल किसी बुज़ुर्ग से भी साबित नहीं, इसे आगे भेजना नहीं चाहिये और जिसके पास ऐसे मेसेज आयें तो भेजने वाले से इस बात की दलील या हवाला माँग ले। ये मेसेज भेजने वाला किसी बुज़ुर्ग के क़ौल से भी साबित नहीं कर पायेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 488

हज़रत क्या उधार लिये पैसे रात में नहीं दिये जाते हैं क्या इस के बारे में भी हदीस में है?

जवाब : 488

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये कम इल्म की बात है, मुझे ऐसी कोई हदीस याद नहीं बल्कि हदीस में तो ये रिवायत मौजूद है जिसका मफ़हूम है कि क़र्ज़े को जल्दी अदा करो। कोई अगर शहीद भी मरे और क़र्ज़ेदार हो तो जन्नत से रोक दिया जायेगा (जब तक उसका क़र्ज़ अदा ना हो या माफ ना हो।)

इस हदीस से तो क़र्ज़ा जल्द अदा करने की ताक़ीद है बगैर दिनो रात की क़ैद के।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 489

अस्सलामु अ़लैकुम! अल्लाह पाक अपने प्यारे रसूल (स.अ.व.) के सदक़े में आप को सलामत रखे और भी ज़्यादा इल्म अता फरमाये। क्या इस्लाम में किसी लड़के को लड़की या लड़की को गैर लड़के से मुहब्बत करना मना है? या अगर किसी को मुहब्बत हो जाये किसी से तो क्या करे या उसके लिये दुआ तलब कर सकता है अल्लाह से?

जवाब : 489

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सवाल का जवाब लिखने से पहले मै ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको एक बड़ी खता से आगाह किया जाये और वो ये कि सवाल में आपने नामे रसूल के बाद दुरूद को शॉर्ट मे(स.अ.व) लिखा है इस तरह लिखना नाजाइज़ है। बाज़ लोग सिर्फ़ (ص) लिख देते हैं, ये भी ना चाहिये।

इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 386 पर लिखते हैं :

हुरूफ़ (ص) लिखना जाइज़ नहीं, बल्कि صلی اللہ تعالی علیہ وسلم लिखा जाये

तो रोमन इंग्लिश में आप (अ़लैहिस्सलाम) लिखा करें। अब जवाब की तरफ

जवाब : जो मुहब्बत इस दौर में हैयानी लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, फिर फोन, फिर घूमना फिरना वग़ैरह-वग़ैरह तो ये हराम है इसकी इजाज़त नहीं मगर इस्लाम में मुहब्बत मुत्लक़न हराम नहीं। यानी किसी पर एक नज़र पड़ी और एक ही नज़र में मुबब्बत हो गयी तो ये जाइज़ है और फिर घर वालों से बात करके शादी की जा सकती है मगर जबकि इसके बाद बात या घूमना मिलना ना हुआ हो या इस तरह किसी से मुहब्बत हुई कि किसी के तक़वे या परहेज़गारी इबादत या इल्म या पर्दा या अच्छी खस्लतें लोगों से सुन कर उसके लिये दिल में मुहब्बत पैदा हो गई तो जाइज़ है। मगर उससे राब्ता ना क़ाइम

किया जाये ना इसकी कोशिश की जाये। फिर इसे दुनिया से छिपा कर भी रखे और शादी करना चाहे तो घर वालों से बात करे। बल्कि हदीस में ये ऐसी मुहब्बत में मरने वालों को शहीद कहा गया है यानी किसी ने मुहब्बत की और उसे लोगों से छिपाया हो और मर गया तो शहीद है, (मगर दौरे हाज़िर में ऐसी मुहब्बत कम है कि एक दूसरे की परहेज़गारी या इल्म या तक़्वे या इबादत की वजह से बिना देखे मुहब्बत हुई हो बल्कि आज देख कर ही मुहब्बत होती है, ये नाजाइज़ है)

अपने घर वालों से बात करके शादी करने में हर्ज नहीं और दुआ इस तरह की जा सकती है कि या अल्लाह अगर तू मेरे हक़ में बेहतर जाने तो उस काम को खैर से अंजाम तक पहुँचा और इस तरह अल्लाह से दुआ करना मना है, जिस तरह लोगों से बात करते हैं यानी ए अल्लाह! मेरी शादी फुलाँ लड़की/लड़के से करवा दे, ये बे-अदबी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 490

अस्सलामु अ़लैकुम! प्लीज़ क्या क़ुरआने पाक को मोबाइल में रख सकते हैं?

जवाब : 490

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! गुनाह नहीं, रख सकते हैं और बे-वुज़ू छू कर पढ़ भी सकते हैं ये स्क्रीन के शीशे को छूना होगा क़ुरआन को नहीं मगर अदब मोबाइल के पढ़ने में भी ज़रूरी है मस्लन पैर ऊपर करके, लेट कर ना पढ़े या बैतुल खला में ओपन करके भी ना देखे, ना दिल में पढ़े, वग़ैरह-वग़ैरह।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 491

मुहब्बत करना अफेयर लड़की से जाइज़ है कि नहीं?

जवाब : 491

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सवाल की तफ्सील जवाब नम्बर 489 में देखें

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 492
हज़रत क्या आप के इल्म के खज़ाने में कोई ऐसा वज़ीफ़ा भी है जिस से चेहरे का रंग साफ हो जाये। नूरानी जैसे माशा अल्लाह आपका चेहरा है। आप का चेहरा आला हज़रत के इस शेर की तशरीह करता है। "तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।" कोई वज़ीफ़ा जिस से चेहरा आप की तरह हो जाये?

जवाब : 492

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सूरह नूर की आयत 35 का इब्तिदाई हिस्सा यानी اللہ نــور الســموات والارض तहज्जुद की नमाज़ के बाद 500 बार पढ़ लिया करो, काफ़ी होगा।
"ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है।"

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 493
लोग कहते हैं अल्लाह और भगवान एक ही बात है। अल्लाह कहो या भगवान मालिक तो एक ही है। क्या हज़रत ये ठीक है ऐसा कह सकते हैं?

जवाब : 493

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अल्लाह और भगवान एक नहीं, ना अल्लाह और राम एक है। अल्लाह को भगवान बताना कुफ्र है और जो ऐसा कहे कि अल्लाह ही भगवान या राम और अल्लाह एक ही चीज़ हैं, वो इस्लाम से खारिज है। और उसके सारे नेक आमाल बरबाद हो गये, शादी वाला था तो औरत उसके निकाह से निकल गई। कुफ्रिया अ़क़ीदे से सच्ची तौबा करे और आइन्दा ऐसा गुमान भी ना करे और कलिमा पढ़ कर मुसलमान बने। अगर फिर बीवी रखना चाहे तो निकाह करे और अगर ऐसा अ़क़ीदा रखने वाला बाज़ ना आये और भगवान या राम को अल्लाह ही माने और उसी कुफ्र पर राज़ी रहे तो ऐसे शख्स का मुसलमानों को बॉयकॉट करना चाहिये। ना सलाम करे, ना दावत में बुलाये ना जाये, और ना इसके साथ शादी बियाह का मुआमला रखे।

फ़तावा शारेह बुखारी, जिल्द 1, सफ़हा 426 पर है :
"अल्लाह को भगवान कहना कुफ्र है कहने वाले पर तजदीदे ईमान और निकाह लाज़िम है। ईश्वर कहना भी जाइज़ नहीं, हिंदुओं ने बहुत से अलफाज़ खास किये हैं, उन में से कुछ कुफ्र हैं, हराम सभी हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 494
हज़रत कुछ औरतों को देखा है जो हिन्दुवाना तौर तरीक़ों पर चलती हैं। जैसे साड़ी पहनती हैं, बिन्दिया लगाती हैं, नेल पोलिश लगाती हैं। ये सब करने वाले सही हैं या नहीं?

जवाब : 494

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
साड़ी पहनना फ़ी-नफ्सिही जाइज़ है जबकि गैर मर्द की नज़र में ना आना पड़े मस्लन घर पर शौहर और छोटे बच्चे या मुसलमान औरतें हों तो, वरना सित्र का खुलना हराम होगा।

बिन्दिया लगाना उर्फ़ पर मबनी (Based) है, अगर दूसरी औरतें उसे देख कर कानाफूसी ना करें तो हर्ज नहीं, मगर साड़ी के साथ बिन्दिया लगाना और सख्त है और बिन्दिया लगे हुये वुज़ू नहीं होगा।

नेल-पॉलिश के मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में मुफ्ती -ए- आज़म हॉलेण्ड मुफ्ती अ़ब्दुल वाजिद क़ादरी फ़तावा यूरोप सफ़हा 107 पर लिखते हैं:
लिप्स्टिक और नाखून पॉलिश जिसमें हराम और नापाक चीज़ की मिलावट हो उन का इस्तिमाल औरतों केलिये हराम है और इसके लगे रहने की सूरत में ना वुज़ू सही ना गुस्ल और ना नमाज़।
हाँ अगर इसके साथ फॉर्मूला भी मौजूद हो जिससे जन्ने गालिब हो कि इस में कोई हराम चीज़ की मिलावट नहीं तो इसका इस्तिमाल औरतों के लिये जाइज़ है। वो सामाने ज़ीनत है और औरतों को ज़ीनत रवा (जाइज़) है।

हाँ, अगर लिप्स्टिक और नेल पॉलिश की परत वुज़ू में होंट और नाखून पर पानी बहने से रोकती है तो वुज़ू गुस्ल में इसे साफ़ करना होगा वरना ये तहारत में रुकावट है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 495
क्या हम गंदे जानवर के नाम लेंगे तो क्या हमारी ज़ुबान नापाक हो जायेगी? लोग कहते हैं इस का नाम नहीं लेना चाहिये। ज़ुबान नापाक होती है।

जवाब : 495

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सूरह माइदा, आयत नम्बर 3 में इरशादे रब्बे काइनात है :
"तुम पर हराम है मुरदार और खून और सुअर का गोश्त"

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 1, सफ़हा 343 पर है :
सवाल में आपने जो ये लिखा है कि खिन्ज़ीर का नाम लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है, शरीअ़त में इसकी कोई अस्ल नहीं लिहाज़ा ये गलत है, अहकामे शरीअ़त को क़ुरआन और हदीस से मालूम किया जाता है अ़क़्ल से नहीं जाना जा सकता।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 496
नमाज़ में कौन से काम अगर इमाम ना करे तो मुक़्तदी भी ना करे।

जवाब : 496

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
(1) तकबीराते ईदैन
(2) क़ादा -ए- ऊला
(3) सजदा -ए- तिलावत
(4) सजदा -ए- सहव
(5) क़ुनूत

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 497
हज़रत क्या नापाकी की हालत में हम तस्बीह को टच कर सकते हैं? मेरा मतलब है उसे हाथ में लेकर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं?

जवाब : 497

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! तस्बीह हाथ में लेकर तस्बीह पढ़ सकते हैं हर्ज नहीं और सुबह शाम की दुआयें जो हदीस में आई हैं वो भी पढ़ सकते हैं और क़ुरआन की वो सूरतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं उन्हें भी बतौर ए दुआ पढ़ सकते हैं। नापाक शख्स को दुरूदे पाक की कसरत भी जाइज़ है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 498
अस्सलामु अ़लैकुम! हज़रत ये बताइये जो मलिकुल मौत रूह क़ब्ज़ करते हैं वो सिर्फ इन्सानों की रूह निकालते हैं या दुनिया की सभी मखलूक़ की? अगर सब की रूह क़ब्ज़ करते हैं वही तो कैसे ये मुझे समझ नहीं आता? गुज़ारिश है कि थोड़ा तफ़सील से बयान करें, बड़ी मेहरबानी होगी।

जवाब : 498
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़ुरआने पाक सूरह सजदा पारा 21 आयत 11 में इरशादे बारी तआला है :
"तुम फ़रमाओ तुम्हें वफ़ात देता है मौत का फ़िरिश्ता जो तुम पर मुक़र्रर है।

इस आयत की तफ़सीर में क़ुर्तबी जिल्द 07, सफ़हा 476 पर है कि
"मलकुल मौत अल्लाह के सिवा तमाम चौपाये (जानवर) की रूहों को क़ब्ज़े में लेगा गोया उनकी ज़िन्दगी को खत्म करेगा।
मै कहता हूँ : इसके बर-अक्स भी मरवी है मलकुल मौत तमाम मख्लूक़ात की रूहों को क़ब्ज़ करेगा यहाँ तक कि पिस्सू और मच्छर की रूहों को भी क़ैद करेगा।

मलकुल मौत एक वक़्त में हज़ारों लोगों की रूह कैसे क़ब्ज़ करता है इसे इस तरह समझें कि पहले तो फ़िरिश्ता है और दूर पास हमारे लिये है। नबी, वली, फिरिश्तों के लिये कोई दूरी नहीं। जिस तरह खाने वाले के सामने एक प्लेट होती है और खाने वाला प्लेट में जहाँ से चाहे खा सकता है उसी तरह दुनिया मलकुल मौत के सामने हैं। जहाँ से चाहे जिसकी चाहे रूह क़ब्ज़ करे उसके लिये कुछ दूरी नहीं।

तफ़सीरे खज़ाइनल इरफ़ान, पारा 21, सूरह सजदा, सफ़हा 766, आयत 11 की तफ्सीर में है :
मलकुल मौत के लिये दुनिया कफ़े दस्त (हथेली की तरह) कर दी गई है, तो वो मशरिक़ व मगरिब की मख्लूक़ों की रूहें बे-मशक्कत उठा लेते हैं और रहमत व अज़ाब के बहुत फ़िरिश्ते उनके साथ हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 499

हज़रत मैने एक अ़रबिक मूवी (इमाम अ़ली) देखी जिस में हुज़ूर (علیہ السلام) के चेहरे को छोड़ कर उनका हाथ, पैर, सर वग़ैरह को दिखाया जाता है तो क्या ये लोग गुनाह नहीं करते और क्या हम इस मूवी को ना देखें जब कि इस मसअले को छोड़ कर इस मूवी से हमें इस्लाम की बहुत सी बातों का पता चलता है?

जवाब : 499

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस फिल्म बल्कि इस जैसी हर फिल्म को देखना जाइज़ नहीं। बनाने वाले ने बेशक गुनाह किया कि ये फिल्न म्यूज़िक के साथ है। और इसमें जो अदाकार होते हैं जो सहाबी की नक़्ल करते हैं वो फ़ासिक़ दिखाये जाते हैं। जबकि हक़ीक़त इस से परे है कोई सहाबा बगैर दाढ़ी के नहीं थे। इसका देखना गुनाह है और वक़्त को बरबाद करना है। इस वक़्त में अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जा सकती है जो कि वाजिब है नाकि फिल्म देखना वाजिब है और ये कहना कि "दीन सीखने को मिलता है" महज़ बातिल है। दीन सीखने के और भी ज़रिये हैं, जैसे किताब खरीद कर पढ़ना या सुन्नी उलमा के बयान सुनना वग़ैरह-वगैरह वरना किसी आलिम या इमाम से नमाज़ रोज़े वग़ैरह के मसअले पूछना भी दीन सीखना है और देखने वाला ये भी नहीं जानता कि जो वाक़िया फिल्म में दिखाया गया वो सही भी है या नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 500

हालते नमाज़ में टोपी उतर जाने का खौफ़ है। अब क्या उसे वापस दौराने नमाज़ ही हाथ से सेटिंग कर सकते हैं?

जवाब : 500

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हालते नमाज़ में अगर टोपी गिरने का खौफ़ हो तो एक हाथ से दुरुस्त की जा सकती है जबकि एक रुक्न में दो बार से ज़्यादा ठीक ना करनी पड़े वरना नमाज़ फ़ासिद होगी और ना एक ही वक़्त में दो हाथ से ठीक करनी पड़े और अगर बिल फ़र्ज़ टोपी सजदे में गिर भी जाये और एक हाथ से उठा सकता हो तो उठा ले जबकि बार-बार गिरने का खौफ़ ना हो और ना दो हाथ से बांधनी पड़े वरना रहने दे ऐसे ही नमाज़ पढ़े।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, सफ़हा 91 पर है :

سقط قلنسوتہ فاعادتھا افضل الا اذا احتاجت لتکویر او عمل کثیر

यानी : नमाज़ी की टोपी गिर जाये तो उसका उठाना अफज़ल है मगर इस सूरत में (ना उठाये) कि बाँधने की हाजत हो या अ़मले कसीर लाज़िम आ रहा हो।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 07, सफ़हा 298 पर है :
नमाज़ में टोपी गिर जाये तो) उठाना अफज़ल है जबकि बार-बार ना गिरे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 501
हज़रत क्या शाफई, हम्बली और मालिकी हज़रात मस्लके आला हज़रत में शुमार होते हैं?

जवाब : 501

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ! चारों मस्लक के लोग मस्लके आला हज़रत वाले हैं, क्योंकि वो अक़ाइद में सुन्नी ही हैं, उन्हें भी सुन्नी मुसलमान ही शुमार किया जाता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 502
हज़रत इस सवाल का जवाब दीजिये प्लीज़ आप की मेहरबानी होगी। जज़ाक अल्लाहु खैरा।
4 रकअ़त फर्ज़ नमाज़ में दूसरी रकअ़त में अत्तहिय्यात के बाद दुरूद पढ़ने से सहव वाजिब हो जाता है क्या?

जवाब : 502

بسم الله الرحمٰن الرحیم
फ़र्ज़, वित्र, सुन्नते मुअक्किदा वग़ैरह नमाज़ में अगर क़ादा -ए- ऊला में तशह्हुद के बाद अगर जान कर दुरूदे पाक पढ़ा तो नमाज़ ही नहीं होगी बल्कि नमाज़ दोहरानी होगी और अगर भूल से पढ़ा तो सजदा -ए- सहव करना होगा चाहे दुरूद की एक ही लाईन पढ़ी हो या फिर दुरूद ना भी पढ़े और 3 बार سبحان الله. कहने के वक़्त तक अगर बैठा भी रहा या सोच में पड़ गया ख्वाह किसी भी तरह ताखीर की तो भी सजदा -ए- सहव होगा क्योंकि तशह्हुद के बाद फौरन तीसरी रकअ़त के लिये खड़े होना वाजिब है और दुरूद के पढ़ने से भी वाजिब तर्क है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 503
हज़रत कुछ कटोरियाँ आती हैं जिस में पूरी-पूरी आयत लिखी रहती हैं। कहते हुये सुना है कि इस कटोरी में धुल कर पीने से मरीज़ को शिफा होती है, हज़रत हदीस में इस की अस्ल है?

जवाब : 503
بسم الله الرحمٰن الرحيم
जी, हाँ! सही है और अलग-अलग मरज़ के लिये ये अ़मल साबित है। हदीसों में इस की अस्ल मौजूद है, ऐसा करना दुरुस्त है, इस से मरीज़ को शिफ़ा होती है और सदी अव्वल से ये फ़ेल किया जाता है और आज तक जारी है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 504
हज़रत मेरी अम्मी हैं जो हमेशा बीमार रहती हैं, इस टाईम उनको गले में बहुत दर्द रहता है, खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है इस दर्द से और हर वक़्त दर्द होता है। बहुत कुछ जाँच हुई कुछ नहीं निकला जिस से दर्द की वजह मालूम हो। उन को ऐसा दर्द 2 साल पहले हुआ जो दवा से ठीक हुआ। इस बार कोई दवा असर नहीं कर रही। आप कोई दुआ बता दीजिये आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

जवाब : 504
بسم الله الرحمٰن الرحيم
आपके इलाक़े में जहाँ दावते इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता हो वहाँ राब्ता करें बाद इज्तिमा वहाँ हर मर्ज़ के लिये फ्री तावीज़ दिये जाते हैं। आप वहाँ से इनका मुकम्मल इलाज करवायें हो सकता है वो लोग इन्हें पीने के लिये भी तावीज़ दें, जो कि मेरे लिये भेजना मुश्किल है। इसके सिवाये घर में कोई वरना मरीज़ खुद फ़ज्र की नमाज़ के सुन्नत पढ़ कर और फ़र्ज़ से पहले (यानी सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच) 41 बार सूरह फातिहा पढ़ कर गले के दर्द पर दम करें। और दिन में किसी भी वक़्त 100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर मरीज़ा पर दम किया जाये, (अव्वल आखिर दुरूद) और अगर वालिदा सूरह इख्लास पढ़ सकती हो तो दिन में ला-तादाद पढ़ा करे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 505

क्या हज़रत सुना है कि जुम्आ के दिन कपड़े धोने से रोज़ी में बरकत नहीं रहती क्या ये दुरुस्त है?

जवाब : 505

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मैने ऐसा ना सुना ना पढ़ा और शरअ़न हर दिन कपड़े धोना जाइज़ है कुछ हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 506
क्या हज़रत नापाकी की हालत में वुज़ू करना कैसा है जैसा कि गुस्ल के वक़्त अगर नापाक हो तब वुज़ू करना चाहिये या नहीं?

जवाब : 506

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नापाक शख्स अगर गुस्ल करे तो पहले वुज़ू कर ले ये बेहतर है मगर ज़रूरी नहीं और पाऊँ ना धोये और अगर कोई ऐसा ना करे सिर्फ गुस्ल कर ले तो भी हर्ज नहीं, पाक हो जायेगा और वुज़ू भी माना जायेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 507
क्या गुस्ल के दौरान किया गया वुज़ू नमाज़ के लिये काफ़ी है और गुस्ल के आदाब क्या हैं?

जवाब : 507

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
गुस्ल का वुज़ू नमाज़ और हर उस चीज़ जिसके लिये वुज़ू फ़र्ज़ या वाजिब है, के लिये काफ़ी है।

गुस्ल की सुन्नतें और आदाब : गुस्ल की निय्यत करना,
फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना,
फिर इस्तिन्जा की जगह धोना,
जिस्म पर जहाँ नजासत हो उसे धोना,

नमाज़ का सा वुज़ू करें (मगर पाऊँ ना धोयें),
3 बार दायें तरफ़ फिर 3 बार बायें तरफ़ पानी बहायें,
फिर सर पर और तमाम बदन पर पानी बहाये, (इसके बाद साबुन शैम्पू जो चाहे इस्तिमाल करे) और आखिर में पाऊँ धोये।
इस में गुस्ल व वुज़ू दोनों हो गये।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 319)

गुस्ल के दौरान क़िब्ले की तरफ ना मुँह करें ना पीठ और ना कलाम करें, ना सलाम, ना जवाब।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 508
हज़रत क्या कोई लिख कर सलाम करता है तो उस का जवाब भी हमें लिख कर देना ज़रूरी है?

जवाब : 508

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
लिखे हुये (Written) सलाम का जवाब देना भी वाजिब है मगर लिख कर वाजिब नहीं। यानी सलाम मिलते ही फौरन जवाब मुँह से दे दे, देर की तो गुनाहगार होगा। इसीलिये सैय्यिद अहमद तहतावी फ़रमाते हैं कि लोग इस (मसअले)से गाफ़िल हैं। तभी आला हज़रत जब खत पढ़ा करते तो खत में जो सलाम लिखा होता उसका जवाब ज़ुबान से (फौरन) देकर बाद में आगे खत पढ़ते।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 509
हज़रत ये बतायें कि इस्तिन्जा करने के बाद अगर पेशाब टपक जाने का शुब्हा हुआ हो या ऐसा कुछ सच में हुआ हो कि पेशाब टपक गया हो तो क्या वो नापाक हो जायेगा? अगर नापाक हो जायेगा तो दिन में कई बार इस्तिन्जा जाना पड़ता है तो हर बार नहाना मुम्किन नहीं तो इस के लिये कोई तरीक़ा हो तो हज़रत बताइये।

जवाब : 509

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये बात ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिये कि अगर कोई शख्स जान बूझ कर भी इस्तिन्जा का पानी ना ले और ऐसे ही पेशाब कर ले तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है उसे उलमा -ए- शरीअ़त ने अपनी किताबों में बयान कर दिया है। लोगों की ये गलतफ़हमी है कि पेशाब का पानी ना लिया तो नहाना ज़रूरी है, ये बेकार और कम इल्मी की बात है।

पूछी गई सूरत में नहाना कुछ ज़रूरी नहीं बल्कि पेशाब नजासते गलीज़ा के हुक्म में है जहाँ लगेगा बस उतना हिस्सा धोना ज़रूरी है चाहे कपड़ा हो या बदन।

अगर पेशाब कपड़े पर एक दिरहम (क़रीब एक रुपये का सिक्का) से ज़्यादा है तो उस जगह को पाक करना फ़र्ज़ है। ऐसी सूरत में नमाज़ नहीं होगी (मगर नहाना फ़र्ज़ नहीं) और अगर पेशाब की बूँद एक दिरहम के बराबर है तो उस जगह को पाक करना वाजिब है, इस हाल में नमाज़ दोहरानी होगी (मगर नहाना फ़र्ज़ नहीं) और अगर पेशाब की बूँद एक दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है और इस हाल में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ हो जायेगी। खैर अगर मै ये कहूँ कि लोगों को सुन्नत के तरीक़े से इस्तिन्जा नहीं आता तो शायद मुबालिगा ना होगा। ये हक़ीक़त है कि हमें फिल्मी हीरो के सारे काम आते हैं मगर सुन्नते रसूल जैसा पाक मुक़द्दस अ़मल हमें मालूम नहीं। अगर सुन्नत के तरीक़े से इस्तिन्जा किया जाये तो क़तरे जैसी बहुत बीमारी से 2-4 होने से बचा जा सकता है। साइल को चाहिये कि उल्टे पैर पर ज़ोर देकर बैठा करे और बाद पेशाब अपने पेशाबगाह (Penis) को आगे की जानिब खीच कर झाड़ लिया करे और बादे इस्तिन्जा पानी के छींटे मियानी पर मार लिया करे। इस से इंशा अल्लाह क़तरे की परेशानी से निजात पायेगा।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 4, सफ़हा 603 पर है :

पेशाब के बाद अजू (Penis) को झाड़ना (सिर्फ) सुन्नत है।

अगर लंगोट बाँधने से क़तरा ना आता हो तो लंगोट बांधना वाजिब है। जैसा कि अल बहरुल खालिक़ में है :

متی قدر علی عدالسسیلان بربا ط او حشو وجب ردہ

जब (कपड़ा) वग़ैरह बाँधने या ज़ाइद चीज़ रखने से क़तरे रोकने पर क़ादिर हो तो रखना वाजिब है।

लिहाज़ा आप लंगोट बांधें अगर ये मुम्किन नहीं तो साफ़ कपड़ा रखे और जब कपड़ा नापाक हो जाये तो हटा दें। वरना अन्दर का कपड़ा बदल कर नमाज़ पढ़ लें, नहाना ज़रूरी नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 510
हज़रत जो इमेज होते हैं जिस में अल्लाह, मुहम्मद, या अ़ली और मदीने की इमेज होती है उसे लोग अपनी प्रोफाइल में लगाते हैं उस के बारे में बताइये।

जवाब : 510

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
लगा सकते हैं कुछ हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 511
अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! मेरा सवाल ये है कि घर में बरकत कैसे आये और जो घर में बेरोज़गार हैं उन्हें कैसे रोज़गार मिले?

जवाब : 511

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ों की पाबंदी और सुन्नत की पैरवी करो, घर में उस काम से परहेज़ करो जो रिज़्क़ की बरकत खत्म करते हैं। जैसे- नमाज़ ना पढ़ना, रात में झाड़ू लगाना, फूँक से चिराग बुझाना, खड़े हो कर पानी पीना वग़ैरह-वग़ैरह। उन कामों को चालू करो जिस से तंगदस्ती दूर होती है। जैसे- खाने से पहले और बाद में 3-3 बार हाथ धोना, घर में आते वक़्त सलाम और शाम को वापस आ कर घर में बिस्मिल्लाह एक बार, दुरूद एक बार और एक बार सूरह इख्लास पढ़े फिर दुरूद।
इसके सिवा हर जुमेरात को नाखून काटना भी गरीबी दूर करता है।
हर रोज़ तीस बार सूरह इख्लास पढ़ लिया करो, घर में बरकत के लिये काफ़ी है (जबकि सही पढ़ी जाये।)

बेरोज़गार के लिये :
7 दिन 786 बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर दुआ करे वरना सुबह फ़ज्र की नमाज़ के बाद मस्जिद में बैठा रहे और जब सूरज तुलू होने लगे तो सूरज की तरफ मुँह करके 25 बार सूरह नस्र पढ़े और काम मिलने के लिये दुआ करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 512

अस्सलामु अ़लैकुम! क्या शाफ़ई, हम्बली, मालिकी हज़रात मस्लके आला हज़रत में शुमार हैं?

जवाब : 512

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ। चारों मस्लक सुन्नियत में शुमार हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 513
कुरआन शरीफ़ की आयत हिंदी या इंग्लिश में लिखना कैसा?

जवाब : 513

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
लफ्ज़ "क़ुरआन" (Quran) इस तरह लिखा जाता है, जैसे हमारे जवाब में लिखा है ना कि उस तरह जैसे आपने सवाल में (kuraan) लिखा है। आइन्दा ख्याल रखें।

क़ुरआन की आयतों का तर्जुमा किसी भी ज़ुबान में करना जाइज़ है मगर क़ुरआनी अ़रबी इबारत को गैर अ़रबी में करना नाजाइज़ और गुनाह औरबाज़ उलमा ने हराम कहा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 514
अगर नमाज़ की हालत में मोबाइल कॉल आ जाये तो क्या करें?

जवाब : 514

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर एक हाथ से (अ़मले क़लील के साथ) बन्द करना मुम्किन हो तो बन्द करे और ये किसी सूरत मुम्किन ना हो और आवाज़ आहिश्ता हो कि नमाज़ में खलल ना करती हो तो रहने दे और अगर आवाज़ तेज़ हो तो अपनी नमाज़ तोड़ कर फोन बन्द करे फिर से नमाज़ शुरू करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 515

देवबन्दी कब हिन्दुस्तान में आयें?

जवाब : 515

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अंग्रेज़ों के वक़्त में आये। वहाबिय्यत से निकली एक शाख देवबंदिय्यत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 516
नमाज़ में किसी की रीह खारिज हो जाये तो क्या करे या अगर इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है तो उस की रीह खारिज हुई तो उस के लिये क्या हुक्म है?

जवाब : 516

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
रीह खारिज होने या फिर किसी भी दूसरे फ़ेल से अगर नमाज़ का वुज़ू टूट जाये तो नमाज़ तोड़ कर सफ़ से बाहर आये और फिर वुज़ू करे और नमाज़ अदा करे।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 595 पर है :
"नमाज़ में जिस का वुज़ू जाता रहा चाहे क़ादा आखिरा में सलाम से पहले तो वुज़ू करके जहाँ से बाक़ी है वहाँ से पढ़ सकता है मगर अफज़ल यह है कि सिरे से पढ़े (क्योंकि वहीं से शुरू करने में और भी शराइत हैं, जैसे कोई फ़ेल मनफ़ी -ए- नमाज़ जिसकी इजाज़त ना थी ना किया हो)

इमाम को नमाज़ में हदस हुआ तो दूसरे को खलीफ़ा कर सकता है चाहे नमाज़े जनाज़ा हो। मगर बाज़ सूरतों में खलीफ़ा नहीं बनाया जा सकता और बाज़ में बनाया जा सकता है। जिसकी तफ़सील बहारे शरीअ़त जिल्द 1 में देखें।

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 90 पर है :
जब इमाम को हदस हुआ तो नाक पर हाथ रख कर पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को खलीफ़ा बनाये, खलीफ़ा बनाने में बात ना करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 517

हज़रत जब चारों मस्लक के आला हज़रत सुन्नियत में शुमार हैं तो क्या उन के पीछे हमारी नमाज़ होगी? थोड़ा तफ़सील में जवाब दें।

जवाब : 517

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

चारों मज़हब हक़ हैं और इनका हक़ होना इनके सुन्नी अ़क़ाइद हैं। हनफ़ी की नमाज़ किसी मज़हब के पीछे नहीं होती? ये बात आप ने कहाँ पढ़ी या किस आलिम से सुनी मुझे इसकी तफ़सील भेजें।

अव्वल तो हिन्द में सिवाये हनफ़ी के दूसरे मज़हब के लोग ना के बराबर हैं, कुछ शाफ़ई ज़रूर हैं जो सुन्नी शाफ़ई है। हनफ़ी इमाम के होते हुये सुन्नी हनफ़ी को क्या ज़रूरत कि वो दूसरे मज़हब पर नमाज़ पढ़े और अगर ऐसी जगह जहाँ हनफ़ी इमाम ना हो और जमाअ़त का वक़्त हो और इमाम शाफ़ई हो तो सुन्नी हनफ़ी की नमाज़ शाफ़ई के पीछे हो जाती है मगर जबकि वो हमारे मज़हब हनफ़ी की रियायत करे यानी हमारे नज़दीक 1/4 सर का मसहा फ़र्ज़ है, इस से कम हमारे मज़हब हनफ़िय्यत में वुज़ू नहीं हो सकता और शाफ़ई में चंद बाल पर भी मसहा हो जाता है तो अगर वो शाफ़ई इमाम ऐसा अ़मल करे कि दोनों का मुआमला हल हो जाये तो बेहतर यानी वो 1/4 सर का मसहा करे और अगर वो इस से कम सर का मसहा करे तो ऐसे शाफ़ई के पीछे हमारी नमाज़ नहीं होगी क्योंकि हमारे नज़दीक उनका वुज़ू नहीं पाया गया।

इसी तरह मज़हबे शाफ़ई में जब अ़स्र का वक़्त होता है तो हमारा ज़ुहर ही होता है, अगर शाफ़ई इमाम अ़स्र कुछ देर से पढ़ाये कि हमारा भी अ़स्र का वक़्त लग जाये तो ठीक वरना उसके पीछे शाफ़ई के मानने वालों की नमाज़ हो जायेगी मगर इस सूरत में हमारी नहीं।

खुलासा -ए- कलाम ये है कि :
हनफ़ी इमाम ना होने की सूरत में अगर कोई शाफ़ई मज़हब पर नमाज़ पढ़े तो भी जाइज़ है जबकि वो इमाम हमारे फ़र्ज़ वाजिब वग़ैरह का ख्याल रखे जिसका ज़िक्र हमने ऊपर किया वरना नहीं। और एक बात अ़र्ज़ करता चलूँ कि शाफ़ई मज़हब में रफ़यदैन जाइज़ तो है मगर वहाबी शाफ़ई नहीं हैं क्योंकि वो गैर मुक़ल्लिद है, किसी इमाम को नहीं मानता। मगर लोग उसके रफ़यदैन से धोका खा जाते हैं। शाफ़ई अलग मज़हब है और हक़ है, वहाबी अलग मज़हब है और बातिल है जिसके पीछे नमाज़ नहीं। और जो हमारे उलमा नमाज़ गैर के पीछे पढ़ने को मना करते हैं वो वहाबी के पीछे मना करते हैं शाफ़ई के पीछे

नहीं। जैसा कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक़ नाजाइज़ महज़ बातिल है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 518
हज़रत मेरा सवाल ये है कि फ़ातिहा कराना जाइज़ है या नाजाइज़ और किस किस पे फ़ातिहा की जा सकती हैं। प्लीज़ किसी हवाले से बता दें।

जवाब : 518

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
फ़ातिहा नाम है ईसाले सवाब का यानी मुसलमान अपने किसी भी नेक अ़मल का सवाब किसी दूसरे ज़िन्दा या मुर्दा मुसलमान को ईसाल (Transfer) कर सकता है, जिसे उर्फे आम में फ़ातिहा कहा जाता है। फ़ातिहा हर जाइज़ और हलाल चीज़ में हो सकती है चाहे मछली हो या उड़द की दाल या पानी या हलवा या शर्बत वग़ैरह।

हदीस में किसी और की तरफ से हजकरने का सबूत भी मौजूद है। इसी तरह किसी और की तरफ से नमाज़ पढ़ने का सबूत भी यानी अगर कोई मुसलमान कोई नेक काम करे (मस्लन, नमाज़, सदक़ा या खाना बना कर मुसलमान को खिलाये या क़ुरआन पढ़कर बख्शे) इसे ही फ़ातिहा कहा जाता है, जो शरअ़न बिल्कुल जाइज़ बल्कि मुस्तहब है। फ़ातिहा से दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचता है इसकी अस्ल भी अहादीसे तैय्यिबा में मौजूद है।

हदीसे शुअ़बुल ईमान : जब तुम में से कोई कुछ खैरात करे तो चाहिये उसे कि (कुछ) अपने माँ बाप की तरफ़ से करे, इसका सवाब उन्हें मिलेगा और इसके सवाब में भी कोई कमी ना होगी।

हदीसे शुअ़बुल ईमान : मुर्दे का हाल क़ब्र में डूबते हुये इंसान की तरह है। वो शिद्दत से इन्तिज़ार करता है कि माँ-बाप, भाई या दोस्त की दुआ उसको पहुँचे और जब उसे दुआ पहुँचती है तो वो उसके लिये दुनिया और उस में जो कुछ है उस से बेहतर होती है।

एज़न सफ़हा, 308 पर है कि जब कोई शख्स मैय्यत को ईसाले सवाब करता है तो जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम उसे नूरानी तबक़ में रख कर क़ब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ क़ब्र वाले ये तोहफ़ा तेरे घर वालों ने भेजा है क़ुबूल कर और ये सुन कर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन।

कश्फुल खिफा में एक हदीस नक़्ल है कि जो क़ब्रिस्तान में 11 बार सूरह इख्लास पढ़ कर मुर्दों को इसका सवाब पहुँचाये तो मुर्दों के सवाब के बराबर भेजने वाले को भी सवाब मिलेगा।

सुनन अबू दाऊद में है हज़रते साद बिन उबादा (रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया, कौन सा सदक़ा अफज़ल है?
फ़रमाया : पानी।
उन्होंने एक कुँआ खुदवाया और कहा ये उम्मे साद के लिये है।

ठीक वैसे ही खाने को आगे रख कर रसूले पाक का क़ुरआन पढ़ना भी बुखारी, जी हाँ बुखारी शरीफ़ से साबित है।

मशवरा: अहले सुन्नत के सारे मुआमले और दलाइल के लिये किताब "जा-अल हक़" का पढ़ना फाइदेमन्द है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 519
हज़रत नमाज़ में कितने वाजिबात हैं?

जवाब : 519

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ के वाजिबात काफ़ी हैं, किसी किताब से तफ़सीलन पढ़े जायें। कुछ अ़र्ज़ किये जाते हैं :
पहली तकबीर में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना।
सूरह फ़ातिहा की सातों आयत पढ़ना।
कोई एक सूरत मिलाना।
सूरह फ़ातिहा और सूरत के बीच सिवाये बिस्मिल्लाह के कुछ ना पढ़ना।

सूरह फ़ातिहा के बाद फौरन सूरह मिलाना।
सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में, नफ्ल व वित्र की हर रकअ़त में वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा का एक ही बार पढ़ना वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा और सूरत के बीच वक्फ़ा ना करना (सिवाये आमीन और तस्मिया के)
क़िरअत के बाद फौरन रुकूअ़ करना। (रुकूअ़ में पूरी तरह कमर सीधी कर के एक तस्बीह के मिस्ल रुकना।
एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना।
सजदे में (मर्द को) पाऊँ की तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना।
जलसा वाजिब है (दो सजदों के बीच बैठना, एक तस्बीह की मिक़्दार कमर सीधी करना)
क़ादा ए ऊला।
तशह्हुद।
तशह्हुद के बाद तीसरी रकअ़त के लिये फौरन खड़े होना।
वित्र में दुआ -ए- क़ुनूत और दुआ। (क़ुनूत या कोई भी)
सलाम में लफ्ज़े अस्सलामु का होना वाजिब अ़लैकुम सुन्नत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 520
हज़रत ये शाफ़ई और हनफ़ी वग़ैरह क्या होते हैं? हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ समझी कि हम मुसलमान है। कास्ट पठान है और हम अहले सुन्नत वल जमाअ़त में यक़ीन रखते हैं।

जवाब : 520

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
आप जितना जानते हो वो आपके ईमान और अ़क़ीदे की हिफाज़त के लिये काफ़ी है। इस से ज़्यादा जानना कुछ ज़रूरी नहीं। आप सुन्नी हनफ़ी (अहले सुन्नत वल जमाअ़त) के अ़क़ाइद रखते हो काफ़ी है।

जिस तरह आप हनफ़ी हो उसी तरह 3 और मस्लक हैं, जिनके मानने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। वो भी सुन्नी ही कहलाये जाते हैं। जो इमाम शाफ़ई की फिक़्ह पर अ़मल करते हैं वो शाफ़ई होते हैं, जो इमाम हम्बल की फिक़्ह पर अ़मल करते हैं वो हम्बली होते हैं मगर सबके अ़क़ीदे एक ही हैं। मसाइल में कुछ फ़र्क़ है और हमें उसे जानना ज़रूरी नहीं। बस चारों को हक़ जानना काफ़ी है। (चारों इमाम के अ़क़ीदे सुन्नियत के ही हैं, बस उनके कुछ

मसअले मसाइल में फर्क़ है, जैसे हमारे नज़दीक वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है अगर ना पढ़ी तो वुज़ू हो जायेगा इसी तरह दूसरे मस्लक में ये फ़र्ज़ है ना किया तो वुज़ू नहीं होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 521
हज़रत सुन्नह और हदीस में क्या फ़र्क़ है?

जवाब : 521

بسم الله الرحمٰن الرحيم
सुन्नत हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के क़ौल, फ़ेल को कहते हैं या वो काम हैं जिसे सहाबा ने किया हो और हुज़ूर ने मना ना किया सुन्नत है। और बाज़ ने कहा कि सहाबा के क़ौल, फेल को भी सुन्नत कहते हैं और ताबई के भी।

हदीस : हुज़ूर की तक़रीर को हदीस कहते हैं। वैसे तो दोनों एक ही चीज़ हैं मगर अक्सर हुज़ूर की फ़ेल का इत्लाक़ सुन्नत के लिये और क़ौल का इत्लाक़ हदीस के लिये कर देते हैं अगर्चे हैं दोनो एक ही।
कोई कहे बैठ कर पानी पीना सुन्नत से साबित है या कोई कहे बैठ कर पानी पीना हदीस से साबित है, दोनों एक ही बात हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 522
786 का क्या माइना है और इसकी कैसे पहचान हुई है?

जवाब : 522

بسم الله الرحمٰن الرحيم
786 बिस्मिल्लाह शरीफ़ के अ़दद हैं यह हुरूफे मुफ़रिदात के अलग-अलग हुरूफ़ से निकाले गये हैं और उन्हें जोड़ा गया है। मस्लन- बा के 2, सीन के 60, मीम के 40 वग़ैरह-वग़ैरह।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 523

हज़रत जो फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तस्बीह (सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर) पढ़ते हैं, क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? इसको पढ़कर ही दुआ करनी चाहिये और अगर हम कभी जल्दी में हों और ये तस्बीह ना पढ़ सकें तो इस में कोई हर्ज तो नहीं है?

जवाब : 523

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वक़्त हो तो पढ़ लेनी चाहिये, इसकी फज़ीलत काफ़ी है वरना कुछ ज़रूरी नहीं बाद सलाम फौरन दुआ भी कर सकते हैं। इसे ना पढ़ना या छोड़ देना गुनाह नहीं ना इस से नमाज़ में कोई फ़र्क़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 524

लोग घरों में फ़िश रखते हैं क़ैद कर के और पेरिट केज (पिंजरे) में इस का शरीअ़त में क्या हुक्म है और जुनैद बगदादी रदिअल्लाहु तआला अ़न्हु इस को क़ैद करके रखने के खिलाफ थे, वज़ाहत कर दें हज़रत।

जवाब : 524

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मछली परिंदे या जानवर को पालने में शरअ़न कोई हर्ज नहीं है जबकि पालने वाले को (यानी जिन्हें पाला जाता है) और उनसे जुआ ना खेला जाये।मस्लन मुर्गे इसीलिये पाले कि लड़ाई का खेल करे या कबूतर इसीलिये पाले कि कबूतरबाज़ी करे तो जाइज़ नहीं कि ये काम खुद हराम है। इसी तरह महज़ शौक़ से पाले और उन्हें खाना पीना देता है तो तोता या मछली में भी हर्ज़ नहीं। अब रहा ये कि तोते को पिंजरे में रखा जाता है तो जिस परिंदे को पालना जाइज़ है उसे उसकी फितरत पर ही रखा जायेगा। जैसे मुर्गी को भी दर्बे में रखा जाता है और फिर चाहे कबूतर ही क्यों ना हो और जब शरअ़ में कबूतर पालना जाइज़ है और इसका मतलब यही है कि उसे पिंजरे में रखना भी जाइज़ है। पाला तभी जायेगा और हर बार रखना क़ैद नहीं बल्कि कभी खुद उस परिंदे की हिफाज़त के लिये होता है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 656 पर है कि :

कबूतर पालना जबकि खाली दिल बहलाने के लिये हो (किसी नाजाइज़ काम के लिये नहीं) तो जाइज़ है।

इसी तरह कबूतर या मुर्गा या कोई भी परिंदा लड़ाने के लिये पाला तो भी हराम है। या उन्हें तकलीफ़ दे ये भी हराम (जबकि शौक़िया पालने में कोई हर्ज नहीं।)

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 24, सफ़हा 660 पर है :
कबूतर पालना जाइज़ है जबकि दूसरे के कबूतर ना पकड़े और कबूतर उड़ाना कि घंटों उन्हें उतरने ही नहीं देते ये हराम है, मुर्गा बटेर का लड़ाना हराम है।

शैख जुनैदे बगदादी का ऐसा कोई क़ौल तो मुझे याद नहीं अगर है तो वो बतौरे एहतियात होगा बतौरे हुज्जत नहीं। ऐसे कई काम बुज़ुर्ग मना करते थे जो उनके मना करने से नाजाइज़ नहीं। यानी वो उनका तक़वा था या वो खुद पसंद नहीं करते थे। जैसे बाज़ बुज़ुर्गों का मामूल था कि वो अस्र और मगरिब के बीच कुछ नहीं खाते थे मगर इसका ये मतलब नहीं कि खाना जाइज़ नहीं ठीक वैसे ही हज़रत का क़ौल था वो आप भेज दो अगर मुम्किन हो तो मै पढ़ कर ही बताता हूँ कि शैख की क्या राय थी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 525
हज़रत क्या हम खड़े होकर वुज़ू कर सकते हैं और गर्ल्स अगर वुज़ू के टाईम सर पे दुपट्टा लेकर वुज़ू करें तो कोई मुश्किल तो नहीं है?

जवाब : 525

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
खड़े होकर वुज़ू करने से वुज़ू हो जायेगा कुछ गुनाह नहीं मगर बैठकर करना और अच्छी जगह बैठना वुज़ू में मुस्तहब है। जहाँ औरत वुज़ू कर रही है वहाँ कोई गैर मर्द नहीं तो सर खोलने में हर्ज नहीं वरना उनके सामने बाल दिखाना हराम है। अगर इस सूरत में वुज़ू किया जब भी वुज़ू हो जायेगा और इस हराम काम का गुनाह ज़रूर रहेगा और अगर घर में गैर मर्द नहीं बच्चे या शौहर हैं तो अब वो गुनाह भी नहीं और वुज़ू हर हाल में सही है। चाहे दुपट्टा सर पर हो या नहीं और वुज़ू के लिये पूरा दुपट्टा हटा देना (अगर गुस्लखाने में हो तो हर्ज नहीं) और किसी के आने का खौफ़ हो तो ऐसी बेवक़ूफी नहीं करनी चाहिये बल्कि सर पर दुपट्टा रखे सिर्फ सर के मसहा के वक़्त हटाकर फौरन ढक ले।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 526
हज़रत अगर छोटा बच्चा गोद में पेशाब कर दे तो क्या गुस्ल करना पड़ेगा?

जवाब :526

بسم الله الرحمٰن الرحيم
गुस्ल किसी पर वाजिब नहीं ना उस पर जिसने पेशाब करा, ना उस पर जिस पर करा गया। कपड़े बदल कर (जिस पर पेशाब लगा है) फिर उस जिस्म की जगह को धोकर जहाँ पेशाब लगा है काफ़ी है, नहाना ज़रूरी नहीं। और पेशाब एक दिन के बच्चे का भी नापाक करने वाला है चाहे वो रोटी खाता हो या ना खाता हो।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 527
अगर मुक़्तदी अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़्मा दे तो क्या हुक्म है?

जवाब : 527

بسم الله الرحمٰن الرحيم
नमाज़ जाती रहेगी।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 528
अस्सलामु अ़लैकुम भाईजान! मै एक डिफेन्स पर्सन हूँ। हमें हर साल बोनस मिलता है तो ये पैसा हराम में आता है या हलाल की कमाई में आता है अगर ये हराम की है तो हमें इसको क्या करना चाहिये? क्योंकि ये पैसा हम गवर्नमेन्ट को वापस नहीं कर सकते।

जवाब : 528

بسم الله الرحمٰن الرحيم
लेना जाइज़ और हलाल है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 529
हज़रत क्या खाना खाते वक़्त सलाम करना चाहिये या नहीं और कोई सलाम कर दे खाना खाते वक़्त क्या उस का जवाब देना चाहिये या नहीं?

जवाब : 529

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
खाना खाते वक़्त अगर कोई आ जाये तो खाने वाले को उस आने वाले को सलाम नहीं करना चाहिये। जैसा कि मेरे आक़ा, वली -ए- कामिल, आशिक़े अहले बैत, इमामे अहले सुन्नत, मुहद्दिसे आज़म, इमाम अहमद रज़ा खान मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी क़ादरी फ़ाज़िले बरेलवी

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं :
जो खाना खा रहा हो उसे सलाम ना करें और अगर ये आने वाला सलाम करे तो इस खाने वाले को जवाब देना भी वाजिब नहीं यानी जवाब नहीं दिया तो गुनाहगार ना होगा।

फ़तावा खानिया, जिल्द 2, फ़स्ल फ़ी तस्बीहो तस्लीम सफ़हा 377 पर है :
लोग खाना खा रहे हों तो उस वक़्त कोई आया तो सलाम ना करे और अगर खाने बैठा ही था अभी शुरू ना किया या खा चुका है और मुँह में लुक़्मा नहीं चबा रहा तो सलाम कर सकता है।

सदरुश्शरिया हज़रत अ़ल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी
बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 461 पर लिखते हैं :
ये उस वक़्त है कि खाने वाले के मुँह में लुक़्मा है और वो चबा रहा है क्योंकि इस वक़्त ये जवाब देने से आजिज़ है और अभी खाने के लिये बैठा ही है, या खा चुका है तो सलाम कर सकता है कि अब वो आजिज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 530
हज़रत अगर सफ़र में हैं फिर नमाज़ कैसे अदा करें जब कि ना रुखे काबा पता हो ना सजदा करने की जगह हो ना वुज़ू हो उस हालत में हमें क्या करना चाहिये?

जवाब : 530

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरीअ़त में सफ़र 92 किलो मीटर से बाहर (15 दिन से कम) को कहते हैं। सफ़र में भी नमाज़ें अदा की जायेंगी मगर इतनी रियायत होगी कि हर फ़र्ज़ 4 वाली 2 रकअ़त पढ़ी जायेगी यानी केवल फ़र्ज़ आधे, इसे क़स्र कहते हैं। बाक़ी सुन्नत वग़ैरह पूरी और एक बात सफ़र में क़स्र वाजिब है यानी अगर कोई जान बूझ कर पूरे फ़र्ज़ पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा।

वुज़ू की कोई दिक्कत नहीं, हर स्टेशन पर पानी वग़ैरह आसानी से मिल जाता है और कोशिश करनी चाहिये कि जहाँ गाड़ी रुके वुज़ू कर ले क्या जाने आगे पानी हो या ना हो और अगर नमाज़ का वक़्त आया और पानी नहीं और ना दूर दूर तक पानी की उम्मीद तो वुज़ू के बदले तयम्मुम किया जाता है फिर नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर काबा का रुख नहीं मालूम तो किसी से पता किया जाये और अगर कोई बताने वाला ना हो तो दिल में जहाँ काबा जमे वहाँ नमाज़ पढ़ ले उसके हक़ में वही काबा है, इसे तहर्री कहते हैं। हर ज़मीन तो सूखी है पाकी के हुक्म में है उस पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है वरना अपने साथ एक कपड़ा रखा जाये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 531

रोज़े महशर के दिन कौन से 3 सवाल पूछे जायेंगे? प्लीज़ मुझे मालूम नहीं इसीलिये सवाल किया हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ बताइयेगा ज़रूर।

जवाब : 531

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मैदाने महशर में 3 सवाल नहीं किये जायेंगे बल्कि वहाँ तो पूरी ज़िन्दगी के गुनाह के बारे में हिसाब होना है और जो 3 सवाल वाली बात है वो क़ब्र में पूछे जायेंगे।

(1) तेरा रब कौन है?

(2) तेरा दीन क्या है? और

(3) इस ज़ात (हुज़ूर) के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था?

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 532

हज़रत अगर हमें सफ़र में भी पूरी नमाज़ अदा करने का वक़्त हो तो क्या करें?

जवाब : 532

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

तो भी फ़र्ज़ आधे पढ़ें चाहे वक़्त कितना ही हो और पूरी पढ़ी तो गुनाहगार होगा और जो नमाज़ सफ़र में क़ज़ा हुई हो तो उनकी क़ज़ा भी क़स्र ही करनी होगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 533

सफ़र में अगर नमाज़ क़ज़ा हो गई हो तो क़ज़ा नमाज़ पूरी पढ़े या वो भी आधी पढ़ी जायेगी? सफ़र में ही क़ज़ा अदा करने का मौका मिल जाये और घर पहुँचने के बाद दोनों सूरतों में बताइये।

जवाब : 533

بسم الله الرحمٰن الرحيم

सफ़र में अगर नमाज़ क़ज़ा हो गई हो तो जब भी ज़िंदगी में क़ज़ा -ए- उम्री पूरी करेगा तो सफ़र की नमाज़ क़स्र ही करेगा यानी 4 वाले फ़र्ज़ 2 चाहे घर में पढ़े या कहीं भी। इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र की क़ज़ा नमाज़ सफ़र पर ही क़ज़ा की जायेगी। अगर वक़्त पूरा मिले तो भी सफ़र पर आधी नमाज़ ही पढ़नी चाहिये जैसा कि पिछले सवाल 532 में पूछा गया था। अगर किसी ने सफ़र पर होते हुये भी पूरे 4 फ़र्ज़ जान कर पढ़े तो 2 फ़र्ज़ होंगे बाक़ी 2 नफ्ल और ये गुनाहगार भी होगा। तौबा करना लाज़िम होगी।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 742 पर है:

मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यानी 4 रकअ़त वाले फ़र्ज़ को 2 पढ़े इसके हक़ में 2 ही रकअ़तें पूरी नमाज़ हैं। अगर जान कर 4 पढ़े और क़ादा -ए- ऊला किया तो फ़र्ज़ अदा हो गये और बाक़ी दो रकअ़तें नफ्ल हुई। मगर (4 पढ़ने की वजह से) गुनाहगार और अज़ाब का हक़दार हुआ।

सफ़र में जो नमाज़ क़ज़ा हुई उन्हें क़स्र ही पढ़ेगा यानी जब क़ज़ा -ए- उम्री पूरी करे तो ये अन्दाज़ा लगाये कि माह या साल में कितने दिन सफ़र पर था फिर उसी हिसाब से उतने दिनों की नमाज़ क़स्र क़ज़ा करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 534

बीवी अगर हैज़ से है तो उस से दूर रहना चाहिये? हैज़ का Maximum टाईम 7 दिन होता है लेकिन अलग-अलग औरतों के लिये अलग-अलग होता है तो क्या पूरे 7 दिन दूर रहना चाहिये या 3 या 4 दिन में अगर पाक हो जाती है तो हमबिस्तरी की जा सकती है?

जवाब : 534

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

औरत जब पाक हो जाये तो शौहर उस से हक़े ज़ौजियत अदा कर सकता है और अलग-अलग औरतों को आदत के मुताबिक़ अलग-अलग वक़्त होता है कोई 4 दिन में पाक तो कोई 8 दिन में।

आपने सवाल में पीरियड्स का ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त 7 दिन बयान किया, ये आप ने कहाँ पढ़ा या सुना?

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 372 पर है कि :
हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन (72 घंटे) और इस से एक भी मिनट कम हो तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 535
हज़रत अगर एक मगरिब की और इशा की नमाज़ छूट गयी है फिर हम दूसरे दिन मगरिब ही की नमाज़ से पहले क़ज़ा पढ़ सकते हैं? मतलब मगरिब की मगरिब में और इशा की इशा में।

जवाब : 535

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जो नमाज़ जब चाहे पढ़ सकता है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं और ये भी कर सकता है कि पहले फ़ज्र पूरी कर ले फिर ज़ुहर इसी तरह आगे की, एक वक़्त में जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ दे और ज़हन हाज़िर रहे यानी बोर ना हो तो जितनी चाहे क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकता है सिवाये मकरूह वक़्त के और वो मकरूह वक़्त ये हैं :
(1) ज़वाल के वक़्त
(2) तुलू -ए- आफताब के वक़्त
(3) मगरिब से 20 मिनिट पहले तक।
अ़स्र बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं और जब मगरिब से 20-25 मिनिट रह जायें तो ना पढ़े।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 536
इस्लाम में सपनों की कितनी अहमिय्यत है अगर हम कोई ख्वाब देखते हैं तो क्या हक़ीक़ी ज़िन्दगी में उस का कोई असर होता है?

जवाब : 536

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ख्वाब **3** तरह के होते हैं।

(1) ख्वाब -ए- रहमानी : जो अल्लाह की तरफ से दिखाये जाते हैं, ये अच्छे ख्वाब होते हैं, इसे देख कर शुक्र अदा करना चाहिये।

(2) ख्वाब -ए- शैतानी : ये शैतान की तरफ से होते हैं, आँख खुले तो लाहौल पढ़ना चाहिये।

(3) ख्वाब -ए- नफ्सानी : जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं या जो दिमाग में पूरे दिन फ़िक्र रहती है।

ख्वाब की हक़ीक़त है, क़ुरआन में सूरह तौबा आयत 46 में अल्लाह अज़्ज़वजल का फ़रमान है :
"ईमान वालों के लिये बशारतें हैं दुनिया और आखिरत में"

और इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीरे मज़हरी में है कि :
हुज़ूर ने फ़ लरमाया यहाँ बशारत से मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो इंसान खुद देखे या उसके मुतल्लिक़ दूसरे को दिखाये जायें।

बुखारी, मुस्लिम, मिश्कात में फ़रमाया :
ख्वाब नबूव्वत का 46 वा हिस्सा है।और मिश्कात शरीफ़ की हदीस में हुज़ूर ने फ़रमाया :
नबुव्वत के फ़ैज़ से बस बशारतें बाक़ी हैं यानी अब कोई नबी नहीं होगा मगर बशारतें होती रहेंगी। सहाबा ने अ़र्ज़ की : हुज़ूर बशारतें मतलब?
फ़रमाया : बशारत से मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो इंसान खुद देखे या उसके मुतल्लिक़ दूसरे को दिखाया जायें।

सहीह बुखारी की हदीस में है :
तुम में से जब कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे प्यारा मालूम हो तो अल्लाह की हम्द करे और लोगों के सामने बयान करे

यानी अब कोई नबी नहीं होगा जो "वही" आये मगर सच्चे ख्वाब जारी रहेंगे फिर चाहे अल्लाह उन्हें सोते हुये या जागती आँखों से दिखाये। अगर कोई नेक अच्छा ख्वाब देखे तो

अल्लाह का शुक्र करे। अगर कोई बुरा नफ्सानी ख्वाब देखे तो तौबा करे, सदक़ा करे कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से और बुरा शैतान की तरफ से है और कभी ऐसा भी होता है कि जो दिन भर इंसान के दिमाग में चलता है या इंसान जिस चीज़ के बारे में सोचता है वही ख्वाब में आता है और हर ख्वाब की ताबीर जुदा होती है। और अक्सर सुबह के वक़्त के ख्वाब अच्छे होते हैं मगर ऐसा नहीं कि हर बार वो सच्चे होंगे।

तिर्मिज़ी में अबू सईद रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु से रिवायत किया, फ़रमाया हुज़ूर ने :
सच्चे ख्वाब सुबह (सहरी) के होते हैं।

इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी
मीरातुल मनाजीह शरह मिश्कातुल मसाबीह, जिल्द 6, सफ़हा 256 हदीस 4626 में फ़रमाते हैं
यानी सुबह सेहरी के वक़्त के ख्वाब अक्सर सच्चे होते हैं क्योंकि इस वक़्त अक्सर दिल मुतमइन होता है। फिरिश्तों का नुज़ूल होता है जो नमाज़े फ़ज्र में शिरकत करते हैं।

इसी तरह ख्वाब में रसूल की ज़ियारत का होना भी हक़ है। फ़रमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उस ने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता।

ख्वाब का ज़िन्दगी से बिल्कुल ताल्लुक़ है बल्कि जो ख्वाब की पहली ताबीर की जाती है अक्सर वही सच होती है। इसीलिये हदीसे पाक में फ़रमाया गया कि ख्वाब परिंदे के पाऊँ पर होता है जब तक इसकी खबर ना दी जाये, जब वो बयान कर दी जाये तो वाक़ेअ़ होती है। यानी ख्वाब की जब तक ताबीर ना की जाये वो अक्सर सच नहीं होता और जो ख्वाब की पहली ताबीर कर दे तो वही सच होता है। इसीलिये फ़रमाया दुश्मन से ख्वाब की ताबीर ना पूछो (क्योंकि कहीं दुश्मन गलत ताबीर ही करेगा और वो सच ना हो जाये)

हिकायत :
एक औरत का शौहर काम की तलाश में बाहर गया। उस औरत ने ख्वाब देखा कि उसके शौहर के मुँह से कौए निकल कर उड़ रहे हैं। उस ने पड़ोसन को बताया तो पड़ोसन ने कहा कि तेरा शौहर मर गया होगा। फिर वो किसी आलिमे दीन के पास गई। उन्होंने बताया कि तेरा शौहर तोप खाने का मालिक कर दिया गया है। मगर कुछ दिन बाद मौत की खबर आई फिर वो आलिम के पास गई और सब मामला बयान किया। आलिम ने फ़रमाया ख्वाब की पहली ताबीर ही होती है, तूने उस नादान औरत से अपना ख्वाब कह कर ताबीर खराब कर ली। इसे मीरात ने नक़्ल किया (गालिबन मीक़ात के हवाले से)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 537
हज़रत जो लोग कहते हैं अक्सर कि काँच टूटना अच्छा नहीं होता, दूध का उबलना अच्छा नहीं होता और दाहिनी आँख का फड़कना अच्छा नहीं होता। क्या हज़रत इस की हदीस में कोई हक़ीक़त है या बस ऐसे ही लोगों ने वहम बना कर रखा है?

जवाब : 537

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जो लोग बुरा समझते हैं वो बाहिनी (Left) आँख के फड़कने को समझते हैं। दाहिनी का कभी सुना नहीं जो आपने सवाल में लिखा है। खैर बाक़ी चीज़ें जो सवाल में दर्ज हैं मैने कभी पढ़ी नहीं। उल्टी आँख के फड़कने को बद-शूगुनी मानना सही नहीं है। बहुत हदीस में बद-शूगुनी की मज़म्मत की गई जिस का खुलासा है कि बद-शूगुनी लेना मुशरिकीन का तरीक़ा है।
बद-शूगुनी लेना हराम है। अच्छी फ़ाल लेना मुस्तहब।
बद-शूगुनी लेना बुतों (बुत परश्तों) का तरीक़ा है।
बद-शूगुनी को शिर्क (कुफ्र) भी कहा गया।
जो बद-शूगुनी की वजह से किसी चीज़ से रुक जाये वो शिर्क में आलूदा हो गया।
और अच्छी फ़ाल लेना मुस्तहब है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 538
ज़ैद ने पैट्रोल पम्प में पैट्रोल भरा रुपये 100/- का उस को इस पर लॉट्री टिकट मिली जिसकी क़ीमत नहीं चुकायी गयी। उस टिकट में कुछ ईनाम निकला, क्या ये ईनाम हलाल हुआ?

जवाब : 538

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, लेना जाइज़ है। हिन्द के काफ़िर जो नफ़ा मुसलमानों को अपनी खुशी से दें वो माले मुबाह के हुक्म में है, जिसका लेना जाइज़ है जबकि कोई बात खिलाफ़े शरअ़ ना हो और ये ईनाम अगर जाइज़ चीज़ का है तो रखे और इस्तिमाल करे और नाजाइज़ का है तो फाड़ दे, ना खुद रखे, ना किसी को दे। क्योंकि इस तरह अक्सर फिल्म टिकिट भी मिलते हैं तो ईनाम के टिकिट से फिल्म देखने की इजाज़त ना होगी।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 539
ज़ैद के रिश्तेदार वहाबी हैं। ज़ैद उनके घर में खाता पीता है। वहाबी उसके घर में खाते हैं लेकिन ज़ैद फ़ातिहा भी करता है, हुज़ूर ﷺ को दुरूद भी भेजता है। ज़ैद के बाप वहाबी हैं लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं अपने आप को सुन्नी कहते हैं। ऐसे शख्स के बारे में क्या कहें? बराए करम बताइये।

जवाब : 539

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर रिश्तेदार ऐसे पक्के वहाबी हैं जो बातिल अ़क़ीदे रखते हैं। ज़न्ने गालिब है कि वो फिर लौट कर ना आयेंगे तो ज़ैद का उनके साथ खाना पीना उठना बैठना गुनाह है। उसे इससे बाज़ रहना चाहिये बल्कि वो अगर मर भी जाये तो उनके जनाज़े की नमाज़ में शिर्कत ना करे। ज़ैद के बाप जिसके बारे में बताया गया कि वो वहाबी है उसे कुछ मालूम नहीं है और वो सुन्नी कहते हैं तो उसे वहाबी ना कहेंगे बल्कि बाज़ लोग आवामुन्नास जो कि वहाबी अ़क़ीदे से वाक़िफ़ नहीं होते। बल्कि ज़ैद को चाहिये बाप के अ़क़ीदे की दुरुस्तगी की कोई सूरत बनाये, इस से पहले कि वहाबी रिश्तेदार ज़ैद के बाप को बद-अ़क़ीदा ना कर दें।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 540
जो जानवर हराम है उनके दूध का क्या हुक्म है?

जवाब : 540

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हराम जानवर का दूध नजिस है।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 393)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 541
मेरी मोबाइल की शॉप है। उस में डाउनलोड शुरू करना चाहता हूँ तो उस से आने वाले पैसे की कमाई खाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : 541

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर डाउनलोडिंग फिल्म, गाने बाजे, बेहूदा तस्वीरों की, की जायेगी तो ज़रूर ऐसा करना हराम है। और अगर डाउनलोडिंग नात, सुन्नी उलमा की तक़रीर, बयान बेजान की तस्वीर (काबा, मदीना) वग़ैरह की, की तो जाये तो जाइज़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 542

हज़रत ये बतायें एक होटल है जिस में हिन्दू भी, मुस्लिम भी नाश्ता करने आते हैं। और एक ही ग्लास में हर तरह के लोग जो चाहे पीते हैं। उस में शराबी भी आते हैं तो क्या उस होटल में चाय पी सकते हैं?

जवाब : 542

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये तो हर होटल का हिसाब होता है कि उस में काफ़िर, मुसलमान सब ही खाते पीते हैं मगर ऐसा कहीं देखा सुना नहीं गया कि बिना बर्तन धोये दूसरे कस्टमर को खाना दिया गया और अगर हर बार चाय के ग्लास वग़ैरह धो लिये जाते हैं (और ऐसा ही यक़ीन के साथ होता भी है) तो बस उस होटल का क्या पूछना। सब में यही सिस्टम होता है, जब बर्तन धुल गया तो खाना पीना जाइज़ है फिर चाहे उस से काफ़िर ने खाया हो या शराबी ने, खाने पीने में हर्ज नहीं अगर बर्तन में बू या बे-धुला महसूस हो तो होटल में इसकी शिकायत करके दूसरे बर्तन में खाना मँगा लिया करें, हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 543

अगर मै इंश्योरेंस करवाता हूँ। वो टाईम पूरा हो जाता है या बैंक में उससे मिलने वाला इंटरेस्ट जाइज़ है या नहीं?

जवाब : 543

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! LIC का करवा सकते हैं इस में कोई हर्ज नहीं जबकि कम्पनी काफ़िर की हो और मुसलमान LIC करवाने वाले का नफ़ा हो और नुक़्सान ना हो। और इस से मिलने वाला नफ़ा भी जाइज़ है।

जैसा कि फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा, 602 पर जीवन बीमा के बारे में किये गये एक सवाल के जवाब में आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं जबकि ये बीमा गवर्नमेन्ट (काफ़िर) करते हैं और इन में अपने नुक़सान की कोई सूरत नहीं तो जाइज़ है हर्ज नहीं।

और मसअला ये है कि इंडिया के काफ़िर अगर ज़्यादा माल मुसलमान को दें तो हर्ज नहीं, लेना जाइज़ है। और यही उलमा के फ़तावे में मौजूद है। और बैंक से मिलने वाली ज़्यादा रक़म भी लेना जाइज़ है ये सूद लेना नहीं होता।

फ़तावा बहरुल उलूम, जिल्द 3, सफ़हा 45 पर है:
हिन्दुस्तान के गैर मुस्लिम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई रक़म मुसलमानों को दें और इस के लिये में कोई उज़्र इज़्ज़त को खतरा वग़ैरह ना हो तो इस का लेना जाइज़ है इसको जिस मसरफ में खर्च करेगा जाइज़ होगा। (मस्लन दीनी कामों में भी)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 544
हज़रत अगर रहल ना हो और क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना है तो तकिया या हाथ में लेकर पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : 544

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जो सवाल में बयान की गई, उन दोनों सूरतों में क़ुरआन का पढ़ना जाइज़ है। मगर एहतियात दोनों में लाज़िम है। तकिये पर किसी तरह की नजासत ना हो ना सर में लगे तेल वग़ैरह की बदबू। अगर ऐसा है तो तकिये पर एक और साफ़ कपड़ा डाल लिया जाये।
हाथ में लेकर पढ़ने में ये एहतियात चाहिये कि अगर सफ़ह पलटता है तो क़ुरआन गिर जाने का अन्देशा ना हो क्योंकि एक हाथ से सफ़ह पलटने पर एक हाथ में क़ुरआन होगा। बस इन दोनों बातों का ख्याल रखे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 545
हज़रत क्या मलिकुल मौत अ़लैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों की रूह क़ब्ज़ करते हैं या दुनिया में जितनी भी मख्लूक़ है सबकी रूह क़ब्ज़ करते हैं?

जवाब : 545

بسم الله الرحمٰن الرحیم

तमाम ज़ी रूह (रूह वालों) की रूह, हज़रते इज़राईल अ़लैहिस्सलाम क़ब्ज़ फ़रमाते हैं फिर चाहे बकरी हो या चींटी या फिर मच्छर भी।

क़ुरआने पाक, सूरह सजदा, पारा 21, आयत नम्बर 11 में इरशादे बारी तआला है :
"तुम फ़रमाओ तुम्हें वफ़ात देता है मौत का फ़िरिश्ता जो तुम पर मुक़र्रर है।"

इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई, तफ़सीर दुर्रे मन्सूर, जिल्द 05, सफ़हा 499 पर हज़रते इब्ने अ़ब्बास रदिअल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत नक़्ल करते हैं :
"मलकुल मौत वो है जो, तमाम रूहों को क़ब्ज़ करता है, तमाम ज़मीन में जो कुछ है।"
आगे सफ़हा 500 पर लिखते हैं (मौत के फ़िरिश्ते ने फ़रमाया :
अगर मै मछली की रूह क़ब्ज़ करने का इरादा करूँ, मै उस वक़्त तक इस पर क़ादिर नहीं हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह तआला इसकी रूह क़ब्ज़ करने का हुक्म दे।

तफ़सीरे क़ुर्तुबी, जिल्द 07, सफ़हा 476 पर है :
मलकुल मौत अल्लाह के सिवा तमाम चौपाये (जानवर) की रूहों को क़ब्ज़े में लेगा गोया उनकी ज़िन्दगी को खत्म करेगा।
मै कहता हूँ, इस के बर-अक्स भी मरवी है मलकुल मौत तमाम मख्लूक़ात की रूहों को क़ब्ज़ करेगा यहाँ तक कि पिस्सू और मच्छर की रूहों को भी क़ब्ज़ करेगा।

एक शख्स ने हज़रत मालिक बिन अनस रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु की बारगाह में अ़र्ज़ की : क्या पिस्सू की रूह को मलकुल मौत क़ब्ज़ करता है?
इमाम मालिक ने काफ़ी सर झुकाये रखा, फिर पूछा : क्या पिस्सू में रूह होती है?
उस ने अ़र्ज़ की : जी हाँ।
फ़रमाया : मलकुल मौत उनकी रूहों को क़ब्ज़ करता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 546
हज़रत हिन्दू लोग जो प्रसाद देते हैं क्या उसे खा सकते हैं?

जवाब : 546

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर मिठाई पूजा में शामिल है तो खाना जाइज़ नहीं है अगर बतौरे तोहफ़ा डिब्बा पैक दी गई तो जाइज़, जिसकी तफ़सील ये है।

इस तरह काफ़िर के त्यौहार की मिठाई में एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिये कि दीवाली वग़ैरह या इस तरह तोहफ़े की जो मिठाई दी जाती है वो मालिक हलवाई की दुकान से पेक करवा कर अपने सारे वर्कर्स को देते हैं इसका लेना और खाना हराम नहीं कि ना ये पूजा की होती है ना प्रसाद का हुक्म इस पर दिया जायेगा। ये बतौर तोहफ़ा होता है और ये 1-1 किलो के डिब्बे में पैक होती है जो हलवाई की दुकान से सीधे वर्कर्स तक आती है बीच में पूजा का कोई शुमार नहीं होता और पूजा में जो मिठाई शामिल की जाती है वो बहुत थोड़ी होती है, इस तरह सभी डिब्बे नहीं रखे जाते। जिस तरह सुन्नी मुसलमान 11वीं की नियाज़ में अगर बिरयानी की डेग बनवाता है तो ऐसा नहीं कि पूरी डेग पर फ़ातिहा दी जाती हो बल्कि कुछ बिरयानी अलग निकाल दी जाती है और बाक़ी डेग बाँट दी जाती है। मैने बहुत तजुर्बा किया कि दीवाली या इस तरह की मिठाई पूजा में शामिल नहीं होती। तो जैसा कि साइल के सवाल में 1 किलो मिठाई का ज़िक्र है मतलब कि डिब्बा पैक होगा जो बतौरे तोहफ़ा है। क्योंकि पूजा में अक्सर डिब्बे नहीं रखे जाते और इस के बर-अक्स, अगर प्रसाद के तौर पर कुछ मिठाई पूजा में शामिल की गई हो तो उसका खाना जाइज़ नहीं है यानी अगर वो गैरुल्लाह के नाम की हो। और जो उलमा ने कहा कि दीवाली की मिठाई ना खाओ तो उस से मुराद वही प्रसाद में चढ़ाई गई मिठाई है वरना हलवाई से आई हुई जो पूजा में शामिल भी नहीं होती उसका खाना जाइज़ है और जिन्होंने इसे भी मना करा वो तक़वे के तौर के लिये कि लेकर फक़ीर को बाँट दे मगर फेंक देना मना है। वरना बाज़ ने फ़रमाया माले मूज़ी नसीबे गाज़ी की निय्यत से खाये और मेरे नज़दीक़ भी यही ज़्यादा सही है कि फेंकी ना जाये और फक़ीर को दे दे। वरना जो खुद इसका ज़्यादा अहल या तालिब हो तो रखने में हर्ज नहीं। हमने सवाल में दर्ज दोनों पहलू का ज़िक्र तफ़सील से कर दिया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 547
हज़रत क्या काफ़िरों से इंटरेस्ट ले सकते हैं?

जवाब : 547

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, हाँ! ले सकते हैं, ये सूद नहीं होता। हिन्दुस्तान के काफ़िर हरबी हैं इसलिये अगर कोई यहाँ के काफ़िर को क़र्ज़ दे कर ज़्यादा रक़म ली जाये यानी। एक काफ़िर ने ज़ैद से कहा कि तुम मुझे 5000 रुपये दे दो मै आपको वापस करते वक़्त 6000 रुपये दूँगा तो ज़ैद के हक़ में ये ज़ाइद 1000 सूद नहीं और इसे सूद समझना लोगों की गलत फ़हमी है।

हज़रत फक़ीहे मिल्लत मुफ्ती मुहम्मद जलालुद्दीन अहमद अमजदी अ़लैहिर्रहमा,
फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 02, सफ़हा 391 पर फरमाते हैं :
यहाँ के काफ़िरों को क़र्ज़ देकर, ज़ाइद रक़म लेना जाइज़ है।

और तफ़सीरे अहमदिया, सफ़हा 300 पर है कि:
ज़ाइद रक़म सूद की निय्यत से ना ले।

हदीस में फ़रमाया :- لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب
काफ़िर हरबी और मुसलमान के दरमियान सूद नहीं।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 388 पर है:
इस नफ़ा को किसी के सूद कह देने से शरीअ़त के नज़दीक़ सूद नहीं हो जायेगा।

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 1, सफ़हा 343 पर है :
अहकामे शरीअ़त को क़ुरआन और हदीस से मालूम किया जाता है अ़क़्ल से नहीं जाना जा सकता।

واللہ تعالی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 548
हज़रत क्या जुम्आ के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है मतलब नहाना ज़रूरी है? प्लीज़ हज़रत इस का जवाब।

जवाब : 548

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर नापाक है तो गुस्ल वाजिब है अगर नापाक नहीं तो गुस्ल करना ज़रूरी नहीं वुज़ू करके भी जुम्आ पढ़ सकता है और गुस्ल इस दिन सुन्नते मुस्तहब्बा है।

واللہ تعالیاعلم بالصواب

सवाल : 549
हज़रत तसव्वुफ़ क्या है?

जवाब : 549

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शरीअ़त के समुन्दर से निकली तरीक़त की एक नहर।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 550
हज़रत अगर मेरा एक दोस्त है जिस का नाम राम है। बतौर क़र्ज़ मुझसे पैसे माँगता है और उस के एवज में 10% एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि एक वक़्त के बाद और बढ़ता जायेगा (Compund Interest) ये जाइज़ है या ना-जाइज़?

जवाब : 550

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बिल्कुल जाइज़ है। जो रक़म काफ़िर अपनी ख़ुशी से दे यानी उनसे छीनी ना गई हो ना धोका दिया गया हो तो हिन्दुस्तान के काफ़िर से एक्सट्रा मिलने वाली रक़म जाइज़ है। आप उसे क़र्ज़ दे कर उस से एक्सट्रा 10% या 99% जो वो दे ले सकते हैं और इसे सूद की निय्यत से ना लें और वैसे भी ये सूद नहीं और किसी के कहने से ये सूद नहीं हो जायेगा।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 391 पर फ़रमाते हैं :
यहाँ (हिन्दुस्तान) के काफिरों को क़र्ज़ देकर, ज़ाइद रक़म लेना जाइज़ है।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 02, सफ़हा 388 पर है :
इस नफ़ा को किसी के सूद कह देने से शरीअ़त के नज़दीक़ सूद नहीं हो जायेगा।

वक़ारुल फतावा, जिल्द 1, सफ़हा 343 पर है :
अहकामे शरीअ़त को क़ुरआन और हदीस से मालूम किया जाता है अ़क़्ल से नहीं जाना जा सकता।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 551

ज़ैद की शादी है और शादी में बहन बहनोई को कपड़े बतौर तोहफे दिये जाते हैं तो मसअला ये है कि ज़ैद अपने रिश्तेदारों को कपड़ों के लिये रक़म ज़कात में दे दे तो क्या ज़ैद की ज़कात अदा हो जायेगी ध्यान रहे रिश्तेदार ज़कात के मुस्तहिक़ हैं?

जवाब : 551

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ज़कात की रक़म का किसी शरई फक़ीर को मालिक कर देने से ज़कात अदा हो जायेगी और उसे ये बताना कुछ ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात है, बतौरे तोहफ़ा भी दे तो भी ज़कात अदा होगी। देने वाला ज़कात की निय्यत कर ले वरना बगैर ज़कात की निय्यत से लाखों रुपये किसी को दिये तो वो ज़कात नहीं।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 933 पर है :

ज़कात वग़ैरह सदक़ात में अफज़ल ये है कि अव्वल अपने भाइयों बहनों को दे फिर उनकी औलाद को।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 552

भाई मुझे अल्हम्दु शरीफ़ सूरह फातिहा का तर्जुमा पता करना है और कन्ज़ुल ईमान से हवाला दें।

जवाब : 552

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा इस तरह है :

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला।
सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का।
बहुत मेहरबान रहमत वाला।
रोज़े जज़ा का मालिक।
हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें।
हम को सीधा रास्ता चला।
रास्ता उन का जिन पर तूने अहसान किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 553
किसी को तोहफ़े में ज़कात की रक़म बिना बताये दे सकते हैं?

जवाब : 553

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, दे सकते हैं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 554
हज़रत अगर किसी नमाज़ में फ़र्ज़ से पहले की सुन्नत नहीं मिल पायी और हम फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े हो जायें तो बाद में छूटी हुई सुन्नत पढ़ने का क्या तरीक़ा है और इस की निय्यत कैसे होगी?

जवाब : 554

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जिस तरह पहले पढ़ी जाती उसी तरह बाद में पढ़ी जायेगी। बाद में उनका कोई तरीक़ा नहीं बदलेगा और ये भी इख्तियार है कि बाद वाली सुन्नत के बाद पढ़े या फ़र्ज़ के बाद पहले छूटी हुई पढ़े और बाद में बाद वाली सुन्नत और बेहतर ये है कि फ़र्ज़ पढ़ कर पहले फ़र्ज़ों के बाद वाली सुन्नत पढ़े और जो छूटी है वो आखिर में पढ़े, अलबत्ता फ़ज्र की सुन्नत छूट गई हो तो तुलूअ़ आफताब के 20 मिनिट बाद पढ़े फौरन फ़र्ज़ के बाद ना पढ़े ना मकरूह वक़्त में पढ़े और बाद में पढ़ना मुस्तहब है, ना पढ़े तो भी हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 555
हज़रत अगर कोई भाई, अपनी बहन या बीवी या माँ के पास में नमाज़ पढ़ सकता है या औरत के साइड में नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं?

जवाब : 555

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इलाक़े की मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना मर्द पर वाजिब है और किसी शरई उज़्र के साथ अगर जमाअ़त तर्क हो गई तो घर पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकता है और मेहरम के साथ पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि ये अपनी अपनी अलग-अलग नमाज़ अदा कर रहे हों।

और अगर ये मर्द घर में इन औरतों के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना चाहे तो ये मेहरम औरतों (बहन, माँ, बीवी) का इमाम भी बन सकता है और ये औरत इसकी मुक़्तदी, जबकि इमाम बनने वाला इमामत का अहल हो और औरतें पीछे खड़ी हों।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 208 पर है :
जमाअ़त में जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीवी के सिवा नहीं तो (जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 556
हज़रत कीड़े मकोड़ो को मारना चाहिये या नहीं इस के बारे में हदीस में क्या आया है?

जवाब : 556

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जो जानवर मूज़ी है उन्हें मारना जाइज़ है और तक़्लीफ देने से पहले भी मार सकते हैं बल्कि बाज़ को तो मारने पर सवाब है। जैसे छिपकली और गिरगिट के बारे में हदीस में फ़रमाया जो छिपकली और गिरगिट को पहली ज़र्ब में मारेगा उसके लिये 100 नेकियाँ।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 10, सफ़हा 742 पर है :
चील, कव्वा, चूहा, छिपकली, साँप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, पिस्सू वग़ैरह खबीस और मूज़ी जानवरों को क़त्ल हरम शरीफ़ में भी जाइज़ है और अहराम में भी।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 655 पर है :
खटमल को मारना जाइज़ है कि ये तक़लीफ देह जानवर है। चींटी को मारना मकरूह है जब तक तक़लीफ ना दे।

जैसा कि फ़तावा आलमगीरी में है :
चींटी ने ईज़ा पहुँचाई और मार डाला तो हर्ज नहीं वरना मकरूह है।

जू को मार सकते हैं (चाहे) उसने काटा ना हो।
टिड्डी हलाल जानवर है उसे खाने के लिये मार सकते हैं और ज़रर से बचने के लिये भी मार सकते हैं
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 655)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 557
हज़रत चिट फंड खिलाना जाइज़ है या नहीं? इस में जो कमीशन मिलता है वो हलाल है या हराम?

जवाब : 557

بسم الله الرحمٰن الرحیم
माज़रत के साथ मुझे इस चिट फण्ड के बारे में कोई तफसीली मालूमात नहीं है। इसकी क्या अस्ल है और उनके क्या रूल्स हैं और ये किस तरह काम करती है वग़ैरह-वग़ैरह। बेहतर होगा आप अपने शहर के किसी भी सुन्नी दारूल इफ्ता से इसका शरई हुक्म मालूम करें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 558
हज़रत ज़ैद भी मुसलमान है और बक़र भी मुसलमान है। ज़ैद को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसने बक़र से उधार लिया। लौटाते वक़्त ज़्यादा लौटाया। क्या बक़र के लिये एक्सट्रा पैसे लेना हलाल है?

जवाब : 558

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अगर ज़ैद और बक़र ने सिर्फ उधार पैसे देने का मुआमला हुआ और ये तय नहीं हुआ कि वापसी में ज़्यादा रक़म देनी पड़ी और ना बक़र ने ज़्यादा लेने के इरादे से दिया, बस सिर्फ उधार के बतौर दिये अब अगर ज़ैद का काम उन पैसों से निकल गया और ज़ैद खुद अपनी खुशी से बतौरे तोहफ़ा बक़र को कुछ रक़म उधार से अलग देता है तो जाइज़ मुबाह है और सूद नहीं। और सूद इस सूरत में होगा जबकि उधार देते वक़्त तय हुआ हो या ज़ैद जानता हो कि बक़र सूद पर ही पैसे देता है मगर यहाँ ज़ैद अपनी मर्ज़ी और खुशी में देता है तो जाइज़ है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 559
हज़रत क्या रिसाला दारूल इस्लाम आला हज़रत रहमतुल्लाह त'आला अ़लैह की किताब है?

जवाब : 559

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर ये रिसाला है तो किताब नहीं और किताब है तो आप रिसाला क्यों लिख रहे हो? किताब और रिसाला में फ़र्क़ होता है। खैर, जी हाँ! इस मौज़ू पर इमामे अहले सुन्नत का एक रिसाला है मगर शायद आप ने जो नाम लिखा वो अधूरा है। वो रिसाला फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, सफ़हा 106 में है जिसका पूरा नाम शायद इस तरह है :

"اعلم الاعلام بان ہندوستان دارالسلام"

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 560

"तरीक़त के समंदर से निकली हुई नहर तसव्वुफ़ है" समझ में नहीं आया। बराए करम समझा दो बेहतर होगा।

जवाब : 560

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आम ज़ुबानों में इसको सूफिया की राह या तरीक़ा या सूफियों के अ़क़ीदे से तस्बीह दी जाती है और बाज़ आम ज़ुबान में इसे फक़ीरी लाईन कह दिया जाता है यानी अहले मअ़रिफत, दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ़ तवज्जो करना और सूफी वही जो शरीअ़त के खिलाफ़ काम ना करे बल्कि ये अपने तक़वे की वजह से ही जाने जाते हैं मगर कुछ लोगों ने आज तसव्वुफ़ को नया रंग दे दिया जो शरीअ़त के खिलाफ़ होता है। इसीलिये ये कहा गया कि अस्ल तरीक़त वही है जो शरीअ़त के समुंदर से निकले, इसके खिलाफ़ ना सूफी हैं ना तरीक़त ना तसव्वुफ़।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 561

मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर निकलते वक़्त अगर किसी का चप्पल या जूता चोरी हो जाये तो क्या करना चाहिये?

जवाब : 561

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नंगे पाऊँ घर आना चाहिये वरना घर पर किसी बच्चे वग़ैरह को भेज कर दूसरे जूते चप्पल का इंतिजाम करवाये। वरना किसी से उसकी इजाज़त लेकर उसके जूते चप्पल पहन कर घर आये, फिर अपने पहन कर उसे वापस करे।
मस्जिद से बगैर इजाज़त किसी के जूते, चप्पल पहन कर कुछ देर के लिये भी घर नहीं आ सकता, ना मस्जिद में पड़ी बेकार चप्पल खुद से ले सकता, ना शक की बिना पर किसी के जूते चप्पल उठा सकता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 562
निकाह के बाद की पहली रात में शौहर और बीवी के बीच में शरीअ़त में क्या हुक्म है यानी 2 रकअ़त नमाज़ किस तरीक़े से पढ़ी जायेगी? पूरी तफ़सील से समझाइये और क्या-क्या करना चाहिये और किन बातों से बचना चाहिये?

जवाब : 562

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
(ये सब क़ुरआन, हदीस और अक़्वाले आइम्मा और बुज़ुर्गाने दीन से साबित हैं। बाज़ सुन्नत हैं, बाज़ मुस्तहब और कुछ आदाब।)
सबसे पहले जब नई दुल्हन घर आये तो उसके पैर धो कर उस पानी को घर के चारों कोनों में डालना चाहिये, आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं ये मुस्तहब है और इस से घर में बरकत होती है।
शादी की रात नमाज़े शुक्राना पढ़ सकते हैं और इसकी तरकीब आम नमाज़ों की सी होती है। मर्द आगे होगा और बीवी पीछे, इस नमाज़ का फाइदा इन्शा अल्लाह ये होगा कि औरत मर्द की फ़रमाबरदार रहेगी।

हदीसे पाक में है कि मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है और बगैर अच्छी निय्यत के कोई नेक काम का सवाब नहीं मिलता। और अगर हर काम में अच्छी निय्यत शामिल हो जाये तो वो इबादत बन जाता है चाहिये कि इस काम से पहले भी कुछ निय्यत कर ली जाये।
मस्लन : अल्लाह और उसकी रज़ा पाने के लिये निय्यत करता हूँ।
सवाब को बढ़ाने के लिये सुन्नत की अदायगी करूँगा।
सुन्नत और आदाब वग़ैरह का ख्याल रखूँगा।
जिस काम से बचने का हुक्म दिया गया है इस दौरान उस काम से बचूँगा।
बद निगाही से बचने के लिये जिमा (हमबिस्तरी) करूँगा, ज़िना से बचने के लिये भी।

इसी तरह इबादत में दिल लगाने के लिये भी, (जिमा कर लेना दिल की राहत है। जब इबादत, नमाज़ वगैरह दिल की राहत ही के साथ की जा सकती है बेचैनी के साथ नहीं) और चाहिये कि दोनों पहले नमाज़ अदा करें।

हमबिस्तरी करने से पहले कोशिश करें कि खुशबू लगायें। (चाहे तो कमरे में अगरबत्ती वगैरह)

अच्छी बातें करें, मुहब्बत का इज़्हार करें। शहवत के साथ बोसो किनार (Kiss) करें। फिर दोनों को चाहिये कि एक चादर या बड़े कपड़े में शामिल हो जायें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और जिमा (हमबिस्तरी) करें। इन बातों का खास ख्याल रखा जायेकि बुज़ुर्गों ने फ़रमाया, बरहना जिमा करने से औलाद बे-हया पैदा होती है इसीलिये चाहिये कि कोई कपड़ा ज़रूर ओढ़ लें।

इस दौरान बातें बिल्कुल ना करें कि औलाद के गूँगे पैदा होने का खतरा रहता है। जिस तरह चाहे औरत से और औरत मर्द से लुत्फ हासिल कर सकती है मगर मर्द को चाहिये कि औरत के अगले मक़ाम पर ही जिमा करे औरत के पीछे जिमा करने वाले पर हदीस में लानत आयी और उसे इब्लीस कहा गया, यानी औरत के साथ जिस तरह चाहे जिमा करे, मगर सिर्फ़ आगे के मक़ाम पर।

इसी तरह मुँह से जिमा करना हराम है यानी मर्द अपने शर्म गाह को औरत के मुँह में दे या औरत की शर्म गाह को ज़ुबान से चाटे ये हराम है सख्त हराम।

शर्मगाह को छोड़ कर मर्द औरत चाहे एक दूसरे के कहीं भी चूम सकते हैं। इसी तरह मर्द औरत के पिस्तान पर भी इन्जाल कर सकता है, जिमा में जल्द बाज़ी ना करें बल्कि मर्द अगर फारिग हो जाये तो फौरन दूर ना हो बल्कि औरत का भी सुक़ूने रूह को हासिल करने दे फिर जब दोनों फारिग हो जायें तो कुछ देर बाद इस्तिन्जा वग़ैरह करें, वरना गुस्ल और अगर उसी रात फिर से जिमा करने का इरादा हो तो गुस्ल ना करें मगर हर बार वुज़ू कर लें। फिर इसी तरह रात में जितनी बार जिमा करे यही काम करें यानी कुछ देर ठहरने के बाद इस्तिन्जा और वुज़ू करें और नमाज़े फ़ज्र से पहले दोनों गुस्ल करें।

बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हमेशा अपनी ताक़त को औरत पर बरबाद मत करो इस से बहुत कमज़ोरी पैदा होती है और कमज़ोरी से और भी नुक़सान है। ज़्यादा जिमा करने वालों को इस हिकायत पर भी नज़र करनी चाहिये।

एक बुज़ुर्ग से उनके शागिर्द ने पूछा कि औरत से जिमा कितनी बार करना चाहिये,
फ़रमाया : जिन्दगी में एक बार
कहा : ये तो मुम्किन नहीं।
फिर फ़रमाया : साल में एक बार।

कहा : ये भी मुम्किन नहीं।
फ़रमाया : महीने में एक बार।
कहा : इतना रुकना भी मुश्किल है।
फरमाया : तो हफ्ते में एक बार।
कहा : ये भी ना हो सके तो?
फ़रमाया : सर पे कफन बांध लो और रोज़ करो।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 563
क्या किसी गैर मुस्लिम के घर से गोश्त खाना जाइज़ है?

जवाब : 563

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जो मुसलमान गोश्त खायेगा अगर उसने खुद किसी मुसलमान की दुकान से गोश्त लेकर उस काफ़िर के घर दिया कि पकाये और उसके सामने पका फिर खाया तो हर्ज नहीं (यानी खाना हलाल मगर इस सूरत में भी नहीं चाहिये कि बे-ज़रूरत काफ़िर से मेल जोल हदीस में मना है) और अगर काफ़िर खुद लाया और पका कर मुसलमान को खाने को दे तो जाइज़ नहीं। चाहे वो कहे कि मै मुसलमान की दुकान से लाया हूँ फिर भी उसका ऐतबार नहीं किया जायेगा।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21, सफ़हा 637 पर है :
हिन्दुओं के यहाँ खाना पीना सिवाये गोश्त के जाइज़ रखा गया है मगर बेहतर बचना है।

और आगे आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इस किताब यानी फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21, सफ़हा 659 पर लिखते हैं :
हिन्दुओं के यहाँ गोश्त खाना हराम है और बाक़ी चीज़ों के लिये फ़तवा जवाज़ और तक़वा एहतिराज़ (यानी गोश्त खाना हराम, बाक़ी चीज़ें हलाल, फ़तवा यही है और तक़वा ये कि कुछ भी ना खाये)

आगे फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 21, सफ़हा 664 पर लिखते हैं :
(खुलासा) हिन्दुओं के यहाँ का गोश्त हराम और हर वो चीज़ भी हराम जिसकी निस्बत ये यक़ीन हो कि इस में कोई नापाक चीज़ मिली है और यक़ीन नहीं तो (गोश्त के सिवा) सब जाइज़।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 564
नमाज़ में जो सुन्नते गैरे मुअक्किदा होती हैं क्या कहना ज़रूरी है अगर गैर मुअक़्क़िदा सुन्नत ना कहे तब भी क्या नमाज़ हो जायेगी?

जवाब : 564

بسم الله الرحمٰن الرحيم
कह लेने में भी हर्ज नहीं और ना कहा तो भी सुन्नत अदा हो जायेगी जब कि दिल में पक्का इरादा हो क्या पढ़ रहा है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 565
हज़रत मेरी मोबाइल की दुकान है और मै डाउनलोड भी करता हूँ। कुछ लोग गाने और गंदे मनाज़िर Blue Film भी डलवाते हैं तो क्या हज़रत जब तक वो ये सब देखेगा उन का गुनाह मेरे सर भी आयेगा? तालिबे जवाब।

जवाब : 565

بسم الله الرحمٰن الرحيم
जी, हाँ! ज़रूर डाउनलोडिंग में गाने बाजे गंदे मनाज़िर किसी के फोन में डालने भी हराम हैं और इस काम में आप भी गुनाहगार हैं और जो इसे सुनेंगे और देखेंगे वो भी गुनाहगार हैं और उन सबका गुनाह भी आप के सर होगा और उनके गुनाह में कुछ कमी ना आयेगी। इसके लिये मै आपको एक बहुत खूब क़ुरआनी दलील पेश करता हूँ, (अल्लाह करे आप के समझ में आ जाये) क़ुरआन का एक मशहूर वाक़िया है हाबील क़ाबील का। ये दोनों हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम के बेटे थे। और क़ाबील ने अपने भाई हाबील को क़त्ल कर दिया।

इस वाक़िये की तफ़सीर में तफ़सीरे रूहुल बयान, सूरह माइदा आयत 27-30 में है कि :
हदीस शरीफ में है कि ज़मीन पर क़ियामत तक जो भी नाहक़ क़त्ल होगा, क़ाबील उस क़त्ल का भी हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहके क़त्ल का दस्तूर निकाला।

इस से पता चला कि क़ाबील ने क़त्ल करके अपने सर का गुनाह लिया और साथ ही अब उसकी देख जो भी किसी का क़त्ल करेगा उसका गुनाह भी इसी क़ाबील के सर होगा और लोगों के गुनाह में कमी नहीं होगी। (क्या ही अच्छी मिसाल)

एक और हदीसे मशहूरा है जो शायद आपने सुनी होगी कि सूद की गवाही देना भी हराम और सूद खाना भी। अब आप सोचें क्या गवाही देने वाले ने सूद खाया? नहीं हरगिज़ नहीं तो फिर इस पे गुनाह? क्योंकि इस ने सूद जैसे हराम काम में लोगों की मदद की बस इसीलिये, तो गाने बाजे सुनने, फिल्में ड्रामे फोन में डालने पर लोगों की मदद करना कैसे जाइज़ होगा? जबकि क़ुरआने पाक में अल्लाह फ़रमाता है, सूरह माइदा, आयत नम्बर 2 में :

"और गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो।"

फ़तावा हिन्दिया, जिल्द 3, सफ़हा 451 पर है कि :
गुनाह के कामों में किसी की मदद करना कबीरा गुनाहों में शामिल है।

जिस तरीक़े से सूद के खाने वाला गुनाहगार है उसी तरह सूद में हर तरीक़े से मदद करने वाला यहाँ तक कि गवाह भी गुनाहगार है।

बस इस जामे कलाम और दलाइले शरीआ से साबित है कि मोबाइल में गाना भरना भी हराम और लोगों को गाने सुनाना भी हराम।
अल्लाह त'आला लोगों को जाइज़ और हलाल कमाने की तौफ़ीक़ दे और उस में बरकत दे, वही बरकत वाला है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 566
जुम्आ के दिन एक शख्स सुन्नत अदा करने की तैय्यारी कर रहा था कि अज़ान शुरु हो गयी लेकिन उस शख्स ने फिर भी निय्यत बांध ली और सुन्नत अदा की। क्या ये सही था? जुम्आ की नमाज़ में जो दूसरी बार अज़ान होती है तब निय्यत बाँधी थी उस शख्स ने तो क्या ये सही था?

जवाब : 566

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अज़ान शुरू होने के बाद फौरन खुत्बा शुरू हो जाता है और उसके फौरन बाद नमाज़ तो इस शख्स को सुन्नत नहीं पढ़नी चाहिये थी और बाद जुम्आ इन सुन्नत को पढ़ सकता था।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 664 पर है :
ज़ुहर या जुम्आ की पहले की 4 सुन्नतें फौत हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिये तो अगर वक़्त बाक़ी है तो बाद फ़र्ज़ के पढ़े।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 567
हज़रत इब्लीस जिन है या इन्सान? क्या अल्लाह को मालूम था कि इब्लीस नाफ़रमान होगा और ज़मीन में फेंका जायेगा?

जवाब : 567

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़ुरआने पाक, सूरह कहफ, आयत 50 में दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह फ़रमाता है :
"और याद करो जब हमने फिरिश्तों से फ़रमाया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाये इब्लीस के कि क़ौमे जिन्न से था, अपने रब के हुक्म से निकल गया।"

बिल्कुल मालूम था। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। जो हो गया और जो होने वाला है सब कुछ, जो इस अ़क़ीदे पर ईमान ना रखे कि (अल्लाह सब जानता है) तो वो मुसलमान नहीं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 568
हज़रत क्या पालतू जानवर का फितरा सदक़ा या ज़कात निकाला जाता है अगर निकाला जाता है तो तरीक़ा क्या है? बकरी मुर्गे वग़ैरह।

जवाब : 568

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पालतू जानवर की ज़कात निकाली जाती है, मगर उस की कुछ सूरतें हैं और वो सूरते शहरों में कम पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ 2-4 जानवर ही पाले जाते हैं और उन्हें भी चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है जबकि ज़कात के लिये जानवर की जो तादाद शरीअ़त ने मुक़र्रर की

है उस से कम जानवर हो तो ज़कात नहीं और शहरों में इतने नहीं होते जो ज़कात को पहुँचे और जानवर की ज़कात की तफ़सील इस तरह है :

दुर्रे मुख्तार, शरह तनवीरुल अब्सार, जिल्द 3, सफ़हा 232 पर है :
साइमा वो जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चारा खा कर गुज़ारा करता हो और उस से मक़सूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फ़रबा करना है। (इसी तरह) अगर घर में घास ला कर खिलाते हों या मक़सूद बोझ लादना, या हल वग़ैरह किसी काम में लाना, या सवारी लेना है तो अगर्चे चर कर गुज़ारा करता हो वो साइमा नहीं और उसकी ज़कात वाजिब नहीं।

और अगर आप के पास इस क़िस्म के जानवर हैं जो साइमा के हुक्म में हैं तो उनकी ज़कात इस तरह निकलती है : बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 893 पर है :
ऊँट की ज़कात : 5 ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं और जब 5 या 5 से ज़्यादा हों मगर 25 से कम हों तो हर 5 ऊँट पर एक बकरी वाजिब है, यानी 5 ऊँट हों तो एक बकरी 10 हों तो 2।

ऊँट की ज़कात का निसाब इस तरह होगा :
5 से 9 ऊँट : 1 बकरी
10 से 14 ऊँट : 2 बकरी
15 से 15 ऊँट : 3 बकरी वग़ैरह वग़ैरह।

गाय की ज़कात : 30 से कम गाय हों तो ज़कात वाजिब नहीं और जब 30 पूरी हों तो उनकी ज़कात साल भर का बछड़ा और 40 हों तो 2 साल का बछड़ा, 59 तक यही हुक्म है। (भैन्स का भी यही हिसाब है कि वो भी गाय के हुक्म में है।)

गाय की ज़कात का निसाब इस तरह होगा :
30 से 39 तक : 1 साल का बछड़ा (गाय का)
40 से 59 तक : पूरे 2 साल का बछड़ा
60 से 69 तक : 1-1 साल के दो बछड़े

बकरी की ज़कात: 40 से कम बकरियाँ हों तो वाजिब नहीं और 40 हों तो उनकी ज़कात 1 बकरी, यही 120 तक है।

बकरी की ज़कात का निसाब इस तरह होगा :
40 से 120 बकरी तक : 1 बकरी
121 से 200 बकरी तक : 2 बकरी
201 से 399 बकरी तक : 3 बकरी
400 से 499 बकरी तक : 4 बकरी
फिर हर 100 पर एक बकरी का इज़ाफ़ा

ज़कात 3 क़िस्म के जानवर पर है जो ऊपर बयान हुये उसके अलावा मुर्गे पर ज़कात नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 569
हज़रत सफ़र का महीना क्या है और क्या इस महीन में नया काम यानी बिज़नेस शादी वग़ैरह नहीं करनी चाहिये?

जवाब : 569

بسم الله الرحمٰن الرحیم
सफ़र का महीना कुछ नहीं, लोग इसे मन्हूस समझते हैं ये उनकी जहालत है और बाज़ तो उसे गम का महीना कहते हैं और ना शादी को जाइज़ मानते हैं, ना खुशी को। ये उनकी कम इल्मी है। इस माह में शादी वग़ैरह कोई भी नेक काम करना जाइज़ है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 659-660 पर है :
माहे सफ़र को लोग मन्हूस जानते हैं, इस महीने में शादी बियाह नहीं करते, लड़कों को खुशबू नहीं लगाते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं, खास कर सफ़र की 13 तारीख बहुत मन्हूस मानी जाती है और इनको तेरह तेजी कहते हैं, ये सब जहालत की बाते हैं। हदीसे पाक में फ़रमाया : सफ़र कुछ नहीं यानी लोगों का इसे मन्हूस समझना गलत है।

आगे लिखते हैं कि माहे सफ़र का आखिरी बुध हिन्दुस्तान में मनाया जाता है लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं। सैरो तफ़रीह के शिकार हो जाते हैं (ये भी खिलाफे वाक़ेअ़ है) बल्कि हदीस का इरशाद "सफ़र कोई चीज़ नही" सारी खुराफातों का रद्द कर दिया।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 570

वली के पाऊँ चूमना कैसा? कौन सा दस्तरख्वान सुन्नत है, लाल या काला?

जवाब : 570

بسم الله الرحمٰن الرحيم

जवाब (1) बुज़ुर्गों के हाथ पाऊँ चूमना जाइज़ है, इसे नाजाइज़ कहना जिहालत है।
हदीसे पाक (मिश्कात शरीफ़) में है, हज़रते ज़ारअ़ रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब हम मदीना में आये तो जल्द अपनी सवारियों से उतर पड़े और फिर हम ने हुज़ूरे अकरम ﷺ के हाथ और पाऊँ को बोसा लिया।

इस हदीस की शरह में अशअ़तुल लम्आत में है :
यानी इस हदीस से पाऊँ का चूमना जाइज़ साबित हुआ।

जवाब (2) :

بر سماط احمر خوردن سنت ست از انکه سماط آنحضرت صلی الله علیه واله وسلم سرخ بودے چنانکه شیخ عبد الحق رحمه الله تحریر فرموده اند که سفرۂ آنحضرت سرخ بودے۔)

(लाल दस्तरख्वान जैसा कि फ़तावा फैज़ुर्रसूल में मज़्कूर है।)
(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 551)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 571

हज़रत कोई इन्सान सो रहा हो दिन हो या रात, अगर दूसरे इन्सान को उसी जगह में नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ का टाईम हो गया है तो क्या नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या हुक्म है जवाब का तालिब हूँ।

जवाब : 571

بسم الله الرحمٰن الرحيم

अगर ये नमाज़ पढ़ने वाला जानता है कि सोने वाला भी नमाज़ पढ़ेगा और वक़्त गुज़र रहा हो तो इसे उस सोने वाले को उठाना भी नमाज़ के लिये वाजिब है और अगर ये सोने वाला नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो फिर उसे सोने दे, कहीं दूसरी जगह नमाज़ पढ़ ले अगर जगह नहीं तो उसे साइड में सोने के लिये कह दे और सवाल में है कि नमाज़ का टाईम हो गया इस से पता चला कि नमाज़ का टाईम होते ही फौरन वक़्त क़ज़ा नहीं होता।
मर्द को मस्जिद में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना वाजिब है। बिला उज़्र घर में नमाज़ पढ़ने और जमाअ़त तर्क करने का आदी बनेगा तो गुनाहगार होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 572
हज़रत क्या जो नमाज़ जहन्नम से बचने के डर से, जन्नत को पाने के लालच से और खौफे खुदा से पढ़ी जाये वो नमाज़ सही नहीं मानी जायेगी? लोग बोलते हैं जो नमाज़ अल्लाह पाक की मुहब्बत में पढ़ी जाये सही है, क्या ये बात सही है?

जवाब : 572

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ के फराइज़, शराइत और वाजिबात की अदाइगी अगर कोई सही-सही करे तो नमाज़ अदा हो जायेगी और इन सब सूरतों में नमाज़ पढ़ना जाइज़ है यानी जन्नत के पाने की निय्यत से भी, अल्लाह के खौफ़ से भी और जहन्नम से बचने के लिये भी। बल्कि नमाज़ या हर इबादत में यही मक़्सद होता है और रहा अल्लाह की मुहब्बत में नमाज़ पढ़ना तो शायद मैने कभी नहीं देखा कि कोई अल्लाह की दुश्मनी में नमाज़ पढ़े। किसी का नमाज़ अदा करना ही ये दलील है कि वो अल्लाह के फ़रमान पर अ़मल कर रहा है और किसी के फ़रमान पर अ़मल करना उस से मुहब्बत ही की दलील होती है, लोगों का कहना गलत है। बल्कि नमाज़ पढ़ना अल्लाह और रसूल की मुहब्बत ही पैदा करता है और ये हीले बहाने वो लोग करते हैं जिन्हें खुद नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं होती।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 573
अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! ये बतायें कि नमाज़ पढ़ते टाईम अगर रोना आ जाये या सजदे में कोई रो-रो कर अल्लाह से कुछ तलब करे या रोने की वजह से सजदा लम्बा हो जाये तो वो नमाज़ कैसी है, मानी जायेगी या नहीं?

जवाब : 573

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وعلیکم السلام
सवाल से यही ज़ाहिर हो रहा है कि नमाज़ नफ्ल है क्योंकि जमाअ़त से नमाज़ में मुक़्तदी सजदा लम्बा नहीं कर सकता क्योंकि इमाम के सर उठाने पर उसे भी सर उठाना पड़ेगा। इस तरह नमाज़ पढ़ने में हर्ज नहीं और सजदे में 7 तस्बीह हो जाती हैं जबकि रोने में सिर्फ आँसू हो और आवाज़ या हुज़ूफ़ पैदा ना हो।

जैसा कि फ़तावा आलमगीरी में है कि :
नमाज़ में रोना, दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज़, आह, ऊह, उफ़, तुफ़ निकल गया या आवाज़ से रोने में ये हुरूफ़ पैदा हो गये तो नमाज़ फ़ासिद हो गई यानी टूट गयी और रोने में सिर्फ आँसू निकले आवाज़ या हुरूफ़ नहीं निकले तो हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 574
मदार शाह मे बारे में तफ़सील से बतायें हज़रत क्योंकि कुछ लोग उन्हें ताबई कहते हैं और कुछ वली कहते हैं?

जवाब : 574

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जी, मदार साहिब अल्लाह के वली हैं और उनका ताबई होना मुझे याद नहीं, आवाम को इस उमूर पर बहस करना सख्त मना है। खुदा ना करे किसी तरफ गुस्ताखी हो जाये तो बरबादी बल्कि इसकी सामत से ज़वले ईमान का अन्देशा है। शाह मदार साहब ज़रूर अकाबिरे औलिया से हैं। मगर इस में शक नहीं कि हुज़ूर गौसे आज़म का मर्तबा बहुत आला व अफज़ल है। गौस अपने दौर में तमाम औलिया-ए- आलम का सरदार होता है।

हुज़ूर सैय्यिदुना गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं। हज़रत शाह बदीउद्दीन मदार साहब को उनसे अफज़ल कहना जहालत, इफ्तिरा वा बुहतान है।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 559)
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 566)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 575
क्या हज़रत बड़े प्रोग्राम मजलिस में जब कोई भी बड़े अ़ल्लामा को बुलाते हैं तक़रीर करने के लिये तब उनके स्वागत के लिये पटाखे या वग़ैरह-वग़ैरह फोड़ सकते हैं, ऐसा करना कैसा है?

जवाब : 575

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

आपके लिये ये इस ग्रुप अहले सुन्नत की बरकत है जो आपने इस मसअले को अ़मल में लाने से पहले पूछ लिया मगर आप ऐसा कर बैठते तो वो आलिम पहले आपकी बेहूदा हरकत पर ही तक़रीर कर बैठते। क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं, ये नाजाइज़ है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 576

अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है। क्या उस के सामने से निकल सकते हैं और अगर निकल सकते हैं तो कितनी दूर से फिर भी अगर थोड़ी ही सी जगह है और रास्ता वही है तो कैसे निकलें?

जवाब : 576

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़ी के सामने कोई ऐसी चीज़ रखी जाये जो खुद अपने वुजूद से खड़ी हो सके, जिसे सुथरा कहते हैं, फिर गुज़रना जाइज़ है। और पूछी गयी सूरत में कितनी भी दूरी तक नहीं गुज़र सकता, अगर सामने कोई चीज़ ना रखे और अगर फिर भी कोई गुज़रा तो गुनाह गुज़रने वाले पर है। नमाज़ी की नमाज़ में कोई फ़र्क़ नहीं आयेगा।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं :

नमाज़ में कोई खलल नहीं आता, निकलने वाला गुनाहगार होता है।

(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 255)

और ये तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले का हुक्म है, जबकि नमाज़ जमाअ़त से होती है तो जमातियों के आगे से गुज़रने में गुनाह नहीं होता, वो जो हदीस में आया कि नमाज़ी के आगे से ना गुज़रो वो तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले का हुक्म है वो भी जिसके सामने कोई सुथरा ना हो और इमाम का सुथरा मुक़्तदियों के लिये काफ़ी है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 577

क्या हज़रत अगर इन्सान नापाक हो तब वो पाक कपड़े या रूमाल या साबुन छू सकता है, क्या हुक्म है?

जवाब : 577

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हाँ छू सकता है कोई हर्ज़ नहीं। ना कपड़ा नापाक होगा, ना साबुन।
(जवाब : मुफ्ती सगीर अहमद बदायूनी)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 578
हज़रत जनाज़े को दफ़्न करने के बाद जो अज़ान दी जाती है वो फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है? यह अज़ान कब से शुरू हुई है?

जवाब : 578

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अहले सुन्नत ही में ये सुन्नत आज भी राइज है। अज़ान गैरे नमाज़ भी जा-बज़ा जाइज़ है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 5, सफ़हा 658 पर है:
बाज़ उलमा -ए- दीन ने मैय्यत को क़ब्र में उतारते वक़्त अज़ान कहने को सुन्नत फ़रमाया।

हक़ ये है कि क़ब्र पर अज़ान ना देने यानी अज़ान मना होने की शरीअ़त में कोई दलील नहीं और जिस काम से शरीअ़त मना ना फ़रमाये वो काम मम्नूअ़ नहीं हो सकता। किसी भी काम के जाइज़ होने के लिये इतना काफ़ी है कि शरीअ़त में मना नहीं है और जो इसे मना करे उसे चाहिये कि वो अपना दावा शरीअ़त से साबित कर दे।
क़ब्र पर अज़ान देने के फाइदे :
क़ुरआन और हदीस में जितने भी अज़ान के फाइदे हैं। वो क़ब्र पर देने से भी हासिल होते हैं तो अब शरीअ़त अज़ान का क्या हुक्म बयान करती है, एक नज़र इस तरफ और अज़ान आखिर है क्या इस पर भी एक नज़र।

इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया :

اذا سئل المیت من ربک تراأی لہ الشیطان فی صورت فیشیر الی نفسہ ای انا ربک الی فلھذا ورد سوال التثبیت لہ حین یسئل

जब मुर्दे से सवाल होता है कि तेरा रब कौन है, शैतान उस पर ज़ाहिर होता है और अपनी तरफ इशारा करता है। इसीलिये हुक्म आया कि मैय्यत के लिये जवाब में साबित क़दम रहने की दुआ करो।
और सहीह हदीस से साबित है कि अज़ान के वक़्त शैतान भाग जाता है।

मुस्लिम शरीफ़ में है : -

اذاذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص
यानी : जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है।

दलील **1** : जब हदीस से ये साबित है कि शैतान क़ब्र में आता है और ये भी साबित है कि अज़ान से शैतान भाग जाता है तो क़ब्र पर अज़ान देने से ज़रूर शैतान मुर्दे को ना बहका सकेगा।

हदीसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल :

قال لما دفن سعد بن معاذ (زاد فی روایة)
وسوی علیه سبح النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وسبح الناس معه طویلا ثم کبر وکبر الناس ثم قالوا یارسول الله لم سبحت (زاد فی روایة) ثم کبرت قال لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبره حتی فرج الله تعالیٰ عنه
यानी : जब साद बिन मुआज़ रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु दफ़्न हो चुके और क़ब्र दुरुस्त कर दी गई तो हुज़ूर देर तक "सुब्हान अल्लाह" फ़रमाते रहे। सहाबा भी हुज़ूर के साथ कहते रहे। फिर हुज़ूर अल्लाहु अकबर फ़रमाते रहे और सहाबा भी उनके साथ कहते रहे। सहाबा ने अ़र्ज़ की हुज़ूर अव्वल तस्बीह और बाद में तक्बीर क्यों फरमाते रहे?
इरशाद फ़रमाया : इस नेक मर्द पर इसकी क़ब्र तंग हुई थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने ये तकलीफ़ इस से दूर की और क़ब्र कुशादा फरमाई।

दलील **2** : इस हदीस से साबित हुआ कि हुज़ूर ने मैय्यत पर आसानी के लिये बाद दफ़्न अल्लाहु अकबर फ़रमाया और यही कलिमा अज़ान में भी 6 बार है तो ऐन सुन्नत हुआ।
अज़ान में और कलिमे ज़्यादा हैं और कलिमे ज़्यादा होने से सुन्नत की नफ़ी नहीं होती बल्कि और कलिमे पर भी अल्लाह की रहमत ही होगी। जब अल्लाहु अकबर से ही क़ब्र कुशादा हो गयी तो पूरी अज़ान का क्या कहना।

हदीसों से ये बात भी साबित है कि नज़अ़ के वक़्त मुर्दों को कलिमा सिखाओ।
जैसा कि सिहाह सित्ता में है:

موتاکم لاالٰه الاالله
यानी अपने मुर्दों को لاالٰه الاالله सिखाओ।

दलील **3** : जो नज़अ़ में है वो एक दम मुर्दा है और खुद हुज़ूर ने उसे कलिमा याद करवाने का हुक्म दिया तो क़बर में जब यानी सवाल पूछा जायेगा तो अज़ान से उसे जवाब याद आयेगा। इस की अस्ल भी हदीस से साबित हो गयी।

एक हदीसे पाक में हुज़ूर ने फ़रमाया :

اطفؤ الحریق بالتکبیر
(आग को तकबीर से बुझाओ)
और फ़रमाया :

اذا رأیتم الحریق فکبروا فانه یطفئ النار
यानी : आग देखो तो अल्लाहु अकबर की तकरार से उसे बुझाओ)

मुल्ला अ़ली क़ारी मीक़ात शरह मिश्कात में उस हदीस के तहत (हुज़ूर देर तक तकबीर कहते रहे) फ़रमाते हैं :

التکبیر علی هذا لاطفاء الغضب الالٰهذا ولهذا اورد استحباب التکبیر عند رؤیة الحریق
यानी : अब ये "अल्लाहु अकबर" कहना गज़बे इलाही के बुझाने को है लिहाज़ा आग लगी देखो तो देर तक तकबीर मुस्तहब ठहरी।

दलील **4** : क़ब्र पर अज़ान देने की हिकमत ये भी है कि हदीस में आया कि आग लगी देखो तो तकबीर कहो, यहाँ से ये भी साबित है कि क़ब्रे मुस्लिम पर तकबीर कहना सुन्नत है लिहाज़ा अज़ान भी सुन्नत है।

हदीस सुनन अबू दाऊद, बैहक़ी और हाकिम ने हज़रत उस्मान रदिअल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया :

کان النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیه قال استغفروا لاخیکم وسلوا له بالتثبت فانه الان یسأل
यानी : हुज़ूर जब दफ़ने मैय्यत से फारिग होते, क़ब्र पर फ़रमाया करते। अपने भाई के लिये इस्तिग्फार करो और उसके लिये जवाबे नक़ीरैन में साबित क़दम रहने की दुआ माँगो कि अब इस से सवाल होगा।

मुल्ला अ़ली क़ारी मीक़ात शरह मिश्कात में फ़रमाते है :

کل دعا ذکر وکل ذکر دعا
सब दुआ ज़िक्र है सभी ज़िक्र दुआ है।

दलील **5 :** बादे क़फन क़ब्रे मुस्लिम के पास दुआ करना सुन्नत से साबित है और अज़ान खुद दुआ है बल्कि बेहतरीन दुआ है बल्कि ज़िक्रे इलाही है बल्कि हर ज़िक्र दुआ है।

ये तो साबित हो गया कि क़ब्र पर दुआ करना सुन्नत से साबित है और ये भी हदीस में है कि हर दुआ से पहले कुछ नेक अ़मल (तस्बीह वग़ैरह) कर लिया जाये (इस से क़ुबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है)

मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी ने एक हदीस नक़्ल की :

آداب الدعاء منها تقديم عمل صالح وذكره عند الشدة

यानी : आदाबे दुआ में से है कि इस से पहले अ़मले सालेह हों और ज़िक्रे इलाही मुश्किल वक़्त में ज़रूर करना चाहिये (और अज़ान भी एक ज़िक्र बल्कि ज़िक्रे सालेह है, जैसे कि ऊपर गुज़रा)

और एक हदीस में फरमाया :

اذا نادى المنادى فتحت ابواب السماء واستحجيب الدعا

यानी जब अज़ान देने वाला अज़ान देता है तो आस्मान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दुआ क़ुबूल होती है।

दलील **6** : बस ये भी साबित है कि हुज़ूर ने दफ़्न बाद दुआ की और हदीस खबर दे रही है कि अज़ान के बाद दुआ क़ुबूल होती है और दुआ से पहले कुछ नेक अ़मल करना चाहिये। कुछ ज़िक्र, तो ज़ाहिर है कि दफ़न बाद अज़ान देने से दुआ करने वाले के लिये क़ुबूलियत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और ये कि अज़ान भी ज़िक्र है। और दुआ से पहले अज़ान देना यानी ज़िक्रे इलाही हुआ और ये भी क़ुबूलियत के आदाब में से गुज़रा तो जो लोग बाद दफन क़ब्र पर अज़ान देते हैं फिर दुआ करते हैं तो गोया कितनी हदीसों पर अ़मल और दुआ की क़ुबूलियत की उम्मीद भी क़वी हो जाती है। जैसा कि गुज़रा कि अज़ान ज़िक्रे इलाही है और ज़िक्रे इलाही अज़ाब को दफा करता है।

हदीस मुस्नद अहमद, बैहक़ी ने नक़्ल किया फ़रमाया हुज़ूर ने :

مامن شيئ انجى من عذاب الله من ذكر الله

यानी : कोई चीज़ ज़िक्रे इलाही से ज़्यादा अज़ाबे इलाही से नजात बख्शने वाली नहीं।

और खुशी की खबर ये है कि अज़ान के लिये खास हदीस में फ़रमाया गया :

اذا اذن فی قریة امنها الله من عذابه فی ذلک الیوم

यानी : जब किसी बस्ती में अज़ान दी जाती है तो अल्लाह उस दिन उसे अज़ाब से अमान दे देता है।

दलील 7 : तो बेशक अपने मुसलमान भाई के पास अज़ान देकर उसकी क़ब्र बल्कि क़ब्रिस्तान से अज़ाबे इलाही को दूर करना सवाब व मैय्यित के लिये नफ़ा बख्श काम है।

अज़ान ज़िक्रे मुस्तफ़ा है और ज़िक्रे मुस्तफ़ा भी रहमत नाज़िल होने का ज़रिया है।

नसीमुर्रियाज़ में है :

جعلتک ذکراً من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی

यानी मैने तुम्हें अपनी याद में से एक याद किया जो तुम्हारा ज़िक्र करे वो मेरा ज़िक्र करता है और ज़िक्र करने वाले के लिये तो हुज़ूर ने फ़रमाया :

حفتهم الملئکة وغشیتهم الرحمة ونزلت علیهم السکینة

यानी उन्हें मलाइका घेर लेते हैं और रहमते इलाही ढाँप लेती है, उन पर सकीना और चैन उतरता है।

ये भी हदीस से साबित है कि मुर्दों की क़ब्र तंग करती है और नये घर में उसका दिल घबराता है और सख्त वहशत और घबराहट होती है और अज़ान वहशत को दूर करती है, घबराहट को दूर करती है। और क्योंकि अज़ान ज़िक्र है और क़ुरआन में फ़रमाया :

الا بذکر الله تطمئن القلوب

तर्जुमा : "सुन लो खुदा के ज़िक्र से चैन पते हैं दिल।"

और हिल्यतुल औलिया में एक हदीस नक़्ल है, फ़रमाया :

نزل ادم بالهند فاستوحش فنزل جبرئیل علیه الصلاة والسلام فنادی بالاذان

यानी : जब आदम अ़लैहिस्सलाम को जन्नत से हिन्दुस्तान में उतारा तो उन्हें घबराहट हुई तो जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम ने उतर कर अज़ान दी।

दलील **8** : बस ये भी साबित है कि ज़िक्र से दिल चैन पाते हैं और अज़ान बेहतरीन ज़िक्र है और अज़ान से घबराहट दूर होती है और वहशत खत्म होती है। तो कौन अ़क़्ल वाला नहीं चाहेगा कि वो नये घर में अपने अ़ज़ीज़ की घबराहट को दूर करे और कौन नहीं चाहेगा कि

अज़ान दे कर मुसलमानों की वहशत को दूर करे? मगर वो नहीं चाहेगा, जिसे शैतान अल्लाह के ज़िक्र (अज़ान) से रोके। (क्या ही अच्छी मिसाल)

जो मुसलमान अपने या किसी भाई मोमिन भाई की क़ब्र पर अज़ान देता है और उसके अज़ाब दफ़ा करने में मदद करता है और उसे क़ब्र में फाइदा पहुँचता है तो सुन लो उसके लिये हदीसें क्या कहती हैं :

الله فی عون العبد ماکان العبد فیعون اخیه

यानी अल्लाह बन्दे की मदद में है, जब तक बन्दा अपने भाई मुसलमानों की मदद में है (सुब्हान अल्लाह, क्या ही अच्छी मदद, मददे इलाही है।)

और इस हदीस को बुखारी ने नक़्ल किया फ़रमाते हैं, मदनी ताजदार :

من کان فی حاخة اخیه کان الله فی حاجته ومن فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه بها کربة من کرب یوم القیٰمة

यानी जो अपने भाई मुसलमान के काम में हो, अल्लाह उसकी हाजत रवाई फ़रमाता है और जो किसी मुसलमान की तक्लीफ़ दूर करे। अल्लाह उसके बदले क़ियामत की मुसीबतों से एक मुसीबत उस पर से दूर फ़रमायेगा।

जब हज़रते अ़ली को हुज़ूर ने गमज़दा देखा तो फ़रमाया :

قال رأنی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعض اهلک یؤذن فی اذنک فانه درء الهمّ

यानी जो मुझे हुज़ूर ने गमगीन देखा तो फ़रमाया : ए अ़ली! मै तुझे गमगीन पाता हूँ, अपने किसी घर वाले से कह कि तेरे कान में अज़ान कहे। अज़ान गम और परेशानी को दफ़ा करती है।

इमाम तबरानी ने एक हदीस नक़्ल की, फ़रमाया हुज़ूर ने :

ان احب الاعمال الی الله تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم

यानी बेशक अल्लाह के नज़दीक फ़र्ज़ों के बाद सब आमाल से बेहतर मुसलमान भाई को खुश करना है।

दलील **9** : लो वो आया मेरा हामी मेरा गमख्वारे उमम!

तो देख लो ए सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे लिये कैसा हसीन मौक़ा है कि क़ब्र पर अज़ान देकर अपने मुसलमान भाई को फाइदा पहुँचाओ और जो ऐसा करे अल्लाह उसकी हाजत पूरी करता है। और ये भी साबित हुआ कि मुसलमान भाई को जिस तरह हो सके फाइदा पहुँचाना चाहिये मगर सोचो क्या तुम्हारा मुर्दा मरने के बाद मुसलमान नहीं? अगर है तो अज़ान देकर फाइदा पहुँचाओ। और क्योंकि वहाबी दुनिया में भी काफ़िर है लिहाज़ा उसका मुर्दा भी काफ़िर है और मुर्दा काफ़िर को फाइदा पहुँचाने की हदीस हमने नहीं पढ़ी बल्कि इसके लिये दुआ -ए- मग्फिरत भी कुफ्र है। तो बस ए मुसलमानों! जिसके घर से कोई मुसलमान फौत हो तो उसे क़ब्र पर अज़ान देकर फाइदा पहुँचायें।

क़ब्र पर अज़ान देने की जो दलील ऊपर गुज़री उनका खुलासा ये है कि :
अज़ान देने के फाइदे
(1) शैतान के शर से पनाह।
(2) अज़ान तकबीर है और तकबीर आग से अमान।
(3) जवाबे क़ब्र में आसानी।
(4) ज़िक्रे अज़ान से अज़ाबे क़ब्र का दूर होना।
(5) अज़ान ज़िक्र है और ज़िक्र हर वक़्त जाइज़ है।
(6) क़ब्र पर ज़िक्र करना सुन्नत मतलब अज़ान भी सुन्नत।
(7) अज़ान ज़िक्र है और ज़िक्र से दिल चैन पाते हैं।
(8) अज़ान में ज़िक्रे मुस्तफ़ा यानी रहमत उतरने का ज़रिया।
(9) अज़ान से वहशत को दूर करना।
(10) अज़ान के ज़रिये रन्जो गम को दूर करना।
(11) क़ब्र पर दुआ सुन्नत है और अज़ान ज़िक्र है और ज़िक्र दुआ है यानी अज़ान सुन्नत है।
(12) क़ब्र के पास तकबीर कहना सुन्नत है और अज़ान में तकबीर है, अज़ान सुन्नत है।
(13) मैय्यत से शैतान को दूर भगाना इत्तिबा -ए- सुन्नत।
(14) अज़ान से मोमिन को फ़ाइदा पहुँचाना, हदीस पर अ़मल है।

अब जो इतने फ़ाइदे हाथ आने की निय्यत से अपने मोमिन भाई की क़ब्र पर अज़ान दे तो कैसे सवाब के खज़ाने हाथ आयेंगे। हदीस में फरमाया :

نية المومن خير من عمله
(मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है)

और जो इल्मे निय्यत जानता है यानी हर काम में अच्छी-अच्छी निय्यत करना जानता है तो वो हर हर काम में बहुत सवाब कमा सकता है। तो क़ब्र पर अज़ान भी अच्छी निय्यत के

साथ दी जाये तो ऊपर गुज़री हदीसों पर भी अ़मल होगा और जब तक अज़ान देगा खुद अज़ान देने वाले पर और क़ब्र पर भी रहमते इलाही नाज़िल होती रहेगी। ज़रूर देने वाले की भी मग़फ़िरत हो जायेगी (अल्लाह ही देता है अ़क़्ल, कलाम इल्मो हिक्मत के करने की)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सवाल : 579

हज़रत मैय्यत को दफ़्न करने के बाद क्या पाऊँ धो कर घर में आना ज़रूरी है?

जवाब : 579

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फितरते इंसानी तो यही कहती है कि जबकि हाथ पाऊँ गंदे हो तो धो कर ही घर में आयें चाहे मिट्टी क़ब्रिस्तान की हो या कहीं और की और अगर मिट्टी नहीं लगी तो कुछ धोना ज़रूरी नहीं, ना हाथ, ना पाऊँ।

मुफ्ती अमजद अ़ली आज़मी फ़रमाते हैं : हाथ में जो मिट्टी लगी है, उसे झाड़ दें या धो डालें, इख्तियार है।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 845)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 580

हज़रत जो पहले टाईम में कुआँ होता था तो बहुत लोग उसे पटवा देते थे। क्या उसे पटवाना नहीं चाहिये? कुएँ को बन्द करवाना चाहिये क्या? पटवाने से कुएँ को कोई नुक़्सान भी हो सकता है?

जवाब : 580

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अपने ज़ाती क़ुएँ को पटवा कर ज़मीन कर देने में हर्ज नहीं जबकि कोई और माने'अ़ शरई ना हो मस्लन यहाँ सिर्फ एक यही कुआँ है जिस से सारे लोग पानी भरते हों या किसी दूसरे की मिल्कियत पर क़ब्ज़ा करके ना पटवाया गया हो वग़ैरह-वग़ैरह।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 581
मुजद्दिद कैसे बनते हैं? मुजद्दिद कौन बनाता है?

जवाब : 581

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुजद्दिद अल्लाह के करम और उसके बनाये से बनता है। कोई खुद से कुछ नहीं बन सकता, जिस में मुजद्दिद होने की शराइत पायी जायेंगी वही बनेगा। मस्लन सदी का आखिर और नई सदी का अव्वल ज़माना पाया हो और इल्म में उसकी शोहरत दुनिया भर में होनी चाहिये, मिटाई गई सुन्नत और मुस्तहब को फिर से ज़िन्दा करता है, मौजूदा दौर के आलिमों का सरदार कहलाया जाता है, हक़ और बातिल में फ़र्क़ करने वाला होता है दीन को निखार कर उस में आई खुराफ़ात और बिदअ़त को दफ़ा करता है, सुन्नतें ज़िन्दा करता है, मौजूदा दौर में मसाइल की बुनियाद रखता है, वग़ैरह-वग़ैरह।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 582
क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियाने किराम दर्जे ज़ेल मसअला के बारे में कि क्या शौहर और बीवी एक जमाअ़त के साथ अपने घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं? बय्यनू तो जुर्वा, बयान फरमायें अज्र दिये जायेंगे।

जवाब : 582

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
हर ज़ी-अक़्ल औरत को मेरा ये रौशन बयान है
ता उम्र उसके हक़ में उसका शौहर ही तो इमाम है।
हर ज़ी अक़्ल मर्द पर ये दलील मेरी क़वी है
औरत उसके हुक़्म में ता-उम्र मुक़्तदी है।

हमेशा से सभी तारीफ़ उसी अज़मत वाले अल्लाह की जिसने मर्द को अपनी बीवी के हक़ में इमाम किया, सरदार बनाया और औरत को उसी की पैरवी का हुक्म दिया और शौहर के लिये राहते रूहो क़ल्बो जिगर यानी ता उम्र उसकी हमसफर से आलमे शौहर को ज़ीनत बख्शी। और हर लम्हा दुरूद उस हबीब पर जिसने 11 को अपना खास मुक़्तदी किया और हश्र में तो सबका इमाम होगा और सलाम अहले बैते पाक और शहीदे करबला और ज़ख्मी -ए- करबला पर।

मर्द को इलाक़े की मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना वाजिब है और किसी शरई उज़्र के साथ अगर जमाअ़त तर्क हो गयी तो घर पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकता है। महरम और बीवी के साथ जमाअ़त भी क़ाइम करके पढ़ने में भी हर्ज नहीं और इमाम बनने वाले में इमामत की शराइत पायी जाती हो मस्लन कम अज़ कम इतनी क़िरअत जानता हो कि नमाज़ फ़ासिद ना कर दे और खुद ऐलानिया फ़ासिक़ ना हो और तहारत और नमाज़ के मसाइल से भी वाक़िफ़ हो तो जमाअ़त से बीवी के साथ बल्कि हर महरम यानी बहन, माँ वग़ैरह के साथ भी नमाज़ को घर में बा-जमाअ़त अदा कर सकता है।

जैसा कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवाना -ए- शम-ए-रिसालत, इमामे इश्क़ो मुहब्बत वली -ए- नैमत, पीरे तरीक़त, आलिमे शरीअ़त, हामिये नैमत, माहिये बिदअ़त, क़ात -ए- नजदिय्यत, बाइसे खैरो बरकत, अलहाज, अल हाफ़िज़, अल मुफ्ती अश्शाह इमाम अहमद रज़ा अ़लैहिर्रहमा अपनी मक़बूले दो जहाँ तस्नीफ़ अल अ़ताया नबविय्या फ़ी फ़तावा रज़विय्या अल मअ़रूफ़ फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 492 पर इरशाद फ़रमाते हैं :
और अगर जमाअ़त में जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीवी या हद्दे शहवत तक ना पहुँची लड़कियों के सिवा (कोई) नहीं तो (जमाअ़त से नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़ है और ना-मेहरम (शहवत को पहुँची हुई) हो तो मकरूह।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 584 पर है :
जिस घर में औरतें ही औरतें हो उस घर में मर्द को उनकी इमामत ना जाइज़, हाँ अगर उन औरतों में उसकी नसबी महारिम हो या बीवी (तो जमाअ़त से नमाज़ जाइज़ है)

मगर इस सूरत में जब कि इमाम मर्द हो और औरत मुक़्तदी तो औरत यानी (बीवी) मर्द के पीछे खड़ी होगी ना कि बराबर में कि औरत का मर्द के बराबर खड़े होने से नमाज़ मकरूह होगी और इस तरह खड़े होना नाजाइज़ होगा।

फ़तावा क़ाज़ी खान, जिल्द 1, सफ़हा 48 पर है :

المرأة اذا صلت مع زوجها فی البیت ان کان قدماها بحذاء قدم الزوج لاتجوز صلاتهما بالجماعة وان کان قدماها خلف قدم الزوج الا انها طویلة تقع رأس المرأة فی السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لان العبرة للقدم

यानी किसी औरत ने जब शौहर के साथ घर में नमाज़ अदा की हो अगर उसके क़दम शौहर के क़दम के मुताबिक़ हों तो दोनों की नमाज़ बा-जमाअ़त ना होगी और अगर उस (बीवी)

का क़दम शौहर के क़दम के पीछे है (या औरत के क़दम लम्बा होने की वजह से औरत का सर हालते सजदा में शौहर के सर से आगे होता हो) फिर भी दोनों की नमाज़ दुरुस्त होगी क्योंकि एतबार क़दम का है।

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, सफ़हा 88 पर है :
अगर अकेली औरत मुक़्तदी है तो पीछे खड़ी हो और ज़्यादा औरतें हों जब भी यही हुक्म है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 492 पर है :
अगर औरत इस क़द्र पीछे खड़ी है कि उसका क़दम मर्द के क़दम या किसी उज़्व के महाज़ी नहीं तो (बीवी की अपने शौहर के पीछे नमाज़ में) इक़्तिदा सही है और दोनों की नमाज़ हो जायेगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 583
औरत अगर हैज़ या निफ़ास से पाक हो जाये फिर उसे वुज़ू या गुस्ल करने के लिये पानी मयस्सर ना हो तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है? जवाब इनायत फरमायें मेहरबानी होगी।
मोहम्मद अकमल अ़ता क़ादरी, कश्मीर।

जवाब : 583

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर तयम्मुम की शराइत पायी जायें तो पानी ना होने पर हैज़ वाली औरत नमाज़ के लिये तयम्मुम करे।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 352 पर है :
औरत हैज़ निफ़ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मुम करे।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 584
हज़रत! हज़रते अ़ली और हज़रत इमामे पाक के आगे अ़लैहिस्सलाम क्यों लिखते हैं?

जवाब : 584

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

लफ्ज़ अ़लैहिस्सलाम नबी और रसूल और फ़िरिश्ते के लिये खास है। इनके गैर को ना कहा जाये ना लिखा जाये।
हज़रते अ़ली, इमाम हुसैन और दीगर सहाबा को रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु ही कहना चाहिये अ़लैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 585
हज़रत मैने खुद कलीमुल्लाह हाशमी की तक़रीर में सुना है कि आप चाहे इमाम हसन रदिअल्लाहु तआला अ़न्हु कहें, अ़लैहिस्सलाम कहें, चाहे सहाबा -ए- किराम कहें कोई हर्ज नहीं।

जवाब : 585

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मैने अपने जवाब में वही नक़्ल किया जो यक़ीनी मालूमात थी और उलमा -ए- अहले सुन्नत की मुअ़तबर कुतुब में भी यही दर्ज है कि लफ्ज़ अ़लैहिस्सलाम नबी, रसूल और फ़िरिश्ते के लिये खास है, इनके गैर को ना कहा जाये। और मैने अपने जवाब में कहने वाले पर गुनाह का कोई हुक्म भी नहीं दिया। अब रहा कि बहुत उलमा -ए- अहले सुन्नत अपनी तक़रीर में बयान करते हैं तो उनका क्या?
इसका सब से बेहतर जवाब यही कि आप इस सवाल का जवाब किसी दारुल इफ्ता से लिखा लो, कि वहाँ का क्या फ़तवा आता है, अगर उनका जवाब मेरे जवाब के खिलाफ़ आये तो ज़रूर पेश करें। मै शुक्रिया के साथ रुजू करूँगा।

शैतानी वस्वसे की काट : जिन उलमा -ए- अहले सुन्नत ने कहा कि सुन्नी इमाम हुसैन को अ़लैहिस्सलाम भी कह सकते हैं तो उसका मतलब ये ऐसी जगह पर जहाँ शिया ना हो और ऐसी महफिल में जहाँ शिया ना हो और जो मैने जवाब में लिखा कि नहीं कहना चाहिये वो बतौरे एहतियात है कि ये जुमला शिया का है और जिस मज्लिस में शिया हो तो वहाँ इसे बोलने की इजाज़त ना होगी मगर हर वो चीज़ जिस से उलमा परहेज़ करने को बोले तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हराम हो गयी। जैसे कहा गया मुहर्रम में काले, हरे कपड़े ना पहनो ये हुक्म भी शिया की मुशाबिहत से कहा गया कि लोग तुम्हें भी शिया ना समझें मगर ये मनाही हराम पर दलालत नहीं करती। मै कहता हूँ (अल्लाह की तौफ़ीक़ से) अगर कोई ऐसा इलाक़ा है जहाँ दूर तक कोई शिया ही नहीं और सब सुन्नी हैं तो मुहर्रम में भी काले हरे कपड़े पहने जा सकते हैं, कुछ मुज़ाइक़ा नहीं। चूँकि अब मानेअ़ वजह खत्म हो गयी।

इसीलिये गैरे नबी और फ़िरिश्ते को अ़लैहिस्सलाम कहने से बचना चाहिये क्योंकि अ़लैहिस्सलाम कहने से लोग नबी समझ बैठते हैं। बस इस उलझन से बचने के लिये कहा गया।

खुद मेरा तजुर्बा है कि एक बार मैने एक मज्लिस में किसी गैरे नबी को अ़लैहिस्सलाम कह दिया फौरन मेरे एक साथी ने अ़र्ज़ की : जनाब क्या ये भी नबी हैं? फिर मैने वजाहत की। रहा ये कि आपने तक़रीर में सुना तो बड़े-बड़े अ़ल्लामा भी कभी-कभी खता कर जाते हैं मगर ये खता भी नहीं और मैने ये जवाब कई बार पहले भी दिया और मुफ्तियाने किराम की नज़र से भी गुज़रा और उनकी खामोशी ने इस के सही होने पर दलालत कर दी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 586

हज़रत हम काफ़िर किस-किस को कह सकते हैं? बतौरे खास क्या हम हिन्दू को काफ़िर कह सकते हैं?

जवाब : 586

بسم الله الرحمٰن الرحيم

इस्लाम के सिवा हर मज़हब बातिल है हिन्दू भी काफ़िर ही हैं और काफ़िर को काफ़िर ही कहा जायेगा। और ये सवाल कि काफ़िर किस को कह सकते हैं, इसकी बहुत तफ़सील हो सकती है बल्कि इस के जवाब में 50 जिल्दों की किताब लिखी जा सकती है। आप वो सूरत बयान कर दें जिसके बारे में जानना चाहते हैं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 587

ईमान नमाज़ है या नमाज़ में ईमान है? हज़रत समझ नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि नमाज़ पढ़ोगे तभी ईमान मुकम्मल रहेगा। क्या नमाज़ इन्सान पढ़े उसी से पता चलेगा कि ईमान मुकम्मल है?

जवाब : 587

بسم الله الرحمٰن الرحيم

सवाल से मालूम चलता है कि साइल काफ़ी बेचैन परेशान है और शैतान की फिज़ूल बातों में उलझा रहता है।

सारी बातें सही हैं, ईमान नमाज़ है, नमाज़ ईमान से है, नमाज़ पढ़ोगे तभी ईमान मुकम्मल होगा और हर बात के ज़ाहिरी माइने मुराद नहीं होते कभी तंज़ के लिये भी कहा जाता है। और सही हदीसों में ये बात शाहिद है कि नमाज़ इस्लाम का सुतून है और जिसने बिला उज़्र नमाज़ छोड़ी काफ़िर हो गया, दीने इस्लाम को ढा दिया, उसका सब कुछ लुट गया वग़ैरह-वग़ैरह। (अगर्चे तारिके सलात को हम काफ़िर नहीं कहते मगर इसे फ़र्ज़ जाने) और नमाज़ छोड़ने वाला फ़ासिक़, गुनाहगार है। इसके दिल में ईमान का नूर नहीं मगर बे-नमाज़ी भी मुसलमान होता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 588

फ़र्ज़ नमाज़ में पहली रकअ़त में जो सूरह पढ़े, दूसरी रकअ़त में वही सूरह जानकर या गलती से पढ़े तो क्या नमाज़ होगी?

जवाब : 588

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नमाज़ सही हो जाने में कुछ कलाम नहीं और भूल से पढ़ने में भी हर्ज नहीं और जानकर फ़र्ज़नमाज़ में एक ही सूरत की तकरार करना मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर इसके सिवा कोई सूरत याद नहीं तो इसे ही पढ़े फिर कराहत तन्ज़ीही की भी नहीं। और फिर नफ्ल में एक ही सूरत को दोहराना यानी हर रकअ़त में तकरार करना बिला कराहत जाइज़ और मकरूहे तन्ज़ीही भी नहीं। इसीलिये फ़र्ज़ नमाज़ की पहली रकअ़त में सूरह नास पढ़ने की आदत नहीं डालनी चाहिये अगर किसी ने पहली रकअ़त में सूरह नास पढ़ी तो दूसरी में भी सूरह नास ही पढ़े कोई और ना पढ़े क्योंकि उल्टा क़ुरआन मकरूहे तहरीमी नाजाइज़ और गुनाह है लिहाज़ा तकरार से सख्त है। इसीलिये हालते मजबूरी में इसी सूरह नास को अगली रकअ़त में भी दोहरा ले मगर उल्टा क़ुरआन ना पढ़े।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 266 पर है :

بے ضرورت در فرائض مکروہ تنزیہی است

यानी बे-ज़रूरत फ़र्ज़ में (एक सूरत को दोहराना) मकरूहे तन्ज़ीही है।

आगे फ़रमाते हैं :

پس نشاید در اولی قرأت ناس را تعمد کردن تا حاجت بتکرار نیفتند اما اگر خواند بسہو یا عمد ناچار در ثانیہ تیرہوں باید خواند کہ قرأتِ معکوسہ سخت تر از تکرار است بخلاف ختم کنندہ قرآن

عظیم کہ اورا باید در رکعت اولی تاناس خواندن و درثانیہ از الم تا مفلحون لحدیث الحال المرتحل
اے کذا فی النہر وردالمحتار اقول وانچہ مراد اینست کہ بحالت ختم قرآن مجید ایں خود نکس و
عکس نیست بلکہ از سر گفتن باشد چنانکہ لفظ حال و مرتحل نیز بر آں دلیل است فافہم
यानी बस पहली रकअ़त में सूरह नास नहीं पढ़नी चाहिये ताकि दोहराने की ज़रूरत ना पड़े, अगर जानकर या भूले से पढ़ चुका तो अब दूसरी रकअ़त में भी वही सूरत यानी सूरह नास पढ़े, क्योंकि (क़ुरआन को उल्टा) तरतीब बदल कर पढ़ना, तकरार से भी सख्त है।

واللہ تعالی اعلم بالصواب

सवाल : 589

अगर कोई पैसा जो कि किसी के साथ फरेब कर के हासिल किया गया हो, क्या वो हराम होगा? अगर उस पैसे को हम किसी दूसरे आदमी के बिज़निस में लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं कि वो पैसा हलाल हो जाये?

जवाब : 589

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जो रक़म किसी को धोका दे कर हासिल की गई या चुरायी गयी तो उसे उस के मालिक को वापस करना वाजिब है और तौबा करना फ़र्ज़ है और उस रक़म को फक़ीर को भी नहीं दे सकता। अगर वो शख्स मर गया तो उसके वारिस को दे दे।

फिक़्ह का एक मशहूर क़ाइदा है

ما حصل بسبب خبیث فالسبیل ردہ

यानी जो गैरे शरई ज़रिये से हासिल हुआ उसे वापस किये बगैर चारा नहीं।

और अगर वो शख्स भी नहीं और उस का कोई वारिस भी नहीं तो फक़ीर को रक़म वापस करे मगर सवाब की उम्मीद ना करे।

और हराम ज़रिये से हासिल शुदा अपने या किसी और के कारोबार या काम में लगाना या अपने सर्फ़ (खर्च) या किसी को सर्फ़ के लिये देना, ये भी हराम है। बल्कि ऐसी रक़म को नेक और सवाब के काम में भी नहीं लगा सकता। हराम रक़म को मस्जिद या फ़क़ीर को दे कर सवाब की निय्यत करना इल्मे परवतों ने कुफ्र लिखा है।

फ़तावा आलमगीरी में है :

تصدق علی الفقیر شیئا من المال الحرام

ویرجو الثواب کفر ولو علم به الفقیر ودعاله وامن المعطی کفرا ـــه

यानी किसी ने हराम माल से फ़क़ीर को सदक़ा किया और सवाब की उम्मीद करता है तो काफ़िर हो गया और अगर फ़क़ीर को मालूम हो जाये कि ये माल हराम है और उसके बावजूद उसने देने वाले को दुआ दी और देने वाले ने इस पर आमीन कहा तो दोनों काफ़िर हो गये।

फ़तावा ज़हीरिया में है :

رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یرجوا به الثواب یکفر

यानी एक शख्स ने फ़क़ीर को माले हराम दिया और उस पर उस ने सवाब की उम्मीद रखी तो काफ़िर हो जायेगा।

बल्कि जो माल नाजाइज़ तरीक़े से हासिल किया जाये उसे वापस करना वाजिब है। और जिस सूरत में फ़क़ीर को देने का हुक्म है तो वहाँ सवाब की उम्मीद ना की जाये।

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 582 पर लिखते हैं :
हराम रुपया किसी काम में लगाना अस्लन जाइज़ नहीं नेक काम हो या और। सिवा इसके की जिस से लिया उस को वापस दे या फक़ीर को सदक़ा करे और फ़रमाते हैं सवाब की उम्मीद (नहीं करनी चाहिये ये) सख्त हराम है।

बस इस काफ़ी और शाफ़ी कलाम से यही ज़ाहिर है कि पैसे वापस करना ज़रूरी है और इस्तिमाल करना हराम चाहे अपने काम में हो या किसी के काम में और सवाल में ये कहना कि "वो पैसा हलाल हो जाये? साइल की ऐसी सख्त नादानी है जैसे कोई कहे कि सुअर का गोश्त किस तरह धोया जाये कि हलाल हो जाये जबकि ये मुम्किन नहीं।

واللہ تعالی اعلم بالصواب

सवाल : 590
What Do Ulama E Ahle Sunnah Say About Zaid, If Zaid Says And Believe On This :
God Could Not Be Everywhere, So He Made Mothers In World.

जवाब : 590

بسم الله الرحمٰن الرحيم

This is a "Kufriya Belief". If, Zaid really knows, what is tha meaning of this sentence. Then he said and keep belief on it. God could not be everywhere, so he made mothers then zaid will be a kafir,
I Says : If, A Muslim who will keep/accept this belief, will be a kafir, (Allah Knows Better)

सवाल : 591

हज़रत क्या अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अ़लैह गैर मुक़ल्लिद हैं? तफ़सील में समझाइये।

जवाब : 591

بسم الله الرحمٰن الرحيم

इमामे आज़म खुद मुज्तहिद थे और मुज्तहिद किसी की तक़लीद नहीं करता क्योंकि वो खुद इतना बड़ा आलिम होता है कि क़ुरआन और हदीस से मसअले अखज़ कर सके। और इमामे आज़म को अल्लाह ने वो मुक़ाम दिया कि उन्हें किसी की पैरवी की हाजत नहीं बल्कि कल क़ियामत तक दुनिया को उनकी पैरवी की हाजत और ये जो चार इमाम हैं इस का मतलब ये नहीं कि बस यही मस्लक हुये और कोई इस क़ाबिल नहीं बल्कि इनके वक़्त में भी मुज्तहिद मौजूद थे मगर उनके मानने वाले इस क़दर तरक्की ना कर पाये जैसे ये चार मस्लक के लोगों ने की। इमाम ओझल के बारे में भी मशहूर है कि वो भी इमामे आज़म के वक़्त के बड़े इमाम और खुद मुज्तहिद थे अगर उनके शागिर्द तरक्की करते तो आज 5वाँ मस्लक उन्हीं का होता। कहना ये है कि वहाबी सिर्फ इमामे आज़म के पीछे पड़ा रहता है जबकि इन चार के अलावा भी हज़ारों इमाम मुज्तहिद गुज़रे मगर मशहूर नहीं हुये।
और जिसे अल्लाह ने इतना बड़ा बुलंद मक़ाम बख्शा कि दुनिया उस की पैरवी करे तो उसे किसी की पैरवी की क्या हाजत?

इमामे आज़म ने इल्मे फिक़्ह में लाखों मसाइल अखज़ किये और बुनियादी उसूल क़ाइम किये, जिनकी बिना पर आज तक करोड़ों मसाइल हल किये जाते हैं। और एक खास बात कि कोई अल्लाह का करामत वाला वली ऐसा नहीं मिलेगा जो मुक़ल्लिद ना हो, चाहे गौसे आज़म ही क्यों ना हो, खुद इमाम बुखारी भी और गरीब नवाज़ भी, इतने बड़े बड़े वलीयुल्लाह ने भी इमामों की ही तक़लीद की जिस से पता चलता है कि तक़लीद ही हक़ है और इसके खिलाफ़ रास्ता शैतान का रास्ता है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 592
हज़रत क्या मर्द अपनी बीवी का झूटा खाना या पानी नहीं पी सकता?

जवाब : 592

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुझे पूरी उम्मीद है कि साइल इसके जवाब से पहले ही वाक़िफ़ है मगर शायद हवाले और दलाइल हासिल करने के लिये सवाल पूछा गया है और कभी ऐसा भी होता है अपने जवाब को पुख्तगी (मज़बूती) देने के लिये कुछ भी पूछ लिया जाता है। बाज़ मर्तबा सामने वाला जवाब का ऐतबार नहीं करता इसीलिये ऐसे मसाइल पूछे जाते हैं, ताकि किसी को दलील में पेश किये जायें।

शरीअ़त में झूटा काफ़िर का भी पाक है जो कि ईमान में नहीं तो बीवी का कैसे मना होगा जबकि वो ईमान में भी है, शरीके हयात भी है। और हदीस में फ़रमाया : मोमिन के झूटे में शिफा है इस से पता चला कि आम मुसलमान का झूटा खाने पीने में भी हर्ज नहीं जबकि दिल गवाही दे और मर्द को गैर औरत का झूटा मकरूह है मगर बीवी का तो मकरूह नहीं, तो बिला कराहत शौहर बीवी का झूटा खा सकता है और यही हुक्म औरत के लिये भी है कि वो भी शौहर का झूटा खा सकती है और खाना चाहिये।

बल्कि अगर शौहर पीर, मुफ्ती, आलिम वग़ैरह है और इनकी बीवी इनका झूटा बरकत के तौर पर खाये तो सवाब पायेगी। मै कहता हूँ (अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से) कि मेरे नज़दीक ये हुक्म आम मर्द औरत पर भी है कि खास पीरे तरीक़त आलिमे दीन की अज़वाज के लिये नहीं। अगर कोई बीवी अपने शौहरे नामदार का झूटा उसकी ताज़ीम के लिये खाये पिये तो सिर्फ आलिमों की बीवी को नहीं आम शख्स की बीवी को भी सवाब दिया जायेगा। हदीस में है कि मुसलमान की निय्यत उसके अ़मल से बेहतर है और हर औरत पर उसके आक़ा (शौहर) की ताज़ीम फ़र्ज़ और अदब फ़र्ज़। दीन अदब का ही नाम है (क्या ही अच्छी मिसाल) तो ये काफ़ी है कि अगर शौहर बीवी का झूटा खाये या औरत अपने शौहर का झूटा तबर्रुकन खाये तो ज़रूर अल्लाह की रहमत से कल क़ियामत में सवाब पायेंगे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 593
क्या नापाकी की हालत में औरतें मेहंदी लगा सकती हैं या नहीं?

जवाब : 593

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

लगा सकती हैं कुछ हर्ज नहीं। मना करना लोगों के इल्म की कमी को ज़ाहिर करता है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 594

हज़रत जिनकी कोई औलाद नहीं हो तो क्या शरीअ़त उसे बच्चा गोद लेने की इजाज़त देती है? अगर हाँ तो इस के बारे में जवाब हवाले के साथ देने की मेहरबानी करें।

जवाब : 594

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हर औलाद वालिद के हक़ में एक नायाब हीरा है, बाप नाम बदलना ही तो गुनाहे कबीरा है।

बच्चा गोद लेने की इजाज़त है मगर लोग उसके असली बाप की जगह अपना नाम लिखते हैं इसकी इजाज़त नहीं। मस्लन अगर आप ने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लिया तो उसे सभी डॉक्यूमेंट पर यहाँ तक कि शादी कार्ड पर भी उसके ही असली बाप का नाम होगा, उस का नहीं जिस ने गोद लिया। हदीस में बाप, ज़ात, खानदान बिरादरी बदलने वाले पर लानत आयी है। और एक शख्स की औलाद को दूसरे की तरफ मन्सूब करके पुकारने से मना किया गया है। इसी तरह दूसरे की औरत को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता।

क़ुरआने पाक में अल्लाह का इरशाद है :

सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4-5 में :

"और ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा तुम्हारा बेटा बनाया, ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है और अल्लाह हक़ फरमाताहै और वही राह दिखाता है, उन्हें उनके बाप ही का कह कर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है, फिर अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हों तो दीन में तुम्हारे भाई बहन हैं।

आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 13, सफ़हा 361 पर लिखते हैं:

हदीस में फ़रमाया :

من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيٰمة صرفا ولا عدلا

जो अपने बाप के सिवा दूसरे की तरफ अपने आप को निस्बत करे। इस पर खुद अल्लाह और फ़िरिश्ते और आदमियों की लानत। अल्लाह त'आला कल क़ियामत के दिन इसका ना फ़र्ज़ क़ुबूल करे ना नफ्ल।

अलबत्ता सरपरस्त की जगह गोद लेने वाला अपना नाम लिखवा सकता है पर बाप की जगह नहीं।

और एक खास बात इस मसअले में ये भी है कि, अगर किसी ने बाहर (गैर रिश्तेदार) से कोई लड़का गोद लिया और उसे अपनी बीवी से दूध नहीं पिलवाया तो बालिग होने पर खुद इसकी बीवी यानी मुँह बोली माँ और इस की बेटियों से भी इसका पर्दा वाजिब होगा। इसी तरह लड़की गोद लेने पर खुद इसका यानी बोले बाप और इसके बेटों से पर्दा। अगर भाई के बेटे को गोद लिया और दूध ना पिलवाया तो भी यही हुक्म है और अगर उसकी बीवी को अब दूध ही नहीं आता तो इसकी बहन से पिलवाये यानी साली से वरना अपनी बहन से, मगर इन सूरतों में इन दोनों के पर्दों में तो रियायत होगी मगर इसकी औलाद के लिये अब भी वही हुक्म होगा कि पर्दा वाजिब होगा और सबसे बेहतर ये है कि अपनी ही बीवी से दूध पिलवाये ताकि इनके बच्चों से भी पर्दे में रियायत मिले। वरना इस तरह मुँह बोले रिश्तों में ये शख्स हमेशा गुनाहगार होता रहेगा।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 595

तरीक़त और शरीअ़त में फर्क़ क्या है?

जवाब : 595

بسم الله الرحمٰن الرحيم

शरीअ़त से हट कर तरीक़त कुछ नहीं, तरीक़त शरीअ़त के सज़र से निकली एक शाख है। आम ज़ुबान में इसे सूफ़ियों की राह या तरीक़ा या सूफ़ियों के अक़ीदे से तस्बीह दी जाती है और बाज़ आम ज़ुबान में इसे फ़क़ीरी लाइन कह दिया जाता है। यानी अहले मअ़रिफ़त, दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ तवज्जो करना और सूफ़ी वही जो शरीअ़त के खिलाफ़ काम ना करे, बल्कि ये अपने तक़वे की वजह से ही जाने जाते हैं मगर कुछ लोगों ने आज तसव्वुफ़ को नया रंग दे दिया

जो शरीअ़त के खिलाफ़ होता है। इसीलिये ये कहा गया कि अस्ल तरीक़त वही है जो शरीअ़त के समुंदर से निकले, इसके खिलाफ़ ना सूफ़ी है, ना तरीक़त, ना तसव्वुफ़।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 596
आरिफ़ किसे कहते हैं?

जवाब : 596

بسم الله الرحمٰن الرحیم
आरिफ़: पहचानने वाला, अल्लाह की मअ़रिफ़त रखने वाला, अल्लाह का वली वगैरह-वगैरह।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 597
हज़रत मेरी, एक मेरे ही मुसलमान भाई से ज़िरह (बहस) हुई। उसने कहा कि हम हिन्दू को काफ़िर नहीं कह सकते। हो सकता है वो मरने से पहले ईमान ले आये और मुसलमान हो जाये प्लीज़ मुझे हवाले के साथ बतायें कि क्या हम हिन्दुओं को काफ़िर कहा सकते हैं?

जवाब : 597

بسم الله الرحمٰن الرحیم
हिन्दुओं को काफ़िर ही कहा जायेगा और जो हिन्दू को काफ़िर ना माने या उनके काफ़िर होने में शक करे वो खुद काफ़िर है।
काफ़िर को काफ़िर और मुसलमान को मुसलमान कह सकते हैं बल्कि काफ़िर को काफ़िर और मुसलमान को मुसलमान जानना ज़रूरिय्याते दीन में से है। और जो लोग ये बकवास करते हैं कि काफ़िर को काफ़िर ना कहो जाने कब मुसलमान हो जाये, जहालत है। इस तरह तो मुसलमान को भी मुसलमान ना कहो जाने कब काफ़िर हो जाये, ज़िन्दा को ज़िन्दा ना कहो जाने कब मर जाये। और कुछ लोग कहते हैं कि जितना वक़्त काफ़िर को काफ़िर कहोगे उतनी देर में अल्लाह अल्लाह कर लो। तो उसका जवाब ये कि हम कब कहते कि काफ़िर काफ़िर का वज़ीफा कर लो। मक़्सद ये है दिल से काफ़िर को काफ़िर जानो और वक़्त पर काफ़िर को काफ़िर कहा भी जायेगा, बल्कि जो खुले काफ़िर के कुफ्र में शक़ करे तो भी काफ़िर, और ये बात अ़क़ीदों में से है, मुसलमान को चाहिये कि अपने सहीह अ़क़ीदों की इस्लाह करे।

अल्लाह अज़्ज़वजल ने क़ुरआन में बहुत जगह काफ़िर को काफ़िर और मुनाफिक़ को मुनाफिक़ फ़रमाया, बल्कि सूरह काफिरून जो अक्सर मुसलमान पढ़ते ही हैं, अल्लाह का इरशाद है :

"ए महबूब! तुम फरमाओ इन काफ़िरों से"
(सूरह काफ़िरून, पारा 30, आयत 01)

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 14, सफ़हा 653 पर है, काफ़िर को ज़रूर काफ़िर कहा जायेगा।

फ़तावा रज़विय्या जिल्द 15 सफ़हा 591 पर है, शिफ़ा शरीफ़ में है :

نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملته المسلمین من الملل اووقف فیهم اوشک
(हम हर उस शख्स को काफ़िर कहते हैं जो काफ़िर को काफ़िर ना कहे या उसके कुफ्र में शक करे।)

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, सफ़हा 386 में है :

"من شک فی عذابا وکفر فقد کفر"
जिसने उसके अज़ाब और कुफ्र में शक किया वो (खुद) बिला शुब्हा काफ़िर हो गया।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 185 पर है :
मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरिय्यते दीन से है। क़तई काफ़िर के कुफ्र में शक भी आदमी को काफ़िर बना देता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 598
हज़रत बिदअ़त, शिर्क, हराम और नाजाइज़ में क्या फ़र्क़ है? मिसाल और तफ़सील से इसका जवाब फरमायें।

जवाब : 598

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
वो एतिक़ाद या अ़मल जो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो, बिदअ़त कहते हैं। इसकी बहुत सी क़िस्म होती हैं, मगर सिर्फ़ 2 का ज़िक्र किया जाता है जो साइल ने तलब की।

बिदअ़ते हसना : दीन में शुरू किये गये नये मगर जाइज़ काम को कहते हैं जिस से मुसलमान को नफ़अ़ हो।
जैसे - मस्जिद पर मीनार बनवाना इस से मुसलमान को फाइदा है और ये काम मना भी नहीं।

बिदअ़ते सईया: दीन में शुरू किये गये नये मगर नाजाइज़ काम जो शरीअ़त के खिलाफ़ या सुन्नत को खत्म करने वाला हो। जैसे खुत्बा अ़रबी की जगह उर्दू में पढ़ना।

शिर्क : अल्लाह की मिस्ल किसी को भी समझना शिर्क है या उसकी इबादत वग़ैरह में किसी को शामिल कर देना।
मिसाल: पीर को खुदा मानना।

हराम : इसकी भी कई क़िस्म हैं और ये फ़र्ज़ का मुक़ाबिल होता है। यानी जिस तरह फ़र्ज़ पर अ़मल ज़रूरी है उसी तरह हराम से बचना ज़रूरी है।
मिसाल : किसी भी फ़र्ज़ के खिलाफ करना हराम है। मस्लन नमाज़ ना पढ़ना वग़ैरह।

नाजाइज़ : इसका इस्तिमाल कई माइने में होता है। जिस काम से शरीअ़त ने मना किया। कराहत तहरीमी की होगी या गुनाह का काम तो उसे नाजाइज़ कह दिया जाता है। वाजिब का तर्क भी नाजाइज़ है और फ़र्ज़ का भी और सुन्नते मुअक्किदा के तर्क की आदत भी नाजाइज़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 599
साहिब नाम के क्या माइने हैं?

जवाब : 599

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
साहिब = यार, दोस्त, आक़ा, हकीम, शौहर, शरीफ़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 600
शरीअ़त में क़ुरबानी का क्या हुक्म है और कैसे करना चाहिये?

जवाब : 600

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरबानी वाजिब है, हर साहिबे निसाब मर्द औरत पर और क़ुरबानी 3 दिन तक ही हो सकती है उसके बाद नहीं। अगर शौहर क़र्ज़दार है और बीवी पर सोना चाँदी जो निसाब को पहुँचे मौजूद हो तो और पैसे ना हो तो उसे क़र्ज़ ले कर क़ुरबानी करवानी होगी। इसी तरह ज़ेवर बेचकर भी और इसके लिये शरीअ़त ने कुछ खास जानवर मुअ़य्यन किये हैं।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 39 पर है :

क़ुरबानी के जानवर 3 क़िस्म के हैं, ऊँट, गाय और बकरी। इनकी सभी क़िस्म इन जानवर में शुमार हैं, नर व मादा। और भैंस गाय में शुमार है। भेड़ और दुम्बा बकरी-बकरा में शुमार।

अगर याद ना हो तो दुआ क़ुरबानी की किसी किताब से पढ़ ली जाये वरना तस्मिया पढ़ कर भी ज़िबह किया तो ज़िबह सही हो जायेगा और अगर पढ़ना भूल गये जब भी क़ुरबानी हो जायेगी और जान कर ना पढ़ा तो जानवर हराम और औरत भी क़ुरबानी कर सकती है और दो लोग छुरी पकड़ें तो दोनों को कलिमा पढ़ना वाजिब है।

तेज़ धार की छुरी से जानवर के गले की कुछ रगें काट देने से हलाल हो जायेगा। मुस्तहब ये है कि जानवर को लिटाने से पहले छुरी तेज़ करे और लिटाने के बाद तेज़ करना मकरूह है। और हर वो फेल जिस से जानवर को तक्लीफ़ हो उसके साथ करना मकरूह है। गले की चंद रगें हैं, उनके काटने का नाम ज़हब हैं (ज़ाल के फतह के साथ) और उस जानवर को जिसकी ये रगें काट दी जायें ज़बीहा और ज़िबह कहते हैं (ज़ाल के कसरे के साथ)। जो रगें ज़िबह के वक़्त काटी जाती हैं वो 4 हैं, 4 रगों में से 3 का कट जाना भी काफ़ी है। और एक ही बार में पूरी गर्दन अलग भी नहीं करना चाहिये।

और बेहतर तरीक़ा यही है कि, पहले जानवर को खाना वग़ैरह खिलाया जाये, नहलाया जाये और छुरी को तेज़ कर लिया जाये (मगर उसके सामने ना किया जाये) और ज़मीन पर आराम से लिटाया जाये, ना घसीटा जाये, ना मारा जाये, ना ज़मीन पर ज़ोर से पटका जाये। हर जान, जान होती है, ये सोचे कि अगर इसकी जगह ये होता तो लोगों से कैसी उम्मीद करता कि उस पर भी रहम हो। बस जो अल्लाह की राह में क़ुरबान किया जा रहा है उसका भी दर्द समझना चाहिये और अदब करना चाहिये।

ज़िबह के वक़्त शोर या हंगामा नहीं करना चाहिये कि ये गौर करने का मक़ाम है ना इसे खाली तमाशा बनाना चाहिये और घर के बच्चों को (जो ज़्यादा छोटे ना हों और डरते ना

हो) तो उनके सामने ज़िबह करना चाहिये कि बच्चे खून देखें और उनका दिल मज़बूत होगा, डर जाता रहेगा (जबकि इसे देखने पर क़ादिर हों)

हमारे बुजुर्गों का यही तरीक़ा था कि, छोटे बच्चों से कसाई की दुकान से गोश्त मँगाते थे। पूछने पर कहते थे कि गोश्त, खून और छुरी देखेगा तो मुसलमान का बच्चा डरपोक नहीं बनेगा बल्कि दिल से डर जाता रहेगा और हमारी भी यही राय है।

ऊँट के ज़िबह में खास ख्याल रखना चाहिये कि लोग उसे बकरे की तरह लिटा कर ज़िबह करते हैं, ये मकरूह है। ऊँट काटने का सही तरीक़ा और सुन्नत तरीक़ा जो है उसे नहर कहते हैं यानी ऊँट को खड़ा करके उसके गले में छुरी घोपी जाती है, जिसे नहर कहते हैं, उसे बकरे की तरह ज़िबह करना मकरूह है और आवाम में जो ये मशहूर है कि ऊँट 3 जगह से काटा जाता है ये गलत है मगर क़ुरबानी हर सूरत में हो जायेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 601

भाई ये बतायें कि कहते हैं कि मेहमान को रुख्सत करते वक़्त घर के गेट के पास छोड़ना चाहिये, पर मिट्टी के घर में क्यों मना करते हैं कि कोई दरवाज़े तक छोड़ने मत जाना।

जवाब : 601

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मेहमान की रुख्सती के वक़्त दरवाज़े तक साथ आना सुन्नत से साबित है, ऐसा ज़रूर करना चाहिये और चाहे घर मिट्टी का हो या सोने चान्दी का सबका यही हुक्म है, मना किसी सूरत नहीं, ये कम इल्मी और जहालत है।

वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 1, सफ़हा 343 पर है :

अहकामे शरीअ़त को क़ुरआन और हदीस से मालूम किया जाता है अ़क़्ल से नहीं जाना जा सकता।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 602

कोई शख्स ये कहे कि मै आज के दिन की फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ और कौन सी ये दिल में नहीं तो नमाज़ होगी?

जवाब : 602

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ में फ़र्ज़ में ये निय्यत कि आज की फर्ज़ पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं जब कि किसी नमाज़ को तय ना करे, मस्लन आज की ज़ुहर या इशा।
(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 494)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 603
अगर कोई मुक़्तदी सजदे में इतनी देर में जाये जब तक इमाम सजदे से उठ चुका हो तो क्या हुक्म है नमाज़ का?

जवाब : 603

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ हो गयी अगर्चे बिला ज़रूरत ऐसी ताखीर से गुनाहगार हुआ।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 275)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 604
क्या साहब नाम रख सकते हैं?

जवाब : 604

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जाइज़ है मगर ये लफ्ज़ साहब नहीं बल्कि साहिब होता है (ص के क़सरे के साथ) यानी ص के ऊपर ज़बर इसका ख्याल रखें, पिछली बार आप ने साहब लिखा था इसीलिये वज़ाहत की।

क़ुरआन में हुज़ूर को भी साहिब कहा गया। अल्लाह त'आला इरशाद फ़रमाता है,
सूरह नज्म आयत नम्बर 2 में :
"तुम्हारे साहिब ना बहके ना बे-राह चले"

और फ़रमाता है अल्लाह सूरह तकबीर आयत नम्बर 22 में :
"और तुम्हारे साहिब मजनू नहीं"

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 605
कुछ लोग पूछने पर अपने भतीजे को अपना बेटा कहते हैं, क्या ये सही है?

जवाब : 605

بسم الله الرحمٰن الرحیم
ये सही नहीं है, गैर के बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते और गोद लेने के बाद भी जो भतीजे को अपना बेटा बताते हैं, गुनाहगार हैं। और ये उनकी ज़ुबान का कहना है जबकि खुदा ने उसे उनका बेटा नहीं बनाया।

क़ुरआने पाक में अल्लाह का इरशाद है :
सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4-5 में :

"और ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा तुम्हारा बेटा बनाया, ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है और अल्लाह हक़ फ़रमाता है और वही राह दिखाता है, उन्हें उनके बाप ही का कह कर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है फिर अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हों तो दीन में तुम्हारे भाई हैं।
हदीस में फ़रमाया :

من ادعی الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملٰئکۃ والناس اجمعین لایقبل اللہ منہ یوم القیٰمۃ صرفا ولاعدلا

जो अपने बाप के सिवा दूसरे की तरफ अपने आप को निस्बत करे। इस पर खुद अल्लाह और फ़िरिश्ते और आदमियों की लानत। अल्लाह त'आला कल क़ियामत के दिन इसका ना फ़र्ज़ क़ुबूल करे ना नफ्ल।
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 13, सफ़हा 361)

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 606
यहूदी या देवबंदी को चन्दा देना चाहिये या नहीं?

जवाब : 606

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर किसी इलाक़े में कोई मुसीबत आई हो मस्लन ज़लज़ला या बारिश से तबाही और वहाँ के गैर मुस्लिम काफ़िर परेशान हैं। बच्चों को खाने के लिये भी खाना नहीं और ना ऐसे में कोई उन का पुरसने हाल तो इस गर्ज़ से वो मुसलमान के पास चन्दा करने आये कि कुछ उनके बच्चों को खाना वग़ैरह हो जाये तो यहूदी की इस क़िस्म की मदद भी जाइज़ है और काफ़िर की भी। इंसानियत की मदद करना इस्लाम का तरीक़ा -ए- क़ार है और अगर गैर मुस्लिम या देवबन्दी चन्दा अपनी इबादतगाह या बातिल दीन की तबलीग के लिये माँगे तो देना हराम और कभी कुफ्र भी होगा तो नहीं देना चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 607
जनाब कौन-कौन से रिश्तों में शादी जाइज़ है?

जवाब : 607

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस की फ़ेहरिश्त तो तवील है, आपको जिस रिश्ते में पूछना है वो अ़र्ज़ करें तो जवाब में आसानी होगी वरना कभी ऐसा भी होता है जिस से शादी हराम हो बाद में सूरत बदल जाती है, हलाल हो जाती है।
इसी तरह कभी किसी से हलाल होने के बाद भी आगे चल कर हराम हो जाती है।
चचा, मामा, खाला वग़ैरह के बच्चों में आपस में शादी जाइज़ है, हर गैर महरम से शादी जाइज़ है। जबकि और कोई मानेअ़ शरअ़ ना हो। (मस्लन दूध का रिश्ता, बचपन में क़ाइम ना कर लिया हो।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 608
जनाब क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं?

जवाब : 608

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ज़रूरत मन्द को देना जाइज़ है और जो पहले इसकी मुमानिअ़त थी, उसकी क्या वजह थी? मस्लन पहले दौर में ऐसा पुरफ़ितन ना था, ना ऐसी बीमारियाँ और एक ये भी हर खून

दूसरे के जिस्म में नहीं चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि (ब्लड ग्रुप मेच ना होने की वजह से) बीमारी और बढ़ जाती है और जान का खतरा रहता था और भी दीगर शरई वजह थी।
मगर आज इस्लाम के नाम पर दौर खराब है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और एक नई फिक्र दुनिया को दी जा रही है कि मुसलमान किसी की मदद नहीं करता, इस्लाम तंग मज़हब है वग़ैरह-वग़ैरह। और आज साईंस ने भी तरक़्क़ी कर ली जिस से ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है और मेच कर के सही खून सही जिस्म में चढ़ाया जा सकता है।
अब उन लोगों का हाल जो कहते हैं कि ब्लड का लेना देना हराम है।
मै ऐसे लोगों से दस्तबस्ता अ़र्ज़ करूँगा कि अगर मान लिया जाये कि आप के घर में किसी की ऐसी हालत हो कि खून की ज़रूरत हो और क़ौम उस फ़तवे पर अ़मल करे (जिस में खून देना जाइज़ नहीं था) तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में ये शख्स कहेगा कि मेरा खून ले लो। तो मै कहता हूँ (तौफ़ीक़े खुदा से) कि अगर खून किसी का भी नहीं लिया जा सकता तो फिर इसका कैसे लिया जायेगा, हराम हर सूरत में हराम होगा।
मगर इस पर एक बार फिर नज़र हो कि इस्लाम तंग मज़हब नहीं है। इसी वाहिद मज़हब में पड़ोसियों तक के हुक़ूक़ शामिल हैं चाहे काफ़िर हों। इस में हर तरह की आसानियाँ और फिक़्ह का एक क़ाइदा ये भी है कि "ज़माने की तब्दीली के सबब अहकाम की तब्दीली का इन्कार नहीं किया जा सकता।" वरना ऐसे कई फ़तवे हैं जो दौर के मुताबिक़ बदले हैं और आगे भी बदलते रहेंगे और इस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुअर खाना हराम है मगर हालते नज़अ़ में उलमा ने सुअर खाना फ़र्ज़ क़रार दिया।"

जब ज़ैद ने कहा : मै बीमार हूँ।
शरीअ़त ने कहा : बैठ कर ही नमाज़ पढ़ ले।
ज़ैद ने कहा : मै बैठ नहीं सकता।
शरीअ़त ने कहा : लेट कर ही नमाज़ पढ़ ले।
ज़ैद बोला : मै हाथ पैर नहीं हिला सकता।
शरीअ़त ने कहा : इशारे से पढ़ ले।
ज़ैद बोला : मै पानी पर क़ादिर नहीं।
शरीअ़त ने कहा : तयम्मुम से पढ़ ले।
ज़ैद ने कहा : मै प्यास से मर रहा हूँ, पानी नही है, मगर शराब है।
शरीअ़त ने कहा : ज़रूरत के मुताबिक़ पी ले और जान बचा ले।
(कहना ये चाहता हूँ कि, शरीअ़त आसानी चाहती है तंगी नहीं)
लिहाज़ा खुलासा -ए- कलाम ये है कि ब्लड लेना-देना जाइज़ है। और ये काम मजबूरी में ही किया जाता है।

(मेरे कलाम को नहीं झुटलायेगा, मगर वो जो शरीअ़त से निरा जाहिल होगा।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 609

जनाब! रिया किसे कहते हैं? और इसके दुनियावी और आखिरत के नुक़्सानात क्या हैं?

जवाब : 609

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

रिया के लुग्वी माने दिखावे के हैं और इस की तारीफ़ ये है कि "अल्लाह की रिज़ा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना रियाकारी कहलाता है। गोया इबादत से ये गर्ज़ हो कि लोग उसकी इबादत से आगाह हो जायें ताकि वो उन से माल बटोरे या लोग उसली तारीफ करें या उसे नेक आदमी समझें या उसे इज़्ज़त वग़ैरह दें। अलगर्ज़ जब इबादत से मक़्सूद रिज़ा -ए- इलाही ना हो बल्कि वाह-वाही हो तो रियाकारी है।

रियाकारी का दुनियावी तो कोई नुक़्सान मुझे याद नहीं बल्कि दुनियावी नुक़्सान होता तो लोग रिया ना करते रिया में दुनियावी फ़ाइदा होता है तभी लोग रियाकारी करते हैं यानी शोहरत का फ़ाइदा और आखिरत का ज़रूर नुक़्सान है।

क़ुरआने पाक में सूरह बक़रा आयत नम्बर 264 पर इरशादे मालिके काइनात है :
ऐ ईमान वालों! अपने सदक़े बातिल ना कर दो।

इस सूरह की तफ़सीर में खज़ाईनुल इरफान में है :
जिस तरह मुनाफिक़ को रिज़ा -ए- इलाही मक़सूद नहीं होती वो अपने आमाल रियाकारी के लिये खर्च करके ज़ाया कर देता है।

हदीस सुनन अहमद में है :
मुझे तुम पर सब से ज़्यादा शिर्के असगर या दिखावे में मुब्तिला होने का खौफ़ है। अल्लाह क़ियामत के दिन कुछ लोगों को उन के आमाल की जज़ा देते वक़्त इरशाद फ़रमायेगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिये दुनिया में तुम दिखावा करते थे और देखो कि क्या तुम उनके पास कोई जज़ा पाते हो।

मीरात शरह मिश्कात, जिल्द 7, सफ़हा 127 पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अ़लैहिर्रहमा फ़रमाते हैं : रिया के बहुत दर्जे हैं। हर दर्जे के हुक्म अलग हैं, हर रिया शिर्के असगर है। बाज़

हराम, बाज़ मकरूह, बाज़ सवाब मगर जब रिया मुत्लक़न बोली जाती है तो उस से मम्नूअ़ रिया मुराद होती है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 610

वो कौन से अल्लाह के वली थे जिन्होंने हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अ़लैह के आने की बशारत दी थी। उनका नाम बता दीजिये वो अपने वक़्त के मुजद्दिद भी थे? इमरान रज़ा। जज़ाक अल्लाह

जवाब : 610

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

माज़रत के साथ, ये ग्रुप क़्विज़ कॉम्पिटिशन का नहीं है और ये सवाल गैर ज़रूरी है, ना इस का अक़ीदे से कोई लेना देना, ना आमाल से, ना इबादत से। ऐसे कई वली गुज़रे हैं मस्लन जुनैद बगदादी और इनके सिवा भी हैं, जिन्होंने आने की बशारतें दी हैं।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 611

हज़रत बताइये जिन्नात (अच्छे वाले) कैसे होते हैं? होते हैं या नहीं अगर हाँ तो कैसे कहाँ रहते हैं और खाते पीते क्या हैं? प्लीज़ बताओ।

जवाब : 611

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ौमे जिन्नात पर मूख्तसर कलाम :

जी हाँ! जिन्नात होते हैं इसकी अस्ल है और इस का इंकार नहीं किया जा सकता। क़ुरआने पाक में सूरह जिन्न इस पर शाहिद और बहुत आयते क़ुरआनिया मौजूद हैं जिस में जिन्नात का ज़िक्र है और हदीसों में भी, जिस से पता चलता है कि जिन्नात जैसी मख्लूक़ भी दुनिया में मौजूद हैं और अपना वुजूद रखती है और इस का इंकार करने वाला काफ़िर है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 50 पर है :

जिन्नात के वुजुद का इन्कार या फिर बदी की क़ुव्वत का नाम देना कुफ्र है।

यानी जो कहे जिन्न शैतान कुछ नहीं होता, बुरे काम का नाम ही शैतान है तो काफ़िर है।

क़ुरआने मालिके अकबर का फ़रमान है, सूरह अज़ारियात, आयत 56 :

और मैने जिन्न और आदमी इतने ही के लिये बनाये कि मेरी बन्दगी करें।

हदीस शुअ़बुल ईमान में फ़रमाने मुस्तफा है :
मुझे जिन्नों और इंसानों की तरफ भेजा गया।

उम्दतुल क़ारी शरह सही अल बुखारी, जिल्द 10, सफ़हा 644 पर है :
लुगत में "जिन्न" सित्र और खिफ़ा को कहते हैं, जिन्न को इसलिये जिन्नात कहते हैं कि वो आम लोगों की निगाह से पोशीदा होता है।

जिन्नात आग से पैदा है, जैसा कि क़ुरआन सूरह रहमान आयर नम्बर 10 में है :
जिन्न को पैदा फ़रमाया, आग की लपट से।

अल्लाह ने फ़िरिश्तों को बुध के दिन, जिन्नात को जुमेरात के दिन और हज़रते आदम जुम्आ के दिन पैदा फ़रमाया।

इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई फरमाते हैं :
शयातीन जिन्नात ही की ना-फरमान क़िस्म का नाम है, जो इब्लीस की औलाद से है।

खज़ाइनुल इरफान में है :
शैतान दो क़िस्म के होते हैं, एक जिन्नात में से एक इंसान में से।
इब्लीस तमाम जिन्नातों का बाप है।

जिन्नात की तादाद इन्सान से 9 गुना ज़्यादा है यानी जब एक इन्सान पैदा होता है तो 9 जिन्न पैदा होते हैं।

जिन्नात हड्डी और लीद (गोबर) खाते हैं ये उनका खाना है। इसीलिये हड्डी से इस्तिन्जा करना मना है।

तमाम मुसलमानों के घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात रहते हैं, जब घर में दस्तरख्वान लगाया जाता है, घर के लोग खाना खाते हैं तो जिन्न भी छतों से उतर कर आ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, इनके ज़रिये से अल्लाह बुरे जिन्न को भगा देता है।

अक्सर और बेशतर जिन्नात नजाशत की जगहों पर रहते हैं (गुस्लखाने, टॉयलेट, कूड़ाघर)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 612
क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- किराम व मुफ्तियाने आज़म दर्जे ज़ेल शेर के मुताबिक़ जो कुल्लियते इक़बाल में है। अल्लामा इक़्बाल का शेर है, क्या ये शेर दुरुस्त है?
जुनूने इश्क़ से तो खुदा भी ना बच सका इक़बाल
तारीफे हुस्ने यार में सारा क़ुरआन लिख दिया।

जवाब : 612
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शेर, जिस के मुतल्लिक़ साइल ने सवाल पूछा कुफ्रिया है।
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 613
क्या बयान करते हैं मुफ्तियाने शरअ़ इस मसअले में कि जब हम लोग घर में क़ुरआन ख्वानी करवाते हैं तो सभी पढ़ने वाले बच्चे बुलंद आवाज से क़ुरआन पढ़ते हैं जिस से किसी का क़ुरआन समझ नहीं आता। क्या ऐसा करना जाइज़ है, पढ़ सकते हैं या नहीं? क़ुरआनो हदीस की रौशनी में जवाब दें।

जवाब : 613
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जब कुछ लोग मिल कर क़ुरआन पढ़ें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें तो इस तरह पढ़ना हराम है। इसी तरह ये जो सूरत सवाल में दर्ज है कि क़ुरआन ख्वानी मे बच्चे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ते हैं ये भी हराम है। उन बच्चों को शायद मसअला पता नहीं होता मगर, ये सुन्नियत की बद नसीबी है कि उनके साथ आने वाले मदरसे के बड़े-बड़े बच्चे वा हुफ्फाज़ भी उन्हें खबर नहीं करते। और ना ज़रूरी मसअले बताते हैं और जब कुछ लोग मिल कर जमा हो कर क़ुरआन पढ़ें तो आहिस्ता पढ़ना चाहिये इस तरह कि आपस में आवाज़ ना टकराये। (अल्लाह अ़मल का जज़्बा अ़ता करे।)

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 1, सफ़हा 248 पर है :
क़ुरआन ख्वानी में सब लोगों का बुलंद आवाज़ से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना नाजाइज़ व हराम है।
और यही दुर्रे मुख्तार व बहारे शरीअ़त में है।

और इस मुआमले में औरत भी कुछ कम नहीं है, एक तरफ ये क़ारी जो चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ़ औरतें भी घर में इस तरह पढ़ती हैं कि उनकी आवाज़ हलक़ से नहीं आती, चाहे गली बाज़ार में जितना शोर करवा लो मगर क़ुरआन पढ़ने में आवाज़ बाहर नहीं आती। इस तरह भी पढ़ने से पढ़ने का सवाब नहीं मिलता। कम से कम इतनी आवाज़ चाहिये कि खुद के कान सुनें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 614

मेरा सवाल है कि हम ख्वाब में पानी, साँप, मछली वग़ैरह देखते हैं तो वो कैसा है? कुछ लोग अच्छा बताते हैं तो कुछ बुरा।

जवाब : 614

بسم الله الرحمٰن الرحیم

ख्वाब में तफ़सील दरकार होती है। मस्लन साँप देखा तो कैसा यानी हमला करते हुये या खुद से भागते हुये, इसी तरह पानी देखा तो कैसा यानी गहरा, तूफान के साथ या नॉरमल, नदी या पीते हुये वग़ैरह-वग़ैरह। इसी तरह मछली बड़ी देखी या छोटी एक देखी या बहुत। तो इसीलिये जब तक पूरी तफ़सील नहीं होती ख्वाब की ताबीर नहीं की जाती। और एक खास बात आप तफ़सील मुझे ना भेजें। सिर्फ ज़रूरत के मसाइल का हल इस ग्रुप में बताया जाता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 615

एक शख्स की कोई औलाद नहीं है। उस ने अपने भाई की औलाद को गोद लिया है। इस कंडीशन में वो अपनी बीवी से दूध भी नहीं पिलवा सकता तो क्या उसकी बीवी से उस गोद लिये बच्चे का पर्दा होगा?

जवाब : 615

بسم الله الرحمٰن الرحیم

हक़ीक़त में वो औरत इस बच्चे की चाची होगी और शरीअ़त में चाची से पर्दा वाजिब है तो पूछी गयी सूरत में अगर किसी ने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया तो खुद माँ कहलाने वाली औरत से उस का पर्दा होगा, ये हुक्मे शरीअ़त है। और जो कहे कि गोद लेने के बाद

हम माँ बन गये तो उस से दूध का रिश्ता क़ाइम करवाना होगा और ये माँ कहना खुद के मुँह से है जबकि अल्लाह ने उसे उसकी माँ नहीं बनाया।

क़ुरआने पाक में अल्लाह का इरशाद है, सूरह अहज़ाब आयत नम्बर 4-5 में :
"और ना तुम्हारे ले-पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया, ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है और अल्लाह हक़ फ़रमाता है और वही राह दिखाता है। उन्हें उन के बाप ही का कह कर पुकारो, ये अल्लाह के नज़्दीक ज़्यादा ठीक है, फिर अगर तुम्हें उन के बाप मालूम ना हों तो दीन में तुम्हारे भाई हैं।

लिहाज़ा अगर इस औरत को दूध नहीं उतरता तो ये औरत अपनी बहन से इसे दूध पिलवा दे, ताकि इस औरत से इस बच्चे का बालिग होने पर पर्दा खत्म हो जाये क्योंकि अब वो औरत इसकी खाला होगी और खाला से निकाह हराम यानी पर्दा वाजिब नहीं। मगर याद रखे इस सूरत में भी सिर्फ इस औरत को रियायत है, मगर अभी भी इन गोद लेने वाले की बेटियों का पर्दा इस (मुँह बोले भाई) से फ़र्ज़ होगा। बल्कि ये अगर इस गोद लिये जाने वाले (मुँह बोले भाई) की बेटियों से शादी करना चाहे तो कर सकता हैं और अगर बेटियाँ नहीं तो ठीक।

बच्चा गोद लेने के मसाइल बहुत पेचीदा हैं। और अक्सर मुसलमान इस से वाक़िफ़ नहीं और इस से बचने की एक ही सूरत है कि गोद लेने वाला खुद अपनी बीवी से दूध पिलवाये। ताकि औरत और उस की लड़कियाँ दोनों के पर्दे में रियायत मिले, वरना कहीं खुद औरत का मसअला आगे आ जायेगा तो कहीं उस की बेटियों का।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 616
हज़रत क्या पैर पकड़ के सलाम करना जाइज़ है, अगर है तो किस-किस को? ज़रा तफ़सील से बतायें।

जवाब : 616

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
मुसलमानों में ये बुरी बिदअ़त किसी सूरत राइज नहीं।
सलाम में रुकूअ़ तक भी झुकना किसी के आगे जाइज़ नहीं।

पैरों में झुक कर सलाम करना या इस तरह ताज़ीम के लिये पैरों तक झुक जाना हराम है और ये फ़ेल किसी को भी जाइज़ नहीं ना वालिदैन को ना मुर्शिद को बल्कि सलाम करते वक़्त रुकूअ़ तक झुक जाना भी हराम है और इस से नीचे झुकना भी हराम।

शरह हिदाया में है :

وما یفعله بعضالجهال من الصوفیة بین یدی شیخهم فحرم محض اقبح البدع فینهون عن ذالک لامحالة

यानी सजदा जो बाज़ जाहिल सूफी अपने पीरों के आगे करते हैं, निरा हराम है और सबसे बदतर बिदअ़त है। वो जबरन इस से बाज़ रखे जायें।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 5, सफ़हा 377 पर है :

الانخناء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود

यानी सलाम में रुकूअ़ के क़रीब तक झुकना भी मिस्ले सजदा है।

इहयाउल उलूम, जिल्द 2, सफ़हा 124 पर है :

وهو عن فعل (الانحناء عند السلام منهی عنه) الاعاجم

यानी सलाम के वक़्त झुकना मना फ़रमाया गया और ये मजूसी (आग पूजने वाले का काम है)

शरह मुल्ला अ़ली क़ारी जिल्द 1, सफ़हा 274 पर है :

(لاینحنی) لان الانحناء یکره للسلاطین وغیرهم ولانه صنیع اهل الکتاب

यानी सलाम में ना झुकें, बादशाह हो या कोई, किसी के लिये झुकने की इजाज़त नहीं, और वजहे मुमानिअ़त की ये है कि ये नसारा मजूसिया का फ़ेल है।

फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 5, सफ़हा 369 पर है :

یکره الانحناء عندالتحیة وبه ورد النهی

यानी सलाम करते हुये झुकना मना है। हदीस में इस से मना किया गया।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 464 पर है :

कुछ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं, ये झुकना अगर रुकूअ़ की हद तक हो तो हराम और इस से कम हो तो मकरूह।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल जिल्द 2, सफ़हा 491 और 502 पर है :
मालूम हुआ कि सलाम की निय्यत से भी सजदा करना जाइज़ नहीं।
सजदा तो सजदा रुकूअ़ तक झुकना भी जाइज़ नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 617
हज़रत हमने सुना है कि 40 दिन गोश्त ना खाने से दीन में खामी आ जाती है। ये बात सही है या गलत ज़रा बतायें?

जवाब : 617

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं कोई उम्र भर गोश्त ना खायेगा तो भी ईमान पर कोई फ़र्क़ नहीं। ये वो लोग बाते बनाते हैं जिन्हें बस खाना चाहिये और नमाज़ एक वक़्त नहीं पढ़ते। नमाज़ क़ज़ा करने से ईमान पर फ़र्क़ आयेगा, ये हक़ीक़त है और ये भी याद रखो कि अगर गोश्त की तारीफ़ हुज़ूर ने फ़रमायी और इसे तमाम खाने का सरदार बताया इस में कोई इंकार नहीं, मगर गोश्त की तारीफ़ कर देने से ये मतलब नहीं कि खाना ज़रूरी है वरना तारीफ़ तो हुज़ूर ने नमाज़ की भी बहुत की है, इसका क्या?

और कोई ऐसा भी ना करे कि लगातार रोज़ ही गोश्त खाये और कोई ऐसा भी ना करे कि बिल्कुल ही तर्क कर दे। यानी कभी खाये भी मगर पाबंदी ना करे।

इहयाउल उलूम, जिल्द 3, सफ़हा 292 पर है :
हज़रते अ़ली ने फ़रमाया:
जो शख्स 40 दिन तक गोश्त खाना छोड़ दे, उस की तबियत और मिजाज़ में खराबी व बिगाड़ पैदा हो जाता है। और जो 40 दिन लगातार गोश्त खाता रहे, उस का दिल सख्त हो जाता है।

आगे इमाम गज़ाली लिखते हैं :
इंसान के फिज़ूल खर्च होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि जिस चीज़ की उसे ख्वाहिश हो उसे खा ले और हर वो काम कर ले जिसे करने की उसे हाजत हो। मुनासिब ये है कि गोश्त खाने पर हमेशगी ना इख्तियार करे।

आगे इसी सफ़हा पर है :

मन्क़ूल है कि हमेशा गोश्त खाना शराब की चुस्की की तरह एक चुस्की है (यानी लत है) दिल का सख्त हो जाने का नुक़्सान ये है कि उस के दिल पर नसीहत असर नहीं करती, गुनाह भी हल्का लगता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 618

हज़रत क्या पैरों में काला रंग का जूता/चप्पल पहन सकते हैं?

जवाब : 618

بسم الله الرحمٰن الرحیم

सवाल बड़ा अजीबतर है। हर तरह का जूता चप्पल पैरों में ही पहना जाता है और काले रंग के जूते पहनने जाइज़ हैं मगर इस से फ़िक्र बढ़ती है और पीले रंग के जूते चप्पल भी जाइज़ हैं और इस से फिक्र कम होती है तो जिस से मुम्किन हो वो पीले जूते चप्पल पहना करे, अल्लाह ने चाहा तो खुशहाल रहेगा।

तफ़सीरे रूहुल बयान (सूरह बक़रा की आयत 69 की तफसीर में) है कि हज़रते अ़ली ने फ़रमाया :

जो पीले रंग का जूता पहनेगा हमेशा खुश रहेगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 619

हज़रत क्या बालों में हेयर डाई (काला रंग) लगा कर नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : 619

بسم الله الرحمٰن الرحیم

बालों में काला रंग लगाना तो हराम है और लगाने वाले फ़ासिक़ मगर वो अपनी नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ हो जायेगी यानी वाजिबुल इआदा ना होगी। मगर इमामत ऐसे शख्स की दुरुस्त ना होगी (बगैर तौबा किया और खिजाब ना छुटाये)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 620

हज़रत हराम और नाजाइज़ में फ़र्क़ क्या है? बराये करम तफ़सील से बतायें।

जवाब : 620

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

लफ्ज़ "नाजाइज़" का इत्लाक़ बहुत मम्नूआते शरअ़ पर कर दिया जाता है और "हराम" के लिये भी कभी किया जाता है।

हराम : वो जिस की मुमानिअत दलीले क़तई से (लाज़िमन) साबित हो, ये फ़र्ज़ के मुक़ाबिल होता है। जिस तरह फ़र्ज़ का करना ज़रूरी है, हराम से बचना भी ज़रूरी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 621

भाई 11 तारीख का क्या माइना है? मेरा मतलब 11वीं शरीफ़ से है।

जवाब : 621

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

एक महफ़िल चाँद की 11 तारीख को हुज़ूर गौसे आज़म को ईसाले सवाब के लिये मुनअ़क़िद की जाती है जिसे सुन्नी आवाम 11वीं शरीफ़ के नाम से जानती है। 11वीं शरीफ़ अस्ल में ईसाले सवाब है जो कि शरीअ़त में जाइज़ और मुस्तहब है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 622

हज़रत सजदा -ए- सहव नमाज़ में किस हालत में वाजिब होता है?

जवाब : 622

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

वाजिबाते नमाज़ में से कुछ सहवन तर्क हुआ तो सजदा सहव करना वाजिब है यानी नमाज़ में जो चीज़ें वाजिब हैं उन में से अगर कोई चीज़ भूल से छूट जाये तो सजदा सहव करना वाजिब है। मस्लन सूरह फातिहा के बाद सूरत का पढ़ना वाजिब है, अगर कोई भूल गया तो आखिर में सजदा सहव करे। इसी तरह और वाजिब का हुक्म है, नमाज़ में बहुत वाजिब हैं मगर साइल की मुहब्बत में कुछ अ़र्ज़ करता हूँ ताकि अल्लाह इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इल्मे दीन सीखने का जज़्बा दे और इनकी नमाज़ दुरुस्त हो जाये।

कुछ वाजिबात अ़र्ज़ किये जाते हैं :

तकबीरे तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना।
सूरह फ़ातिहा की सातों आयतें पढ़ना।
कोई एक सूरत मिलाना।
सूरह फ़ातिहा और सूरत के बीच सिवाये बिस्मिल्लाह के कुछ ना पढ़ना।
सूरह फ़तिहा के बाद फौरन सूरह मिलाना।
सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में नफ्ल व वित्र की हर रकअ़त में वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा का एक ही बार पढ़ना वाजिब है।
सूरह फ़ातिहा और सूरत के बीच वक्फ़ा ना करना (सिवाये आमीन और तस्मिया के)
क़िरअ़त के बाद फौरन रुकूअ़ करना। (रुकूअ़ में पूरी तरह कमर सीधी कर के एक तस्बीह के मिस्ल रुकना।
एक सजदे के बाद फौरन दूसरा सजदा करना।
सजदे में (मर्द को) पाऊँ की तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना।
जलसा वाजिब है (दो सजदों के बीच बैठना, एक तस्बीह की मिक़्दार कमर सीधी करना)
क़ादा ए ऊला।
तशह्हुद।
तशह्हुद के बाद तीसरी रकअ़त के लिये फौरन खड़े होना।
वित्र में दुआ -ए- क़ुनूत और दुआ। (क़ुनूत या कोई भी)
सलाम में लफ्ज़ अस्सलामु का होना वाजिब, अ़लैकुम सुन्नत है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 623
हज़रत क्या हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? वरना कहाँ-कहाँ पढ़ सकते हैं और कहाँ नहीं। तफ़सील के साथ जवाब अता फरमायें।

जवाब : 623

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
(बिस्मिल्लाह) بسم اللہ पर तफ्सीली कलाम :

कहीं भी بسم اللہ पढ़ने की 7 सूरतें हो सकती हैं, जिन का हुक्म अलग अलग है, मस्लन :
(1) (बिस्मिल्लाह) بسم اللہ पढ़ना फ़र्ज़ है, जानवर ज़िबह करते वक़्त।

(2) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना सुन्नत है, बैरूने नमाज़ किसी सूरत के शुरू तिलावत की इब्तिदा के वक़्त, वुज़ू के शुरू में, नमाज़ के हर रकअ़त के अव्वल में और हर अहम काम यानी खाने पीने, हम-बिस्तरी वग़ैरह के शुरू में।

(3) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना मुस्तहब है, नमाज़ के बाहर दरमियानी सूरत से तिलावत शुरू करते वक़्त और सूरह तौबा में भी यही हुक्म है।

(4) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना जाइज़ है। मुस्तहसन : नमाज़ में सूरह फ़ातिहा और सूरत के दरमियान और उठते बैठते वक़्त।

(5) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना कुफ्र है, हरामे क़तई काम करते वक़्त بسم الله को हलाल व जाइज़ समझ कर بسم الله पढ़ना।

(6) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना हराम है, गुनाह के काम के वक़्त मस्लन शराब पीते वक़्त, चोरी करते वक़्त या हैज़ की हालत में बीवी से हम-बिस्तरी करते वक़्त और नापाक शख्स को तिलावत की निय्यत से भी पढ़ना हराम है।

(7) (बिस्मिल्लाह) بسم الله पढ़ना मकरूह है, सूरह बराअ़त के शुरू में, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीते वक़्त, लहसुन प्याज़ जैसी चीज़ें खाने के वक़्त, नजासत की जगहों पर और इसी तरह शर्म गाह खोलते वक़्त।

(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 505-506)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 624

हज़रत क़ुरआन को छूने के और पढ़ने के आदाब बता दें, मेहरबानी होगी। जज़ाक अल्लाह

जवाब : 624

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरआन को वुज़ू की हालत में छू सकते हैं, बिला वुज़ू क़ुरआने पाक को छूना हराम है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 301 पर है :

अगर वुज़ू ना हो तो नमाज़ और सजदा -ए- तिलावत और नमाज़ -ए- जनाज़ा और क़ुरआन छूने के लिये वुज़ू करना फ़र्ज़ है।

इसी तरह क़िब्ला रू हो कर पढ़ा जाये, तअ़व्वुज़, तस्मिया से शुरू करे और इतनी आवाज़ से कि खुद के कान सुन सके और जब तक पढ़ा जाये जब तक दिल गवारा करे और मकरूह वक़्त में पढ़ने से बचना चाहिये और मुम्किन हो तो तर्जुमा -ए- कन्ज़ुल ईमान के

साथ पढ़ें और कम अज़ कम 3 आयत की तफ़सीर भी पढ़ लिया करें तो इस की बरकतें भी शामिल होंगी। انشاء الله

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 550 पर है :
क़ुरआन देख कर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफज़ल है कि ये देखना भी है, पढ़ना भी और छूना भी और ये सब इबादत है।

मुस्तहब ये है कि बा-वुज़ू क़िब्ला रू बैठ कर अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और शुरू तिलावत मेंतअ़व्वुज़ मुस्तहब है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 551 पर है :
लेट कर क़ुरआन पढ़ने में हर्ज नहीं जबकि पाऊँ समेटे हों और मुँह खुला हो।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 496 पर है :
क़ुरआने मजीद को निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिये।
इसी में आगे है कि अगर उठ कर कहीं जाते हैं तो (क़ुरआन को) बन्द करते हैं खुला नहीं छोड़ते, ये अदब की बात है। क़ुरआने मजीद के अदब में ये भी है कि इस की तरफ पीठ ना की जाये, ना पाऊँ फैलाया जाये, ना पाऊँ को उस से ऊँचा करे, ना खुद क़ुरआन से ऊँची जगह पर हो।

والله تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 625
इमाम के पीछे क़िरअत मना है तो क्या इमाम को दोहराना भी इसी हुक्म के मातहत है?

जवाब : 625

بسم الله الرحمٰن الرحیم
ये दलाइले अलक़ारिअ़ह इस बात की निशानी है,
जमाअ़त में क़िरअ़त करना बेचैन दिलों की परेशानी है।

मुझे सवाल से इतना समझ आया कि शायद साइल ये पूछना चाहता है कि इमाम कोई सूरत पढ़े और मुक़्तदी कोई और ये तो मना है, तो क्या एक जैसी सूरत भी दोहराना मना है, यानी इमाम फ़लक़ पढ़े और मुक़्तदी को याद हो तो अपनी याद-दाश्त पर उसे दोहरा सकता है या नहीं? (और अल्लाह बेहतर जानने वाला है)

जी, नहीं इमाम के पीछे क़िरअ़त करना हनफ़ी मज़हब में जाइज़ नहीं। फिर चाहे इमाम से जुदागाना सूरत पढ़ी जाये या एक जैसी, दोनों सूरतों में क़िरअत करने वाला पाया गया और बाज़ लोग इस वस्वसे में मुब्तिला हैं वो समझते हैं कि ये देखने के लिये कि हमें सूरत सही याद है या नहीं तो इस निय्यत से पढ़ सकते हैं, जब कि तिलावत मक़्सूद ना हो मगर ये क़ौल बातिल महज़ है।

मै कहता हूँ, (और अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से) कि हालते नमाज़ में हर शख्स पर नमाज़ के तमाम फ़राइज़ो वाजिबात की इत्तिबा लाज़िम है और हर मुक़ल्लिद पर अपने मुज्तहिद की पैरवी फ़र्ज़ और इस के खिलाफ कुछ नहीं। फिर जब इमाम के पीछे चुप रहना वाजिब हुआ तो सूरत का पढ़ना क़स्दन तर्के वाजिब पाया गया और तर्के वाजिब हराम के क़रीब होता है यानी ऐसा करने वाला सख्त गुनाहगार और इस फ़ेल से बाज़ रहना और तौबा करना भी लाज़िम।

तुम्हें ज़ुबान देने वाला रब फ़रमाता है (सूरह 7, आयत नम्बर 204) :
और जब क़ुरआन पढ़ा जाये तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो।

इस आयत की तफसीर में खज़ाइनुल इरफान में है :
इस आयत से साबित हुआ कि जिस वक़्त क़ुरआन पढ़ा जाये, चाहे नमाज़ में या नमाज़ के बाहर, उस वक़्त सुनना और खामोश रहना वाजिब है।

तफ़सीर दुर्रे मन्सूर, जिल्द 3, सफ़हा 496 पर है :
हज़रते इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया ये आयत फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में है (यानी जब फ़र्ज़ नमाज़ के दौरान क़ुरआन पढ़ा जाये तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो।)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी, जिल्द 4, सफ़हा 410 पर है :
अहले तफ़सीर ने इस पर इज्मा किया है कि इस में सुनने से मुराद नमाज़ में क़ुरआन का सुनना है।

तफ़सीरे तिब्यानुल क़ुरआन, जिल्द 4, सफ़हा 515 पर है :
हज़रत इब्ने मसऊद ने नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने लोगों को इमाम के साथ नमाज़ में क़ुरआन पढ़ते हुये सुना। जब वो नमाज़ से फारिग हुये तो उन्होंने कहा अभी तक तुम्हारी समझदारी

का वक़्त नहीं आया? जब क़ुरआन पढ़ा जाये तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो, जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। यह हदीस फ़ुक़्हा -ए- अहनाफ़ की दलील है कि नमाज़ में इमाम के पीछे क़िरअत नहीं करनी चाहिये।

तफ़सीरे सिरातुल जिनान, जिल्द 3, सफ़हा 512 पर है :
इस आयत से इमाम के पीछे क़ुरआन पढ़ने की मुमानिअ़त साबित होती है और कसीर अहादीस में भी ये हुक्म फ़रमाया गया कि इमाम के पीछे क़िरअत ना की जाये।

हदीस 1, सहीह मुस्लिम :

اذ صلّیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبر واواذاقرأفانصتو

यानी "जब तुम नमाज़ में अपनी सफ़ें सीधी करो फिर तुम में कोई इमामत करे और और वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब वो क़िरअत करे तुम चुप रहो।"

हदीस 2, तिर्मिज़ी :

من صلی رکعة لم یقرء فیها بام القرآن فلم یصل الا ان یکون وراء الامام

यानी "जब कोई रकअ़त बगैर सूरह फ़ातिहा पढ़ी, उस की नमाज़ ना हुई मगर जब इमाम के पीछे हो (तो हो गयी)

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 240 पर है :
हमारे उलमा -ए- मुज्तहिदीन बिल इत्तिफाक़ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं। और यही मज़हब जम्हूर सहाबा व ताबई का है, यहाँ तक कि साहिबे हिदाया ने दावा -ए- इज्मा -ए- सहाबा किया है।
अल्लाह त'आला इस मसअले पर क़ौमे सुन्नियत को क़ौमे वहाबिया से अमन बख्शे।

اٰمین هذاوالعلم عند واهب العلوم العالم بکل سر مکتوم

सवाल : 626
भाई मै जहाँ पर इस टाईम रह रहा हूँ वहाँ पर पास में कोई मस्जिद नहीं है और जो है वो देवबंदी है। मेरे रूम मेट भी सब देवबन्दी हैं। पास में एक मस्जिद है जो कि वो भी देवबंदी की है। मै नमाज़ को उस मस्जिद में जाता हूँ तो अपनी नमाज़ अलग पढ़ता हूँ पर मेरे रूम मेट मेरे पर कमेन्ट करते हैं। बतायें कि मुझे जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ कर अपनी खुद की नमाज़ पढ़नी चाहिये, क्या करना चाहिये?

जवाब : 626

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पूछी गयी सूरत में आप को अपनी नमाज़ पढ़ना ही फ़र्ज़ है किवहाबी के पीछे पढ़ी गयी नमाज़, नमाज़ नहीं होती। जैसा कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत
फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 593 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बातिल महज़ है।

फिर इसी फ़तावा रज़विय्या जिल्द 8, सफ़हा 452 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ बेशक़ नाजाइज़ महज़ बातिल है।

और आगे इसी फ़तावा रज़विय्या जिल्द 6, सफ़हा 633 पर लिखते हैं :
वहाबी के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं। चाहे अपना उस्ताद हो बल्कि उसको उस्ताद बनाना ही उस (सुन्नी) के हक़ में ज़हरे क़ातिल है।

और आप को अल्लाह के लिये फ़र्ज़ नमाज़ अदा करनी चाहिये और ये नहीं देखना चाहिये कि लोग क्या कहते हैं। मुनाफिक़ सदी अव्वल से ईमान वालों को ताना कसते आये हैं। बस काफ़िर और मुनाफ़िक़ीन के दिल पर पहाड़ ढाने के लिये अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना चाहिये। आप अपनी नमाज़ों की कसरत रखें और अपने नबी के इस फ़रमान को भी याद रखें, हदीसे पाक में है :

اکثروا ذکر اللہ حتی یقولو انہ مجنون
यानी खुदा का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें कहें कि ये मज्नू है।

(यानी ये परवाह ना करो कि मुनाफिक़ तुम्हें क्या कहता है) उम्मीद है कि ये कलाम आप के हक़ में नफ़ा बख्श हुआ होगा।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 627
अस्सलामु अ़लैकुम हज़रत! मै ये पूछना चाहता हूँ कि हर नमाज़ की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद जगह बदलाना ज़रूरी है? मैने सुना है कि जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ अदा की वो जगह और जहाँ सुन्नत अदा की वो जगह क़ियामत के दिन गवाह बन कर रहेगी। क्या हज़रत ये सच है? ज़रा तफ़सील से समझाइये। तालिबे जवाब।

जवाब : 627

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद जगह बदलना कुछ ज़रूरी तो नहीं मगर बदलने में हर्ज नहीं और इस का हुक्म इमाम और मुक़्तदी को इसीलिये है कि अगर इमाम नमाज़ पढ़कर उसी जगह अपनी सुन्नतें अदा करे और मुक़्तदी भी वहीं मौजूद रहें तो बाद में आने वाले नमाज़ी को ये धोका हो सकता है कि शायद जमाअ़त क़ाइम है इसीलिये कहा गया कि कुछ जगह तब्दील करनी चाहिये ताकि आने वाला समझ जाये कि जमाअ़त खत्म और लोग अपनी सुनन व नवाफ़िल अदा कर रहे हैं।

और ये जो सवाल में दूसरा पहलू है, ये बात भी क़ुरआन और हदीस में मौजूद है बल्कि मै कहता हूँ कि हर शख्स को सुन्नत पढ़ने और जगह तब्दील करने से पहले ये निय्यत भी कर लेनी चाहिये कि कल क़ियामत के दिन ये ज़मीन (जहाँ फ़र्ज़ पढ़े) और वो ज़मीन (जहाँ सुन्नत पढ़े) भी मेरे नेक अ़मल की गवाही बने। तो ज़रूर इस निय्यत पर भी सवाब पायेगा और ज़मीन भी गवाही देगी कि जिस ज़मीन पर कोई गुनाह या नेक काम किया जायेगा तो वो गवाह बनेगी।

तुम्हारे लिये जमीन को बिछौना बनाने वाला अल्लाह फ़रमाता है, क़ुरआन सूरह ज़िल्ज़ाला आयत नम्बर 4 में :
उस दिन वो (ज़मीन) अपनी खबर बतायेगी।

और इस की तफ़सीर में खज़ाइनुल इरफ़ान में है कि :
और जो नकी, बदी इस पर की गयी सब बयान करेगी।

और तिर्मिज़ी की हदीस में है कि, फ़रमाया हुज़ूर ने :
हर मर्द औरत ने जो कुछ इस (ज़मीन) पर किया, उस की गवाही देगी, फुलाँ दिन ये किया फुलाँ दिन ये।

बस ये साबित हुआ कि जिस ज़मीन पर कोई भी नेक या बद अ़मल किया जाये तो ज़मीन कल गवाही देगी फिर चाहे नमाज़ हो तस्बीह हो या कुछ और (और नमाज़ क्या ही अच्छा अ़मले सालेह है।)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 628
हलाल जानवर में दिल, कलेजी, ओझड़ी खाने का क्या हुक्म है?

जवाब : 628

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
दिल और कलेजी खाना जाइज़ है और ओझड़ी मकरूहे तहरीमी यानी गुनाह है।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 432 पर है :
हलाल जानवर की ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी हराम के क़रीब है।

आगे है कि ओझड़ी और आँतों को तबई यानी मुबाह कहने वाला जाहिल है।

इसी किताब के सफ़हा 433 पर है कि ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी है और मकरूहे तहरीमी का गुनाह हराम के मिस्ल है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 629
बोतल वग़ैरह में मुँह लगा कर पानी पीना कैसा? मेहरबानी कर के हदीस में से हवाला दें। किसी ने सवाल पूछा है और हदीस से हवाला माँगा है।

जवाब : 629

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अव्वल तो ये कि दौरे रसूल में ये बोतल तो ज़ाहिर है कि थी ही नहीं, तो हदीस में बोतल से मुँह लगाकर पानी पीने की मुमानिअ़त बिल अलफाज़ कैसे आ सकती है। खैर, हम इस सवाल के दलाइल में कुछ हदीसे रसूल पेश करेंगे किस से ये साबित होता कि बोतल से मुँह लगा कर पानी पीने की मुमानिअ़त हदीस में मौजूद है

हदीस **1** : इसे बुखारी व मुस्लिम ने इब्ने अ़ब्बास से रिवायत किया कि हुज़ूर ने मश्क के दहन (मुँह) से पानी पीने को मना फ़रमाया।
(बुखारी, जिल्द 3, सफ़हा 592)

हदीस **2 :** इसे भी बुखारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी ने अबू सईद खुदरी से रिवायत किया कि हुज़ूर ने मश्क के दहने को मोड़ के उस से पानी पीने को मना फ़रमाया।

हदीस **3:** इसे इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास से रिवायत किया : हुज़ूर के मना फ़रमाने के बाद एक शख्स रात में उठा और मश्क के दहने (मुँह) को पानी पीने के लिये मोड़ा, उस में से साँप निकला।
(सहीह इब्ने माजा, जिल्द 4, सफ़हा 78)

मै कहता हूँ (अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से) कि इन अहादीस को बोतल, टोटी, लोटे, पीपे नुमा जैसी चीज़ के लिये मुमानिअ़त पर डाल लेना बिल्कुल सही है और ये ना खिलाफ़े इल्मे अहादीस है, ना मज़हबे अहनाफ़ के खिलाफ़।

क्योंकि इन में मुमानिअ़त की जो वजह बयान की गयी, उस से साफ़ है कि ऐसी हर चीज़ से पीने से मना किया जायेगा और जो हदीस में मश्कीज़ा के लफ्ज़ आये वो इस क़ैद के साथ खास बिल्कुल नहीं है बल्कि उस दौर में क्योंकि मश्क़ीज़े थे तो इसीलिये बस इस से मना किया। ज़ाहिर यही होता है कि अब बोतल या इस जैसे चीज़ से मुँह लगा कर पीने की मुमानिअ़त खिलाफे हदीस ना होगा बल्कि ऐन हदीस के मुताबिक़ ही होगा और मक़सूदे रसूल भी ज़रे जिस्मानी से बचाना था तो क्या बस मश्क़ीज़े से ही साँप या कीड़े का खतरा है, लोटे के मुँह से क्यों नहीं? और ऐसी हज़ारों अहादीस हैं जिस में कई चीज़ों की क़ैद है मगर वो दौरे हाज़िर में भी दलाइल के तौर पर पेश की जाती हैं। उलमा फ़रमाते हैं कि मुफ्ती अगर दौरे हाज़िर से वाक़िफ़ ना हो तो जाहिल है।

इस की शरह मे मीरात शरह मिश्कात, जिल्द 6, सफ़हा 67 पर है :
मश्कीज़े से मुँह लगा कर पानी ना पीने की बहुत हिक्मतें हैं, मुम्किन है कि कोई जहरीला कीड़ा हो जो इस तरह पीने से मुँह के ज़रिये पेट में चला जाये।

लिहाज़ा इसे हर मुँह वाली चीज़ मस्लन लोटे और बोतल पर क़ियास किया जायेगा और यही हक़ है कि कभी भी अचानक ऐसी चीज़ से सीधे मुँह लगा कर पानी पीने से बचना चाहिये। मगर मै इस जवाब की और शरह कर दूँ कि वो बोतल जिस का रंग सफ़ेद होता है या उस्का मुँह ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये मुमानिअ़त उस बोतल पर लाना खिलाफ़े अ़क़्ल है क्योंकि जिस बोतल में पानी साफ़ देखा जा सकता है तो उस में कीड़ा भी दिखाई दे सकता है। इस लोटे से पीने की मुमानिअ़त भी उसी सूरत में होगी, जब लोटा पानी के लिये इस्तिमाल हो और जो हदीस में आया कि वुज़ू का पानी खड़े हो कर पियो वो लोटे से मुँह लगाकर ही पिया जायेगा और इस में हर्ज नहीं। मै कहता हूँ (अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से) कि जब कोई शख्स वुज़ू करेगा तो लोटे की टोटी के ज़रिये काफ़ी पानी बह

चुका होगा और अगर कोई कीड़ा हो भी तो बाहर आ चुका होगा इसीलिये ये फ़ेल बादे वुज़ू फ़रमाया गया, ना कि क़ब्ले वुज़ू (और ये हिक्मते हदीस किसी किताब में ना होगी)

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 387 पर है :
मश्क के दहने से मुँह लगा कर पानी पीना मकरूह है, क्या मालूम कोई नुक़्सान देने वाली चीज़ हलक़ में चली जाये। इसी तरह लोटे की टोटी से पानी पीना, जब कि लोटे को देख लिया गया हो कि उस में कोई चीज़ नहीं है (तो फिर मकरूह भी नहीं)।

सुब्हान अल्लाह, साहिबे बहारे शरीअ़त ने मेरे मौफ़ूक़ को साफ़ कर दिया कि देखने के बाद पीने में हर्ज नहीं तो वुज़ू के बाद भी पीने में हर्ज नहीं कि इस टोटी में अगर कीड़ा हुआ तो वो वुज़ू में निकल चुका होगा। (क्या ही अच्छी मिसाल)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 630
चने और गुड़ का फ़ातिहा रखते हैं वो किस के नाम पर रखते हैं? ज़रा जल्दी बतायें हज़रत, आज रखना है।

जवाब : 630

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अगर आप को याद हो कि किस बुज़ुर्ग को ये पसंद था तो उन के नाम की फ़ातिहा दिला दो और याद नहीं है और ज़्यादा ही जल्दी है तो मेरे नाम की दिला दो तो भी फ़ातिहा हो जायेगी।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 631
हज़रत नेट पेक डलवाना, फेसबुक, वॉट्सएप्प, ईमो वग़ैरह लड़कियों को चलाना कैसा है, क्या ये सब चलाना गुनाह है?

जवाब : 631

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जी, हाँ अगर इस का या किसी भी सोशल मीडिया का इस्तिमाल गलत काम या वक़्त के इसराफ़ के लिये होगा तो ज़रूर गुनाह है। फिर ये क़ैद लड़की के लिये ही नहीं, इस में सब

शामिल हैं और हर इसराफ़ भी गुनाह होता है और अगर इस का भी इस्तिमाल किसी नेक मक़ासिद के लिये है तो ज़रूर सवाब पायेगा, मस्लन इल्मे दीन सीखने के लिये।
हदीस में फरामाया :

نية المومن خير من عمله
मुसलमान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।

क़ुरआने पाक में तुम्हारा रब फ़रमाता है, सूरह 96, आयत 7-8 में :
जो एक ज़र्रा भालाई करे उसे देखेगा और जो एक ज़र्रा भर बुराई करेगा उसे देखेगा।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 632
क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ़ मतीन इस मसअला में कि सदल क्या होता है? और सदल जो नमाज़ में मकरूह है तो क्या ये हुक्म नमाज़े जनाज़ा में भी है? बिल हवाला इरशाद फ़रमायें।

जवाब : 632

بسم الله الرحمٰن الرحيم
फ़तवा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 386 पर है :
अस्ल ये है कि सदल यानी पहनने के कपड़े को बे-पहने लटकाना मकरूहे तहरीमी है और इस से नमाज़ वाजिबल इआदा।

दुर्रे मुख्तार जिल्द 1, सफ़हा 91 पर है :

كره سدل ثوبه وكره كفه اى رفعه ولو لتراب كمشمر كم اوذيل
यानी कपड़े का लटकाना इसी तरह कपड़े का उठाना भी मकरूह है। चाहे कीचड़ की वजह से हो जैसे कोई आदमी आस्तीन और दामन उठा ले।

रद्दुल मोहतार 1/473 पर है :

حرر الخير الرملى مايفيد ان الكراهة فيه تحريمية
यानी शैख खैरुद्दीन रूमी की इबारत इस बात की मुफ़ीद है कि इस में कराहते तहरीमी है।

ये तो साबित हुआ कि सदल मुत्लक़न मकरूहे तहरीमी है। अब इस तरफ़ भी एक नज़र कि ये नमाज़े जनाज़ा में भी मकरूह है या नहीं? मै कहता हूँ (अ़क़्ल देने वाले रब की ही

तौफ़ीक़ से) कि गौर करने का मुक़ाम है कि अस्ल में फ़ुक़हा ने सदल को मकरूहे तहरीमी इसलिये क़रार दिया कि ये पहनना कपड़े का खिलाफे मोतद है। सभी पर रौशन है, जब चार दीवारी में पढ़ी गयी नमाज़ मकरूहे तहरीमी हो जाती है तो उस का दोहराना भी वाजिब क़रार पाता है और ये भी रौशन कि नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में जाइज़ नहीं तो बीच सड़क पर इमाम का खिलाफे मोतद कपड़े का इस्तिमाल क्यों कर मकरूह ना होगा। मस्लन इमाम का लोगों के सामने इस तरह कुर्ता डाल लेना कि उस में आस्तीन ना पहने तो ये नमाज़ (जनाज़ा हो या रुकू'अ सुजूद वाली) वाजिबुल इआदा होती है बल्कि इमामे अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विय्या में फ़रमाया इस में नीचे क़मीज़ और अदमे क़मीज़ का कोई दखल नहीं। सदल, सदल ही होता है अगर्चे क़मीज़ पर हो और इमाम का ये क़ौल पहनने के कपड़े को बे-पहने लटकाना मकरूहे तहरीमी है। साफ़ बिला क़ैद के साथ है वरना जब किसी रुकूअ़ सुजूद वाली नमाज़ का अलग हुक्म होता है तो उसे वाज़ेह किया जाता है, मस्लन कहा गया कि नमाज़ में वुज़ू का टूट जाना नमाज़ को तोड़ देगा। अब इस में हर नमाज़ दाखिल हो गयी, चाहे फ़र्ज़ हो, नफ्ल हो या जनाज़ा और उलमा -ए-अहनाफ़ कपड़े और बालों को मोड़ने, गुरसने, लपेटने, लटकाने पर जो हदीस दलील देते हैं यानी

امرت ان اسجد علی سبعة اعضاء وان لا اکف شعرا ولا ثوبا رواه الستة عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما

यानी मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और इस बात का हुक्म है कि ना बाल समेटूँ ना कपड़ा उठाऊँ। इस रिवायत को सिहाह सित्ता ने हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास से रिवायत किया।

तो मुत्लक़न इसे दलील बनाते हैं, ना कि नमाज़े जनाज़ा को इस से खारिज करते हैं, फिर साहिबे दुर्रे मुख्तार ने दुर्रे मुख्तार में फ़रमाया है :

کل صلوٰة ادیت مع کراهة التحریم وجب اعادتها

यानी हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गयी हो उस का लौटाना वाजिब होता है।

इन का "हर वो नमाज़" लिखना ही इस बात पर दलील है कि इस में रुकूअ़ सुजूद व गैरे रुकूअ़ सब शामिल हैं। वरना इस फ़िक़्ह का क़ाइदा इस तरह होगा "हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गयी हो उस का लौटाना वाजिब होता है, मगर नमाज़े जनाज़ा में क्योंकि जमाअ़त वाजिब नहीं और इसी तक़रार (एक से ज़्यादा बार पढ़ना) नाजाइज़ है लिहाज़ा अगर ये सूरत इस नमाज़ में पेश आये तो एक के पढ़ने से भी नमाज़ हो गयी चाहे 10 लोगों ने सदल किया हो। सदल तो सदल अगर तमाम मुक़्तदी भी हालते नमाज़े जनाज़ा में बे-वुज़ू हो जायें तो भी इमाम की नमाज़ काफ़ी है। इसी तरह अगर

औरत की इमामत में नमाज़ जाइज़ नहीं मगर नमाज़े जनाज़ा की इमामत औरत ने की तो भी नमाज़े जनाज़ा हो गयी, दोहरानेकी हाजत नहीं।

फ़तावा आलमगीरी में है :
इस के लिये जमाअ़त शर्त नहीं, एक ने भी पढ़ ली तो फ़र्ज़ अदा हो जायेगा।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 826 पर है :
इमाम ताहिर ना था तो नमाज़ फिर पढ़े, अगर्चे मुक़्तदी ताहिर हों, क्योंकि जब इमाम की नमाज़ ना हुई तो किसी की ना हुई और अगर इमाम ताहिर था और मुक़्तदी बिला तहारत तो नमाज़ दोहरायी ना जाये। अगर औरत ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और मर्दों ने उस की इक़्तिदा की तो नमाज़ लौटाई ना जाये, अगर्चे मर्दों की इक़्तिदा औरत के पीछे सही नहीं मगर औरत की नमाज़ तो हुयी यही काफ़ी है और जनाज़े की नमाज़ की तक़रार जाइज़ नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 633
क्या फ़रमाते हैं उलमा कि ओझड़ी खाना कैसा है?

जवाब : 633

بسم الله الرحمٰن الرحیم
फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 432 पर है :
हलाल जानवर की ओझड़ी खाना मकरूहे तहरीमी क़रीब हराम के है।

आगे है : ओझड़ी और आँतों को तबई यानी मुबाह कहने वाला जाहिल है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 634
बिदअ़ती का माना क्या है?

जवाब : 634

بسم الله الرحمٰن الرحیم
ऐसा शख्स जो दीन में कोई ऐसी नई (New) बात निकाले, जो क़ुरआन और हदीस के खिलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो, ऐसे शख्स को बिदअ़ती कहा जायेगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 635
हज़रत क्या कोई चेहरा साफ करने की दुआ है, जिस से चेहरे पर नूर आये?

जवाब : 635

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सूरह नूर की आयत नम्बर 35 का इब्तिदायी हिस्सा यानी اللہ نور السموات والارض तहज्जुद की नमाज़ के बाद 500 बार पढ़ लिया करो, काफ़ी होगा।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 636
हज़रत ईद मीलादुन्नबी के मौक़े से मुझे हुज़ूर स.अ.व. के बारे में तक़रीर देनी है जहाँ पर सभी क़ौम के लोग होंगे। एक ऐसी तक़रीर बतायें जिस से हम अपने दीन और अपने नबी के बारे में आज के हालात से जोड़कर ज़्यादा तफ़सील से बयान कर सकें। उन्हें बता सकूँ।

जवाब : 636

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
जवाब देने से पहले मै ये ज़रूरी समझता हूँ कि साइल को उस की एक बड़ी खता से आगाह किया जाये और वो ये कि सवाल में दुरूद को शॉर्ट में लिखा गया है इस तरह लिखना नाजाइज़ है, बाज़ लोग सिर्फ़ (ص) लिखकर देते हैं, ये भी ना चाहिये।
इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 386 पर लिखते हैं : हुरूफ़ (ص) लिखना जाइज़ नहीं, बल्कि صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم लिखा जाये तो रोमन इंग्लिश में आप (अ़लैहिस्सलाम) लिखा करें। (अल्लाह अ़मल की तौफ़ीक़ दे)
ये फिक़्ही सवालात जवाब का ग्रुप है, आप इसका जवाब इंटरनेट (Youtube) पर तलाश लें, बहुत से सुन्नी उलमा की तक़रीर मौजूद हैं, वरना किसी भी सीरत की किताब से सीरते मुस्तफ़ा बयान कर दें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 637
हज़रत क्या अपने बुज़ुर्गो को बैठ कर पाऊँ छूकर सलाम कर सकते हैं?

जवाब : 637

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

बुज़ुर्गों के पाऊँ छूना काफ़िर की मुशाबिहत की बिना पर नाजाइज़ है और सलाम करने के लिये रुकूअ़ तक झुक जाना भी हराम और इस से ज़्यादा भी हराम और सलाम की निय्यत से झुकना भी हराम।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 5, सफ़हा 378 पर है :

الانحناء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود

यानी सलाम में रुकूअ़ के क़रीब तक झुकना भी मिस्ले सजदा है।

इहयाउल उलूम, जिल्द 2, सफ़हा 124 पर है :

وھو عن فعل (الانحناء عند السلام منھی عنہ) الاعاجم

यानी सलाम के वक़्त झुकना मना फ़रमाया गया और ये मजूसी (आग पूजने वाले का काम है)

बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 464 पर है :

कुछ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं, ये झुकना अगर रुकूअ़ की हद तक हो तो हराम और इस से कम हो तो मकरूह।

फ़तावा फैज़ुर्रसूल जिल्द 2, सफ़हा 491 और 502 पर है :

मालूम हुआ कि सलाम की निय्यत से भी सजदा करना जाइज़ नहीं।

सजदा तो सजदा रुकूअ़ तक झुकना भी जाइज़ नहीं।

और माँ के क़दमों को बोसा देना जाइज़ है। और ये फेल मुशाबिहत पैदा नहीं करता कि काफ़िर चूमता नहीं, छूता है और चूमना बुज़ुर्गों के क़दमों को भी सुन्नते सहाबा से साबित है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 638

हज़रत क्या बालों में बरगन्डी कलर लगाना जाइज़ है? इसे लगा कर नमाज़ होगी।

जवाब : 638

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
काला के अलावा दूसरा लगा सकते हैं और किसी भी कम्पनी का लगा सकता है जबकि कोई और मानेअ़ शरअ़ ना हो (मस्लन उस में कोई हराम चीज़ की अमेज़िश होने का यक़ीन हो) और इसे लगा कर नमाज़ हो जायेगी।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 639
हज़रत जो काफ़िर सलाम करते हैं, क्या हम उस का जवाब दे सकते हैं?

जवाब : 639

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़हा 461 पर है :
कुफ्फ़ार को सलाम ना करें अगर वो करे तो जवाब दे सकता है मगर जवाब में सिर्फ وعلیکم कह दें।

आला हज़रत फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 22, सफ़हा 378 पर लिखते हैं :
काफ़िर को सलाम हराम है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 640
क्या नमाज़ में क़िरअत के अल्फाज़ सही मखरज़ से अदा ना हुये तो क्या नमाज़ ना हुई? वज़ाहत फ़रमायें।

जवाब : 640

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
क़िरअ़त गलत होने की कई सूरतें हैं, कुछ में नमाज़ टूट जायेगी, जबकि माइने फ़ासिद हों और बाज़ सूरतों में नमाज़ हो जाती है। जैसे खता फ़िल एराब (एराब की गलती) इस से नमाज़ हो जाती है इसी पर फ़तवा है वरना किस सूरत में क्या गलती हुई वो बयान की जाये।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 248 पर है :

एराब में गलती (यानी हरकात, सुकून, तश्दीद, तख्फ़ीफ़, क़सरा मद) की गलती में उलमा - ए- मुतखिरीन का फ़तवा तो ये है कि अलल-इतलाक़ इस से नमाज़ नहीं जाती।

فی الدر المختار وزلته القاری فی اعراب لا تفسد وان غیر المعنی به یفتی

यानी दुर्रे मुख्तार में है, क़िरअ़त करने वाले की गलती अगर एराब में हो तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी, अगर्चे उस के माइने बदल जायें इसी पर फ़तवा है।

फ़तावा आलमगीरी में है :
वक्फ़ या वस्ल की गलती कोई चीज़ नहीं, यहाँ तक कि अगर वक्फ़े लाज़िम पर ना ठहरा, बुरा किया मगर नमाज़ हो गयी।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 554 पर है :
एराबी गलतियाँ अगर ऐसी हैं जिस से माने ना बिगड़ते हों तो मुफ्सिद नहीं।

واللہ تعالی اعلم بالصواب

सवाल : 641
हज़रत हमने सुना है कि जुम्आ के दिन 100 बार दुरूद शरीफ़ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर ये सही है तो किसी शख्स ने पढ़ा और दूसरे के लिये इसके सवाब की दुआ की तो उसको सवाब मिलेगा या नहीं? ज़रा समझायें।

जवाब : 641

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अपने किसी भी ज़िक्र दुआ अ़मले खैर का सवाब किसी भी दूसरे को पहुँचाया जा सकता है, और ये पहुँचता भी है।

واللہ تعالی اعلم بالصواب

सवाल : 642
हज़रत क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत करते टाईम बहुत लोग हिल-हिल कर तिलावत करते हैं, क्या सही है?

जवाब : 642

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जाइज़ है, शरअ़न इस पर कोई कलाम नहीं और उसूले तिब्ब के खिलाफ़ है। लिहाज़ा देखते देखते हिल हिल कर क़ुरआन नहीं पढ़ना चाहिये इस से आँखों पर फ़र्क़ पड़ता है। जब कोई शख्स किसी तहरीर को हिलते हुये देखता है तो इस से आँखों पर भी ज़ोर पड़ता है। लिहाज़ा हिल कर देखते हुये ना पढ़े और इस तरह पढ़ सकते हैं कि पहले कोई लाइन याद कर ली, अब बिना देखे हिल कर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो नज़र पर भी कुछ फ़र्क़ नहीं। क्योंकि ये दिमाग से पढ़ना हुआ नज़र पर ज़ोर ना हुआ। इसी तरह कोई किताब चलते हुये, सफ़र में, लेटे हुये भी पढ़ने से बचना चाहिये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 643

हज़रत कुत्ते के बारे में हदीस में क्या आया है? बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कुत्ता घर में आ जाये तो 40 दिन फ़िरिश्ते नहीं आते।

जवाब : 643

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

कुत्ता पालना जाइज़ नहीं और ये हदीस सही है कि जिस घर में कुत्ता और जानदार की तस्वीर होती है उस में रहमत के फ़िरिश्ते नहीं आते और ये 40 दिन की क़ैद के साथ नहीं वरना लोग सोचेंगे कि 40 दिन बाद तो फ़िरिश्ते आयेंगे ही बल्कि जब तक ये चीज़ मौजूद हो, जब तक नहीं आते चाहे 40 साल तक रखे। कुत्ता पालना उस सूरत में जाइज़ है जबकि शरीअ़त ने इजाज़त दी हो (यानी रखवाली के लिये और कोई हिफाज़त की दूसरी सूरत नहीं और वो भी बाहर की जानिब)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 644

हज़रत मेरे भाई को प्रॉब्लम है वो रात में लेटते हैं तो कभी कभी उन की साँस फूलने लगती है। ऐसा लगता है सोते टाईम साँसें रुक जायेंगी फिर वो उठ कर रूम से बाहर आ जाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। 6-7 महीने हुये हैं उन्हें लाईट लग गयी थी। काफ़ी हालत खराब थी। तभी से ऐसा हो गया है हज़रत कुछ बता दीजिये जिस से भाई ठीक हो जाये।

जवाब : 644

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

शहर के किसी बड़े डॉक्टर से चेक करवायें और रिपोर्ट नॉरमल होने की हालत में अपने इलाक़े में होने वाले दावते इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में मरीज़ शिरकत करे और बाद इज्तिमा तावीज़ ले।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 645
सलाम, जनाब नमाज़ में पेंट फ़ोल्ड करना और आस्तीन चढ़ाना कैसा है?

जवाब : 645

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पेंट के पाईंचे मोड़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी और उस का फिर दोहराना वाजिब है, मगर आस्तीन (आधी कलाई से कम) मोड़ने पर नमाज़ हो जायेगी इसे दोहराने की हाजत नहीं और जिन्होंने आस्तीन को पाईंचे पर क़यास कर के ये फ़तवा दिया कि आस्तीन का मुत्लक़न मोड़ना मकरूहे तहरीमी है क्योंकि ये भी कफ़े-सोव है, वो गलती पर हैं और हर तरह कपड़ा मोड़ने से नमाज़ मकरूहे तहरीमी नहीं होती बल्कि जब कपड़ा खिलाफे उर्फ़ मोड़ा जाये तभी ये हुक्म होगा और आस्तीन का आधी कलाई तक (यानी कफ़ मोड़ लेने) से नमाज़ हो जायेगी और इस से ज़्यादा (आधी आस्तीन से ज़्यादा) चढ़ाई तो मकरूहे तहरीमी और यही हक़ है।

इस मसअले पर एक मुफ्ती साहिब को मुबालिगा हुआ, मेरे पास उन का एक सवाल-जवाब आया और वो जवाब हिन्दुस्तान के बहुत बड़े मशहूर मुफ्ती का था। सवाल था कि स्वेटर (जर्सी) को सर्दी में पहनते हैं वो नीचे से मोड़ लेते हैं, क्या नमाज़ होगी।
जवाब फ़रमाया : नहीं होगी।

मै कहता हूँ (तौफ़ीक़े खुदा से) स्वेटर जो हिन्द में पहने जाते हैं, जिसे नीचे से मोड़ लिया जाता है और उस का मोड़ना ही उर्फ़ पर मब्नी है। उस में नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है। वरना हज़ारों इमाम भी सर्दी में स्वेटर पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं बल्कि जुमआ भी और ईद भी तो क्या उन्हें नमाज़ का इआदा वाजिब हुआ? हरगिज़ नहीं क्योंकि इस स्वेटर का मोड़ना खिलाफे आदत नहीं बल्कि ऐन उर्फ़ पर मब्नी है।
मगर कुछ को मुबालिगा हुआ कि हर तरह का कपड़ा मोड़ना, मोड़ने के हुक्म में है मगर ये गलत है। अगर मान लिया जाये कि हर मोड़ना, मोड़ना है तो वो क़मीज़ जिन के कॉलर मुड़े होते हैं, वो भी इस हुक्म में दाखिल हो जायेंगे और इस से क़ौमे मुस्लिन को फ़ितने में डालने से कम ना होगा। मगर मसअले में हक़ यही है कि आस्तीन अगर आधी कलाई से

कम हो मस्लन एक बल मुड़ा हुआ हो तो ज़रूर नमाज़ हो जाती है, इस से कुछ फ़र्क़ नहीं आता और इस से ज़्यादा में नहीं और पाईंचे का एक बल भी खिलाफे मुआश है, लिहाज़ा इसे मोड़ने से नमाज़ वाजिबुल इआदा ना होगी।
मगर मै ये नहीं कहता कि, उन मुफ्ती साहिब ने जानकर गलत फ़तवा दिया, बल्कि उन से सहवन खता हुयी होगी और जिस आलिमे दीन ने अपनी राय पर क़ुरआन और हदीस से सही फ़तवा दिया मगर इत्तिफाक़ से वो गलत निकला तो उस आलिम पर गुनाह नहीं।

जैसा कि, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 23, सफ़हा 712 पर है :
हाँ, अगर आलिम से इत्तिफाक़न भूल वाक़ेअ़ हुई हो और उस ने अपनी तरफ़ से बे-एहतियाती ना की हो और गलत जवाब सादिर हुआ हो मुआखिज़ा नहीं। मगर फ़र्ज़ है कि मुताला होते ही फौरन अपनी खता ज़ाहिर कर दे।

अब इस बयान में कि आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा में मकरूहे तहरीमी होती है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 7, सफ़हा 297 पर है :
हाथों की कोहनी खोल कर आस्तीन ऊपर चढ़ा कर नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी अगर फिर ना पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा।

इमाम के इस फ़तवे से साफ़ है कि ये हुक्म जब है जब कोहनी खुली हो और ये जब ही मुम्किन होगा जब आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ जाये।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 624 पर है :
कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हो (तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी है, वरना मकरूहे तंज़ीही)।

खुलासा ए कलाम इस तरह है :
आस्तीन का एक बल मोड़ने से नमाज़ हो जायेगी।
पाईंचे का एक बल मोड़ने से भी नमाज़ नहीं होगी।
स्वेटर को नीचे से मोड़ने से नमाज़ हो जायेगी।
हर वो कपड़ा जो जिस तरह मुड़ा हुआ होता है, जैसे कॉलर तो इस से नमाज़ हो जाती है।
(और अल्लाह बेहतर जानने वाला है, क्या हक़ है।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 646
ये और वज़ाहत फरमायें कि एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज़ में गलती करने से माना बिगड़ता है तो क्या इस से नमाज़ जायेगी और इन अल्फाज़ को दुरुस्त करने के लिये कुछ ताक़ीद करें। जज़ाक अल्लाह।

जवाब : 646
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
आमीन
अगर ऐसी खता की कि जिस से माने बदल जायें तो ज़रूर नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और बाज़ सूरतों में जबकि माना जानता है और फिर भी बदल दिया तो काफ़िर भी होगा।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 554 पर है :
अगर ऐसी गलती हुई जिस से माने बिगड़ जायें तो नमाज़ फ़ासिद होगी।

और लफ्ज़ों को बदल देने का ये मतलब होता है कि अगर कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ से बदल दिया और माइने फासिद ना हों तो नमाज़ हो जायेगी वरना नहीं और क़रीबुस्सॉत अल्फाज़ (एक जैसी अल्फाज़ वाले) हुरूफों का भी सही तौर पर इम्तियाज़ रखे वरना माइना फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ जाती रहेगी।
जैसे ت-ط، س-ش-ص، ه-ح वग़ैरह हुरूफ़ में इम्तियाज़ चाहिये।

दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, सफ़हा 431 पर है :
من لا یقدر علی التلفظ بحرف من الحروف کالرھمٰن الرھیم والشیتان الرجیم والالٰمین وایاک نابد و ایاک نستئین السرات،انأمت فکل ذلک حکمہ مامر من بذل الجھد دائما والا فلاتصح الصلوٰۃ بہ
यानी जो शख्स हुरूफे तहज्जी में से किसी हुरूफ़ के सही तलफ्फुज़ पर क़ादिर ना हो मस्लन الرحمان الرحیم की जगह الرھمان الرھیم और الشیطان की जगह الشیتان और العالمین की जगह الآلمین और ایاک نعبد की जगह ایاک نابد और نستعین की जगह نستئین और الصراط की जगह السرات और انومت की जगह انأمت पढ़ता है तो इन तमाम सूरतों में अगर कोई हमेशा दुरुस्त अदाइगी की कोशिश के बावजूद ऐसा करता है तो नमाज़ दुरुस्त होगी, वरना नमाज़ दुरुस्त ना होगी।

और सीखने पर जान लगा कर कोशिश ना की इस की खुद की नमाज़ नहीं होगी।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 262 पर है :

अहम चीज़ों में से तज्वीदे क़ुरआन भी है। क़ुर्रा क़िरअत का सिलसिला भी हुज़ूर तक पहुँचता है और उलमा ने तज्वीद के बगैर क़ुरआन पढ़ने को गलत पढ़ना क़रार दिया।

फ़तावा रज़विय्या में है :

ان اللحن حرام بلا خلاف

गलत पढ़ना बिल इज्मा हराम है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 647

क़ब्रों पर फूल चढ़ाना कैसा? क्या सहाबा ने ऐसा किया है? बराये करम दलील के साथ दें किसी को देना है।

जवाब : 647

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ब्रों पर फ़ूल डालना जाइज़ है और वो काम जो सहाबा या रसूल ने नहीं किया हराम नहीं हो जाता। किसी भी काम के जाइज़ होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि वो शरीअ़त में मना ना हो, फिर चाहे उसे सहाबा ने किया हो या नहीं और देवबन्दियों की ये चाल की क़ब्र पर क्या फ़ूल सहाबा ने डाले हैं, बातिल है। खुद फिक़्हे हनफ़ी की वो किताब जो ये भी पढ़ते हैं उन से फ़ूल डालने के जवाज़ के फ़तवे मौजूद हैं। वरना सहाबा ने तो शादी कार्ड भी नहीं छपवाये मगर आज जब देवबन्दी शादी करता है तो वो क्यों छपवाता है और ऐसे हज़ारों काम जो इस दौर में ऐसे हैं जो सहाबा ने नहीं किये मगर वहाबी करता है जैसे हिन्दी बोलते हैं, किसी सहाबा ने हिन्दी नहीं बोली होगी और जो ये क़ुरआन वहाबी पढ़ता है ये भी सहाबा ने नहीं पढ़ा, ये किताबी प्रिंटिंग शक्ल भी उस वक़्त नहीं थी। मुसलमान के लिये इतना काफ़ी है कि जो सुन्नी उलमा ने बयान किया उसे हक़ जाने और उसी पर अ़मल करें। शरीअ़त में आलिम से बढ़ कर अपनी अक़्ल ना लगायें। अल्लाह फरमाता है : तो ऐ लोगों! इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं।
किसी भी आयत में ये नहीं फ़रमाया कि ऐ लोगों खुद अक़्ल लगा लिया करो और ना ये फ़रमाया कि बस वही जाइज़ है जो सहाबा ने किया बाक़ी सब हराम। अल्लाह इब्लीस और उस की औलाद (देवबन्दी, वहाबी, शिया) से सुन्नी बरेलवियों को अमान में रखे।

फ़तावा आलमगीरी जिल्द 5, सफ़हा 351 पर है :

وضع الورد والریاحین علی القبور حسن

क़ब्रों पर गुलाब और फूलों का रखना अच्छा है।

रद्दुल मुहतार में है :

انه مادام رطبا یسبح فیؤنس المیت وتنزیل بذکرہ الرحمۃ

फ़ूल जब तक तर रहे तस्बीह करता रहता है, जिस से मैय्यत को उंस हासिल होता है और उस के ज़िक्र से रहमत नाज़िल होती है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 9, सफ़हा 106 पर है :

फूलों की चादर बाला -ए- कफ़न डालने में अस्लन शरअ़न कोई हर्ज नहीं बल्कि निय्यते हसन से हसन है। जैसे क़ब्रों पर फ़ूल डालना कि वो जब तक तर है तस्बीह करते रहते हैं, उन से मैय्यत का दिल बहलता है और रहमत उतरती है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 648

हज़रत क्या रास्ते पर पैसे या कोई क़ीमती चीज़ मिले तो उसका क्या हुक्म है?

जवाब : 648

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जो सामान या पैसा किसी को पड़ा मिले उसे लुक़्ता कहते हैं और इस का अब हुक्म ये होता है कि जिस को कोई सामान या पैसा मिले उसे उठा ले और वहाँ आस-पास दुकान वालों को ऐलान कर दे कि मुझे कुछ सामान या रक़म मिली है अगर कोई तलाश करता आये तो मेरे पास भेज देना फिर ये उसे रखे रहे और मालिक आये तो दे दे। और अगर काफ़ी दिन तक कोई ना आये और ये उम्मीद हो कि इस का मालिक अब इसे नहीं ढूँढेगा और ये फक़ीर है तो अपने इस्तिमाल में लाये अगर फक़ीर नहीं तो किसी फक़ीर को सदक़ा कर दे।

फ़तावा अमजदिया, जिल्द 2, सफ़हा 314 पर है :

लुक़्ता का हुक्म अमानत में है, इस पर लाज़िम है कि कह दे जो कोई गमी चीज़ ढूँढता हो उसे मेरे पास भेज देना और इस की तारीफ़ करे यानी जहाँ वो चीज़ पायी वहाँ और बाज़ारों में मजमे में ऐलान करे, अगर मालिक मिल जाये तो उसे दे दे वरना इतना ज़माना गुज़रने पर कि अब ज़न्ने गालिब हो जाये कि अब इस का मालिक तलाश ना करेगा या वो चीज़ खाने या फ़ल की क़िस्म है जो गुमान होने पर कि अब अगर रखी रहेगी तो खराब हो जायेगी और ये शख्स खुद अपने सर्फ़ में ला सकता है अगर फक़ीर है और गनी हो तो सदक़ा करे, किसी फक़ीर को दे और गनी माले लुक़्ता को मस्जिद में नहीं सर्फ़ कर सकते।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 649
हज़रत जो लड़कियाँ औरतें सर खोलकर गले में दुपट्टा डालती हैं। चाहे घर में हो या बाहर उन के लिये हदीस में क्या आया है?

जवाब : 649

بسم الله الرحمٰن الرحیم
जो गैर मर्द के सामने बाल या काम वग़ैरह खोल के रखे और सर ना ढके तो हदीस में ऐसी औरत के लिये जहन्नम में जाने की खुशखबरी दी गयी है और घर में शौहर या बच्चे हैं तो हर्ज नहीं। मगर नमाज़ का सा दुपट्टा बांधे रहे तो ठीक, क्या अजब घर में कब मेहमान आ जायें। और जो पर्दा ना करे और उस के वली उसकी बे-पर्दगी पर राज़ी हों तो हदीस में उसे दय्यूस (भड़वा) कहा गया है और वो भी जन्नत की खुश्बू ना सूँघेगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 650
हज़रत क्या बुजुर्गों के सामने बैठ कर उनका पैर छुयें, फिर उनके हाथों को चूम कर मुँह से सलाम करना जाइज़ है?

जवाब : 650

بسم الله الرحمٰن الرحیم
पहला फ़ेल नाजाइज़ और बाक़ी दोनों जाइज़ और सुन्नत से साबित हैं। (पाऊँ छूना नाजाइज़, दस्तबोसी और सलाम जाइज़)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 651
हज़रत नमाज़ में जो बाहरी ख्याल आ जाते हैं वो ना आयें, इसके सबब कुछ इनायत फरमायें।

जवाब : 651

بسم الله الرحمٰن الرحیم

इस तरह नमाज़ पढ़ो कि तुम खुदा के सामने हो और खुदा तुम्हें देख रहा है। वरना इस तरह पढ़ो कि खुदा तुम को देख रहा है। वरना इस तरह पढ़ो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज़ है, सलाम फेरने के बाद मौत है और इसे जितनी अच्छी कर के पढ़ सकते हो पढ़ लो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 652

हज़रत क्या हम किसी जानदार की इमेज किसी बन्द जगह जैसे, आलमारी, बक्सा अटैची वग़ैरह में भी नहीं रख सकते?

जवाब : 652

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जानदार की तस्वीर अगर छिपी है तो हर्ज नहीं और ऐसे घर में नमाज़ भी दुरुस्त, मगर इस का फाइदा क्या?

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 653

"मज़्कूरा बाला कलिमा" हज़रत ये क्या है और ये कहाँ पढ़ा जाता है? और पूरा कलिमा बता दीजिये।

जवाब : 653

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये कोई कलिमा नहीं, बल्कि जहाँ ये लाईन लिखी थी, वहीं वो कलिमा भी लिखा होगा जिस के बारे में ये जुम्ला है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 654

पारस पत्थर क्या हक़ीक़त में होता है, क़ुरआन हदीस में इस का कहीं ज़िक्र है या दूसरी जगह?

जवाब : 654

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ये ग्रुप अहले सुन्नत के अक़ाइद और अ़मल की इस्लाह के लिये बनाया गया है गैर ज़रूरी सवालात के जवाबात नहीं दिये जाते। सिर्फ फिक़्ही सवाल करें, जिस का ताल्लुक़ आपकी इबादत से हो (मस्लन- नमाज़, तहारत वग़ैरह)

एक हदीस का खुलासा है कि हम उस इल्म से पनाह माँगते हैं, जो नफ़ा बख्श ना हो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 655

क्या क़ज़ा नमाज़ एक वक़्त में दूसरे वक़्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसे अ़स्र में मगरिब या फिर दूसरी नमाज़?

जवाब : 655

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पढ़ सकते हैं मगर मकरूह वक़्त में नहीं पढ़ सकते और वो मकरूह वक़्त ये हैं :

(1) ज़वाल का वक़्त

(2) तुलू -ए- आफताब के वक़्त

(3) मगरिब से 20 मिनिट पहले तक

अ़स्र बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं और जब मगरिब में 20-25 मिनिट रह जायें तो ना पढें।

क़ज़ा नमाज़ चुप चाप अदा करनी चाहिये, ना किसी को बतायें, ना किसी के सामने अदा करें, ना इसका ज़िक्र करें और नमाज़ पढ़ता रहे कॉपी में नोट करता रहे कि कितनी दिन की फ़ज्र पढ़ ली और क़ज़ा नमाज़ जल्द अदा करने का एक बेहतरीन तरीक़ा इमामे अहले सुन्नत ने फ़रमाया है (जिसका खुलासा इस तरह है कि) सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा है कि पहले एक ही वक़्त की नमाज़ अदा करे यानी पहले सभी फ़ज्र पढ़ ले फिर इसी तरह पूरी होने पर अगली पढ़े जब कि क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो पहले फ़ज्र ही पढ़े जब तक पूरी ना हो जाये।

निय्यत : इसके 2 तरीक़े हैं।

(1) निय्यत की मैने 2 रकाअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझ से सबसे पहले क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहु अकबर।

(2) निय्यत की मैने 2 रकाअ़त नमाज़ फ़ज्र क़ज़ा जो मुझ से सबसे आखिरी क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहु अकबर।

(जिस वक़्त की पढ़े वही नाम ले, ज़ुहर, अ़स्र वग़ैरह) निय्यत बांधते ही पहले सूरह फ़ातिहा शुरूअ़ कर दे फिर सूरत मिलाये (यानी सना वग़ैरह ना पढ़े)
फिर रुकूअ़ में जा कर 1 बार तस्बीह पढ़े, इसी तरह 2 रकाअ़त पढ़े और जब सलाम फेरने बैठे तो अत्तहिय्यात पूरी पढ़ कर اللهم صلى على محمد واله और सलाम फेर दे यानी बाद वाली दुआ भी ना पढ़े, इसी तरह फ़र्ज़ अदा करता जाये, (4 रकाअ़त वाली में आखिरी की दो रकाअ़त में सूरह फ़ातिहा ना पढ़े बल्कि 2 बार سبحان الله कहे और वित्र में, तीसरी में फ़ातिहा और सूरत ज़रूर पढ़े और तकबीर कह कर क़ुनूत ना पढ़े बल्कि 1 या 3 बार رب اغفر لی कह ले।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 656
जनाब गिरगिट मारना कैसा है और क्या हुक्म आया है हदीस में? तफ़सीर से समझयें।

जवाब : 656

بسم الله الرحمٰن الرحيم
हर तक्लीफ़ देने वाला जानवर मारना जाइज़ है और बाज़ को मारने का हदीस में हुक्म है जैसे कि गिरगिट को मारने के बारे में, अबू दाऊद में है :

اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الكعبة
गिरगिट को क़त्ल करो चाहे काबे में हो।

और मुस्नद अहमद की हदीस में है :

من قتل حيته فله سبع حسنات ومن قتل وزغته فله حسنة
जिस ने साँप को मारा उस ने 7 नेकियाँ पाई और जिस ने गिरगिट को हलाक़ किया उस के लिये एक नेकी है।

सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा से रिवायत है कि जो छिपकली या गिरगिट को पहले ज़र्ब (Hit) में मारे उस के लिये 100 नेकियाँ हैं और जो दूसरी ज़र्ब (Hit) में मारे तो उस के लिये उस से कम और जो तीसरी ज़र्ब में मारे उस के लिये उस से भी कम।
इन अहादीसे मुबारिका से ये पता चला कि साँप, गिरगिट, छिपकली जैसे मूज़ी जानवर को कसरत के साथ मारने का हुक्म दिया गया है और मारने पर सवाब भी है लिहाज़ा इन्हें जहाँ देखो क़त्ल कर दो।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 657
हज़रत पाऊँ को बोसा देना जाइज़ है या नाजाइज़ और अगर जाइज़ है तो किन-किन के पाऊँ को बोसा दे सकते हैं?

जवाब : 657

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अ़मल का दारोमदार निय्यतों पर है।
जिस की आप इज़्ज़त करते हैं और वो शख्स क़ाबिले एहतिराम हो (यानी फासिक़ ना हो, शरीअ़त का ज़बरदस्त पाबंद हो) और वालिदैन के और उस्ताद के और पीर के और आलिम के और अहले बैत के और बुज़ुर्गों के हाथ पाऊँ को बोसा दिया जा सकता है। भाई-भाई के भी और बीवी शौहर के भी हाथ पाऊँ ताज़ीमन चूम सकती है। (ये वो मन्क़ूलात हैं जो मेरी नज़र से गुज़रे) और पाऊँ का बोसा भी सुन्नत से साबित है, सहाबा का काम है। इसे फ़तावा फैज़ुर्रसूल में शैख अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिसे दहेलवी के हवाले से नक़्ल किया गया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 658
रमज़ान में ज़कात पूरी अदा कर दी गयी है अगर कोई शख्स फिर ज़कात देना चाहे रमज़ान के बाद तो दे सकता है फिर रमज़ान आने से उस में जितना पैसा गैरे रमज़ान में दिया है वो निकाल ले, क्या हुक्म है?

जवाब : 658

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अगर ज़कात फ़र्ज़ अदा कर दी गयी तो उस के बाद जो रक़म निकाली गयी वो नफ्ल होगी और अगले साल जो ज़कात वाजिब होगी वो बचे माल पर होगी, जिस का वो मालिक है और इस में से नफ्ल सदक़ा नहीं हटा सकता। जैसा कि उलमा ने फ़रमाया : साल भर सदक़ा किया और ज़कात की निय्यत ना की तो इस तरह चाहे लाखों रुपये दे चुका हो ज़कात में शामिल नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 659
हज़रत हदीस में नज्द किस जगह को कहा गया है? ज़रा तफ़सील में बतायें।

जवाब : 659

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

नज्द के मुतल्लिक़ अहादीस में कुछ इस तरह के अल्फाज़ की तकरार है।
वो ज़लज़लों और फितनों की जगह है, वहाँ से शैतान की सींग निकलेगी।
फितने की जगह ये है, वहाँ से शैतान की सींग निकलेगी।
फितना यहाँ से उठेगा, यहाँ से शैतान की सींग निकलेगी।
यहाँ कुफ्र का मरकज़ है यहाँ से शैतान की सींग निकलेगी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 660

क्या फ़रमाते हैं उलमा -ए- दीन व मुफ्तियाने शरअ़ मतीन मसअला ज़ेल में कि क्या क़ुरआन की आयत को या उस के तर्जुमा को बेवुज़ू लिख सकते हैं? बा दलाइल इरशाद फ़रमायें। अल्लाह आप के इल्म में बरकत दे।

जवाब : 660

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

क़ुरआने पाक को या किसी भी आयत को बिना वुज़ू छूना हराम है और इसके छूने के लिये वुज़ू करना फ़र्ज़ जैसा कि बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 301 पर है :
अगर वुज़ू ना हो तो नमाज़ और सजदा -ए- तिलावत और नमाज़े जनाज़ा और क़ुरआन छूने के लिये वुज़ू करना फ़र्ज़ है।

बस अगर कोई शख्स किसी आयत को बतौरे तावीज़ भी किसी कागज़ पर लिखेगा तो ज़रूर उस कागज़ को छूना होगा, जिस की मुमानिअ़त ऊपर की गयी। (यानी क़ुरआनी आयत को भी नहीं छू सकता) इसीलिये उलमा ने बेवुज़ू को लिखने के लिये सख्त परहेज़ करवाया।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 661

अबू जहल का खातिमा कैसे हुआ? पूरी तफ़सील से समझाइये।

जवाब : 661

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

हज़रते सैय्यिदुना अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु फ़रमाते हैं : गज़वा -ए-बद्र के दिन जब में मुजाहिदीन की सफ़ में खड़ा था मैने अपने दायें बायें दो कम्सिन लड़के देखे। इतने में एक ने आहिस्ता से मुझ से पूछा चचा जान अबू जहल को पहचानते हो मैने जवाब दिया हाँ, मगर तुम्हें उस से क्या काम?
उस ने जवाब दिया कि मुझे मालूम चला है कि वो गुस्ताखे रसूल है अल्लाह की क़सम मै उसे देख लूँ तो उस पर टूट पड़ूँ या तो उस को मार डालूँ या खुद मर जाऊँ।
अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदिअल्लाहु त'आला अ़न्हु फ़रमाते हैं : अचानक मैने देखा कि अबू जहल अपने सिपाहियों के बीच खड़ा है। मैने उन लड़कों को अबू जहल की तरफ़ इशारा कर के बताया (कि वो अबू जहल है) वो दोनों कम्सिन बच्चे तलवारें ले कर उस पर टूट पड़े और लगातार वार करके उसे पछाड़ दिया फिर दोनों हुज़ूर की बारगाह में आये और कहा या रसूलल्लाह हमने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया हुज़ूर ने फ़रमाया तुम में से किसने उसे क़त्ल किया दोनों ने फ़रमाया, मैने।

हमे इन बच्चों के वाक़िये से ये इबरत लेनी चाहिये कि गुस्ताखे रसूल से किसी सूरत दुआ सलाम नर्मी लज़्ज़त हलाल नहीं हो सकती। बल्कि जिस तरह अल्लाह के वली से दोस्ती रखना वाजिब है उसी तरह मुनाफिक़ और दुश्मने दीन से दिल में हसद रखना वाजिब है और इस हसद पर सवाब होगा।
ये दोनों कम्सिन बच्चे दो भाई थे हज़रते मुआज़ और हज़रते मुअव्विज़।

हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ने जा कर लाशों में देखा तो अबू जहल दम तोड़ रहा था। फ़रमाते हैं मैने उस की गर्दन पर उसी की तलवार से ज़ोरदार वार किया। उस की गर्दन कट कर सामने जा गिरी। मैने सर उठा कर (बारगाहे रिसालत में ले जाकर) अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये दुश्मने खुदा अबू जहल का सर।
हुज़ूर ने फ़रमाया : अल्लाह का शुक्र जिस ने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 662
हज़रत क्या बोशा देने के लिये सर को झुकाना नहीं पड़ेगा?

जवाब : 662

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
इस में हर्ज नहीं।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 663
एक मौलाना मस्जिद के इमाम जो नसीहत करते हैं सबको कि दहेज़ लेना गुनाह है। जब कि वो मौलाना ने खुद दहेज़ लिये हैं। और अपने रिश्तेदारों के लिये भी किसी और से दहेज़ का डिमांड भी किया है। ताज्जुब की बात ये है कि वो सुन्नी है। क्या इन के पीछे नमाज़ जाइज़ है? क्या इनके पीछे नमाज़े जनाज़ा जाइज़ है? क्या इनका फ़ातिहा करना जाइज़ है?

जवाब : 663

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
दहेज़ का लेना देना गुनाह नहीं होता बल्कि दहेज़ का देना सुन्नत है। मगर सामने वाले का दहेज़ की डिमांड करना हराम है और अगर कोई खुद दे (और अक्सर होता भी यही है) कि शादी मतलब एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत होती है तो नये घर के लिये घर का सारा सामान दिया जाता है इसे लेने में कोई हर्ज नहीं (जब कि खुद ना माँगा गया हो) इसीलिये अगर इमाम ने दहेज़ लिया तो कुछ गुनाह नहीं किया। इस के पीछे किसी भी नमाज़ में कोई हर्ज नहीं (जबकि और कोई मानेअ़ शरअ़ ना हो) ठीक वैसे ही अपने रिश्तेदार के लिये दहेज़ की डिमांड करने में कई सूरत हो सकती है, जिस के लिये इमाम की खुद गवाही दरकार है, इस के बगैर कोई हुक्मे शरअ़ नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये भी हो सकता है, गरीब रिश्तेदार की शादी के लिये इमाम ने किसी दूसरे से मदद को कहा हो, तो इस में भी हर्ज नहीं होता, वग़ैरह-वग़ैरह।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 664
हुज़ूर गौसे आज़म ने कितनी शादियाँ कीं और उन की बीवियों के नाम क्या हैं? जवाब इनायत फ़रमायें और अज्र दिये जायेंगे।

जवाब : 664

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
शैख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी "अवारिफुल मआरिफ़" में लिखते हैं कि एक शख्स ने गौसे आज़म से पूछा या सैय्यिदी आप ने निकाह क्यों किया?
आप ने फ़रमाया बेशक मै निकाह नहीं करना चाहता था, इस से मेरे दूसरे कामों में खलल पैदा हो जायेगा, मगर हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म फ़रमाया कि अ़ब्दुल क़ादिर तुम

निकाह कर लो।अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक़्त मुक़र्रर है फिर जब ये वक़्त आया तो अल्लाह ने मुझे 4 बीवियाँ अ़ता की, जिन में से हर एक मुझसे कामिल मुहब्बत रखती है।

अज़्वाजे हुज़ूर गौसे आज़म
सैय्यिदा बीवी मदीना
सैय्यिदा बीवी सादिक़ा
सैय्यिदा बीवी मुअ़मिना
सैय्यिदा बीवी महबूबा

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 665
हज़रत नज्द किस जगह को कहते हैं, कूफ़ा को या रियाद को?

जवाब : 665

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
सऊदी अ़रब में नज्द को 3 जगह बाँटा गया है।
हाइल, अल-क़ासिम, रियाद।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 666
हज़रत बुज़ुर्गों के मज़ार को बोशा देना कैसा है?

जवाब : 666

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
बे-अदबी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 667
क्या दाढ़ी या छाती के बाल अगर टूट जायें तो उस बाल को दाँत से काटना ज़रूरी है, क्या इस का कोई शरई सबूत है?

जवाब : 667

بسم الله الرحمٰن الرحیم
इस का कुछ शरई सबूत मेरे इल्म में नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 668
हज़रत बुज़ुर्गों का जो उर्स होता है, विलादत या विसाल से होता है?

जवाब : 668

بسم الله الرحمٰن الرحیم
विसाल की तारीख से।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 669
नमाज़ में बिस्मिल्लाह 1 बार पढ़ी जाती है या ज़्यादा?

जवाब : 669

بسم الله الرحمٰن الرحیم
एक वक़्त में बिस्मिल्लाह एक बार ही पढ़ी जाती है और सूरह फ़ातिहा से पहले और किसी सूरत को मिलाने से पहले भी पढ़ सकते हैं। नमाज़ की हर रकअ़त के अव्वल में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह بسم الله पढ़ना जाइज़ व मुस्तहसन है, नमाज़ में सूरह फ़ातिहा और सूरत के दरमियान और उठते बैठते वक़्त।
(फ़तावा फैज़ुर्रसूल, जिल्द 2, सफ़हा 505-506)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 670
हज़रत तस्वीरकशी जाइज़ है या ना जाइज़?

जवाब : 670

بسم الله الرحمٰن الرحیم
हर गैर जानदार की तस्वीर रखना बनवाना सब जाइज़ है और हर जानदार की हराम और जानदार की इस सूरत में जाइज़ होगी जब कि इतनी छोटी हो कि ज़मीन पर रख कर

देखने से आज़ा की तफ़सील समझ ना आती हो या पायदान जैसी बेहुर्मती की जगह पर मौजूद हो या फिर तस्वीर की शक्ल मिटा दी गयी हो।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 671

आज कल जो टी. वी. में दीन के बारे में चैनल हैं उन्हें देखना जाइज़ है या नहीं? अगर जाइज़ है तो कैसे और नाजाइज़ है तो कैसे? बराये करम रहनुमाई करें।

जवाब : 671

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

टी. वी. पर मौजूदा दीनी चैनल देखने की इजाज़त नहीं है। इस में बहुत कुछ खिलाफ़े शरअ़ दिखाया जाता है, सिवाये मदनी चैनल के कि ये 100% शरई प्रोग्राम पर मबनी है। टी. वी. पर आने वाले प्रोग्राम, वीडियो के जाइज़ और नाजाइज़ होने में हमारे उलमा के इख्तिलाफ़ हैं और जिन्होंने टी. वी. को नाजाइज़ कहा उन के नज़दीक हर क़िस्म का प्रोग्राम नाजाइज़ है फिर चाहे दीनी हो या दुनियावी और जिन्होंने वीडियो को जाइज़ कहा तो उसी सूरत में जाइज़ कहा जब कि उस पर कुछ खिलाफ़े शरअ़ चीज़ ना दिखाई जाती हो यानी अगर मर्द बयान करे, ना एड हो, ना औरत, ना औरत की आवाज़, ना बे-पर्दगी तो इस क़ैद के साथ वो प्रोग्राम देखने की इजाज़त दी गयी है। मस्लन कोई मुफ्ती साहब बयान करें या नात पढ़ी जाये और औरत या कोई म्यूज़िक ना हो और मुत्लक़न वीडियो के जाइज़ होने में किसी मुफ्ती का फ़तवा नहीं, ये इल्ज़ाम झूटा है और जिन्होंने जाइज़ कहा उन्होंने शर्तों के साथ जाइज़ कहा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह और हर प्रोग्राम जाइज़ कर दिया। अल्लाह हिफाज़त करे दिलों में वस्वसे डालने वाले इब्लीस से (और हमारे नज़दीक, जाइज़ वीडियो जाइज़ है और उन्हीं शर्तों के साथ जो उलमा ने बयान की। दीनी प्रोग्राम और मदनी चैनल भी देखना जाइज़।) बाक़ी आपका तक़वा है, अगर आप बिल्कुल ही टी. वी. घर पर रखना नहीं चाहते तो बहुत ही अच्छा है और अगर आप घर से टी. वी. निकाल नहीं सकते तो ज़रूर वो बे-हयाई ही दिखायेगा तो इस से बेहतर है दीनी प्रोग्राम देख लिये जायें इस से घर के बच्चे औरतें बे-हयाई नाच गानों से तो बचेंगे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 672

हज़रत तहज्जुद की निय्यत कैसे की जाती है और इस के पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है और क्या ये आम नमाज़ की तरह पढ़ी जाती है?

जवाब : 672

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

तहज्जुद में भी आम नफ्ल नमाज़ की सी निय्यत बाँधी जायेगी, ये सुन्नते मुस्तहब नमाज़ है।

तहज्जुद की रकाअ़त : कम से कम तहज्जुद की 2 रकाअ़त और हुज़ूर से 8 तक साबित है। (बहारे शरीअ़त)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 673

नमाज़ सलातुत्तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा क्या है और कैसे पढ़ी जाती है? हज़रत बता दीजिये।

जवाब : 673

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

सलातुत तस्बीह की नमाज़ में 300 मर्तबा तीसरा कलिमा का हिस्सा पढ़ा जाता है, जो आप को किसी भी नमाज़ की किताब में मिल सकता है। बाक़ी नमाज़, नमाज़े नफ्ल ही की तरह होगी।

पढ़ने का तरीक़ा ये है कि नमाज़ की निय्यत करे फिर सना पढ़े उसके बाद 15 बार तस्बीह (वही तीसरे कलिमे वाली) फिर तअ़व्वुज़ तस्मिया (अऊज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह) सूरह फ़ातिहा और सूरत और 10 बार तस्बीह। फिर रुकूअ़ और 3 बार रुकूअ़ की तस्बीह पढ़े उसके बाद फिर 10 बार तस्बीह। फिर रुकूअ़ से सर उठा कर क़ौमा की 1 तस्बीह और फिर 10 बार वही तस्बीह। फिर सजदा और 3 बार सजदे की तस्बीह और फिर 10 बार वही तीसरे कलिमे की तस्बीह फिर सजदे से सर उठा कर जलसे में बैठ कर 10 बार तस्बीह। फिर दूसरे सजदे में जाये और 3 बार सजदे की तस्बीह और 10 बार फिर तस्बीह।

बस ये याद रखे कि क़ियाम की हालत में सूरह फ़ातिहा से पहले 15 बार तस्बीह है और बाद में 10 और हर जगह 10-10 इस तरह एक रक़ाअत में 75 तस्बीह होगी और 4 में 300।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 674

क्या हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ कर दुआ माँगना ज़रूरी है?

जवाब : 674

بسم الله الرحمٰن الرحیم
हर नमाज़ के बाद दुआ करना ज़रूरी नहीं है मगर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दुआ क़ुबूल होती है इसीलिये तर्क नहीं करना चाहिये और जो दुआ नहीं करता उस से अल्लाह नाराज़ होता है और हर बार दुआ से पहले आयतल कुर्सी का पढ़ना ज़रूरी नहीं, मगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ़ ज़रूर पढ़े, वरना हदीसे पाक में है कि बगैर दुरूद के दुआ ज़मीन व आसमान में लटकी रहती है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 675
हज़रत टी. वी. देखना जाइज़ या नाजाइज़?

जवाब : 675

بسم الله الرحمٰن الرحیم
अ़मल का दारो-मदार निय्यत पर है। टी. वी. और मूवी के जाइज़ और नाजाइज़ होने में ये देखा जायेगा कि टी. वी. में देखा क्या जा रहा है। अगर किसी सुन्नी आलिम की तक़रीर, वाज़, नात हो और कुछ खिलाफ़े शरअ़ ना हो तो इस के जवाज़ (जाइज़ होने) की इजाज़त उलमा ने बयान फ़रमायी। इस के अलावा हर प्रोग्राम देखना नाजाइज़ यानी जाइज़ चीज़ की वीडियो जाइज़ और नाजाइज़ की नाजाइज़।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 676
हज़रत रिज़्क में बरकत के लिये कोई वज़ीफ़ा बताइये?

जवाब : 676

بسم الله الرحمٰن الرحیم
रिज़्क़ में बरकत करने के लिये और वो चीज़ जिस में बरकत खत्म होती है, की तफ़सील तो बहुत है। मै चंद मुख्तसर अ़मल पेश करता हूँ। आप इन की पाबन्दी करें और घर में आप जिस पर भी क़ुदरत रखते हैं, उन से भी इस की पाबंदी करवायें। इसी तरह जिनका बचने का हुक्म हो उन से बचें और घर वालों को भी बचने का हुक्म दें।

रिज़्क़ में बरकत के लिये किसी भी नमाज़ के बाद 30 बार सूरह फलक़ अपने विर्द में हमेशा रखें। (बीवी या समझदार बच्चे हों तो उन से भी इस पर अ़मल को कहें।)

खाना खाने से पहले और बाद में 3-3 बार गट्टों तक हाथ धोयें और 3-3 बार कुल्ली करें। ये अ़मल बीवी बच्चों से भी सख्ती से करवायें। (पहले और बाद में दोनों बार 3-3)

जुमेरात के दिन नाखून काटा करें। (और घर में भी सब को यही हुक्म दें।)

जब घर में हर वक़्त आयें तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाखिल हों और 1-1 बार दुरूद शरीफ़ और 3 बार सूरह इख्लास पढ़ लिया करें और घर वालों को सलाम करें।

अगर हाथ में अँगूठी नहीं है तो कोई बात नहीं और पहनना चाहे तो शरई चाँदी की मिक़्दार की एक अँगूठी अक़ीक़ नग की उल्टे हाथ में पहन ले।

जब किसी से रक़म लें तो بسم الله पढ़ कर लें और किसी को पैसे दें तो إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ पढ़ लिया करें।

इन्शा अल्लाह इन पर अ़मल अगर मज़बूती से किया जाये तो कभी किसी के सामने हाथ दराज़ ना करना पड़ेगा। और कुछ चीजें बरकत को कम करती हैं, उन से भी बचना ज़रूरी है जैसे :
नमाज़ की पाबन्दी ज़रूरी है (क़ज़ा करने से उम्र और रिज़्क़ में बरकत चली जाती है।)

खड़े हो कर पानी पीने से गरीबी आती है, इस से बचें और बच्चों को भी हिदायत दें।
मगरिब बाद घर में झाड़ू ना लगवायें।

चिराग या मोमबत्ती को फूँक से ना बुझायें।

गर्म खाना ना खायें, ना प्लेट के बीच से खायें।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 677
आप जो दुआयें सवाल के जवाब में बताते हैं क्या उसे कोई पढ़ सकता है अगर वो परेशानी उसको भी हो तो?

जवाब : 677

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

जी, पढ़ सकता है कोई हर्ज नहीं, जब कि पढ़ने वाला अक़ीदे का सही सुन्नी हो और नमाज़ की पाबन्दी हो, हराम से बचता हो और शरीअ़त का पाबंद हो (बगैर नमाज़ किसी का कोई अ़मल (वज़ीफ़ा) क़ुबूल नहीं। बल्कि आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत ने फ़रमाया : (खुलासा)

बे-नमाज़ी की तस्बीह पढ़ना उस के मुँह पर मार दिया जायेगा (यानी फ़र्ज़ छोड़ कर मुस्तहब पर अ़मल से नफ़ा नहीं।)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 678

जनाब इंडिया जैसे मुल्क में जब कोई सूअर, हुज़ूर की शान में गुस्ताखी या कुछ और फितने वाली बात करे तो आम आदमी को क्या करना चाहिये?

जवाब : 678

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

F. I. R. करें, वरना क़ानून के दायरे में रह कर कोई क़दम उठा सकते हैं और हुकूमत इस्लामी बादशाह की हो (और गुस्ताखे रसूल काफ़िर हो) तो हाकिम पर फ़र्ज़ है कि उसे क़त्ल कर दे और (गुस्ताखे रसूल मुसलमान था) तो उलमा की एक जमाअ़त के ज़रिये उसे तौबा करवाये फिर क़त्ल कर दे और दफ़न का हुक्म दे अगर तौबा पर राज़ी ना हो तो क़त्ल फिर भी करे मगर कफ़न दफ़न नहीं। इस के सिवा कोई आम आदमी अपने ज़ाती तौर से ये कर सकता है कि अल्लाह से उसके बुरे खातिमे की कसरत से रो-रोकर दुआ करे ताकि औरों को इस से नसीहत मिले और जब ऐसे खबीस की मौत हो जाये या ये जब भी मरे तो खुशी का इज़हार करें मगर खुशी अपने दिल में रखें ज़ाहिर ना करें। उस के मरने की खुशी में मुसलमानों को मिठाई बांटें, खाना खिलायें वग़ैरह-वग़ैरह। और जब तक वो ज़िन्दा हो तो अपनी हर दुआ में उस की हलाकत की दुआ करते रहें।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 679

अगर हम अपनी सिटी से बाहर हैं तो हम नमाज़ पूरी अदा करेंगे या नहीं?

जवाब : 679

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अगर अपने अस्ली शहर से (वतने अस्ली) से 92 किलो मीटर से बाहर जाने का इरादा हो और वो भी 15 दिन से कम दिन के लिये तो मुसाफिर कहलायेगा और मुसाफिर की हर 4 रकाअ़त वाली फ़र्ज़ 2 ही पढ़ी जायेगी जबकि मगरिब, वित्र, सुन्नतें पूरी-पूरी। मगर मर्द की सुन्नी जमाअ़त मिले तो जमाअ़त से पूरी नमाज़ पढ़ सकता है कोई हर्ज नहीं और जमाअ़त ना मिले तन्हा पढ़े तो आधी पढ़े यानी क़स्र करे या औरत है तो तन्हा आधी नमाज़ पढ़ेगी और मुसाफिर ने पूरी पढ़ी तो गुनाहगार और इस से (92 किलो मीटर) से कम दूरी तय करे तो शरीअ़त में मुसाफिर नहीं, हर नमाज़ पूरी अदा करे।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 680

हज़रत क्या सुन्नते मुअक्किदा और गैरे मुअक्किदा नमाज़ में कुछ फ़र्क़ है? एक विलेज के इमाम साहब ये बताते हैं कि सुन्नते गैरे मुअक्किदा के क़ादा -ए- ऊला में भी तशह्हुद के बाद दुरूदे इब्राहीम पढ़ना चाहिये और सुन्नते मुअक्किदा में नहीं पढ़ना चाहिये। क्या ये क़ौल सही है?

जवाब : 680

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इमाम साहिब का क़ौल बिल्कुल सही है। अगर सुन्नते मुअक्किदा के तशह्हुद के बाद जान कर दुरूद पढ़ा तो नमाज़ नहीं होगी अगर भूल से पढ़ ली तो सजदा -ए- सहव करना होगा। ठीक इस के बर-अक्स (Opposite) गैरे मुअक्किदा में तशह्हुद के बाद दुरूद पढ़ना बेहतर है (मगर ज़रूरी नहीं) अगर ना भी पढ़ी तो नमाज़ हो जायेगी और पढ़नी भी चाहिये। इसी तरह इस नमाज़ में तीसरी में सना भी पढ़नी चाहिये (यही सही तरीक़ा है, सुन्नते गैरे मुअक्किदा का)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 681

जनाब अल्लाह की मख्लूक़ के कितने क़िस्म हैं? क्या देव और जिन्न अलग-अलग मख्लूक़ हैं? और क्या हज़रते अ़ली करमल्लाहु वजहुल करीम का कोई बेटा हनीफ़ नाम का भी है जो इंसान नहीं है, ये महज़ जिहालत है? जवाब इनायत फरमायें। जज़ाक अल्लाहु अहसनल जज़ा।

जवाब : 681

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ें मख्लूक़, इंसान, नबी, वली दरिया, आसमान, ज़मीन वग़ैरह-वग़ैरह, इस की गिनती अल्लाह और उस का रसूल जाने। शैतान जिन्नात की नस्ल से है, ये बात सही है (यानी शैतान जिन्न ही है अलग नहीं।)
हज़रते अ़ली के बेटे को इन्सान ना बताना जहालत है, इन्हें अ़बुल क़ासिम नाम से भी जाना जाता है। और सही नाम मुहम्मद बिन अल हनफ़िय्या है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 682
किसी कपड़े पर पेशाब लग जाये। फिर उस को साबुन से धोकर फिर नल या टंकी से पानी बहा दें तो क्या कपड़ा पाक हो जायेगा या नहीं? हवाला भी इनायत फरमायें।

जवाब : 682

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
पेशाब लगे कपड़े को टंकी में खूब अच्छे से धोया तो पाक हो जायेगा इस में टंकी में 3 बार धोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहते पानी के हुक्म में है। जब ज़न गालिब हो कि कपड़े पर लगी नजासत चली गयी तो ऐसी सूरत में वो पाक है।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 398 पर है :
अगर नजासत रक़ीक़ (पतली बहने वाली जैसे- शराब, पेशाब) हो तो 3 बार धोने और 3 बार ताक़त से निचोड़ने से पाक हो जायेगा।

याद रहे, ये 3-3 बार का हुक्म नदी वग़ैरह में धोने का उस वक़्त का था, टंकी से धोने में 3 बार की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह धो लिया तो काफ़ी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 683
हजरत मै ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन्सान कुरान शरीफ़ पढ़ता है तो हिलता क्यों है और दूसरा पूछना ये चाहता हूँ कि ये कहाँ से साबित हुआ और जब पढ़े तब हिलना ज़रूरी है? प्लीज़ तालिबे जवाब। हज़रत!

जवाब : 683

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

इस सवाल से दो दिन पहले कुछ सही गलत अल्फाज़ की स्पेलिंग बतायी गयी थी कि लफ्ज़ "हज़रत" इस तरह लिखते हैं (जैसे मैने लिखा) ना कि उस तरह जैसे सवाल में लिखा है (और इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे सवाल कर लिया करो) दूसरी बात ये कई बार बतायी गयी कि लफ्ज़ क़ुरआन इस तरह लिखते हैं जैसे मैने लिखा और जो सवाल में लिखा बहुत गलत है। इस से पता चलता है कि साइल बस अपने पूछे गये सवाल पढ़ता होगा बाक़ी नज़र-अंदाज़ करता होगा, तभी ऐसी खता को दोहराया जाता है जिसे 1000 बार बता दिया गया हो (अगर सुन्नी मुसलमान में अ़मल का जज़्बा आ जाये तो क़ौम सुधर जायेगी) मगर बद-नसीबी कि सीखना तो चाहते हैं उसे अ़मल में नहीं लाना चाहते।

क़ुरआन को जब देख कर पढ़ा जाये तो हिलना ज़रूरी नहीं और हिलना नहीं चाहिये, इस से आँखों पर ज़ोर पड़ता है, आँखों का नुक़सान है। जब क़ुरआन में नज़र करें तो बिना हिले पढ़ें और जब कोई हिफ्ज़ सूरत या आयत पढ़ें जिसे देख कर ना पढ़ता हो तो हिल कर पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं और शरअ़न दोनों में हर्ज नहीं।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 684

हज़रत हम कोई चीज़ याद करते हैं जैसे- सूरह या कोई दुआ तो याद नहीं होती, भूल जाते हैं। कोई वज़ीफ़ा दिमाग को तेज़ करने का बताइये जिस से दिमाग की क़ुव्वत बढ़ जाये मगर छोटा और आसान सा कोई अ़मल।

जवाब : 684

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

दिमाग को तेज़ करने के कुछ आसान अ़मल पेश करता हूँ जो बन पड़े अ़मल में लायें।

7 किश्मिश के दाने ले कर रोज़ सुबह 7-7 बार सूरह फ़ातिहा (अव्वल आखिर दुरूद) पढ़ कर उस पर दम करें और बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा लें। दिमाग तेज़ होगा, हाफिज़ा क़वी होगा।

"या अ़लीमू" सुबह नहार मुँह 21 बार पढ़ कर पानी पर दम करे और पी ले।

हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सर पर हाथ रख कर 21 बार "या क़विय्यू" पढ़ें।

*इसके सिवा मिस्वाक करना अ़क़्ल को बढ़ाता है।
*काम की बात के सिवाये, फिज़ूल बातों से परहेज़ (हमेशा चुप रहना अ़क़्ल को बढ़ाता है)

*नेक लोगों के साथ उठना बैठना अक़्ल को बढ़ाता है।
*सुन्नी आलिमों के साथ मेल जोल (दुआ, सलाम, मुलाक़ात) अ़क़्ल को बढ़ाता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 685
क्या क़ादा -ए- आखिरा में दुरूदे इब्राहीम का कुछ जुज़ पढ़ना वाजिब है? हवाला इनायत फरमायें।

जवाब : 685

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
नमाज़ में कोई भी दुरूद पढ़ना वाजिब नहीं, ना पूरा और ना आधा बल्कि सुन्नत है और कोई भी दुरूद पढ़ा जाये तो सुन्नत अदा हो जायेगी और नमाज़ भी सही और पढ़ना दुरूदे इब्राहीम का नमाज़ में अफज़ल है, वाजिब नहीं।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 531 पर है :
तशह्हुद के बाद दुरूद पढ़ना सुन्नत है, अफज़ल दुरूदे इब्राहीम पढ़ना है।

फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 6, सफ़हा 183 पर है :
सब दुरूदों से अफज़ल दुरूद वो है जो नमाज़ में मुक़र्रर किया गया। (दुरूदे इब्राहीम)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 686
हज़रत अ़बुल क़ासिम या मुहम्मद इब्नुल हनीफ़िया रदिअल्लाहु अ़न्हु के मुख्तसर हालात बयान कीजिये। जज़ाक अल्लाह

जवाब : 686

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
आमीन! मेरे ज़रिये इस ग्रुप में (आप की ज़रूरत के मसाइल के मुताबिक़) फक़त "इल्मे फिक़्ह" पर कलाम किया जाता है। दीने इस्लाम की तारीख या किसी बुज़ुर्ग सहाबी की सीरत के लिये आप किसी किताब का मुताला करे।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 687
अल्लाह ने दुनिया किस लिये बनायी है?

जवाब : 687

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
दुनिया बनाने की कई वजह हैं, इसे आखिरत की खेती क़रार दिया गया ताकि लोग दुनिया में रह कर आखिरत के लिये कुछ सवाब जमा करें। आज़माने के लिये दुनिया और इस में नेमत रखी गयी कि ताकि पता चले कि कौन दुनिया में अल्लाह और रसूल के रास्ते को भूल गया और पता चले कि कौन दुनिया में रह कर राहे हक़ पर रहा। इसी तरह दुनिया अल्लाह को नापसन्दीदा है, दुनिया मोमिन के लिये क़ैदखाना है। दुनिया की मज़म्मत करते हुये अल्लाह अज़्ज़वजल क़ुरआन में इरशाद फ़रमाता है :
सूरह फातिर आयत नम्बर 05 :
"तो ऐ लोगों बेशक अल्लाह का वादा सच है, तो हरगिज़ तुम्हें धोका ना दे, दुनिया की मुहब्बत।"

सूरह निशा आयत नम्बर 77 :
"तुम फरमा दो दुनिया का बरतना थोड़ा है और डर वालों के लिये आखिरत अच्छी।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 688
ज़ाहिद के ऊपर उस के भाइयों का काफ़ी क़र्ज़ है। आरिफ़ ने अपनी ज़कात की रक़म ज़ाहिद को यह कह कर दी कि इस से अपने भाइयों को लौटाकर क़र्ज़ निपटा लो। क्या आरिफ़ की ज़क़ात अदा हो गयी?

जवाब : 688

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
आरिफ़ का ज़ाहिद को रक़म दे देने से आरिफ़ की ज़कात अदा हो जायेगी, चाहे वो ज़ाहिद को ये ना कहे कि ये ज़कात है। मगर आरिफ़ को चाहिये को वो ज़ाहिद को माल क़ब्ज़े में दे दे। और ये शर्त ना रखे कि तुम इस से क़र्ज़ उतारो (यानी माल का मालिक कर दे, उस माल का क्या करना है ये उस की मर्ज़ी है, उसे क़ैद ना लगाये कि इस से क़र्ज़ ही दे) ये हो सकता है कि बतौरे मशवरा उसे ज़रूर समझा दे कि ये रक़म तुम रख लो अपने काम में लाओ, चाहो तो क़र्ज़ अदा कर दो तुम्हारी मर्ज़ी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 689
हज़रत क्या इंग्लिश में अस्सलामु अ़लैकुम, सुब्हान अल्लाह, माशा अल्लाह लिख सकते हैं या नहीं?

जवाब : 689

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अ़रबी क़ुरआनी अलफाज़ों को रोमन इंग्लिश और हिन्दी रस्मुल खत में लिखने से परहेज़ करना चाहिये यानी ऐसा नहीं लिखना चाहिये, इस से बचना चाहिये। अगर उर्दू या अ़रबी में नहीं लिख सकता हो सिर्फ "सलाम" ही लिख दे। "सलाम" कह देने से भी सलाम हो जायेगा, बाक़ी अल्फाज़ को उस की अस्ली ज़ुबान (अ़रबी) में ही लिखे जायें।
मस्लन ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ वग़ैरह।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 690
हज़रत मेरे ज़हन में एक सवाल आया है कि सब नबी हज़रत और ये (अहमद रज़ा) आला हज़रत क्यों? हज़रत इस की तफ़सील बतायें बड़ी मेहरबानी होगी। मै सुन्नी हूँ। किसी ने मुझ से सवाल किया है हज़रत।

जवाब : 690

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
अव्वल तो ये कि साइल ने कहा ज़हन/दिमाग में एक सवाल आया है और ज़ाहिर में लिखा कि किसी ने मुझ से पूछा है। ये दोनों बातें अलग-अलग हैं। इस में क्या सच और क्या और क्या झूट है खुदा जाने। क्योंकि अगर सवाल खुद ज़हन में आया तो किसी ने पूछा नहीं अगर किसी ने पूछा है तो ज़हन में नहीं आया बल्कि उस का आया जिस ने पूछा। खैर.....

हम उनकी बज़्म में दामन संभाल कर बैठे
किसे खबर है कि कोई क्या सवाल कर बैठे।

अहमद रज़ा खान साहिब को आला हज़रत कहने का ये मतलब नहीं कि वो दुनिया के सारे हज़रत यानी वली, नबी से अफज़ल हो गये, ऐसा अक़ीदा कुफ्र है ऐसा ज़हन रखने वाला मोमिन नहीं। बल्कि इस का मतलब ये होता है कि अहमद रज़ा मुहद्दिसे आज़म अपने दौरे

हाज़िर के सारे उलमा के सरदार और मुजद्दिद हैं। उनके अपने दौर में बहुत से हज़रत थे तो आप इल्म के मुआमले में सभी हज़रत से अफज़लो आला थे इसीलिये आला हज़रत के लक़ब से उलमा ने नवाज़ा। दूसरी बात किसी का कोई लक़ब ये साबित नहीं करता कि उस से नबी की शान घटती हो।
ये खबीस लोगों की नज़र का फ़र्क़ है और दिल का हसद है, जिस ने ये पूछा उस से आप ये पूछें कि जब हमारे नबी ने सारे नबियों की इमामत की और बेशक हमारे नबी ही सारे नबियों के इमाम हैं तो अबू हनीफ़ा को "इमाम -ए- आज़म" क्यों कहते हो? नबी को सिर्फ "इमाम" और अबू हनीफ़ा को "इमाम -ए- आज़म"। हालाँकि सब से बड़े इमाम तो हमारे नबी हैं, उन्हें दुनिया इमामे आज़म क्यों नहीं कहती।

दूसरी बात ये कि लक़ब किसी खास वजह से दिये जाते हैं ये नाम नहीं होते। और ना ही पुकारने वालों की निय्यत किसी की शान कम करना होती है। वरना अल्लाह गरीबों को नवाज़ता है, मगर मुईनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज़ कहा जाता है? तो क्या कोई मुसलमान ये समझता है कि वो अल्लाह से ज़्यादा देते हैं? नहीं बल्कि शैतान दिलों में फितने पैदा करता है, मुसलमानों को बहकाता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 691
सूद लेना और देना किस हालत में जाइज़ है और किस हालत में हराम है?

जवाब : 691

بسم الله الرحمن الرحيم
सूद लेना देना मुत्लक़न हराम है और अगर किसी को ऐसी सख्त ज़रूरत पेश आये कि कहीं से पैसे का इंतिज़ाम ना हो और ना क़र्ज़ मिले ना उधार ना कोई रिश्तेदार मदद करे ना दोस्त और कोई ज़रिया नज़र ना आये और बस एक राह सूद पर रक़म लेना हो तो इस के हक़ में ज़रूरतन लेना जाइज़ है, मगर देने वाला गुनाहगार होगा।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 692
हज़रत खाना खाने का सही तरीक़ा क्या है और रोटी के कितने टुकड़े कर के खाने चाहिये?

जवाब : 692

بسم الله الرحمن الرحيم

इस सवाल में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने पूछ किया हो "हज़रत ज़हर खा कर कैसे ज़िन्दा रहा जाये।"
खाना खाने का सही तरीक़ा ये है कि खाना खाया ही ना जाये बल्कि देख कर रख दिया जाये, खाना खाने के बहुत नुक़सान हैं अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो रात में बस एक एक रोटी खा लिया करे वरना आधी रोटी दोपहर और आधी शाम को खाये बस यही सही तरीक़ा है और ज़्यादा खाना चाहता है तो कफ़न साथ रखे और पेट भर के खाये।

खाने में सुन्नत और आदाब :
खाना बिस्मिल्लाह से शुरू करे।
खाने से पहले 3-3 बार कलाई तक हाथ धोये और कुल्ली करे।
लाल दस्तरख्वान पर खाये ये सुन्नत है।
खाने से पहले नमक एक चुटकी खाये।
और पानी पिये फिर खाये, बाद में पानी ना पिये।
3 उंगली से खाये ये सुन्नत, 4 या 5 उंगली से ना खाये इसे जाहिल का तरीक़ा कहा गया और लालचियों का।
रोटी को सालन की प्लेट के ऊपर तोड़े, ताकि उस के ज़र्रे प्लेट में गिरें।
रोटी दोनों हाथ से तोड़े, अपने आगे से खाये और प्लेट को पूरी साफ़ करे।
खाने के बाद भी एक चुटकी नमक खाये, प्लेट को साफ़ करे, चाटे, उस में पानी डाल कर पिये, ये सुन्नतें हैं।
खाने से पहले जो हाथ धोये उसे ना पोंछना सुन्नत है।
खाना खा कर हाथ धो कर पोंछ लेना सुन्नत है, फिर चेहरे पर हाथ फेरना सुन्नत है।
खा कर पहले दस्तरख्वान उठने दे सुन्नत यही है, बाद में खुद उठे (मगर आज कल लोग खा कर उठ जाते हैं और दस्तरख्वान बाद में उठाया जाता है ये सुन्नत के खिलाफ़ है।
खाना खा कर 3 उंगलियों को 3-3 बार चाटे, सुन्नत है और पहले बीच की फिर शहादत की फिर अँगूठा ये तरकीब भी सुन्नत है।
खा कर अल्लाह की हम्द करे शुक्र करे।

मगर ये याद रहे कि खाना खाने के बहुत नुक़सान हैं और ना खाने या भूके रहने के बहुत फायदे, इसीलिये पेट भर कर ना खायें, बल्कि ज़रूरतन आधी या 1 रोटी खा लें काफ़ी है।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 693

हज़रत हमारे आक़ा रहमतुल आलमीन की पैदाईश और वफ़ात की तारीख बतायें? प्लीज़ तफ़सील से।

जवाब : 693

بسم اللہ الرحمن الرحیم

हुज़ूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल पीर शरीफ़ के दिन हुयी। आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत, फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 26, सफ़हा 408 पर तहरीर फ़रमाते हैं कि रजब, सफ़र, रबीउल अव्वल, मुहर्रम, रमज़ान सब कुछ कहा गया और सही व मशहूर क़ौल रबीउल अव्वल है।

मदारिजुन्नबुव्वह, जिल्द 2, सफ़हा 14 पर है :

مشہور آنست کہ در ربیع الاول بود

यानी मशहूर ये है कि विलादत व सआदत माहे रबीउल अव्वल शरीफ़ में हुयी।

अल मवाहिबुल लदुनिया में है:

وھو قول جمھور العلماء

(और वो जमहूर उलमा का क़ौल है।)

فی شھر ربیع الاول علی الصحیح

(सही क़ौल के मुताबिक़ रबीउल अव्वल में है।)

अ़ल्लामा इब्ने जौज़ी ने नसीमुर रियाज़ में नक़्ल किया :

اتفقوا علی انہ ولد یوم الاثنین فی شھر ربیع الاول

यानी इस पर उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आप माहे रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुये।

वफ़ात : हज़रते अ़ली से रिवायत है कि फरमाते हैं :

قال مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ مضت من ربیع الاول

यानी हुज़ूर की वफ़ात शरीफ़ रोज़े दो शम्बा (पीर) के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई।

शरह लदुनिया में अ़ल्लामा ज़रक़ानी फ़रमाते हैं :

الذی عند ابن اسحٰق والجمھور انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شھر ربیع الاول

यानी हुज़ूर का विसाल शरीफ़ माहे रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को हुआ।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 694

हज़रत क्या देवबन्दी भी इमामे आज़म के मुक़ल्लिद हैं?

जवाब : 694

بسم الله الرحمن الرحيم

जी हाँ देवबन्दी हज़रात भी इमामे आज़म के मुक़ल्लिद हैं।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 695

हज़रत कोई नया काम चालू करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ें या कौन सी सूरत पढ़ें ताकि मेरा काम आसानी से आसान हो जाये और कोई तकलीफ़ ना हो प्लीज़ हज़रत? तालिबे जवाब।

जवाब : 695

بسم الله الرحمن الرحيم

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ, तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है कि :

"जो भी अहम काम بسم الله الرحمن الرحيم के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है।

والله تعالى اعلم بالصواب

सवाल : 696

हज़रत जुम्आ के दिन 2 रकाअ़त वाजिब पढ़ने के बाद बहुत से लोग सुन्नत नहीं पढ़ते। क्या उन लोगों की नमाज़ हो जायेगी और जो सुन्नत नहीं पढ़ता उन लोगों के लिये क्या हुक्म आया है हदीस में? तालिबे जवाब।

जवाब : 696

بسم الله الرحمن الرحيم

जुम्आ पढ़ लेने से जुम्आ अदा हो जायेगा मगर सुन्नते मुअक्किदा को तर्क करने वाला गुनाहगार है, जबकि बिला उज़्रे शरई हो, फिर चाहे जुम्आ की सुन्नत हो या ज़ुहर या मगरिब

की, जो सुन्नते मुअक्किदा हैं, उनके तर्क की आदत बनाने वाला फ़ासिक़, जहन्नम का हक़दार, सख्त गुनाहगार और इस की गवाही क़ुबूल नहीं और हुज़ूर की शफ़ाअ़त से भी महरूम रहेगा।

बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़हा 662 पर है :
सुन्नतें कुछ मुअक्किदा हैं कि शरीअ़त में इस पर ताकीद आयी है। बिना वजह एक बार भी तर्क करे तो मलामत है और तर्क की आदत करे तो फ़ासिक़, मरदूदुश शहादत (जिस की गवाही क़ुबूल नहीं) जहन्नम का हक़दार।

और बाज़ आइम्मा ने कहा कि वो गुमराह ठहराया जायेगा, चाहे इस का गुनाह वाजिब के तर्क से कम है। म'आज़ अल्लाह शफ़ाअ़त से महरूम हो जायेगा।
हदीस में है : जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा, उसे मेरी शफ़ाअ़त ना मिलेगी।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 697
हज़रत शरीअ़त और हदीस में क्या फर्क़ है?

जवाब : 697

بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुछ फर्क नहीं दोनों एक ही चीज़ को कह सकते हैं।
शरीअ़त इस्लाम के क़ानून को कहते हैं।
हदीस नबी के क़ौल फ़ेल तक़रीर को कहते हैं, और नबी का फ़रमान ही शरीअ़त होता है।

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

सवाल : 698
हज़रत किताब बहारे शरीअ़त और क़ानूने शरीअ़त में क्या फ़र्क़ है?

जवाब : 698

بسم اللہ الرحمن الرحیم
सुन्नी हनफ़ी मज़हब की मुअ़तबर किताब बहारे शरीअ़त है जो हज़ारों सफ़हात के साथ 20 हिस्सों पर मुश्तमिल है। (मेरा तजुर्बा है कि) क़ानूने शरीअ़त एक छोटी किताब है, जो क़रीब 500 पेज की है, ये बहारे शरीअ़त से खास-खास मसाइल नक़्ल कर के बनायी गयी है और

आवाम के लिये फाइदेमन्द है। क्योंकि हर शख्स बहारे शरीअ़त नहीं पढ़ सकता, मगर कुछ हद तक क़ानूने शरीअ़त का मुताला करे तो ज़रूरत के मसाइल जान सकता है।

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 699

हज़रत तरक्की और खुशहाली के लिये कौन सी अँगूठी कौन सी उंगली में पहन सकते हैं? अँगूठी पहनने से पहले क्या कुछ पढ़ कर पहन सकते हैं या ऐसे ही?

जवाब : 699

بسم الله الرحمن الرحيم

मर्द को शरई चाँदी के वज़न वाली एक अँगूठी पहनने की इजाज़त है और औरत को सोना चाँदी दोनों की। आप "अक़ीक़" नग की अँगूठी पहन लें, सवाल में जो मसाइल हैं वो हल हो जायेंगे। और इसे उल्टे हाथ में पहनें, छोटी उंगली के बराबर वाली में, जिस में लोग अक्सर पहनते हैं। (और बीच वाली और शहादत की उंगली में अँगूठी पहनने से हदीस में मना किया गया है।)

والله تعالیٰ اعلم بالصواب

सवाल : 700

अगर कोई इन्सान कुत्ते का बच्चा हुज़ूर की शान में कुछ म'आज़ अल्लाह गलत कहे तो क्या करना चाहिये?

जवाब : 700

بسم الله الرحمن الرحيم

अगर वो सच में इंसान है तो कुत्ते का बच्चा नहीं और कुत्ता है तो इंसान नहीं ये दोनों मख्लूक़ अलग-अलग हैं। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, कुत्ते से बदतर है। उसे कुत्ता ना कहा जाये क्योंकि कुत्ता और कोई और जानवर हर नबी की ताज़ीम करता है, फिर ऐसे काफिर को कुत्ता कहकर कुत्ते को तकलीफ़ ना दी जाये। क़ानून के दायरे में रह कर क़दम उठाने की जद्दो जहद करनी चाहिये, यहाँ तक कि उसे फ़ाँसी कर दी जाये। अगर ये मुम्किन ना हो तो क़ैद करवाया जाये और हर नमाज़ में ऐसे काफ़िर की मौत की कसरत से दुआ करें और जब उस की मौत की खबर आये या क़ैद करने की खबर आये तो खुश हो, मिठाई बाँटे, मुसलमान को उस की मौत की खुशी में खाना खिलाये और अपनी मुहब्बत का इज़हार करे, कि (या रसूलल्लाह! हम आप के गुस्ताख से नाखुश और ऐसे खबीस की मौत से बहुत खुश हैं।) ताकि हुज़ूर इस मुहब्बत पर आप को नवाज़ें। और यही

अ़मल बुज़ुर्गाने दीन का था। मै कहता हूँ कि अगर ऐसा खबीस फ़ाँसी पर जाये तो मुसलमान पर लाज़िम है कि पूरे मुल्क में खुशी का इज़हार करें ताकि दूसरे खबीसों को इबरत हो कि मुसलमान अपने नबी की खातिर जीता और मरता है और ये भी नबी की इज़्ज़त से ज़्यादा मुसलमान को कुछ प्यारा नहीं और ये काफ़िर आगे इस से बाज़ आये।

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

अल्लाह के फज़्ल से पहली जिल्द मुकम्मल हुई।

ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ

सवालात 701 से आगे के जवाब मसाइले शरीअ़त जिल्द **2** में मुलाहिज़ा फरमायें।

दुआ -ए- खैर में याद रखिये,

सभी से तालिबे दुआ -ए- मग़फ़िरत

सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी

शास्त्री पार्क, दिल्ही, इंडिया

E-Mail: sms.warsi@gmail.com

Website : www.smswarsi.com

www.youtube.com/Masaileshariat

ये आबरू "रज़ा" तेरे दामाने तर की है।

हमारी दूसरी किताबें

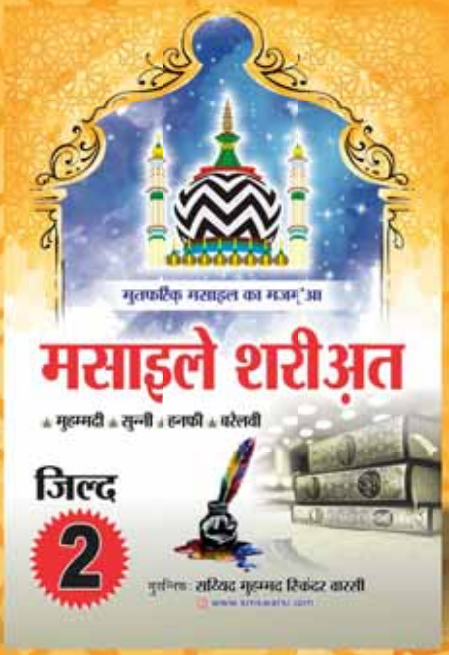

सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी

www.smswarsi.com